ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

रवि चेम्मेन चेरी उर्फ सी॰ रवि एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. Revision No. 644 of 2012. Decided on 12th April, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 245—अभियुक्त का उन्मोचन–आरोप विरचित किए जाने अथवा अभियुक्त उन्मोचित किए जाने के चरण पर न्यायालय को अभिकथन में अतिगामी जाँच अथवा अभिलेख पर मौजूद सामग्री का विस्तारपूर्वक परीक्षण नहीं करना है–भले ही अभियुक्त कुछ संदेह दर्शाने में सफल हुआ है, विचारण के पहले अभियुक्त को उन्मोचित करना अननुज्ञेय होगा। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–2012 (2) East Cr. C. 411 (Jhr.)—Distinguished; (2010)9 SCC 368; (2013)3 SCC 330—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Umesh Choubey, For the Petitioner; APP, For the State; Mr. Jawed Sultan, For the O.P. No. 3.

आदेश

इस पुनरीक्षण याचिका में चुनौती सी॰ पी॰ केस सं॰ 325 वर्ष 2002 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 18.1.2012 के आदेश को दी गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 245 के अधीन अपने उन्मोचन के लिए याचीगण की प्रेरणा पर दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. इस मामले के तथ्य, जो इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के समुचित अधिमूल्यन के लिए प्रासंगिक हैं, संक्षेप में, ये हैं कि परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 3 बिरेन्द्र सिंह की प्रेरणा पर पूर्वोक्त परिवाद मामला इस अभिकथन के साथ दाखिल किया गया था कि जब परिवादी बेरोजगार था और अपने नियोजन के लिए बोकारो स्टील प्लांट में प्रयास कर रहा था, अभियुक्तों में से एक सुरेश कुमार टेकरीवाल उसके पास आया और संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव दिया और बेईमान आशय से उसको उस व्यवसाय में बड़ी राशि निवेश करने के लिए प्रेरित किया। परिवादी भागीदारी व्यवसाय में शामिल होने के लिए सहमत हुआ किंतु उसे ज्ञात नहीं था कि उसका भागीदार उसके साथ छल करेगा और भागीदारी व्यवसाय की राशि का दुर्विनियोग करेगा। परिवादी ने उक्त अभियुक्त सुरेश कुमार टेकरीवाल के साथ भागीदारी व्यवसाय किया और मेसर्स सविता आयरन एण्ड स्टील प्रोसेसर, मेसर्स अक्षय स्टील सहित अनेक भागीदारी फर्म गठित किए गए थे। मेसर्स अक्षय स्टील से संबंधित भागीदारी करार के निबंधनानुसार विजया बैंक, नया मोड़ शाखा, बोकारो में संयुक्त बैंक खाता खोला गया था और शर्त अधिकथित किया गया था कि दोनों भागीदारों के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन खाता चलाया जाएगा किंतु उक्त करार के निबंधनों के पूर्ण उल्लंघन में उक्त अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तों रवि चेम्मेनचेरी उर्फ सी॰ रवि और पी॰ संपत कुमार हेगड़े, उक्त बैंक के कर्मचारी की मौनानुकूलता में अभियुक्त सुरेश टेकरीवाल के एकल हस्ताक्षर के अधीन विभिन्न चेकों (कुल संख्या 48) प्रस्तुत किया और दिनांक 3.8.1999 से दिनांक 28.2.2000 के बीच विभिन्न तिथियों पर 17,20,789/- रुपया निकाला। अभियुक्त व्यक्तियों को पूरी जानकारी थी कि मेसर्स अक्षय स्टील के प्रथम भागीदार होने की अपनी हैसियत में परिवादी का हस्ताक्षर प्रत्येक चेक पर आवश्यक

था किंतु तब भी अन्य कर्मचारियों की मौनानुकूलता से सुरेश कुमार टेकरीवाल के एकल हस्ताक्षर के अधीन राशियों को निकालने की अनुमति याचियों द्वारा दी गयी थी और याचियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके और चेक पास करके विपुल राशि के दुर्विनियोग के करार की कारिता सुकर बनाया।

व्यवसाय जारी रहने के दौरान, मेसर्स अक्षय स्टील एवं मेसर्स विश्वनाथ ट्रांसपोर्ट के बीच कुछ विवाद था और करार के निबंधनानुसार, मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया गया था जिस पर बाद में सुलह हुआ था। उक्त अभियुक्त सुरेश कुमार टेकरीवाल ने माध्यस्थम अधिनिर्णय राशि सहित विभिन्न कंपनियों से 15,26,00,000/- की कुल राशि प्राप्त किया किंतु उन कंपनियों से राशि पाने के संबंध में सूचना परिवादी को नहीं दी गयी थी अैर बेईमान आशय के साथ उसने विपुल राशि कर दुर्विनियेग किया। इसके अतिरिक्त, उसने 26,51,00,000/- रुपयों की राशि भी प्राप्त किया किंतु पूर्वोक्त राशि के 50% का सुरेश टेकरीवाल द्वारा दुर्विनियोग किया गया था।

3. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी का बयान और परिवादी द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद अपराध का संज्ञान लिया। अभियुक्तों की हाजिरी के बाद संहिता की धारा 244 के निबंधनानुसार गवाहों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण किया गया था और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर अभियुक्तों को दिया गया था। आरोप विरचित करने के पहले, उनको उन्मोचित करने की प्रार्थना के साथ दो याचियों की प्रेरणा पर संहिता की धारा 245 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य भागीदारी विलेख एवं अभियुक्तों के बचाव का परीक्षण करने के बाद पाया कि अपराध की कारिता एवं अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता के बारे में मजबूत संदेह है और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और पूर्वोक्तानुसार उन्मोचन याचिका अस्वीकार कर दिया। अत:, इस पुनरीक्षण को दाखिल किया गया है।

4. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का विधि में विकृत एवं दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सामग्रियों एवं याचियों के विरुद्ध मजबूत संदेह पर विचार करते हुए अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है और विधि के सुनिश्चित सिद्धांत को अनदेखा किया है। यह निवेदन भी किया गया था कि अवर न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का अधिमूल्यन नहीं किया है और यदि परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों एवं संग्रहित किए गए साक्ष्य को उनकी संपूर्णता में स्वीकार भी किया जाता है। याचियों के विरुद्ध मामला नहीं बनता है और यह सिविल विवाद से संबंधित है। यह प्रतिवाद भी किया गया है कि निधि के दुर्विनियोग अथवा छल का अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयवों में से कोई भी याचियों के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे बैंक अधिकारी थे और उन फर्मों के भागीदार सुरेश कुमार टेकरीवाल के विरुद्ध अभिकथन हैं किंतु तब भी अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना आक्षेपित आदेश द्वारा उनके उन्मोचन के लिए याचिका अस्वीकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **आशीष कुमार सिन्हा उर्फ अंतिम सिंह उर्फ आशीष सिंह बनाम झारखंड राज्य, 2012 (2) East Cr. C. 411 (Jhr.)** मामले पर विश्वास किया जिसमें भी संदेह के सिवाए साक्ष्य नहीं था, अत: अभियुक्त उन्मोचित किया गया था। इसी प्रकार से, वर्तमान मामले में भी, इस संदेह के सिवाए कुछ नहीं है कि उक्त सह अभियुक्त सुरेश कुमार टेकरीवाल की मौनानुकूलता में इन दो याचियों ने भागीदारी करार के निबंधनों एवं शर्तों को अनदेखा करते हुए विपुल राशि निकालने की अनुमति उसको दी।

5. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, विरोधी पक्षकार सं॰ 3 परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भागीदारी फर्म के करार सहित अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद अवर न्यायालय ने मजबूत प्रथम दृष्टया मामला एवं पर्याप्त सामग्री पाते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया और इस चरण पर, सुनिश्चित सिद्धांत की दृष्टि में, साक्ष्य का विस्तारपूर्वक परीक्षण एवं अतिगामी जाँच संभव नहीं है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 विजया बैंक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनों याचियों ने कोई अपराध नहीं किया है जैसा अभिकथित किया गया है और करार के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ था और संदेह मात्र पर इन दोनों याचियों को मामले में आलिप्त किया गया है।

6. विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के पहले, मैं उन्मोचन याचिका पर अवर न्यायालय की शक्ति के विस्तार एवं परिधि का परीक्षण करना समुचित समझता हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 227 के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा इसके द्वारा विचारणीय मामले में अभियुक्त का उन्मोचन अनुध्यात करती है। इसी प्रकार से, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित और दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले संहिता की धारा 239 के अधीन आच्छादित है किंतु पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों अर्थात् परिवाद पर संहिता की धारा 245 में विचार किया गया है। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 245 के अधीन उन्मोचन याचिका दाखिल की गयी थी। संहिता की धारा 227 अथवा 239 अथवा 245 के अधीन दाखिल उन्मोचन याचिका में मूलत: अंतर नहीं है। संहिता की धाराएँ 227 एवं 239 प्रावधानित करती है कि मामले के अभिलेख, संहिता की धारा 173 के अधीन अनुध्यात पुलिस रिपोर्ट के साथ दाखिल दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और अभियोजन तथा अभियुक्त को सुनने के बाद न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने का पर्याप्त आधार एवं मजबूत संदेह पाते हुए आरोप विरचित कर सकता है किंतु यदि प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, अभियुक्त को उन्मोचित करना होगा। इसी प्रकार से, संहिता की धारा 245 के अधीन भी परिवादी और उसके गवाहों के परीक्षण एवं बचाव द्वारा प्रति परीक्षण के बाद यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया मामला अथवा मजबूत संदेह पाता है, यह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए स्वतंत्र है। मूलत: उक्त तीनों प्रावधानों के अधीन उन्मोचन याचिका के अधिमूल्यन में अंतर नहीं है। **सज्जन कुमार बनाम सी॰ बी॰ आई॰, (2010)9 SCC 368,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्मोचन के प्रश्न का सारगर्भित रूप से विश्लेषण किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 19 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"19. ;g Li"V g fd vkjfHkd pj.k ij ;fn etcr lng g tk U;k;ky; dk ;g lkpu dh vkj y tkrk g fd ;g mièkkfjr dju dk vkèkkj g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc U;k;ky; dk ;g dgu dh NV ugh g fd vfHk;Dr d fo#) vxlj gku d fy, i;klr vkèkkj ugh gA vfHk;Dr d nk"k dh mièkkj.kk ftl vkjfHkd pj.k ij fd;k tkuk g doy çFke n"V;k ;g fofuf'pr dju d ç;ktu l g fd D;k U;k;ky; dk fopkj.k gr vxlj gkuk pkfg, ;k ughA ;fn lk{; ftl nu dk çLrko vfHk;ktu nrk g vfHk;Dr dk nk"k fl) djrk g] Hky gh çfr ijh{k.k e pukrh vFkok cpko lk{; ;fn gk] }kjk [kfMr fd, tku d igy i.kr% Lohdkj fd;k tkrk g] ;g ugh n'kk ldrk g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc fopkj.k gr vxlj gku dk i;klr vkèkkj ugh gkxkA**

एक अन्य मामले **राजीव थापर एवं अन्य बनाम मदन लाल कपूर, (2013)3 SCC 330,** में समरुप विवाद्यक अंतर्ग्रस्त था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिवाद मामले में उन्मोचन याचिका पर विचार करते हुए पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^;g vfHk;Dr d fo#) vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk dh lR;rk vFkok vU;Fkk dk eY;kdu dju dk pj.k ugh gA blh çdkj l] ;g Hkh fofuf'pr dju dk pj.k ugh g fd vfHk;Dr dh vkj l fd;k x;k cpko fdruk otunkj gA Hky gh vfHk;Dr vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk e dN lng n'kku e lQy gkrk g] fopkj.k d igy vfHk;Dr dk mUekfpr djuk vuuK; gkxkA ,lk blfy, g D;kfd bldk ifj.kke vfHk;ktu@ifjoknh dk bl fl) dju d fy, lk{; nu dh vuefr fn, fcuk vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk dk vfrerk nu e gkxkA fdr bldk foijhr lR; ugh g D;kfd Hky gh vxj fopkj.k fd;k Hkh tkrk g] vfHk;Dr dk fdlh vlèkk; ifj.kek d vè;èkhu ugh fd;k tkrk gA vfHk;Dr vHkh Hkh fofèk d vu#i lk{; ndj viuk cpko LFkkfir djd lQy gku dh voLFkk e gkxkA fofèkd voLFkk ?kkf"kr djr g,] bl U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k;k dh vrghu lph g fd ,l ekey e tgk vfHk;ktu@ifjoknh u yxk, x, leLr vkjkik d leLr vo;ok dk lkeu ykr g, vfHkdFku fd;k g vkj U;k;ky; d le{k lkexh çLrr fd;k g] çFke n"V;k fd, x, vfHkdFkuk dh lR;rk lkf{;r djr g,] fopkj.k djuk gh gkxkA**

7. प्रकटत: उक्त दो निर्णयों की दृष्टि में यह आसानी से निष्कर्षित किया जा सकता है कि आरोप विरचित करने अथवा अभियुक्त को उन्मोचित करने के चरण पर न्यायालय ने प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों की सत्यता अथवा अन्यथा का मूल्यांकन करने के लिए अथवा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का विस्तारपूर्वक परीक्षण करने के लिए अभिकथनों में कोई अतिगामी जाँच नहीं किया है। इस चरण पर, भले ही अभियुक्त कुछ संदेह दर्शाने में सफल रहा है, विचारण के पहले अभियुक्त को उन्मोचित करना अननुज्ञेय होगा क्योंकि इसका परिणाम अभियोजन को इसे सिद्ध करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति दिए बिना पीड़ित अथवा सूचक द्वारा किए गए अभिकथनों को अंतिमता देने में होगा।

8. मैंने आक्षेपित आदेश एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया है। मैं पाता हूँ कि अवर न्यायालय ने परिवादी, उसके गवाह के साक्ष्य एवं बचाव द्वारा प्रति परीक्षण पर चर्चा किया है और भागीदारी विलेख सहित दस्तावेजी साक्ष्य का भी परीक्षण किया है और आक्षेपित आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय ने भागीदारी विलेख (प्रदर्श 14) के प्रासंगिक भाग पर चर्चा किया है जिसमें कॉलम 11 में यह स्पष्टत: अनुबंधित किया गया है कि बैंक खाता प्रथम भागीदार–परिवादी द्वारा फर्म के नाम में चलाया जाएगा और ऐसी दशा में चेक, विनिमय बिल को प्रथम भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित, स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाएगा। किंतु इसे बदला जा सकता है यदि दोनों भागीदार फर्म के बेहतर चालन के लिए किसी समय पर ऐसा करने का निर्णय लेते हैं। स्पष्टत:, बैंक इस निबंधन एवं शर्त से अवगत था, तब भी इसने प्रथम भागीदार परिवादी के हस्ताक्षर के बिना राशि निकालने की अनुमति भागीदार को दी। याची पी॰ संपत कुमार हेगड़े के संयोजन के संबंध में, उक्त याची विचारण के दौरान अवसर पाएगा। स्पष्टत:, यह मामले में अतिगामी जाँच करने अथवा यह देखने कि विचारण का अंत दोषसिद्धि में होगा या दोषमुक्ति में, का चरण नहीं है बल्कि न्यायालय को अग्रसर होने के लिए मजबूत संदेह अथवा प्रथम दृष्टया मामला उपधारित करना होगा। भले ही अभियुक्त परिवादी द्वारा किए गए अभिकथन पर संदेह दर्शाने में सफल होता है, इस चरण पर विचारण के पहले अभियुक्त को उन्मोचित करना अननुज्ञेय होगा। अवर न्यायालय स्पष्ट शब्दों में इस निष्कर्ष पर आया है कि अपराध की कारिता एवं अभियुक्त याचीगण की अंतर्ग्रस्तता के बारे

में मजबूत संदेह है। अत:, **आशीष कुमार सिन्हा उर्फ अंतिम सिंह उर्फ आशीष सिंह (ऊपर)** में विनिश्चित निर्णयाधार वर्तमान मामले में प्रयोज्य नहीं है और अवर न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष संदेह मात्र पर आधारित नहीं है।

9. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं इस पुनरीक्षण आवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

चंद्रशेखर पांडे

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 1270 of 2016. Decided on 3rd May, 2016.

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914—धाराएँ 9 एवं 60—प्रमाणपत्र मामला—गिरफ्तारी वारंट—धारा 60 के अधीन अपील का सांविधिक उपचार है—याची को अपना सद्भाव स्पष्ट करने के लिए प्रमाण पत्र अधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी है कि उसे प्रमाण पत्र मामले में प्रमाणपत्र ऋणी के रूप में पक्षकार कभी नहीं बनाया गया था—तीन सप्ताह के लिए याची के विरुद्ध प्रपीड़क कदम नहीं उठाया जाय। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.—Mr. Vinay Kumar Tiwary, For the Petitioner; J.C. to A.A.G., For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची यह अभिकथित करते हुए इस न्यायालय के पास आया है कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रमाण पत्र मामला सं॰ 9/88-89 उसके पिता के विरुद्ध जारी किया गया था किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 2, अपर निदेशक, खनन-सह-प्रमाणपत्र अधिकारी, संथाल परगना, दुमका द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को वर्तमान याची के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट (परिशिष्ट-3) जारी किया गया है।

3. याची प्रतिवाद करता है कि दिनांक 9 जुलाई, 1993 को उसके पिता की मृत्यु के बाद उक्त प्रमाण पत्र मामले में उसको पक्षकार बनाए बिना अचानक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। याची प्रतिवाद करता है कि उसका पिता स्व॰ गणेश पांडे साहेबगंज में पत्थर की क्वैरी के व्यवसाय में लगा हुआ था और राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किए जाने की आवश्यकता थी। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रश्नगत प्रमाण पत्र मामला उसके पिता के विरुद्ध तथ्य की गलती पर आरंभ किया गया था यद्यपि उसके द्वारा प्रत्येक रॉयल्टी जमा किया गया था। प्रमाणपत्र अधिकारी के समक्ष धारा 9 के अधीन आपत्तियाँ भी दाखिल की गयी थी। याची के पिता ने समस्त राशियों का ब्रेक-अप भी दिया था। अत: याची के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी का वारंट पूर्णत: अनावश्यक एवं विधि की दृष्टि में अन्यायोचित है।

4. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मामले में अनुदेश प्राप्त नहीं किए गए हैं क्योंकि मार्च, 2016 में इसकी दाखिले के बाद पहली बार मामला सुना जा रहा है। किंतु, प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची को उक्त प्राधिकारी के समक्ष अपना सद्भाव स्पष्ट करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2, अपर निदेशक, खनन-सह-प्रमाणपत्र अधिकारी, दुमका, संथाल परगना के पास जाने का और प्रमाण पत्र राशि जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है जमा करने का निर्देश दिया

जाना चाहिए। अतः, इस चरण पर जब प्रमाण पत्र कार्यवाही के माध्यम से बकायों की मांग वसूल करना इप्सित किया जा रहा है और बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अब झारखंड) की धारा 60 के अधीन अपील का उपचार है, हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

5. पक्षों के मामले के गुणागुण पर विचार किए बिना यह न्यायालय याची को अपना सद्भाव कि उसे उसके पिता की मृत्यु के बाद भी प्रमाण पत्र मामला सं॰ 9/88-89 में प्रमाणपत्र ऋणी के रूप में पक्षकार कभी नहीं बनाया गया था, स्पष्ट करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2, अपर निदेशक, खनन-सह-प्रमाण पत्र अधिकारी, दुमका, संथाल परगना के पास जाने की स्वतंत्रता देना समुचित समझता है। अतः, रिट याचिका याची को आज के दिन से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी सं॰ 2, अपर निदेशक, खनन-सह-प्रमाणपत्र अधिकारी, दुमका, संथाल परगना के पास जाने की स्वतंत्रता देते हुए निपटायी जाती है। उसकी उपस्थिति पर, प्रत्यर्थी सं॰ 2 विधि के अनुरुप याची द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार विधि के अनुरुप याची द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करेगा और इस विवाद्यक पर निर्णय लेगा कि क्या प्रश्नगत मांग प्रश्नगत याची के विरुद्ध प्रमाणपत्र सं॰ 9/88-89 से संबंधित संचालित कार्यवाही एवं प्रासंगिक सामग्री के आधार पर निष्पादनीय है। यह कहना अनावश्यक है कि यदि प्रत्यर्थी सं॰ 2 संतुष्ट है कि मांग का निष्पादन विधि के अनुरूप किया गया है और याची ऐसे भुगतान का दायी है, इसे तत्पश्चात विधि के अनुरुप आवश्यक कदम लेने की छूट होगी और याची प्रमाण पत्र कार्यवाही में विनिश्चित की गयी बकाया मांग के भुगतान का दायी होगा। यह कहना अनावश्यक है कि अधिनियम वर्ष 1914 की धारा 60 के अधीन सांविधिक उपचार हैं। वर्तमान मामले में याची के विरुद्ध आज के दिन से तीन सप्ताह की अवधि तक प्रपीड़क कदम नहीं लिया जाए।

6. आज के दिन से तीन सप्ताह की अवधि के अवसान पर प्रदान किए गए अंतरिम संरक्षण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

7. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

बासुदेव सिंह एवं अन्य

cuke

हीरा देवी एवं अन्य

S.A. No. 355 of 1993 (P). Decided on 3rd May, 2016.

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 41 नियम 31 एवं 33 सहपठित धारा 96—प्रथम अपील—अपीलीय न्यायालय तथ्य का पहला न्यायालय है—अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर पूर्ण एवं स्वतंत्र विचार सदैव वांछनीय है—अपीलीय न्यायालय प्रथम अपील सुनते हुए संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन करने के बाद भिन्न निष्कर्ष पर आ सकता है। (पैराएँ 14 एवं 26)

(ख) हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956—धारा 16—दत्तक विलेख—रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधता के पक्ष में उपधारणा होती है—धारा 16 के अधीन उपधारणा है कि रजिस्टर्ड दत्तक विलेख वैध है। (पैरा 27)

निर्णयज विधि.–(2001)3 SCC 179; (2010)13 SCC 530; (2011)4 SCC 240; (2010)14 SCC 466—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Manjul Prasad, R.N. Prasad, Jitesh Kumar, For the Appellants; None, For the Respondents.

श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होनेवाले अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा समस्त मामलों जिनमें कार्यवाही इस न्यायालय के आदेशों द्वारा अवर न्यायालयों में स्थगित कर दी गयी थीं को दिनांक 22.4.2016 एवं दिनांक 23.4.2016 के कॉजलिस्ट में अधिसूचित किया गया है। वर्तमान द्वितीय अपील दिनांक 24.3.1994 को ग्रहण की गयी थी और तत्पश्चात, मामला पूर्व पाँच अवसरों पर सूचीबद्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्तमान द्वितीय अपील काफी पहले वर्ष 1993 में दाखिल की गयी थी, अत:, मैंने इस मामले को स्थगित नहीं किया था और मैं गुणागुण पर मामला सुनने के लिए अग्रसर हुआ।

3. वर्तमान द्वितीय अपील अभिधान अपील सं॰ 83 वर्ष 1985 में पारित दिनांक 25.5.1993 के उलटाव के निर्णय के विरुद्ध की गयी है।

4. अपीलार्थीगण बासुदेव सिंह पुत्र कन्हाई सिंह के विधिक उत्तराधिकारी एवं अन्य प्रतिवादीगण हैं। वाद मोहन सिंह द्वारा अयोध्या सिंह एवं गुना कुमारी का दत्तक पुत्र होने के नाते अनुसूची A, B एवं E संपत्तियों में अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए और अनुसूची C एवं D संपत्तियों, जो अयोध्या सिंह एवं अन्य सह-अंशधारियों के संयुक्त कब्जा में थी, में अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए दाखिल किया गया था। प्रतिवादीगण ने अनेक आधारों पर गुना कुमारी द्वारा वादी के दत्तक ग्रहण की वैधता को चुनौती दिया। पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित विवाद्यकों को विरचित किया:–

1. D;k ;Fkk fojfpr okn ik"k.kh; g

2. D;k oknh d ikl okn d fy, dkb okn grd g

3. D;k okn ifjlhek fofèk }kjk oftr g

4. D;k ekgu flg xuk dekjh ,o v;kè;k flg dk nÙkd i= g

5. D;k oknh fMØh dk gdnkj g tlk nkok fd;k g

6. fdl vurk"k vFkok vurk"kk dk oknh gdnkj g

5. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गुना कुमारी और अयोध्या सिंह द्वारा मोहन सिंह का दत्तक ग्रहण वैध नहीं था और वह गुना कुमारी का दत्तक पुत्र नहीं है। वाद प्रतिवाद पर खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध वादी ने अभिधान अपील सं॰ 83 वर्ष 1985 दाखिल किया। अवर अपीलीय न्यायालय ने विचारार्थ निम्नलिखित बिंदुओं को विरचित किया:–

1. D;k okn&vihykFkh ekgu flg mldh foèkok ekLekr xuk dekjh d ekè;e l vfHkfyf[kr vfHkèkkjh v;kè;k flg dk nÙkd i= g vkj D;k og okn i= dh vulfp;k A, B, C, D ,o Ee ;Fkk mfYyf[kr lifÙk;k ij viu vfèkdkj] vfHkèkku ,o fgr dh ?kk"k.kk dk vkj vulfp;k A, B ,o Ee ;Fkk mfYyf[kr lifÙk;k dh dCtk dh okilh dk gdnkj g

2. D;k fnukd 19.9.1985 dk fu.k; ,o fMØh] tlk rRdkyhu miU;k;kèkh'k] tkerkjk Jh f'ko'oj ukjk;.k }kjk vfHkèkku okn l0 34/72 e ikfjr fd;k x;k Fkk]

xyr g vkj ;g Hkh oreku vihy d eke;e l vikLr fd, tku dk nk;h g ;k ugh

6. अवर अपीलीय न्यायालय ने गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह के दत्तक ग्रहण के प्रश्न पर विचारण न्यायालय का निष्कर्ष उलट दिया और अभिनिर्धारित किया कि वादी अनुसूची A, B, C, D एवं E संपत्तियों पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा का हकदार था।

7. वर्तमान द्वितीय अपील ग्रहण करते हुए, इस न्यायालय ने विधि का सारवान प्रश्न विरचित किया अर्थात् (i) क्या अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष पैराग्राफ सं० 12 से 16 में दर्ज विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने का कारण नहीं दिए जाने से दूषित हो गया है?

8. सुना गया।

9. आरंभ में, अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री मंजुल प्रसाद ने निवेदन किया कि वर्तमान द्वितीय अपील में दिनांक 24.3.1994 के आदेश के तहत विरचित विधि के सारवान प्रश्न के सिवाए कोई अन्य विधि का सारवान प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह का दत्तक ग्रहण सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिसे उन्मोचित करने में वादी विफल रहा। वादी को समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे गुना कुमारी द्वारा अपना दत्तक ग्रहण सिद्ध करने की आवश्यकता थी किंतु, वादी का दत्तक ग्रहण संदेह के घेरे में बना रहा। यह प्रतिवाद किया गया था कि विचारण न्यायालय ने अनेक परिस्थितियों जिन्होंने गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह का अभिकथित दत्तक ग्रहण संदिग्ध बनाया पर विचार करते हुए निष्कर्ष दिया कि गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह का दत्तक ग्रहण वैध नहीं था। किंतु, अवर अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास की गयी परिस्थितियों का उल्लेख किए बिना मोहन सिंह के दत्तक ग्रहण के विवाद्यक पर निष्कर्ष उलट दिया जो तथ्य का शुद्ध प्रश्न है और इस प्रकार, अवर अपीलीय न्यायालय ने विधि में गंभीर गलती किया और अभिधान अपील सं० 83 वर्ष 1995 में दिनांक 25.5.1993 का आक्षेपित आदेश पारित किया।

10. वर्तमान द्वितीय अपील में विरचित विधि के सारवान प्रश्न का उल्लेख करने के पहले सी० पी० सी० की धारा 96 सहपठित सी० पी० सी० का आदेश XLI नियम 31 के अधीन अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य दोहराने की आवश्यकता है।

11. सी० पी० सी० के आदेश XLI नियम 31 का पठन निम्नलिखित है:–

fu.k; dh vUroLr] rkjh[k vkj gLrk{kj-*&vihy U;k;ky; dk fu.k; fyf[kr gkxk vkj mle&*

(a) voèkk; ç'u(

(b) muij fofu'p;(

(c) fofu'p; d fy, dkj.k(rFkk

(d) tgk og fMØh ft ldh vihy dh xb g myVnh tkrh g ;k mle QjQkj fd;k tkrk g ogk og vurk"k ft ldk vihykFkh gdnkj g] dfFkr gkxk]

vkj og U;k;kèkh'k }kjk ;k mle lger U;k;kèkh'kk }kjk ml le; og luk;k tk,] gLrk{kfjr vkj fnukfdr fd;k tk,xkA

12. अपीलीय न्यायालय की शक्ति सी० पी० सी० के आदेश XLI नियम 33 के अधीन प्रावधानित की गयी है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

vihy U;k;ky; dh 'kfDr-*&vihyh; U;k;ky; dh ;g 'kfDr gkxh fd og dkb , lh fMØh ikfjr dj ;k dkb , lk vkn'k dj tk ikfjr dh tkuh pkfg, Fkh ;k tk fd;k tkuk pkfg, Fkk] vkj , lk ;k vfrjDr ;k vU; fMØh ;k vkn'k ikfjr*

dj] tk ekey e vif{kr gk] vkj ml 'kfDr dk ç;kx U;k;ky; }kjk bl ckr d gkr g, Hkh fd;k tk ldxk fd vihy fMØh d doy Hkkx d ckj e g vkj ;g 'kfDr lHkh çR;fFk;k ;k i{kdkjk ;k mue l fdlh d Hkh i{k e i;kx dh tk ldxh] ;|fi ,l çR;fFk;k ;k i{kdkjk u dkb Hkh vihy ;k vk{ki Qkby u fd;k gk [vkj tgk çrhoknk e fMfØ;k gb gk ;k tgk ,d okn e nk ;k vfèkd fMfØ;k ikfjr dh xb gk ogk ;g 'kfDr lHkh fMfØ;k ;k mue l fdlh d ckj e ç;kx dh tk ldxh] ;|fi ,lh fMfØ;k d fo#) vihy Qkby u dh xb gk]:

[ijUr vihy U;k;ky; èkkjk 35A d vèkhu dkb Hkh vkn'k fdlh ,l vk{ki d vulj.k e ugh djxk ftl ij ml U;k;ky; u ftldh fMØh dh vihy dh xb g] ,lk vkn'k ugh fd;k g ;k ,lk vkn'k dju l budkj fd;k gA]

13. आदेश XLI नियम 31 का कोरा पठन प्रकट करता है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निम्नलिखित अंतर्विष्ट करना चाहिए:–

(a) fofu'p;dj.k dk fcn]

(b) ml ij fu.k;]

(c) fu.k; dk dkj.k] vkj

(d) tgk vihy dh x;h fMØh myVh vFkok ifjofrr dh x;h g] vurk"k ftldk vihykFkh gdnkj g

14. सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील विनिश्चित करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय की शक्ति वस्तुत: सुपरिभाषित है। अपीलीय न्यायालय तथ्य का अंतिम न्यायालय है और इसलिए, अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर पूर्ण एवं स्वतंत्र विचार सदैव वांछनीय है। **''संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (मृतक) एल॰ आर॰ द्वारा,'' (2001)3 SCC 179,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि ''अपीलीय न्यायालय के निर्णय को पक्षों द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए जोर दिए गए और किए गए प्रतिवादों के साथ उद्भूत होने वाले समस्त विवाद्यकों पर अपने विवेक का सोच समझकर इस्तेमाल परिलक्षित करना होगा और कारणों द्वारा समर्थित निष्कर्षों को दर्ज करना होगा।''

15. ''बी॰ वी॰ नागेश एवं एक अन्य बनाम एच॰ वी॰ श्रीनिवास मूर्थि'', (2010)13 SCC 530, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय के पूर्व निर्णयों में अधिकथित सिद्धांतों को दोहराते हुए निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

*"4. vihyh; U;k;ky; dk fopkj.k U;k;ky; d fu"d"kk dk myVu vFkok vfHki"V dju dh vfèkdkfjrk gA çFke vihy i{kk dk cgeY; vfèkdkj g vkj tc rd fofèk }kjk fucfèkr ugh fd;k tkrk g] mle dk li.k ekeyk rF; ,o fofèk nkuk d ç'uk ij iuh lu tku d fy, [kyk gA vrh vihyh; U;k;ky; d fu.k; dk i{kk }kjk vihyh; U;k;ky; d fu.k; d fy, tkj fn, x, vkj fd, x, çfroknk d lkFk mnHkr gku oky leLr fook|dk ij viu food dk lkp le>dj bLreky ifjyf{kr djuk gkxk vkj dkj.kk }kjk lefFkr fu"d"kk dk nt djuk gkxkA çFke vihyh; U;k;ky; d :i e cBr g, viu fu"d"kk dk nt dju d igy leLr fook|dk vkj i{kk }kjk fn, x, lk{; ij fopkj djuk mPp U;k;ky; dk dr0; FkkA çFke vihy ,d cgeY; vfèkdkj g vkj i{kk dk fofèk d ç'uk ij ,o rF;k ij lu tku dk vfèkdkj g vkj çFke vihy e fu.k; e gh fofèk ,o rF; d leLr fook|dk ij fopkj djuk gkxk vkj fu"d"kk d leFku e dkj.k ndj bl fofuf'pr djuk gkxkA***

16. अभिधान वाद सं॰ 34 वर्ष 1972 में वादी द्वारा अभिवचनित मामला निम्नलिखित रूप से संक्षिप्त किया जाता है:–

वाद अनुसूची संपत्तियाँ किसी अयोध्या सिंह की अनन्य रूप से अथवा अपने भाई एवं अन्य सह-अंशधारियों के साथ संयुक्त कब्जा में थी। अयोध्या सिंह की केवल एक लालू कुमारी नामक पुत्री थी। अयोध्या सिंह की मृत्यु के बाद उसकी विधवा गुना कुमारी और उसकी पुत्री लालू कुमारी ने अनुसूची A, B एवं E संपत्तियों को विरासत में पाया और अन्य सह-अंशधारियों के साथ अनुसूची C एवं D संपत्तियों पर संयुक्त रूप से काबिज हुए। गुना कुमारी ने 30 वें अशर 1369 BC अर्थात् दिनांक 16.7.1962 को वादी की माता श्रीमती भुखली कुमारी की नैसर्गिक माता की सहमति के साथ उसके नैसर्गिक पिता भाटू राय से वादी मोहन सिंह को गोद लिया। गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह का दत्तक ग्रहण साक्ष्यित करते हुए दिनांक 16.7.1962 का दत्तक विलेख निष्पादित भी किया गया था और उक्त विलेख रजिस्टर्ड किया गया था। गुना कुमारी की मृत्यु अपने पीछे वादी और अपनी पुत्री अर्थात् लालू कुमारी को अपने विधिक उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ते हुए दिनांक 9.12.1971 को हो गयी। लालू कुमारी की मृत्यु दिनांक 4.4.1972 को हुई जिसपर वाद संपत्तियों में उसका हित वादी पर न्यागत हुआ और इस प्रकार, वादी अनुसूची A, B एवं E संपत्तियों का अनन्य स्वामी बन गया और अनुसूची C एवं D संपत्तियों में अयोध्या सिंह का संपूर्ण अविभाजित हित विरासत में पाया।

17. वादी ने अभिवचन किया कि अपने जीवनकाल के दौरान गुना कुमारी एवं लालू कुमारी अनुसूची A, B एवं E संपत्तियों पर संयुक्त कब्जा में बनी रही और वे अनुसूची C एवं D संपत्तियों पर अन्य सह-अंशधारियों के साथ संयुक्त कब्जा में थी किंतु उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादियों ने जबरन वाद अनुसूची संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और वादी को संपत्ति पर कब्जा रखने की अनुमति नहीं दिया था जो मूलत: अयोध्या सिंह की थी। इन तथ्यों में, वादी के अयोध्या सिंह की विधवा गुना कुमारी द्वारा उसके दत्तक ग्रहण के आधार पर अनुसूची A, B एवं E संपत्तियों में अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा और अयोध्या सिंह के हित की सीमा तक अनुसूची C एवं D संपत्तियों, जिन्हें अयोध्या सिंह द्वारा अपने भाई ठाकुर सिंह और अन्य सह-अंशधारियों के साथ संयुक्त रूप से धारण किया गया था, में अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा इप्सित किया।

18. प्रतिवादियों ने गुना कुमारी द्वारा वादी के दत्तक ग्रहण से इनकार किया। यह अभिवचन किया गया था कि किसी दत्तक ग्रहण समारोह, पूजा-पाठ अथवा वास्तविक लेन-देन समारोह का आयोजन नहीं किया गया था क्योंकि दत्तक ग्रहण के अवसर पर दत्तक ग्रहण के स्थान पर अथवा किसी अन्य स्थान पर कोई भोज नहीं हुआ था जो हिंदूओं के बीच दत्तक ग्रहण का सामान्य लक्षण है। प्रतिवादियों ने प्राख्यान किया कि गुना कुमारी का वादी को अपनाने का आशय कभी नहीं था और वस्तुत: वादी के पिता अर्थात् भाटू राय ने गुना कुमारी को 500/- रुपयों का कर्ज देने के लिए भुगत बंधा विलेख निष्पादित करने के बहाना पर कपट एवं दुर्व्यपदेशन करके गुना कुमारी जो निरक्षर महिला है से दत्तक विलेख निष्पादित करवाया। लगभग छह वर्ष बाद जब वह भुगतबंधा विलेख लौटाए जाने के लिए वादी के पिता अर्थात् भाटू राय के पास गयी उसे मालूम हुआ कि भुगत बंधा विलेख के बदले झूठा दत्तक विलेख तैयार किया गया था और तद्नुसार उसने दिनांक 11.4.1969 को दत्तक विलेख रद्द कर दिया। प्रतिवादियों ने आगे अभिवचन किया कि गुना कुमारी की संपत्तियाँ चेतलाल सिंह, मोहन सिंह और राम सिंह के कब्जा में थी और पारिवारिक व्यवस्थापन के अनुसार उसकी संपत्तियाँ प्रतिवादी सं॰ 7 के सिवाए प्रतिवादियों पर न्यागत हुई और वे इस पर वास्तविकत: काबिज हैं। प्रतिवादियों ने दावा किया कि गुना कुमारी एवं लालू कुमारी का अंतिम संस्कार प्रतिवादियों द्वारा किया गया था जिसमें उन्होंने भारी खर्च उपगत किया था।

19. विचारण के दौरान, वादी ने 15 गवाहों का परीक्षण किया और अनेक दस्तावेजों को प्रदर्शित किया। अ॰ सा॰ 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 एवं 15 औपचारिक गवाह थे जिन्होंने वादी की ओर से दस्तावेजों को सिद्ध किया। गवाह मदन मोहन झा (अ॰ सा॰ 2) पुरोहित है जिसने मोहन सिंह का दत्तक ग्रहण समारोह संपन्न किया था। तीन गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 5, 6 एवं 7 ने अभिसाक्ष्य दिया कि मोस्मात गुना कुमारी ने उनकी उपस्थिति में मोहन सिंह को गोद लिया। अ॰ सा॰ 8 ने कथन किया कि मोस्मात गुना कुमारी ग्राम मोहलीडीह में भाटू राय के घर में रह रही थी। उक्त भाटू राय, वादी का पिता, का परीक्षण अ॰ सा॰ 9 के रूप में किया गया है और वादी ने स्वयं का अ॰ सा॰ 10 के रूप में परीक्षण करवाया है। प्रतिवादियों ने कुल 29 गवाहों का परीक्षण किया जिसमें से ब॰ सा॰ 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25 एवं 28 औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने प्रतिवादियों की ओर से दाखिल दस्तावेजों को सिद्ध किया है। अन्य गवाहों ने प्रतिवादियों के मामले का समर्थन इस बिंदु पर किया है कि गुना कुमारी द्वारा वादी को गोद नहीं लिया गया था और कथन किया कि प्रतिवादीगण जो अभिलिखित अभिधारी अयोध्या सिंह के गोत्रज हैं ने मोस्मात गुना कुमारी एवं लालू कुमारी का अंत्येष्टि एवं श्राद्ध संपन्न किया था।

20. दत्तक विलेख प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया था जिस पर मदन मोहन झा (अ॰ सा॰ 2) ने अपना हस्ताक्षर किया था। अ॰ सा॰ 2 के हस्ताक्षर के अतिरिक्त, प्रदर्श 2 झगरु राय एवं सागर चंद्र राय का हस्ताक्षर धारण करता है।

21. विचारण न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि दत्तक विलेख का लेखक अर्थात् मीनाक्षी प्रसाद दत्ता का परीक्षण नहीं किया गया था और अन्य अ॰ सा॰ ने न्यायालय में कथन नहीं किया था कि गुना कुमारी ने उनसे दत्तक विलेख के निष्पादन के लिए अपनी इच्छा अभिव्यक्त किया था। विचारण न्यायालय ने गौर किया कि अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने दत्तक विलेख पर हस्ताक्ष्र किया था। किंतु, मदन मोहन झा के सिवाए उनमें से किसी का परीक्षण नहीं किया गया था और इस प्रकार, उस आधार पर वादी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना था। विचारण न्यायालय ने आगे पाया कि दत्तक ग्रहण के बिंदु पर परीक्षण किए गए गवाह विभिन्न गाँवों के थे, एक तथ्य जो विवेक पर खरा नहीं उतरता है किस प्रकार विभिन्न गाँवों से वे गवाह मोहलीडीह गाँव आए थे जहाँ दत्तक ग्रहण समारोह संपन्न किया गया था। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दत्तक ग्रहण समारोह में ग्रामीणों की अनुपस्थिति गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह के दत्तक ग्रहण के संबंध में संदेह सृजित करती है। गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह के दत्तक ग्रहण पर संदेह करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा विचार की गयी अन्य परिस्थितियाँ थी: (i) अपने जीवन काल के दौरान अयोध्या सिंह ने पुत्र को गोद लेना नहीं चुना था जिसे वह अपने गोत्रजों में से अथवा किसी अन्य निकट संबंधी से पुत्र गोद लेकर कर सकता था, (ii) गुना कुमारी को बीमार पड़ने के बाद उसके गोत्रजों द्वारा अयोध्या सिंह के मूल घर ले जाया गया था जहाँ अंतत: उसकी मृत्यु हो गयी और उस अवधि के दौरान मोहन सिंह गुना कुमारी के साथ कभी नहीं रहा और मोहन सिंह का गुना कुमारी के परिवार के साथ संबंध नहीं था, (iii) गुना कुमारी का मुखाग्नि समारोह उसके गोत्रजों द्वारा संपन्न किया गया था और गुना कुमारी ने दिनांक 11.4.1969 का दत्तक विलेख (प्रदर्श A) रद्द कर दिया था।

22. वादी के विरुद्ध ली गयी एक अन्य परिस्थिति यह थी कि उसने विद्यालय एवं महाविद्यालय अभिलेखों में अपने पिता का नाम भाटू राय और न कि अयोध्या सिंह लिखा और उसकी विवाह का निमंत्रण पत्र (प्रदर्श E/1) वादी के पिता का नाम भाटू राय परिलक्षित करता है।

23. विचारण न्यायालय ने अंतत: निष्कर्षित किया कि प्रतिवादियों की कहानी कि वादी के पिता भाटू राय ने कपट एवं दुर्व्यपदेशन करके गुना कुमारी जो निरक्षर महिला थी से दिनांक 16.7.1962 को दत्तक विलेख निष्पादित करवाया, अधिक स्वाभाविक एवं अधिसंभाव्य प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय

ने आगे संप्रेक्षित किया कि गुना कुमारी ने आरंभ में अपने गोत्रजों के साथ कुछ मतभेद विकसित किया था और भाटू राय ने उक्त तथ्य का लाभ लिया। गुना कुमारी जिसको धन की आवश्यकता थी भाटू राय के पास गयी जिसने भुगत बंधा विलेख निष्पादित करने के बहाने पर गुना कुमारी से दत्तक विलेख निष्पादित करवाया।

24. वर्तमान द्वितीय अपील में, अपीलार्थियों की ओर से किया गया प्रतिवाद यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज पूर्वोक्त निष्कर्षों का उल्लेख अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता था और विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान में ली गयी परिस्थितियों के साथ असहमत होने के लिए तर्कपूर्ण कारण दिए बिना अवर अपीलीय न्यायालय ने गुना कुमारी द्वारा वादी के दत्तक ग्रहण पर निष्कर्ष उलट दिया है।

25. अभिधान अपील सं॰ 83 वर्ष 1985 में दिनांक 25.5.1993 के निर्णय का पठन प्रकट करता है कि मामले के तथ्यों एवं पक्षों की ओर से किए गए प्रतिवादों को अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक ध्यान में लिया गया है और केवल तत्पश्चात, जैसा ऊपर गौर किया गया है, विचारार्थ दो बिंदु न्यायालय द्वारा निरुपित किए गए थे। वादी के दत्तक ग्रहण के विवाद्यक पर चर्चा पैराग्राफ 11 से 20 तक 9 पृष्ठों में है। अवर अपीलीय न्यायालय ने अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य पर गौर किया जो पुरोहित था जिसने दत्तक ग्रहण समारोह संपन्न कराया था, अ॰ सा॰ 3 जिसने कथन किया कि दत्तक विलेख दिनांक 16.7.1962 को जामतारा उपरजिस्ट्रार के कार्यालय में निष्पादित किया गया था जिस पर उसके पिता ने हस्ताक्षर किया था। अ॰ सा॰ 5 जिसने दत्तक ग्रहण की औपचारिकताओं के पालन के बाद ग्राम मोहलीडीह में गुना कुमारी द्वारा दत्तक ग्रहण के बारे में कथन किया, और अ॰ सा॰ 6 एवं 7 जिन्होंने भी कथन किया कि मोस्मात गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह का दत्तक ग्रहण उनकी उपस्थिति में संपन्न किया गया था के साक्ष्य को ध्यान में लिया और न्यायालय ने अंततः पाया कि इन गवाहों के प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई विरोधाभास नहीं निकलवाया जा सका था, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उनका साक्ष्य त्यक्त कर दिया गया है। अवर अपीलीय न्यायालय ने इन गवाहों का साक्ष्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय पाया। अवर अपीलीय न्यायालय ने आगे पाया कि प्रदर्श 3 श्रृंखला जो एस॰ डी॰ एम॰ के न्यायालय में दाखिल अनेक रिपोर्ट हैं, प्रदर्श 4 श्रृंखला जो लगान रसीद है, प्रदर्श 6 जो दांडिक विविध केस सं॰ 157 वर्ष 1962 में रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति थी और प्रदर्श 7 जो दांडिक कार्यवाही में मोस्मात गुना कुमारी के अभिसाक्ष्य की प्रमाणित प्रति थी जिसमें उसने स्वीकार किया कि मोहन सिंह उसका दत्तक पुत्र था, ने पूर्णतः मोस्मात गुना कुमारी द्वारा वादी मोहन सिंह का वैध दत्तक ग्रहण सिद्ध किया। अवर अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत गवाहों, जिन्होंने कथन किया कि गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह को अपने पुत्र के रूप में गोद नहीं लिया गया था और मोहन सिंह के दत्तक ग्रहण में कोई लेन-देन समारोह संपन्न नहीं हुआ था और इस प्रकार यह वैध दत्तक ग्रहण नहीं था, का साक्ष्य ध्यान में लेने के बाद अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादियों के गवाह यह असिद्ध करने में विफल रहे कि मोहन सिंह का दत्तक ग्रहण वैध नहीं था। दिनांक 11.4.1969 के रद्दकरण विलेख पर टिप्पणी करते हुए अवर अपीलीय न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि रद्दकरण विलेख प्रतिवादियों का मामला किसी रूप में आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि दिनांक 16.7.1962 का दत्तक विलेख वैध एवं विधिक पाया गया है।

26. पूर्वोक्त चर्चा से यह प्रकट है कि अवर अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अधिमूल्यन करने के बाद अभिधान अपील सं॰ 83 वर्ष 1985 विनिश्चित किया। अवर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दत्तक ग्रहण के विवाद्यक पर विचारण न्यायालय का निष्कर्ष उलटने के पहले अपने विवेक का इस्तेमाल प्रकट करता है। **''एच॰ सिद्दीकी (मृत) एल॰ आर॰ द्वारा बनाम ए॰ रामालिंगम'', (2011)4 SCC 240,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 96 सहपठित सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश XLI नियम 31 के अधीन कार्यवाही के सारवान अनुपालन

के तुल्य होगा यदि अपीलीय न्यायालय का निर्णय मामले के समस्त महत्वपूर्ण पहलूओं पर प्रासंगिक साक्ष्य के स्वतंत्र निर्धारण पर आधारित है और अपीलीय न्यायालय का निर्णय सुआधारित और बिल्कुल विश्वासोत्पादक है। यह भी सुनिश्चित है कि प्रथम अपील सुनते हुए अपीलीय न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य के पुनर्अधिमूल्यन के बाद भिन्न निष्कर्ष पर आ सकता है।

27. गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह के दत्तक ग्रहण पर अविश्वास करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान में ली गयी परिस्थितियाँ परिणामहीन हैं क्योंकि प्रतिवादीगण दत्तक विलेख का निष्पादन असिद्ध करने में विफल रहे। यह तथ्य कि गुना कुमारी ने अपने पति अयोध्या सिंह के जीवन काल के दौरान दत्तक ग्रहण नहीं चुना था अथवा गुना कुमारी ने अपने पति के मूल घर में जहाँ अंततः उसकी मृत्यु हो गयी रहना क्यों चुना था, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं जिनसे अपने पुत्र के रूप में मोहन सिंह को गोद नहीं लेने का गुना कुमारी के आशय का पता लगाया जा सकता है। यह तथ्य है कि उस समय तक जब गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह को गोद लिया गया था, अयोध्या सिंह की मृत्यु हो गयी थी, अतः, यह असामान्य नहीं है कि मोहन सिंह ने विद्यालय के अभिलेखों में अपने पिता भाटू राय का नाम लिखना जारी रखा और विवाह कार्ड ने भी भाटू राय का नाम परिलक्षित किया। दिनांक 16.7.1962 का दत्तक विलेख रजिस्टर्ड विलेख है। रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधता के पक्ष में उपधारणा होती है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अधीन उपधारणा है कि रजिस्टर्ड दत्तक विलेख वैध है। **''अतलूरी ब्राह्मनंदन (मृत) एल॰ आर॰ द्वारा बनाम अन्ने साई बापूजी,'' (2010)14 SCC 466,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"49. ....nÙkd foy[k dh 'k) rk vFkok çkekf.kdrk fookfnr ugh gA fookfnr ;g g fd xkn fy, x, lrku d ulfxd ekrk&firk tk fu'p; gh foy[k fu"ikfnr dju oky i{k Fk u lkr vU; xokgk d lkFk xokg d :i e gLrk{kj fd;k gA ,lh rF;ijd fLFkfr e] i{kk d vk'k; dk irk yxkdj vkj li.krh nLrkot dk iBu djd vkj bld rkRi; ij fopkj djr g, ;g fu"df"kr fd;k tk ldrk g fd nÙkd xg.k fofèk dh ijh{kk ij [kjk mrjk gA**-----*

28. प्रतिवादियों ने दत्तक विलेख के परिवर्णन में कोई असंगति प्रकट नहीं किया था। दत्तक विलेख के निष्पादन के तथ्य से प्रतिवादियों द्वारा इनकार नहीं किया गया है। जिससे प्रतिवादियों द्वारा इनकार किया गया है वह यह है कि भुगतबंधा विलेख के बहाने वादी के पिता ने दिनांक 16.7.1962 का दत्तक विलेख निष्पादित करवाया। किंतु तीन गवाहों और पुजारी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि गुना कुमारी ने वादी को पुत्र के रूप में गोद लिया था और दिनांक 16.7.1962 का दत्तक विलेख निष्पादित किया। मेरे मत में, विभिन्न गाँवों के गवाहों की उपस्थिति वादी के दत्तक ग्रहण पर संदेह करने के लिए परिस्थिति नहीं हो सकती है। यह तथ्य कि गुना कुमारी के अपने पति के मूल घर में जहाँ स्वीकृत रूप से वह प्रतिवादियों के साथ थी रहने के लिए जाने के तुरन्त बाद दत्तक विलेख रद्द किया गया था, दिनांक 11.4.1969 के रद्दकरण विलेख की वास्तविकता पर विचार करने के लिए प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 16.7.1962 के दत्तक विलेख के रद्दकरण के विवाद्यक पर प्रतिवादियों द्वारा अधिक साक्ष्य नहीं दिया गया है। गुना कुमारी ने दत्तक विलेख निष्पादित करने के पहले वादी के गवाहों के समक्ष अपना आशय अभिव्यक्त नहीं किया होगा कि वह दत्तक विलेख निष्पादित करना चाहती थी किंतु यह मोहन सिंह के दत्तक ग्रहण को अवैध नहीं बनाएगा। मेरे मत में, प्रतिवादीगण दत्तक विलेख का निष्पादन असिद्ध करने में विफल रहे और अवर

अपीलीय न्यायालय ने सही प्रकार से साक्ष्य के स्वतंत्र निर्धारण पर निष्कर्ष पर आया है कि दिनांक 16.7.1962 का दत्तक विलेख वैध रूप से निष्पादित था और गुना कुमारी द्वारा मोहन सिंह का दत्तक ग्रहण वैध था। अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के प्रत्येक निष्कर्ष का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी।

29. अवर न्यायालयों के समक्ष लायी गयी सामग्री और अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करने पर इस न्यायालय द्वारा विरचित विधि के सारवान प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया जाता है।

30. परिणामस्वरुप, वर्तमान द्वितीय अपील विफल होती है और तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

डकुआ तिरिया

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 1548 of 2005. Decided on 20th April, 2016.

जी॰ आर॰ सं॰ 284 वर्ष 2004 के तत्सम मझगाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 33/2004 से उद्भूत होने वाले एस॰ टी॰ सं॰ 234 वर्ष 2004 में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, V, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 29.11.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 30.11.2005 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–दोषसिद्धि–अपीलार्थी चाकू से लैस होकर मृतक के घर गया और वार किया जो इतना शक्तिशाली था कि इसने मृतक के आर-पार उपहति कारित किया–अभियोजन ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि अपीलार्थी ने चाकू से मृतक को उपहति कारित किया था जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हुई–अपील खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajesh Kumar Mahtha, For the Appellant; Mr. Sudhansu Kumar Deo, For the State.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–पक्षों को सुना गया।

2. यह दांडिक अपील जी॰ आर॰ सं॰ 284 वर्ष 2004 के तत्सम मझगाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 33/2004 से उद्भूत होनेवाले एस॰ टी॰ सं॰ 234 वर्ष 2004 में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट V, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 29.11.2005 एवं दिनांक 30.11.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. दिनांक 3.7.2001 को अपराह्न 8.30 बजे पी॰ एच॰ सी॰ मझगाँव में दर्ज सनातन तिरिया के फर्दबयान से उद्भूत होने वाले तथ्य ये हैं कि उसी तिथि पर अपराह्न लगभग 12.30 बजे दोपहर में जब सूचक भोजन करने के बाद अपने घर में आराम कर रहा था, अपीलार्थी चाकू से लैस होकर वहाँ आया और उसके पेट पर चाकू का वार किया जो एबडोमिनल कैविटी को नुकसान कारित करते हुए पूर्णतया अंदर चला गया। सूचक की पत्नी एवं बहु ने शोर किया किंतु तब तक अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया था। सनातन तिरिया (मृतक) के फर्दबयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 452 एवं

307 के अधीन दिनांक 3.7.2001 का मझगाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 33/2004 अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज किया गया था।

ईलाज के दौरान सदर अस्पताल, चाईबासा में सनातन तिरिया की मृत्यु हो गयी जिसके बाद दिनांक 6.7.2004 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गयी थी।

पुलिस ने सम्यक् अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 234/2004 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी का विचारण किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 452 एवं 311 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे, जिसके प्रति अपीलार्थी ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुछ तेरह गवाहों का परीक्षण किया और उपहति रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट, फर्दबयान, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विचारण के समापन पर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तवेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेशित किया।

4. न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को इस आधार पर चुनौती दिया है कि डॉ॰ रविन्द्र कुमार मिश्रा (अ॰ सा॰ 7) ने मृतक का उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2 के रूप में सिद्ध किया है और डॉ॰ उमेन्द्र प्रसाद (अ॰ सा॰ 10) ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 3 के रूप में सिद्ध किया है। दोनों डॉक्टरों ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्यों में स्वीकार किया है कि यदि समुचित इलाज किया जाता, सनातन तिरिया का जीवन बचाया जा सकता था। आगे यह इंगित किया गया है कि पूर्वोक्त दो डॉक्टरों द्वारा दिया गया उपहति का वर्णन संगत नहीं है। फर्दबयान के मुताबिक, जबनी कुई (अ॰ सा॰ 6 मृतक की पत्नी) ने घटना नहीं देखा था। फर्दबयान में प्रकट किया गया है कि अपीलार्थी सूचक के घर गया और अ॰ सा॰ 6 से सनातन तिरिया का अता पता पूछा। उसने उत्तर दिया कि सनातन तिरिया घर के अंदर चौकी पर सो रहा है। तत्पश्चात्, अपीलार्थी अंदर गया और सनातन तिरिया के पेट पर वार किया। तत्पश्चात्, सनातन तिरिया ने शोर किया जिसने अ॰ सा॰ 6 (जबनी कुई) और अ॰ सा॰ 5 (सुमी तिरिया) का ध्यान आकृष्ट किया जिन्होंने सनातन तिरिया को अपने पेट पर उपहति पाए देखा था। पतर पूरती मुंडा (अ॰ सा॰ 1), मंगल सिंह तिरिया (अ॰ सा॰ 2), इसमायल बरुआ (अ॰ सा॰ 3), राज कुमार पूरती (अ॰ सा॰ 4), रुगुरिया तिरिया (अ॰ सा॰ 8) एवं मसई तिरिया (अ॰ सा॰ 9) अनुश्रुत गवाह या औपचारिक गवाह है। उन्होंने अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 द्वारा उनको बतायी गयी कहानी दोहराया है। तेस लाल राम (अ॰ सा॰ 11) अन्वेषण अधिकारी है किंतु उसके द्वारा किया गया अन्वेषण लापरवाह प्रतीत होता है। उसने रक्तरंजित मिट्टी संग्रहित नहीं किया था और न ही अपराध के हथियार का पता लगाने का प्रयास किया था यद्यपि अपीलार्थी को स्वयं घटना की तिथि पर गिरफ्तार किया गया था। रामस्वारथ प्रसाद, पुलिस ए॰ एस॰ आई॰ ने फर्दबयान दर्ज किया था किंतु वह अभियोजन मामला का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया था। दिनांक 5.7.2004 को सदर अस्पताल, चाईबासा में सनातन तिरिया की मृत्यु हो गयी जहाँ मसाई तिरिया (अ॰ सा॰ 9) का फर्दबयान दर्ज किया गया था और मामला दर्ज करने के लिए इसे ओ॰ सी॰ मझगाँव को अग्रसर किया गया था किंतु अन्वेषण अधिकारी मौन है कि उस फर्दबयान का क्या हुआ था, क्या उस फर्दबयान के आधार पर कोई मामला दर्ज किया गया था या नहीं। अभिलेख पर लाया गया अभियोजन कथा अत्यन्त संदेहपूर्ण है। तथाकथित चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 विश्वसनीय नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने गलत रूप से अपीलार्थी को हत्या का अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि मृतक की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा उस पर कारित उपहति से हुई, अतः, सूचक का फर्दबयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के

अधीन ग्राह्य है। उक्त के अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 चश्मदीद गवाह हैं जिनकी उपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा चाकू से उपहति कारित किया गया था। मंगल सिंह तिरिया (अ॰ सा॰ 2) हल्ला सुनकर घटना स्थल पर आया था और जब वह सूचक के घर जा रहा था, उसने अपीलार्थी को अपने हाथ में चाकू लिए भागते देखा। अ॰ सा॰ 8 (रुगुरिया तिरिया) और अ॰ सा॰ 9 (मसई तिरिया) मृतक के पुत्र हैं और उन्होंने सूचक द्वारा और अपनी माता अ॰ सा॰ 6 द्वारा उनको सुनायी कहानी दोहराया है। अभियोजन ने उपहति रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध किया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज पर्याप्त रूप से अपीलार्थी का दोष सिद्ध करते हैं और विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है और आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने मामला अभिलेख का परीक्षण किया है और हम पाते हैं कि अभियोजन ने कुल 13 गवाहों का परीक्षण करके अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने का समस्त प्रयास किया है। सनातन तिरिया (मृतक) के फर्दबयान के आधार पर, मझगाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 33/2004 संस्थित किया गया था और यह विवादित नहीं है कि सनातन की मृत्यु घटना की तिथि पर अपीलार्थी द्वारा उसको कारित उपहति के कारण हुई थी। अत: फर्दबयान (प्रदर्श 4) साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के अधीन ग्राह्य है और इसे मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जा सकता है। यह तथ्य नहीं है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल सूचक के फर्दबयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज किया है बल्कि विचारण न्यायालय ने अन्य गवाहों के साक्ष्य पर भी विचार किया है। हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 5 जो मृतक की बहु है और अ॰ सा॰ 6 जो मृतक की पत्नी है, घटना के समय पर घर में उपस्थित थे। अपीलार्थी उनकी उपस्थिति में आया और सनातन तिरिया के पेट पर उपहति कारित करते हुए चाकू से वार किया। दोनों चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन मामला का पूर्ण समर्थन किया है और हम पाते हैं कि बचाव अधिवक्ता द्वारा उनके मुख से कुछ भी तात्विक नहीं निकलवाया गया है।

अ॰ सा॰ 1 पतर पुरती मुंडा गाँव का मुंडा प्रतीत होता है और घटना की सूचना पाने के बाद उसने पुलिस को सूचना प्रेषित किया था। अ॰ सा॰ 2 मंगल सिंह तिरिया हल्ला सुन कर घटनास्थल पर आया था और उसने अपीलार्थी को अपने हाथ में चाकू लिए घटना स्थल से भागते देखा था और इस गवाह ने अभियोजन मामला का पूर्ण समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 4 राज कुमार पूरती टेम्पो चालक है जो सनातन तिरिया को पी॰ एच॰ सी॰, मझगाँव से सदर अस्पताल, चाईबासा ले गया था। अ॰ सा॰ 4 के अनुसार, अ॰ सा॰ 6 सनातन तिरिया के साथ टेम्पो में मौजूद थी। डॉ॰ रविन्द्र कुमार मिश्रा (अ॰ सा॰ 7) ने उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है और वह समर्थन करते हैं कि सनातन तिरिया को घायल दशा में पी॰ एच॰ सी॰, मझगाँव लाया गया था और उसका कुछ इलाज किया गया था और उसे सदर अस्पताल, चाईबासा निर्दिष्ट किया गया था।

डॉ॰ उमेन्द्र प्रसाद (अ॰ सा॰ 10) ने सनातन तिरिया के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है। एबडोमिनल कैविटी को नुकसान कारित करते हुए चाकू से की गयी उपहति पूर्वोक्त दोनों डॉक्टरों के साक्ष्य से समर्थन पाता है।

तेस लाल राम (अ॰ सा॰ 11) ने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण का समर्थन किया है और उसने राम स्वारथ प्रसाद द्वारा दर्ज फर्दबयान सिद्ध किया है। सूचक सनातन तिरिया की मृत्यु सदर अस्पताल चाईबासा में हो गयी जहाँ इंद्रदेव राम (अ॰ सा॰ 13) द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया था और उसे उसके द्वारा सिद्ध किया गया है।

गुड्डू मिस्त्री (अ॰ सा॰ 12) मृत्यु समीक्षा का गवाह प्रतीत होता है और उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर किया गया अपना हस्ताक्षर एवं रवि प्रकाश का हस्ताक्षर भी सिद्ध किया है। चूँकि सनातन तिरिया की मृत्यु सदर अस्पताल, चाईबासा में हुई थी, यह सदर पुलिस थाना के पुलिस अधिकारी को ज्ञात नहीं था, अत: एस॰ आई॰ इंद्र देव राम (अ॰ सा॰ 13) ने मसई तिरिया (अ॰ सा॰ 9) का फर्दबयान दर्ज किया था और इस सम्यक रूप से ओ॰ सी॰ मझगाँव को अग्रसारित किया था और मसई तिरिया का फर्दबयान प्रदर्श 9 के रूप में सिद्ध किया गया है। चूँकि पहले ही सनातन तिरिया (मृतक) के फर्दबयान के आधार पर मामला संस्थित किया गया था, दूसरा मामला दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी।

7. हमने प्रदर्श 9 में दिए गए विषय वस्तु का परिशीलन किया है और वह भी मृतक द्वारा अपने फर्दबयान (प्रदर्श 4) में किए गए प्रतिवाद का समर्थन करता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों से हम पाते हैं कि अभियोजन ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि अपीलार्थी ने चाकू से सनातन तिरिया पर उपहति कारित किया था जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी। हत्या के मामले में अभियुक्त के आशय पर प्रत्येक मामले में उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों से विचार किया जाना है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी चाकू से लैस होकर मृतक के घर गया और कोई कारण दिए बिना वार किया जो इतना शक्तिशाली था कि इसने मृतक को पूर्णतया उपहति कारित किया। जहाँ तक समुचित इलाज करने का संबंध है, सनातन तिरिया को तुरन्त पी॰ एच॰ सी॰ और तब सदर अस्पताल, चाईबासा ले जाया गया था किंतु उक्त उपहति के कारण मृतक को कारित नुकसान घातक था और यह अ॰ सा॰ 10 के बयान से प्रकट है जब वह कहता है कि मृतक को कारित उपहति प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

8. इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

मनोज कुमार गोस्वामी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (S.J.) No. 867 of 2002. Decided on 6th May, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 67/250/95 में श्री आर॰ के॰ श्रीवास्तव में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰–तृतीय, बोकारो, द्वारा पारित दिनांक 27.11.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 307—हत्या का प्रयास–दोषसिद्धि–अम्ल हमला–आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण ने अपीलार्थी पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है क्योंकि अभियोजन घटना का तरीका और घटनास्थल सिद्ध करने में विफल रहा है–चाक्षुक साक्ष्य आई॰ ओ॰ के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया और न ही अम्ल के माध्यम से घायल को कारित उपहति स्थापित करने के लिए किसी विशेषज्ञ का परीक्षण किया गया है–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध करने में विफल रहा है–आक्षेपित निर्णय अपास्त–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2013)6 SCC 417—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. R.C.P. Sah, For the Appellant; Mr. Abhay Kumar Tiwary, For the State.

आदेश

यह अपील अपीलार्थी अर्थात मनोज कुमार गोस्वामी द्वारा दाखिल की गयी है जिसे एस॰ टी॰ केस सं॰ 67/250/95 में श्री आर॰ के॰ श्रीवास्तव, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ तृतीय, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 27.11.2002 के निर्णय के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

2. अभियोजन मामला, जैसा दिनांक 30.9.1993 को प्रात: 10 बजे बी॰ एच॰ जी॰ इमरजेन्सी वार्ड, बेड सं॰ 5 पर सेक्टर IV पुलिस थाना के ए॰ एस॰ आई॰ बी॰ बी॰ तिवारी द्वारा किसी संदीप कुमार पांडे (अ॰ सा॰ 4) के फर्द बयान में दर्ज किया गया है, यह है कि दिनांक 30.9.1993 को सूचक अपने मित्र के साथ क्रिकेट खेलने गायत्री मंदिर, बालीडीह गया था। अपराह्न लगभग 3.30 बजे भारी बारिश हुई, तत्पश्चात वे निकट की शराब भट्टी में गए और चारपाई पर बैठे हुए थे। इस बीच, मनोज कुमार गोस्वामी (अपीलार्थी) आया और उसी चारपाई विशेष पर बैठा जिसका सूचक द्वारा प्रतिरोध किया गया था, जिस पर जोरदार बहस हुई थी। मनोज कुमार गोस्वामी गाली देने लगा और अपने घर चला गया। कुछ समय बाद बारिश रूक गयी, सूचक अपने मित्रों अर्थात् विजय गोस्वामी, ललन सिंह, सत्येन्द्र सिंह, रंजीत पांडे एवं विनोद गोस्वामी के साथ घर की ओर अग्रसर हुआ और गायत्री मंदिर के आस-पास पहुँचा। अपीलार्थी मनोज कुमार गोस्वामी जो अम्ल लिए था उसके निकट आया और सूचक के शरीर पर फेंका जिसके परिणामस्वरुप सूचक को अपने बाएं हाथ और कनपट्टी के पीछे कुछ जलन उपहति आयी और तत्पश्चात वह जमीन पर गिर गया।

3. इन अभिकथनों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 326/307 के अधीन दिनांक 2.10.1993 का बालीडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 66 वर्ष 1993 संस्थित किया गया था। यह प्रतीत होता है कि दिनांक 21.7.1998 को अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 एवं 326 के अधीन इस मामले में आरोप विरचित किए गए थे। तत्पश्चात्, विचारण हुआ और विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल आठ गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 अकील प्रसाद महाथा जो औपचारिक गवाह है जिसने फर्दबयान सिद्ध किया है; अ॰ सा॰ 2 रंजीत कुमार पांडे, सूचक का सहयोगी; अ॰ सा॰ 3 सत्येन्द्र कुमार सिंह, सूचक के सहयोगी का पुत्र; अ॰ सा॰ 4 संदीप कुमार पांडे, स्वयं सूचक; अ॰ सा॰ 5 विजय गोस्वामी जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था; अ॰ सा॰ 6 विनोद गोस्वामी जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था; अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ अभय कुमार रोहतगी जिन्होंने सूचक का उपहति रिपोर्ट जारी किया; अ॰ सा॰ 8 अरुण चंद्र सेन जिसने अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है का परीक्षण किया। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया।

4. तर्क के दौरान, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि स्वीकृत रूप से अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। अत: अभियोजन द्वारा घटनास्थल एवं घटना का तरीका सिद्ध नहीं किया गया है। अत:, अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन मामला नहीं बनता है। तद्नुसार, अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध करने में विफल रहा है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ अजय कुमार रोहतगी के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया जिन्होंने पैरा 16 में कथन किया है कि घायल के शरीर पर उपहति का परीक्षण करने के लिए उन्होंने

केवल मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया था। उन्होंने उपहति की गहराई एवं तीखापन नहीं मापा है। उन्होंने पैरा 23 में आगे कथन किया है कि उन्होंने किसी दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने घायल का परीक्षण किया है और पैरा 25 में उन्होंने कथन किया है कि अम्ल भिन्न प्रकार का है और उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। इस प्रकार निवेदन किया गया है कि अम्ल द्वारा कारित घायल द्वारा उपहति स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ का परीक्षण नहीं किया गया था और अम्ल का बोतल न तो जब्त किया गया था और न ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अ॰ सा॰ 7 डॉक्टर ने पैरा 29 में कथन किया है कि उन्होंने उल्लेख किया है कि उपहति क्षयकारी पदार्थ द्वारा और न कि अम्ल द्वारा कारित की गयी थी। अत: यह निवेदन किया गया था कि आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण के कारण अभियोजन सूचक को अम्ल द्वारा कारित उपहति स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया था। अ॰ सा॰ 7 का साक्ष्य जो इस तथ्य का समर्थन नहीं कर रहा है कि उपहति अम्ल के कारण थी, अत: अभियोजन अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में विफल रहा है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **''लहू करमाकर पाटिल एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2013 (6) SCC 417 : 2013 (2) BLJ & JLJ (SC) 65** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है:–

> *^^b0 nkfMd fopkj.k&ijh{k.k&xokg dk xj ijh{k.k@ijh{k.k dju e foQyrk&vUo"k.k vfèkdkjh (vkb0 vk0) dk xj ijh{k.k dc ?kkrd g&vkb0 vk0 dk , lk ijh{k.k dc vko';d g&fuèkkj.k&nkgjk;k x;k] vkb0 vk0 dk xj ijh{k.k vfHk;ktu ekey d fy, ?kkrd ugh g] fo'k"kdj tc vfHk;Dr d çfrdyrk l ihfMr gku dh lHkkouk ugh g&fdr] nkgjk;k x;k] dfri; ifjfLFkfr;k g tgk vkb0 vk0 dk ijh{k.k egRoi.k cu tkrk g&gR;k d oreku ekey e lpd u çkFkfedh ij viuk gLrk{kj Lohdkj fd;k g fdr ;g dFku Hkh fd;k fd bl lkn dkxt ij fy;k x;k Fkk tc og u'kk e Fkk&vkb0 vk0 }kjk bl Li"V fd;k tk ldrk Fkk fdr dN dkj.kk l vfHk;ktu }kjk vkb0 vk0 dk ijh{k.k ugh fd;k x;k Fkk&u rk fopkj.k U;k;ky; u] u gh mPp U;k;ky; u vkb0 vk0 d xj ijh{k.k d fook|d ij fopkj fd;k&vfHky[k ij yk, x, li.k lkexh d ifj'khyu l ;g Li"V g fd lpd d mDr c;ku d fy, Li"Vhdj.k ugh fn;k x;k Fkk&vkx] ip xokg i{knkgh gk x, Fk vkj U;k;ky; e fn;k x;k dN lk{; n0 ç0 l0 dh èkkjk 161 d vèkhu nt c;ku e LFkku ugh ikr Fk&vr%] vfHkfuèkkfjr fd;k x;k fd oreku ekeyk , lk Fkk tgk vkb0 vk0 dk ijh{k.k egRoi.k Fkk vkj mldk xj ijh{k.k vfHk;ktu ekey e rkRod deh lftr djrk g&bl ij ,o vU; vkèkkj ij nk"kflf) myVh x;h&nM çfØ;k lfgrk] 1973—èkkjk, 154 ,o 161—nM lfgrk] 1860—èkkjk, 302, 147, 148, 149 ,o 452A*

उन्होंने निवेदन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण ने गंभीर प्रतिकूलता कारित किया।

7. स्वीकृत रूप से, आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण ने सूचक (Sic अपीलार्थी) पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है क्योंकि अभियोजन घटना का तरीका एवं घटनास्थल सिद्ध करने में विफल रहा है और चाक्षुक साक्ष्य आई॰ ओ॰ के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है और न ही अम्ल के माध्यम से घायल को कारित उपहति स्थापित करने के लिए किसी विशेषज्ञ का परीक्षण किया गया है। आगे, जब्त की गयी किसी अन्य सामग्री जैसे अम्ल के बोतल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। डॉक्टर ने भी कथन किया है कि वह अम्ल का परीक्षण करने का विशेषज्ञ नहीं है और वह नहीं कह सकता है कि कितना अम्ल है और आगे मत दिया है कि उपहति गंभीर प्रकृति एवं क्षयकारी प्रकृति की है। अत: इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियोजन के मामले पर विचार करते हुए मेरा सुविचारित मत है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है।

8. तद्नुसार, एस॰ टी॰ सं॰ 67/250/95 में श्री आर॰ के॰ श्रीवास्तव, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ तृतीय, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 27.11.2002 का निर्णय एवं आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। और वर्तमान अपील अनुज्ञात किया जाता है। अपीलार्थी को उसके जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है। इस निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

छोटू तुरी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.Rev. No. 743 of 2012. Decided on 6th May, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 376, 341, 323 एवं 506—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 227—बलात्कार, दोषपूर्ण परिरोध, उपहति एवं दांडिक अभित्रास–उन्मोचन याचिका की खारिजी–केवल तब जब न्यायाधीश समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने का पर्याप्त आधार नहीं है, उसे उन्मोचित किया जाएगा–चूँकि पीड़ित का साक्ष्य सुझाता है कि बलात्कार किया गया है, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से उन्मोचन याचिका अस्वीकार किया–इस चरण पर याची के बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है–पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 10 से 14)

अधिवक्तागण.–Mr. M.B. Lal, For the Petitioner; APP, For the State; Mr. S.P. Sinha, For the O.P. No. 2.

आदेश

इस पुनरीक्षण आवेदन में याची ने दिनांक 26.6.2012 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा सत्र विचारण सं॰ 422 वर्ष 2010 (जी॰ आर॰ सं॰ 1373 वर्ष 2008), गोविन्दपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 141 वर्ष 2008 के तत्सम के संबंध में उन्मोचन के लिए याची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन दाखिल याचिका अपर सत्र न्यायाधीश VII, धनबाद द्वारा खारिज कर दी गयी है।

2. वर्तमान मामले को उद्भूत करने वाले संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि सूचक अर्थात् पार्वती कुमारी द्वारा अन्य बातों के साथ उसमें यह कथन करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी कि दिनांक 12.5.2007 को प्रातः लगभग 7 बजे जब वह घर के बाहर गयी, अभियुक्त छोटू तुरी ने उसको अकेला पाकर काबू में करने के उपरांत उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। प्राथमिकी में, वह कथन करती है कि उसके द्वारा किए गए शोरगुल के कारण अनेक लोग जमा हो गए जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्त भाग गया और बलात्कार नहीं कर सका था।

3. बयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376/511, 341, 323, 506, 34 के अधीन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 506 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने संज्ञान लिया और अभियुक्त का विचारण किया गया था।

4. विचारण के क्रम में, दिनांक 7.10.2009 को पीड़ित पार्वती कुमारी (अ॰ सा॰ 1) का परीक्षण किया गया था और उसकी माता गुरिया देवी (अ॰ सा॰ 2) का परीक्षण दिनांक 9.3.2010 को किया गया था। दोनों गवाहों के साक्ष्य ने प्रकट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय बलात्कार का मामला अभियुक्त याची के विरुद्ध बनता है जो अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय

है। इस प्रकार विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांक 18.8.2010 के आदेश के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323 के अधीन मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया। तत्पश्चात, अभियुक्त द्वारा उन्मोचन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन एक याचिका दाखिल की गयी थी जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया है।

5. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अवर न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप इस आधार पर विरचित नहीं कर सका था कि पीड़िता का बयान असंगत है। वह निवेदन करते हैं कि प्राथमिकी में पीड़िता ने अपने उपर बलात्कार की कारिता के बारे में कथन नहीं किया है, बल्कि उसने स्पष्टत: कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया किंतु चूँकि उसने शोर किया और लोग घटनास्थल पर जमा हो गए, अभियुक्त बलात्कार नहीं कर सका था और भाग गया। वह आगे निवेदन करते हैं कि अभिसाक्ष्य में, पीड़िता और उसकी माता ने अपना बयान सुधारा है जो सुझाता है कि बलात्कार किया गया है। वह कथन करते हैं कि पीड़िता के असंगत बयान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप विरचित करने का आदेश नहीं दिया जा सका था। वह आगे निवेदन करते हैं कि दंडाधिकारी को संपूर्ण साक्ष्य दर्ज करना चाहिए था और तब केवल ऐसी संतुष्टि पर कि सत्र न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय अपराध बनता है, मामला सुपुर्द किया जा सकता था। वह आक्षेपित आदेश अपास्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं।

7. विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध एवं निवेदन करते हैं कि याची के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त सामग्री पायी गयी है, और इस प्रकार, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से याची द्वारा उन्मोचन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन दाखिल याचिका अस्वीकार किया है।

8. सत्र विचारण सं॰ 422 वर्ष 2010 में अपर सत्र न्यायाधीश VII, धनबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश वह आदेश है जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन याचिका खारिज की गयी है। दंडाधिकारी ने साक्ष्य के क्रम में पाया कि दो गवाहों ने प्रकट किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय बलात्कार का मामला बनता है। चूँकि धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323 के अधीन उन पर प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग किया और दिनांक 18.8.2010 के आदेश के तहत मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323 के अधीन पारित दिनांक 18.8.2010 के आदेश को इस याची द्वारा इस आवेदन में चुनौती नहीं दी गयी है। चूँकि याची ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323 के अधीन दिनांक 18.8.2010 के आदेश को चुनौती नहीं दिया है, अब समय के प्रासंगिक बिंदु पर वह निवेदन नहीं कर सकता है कि अवर न्यायालय संपूर्ण गवाहों का परीक्षण किए बिना मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द नहीं कर सकता था।

9. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप की विरचना का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 को उद्धृत करना उपयुक्त है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *227.* ***mUekpu-****&;fn ekey d vfHky[k vkj mld lkFk nh xb nLrkotk ij fopkj dj yu ij] vkj bl fufeÙk vfHk;Dr vkj vfHk;ktu d fuonu dh luokb dj yu d i'pkr U;k;kèkh'k ;g le>rk g fd vfHk;Dr d fo#) dk;okgh dju d fy, i;klr vkèkkj ugh g rk og vfHk;Dr dk mUekfpr dj nxk vkj ,lk dju d viu dkj.kk dk y[kc) djxkA*

10. विधि के प्रावधान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि केवल तब जब न्यायाधीश समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, उसे उन्मोचित किया जाएगा।

11. वर्तमान मामले में, चूँकि पीड़िता का साक्ष्य जो अभिलेख पर है सुझाता है कि उसके विरुद्ध बलात्कार किया गया है, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन याचिका अस्वीकार किया था और पाया था कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार है।

12. याची का दावा कि पीड़िता के अभिवचन में असंगति है क्योंकि प्राथमिकी में उसने बलात्कार की कारिता के बारे में बताया भी नहीं था, इस चरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। पीड़िता के बयानों अर्थात् प्राथमिकी दर्ज किए जाने के समय पर उसके द्वारा दिया गया बयान और न्यायालय में उसका अभिसाक्ष्य की असंगति का क्या प्रभाव हो सकता था, स्वयं विचारण के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन याचिका विनिश्चित करते हुए इस चरण पर इस विवाद्यक को विनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

13. जैसा अभिलेख से पाया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार है, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से याचिका अस्वीकार किया है।

14. मैं आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं पाता हूँ और इसलिए, यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

15. दिनांक 4.3.2013 को पारित अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

16. इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को तुरन्त संसूचित की जाए ताकि सत्र विचारण सं॰ 422 वर्ष 2010 को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जा सके।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

खैरुल अंसारी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 1519 of 2015. Decided on 28th April, 2016.

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 323—घोर उपहति–दोषसिद्धि–मामला और प्रति मामला था–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन मामले में डॉक्टर का परीक्षण एवं उपहति रिपोर्ट महत्वपूर्ण नहीं है–गवाहों के साक्ष्य में लघु विरोधाभास एवं असंगति प्रहार के संपूर्ण अभियोजन विवरण को भंजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है–मात्र इसलिए कि अ॰ सा॰ सूचक के साथ निकट रूप से संबंधित हैं, यह संपूर्ण अभियोजन विवरण को भंजित करने का अच्छा आधार नहीं हो सकता है–पुनरीक्षण आवेदन खारिज। (पैराएँ 7 से 10)

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 397 एवं 401—पुनरीक्षण अधिकारिता–विस्तार एवं परिधि–केवल आपवादिक परिस्थितियों में उच्च न्यायालय पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। (पैरा 6)

निर्णयज विधि.–(2002)6 SCC 650; 2005 (1) East Cr.C. 65 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Kumar Sah, For the Petitioners; Mr. Laxmi Murmu, For the State.

न्यायालय द्वारा.–याचियों ने दांडिक अपील सं॰ 25 वर्ष 2011/34 वर्ष 2014 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश III, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 9.9.2015 के निर्णय की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा जी॰ आर॰ सं॰ 632 वर्ष 2006 (टी॰ आर॰ सं॰ 46 वर्ष 2011) में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोड्डा द्वारा दिनांक 22.2.2011 को पारित भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन याचियों की दोषसिद्धि और व्यतिक्रम खंड के साथ 500/- रुपयों के जुर्माना के साथ तीन वर्षों के कठोर कारावास का दंडादेश अभिपुष्ट किया गया है।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित प्रासंगिक तथ्य जो इस पुनरीक्षण आवेदन के समुचित न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है संक्षेप में ये हैं कि सूचक अ॰ सा॰ 4 यरुद्दीन अंसारी के फर्दबयान पर गोड्डा (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 178 वर्ष 2006 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323/34, 341/334, 325/34 और 504/34 के अधीन इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि कोई राजमिस्त्री अर्थात् पिना मियाँ (अ॰ सा॰ 2) को सूचक द्वारा आंगन को घेरने के लिए काम पर लगाया गया था और जब उक्त राजमिस्त्री ने प्रातः 8 बजे काम करना शुरू किया, उसके पड़ोसी खैरुल अंसारी और जियाफात अंसारी कुदाल लाठी एवं डंडा से लैस होकर आए और उसको तथा राजमिस्त्री को गाली दिया। जब सूचक ने विरोध किया, जियाफत ने अपने पुत्र को बुलाया और सूचक एवं पिना मियाँ पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरुप पिना मियाँ जमीन पर गिर गया। हल्ला करने पर पड़ोसी वहाँ आए और उनको बचाया। पुलिस ने अन्वेषण के बाद याचियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341/323/325/504/34 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, दिनांक 23.8.2006 को अपराध का संज्ञान लिया गया था। अभियोजन ने आरोप विरचित करने के बाद कुल पाँच गवाहों का परीक्षण किया और कुछ दस्तावेज अभिलेख पर लाया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने पर और पक्षों को सुनने के बाद याचियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया। व्यथित होकर, दोनों याचियों ने अपील दाखिल किया और अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 9.9.2015 के निर्णय द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया और अपील खारिज किया और दोनों याचियों को शेष दंड भुगतने के लिए एक माह के भीतर अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अतः यह पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।

3. याचियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का विधि में दोषपूर्ण एवं विकृत के रूप में विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि दोनों अवर न्यायालय सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विफल रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान साक्ष्य के अनेक भागों की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया और अपना तर्क विकसित किया कि अवर न्यायालय ने सही रूप से साक्ष्य का अधिमूल्यन नहीं किया है और गवाहों के साक्ष्य में दुर्बलताओं एवं विरोधाभासों की श्रृंखला है। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि डॉक्टर जिसने घायल का इलाज किया का परीक्षण नहीं किया गया है और कि पक्षों के बीच भूमि विवाद था। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत प्राथमिकी वर्ष 2006 में दर्ज की गयी थी और तब से याचीगण विचारण एवं अपील की कठिनाई का सामना कर रहे हैं और चूँकि याचीगण तीन माह के दंडादेश में से एक सप्ताह के लिए अभिरक्षा में रहे, वे विचार किए जाने योग्य हैं और दंडादेश याचियों द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया जा सकता है।

4. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि पुनरीक्षण करते हुए इस न्यायालय के पास हस्तक्षेप की अत्यन्त सीमित गुंजाइश है और यह साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं कर सकता है। यह निवेदन भी किया गया था कि अवर न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय साक्ष्य के समुचित अधिमूल्यन पर आधारित हैं।

5. विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पहले पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश का परीक्षण करना आवश्यक होगा। **सत्यजीत बनर्जी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, 2005 (1) East Cr. C. 65 (SC)** में पुनरीक्षण न्यायालय की गुंजाइश पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^d0 fpUukLokeh jMMh cuke vkèk çn'k jkT;] 1963 (3) SCR 412, i"B 413 ij fo'k"kr% ijkuh nM çfØ;k lfgrk e iujh{k.k d le#i çkoèkkuk d foLrkj ij mle mfYyf[kr fuEufyf[kr lç{k.kk ij fo'okl fd;k x;k g%

*"fd iujh{k.k e mPp U;k;ky; dk vkj çkboV i{k dh çj.kk ij nk"kefDr d vkn'k dk vikLr dju dh NV g ;|fi jkT; u lHkor% vihy ugh fd;k gkA fdr ,lh vfèkdkfjrk dk ç;kx doy vkiokfnd ekeyk e fd;k tkuk pkfg, tgk U;k; dh ?kkj foQyrk dh vkj y tku okyh çfØ;k e =fV vFkok fofèk dh Li"V xyrh dh x;h gA tc lfgrk dh èkkjk 439 (4) mPp U;k;ky; dk nk"k efDr dk fu"d"k nk"kflf) d fu"d"k e lifjofrr dju l euk djrk g] ;g lefpr ugh g fd mPp U;k;ky; dk iufopkj.k dk vkn'k ndj bl vçR;{kr% djuk pkfg,A ekinM vfèkdfFkr djuk lHko ugh Fkk fd fdld }kjk ,l vkiokfnd ekeyk dk fu.k; fd;k tk,A fdr] ;g Li"V Fkk fd mPp U;k;ky; ,l ekeyk e gLr{ki dju e U;k;kfpr gkxk] mnkgj.kLo#i] (i) tgk fopkj.k U;k;ky; u vfHk;ktu }kjk fn, tku d fy, bfllr lk{; xyr :i l ckgj dj fn;k Fkk] (2) tgk vihyh; U;k;ky; u xyr :i l fopkj.k U;k;ky; }kjk xg.k fd;k x;k lk{; vxkg; vfHkfuèkkfjr fd;k g] (3) tgk fopkj.k U;k;ky; }kjk vFkok vihyh; U;k;ky; }kjk rkfRod lk{; vun[kk fd;k x;k g vkj (4) tgk nk"kefDr fofèk }kjk vuuK; vijkèk d ç'keu ij vkèkkfjr Fkh vkj mDr d le#i ekeyk eA***

6. इस मोड़ पर, **बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह उर्फ बी॰ पी॰ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड), (2002)6 SCC 650,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर विश्वास करना उपयुक्त होगा जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफों 13 एवं 14 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"13. oreku ekeyk ,lk ekeyk ugh g tgk fopkj.k U;k;ky; }kjk ,lh dkb voèkrk dh x;h gA çfØ;k e vFkok fopkj.k d lpkyu e fdlh fofèkd ncyrk dh vuifLFkfr e] mPp U;k;ky; d ikl viuh iujh{k.k vfèkdkfjrk d ç;kx e gLr{ki dju dk dkb vkfpR; ugh FkkA ;g ckj&ckj vfHkfuèkkfjr ?kkf"kr fd;k x;k g fd mPp U;k;ky; dk fopkj.k U;k;ky; d fu"d"k l fHkUu fu"d"k ij vku d fy, lk{; dk iuvfèkeY;u ugh djuk pkfg,A U;k; dh ?kkj foQyrk e ifj.kr gku okyh Li"V voèkrk dh vuifLFkfr e ,l ekeyk e iujh{k.k vfèkdkfjrk dk ç;kx vko';d ugh gA

14. vr%] ge lr"V g fd mPp U;k;ky; lpd dh çj.kk ij viuh iujh{k.k vfèkdkfjrk d ç;kx e nk"kefDr d vkn'k e gLr{ki dju e U;k;kfpr ugh FkkA ,lk gk ldrk g fd mPp U;k;ky; vfHky[k ij ekStn lk{; d

vfèkeY;u ij fopkj.k U;k;ky; d fu"d"k l fHkUu fu"d"k ij vk ldrk gA fdr ;g Lo; e nk"kefDr d fu.k; d fo#) nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 401 d vèkhu iujh{k.k vfèkdkfjrk d ç;kx d fy, vkfpR; ugh gA ge ;g ugh dg ldr g fd oreku ekey e fopkj.k U;k;ky; dk fu.k; foÑr FkkA çfØ;k dh =fV bfxr ugh dh x;h gA lk{; dk vufpr Lohdj.k vFkok vLohdj.k Hkh ugh Fkk vkj u gh çfØ;k e dkb =fV vFkok Lo; fopkj.k nf"kr dju oky fopkj.k d lpkyu e voèkrk ugh FkhA vfèkdkfèkd mPp U;k;ky; u lkpk fd vfHk;kstu xokg fo'oluh; Fk tcfd fopkj.k U;k;ky; u foijhr nf"Vdk.k fy;kA bl U;k;ky; u ckj&ckj lçf{kr fd;k g fd çkboV i{k dh çj.kk ij nk"kefDr d vkn'k d fo#) iujh{k.k vfèkdkfjrk d ç;kx e U;k;ky; doy lhfer vfèkdkfjrk dk ç;kx djrk g vkj bl Lo; dk vihyh; U;k;ky; d :i e xfBr ugh djuk pkfg, ftldk rF;k ,o fofèk d ç'uk ij fopkj dju vkj nk"kefDr d vkn'k dk nk"kfIf) d vkn'k e lifjofrr dju dh dgh vfèkd vfèkdkfjrk gA bl vun[kk ugh fd;k tk ldrk g fd tc iufopkj.k dk vkn'k fn;k tkrk g] ekeyk i.krh ;kph d fo#) Hkkjh g vkj bl Lo; iujh{k.k vfèkdkfjrk dk ç;kx dju e U;k;ky; dk lrd djxkA vr%] ge vihykfFk;k d iufopkj.k dk vkn'k nu oky mPp U;k;ky; d vk{kfir vkn'k d fy, vkfpR; ugh ikr gA

इस दशा में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी पूर्वोक्त आज्ञा स्पष्टत: प्रदर्शित करती है कि केवल आपवादिक परिस्थितियों में उच्च न्यायालय पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, यदि साक्ष्य की व्याख्या करने में विधि की प्रयोज्यता में कोई विकृतता है, दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध हस्तक्षेप का प्रश्न उद्भूत होगा और केवल अत्यन्त आपवादिक मामलों में जहाँ उच्च न्यायालय न्याय की घोर विफलता में परिणत होने वाली प्रक्रिया की त्रुटि अथवा विधि की स्पष्ट गलती पाता है, यह हस्तक्षेप करेगा।

7. वर्तमान पुनरीक्षण दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश की अभिपुष्टि के विरुद्ध है किंतु सिद्धांत वही है क्योंकि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का दो न्यायालयों द्वारा अधिमूल्यन पहले ही किया गया है। तब भी मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण किया। स्वीकृत रूप से, मामला एवं प्रति मामला था किंतु यह कहने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं लाया गया है कि प्रति मामला में याचियों में से एक खैरुल अंसारी ने कभी कोई उपहति भी पाया था। याची सं॰ 2 जियाफत अंसारी द्वारा पायी गयी उपहति भी अपना दावा सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर नहीं लायी गयी है किंतु वर्तमान मामले में अभियोजन की प्रेरणा पर परीक्षण किए गए समस्त गवाहों ने खैरुल अंसारी के हाथों पिना मियाँ पर प्रहार का अभियोजन विवरण पूर्णत: संपुष्ट किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य निवेदन इस बिंदु तक सीमित था कि उपहति रिपोर्ट सिद्ध नहीं किए गए हैं और डॉक्टर जिन्होंने घायल का परीक्षण किया था का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया था किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन मामले में डॉक्टर का परीक्षण एवं उपहति रिपोर्ट अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। घायलों में से एक अ॰ सा॰ 2 पिना अंसारी (मियाँ) ने अभिकथन पूर्णत: संपुष्ट किया है कि अभियुक्तगण लाठी, कुदाल जैसे हथियारों से लैस होकर आए और उस पर प्रहार किया और अभियुक्त जियाफत अंसारी ने मस्तक एवं पीठ पर कुदाल का एक वार किया और खैरुल अंसारी (मियाँ) याची सं॰ 1 ने सूचक यरुद्दीन अंसारी पर लाठी से प्रहार किया। इस मामले के आई॰ ओ॰ का परीक्षण अ॰ सा॰ 5 के रूप में किया गया है और उसने अभिपुष्ट किया है कि उसने पिना मियाँ की उपहति मेमो जारी किया था जिसे प्रदर्श 2 एवं 2/1 के रूप में चिन्हित किया गया है।

मैं पाता हूँ कि गवाहों के साक्ष्य में लघु विरोधाभास अथवा असंगति है किंतु वे प्रहार का संपूर्ण अभियोजन विवरण भंजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र इसलिए कि गवाह, जिनका परीक्षण अभियोजन द्वारा किया गया है, सूचक के साथ निकट रूप से संबंधित हैं, संपूर्ण अभियोजन विवरण भंजित करने का अच्छा आधार नहीं हो सकता है। अपीलीय न्यायालय ने भी साक्ष्य पर विचार करने पर और पुनर्अधिमूल्यन के बाद संप्रेक्षित किया और पाया कि अभियोजन गवाहों ने लघु विरोधाभासों एवं असंगति के अध्यधीन प्रहार के अभियोजन विवरण का पूर्णत: समर्थन किया है।

8. अत:, मेरा मत है कि अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयव एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 के अधीन आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मैं पाता हूँ कि याचियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने का कोई तर्कपूर्ण आधार इंगित नहीं किया है।

9. इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में और यह विचार करते हुए कि मामला और प्रति मामला था और इन याचियों ने लगभग दस वर्षों की अवधि के लिए विचारण एवं अपील की कठिनाई को भुगता है, मेरे मत में, न्याय का उद्देश्य पूरा होगा यदि याचियों द्वारा पहले ही भुगत लिया गया दंडादेश भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए अधिनिर्णीत किया जाता है।

10. परिणामस्वरुप, पूर्वोक्तानुसार दंडादेश में उपांतरण के साथ यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मंगल दास ओराँव एवं अन्य

cuke

लाधू ओराँव एवं अन्य

Second Appeal No. 8 of 1995. Decided on 22nd April, 2016.

(क) छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 258—परिसीमा अधिनियम, 1963—अनुच्छेद 57—अभिधान वाद–परिसीमा–विवाद्यक, जिसे अवर न्यायालयों में पक्षों द्वारा प्रतिवादित नहीं किया गया था, पर विधि का सारवान प्रश्न निरुपित नहीं किया जा सकता है जब तक यह विवाद की जड़ तक नहीं जाता है और अभिलेख पर पर्याप्त अभिवचन उपलब्ध थे–मुख्यत: वाद संपत्ति पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए और इस घोषणा के लिए कि दत्तक विलेख वैध एवं विधिक नहीं था, वादीगण द्वारा दाखिल वाद धारा 258 द्वारा सृजित वर्जना की दृष्टि में पोषणीय नहीं था–विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है–अपील अनुज्ञात।

(पैराएँ 10, 11, 16, 17 एवं 18)

(ख) हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956—धारा 16—रजिस्टर्ड दत्तक विलेख की पवित्रता की धारणा होती है–धारा 16 के अधीन उपधारणा है कि रजिस्टर्ड दत्तक विलेख वैध होता है।

(पैरा 14)

निर्णयज विधि.–(2013)4 SCC 97—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s L.K. Lall, Jitesh Kumar, For the Appellants; None, For the Respondents.

आदेश

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों द्वारा मामलों जिनमें अवर न्यायालयों में कार्यवाही इस न्यायालय के आदेशों द्वारा स्थगित की गयी थी को दिनांक 22/23.4.2016 के कॉजलिस्ट में अधिसूचित किया गया है। वर्तमान द्वितीय अपील दिनांक 28.3.1995 को दाखिल की गयी थी और तत्पश्चात इसे 11 अवसरों पर सूचीबद्ध किया गया था। जब न्यायपीठ को यह इंगित किया गया था कि प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिवक्ता जीवित नहीं हैं, रजिस्ट्री को प्रत्यर्थियों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया था। कार्यालय रिपोर्ट उपदर्शित करता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 पर नोटिस तामील किया गया है। वर्तमान अपील दिनांक 16.8.1995 को ग्रहण की गयी थी और निष्पादन केस सं॰ 5 वर्ष 1995 में आगे कार्यवाही स्थगित करने वाला आदेश दिनांक 22.7.1996 के आदेश के तहत प्रदान किया गया था। पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं मामला आगे स्थगित करने का इच्छुक नहीं हूँ।

3. संक्षिप्त रूप से कथित, अभिधान वाद सं॰ 33 वर्ष 1985 लोघू ओराँव एवं बेलसू ओराँव द्वारा वाद अनुसूची संपत्तियों पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए और इस घोषणा के लिए कि प्रतिवादी सं॰ 1 मंगल दास ओराँव के पक्ष में निष्पादित दिनांक 25.7.1966 का दत्तक विलेख विधिक एवं वैध नहीं है और प्रतिवादी सं॰ 1 ने उक्त दत्तक विलेख के फलस्वरुप वाद भूमि पर कोई वैध अधिकार, अभिधान एवं हित अर्जित नहीं किया है, संस्थित किया गया था। पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक निरुपित किए गए थे:–

1. D;k oknhx.k dk okn ik"k.kh; g

2. D;k oknhx.k d ikl viu okn d fy, oèk okn grd g

3. D;k okn ifjlhek] fooèk }kjk vkj fofufn"V vurk"k vfèkfu;e d vèkhu Hkh oftr g

4. D;k oknhx.k d firk cl vkjko dk fnukd 10.2.1942 dk vfHkfyf[kr vfHkèkkjh ek# vkjko }kjk i= d :i e nÙkd fy;k x;k Fkk

5. D;k çfroknh l0 5 exy nkl vkjko ek# vkjko dk nÙkd i= g

6. D;k oknhx.k vfHkèkku dh ?kk"k.kk ,o dCtk dh okilh d gdnkj g

7. fdl vurk"k vFkok vurk"kk d oknhx.k gdnkj g

4. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था और दिनांक 25.7.1966 का दत्तक विलेख मारु ओराँव द्वारा मंगल दास ओराँव के पक्ष में निष्पादित किया गया था। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादीगण के पिता अर्थात् बसु ओराँव को मारु ओराँव द्वारा दत्तक नहीं लिया गया था जैसा दावा दिनांक 10.2.1942 को किया गया था। किंतु, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परिसीमा एवं मारु ओराँव द्वारा मंगल दास ओराँव के दत्तक ग्रहण के विवाद्यकों पर विचारण न्यायालय का निष्कर्ष उलट दिया और अवर न्यायालय के आदेश को उलट कर अभिधान अपील सं॰ 87/24/1990-91 अनुज्ञात किया। व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने वर्तमान द्वितीय अपील दाखिल किया है।

5. द्वितीय अपील ग्रहण करते हुए विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्न निरुपित किए गए थे:–

(A) D;k oknhx.k&çR;FkhZx.k d i{k e nÙkd xg.k ij lknk nLrkot ij fo'okl dju e fofèk dh vkKk dk mYy?ku gvk g vkj D;k oknhx.k d i{k e fofuf'pr ifjlhek fcn&leLr lfUu;ek d fo#) g

(B) D;k o"k 1978 e fofuf'pr NkVkukxij vfHkèkfr vfèkfu;e dh èkkjk 71A d vèkhu ikIr fu.k; i{kk ij ckè;dkjh Fkk

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

7. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री एल॰ के॰ लाल निवेदन करते हैं कि एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 102 वर्ष 1977 की कार्यवाही में प्रतिवादी सं॰ 1 के पिता ने दिनांक 25.7.1966 का दत्तक विलेख प्रस्तुत किया और उक्त मामला दिनांक 23.3.1978 को खारिज कर दिया गया था किंतु वाद की घोषणा इप्सित किया कि दिनांक 25.7.1966 का दत्तक विलेख विधिक एवं वैध नहीं था जो वर्ष 1985 में दाखिल किया गया था और इस प्रकार वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था।

8. पक्षों के अभिवचनों से यह सामने आता है कि मारु ओराँव ग्राम ससमुंडा, पी॰ एस॰ बांद्रा, जिला राँची में खाता सं॰ 240 के अधीन गठित भूमि के संबंध में अभिलिखित रैयत था। वादीगण का पिता मारु ओराँव के पिता की बहन के पुत्रों में से एक था। चूँकि मारु ओराँव को पुत्र नहीं था, उसने दिनांक 10.2.1942 को पंचों की उपस्थिति में वादीगण के पिता को दत्तक लिया और उसी दिन स्क्राइब जे॰ एम॰ मिंज द्वारा ज्ञापन तैयार किया गया था। बाबू बचन सिंह, जिंगरा ओराँव, अलियार चौकीदार एवं अन्य दिनांक 10.2.1942 के उक्त ज्ञापन के गवाह थे। वादीगण का पिता अर्थात् बसु ओराँव अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार त्यागने के बाद मारु ओराँव के साथ रहने लगा और उसने घरबारी भूमि पर, एक भूखंड सं॰ 1302 पर और दूसरा भूखंड सं॰ 1303 पर दो घरों का निर्माण किया। उक्त मारु ओराँव की मृत्यु के बाद वादीगण के पिता ने दो घरों सहित उसकी संपत्ति विरासत में पाया और अपने पिता की मृत्यु के बाद वादीगण वाद भूमि पर खेती करने लगे और अपने पिता द्वारा निर्मित घर में रहने लगे। वादीगण ने आगे अभिवचन किया कि प्रतिवादी सं॰ 2 जो प्रभावशाली व्यक्ति है ने उनको वाद भूमि से बेदखल किया और जब मामला मित्रतापूर्वक सुलझाया नहीं जा सका था, उन्होंने छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन आवेदन दाखिल किया जिसे एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 102 वर्ष 1977-78 के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त मामले में प्रतिवादी सं॰ 2 ने दिनांक 25.7.1966 के दत्तक विलेख की प्रति प्रस्तुत किया और अंततः इसे दिनांक 23.3.1978 को खारिज किया गया था। वादीगण ने आगे प्राख्यान किया कि मारु ओराँव निरक्षर व्यक्ति था जिससे प्रतिवादी सं॰ 2 ने प्रवंचनापूर्वक दिनांक 25.7.1966 का दत्तक विलेख निष्पादित करवाया।

9. प्रतिवादीगण ने यह अभिवचन करके वाद का प्रतिवाद किया कि मारु ओराँव ने अपनी वृद्ध आयु में ओराँव रीति के अनुसार मंगल दास ओराँव को दत्तक लिया था। वादीगण का पिता मारु ओराँव से बड़ा था, अतः, उसे मारु ओराँव द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता था। प्रतिवादीगण ने अभिवचन किया कि मारु ओराँव द्वारा बसु ओराँव का दत्तक ग्रहण दर्शाने वाला सादा कागज मनगढ़ंत था और इस पर कृत्य कभी नहीं किया गया था। मारु ओराँव की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा उसकी अंत्येष्टि की गयी थी जो उसकी संपत्तियों का विधिपूर्ण स्वामी बन गया और उसका नाम बिहार राज्य के सरिस्ता में नामांतरित किया गया था।

10. परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 57 को निर्दिष्ट करते हुए, (प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में गलत रूप से अनुच्छेद 59 के रूप में उल्लिखित) जो इस घोषणा के लिए 3 वर्षों की परिसीमा अवधि प्रावधानित करता है कि अभिकथित दत्तक ग्रहण अवैध है, अथवा कभी नहीं किया गया, विचारण न्यायालय ने वाद परिसीमा द्वारा वर्जित अभिनिर्धारित किया। किंतु, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 वर्तमान मामले में प्रयोज्य है। इस चरण पर यह इंगित करने की आवश्यकता है कि प्रतिवादीगण ने प्रतिकूल कब्जा द्वारा वाद भूमि पर अधिकार,

अभिधान एवं हित का दावा कभी नहीं किया और न ही विचारण के दौरान प्रतिकूल कब्जा के प्रश्न पर विवाद्यक विरचित किया गया था। प्रतिवादीगण का दावा दिनांक 25.7.1966 के दत्तक विलेख पर आधारित है। यह विवादित नहीं है कि दिनांक 23.3.1978 के आदेश के तहत एस॰ ए॰ आर॰ केस सं॰ 102 वर्ष 1977-78 खारिज किया गया था और इस प्रकार, वादीगण को दिनांक 25.7.1966 के दत्तक विलेख की जानकारी थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गलत रूप से अनुसूचित क्षेत्र विनियमन वर्ष 1969 पर विश्वास किया जिसके द्वारा परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 संशोधित किया गया था और परिसीमा की अवधि 30 वर्षों तक बढ़ायी गयी थी। सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के अधीन आवेदन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि के कब्जा के पुनर्स्थापन के लिए दाखिल किया जाता है। वादीगण द्वारा वाद मुख्यतः वाद संपत्तियों पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए और इस घोषणा के लिए कि दिनांक 25.7.1966 का दत्तक विलेख वैध एवं विधिक नहीं था, दाखिल किया गया था। वस्तुतः, वाद सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 258 की दृष्टि में पोषणीय नहीं था जो कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय में वाद का संस्थापन वर्जित करता है। धारा 258 का पठन निम्नलिखित है:–

> *"258. **dfri; ekeyk e oknk d çfr otuk**–&bl vfèkfu;e e vfHkO;Dr :i l tlk micfèkr g] mld flok, diV vFkok vfèkdkfjrk dh deh d vkèkkj ij d flok, èkkjk 20, èkkjk 32, èkkjk 35, èkkjk 42, èkkjk 46, mièkkjk (4), èkkjk 49, èkkjk 50, èkkjk 54, èkkjk 61, èkkjk 63, èkkjk 65, èkkjk 73, èkkjk 74 (A), èkkjk 75, èkkjk 85, èkkjk 86, èkkjk 87, èkkjk 89 vFkok èkkjk 91 (ijUrd) d vèkhu vFkok vè;k; XIII, XIV, XV, XVI vFkok XVIII d vèkhu fdlh okn] vkonu vFkok dk;okgh e fdlh mik;Dr vFkok jktLo vfèkdkjh d fu.k;] vkn'k vFkok fMØh dk çR;{kr% vFkok vçR;{kr% ifjofrr] mikrfjr vFkok vikLr dju d fy, fdlh U;k;ky; e okn xg.k ugh fd;k tk,xk vkj ,l çR;d fu.k;] vkn'k vFkok fMØh dk i{kk d chp okn e flfoy U;k;ky; dk fMØh dk cy ,o çHkko gkxk vkj vihy l lcfèkr bu vfèkfu;e d çkoèkkuk d vè;èkhu vfre gkxkA**"*

11. यद्यपि, धारा 258 का अभिवचन अवर न्यायालयों के समक्ष नहीं किया गया था, परिसीमा के प्रश्न पर प्रथम अपीलीय न्यायालय निश्चय ही गलत है। निःसंदेह, वाद भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के बाद वादीगण के कब्जा की वापसी इप्सित करते हुए प्रार्थना की गयी थी, उक्त प्रार्थना केवल दिनांक 25.7.1966 के दत्तक विलेख की वैधता न्यायनिर्णीत करने के बाद स्वीकार की जा सकती थी और जैसा उपर गौर किया गया है, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 57 के अधीन वाद दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि केवल तीन वर्ष है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार वाद परिसीमा द्वारा वर्जित अभिनिर्धारित किया है।

12. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया कि मारु ओराँव द्वारा मंगल दास ओराँव के दत्तक ग्रहण के विवाद्यक पर विचारण न्यायालय का निष्कर्ष उलटते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मात्र यह संप्रेक्षित करके कि अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मारु ओराँव ने इसके विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी के साथ स्वेच्छापूर्वक दत्तक विलेख निष्पादित किया था, गलत रूप से दिनांक 25.7.1966 के रजिस्टर्ड दत्तक विलेख को अनदेखा किया।

13. प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय इस आधार पर अग्रसर हुआ कि दिनांक 10.2.1942 का दत्तक ग्रहण ज्ञापन तीस वर्ष से अधिक पुराना होने के नाते वास्तविक अभिनिर्धारित करना होगा। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि बसु ओराँव निरक्षर और शुद्ध आदिवासी था जो नामांतरण की आवश्यकता नहीं जान सकता था जबकि प्रतिवादी सं॰ 2 बुद्धिमान चतुर व्यक्ति है जो मारु ओराँव की भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाए था। मारु ओराँव की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई और इस प्रकार, उसे प्रतिवादी सं॰ 2 द्वारा गुमराह किया जा सकता था।

14. प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय का पठन किसी गलती के बिना प्रकट करता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय स्पर्शरेखीय गया और कतिपय तथ्यों को उपधारित किया जिन्हें वादीगण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया था। रजिस्टर्ड दत्तक ग्रहण विलेख की पवितता होती है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अधीन उपधारणा है कि रजिस्टर्ड दत्तक ग्रहण विलेख वैध होती है। **लक्ष्मीबाई बनाम भगवंतावुभा, (2013)4 SCC 97,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"49. .....nÙkd foy[k dh 'k) rk vFkok çkekf.kdrk fookfnr ugh gA fookfnr ;g g fd nÙkd fy, x, lrku d ulfxd ekrk&firk tk fu'p; gh foy[k fu"ikfnr dju oky i{k Fk ftlu lkr vU; xokgk d lkFk xokg d :i e gLrk{kj fd;k gA ,lh rF;ijd fLFkfr e] i{kk dk vk'k; ,df=r djd vkj li.krk e nLrkot d iBu }kjk vkj bld rkRi; ij fopkj djr g, ;g fu"df"kr fd;k tk ldrk g fd nÙkd xg.k fofèk dh ijh{kk e mÙkh.k gvkA***

15. किंतु, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षण करके कि यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मारु ओराँव ने दत्तक विलेख निष्पादित किया था, दिनांक 25.7.1966 का रजिस्टर्ड दत्तक विलेख ठुकरा दिया गया है। वस्तुत:, प्रतिवादीगण ने मर्दवा ओराँव (प्रतिवादी सं॰ 2) के भाई सहदेव ओराँव (ब॰ सा॰ 3) का परीक्षण किया है जिसने रजिस्टर्ड दत्तक विलेख पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि मारु ओराँव ने मंगल दास ओराँव का दत्तक ग्रहण किया और रजिस्टर्ड विलेख निष्पादित किया। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि विलेख लेखक अबुल खेर द्वारा लिखा गया था। एक अन्य गवाह सोहेल अख्तर (ब॰ सा॰ 5) जो लेखक अबुल खरे का पुत्र है ने पहचाना कि विलेख उसके पिता के हाथ से लिखा गया था। उनके अतिरिक्त, मंगल दास ओराँव के नैसर्गिक पिता मर्दवा ओराँव (ब॰ सा॰ 1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने ओराँव रीति के अनुसार पाहन एवं पुजारी की उपस्थिति में अपना पुत्र मंगल दास ओराँव दत्तक ग्रहण में मारु ओराँव को दिया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लिया कि प्रतिवादीगण ने वाद भूमि के संबंध में नामांतरण का दावा किया है और उन्होंने लगान रसीद प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गलत रूप से प्रतिवादीगण के कब्जा का पूर्वोक्त साक्ष्य त्यक्त किया है। मेरे मत में, वादीगण रजिस्टर्ड दत्तक विलेख असिद्ध करने में विफल रहे और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गलत रूप से दिनांक 10.2.1942 को अभिकथित रूप से तैयार किए गए दत्तक ज्ञापन पर विश्वास किया है। उक्त दत्तक ज्ञापन लोक दस्तावेज नहीं है, बल्कि प्राइवेट दस्तावेज है जो अपनी वैधता की कोई उपधारणा नहीं करता है।

16. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, दत्तक ग्रहण एवं परिसीमा के विवाद्यक पर निरुपित विधि के सारवान प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थीगण के पक्ष में दिया जाता है।

17. मैं पाता हूँ कि अवर न्यायालयों में सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A पर विवाद्यक निरुपित नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित है कि विवाद्यक, जिसे पक्षों द्वारा अवर न्यायालयों में प्रतिवादित नहीं किया गया है, विरचित नहीं किया जा सकता है जब तक यह विवाद की जड़ तक नहीं जाता है और अभिलेख पर पर्याप्त अभिवचन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, परिसीमा एवं दत्तक ग्रहण के विवाद्यक पर मेरे द्वारा दर्ज निष्कर्षों की दृष्टि में, सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के विवाद्यक पर निरुपित विधि का सारवान प्रश्न अनावश्यक बन गया है।

18. परिणामस्वरुप, द्वितीय अपील अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

राय सतीश बहादुर

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5329 of 2008. Decided on 7th April, 2016.

झारखंड सेवा संहिता, 2001—नियम 74 (b) (ii)—न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति–याची का सेवा अभिलेख प्रकट करता है कि वह औसत न्यायिक अधिकारी था जिसे रिपोर्टिंग अधिकारी/निरीक्षण करने वाले न्यायाधीशों द्वारा ''बहुत अच्छा'' निर्धारित कभी नहीं किया गया था–याची के विरुद्ध छह परिवाद प्राप्त किए गए थे और उसे अनेक बार चेतावनी दी गयी थी–किंतु याची उसी प्रकार से काम करता रहा–किसी चरण पर याची को प्रदान की गयी प्रोन्नति कम करने वाला कारक हो सकता है किंतु वह स्वयं में निश्चयात्मक प्रमाण नहीं हो सकता है कि याची सेवा में बने रहने योग्य है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 8 से 15)

निर्णयज विधि.–AIR 1992 SC 1020; (2012)8 SCC 58; (2005)13 SCC 737; (2011)10 SCC 1; (2010)10 SCC 693; (1994) Supp. (3) SCC 593; (2003)9 SCC 592—Relied; (2008)8 SCC 725; AIR 1999 SC 1677—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s Anand Kumar Sinha, H.K. Mehta, For the Appellants; M/s H.K. Mehta, M. Patra, For the Respondent-State; Mrs. Anubha Raut Choudhary, For the Respondent-JHC.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 74 (ख) (ii) के अधीन पारित दिनांक 17 जुलाई, 2008 का आदेश जिसके द्वारा याची को दिनांक 21 जुलाई, 2008 के प्रभाव से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त कर दिया गया है, को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गयी है।

2. रिट याचिका में वर्णित तथ्यों को निम्नलिखित रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है:

याची को दिनांक 8 मार्च, 1984 को प्रोबेशनर मुंसिफ के रूप में बिहार न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था। उसे पहले उप-न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया था और तब अपर न्यायिक दंडाधिकारी/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में प्रोन्नत किया गया था जिसके बाद उसे दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के प्रभाव से गिरीडीह में पदस्थापित किया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ के पद पर अपनी प्रोन्नति के बाद उसने दिनांक 16 अगस्त, 2002 को धनबाद में उक्त पद ग्रहण किया। अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ के रूप में धनबाद में कार्यरत रहते हुए याची ने दिनांक 27 अप्रिल, 2005 का आदेश प्राप्त किया जिसके द्वारा उसकी सेवा दिनांक 1 जुलाई, 2004 के प्रभाव से 16,000-750-20,500/- रुपयों के वेतनमान में नियमित की गयी थी और उसे झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा कैडर में आमेलित किया गया था। बाद में, उसे ''एश्योर्ड करियर प्रोमोशन स्कीम'' के अधीन दिनांक 30 अगस्त, 2006 के तहत प्रोन्नति प्रदान किया गया था। याची दावा करता है कि सिवाए जब उसे दिनांक 6 सितंबर, 2007 का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर उसने दिया था, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कैडर में उसकी प्रविष्टि के बाद कोई प्रतिकूल टिप्पणी उसे संसूचित कभी नहीं की गयी थी। याची ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में राज्य में लगभग छह वर्षों तक कार्यरत रहते हुए अनेक सिविल एवं दांडिक मामलों को निपटाया और इन वर्षों के दौरान याची द्वारा मामलों का निपटान राज्य में अन्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के औसत निपटान की तुलना में अधिक था, फिर भी दिनांक 17 जुलाई, 2008 के मेमो सं॰ 4403 के अधीन सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड आदेश जारी किया गया था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द कुमार सिन्हा, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री एच॰ के॰ मेहता और उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनुभा राउत चौधरी सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 17 जुलाई, 2008 का अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश याची के संपूर्ण सेवा अभिलेख का निर्धारण किए बिना पारित किया गया है। आर॰ टी॰ आई॰ के माध्यम से याची को दी गयी सूचना प्रकट करती है कि वर्ष 2002-2003 का ए॰ सी॰ आर॰ उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं था जब झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 74 (ख) (ii) के अधीन अनुशंसा राज्य सरकार को अग्रसर की गयी थी और वस्तुतः वर्ष 2002-2003 का ए॰ सी॰ आर॰ बाद में लिखा गया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि याची, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति और ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ भी प्रदान किया गया था, पर ''लोकहित'' के ओट में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश नहीं थोपा जा सकता है।

5. उच्च न्यायालय के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती चौधरी ने इस अभिकथन कि वर्ष 2002-2003 के लिए याची का ए॰ सी॰ आर॰ बाद में लिखा गया था को खंडित करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 17 जुलाई, 2008 का अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश याची के समग्र प्रदर्शन पर विचार करने के बाद पारित किया गया था। यह प्रतिवाद किया गया था कि उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि याची की अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर निर्णय लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष विशेष के लिए ए॰ सी॰ आर॰ पर विचार नहीं किया गया था।

6. हमने सावधानीपूर्वक पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. बैकुंठ नाथ दास मामले, AIR 1992 SC 1020, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि मात्र यह दर्शाने पर कि इसका प्रयोग करते हुए असंसूचित प्रतिकूल टिप्पणियों को विचार में लिया गया था, अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश न्यायालय द्वारा अभिखंडित किए जाने का दायी नहीं है। न्यायालय के पूर्व निर्णयों को ध्यान में लेने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामले में आकृष्ट नहीं होते हैं। अंत में, समापन के पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों को शासित करेंगे। याची के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के खंड (iv) के अधीन सिद्धांत पर विश्वास किया है जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"(iv) ljdkj (vFkok iufoykdu dfeVh] ;FkkfLFkfr)] dk ekey e fu.k; yu d igy lok d li.k vfHky[k ij fopkj djuk gkxk fu'p; gh ckn d o"kk d nkjku çn'ku d vfHky[k dk vfèkd egRo nr g,A bl çdkj fopkj fd;k tku okyk vfHky[k LokHkkfod xkiuh; vfHky[k@pfj= ifLrdk e çfof"V;k] vudy ,o çfrdy] nkuk lfEefyr djxkA ;fn ljdkjh lod dk çfrdy fVli.kh d ckotn mPprj in ij çkUur fd;k tkrk g] ,slh fVli.k;k viuk iHkko [kk nxh] [kk ldj] ;fn çkUufr eèkk (p;u) ij vkj u fd ojh;rk ij vkèkkfjr gA***

8. याची का सेवा अभिलेख प्रकट करता है कि वह औसत न्यायिक अधिकारी था जिसे रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश द्वारा ''बहुत अच्छा'' के रूप में निर्धारित कभी नहीं किया गया था। ''याची के ज्ञान'' के निर्धारण पर वर्ष 1985-1986 से 2006-2007 तक विभिन्न वर्षों के लिए ए॰ सी॰ आर॰ में प्रविष्टियाँ लगभग 24 वर्षों के लिए ''औसत'' अथवा ''संतोषजनक'' दर्ज

करती है, वर्ष 1990-1991, 1993-1994 एवं 1996-1997 के लिए ''फेयर'' और वर्ष 1992-1993 तथा 1999-2000 के लिए ''अच्छा'' के सिवाए बीच में, एक माह के लिए अर्थात मई 1996 के लिए उसने टिप्पणी ''साउन्ड'' अर्जित किया है। सेवा के 20 वर्ष से अधिक के बाद, याची ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में अपने करिअर के विगत तीन वर्षों में ''संतोषजनक'' एवं ''औसत'' टिप्पणियाँ प्राप्त किया जो न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा में बने रहने की याची की क्षमता के बारे में काफी कुछ कहता है। यद्यपि, न्यायिक अधिकारी के रूप में याची की प्रतिष्ठा अधिकांश वर्षों में बुरी नहीं पायी गयी थी, किंतु तथ्य जो याची का मामला **बैकुंठ नाथ दास मामले (ऊपर)** में निर्णय के कार्यक्षेत्र से बाहर ले जाता है, वर्ष 2001-2002 एवं 2006-2007 के लिए उसके ए॰ सी॰ आर॰ में प्रविष्टियाँ हैं। यह कथन किया गया है कि रजिस्ट्रार (निगरानी) से दो परिवाद सहित छह परिवाद याची के विरुद्ध प्राप्त किए गए थे और रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारी जो बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने द्वारा याची को अनेक बार चेतावनी दी गयी थी। किंतु याची उसी प्रकार से काम करता रहा। तत्कालीन निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने वर्ष 2006-2007 के लिए ए॰ सी॰ आर॰ में टिप्पणी किया है: ''प्रतिष्ठा–उसकी कर्त्तव्यनिष्ठा के बारे में अनेक परिवाद प्राप्त किए गए हैं।'' निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने अतिरिक्त टिप्पणी लिखा है: प्रदर्शन बिल्कुल संतोषजनक नहीं है।'' दो वर्षों के लिए प्रतिकूल टिप्पणियाँ दो भिन्न रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारी/निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश द्वारा लिखी गयी हैं। **आर॰ सी॰ चंदेल बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं एक अन्य, (2012)8 SCC 58,** में न्यायिक अधिकारी, जिसने ग्रेडिंग ''औसत'', ''खराब'', संतोषजनक आदि अर्जित किया था, को सेवा से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख में प्रविष्टियों को ध्यान में लेने के बाद निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

> *"25. .....bl lok vfHky[k d lkFk] D;k ;g dgk tk ldrk g fd lok l vihykFkh dh vfuok; lokfuofÙk d vkn'k d fy, lkexh fo|eku ugh Fkh\ ge ,lk ugh lkpr gA mDr lkexh i;kIr :i l n'kkrh g fd i.k U;k;ky; }kjk fu.k; dju d fy, mi;Dr lkexh fd D;k vihykFkh U;kf;d lok e cuk jg ldrk Fkk vFkok vfuok; :i l lokfuoÙk fd, tku ;kX; Fkk] oLrr% fo|eku FkhA ,lh lkexh dh i;kIrrk ij fopkj dju d fy, U;kf;d iufoykdu dh xtkb'k ugh gA***

9. याची की ओर से किया गया प्रतिवाद कि उसे हाल में प्रोन्नति प्रदान किया गया था और पूर्वोक्त तथ्य पर विचार करते हुए दिनांक 17 जुलाई, 2008 का अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था, स्वीकरण योग्य नहीं है। ऐसे मामलों में जहाँ अधिकारी को हाल में प्रोन्नत किया गया था, संदेह के लाभ के संबंध में **''बैकुंठ नाथ दास'' (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संप्रेक्षण पर मामले के विचित्र तथ्यों के संदर्भ में विचार किया जाना होगा। सामान्यत:, प्रोन्नति विभिन्न विचारों पर प्रदान की जाती है। किसी चरण पर याची को प्रदान की गयी प्रोन्नति कम करने वाला कारक हो सकता है किंतु वह स्वयं में निश्चयात्मक प्रमाण नहीं हो सकता है कि याची सेवा में बने रहने योग्य है। यह अभिलेख पर है कि ए॰ सी॰ आर॰ के सार संक्षेप में परिलक्षित याची का समग्र प्रदर्शन, जिसे आर॰ टी॰ आई॰ के माध्यम से याची को दिया गया था, प्रकट करता है कि याची के संपूर्ण सेवा अभिलेख का उच्च न्यायालय द्वारा संवीक्षण किया गया था। वर्ष 2002-2003 के लिए ए॰ सी॰ आर॰ की अनुपलब्धता, जब पूर्ण न्यायालय ने याची के सेवा अभिलेख का परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर आया कि वह सेवा से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किए जाने योग्य है, पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के गुणागुण को प्रभावित नहीं करेगा। वर्ष 2002-2003 के लिए टिप्पणियाँ प्रकट नहीं करती है कि याची हर प्रकार से ''अच्छा'' अधिकारी था बल्कि वर्ष 2002-2003 के लिए ए॰ सी॰ आर॰ में प्रविष्टियाँ, जिनकी प्रति की आपूर्ति याची

को भी की गयी है, भी प्रकट करती हैं कि याची ''औसत'' न्यायिक अधिकारी था। रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारी द्वारा याची के विरुद्ध अनेक परिवाद प्राप्त किए गए थे और याची को चेतावनी जारी किया गया था। याची द्वारा इस तथ्य का खंडन नहीं किया गया है। याची स्वयं स्वीकार करता है कि झारखंड राज्य में अन्य न्यायिक अधिकारियों के औसत निपटान से विगत छह वर्षों में मामलों में उसका निपटान थोड़ा ही उपर था। इस प्रकार, याची स्वयं स्वीकार करता है कि वह औसत न्यायिक अधिकारी था और जब इस प्रश्न कि क्या न्यायिक अधिकारी जिसे अधिकांश अवसरों पर औसत बताया गया है को सेवा से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया जा सकता है या नहीं, का परीक्षण **आर॰ सी॰ चंदेल मामले (ऊपर)** में निर्णय के संदर्भ में किया जाता है, उत्तर स्पष्टत: हाँ में है। **एस॰ डी॰ सिंह बनाम झारखंड उच्च न्यायालय आर॰ जी॰ के माध्यम से एवं अन्य, (2005)13 SCC 737**, में न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया था यद्यपि, उक्त न्यायिक अधिकारी को अनेक वरीय अधिकारियों को अधिक्रांत करते हुए प्रोन्नति प्रदान की गयी थी और उसके विरुद्ध प्रतिकूल कार्यवाही भी छोड़ी नहीं गयी थी।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया कि वर्ष 2006-2007 के लिए ए॰ सी॰ आर॰ में उसकी कर्तव्यनिष्ठा के बारे में याची के विरुद्ध की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ किसी सामग्री पर आधारित नहीं हैं और याची के विरुद्ध प्राप्त किए गए परिवादों के संबंध में वर्ष 2001-2002 के लिए प्रविष्टियाँ याची को संसूचित कभी नहीं की गयी थीं और इसलिए, याची को सेवा से अनिवार्यत: सेवा निवृत्त करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उन प्रविष्टियों पर विचर नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने **देव दत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2008)8 SCC 725; मंडन मोहन चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, AIR 1999 SC 1018** और **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, आर॰ जी॰ के माध्यम से बनाम ईश्वर चंद जैन, AIR 1999 SC 1677,** में दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया है।

11. अब यह सुस्वीकृत है कि न्यायिक अधिकारी की कर्तव्यनिष्ठा प्रतिबिंबित करने वाली प्रतिकूल प्रविष्टि कभी कभार न्यायिक अधिकारी की ''सामान्य प्रतिष्ठा'' पर और रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/निरीक्षण करने वाले न्यायाधीशों जिनके पास न्यायिक अधिकारी को निकट से परखने का अवसर था के ''दिमाग में निर्मित छवि'' पर आधारित होती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि कर्मचारी की सामान्य प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है यद्यपि उसके विरुद्ध कोई ठोस सामग्री नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में, आयु विशेष के परे न्यायिक अधिकारी के बने रहने के प्रश्न पर विवाद्यक को ''पूर्णत:'' विनिश्चित करने की प्राधिकारी की शक्ति के संदर्भ में विचार करना होगा। **राजेन्द्र सिंह वर्मा एवं अन्य बनाम उप-राज्यपाल (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰) (2011)10 SCC 1,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''.....यदि वह प्राधिकारी सद्भावपूर्ण मत निर्मित करता है कि अधिकारी विशेष की सत्यनिष्ठा संदेहपूर्ण है, न्यायालयों के समक्ष उस मत की शुद्धता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर ऐसे संवैधानिक कार्य का प्रयोग किया जाता है, उस पर कोई न्यायिक पुनर्विलोकन अत्यन्त सतर्कता एवं चौकसी के साथ किया जाना चाहिए और इसे अनेक प्रकाशित निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मापदंडों तक कठोरतापूर्वक सीमित होना होगा। जब समुचित प्राधिकारी सद्भावी मत निर्मित करता है कि न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति लोकहित में है, अनुच्छेद 227 के अधीन रिट न्यायालय अथवा अनुच्छेद 32 के अधीन यह न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा।''

12. ईश्वर चंद जैन मामले (ऊपर) में, अधिकारी विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहा था और उसे निलंबनाधीन किया गया था। इस बीच, अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश पारित किया गया था जब अनुशासनिक कार्यवाही लंबित थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उक्त

आदेश अवचार के अभिकथन पर आधारित था, अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश अभिखंडित कर दिया। उक्त मामले में रजिस्ट्री द्वारा तैयार किया गया ए॰ सी॰ आर॰ का सार भी गलत पाया गया था। **मदन मोहन चौधरी मामले (ऊपर)** में अधिकारी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन मामले में अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया गया था। यह भी पाया गया था कि तीन वर्षों के लिए ए॰ सी॰ आर॰ में टिप्पणियाँ एक ही बार में दर्ज की गयी थी और वह भी उच्च न्यायालय की स्थायी कमिटी द्वारा अधिकारी को सेवानिवृत करने का मत निर्मित करने के बाद यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अग्रिम जमानत प्रदान करने वाला आदेश गलत हो सकता है किंतु इसे समस्त सद्भाव के साथ न्यायिक पक्ष पर पारित किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अभिखंडित कर दिया। **देव दत्त मामले (ऊपर)** में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक इस आधार पर प्रोन्नति से इनकार का था कि केवल उन उम्मीदवारों जिन्होंने विगत पाँच वर्षों के लिए अपने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ''बहुत अच्छा'' प्रविष्टियाँ अर्जित किया था, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया गया था। आवेदक का शिकायत यह था कि उसे वर्ष 1993-1994 के लिए प्रविष्टि जो ''अच्छा'' था संसूचित नहीं की गयी थी और उस आधार पर प्रोन्नति के प्रदान के लिए उसे विचार से अपवर्जित किया गया था।

13. पूर्वोक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णत: भिन्न थे। ए॰ सी॰ आर॰ में प्रविष्टियों की आज्ञापक संसूचना, जैसा **देव दत्त मामले (ऊपर)** में अभिनिर्धारित किया गया है। का न्यायिक अधिकारी को अनिवार्यत: सेवानिवृत्त करने के निर्णय के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं होगा भले ही उसे ए॰ सी॰ आर॰ में की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ संसूचित नहीं की गयी थी। **प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, (2010)10 SCC 693,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''काफी पहले भी कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में एकल प्रतिकूल प्रविष्टि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त है।'' **उ॰ प्र॰ राज्य एवं एक अन्य बनाम बिहारी लाल, (1994)Supp 3 SCC 593,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि ''अधिकारी की कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी, जिसके विरुद्ध अधिकारी के पास अभ्यावेदन देने का अवसर नहीं था, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दूषित नहीं करेगी भले ही उक्त आदेश उसी समय के आसपास पारित किया गया था।''

14. झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 74 (ख) (ii) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य बेकार लोगों को सेवा से निकालना है और प्रतिकूल कर्तव्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों को हटाना भी है ताकि न्यायिक प्रशासन की शुद्धता संरक्षित की जा सके। प्रतिशपथ पत्र में, उच्च न्यायालय ने दृष्टिकोण लिया है कि याची के संपूर्ण सेवा अभिलेख पर सम्यक विचार के बाद इसने लोकहित में याची की अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुशंसित किया। अभिलेख पर लाए गए सामग्री पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा अग्रसर करने का सचेत निर्णय लिया। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्ण न्यायालय के निर्णय की वैधता का परीक्षण करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अत्यन्त सीमित है और सिवाए ऐसे मामलों में जहाँ उच्च न्यायालय आश्वस्त है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश विधि में गंभीर दुर्बलता से पीड़ित है जो न्याय की विफलता में परिणत हुआ है, हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। **सैयद टी॰ ए॰ नक्शबंदी एवं अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य, (2003)9 SCC 592,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

> *"10. .....u rk mPp U;k;ky; vkj u gh ;g U;k;ky; U;kf;d iufoykdu dh viuh 'kfDr d ç;kx e] bldk Lor= iufuèkkj.k dju d fy, fdlh Hkh ljr e Lo; dk lcfèkr mPp U;k;ky; dh dfeVh@i.k U;k;ky; d LFkku e çfrLFkkfir*

*ugh dj ldrk Fkk vFkok ugh djxk ekuk ;g vihy lu jgk gk--------phtk dh çÑfr e] i.kU;k;ky; }kjk fd, x, ,l dk; dkU;kf;d iufoykdu d vè;èkhu djuk ef'dy gh ugh vlHko Hkh gkxk] flok, ,l vlkèkkj.k ekeyk e tgk U;k;ky; vk'oLr g fd dN Hk;dj phtl ftUg ugh gkuk pkfg, Fkk] oLrr% gb g vkj fd u doy blfy, fd ,d vU; lHko nf"Vdk.k gk ldrk Fkk vFkok fdlh dk dfeVh@i.kU;k;ky; }kjk fd, x, dk; d ckj e dN f'kdk;r g-----***

15. इस प्रकार, हम दिनांक 17.7.2008 के याची की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं। परिणामस्वरुप, रिट यचिका विफल होती है। और खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

दयानन्द गुप्ता

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Rev. No. 705 of 2015. Decided on 6th May, 2016.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881—धारा 138—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 45—चेक का अनादर–विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विहित करता हो कि चेक स्वयं लेखीवाल द्वारा भरा जायेगा–याची ने हस्ताक्षर एवं चेक के निष्पादन की तिथि विवादित कभी नहीं किया है–चूँकि याची ने चेक पर हस्ताक्षर विवादित नहीं किया है, चेक हस्तलेखन विशेषज्ञ को नहीं भेजा जा सकता है–इसके अतिरिक्त, स्वयं अभियुक्त ने परिवादी से कर्ज प्राप्त करना स्वीकार किया है–आवेदन खारिज। (पैराएँ 9 से 12)

निर्णयज विधि.–(2009)14 SCC 677—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. P.K. Verma, For the Petitioner; Mr. S.K. Deo, For the State; Mr. Lalit Yadav, For the O.P. No. 2.

आदेश

अभियुक्त द्वारा पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 526 वर्ष 2012 में दाखिल दिनांक 27.6.2014 की याचिका दिनांक 15.4.2015 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दी गयी थी जिसका परिणाम इस पुनरीक्षण आवेदन में हुआ।

2. बिशंभर प्रसाद द्वारा परिवाद उसमें यह अभिकथन करते हुए दाखिल किया गया था कि अभियुक्त ने उसे मित्रवत् कर्ज लिया था। वह आगे कथन करता है कि मित्रवत् कर्ज की राशि की प्राप्ति पर अभियुक्त ने गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर धन रसीद निष्पादित किया और बदले में ऐसे कर्ज के बदले चेक सौंपा। परिवादी आगे कथन करता है कि जब चेक बैंक में जमा किए गए थे, इनका ''अपर्याप्त निधि'' के पृष्ठांकन के साथ अनादर किया गया था। अभियुक्त को नोटिस दिया गया था और राशि के परिसंदाय के लिए मांग किया गया था किंतु अभियुक्त ऐसा करने में विफल रहा जिसका परिणाम परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन वर्तमान मामला दर्ज किए जाने में हुआ।

3. विचारण के दौरान, अभियुक्त ने एक याचिका उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया कि धन रसीद जिन्हें जारी किया गया था याची की नहीं थी और इस पर याची द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया

था, अत: इसे परीक्षण के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए। उसने आगे उल्लेख किया कि चेक जिन्हें परिवादी द्वारा दाखिल एवं प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया गया था को भी हस्तलेखन विशेषज्ञ को यह सिद्ध करने के लिए भेजा जाना चाहिए कि क्या समस्त लेखन एक ही व्यक्ति के हैं जिसने चेक निष्पादित किया है अथवा नहीं। इन दो आधारों को लेते हुए, उसने परीक्षण के लिए दस्तावेजों को हस्तलेखन विशेषज्ञ को भेजने की प्रार्थना किया।

4. परिवादी ने अपना प्रत्युत्तर उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया कि अभियुक्त द्वारा की गयी आपत्ति बिल्कुल तुच्छ है और खारिज किए जाने की दायी है। वह आगे निवेदन करता है कि अभियुक्त विचारण लंबा खींचना चाहता है जिसकी अनुमति न्यायालय द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। उसने आगे कथन किया कि मामला अंतिम छोर पर है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उक्त बयान में भी उसने उसके द्वारा किए गए वर्तमान दावा के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है। इस प्रकार, वह प्रार्थना करते हैं कि आवेदन तुच्छ है।

5. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

6. अभियुक्त याची का परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए विचारण किया जा रहा है। याची ने उल्लेख किया है कि चेक जो प्रस्तुत किए गए थे मामला का विषय वस्तु है, अत: उन्हें यह देखने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए कि क्या पानेवाले का नाम और चेक के निष्पादन की तिथि एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गयी है या नहीं जिसने चेक पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने आगे धन रसीद को हस्तलेखन विशेष को भेजने की प्रार्थना किया।

7. अपने मामले के समर्थन में, याची ने **जी॰ सोमेश्वर राव बनाम सामीनेनी नागेश्वर राव एवं एक अन्य, (2009)14 SCC 677,** मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है। निर्णय को उद्धृत करते हुए याची ने न्यायालय पर प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि एक निष्पक्ष विचारण के लिए, दस्तावेज को हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए।

8. विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता उत्तर में निवेदन करते हैं कि याची द्वारा उद्धृत पूर्वोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रयोज्य नहीं हैं क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले में चेक पर हस्ताक्षर के संबंध में विवाद था।

9. विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विहित करता हो कि चेक स्वयं लेखीवाल द्वारा भरा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में चूँकि चेक पर अभियुक्त का हस्ताक्षर विवादित नहीं है, **जी॰ सोमेश्वर राव बनाम सामिनेनी नागेश्वर राव एवं एक अन्य (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार वर्तमान मामले में प्रयोज्य नहीं है।

10. आगे, याची द्वारा दाखिल याचिका के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याची ने चेक पर हस्तक्षर एवं निष्पादन तिथि विवादित कभी नहीं किया है। चूँकि याची ने चेक पर हस्ताक्षर विवादित नहीं किया है, मेरे मत में, चेक हस्तलेखन विशेषज्ञ को नहीं भेजा जा सकता है।

11. जहाँ तक धन रसीद हस्तलेखन विशेषज्ञ को भेजने का संबंध है, अवर न्यायालय ने पाया है कि अभियुक्त ने स्वयं परिवादी से कर्ज प्राप्त करना स्वीकार किया है और बचाव द्वारा इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। अवर न्यायालय ने यह भी पाया है कि यह भी स्वीकार किया गया है कि चेक का रसीद परिवादी द्वारा लिखा गया था। यह भी स्पष्ट है कि गवाहों ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उनकी उपस्थिति

में धन का संव्यवहार हुआ था और बचाव द्वारा प्रति परीक्षण में इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। अवर न्यायालय ने यह भी पाया कि परिवादी द्वारा चिन्हित किसी प्रदर्श के साथ छेड़-छाड़ के संबंध में किसी गवाह से बचाव द्वारा कुछ भी नहीं पूछा गया है। यह तथ्य आक्षेपित आदेश से पूर्णतः स्पष्ट है। अवर न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि किसी दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है।

12. पूर्वोक्त निष्कर्ष की दृष्टि में, मैं किसी दस्तावेज को हस्तलेखन विशेषज्ञ को निर्दिष्ट करने का अवसर नहीं पाता हूँ। अवर न्यायालय ने सही प्रकार से याची द्वारा दाखिल दिनांक 27.6.2014 की याचिका अस्वीकार किया है। तद्नुसार, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

13. दिनांक 27.7.2015 को पारित अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

14. चूँकि अभियुक्त का पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षण किया जा चुका है, अवर न्यायालय को आगे किसी विलंब के बिना शीघ्रातिशीघ्र विचारण समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

रुबेन सोरेंग

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 1867 of 2016. Decided on 18th April, 2016.

विद्यालय विधियाँ–अवकाश नगदकरण राशि–गैर सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक स्वीकार्य अवकाश नगदकरण राशि पाने के हकदार हैं–प्रत्यर्थियों को याची के प्रासंगिक सेवा अभिलेख के सम्यक संवीक्षण के बाद अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया। (पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–2014 (1) JBCJ 465—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. M.M. Pan, For the Petitioner; Mr. Ajit Kumar, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ भुगतेय राशि पर लाभ नहीं लिए गए अवकाश के लिए अवकाश नगदकरण के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को रिट/निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है क्योंकि यह सेवानिवृत्ति के पाँच महीनों से अधिक के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया है।

2. रिट आवेदन में प्रकट किए गए तथ्य ये हैं कि याची को संत जेवियर उच्च विद्यालय, बरवाडीह में सहायक शिक्षक के रूप में वर्ष 1983 में नियुक्त किया गया था और वह दिनांक 31.10.2015 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ। प्रश्नगत विद्यालय जहाँ से याची सेवानिवृत्त हुआ, सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय है और प्रश्नगत विद्यालय के स्टॉफ के वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 2 के माध्यम से सार्वजनिक खजाने से दिया जाता है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची की शिकायत बहुत छोटे दायरे में है और डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 506, 509 एवं 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्णतः

आच्छादित हैं। जहाँ तक अवकाश नगदकरण के भुगतान के विवाद्यक का संबंध है, याची सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और विवाद्यक **मरियम तिर्के बनाम झारखंड राज्य, 2014 (1) JBCJ 465,** में पारित इस न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में अब अनिर्णीत विषय नहीं है और अब इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति (सी॰) सं॰ एस॰ 20606-20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय के तहत मान्य ठहराया गया है। तद्नुसार, दिए गए निर्णय की दृष्टि में याची को अवकाश नगदकरण राशि के भुगतान के लिए रिट याचिका निपटायी जा सकती है। याची ने परिशिष्ट-4 के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 3 को अभ्यावेदन दिया है किंतु आज की तिथि तक प्रत्युत्तर नहीं मिला है।

5. प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित ए॰ ए॰ जी॰ श्री अजित कुमार विवाद नहीं करते हैं कि गैर सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों को स्वीकार्य अवकाश नगदकरण से संबंधित पूर्वोक्त विवाद्यक **मरियम तिर्के (ऊपर)** में दिए गए निर्णय द्वारा विनिश्चित एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अभिपुष्ट किया गया है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 को याची की ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर **मरियम तिर्के (ऊपर)** मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में याची के प्रासंगिक सेवा अभिलेख के सम्यक संवीक्षण के बाद अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में निर्णय लेने के निर्देश के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; ç'kkUr dekj] U;k;efr

शीतल उर्फ शीतल यादव उर्फ शीतल अग्रवाल एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (Cr.) No. 149 of 2015. Decided on 26th April, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406/420/323/504/34—न्यास का दांडिक भंग, छल, उपहति एवं अपमान–संज्ञान–विकास करार से उद्भूत विवाद–पक्षों के बीच विवाद के समाधान के लिए उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका लंबित है–परिवादी की प्रेरणा पर माध्यस्थम कार्यवाही भी लंबित है–वर्तमान दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 8, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(1992)1 SCC 466; 1992 Suppl. (1) SCC 335; (2011)13 SCC 412—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s. Pandey Neeraj Rai, Rohit Ranjan Singh, For the Petitioners; Mr. Rajeev Kumar, For the Respondent.

प्रशान्त कुमार, न्यायमूर्ति.–इस रिट आवेदन में याचीगण ने न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय में लंबित अभ्यापत्ति परिवाद केस सं॰ 229/2014 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है। याचीगण ने आगे दिनांक 12.1.2015 के आदेश (परिशिष्ट-2) के

अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406/420/323/504/34 के अधीन याचीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया।

2. यह प्रतीत होता है कि परिवादी (प्रत्यर्थी सं॰ 2) ने आरंभ में परिवाद केस सं॰ 1530 वर्ष 2013 के तहत याचीगण के विरुद्ध परिवाद मामला दाखिल किया जिसे प्राथमिकी के दर्जकरण और अन्वेषण के लिए गोंडा पुलिस थाना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156 (3) के अधीन भेजा गया था। तद्नुसार, गोंडा पी॰ एस॰ केस सं॰ 283/2013 दर्ज किया गया था और पुलिस ने अन्वेषण किया। आगे यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने याचीगण के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किया। तत्पश्चात, परिवादी ने न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के समक्ष अभ्यापत्ति याचिका दाखिल किया जिसे अभ्यापत्ति परिवाद केस सं॰ 259/2014 के रूप में दर्ज किया गया था और उन्होंने जाँच के बाद दिनांक 12.1.2015 के आदेश के तहत याचीगण के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406/420/323/504/34 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया।

3. जैसा परिवाद याचिका में अभिकथित किया गया है, मामले के तथ्य संक्षेप में ये हैं कि परिवादी ने भूस्वामिनी होने के नाते याची सं॰ 2 के साथ विकास करार किया। तब यह अभिकथित किया गया है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिवादी ने करार के मुताबिक कार पार्किंग के साथ पाँच फ्लैटों का मांग किया था। यह कथन किया गया है कि करार में दोनों पक्ष सहमत हुए थे कि परिवादी कुल सुपर बिल्ट एरिया का 34% पाएगी। यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तों ने पाँच फ्लैट देने से इनकार कर दिया जब तक परिवादी 70,000/- रुपयों का भुगतान नहीं करती है। आगे यह अभिकथित किया गया है कि पूर्वोक्त विवाद के समाधान के लिए अभियुक्तों के कार्यालय में दिनांक 11.6.2013 को बैठक नियत की गयी थी। आगे यह अभिकथित किया गया है कि जब परिवादी अपने पति एवं अन्य के साथ उक्त बैठक में उपस्थित होने गयी, अभियुक्तों ने अन्य के साथ पुनः परिवादी का हिस्सा देने के लिए उद्दापन के रूप में 70,00,000/- रुपया मांगा। आगे यह अभिकथित किया गया है कि जब परिवादी ने आपत्ति किया, अभियुक्तों ने उनको गाली एवं धमकी दिया। तत्पश्चात, याची सं॰ 2 ने रिवाल्वर दिखाकर सादे गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर परिवादी एवं उसके पति का हस्ताक्षर लिया। यह अभिकथित किया गया है कि उक्त कागज पर अभियुक्तों ने यह दर्शाते हुए कि परिवादी को कार पार्किंग के साथ पाँच फ्लैटों का भौतिक कब्जा सौंप दिया गया था, रसीद तैयार किया और अब उसका कोई दावा नहीं है। यह कथन किया गया है कि जब परिवादी, उसके पति एवं अन्य ने वहाँ से जाने का प्रयास किया, याची सं॰ 2 ने परिवादी का हाथ पकड़ लिया और उसे कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि अन्य अभियुक्तों ने परिवादी के पति पर प्रहार किया।

4. जैसा उपर गौर किया गया है, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची ने जाँच करने के बाद दिनांक 12.1.2015 के आदेश के तहत याचीगण के विरुद्ध केवल भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406/420/323/504/34 के अधीन संज्ञान लिया।

5. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे नीरज द्वारा निवेदन किया गया है कि प्राइवेट एवं निजी दुश्मनी के कारण प्रतिशोध लेने के लिए परिवादी द्वारा याचीगण को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि परिवाद याचिका और प्रति शपथ पत्र में उठाए गए विवाद के लिए परिवादी ने उप न्यायाधीश I, राँची के न्यायालय में विविध केस सं॰ 20/2012 दाखिल किया था, किंतु इसे विद्वान उप न्यायाधीश-I राँची द्वारा दिनांक 30.3.2013 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। यह कथन किया गया है कि विद्वान उप न्यायाधीश I के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध परिवादी ने इस न्यायालय में रिट आवेदन डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2898/2013 दाखिल किया जो अभी भी

लंबित है। आगे यह निवेदन किया गया है कि तथ्यों एवं विवादों के उसी संवर्ग के लिए परिवादी ने इस न्यायालय में माध्यस्थम आवेदन सं॰ 7/2013 दाखिल किया, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 10.1.2014 के आदेश के तहत माननीय न्यायाधीश, डी॰ जी॰ आर॰ पटनायक, इस न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। यह निवेदन किया गया है कि पक्षों के बीच विवाद के समाधान के लिए पूर्वोक्त माध्यस्थम आवेदन अभी भी लंबित है। यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त कार्यवाही लंबित रहने के दौरान वर्तमान परिवाद याचिका परिवादी एवं उसके पति द्वारा किए गए अवैध मांगों को स्वीकार करने के लिए याचीगण पर दबाव डालने की दृष्टि से दाखिल की गयी है। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, अत: यह अभिखंडित किए जाने की दायी है।

6. दूसरी ओर, परिवादी/प्रत्यर्थी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार ने निवेदन किया कि विकास करार के मुताबिक, परिवादी ने इस शर्त पर कि भवन पूरा होने के बाद सुपर बिल्ट अप एरिया का 34% परिवादी को सौंपा जाएगा और तब तक याची सं॰ 2 वैकल्पिक वास सुविधा के लिए किराया का भुगतान करेगा, सद्विश्वास पर याचीगण को संरचना के साथ भूमि सौंपा। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची सं॰ 2 किराया का भुगतान नहीं कर रहा है। तब यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 9.9.2008 के समझौता ज्ञापन के मुताबिक, याचीगण को परिवादी को पाँच फ्लैट देने की आवश्यकता थी, किंतु बाद में यह पाया गया था कि पाँच फ्लैटों का क्षेत्र कुल सुपर बिल्ट अप क्षेत्र का 34% गठित नहीं करता है, क्योंकि परिवादी विकास करार के मुताबिक 732 वर्ग फीट अधिक पाने की हकदार है। किंतु याचीगण पूर्वोक्त क्षेत्र के लिए परिवादी को 70,00,000/- रुपयों का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं। जब परिवादी ने पूर्वोक्त राशि का भुगतान करने से इनकार किया, याचीगण ने अपने आदमियों के साथ वर्तमान अपराध किया। तद्नुसार यह निवेदन किया गया है कि संज्ञान लेने वाले आदेश में वर्णित अपराध बनते हैं; अत:, यह रिट आवेदन खारिज किए जाने का दायी है।

7. पक्षों के निवेदनों को सुनने पर, मैंने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. परिवाद याचिका, प्रतिशपथ पत्र, रिट आवेदन एवं पूरक शपथपत्र में वर्णित तथ्यों के परिशीलन से मैं पाता हूँ कि पक्षों के बीच विवाद विकास करार के क्रियान्वयन से संबंधित है। यह प्रतीत होता है कि इसी विवाद के लिए परिवादी ने उप न्यायाधीश I, राँची के समक्ष विविध केस सं॰ 20/2012 दाखिल किया। विद्वान उप न्यायाधीश I, राँची द्वारा दिनांक 30.3.2013 के आदेश के तहत (परिशिष्ट–12) पूर्वोक्त विविध मामला खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, परिवादी ने इस न्यायालय में रिट आवेदन डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2898/2013 दाखिल किया जो अभी भी लंबित है। यह उल्लेखनीय है कि पुन: परिवादी ने दिनांक 9.7.2007 के विकास करार की व्याख्या से उद्भूत होने वाले विवादों के समाधान के लिए माध्यस्थम की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय में माध्यस्थम आवेदन सं॰ 7/2013 दाखिल किया। यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की न्यायपीठ ने दिनांक 10.1.2014 के आदेश (परिशिष्ट 14) के तहत माननीय न्यायाधीश डी॰ जी॰ आर॰ पटनायक, इस न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, को माध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है। यह प्रतीत होता है कि विद्वान एकल माध्यस्थ ने दिनांक 4.7.2014 के आदेश के तहत कुल 16 विवाद्यकों को विरचित किया है। पूर्वोक्त विवाद्यकों के परिशीलन से मैं पाता हूँ कि परिवाद याचिका में और प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में उठाये गये समस्त बिंदु न्याय निर्णयन के लिए उनके समक्ष लंबित हैं।

9. यह उल्लेखनीय है कि आरंभ में विविध केस सं॰ 20/2012 की खारिजी के बाद दिनांक 5.7.2013 को परिवाद याचिका दाखिल की गयी। विविध केस में पारित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी ने समरुप अभिवचन किया था। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि परिवादी ने उपन्यायाधीश I, राँची के समक्ष सिविल वाद हारने के बाद वर्तमान दांडिक मामला दाखिल किया। **चंद्रपाल सिंह एवं अन्य बनाम महाराज सिंह एवं एक अन्य, (1992)1 SCC 466** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *^^,d fujk'k edku ekfyd u flfoy U;k;ky;k d vfèkØe e ijkftr gku d ckn fdjk;nkj dk vkx] rPN nkfMd vfHk;ktu e my>k;k g tk çFke n"V;k fofèk dh çfØ;k dk n#i;kx çrhr gkrk g--------**

10. हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 Suppl. (1) SCC 335, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ दांडिक कार्यवाही स्पष्टत: असद्भाव के कारण है और/अथवा जहाँ कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के लिए और प्राइवेट एवं निजी दुश्मनी के कारण उसको अपमानित करने की दृष्टि से अंतरस्थ हेतु के साथ द्वेष पूर्वक संस्थित किया गया है, तब दांडिक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है।

11. थर्मेक्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम के॰ एम॰ जॉनी एवं अन्य, (2011)13 SCC 412, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पक्षों के बीच विवाद सिविल प्रकृति के हैं, इन्हें दांडिक कार्यवाही के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है।

12. स्वीकृत रूप से, विकास करार से उद्भूत होने वाले पक्षों के बीच विवाद के समाधान के लिए सिविल रिट न्यायालय में लंबित है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवाद के उसी संवर्ग के समाधान के लिए माध्यस्थम कार्यवाही लंबित है और वह भी परिवादी की प्रेरणा पर। मेरे दृष्टिकोण में, उक्त परिस्थितियों के अधीन वर्तमान दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

13. अत:, उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं इस रिट आवेदन को अनुज्ञात करता हूँ और न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय में लंबित अभ्यापत्ति परिवाद केस सं॰ 229/2014 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के साथ दिनांक 12.1.2015 के आदेश (परिशिष्ट–2) जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची ने याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406/420/323/504/34 के अधीन संज्ञान लिया, को अभिखंडित करता हूँ।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

बाबूराम मरांडी उर्फ बाबू राम मरांडी

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 1083 of 2006. Decided on 3rd March, 2016.

जी॰ आर॰ सं॰ 456/2003 के तत्सम काठीकुंड पी॰ एस॰ केस सं॰ 25/2003 से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 305 वर्ष 2003 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 6.6.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–दोषसिद्धि–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः संपुष्ट नहीं किया गया–सूचक के सिवाए घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है–सूचक जिसने घटना में उपहति पाया था, अभियोजन मामले का समर्थन करने आगे नहीं आया था–अन्वेषण अधिकारी निश्चित नहीं है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कब तैयार की गयी थी–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Kaushlendra Prasad, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों को सुना गया।

2. यह दांडिक अपील जी॰ आर॰ केस सं॰ 456/2003 के तत्सम काठीकुंड पी॰ एस॰ केस सं॰ 25/2003 से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 305 वर्ष 2003 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 6.6.2006 एवं दिनांक 7.6.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने और 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में दो वर्षों की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. दिनांक 21.5.2003 को अपराह्न 2.30 बजे दर्ज स्वर्गीय होपना मरांडी की पत्नी सोहागिनी हंसदा के फर्दबयान से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि अपीलार्थी बाबूराम मरांडी उसके पति होपना मरांडी का सगा भाई है। अपने पति की मृत्यु के बाद, उसके देवर बाबूराम मरांडी ने सूचक की बहन को अपनी पत्नी के रूप में रखा और वह सूचक को घर से निकालना चाहता था ताकि वह उसकी संपत्ति हड़प सके। घटना के दिन पर अर्थात् दिनांक 20.5.2003 को अपीलार्थी ने धान के हिस्सा का दावा किया जिसे सूचक द्वारा उगाया गया था। जब उसने धान के बँटवारा से इनकार किया, अपीलार्थी ने सूचक एवं उसकी माता का पीछा किया और चाकू से उन पर उपहतियाँ कारित किया। उपहति पाने के बाद, सूचक एवं उसकी माता प्रधान के घर में घुसे और गिर गए। अगले दिन, सोहागिनी हंसदा का फर्दबयान दर्ज किया गया था और अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 324, 326 एवं 307 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 21.5.2003 का काठीकुंड पी॰ एस॰ केस सं॰ 25 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था।

अन्वेषण किया गया था और आरोप पत्र दाखिल किया गया था और तद्नुसार, एकमात्र अपीलार्थी बाबू राम मरांडी के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था। अभियुक्त बाबू राम मरांडी का मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 305/2003 के रूप में दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307, 324 एवं 326 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने डॉक्टर एवं अन्वेषण अधिकारी सहित नौ गवाहों का परीक्षण किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका ने विचारण के समापन पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया किंतु उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307, 324 एवं 326 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

4. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का विरोध मुख्यतः इस आधार पर किया है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। स्वीकृत रूप

से, अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सूचक का परीक्षण नहीं किया गया है और सूचक के सिवाए घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। फर्दबयान में किया गया प्रतिवाद सिद्ध नहीं किया गया है। सूचक ने कहा है कि उसे अपीलार्थी द्वारा उसकी पीठ पर चाकू से प्रहार किया गया था किंतु डॉ॰ ए॰ एल॰ महतो (अ॰ सा॰ 4) ने प्रदर्श 3 के रूप में उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है और वह कहते हैं कि सूचक के शरीर पर आयी उपहतियाँ तेज धार वाले हथियार द्वारा भी संभव हो सकती है। अपने प्रति परीक्षण में उसने पुनः कहा है कि उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी।

हरुई लाल टुड्डू (अ॰ सा॰ 1) निर्मल कुमार हेम्ब्रम (अ॰ सा॰ 2) और पॉल किस्कू (अ॰ सा॰ 3) अनुश्रुत गवाह है और उन्होंने मृतक एवं सूचक को प्रधान के घर में घुसते देखा था। जब वे वहाँ गए, सूचक ने प्रकट किया कि बाबू राम मरांडी (अपीलार्थी) द्वारा उन पर प्रहार किया गया था। किंतु प्रति परीक्षण में वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कोई घटना नहीं देखा था और सूचक ने उनके समक्ष कुछ भी प्रकट नहीं किया था।

यह निवेदन किया गया है कि गोपाल किस्कू (अ॰ सा॰ 5) एवं सुंदरी (अ॰ सा॰ 7) भी अनुश्रुत गवाह हैं। दोनों गवाहों ने मौखिक मृत्युकालिक कथन अभिलेख पर लाने का प्रयास किया है किन्तु पूर्वोक्त दो गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जब तक इसे अन्य गवाहों द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में, सूचक का गैर परीक्षण घातक है। वह अकेली व्यक्ति है जो वास्तविक घटना पर प्रकाश डाल सकती थी किंतु अभियोजन ने स्वयं को ज्ञात कारणों से उसे प्रस्तुत नहीं किया था। अ॰ सा॰ 1, 2, 3 एवं 5 के बयानों के अनुसार, अपीलार्थी को पकड़ा गया था और पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किंतु अन्वेषण अधिकारी ने अपराध की कारिता के लिए प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं किया था। घटनास्थल से संग्रहित की गयी रक्तरंजित मिट्टी इसके रासायनिक परीक्षण के लिए भेजी नहीं गयी थी। अन्वेषण अधिकारी स्वयं निश्चित नहीं हैं कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कब तैयार की गयी थी। समय के एक बिंदु पर वह कहता है कि इसे दिनांक 21.5.2003 की सुबह तैयार किया गया था किंतु पुनः वह कहता है कि इसे अगले दिन तैयार किया गया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अधिमूल्यन किया है और अपीलार्थी को हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने में गलती किया है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्कों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि सूचक का परीक्षण नहीं किया गया है किंतु अन्वेषण अधिकारी द्वारा फर्दबयान सिद्ध किया गया है। हरिलाल टुड्डू (अ॰ सा॰ 1 निर्मल कुमार हेम्ब्रम, (अ॰ सा॰ 2) एवं पॉल किस्कू (अ॰ सा॰ 3) ने स्पष्टतः कथन किया है कि उन्होंने सूचक और उसकी माता को प्रधान के घर में घुसते देखा था और उनके शरीर पर उपहतियाँ थी। अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है किंतु उनके मुख्य परीक्षण की तिथि पर उनका प्रति परीक्षण नहीं किया गया था। बाद में उन्हें पुनः बुलाकर प्रति परीक्षित किया गया था और उस समय तक उन्हें प्रभावित किया गया था और इसलिए, वे यह कहने की सीमा तक गए हैं कि उनका मृतक के साथ अथवा सूचक के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने गोपाल किस्कू (अ॰ सा॰ 5) एवं सुंदरी (अ॰ सा॰ 7) के बयान पर जोर दिया है। सुंदरी प्रधान की माता है जिसके घर में सूचक एवं मृतक ने उपहति पाने के बाद आश्रय लिया था। मृतक ने सुंदरी को अपीलार्थी का नाम प्रकट किया था और कहा कि उसके दामाद ने उसको उपहति कारित किया था। यही बयान अ॰ सा॰ 5 के बयान से संपुष्टि पाता है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने सही प्रकार से अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 7 के समक्ष दिए गए मृतक के मौखिक मृत्युकालिक कथन पर विश्वास किया है। इस अपील में गुणागुण नहीं है और यह अपील खारिज किए जाने की दायी है।

6. हमने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है, साक्ष्य एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का परिशीलन किया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, सूचक एवं मृतक अपीलार्थी द्वारा कारित उपहति पाने के बाद प्रधान के घर में घुसे और गिर गए। इसे अ॰ सा॰ 1, 2, 3, 5 एवं 7 द्वारा ध्यान में लिया गया था। मुख्य परीक्षण में, पूर्वोक्त पाँच गवाहों ने इस तथ्य को संपुष्ट किया है कि सूचक एवं उसकी मृतका माता ने अपीलार्थी का नाम प्रकट किया था जिसने चाकू से उन पर उपहतियाँ कारित किया था। प्रति परीक्षण में, अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया था कि उनका सूचक एवं मृतक के साथ बातचीत हुआ था। अ॰ सा॰ 5 तथा अ॰ सा॰ 7 प्रति परीक्षा में भी अपने-अपने बयानों पर अड़े रहे। स्वीकृत रूप से, घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। सूचक ने घटना में उपहति पाया था किंतु वह अभियोजन मामले का समर्थन करने आगे नहीं आयी है। ऐसी परिस्थितियों में हमें विचार करना है कि क्या अ॰ सा॰ 5 एवं 7 के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहराया जा सकता था। इन दो गवाहों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रहार का घटना नहीं देखा था और उन्होंने अपीलार्थी को उपहति कारित करने के लिए उसकी माता का पीछा करते नहीं देखा था। अ॰ सा॰ 1, 2, 3, 5 एवं 7 के साक्ष्य का सार-संक्षेप यह है कि उन्होंने दो स्त्रियों अर्थात् सूचक एवं उसकी माता को प्रधान के घर में घुसते देखा था और अ॰ सा॰ 7 प्रधान की माता है। अ॰ सा॰ 5 अपने प्रति परीक्षण के पैरा 2 में कहता है कि वह यह कहने में सक्षम नहीं हो सका था कि किस प्रकार उस वृद्ध महिला ने उपहति पाया था। पैरा 3 में वह कहता है कि वह कुल्ही (गली) में सहायता के लिए शोर मचाते दौड़ रही थी। तब वह प्रधान के घर में गया और उस वृद्ध महिला से पूछा, तब उसने बताया कि उसके दामाद ने उसको उपहति कारित किया है। पुनः वह कहता है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया था। अ॰ सा॰ 5 के बयान में आने वाले इन समस्त विरोधाभासों पर विचार करते हुए हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहराना सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।

अब अ॰ सा॰ 7 के बयान पर आते हुए। पैरा 3 में वह कहती है कि वह मृतक एवं घायल से घटना के बारे में पूछ रही थी, उसके घर में कोई उपस्थित नहीं था और इसलिए बयान कि बाबू राम मरांडी ने उनको चाकू से उपहतियाँ कारित किया था, किसी अन्य गवाह से असंपुष्ट बना रहा। इस मोड़ पर यह गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि वे घर में उन दो महिलाओं को घुसता देख कर वे प्रधान के घर गए थे किंतु उनकी उपस्थिति अ॰ सा॰ 7 द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी है। मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार करते हुए हम केवल मौखिक मृत्युकालिक कथन जिसे अ॰ सा॰ 5 एवं 7 द्वारा लाया गया है पर विश्वास करना सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और वह भी सूचक, जो घायल चश्मदीद गवाह है के परीक्षण की अनुपस्थिति में।

7. मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए, हम इस अपील को अनुज्ञात करने के इच्छुक हैं और तद्नुसार जी॰ आर॰ सं॰ 456/2003 के तत्सम काठीकुंड पी॰ एस॰ केस सं॰ 25/2003 से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 305 वर्ष 2003 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 6.6.2006 एवं दिनांक 7.6.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को एतद् द्वारा अपास्त करते हैं। उक्त नामित अपीलार्थी जो अभिरक्षा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय/उत्तरवर्ती न्यायालय निर्देश जारी करेगा, यदि आवश्यक हो।

परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

कैलाश बिहारी यादव

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (SJ) No. 191 of 2003. Decided on 6th May, 2016.

सत्र केस सं॰ 52 वर्ष 2000 में श्री अनिरुद्ध प्रसाद शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 21.1.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 323 एवं 448—गृह अतिचार एवं उपहति–दोषसिद्धि–संपूर्ण घटना घर के बाहर हुई–गृह अतिचार का प्रश्न नहीं था–अभियोजन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 448 के अधीन अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है–डॉक्टर के गैर-परीक्षण की अनुपस्थिति में, उपहति रिपोर्ट भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन सिद्ध नहीं की जा सकी थी–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त की गयी–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–M/s Nitu Sinha, Bhopal Krishna Prasad, For the Appellants; Mr. Abhinesh Kumar, For the State.

आदेश

वर्तमान अपील अपीलार्थी अर्थात् कैलाश बिहारी यादव द्वारा सत्र केस सं॰ 52 वर्ष 2000 में विद्वान श्री अनिरुद्ध प्रसाद शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 21.1.2003 के निर्णय एवं आदेश से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर दाखिल की गयी है जिसके द्वारा और जिसके अधीन विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 सहपठित धारा 511 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया है किंतु भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 448 प्रत्येक के अधीन चार माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है और दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया है।

2. दिनांक 9.11.1997 को प्रमिला यादव द्वारा दिए गए फर्दबयान के अनुसार अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 8.11.1997 को सायं 4 बजे अपीलार्थी जो सूचक का तलाकशुदा पति था, सूचक के घर में आया और उसको गाली दिया जिस पर सूचक ने प्रतिकार किया जिस पर अभियुक्त ने सूचक को पकड़ लिया और उस पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। आगे यह अभिकथित किया गया था कि सूचक की बड़ी बहन अर्थात् श्यामा देवी यादव जो जामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थी ने भी प्रतिरोध किया। तब अपीलार्थी अभियुक्त ने उसको भी गाली दिया और उसके पर्स से 500/- रुपया छीन लिया।

3. इन अभिकथनों के आधार पर, दिनांक 9.11.1997 को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 448, 341, 323, 379, 376 एवं 511 के अधीन दुमका (टाउन) पी॰ एस॰ केस सं॰ 169 वर्ष 1997 दर्ज किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने दिनांक 31.12.1997 को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 448, 341, 323 एवं 504 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। तत्पश्चात, दिनांक 12.12.2000 को अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323, 448, 376 एवं 511 के अधीन विद्वान प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश, दुमका

द्वारा आरोप विरचित किए गए थे और अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में छह गवाहों का परीक्षण किया। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376 एवं 511 के अधीन अपराध का दोषी नहीं था और उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 448 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया और प्रत्येक के लिए चार माह का कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया और दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया गया था।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश एवं निर्णय का विरोध करते हुए निवेदन किया कि धारा 448 के अधीन अपराध नहीं बनता है और स्वीकृत रूप से अपीलार्थी सूचक का तलाक शुदा पति है और पक्षों के बीच दुश्मनी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि न तो डॉक्टर का परीक्षण किया गया है और न ही उपहति का प्रमाण है।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने अ॰ सा॰ 4 प्रमिला यादव जो सूचक है के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया है कि मुख्य परीक्षण में पैरा 1 में उसने इस तथ्य का समर्थन किया है जैसा लिखित रिपोर्ट में अभिकथित किया गया है। पैरा 2 में उसने कथन किया है कि यह अपीलार्थी घर में घुसा और उस पर प्रहार किया और जब उसकी बहन अर्थात् श्यामा देवी द्वारा प्रतिरोध किया गया था, उसने श्यामा देवी को भी गाली दिया और 500/- रुपया छीन लिया। आगे यह निवेदन किया गया है कि अभियोक्त्री की बहन अ॰ सा॰ 2 श्यामा देवी यादव द्वारा यह तथ्य संपुष्ट किया गया है जिसने पैरा 1 में समरुप कथन किया है, अत: अभियोजन भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 448 के अधीन मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

6. दूसरी ओर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 1 रवि कांत गुप्ता के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने घर में सूचक एवं अपीलार्थी के बीच जोरदार बहस होते देखा था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 2 श्यामा देवी यादव के साक्ष्य को भी निर्दिष्ट किया है। पैरा 8 में उसने कथन किया है कि प्रमिला देवी ने दिनांक 12.9.1997 को अपीलार्थी से तलाक लिया है। पैरा 9 में उसने कथन किया है कि जब वह घर पहुँची 25-30 लोग घर में जमा थे और पैरा 10 में उसने घटनास्थल का वर्णन दिया है। उन्होंने अ॰ सा॰ 5 महेश राम जो सूचक का पड़ोसी है का साक्ष्य भी निर्दिष्ट किया। पैरा 1 में उसने कथन किया है कि हल्ला सुन कर वह आया और देखा कि सूचक एवं कैलाश बिहारी यादव के बीच हाथापाई हो रही थी।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले के अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 6 सुजाता कुमारी का साक्ष्य भी निर्दिष्ट किया है। पैरा 3 में उसने कथन किया है कि कैलाश बिहारी यादव अपीलार्थी ने कथन किया कि वह अपनी संतानों से मिलने सूचक के घर गया था। घर के बाहर अपीलार्थी एवं सूचक के बीच हाथापाई हुआ और न कि घर के अंदर। धारा 448 के प्रावधानों, को निर्दिष्ट करते हुए ऐसा निवेदन किया गया था जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> ***^xg&vfrpkj d fy, n.M-***&tk dkb xg&vfrpkj djxk] og nkuk e l fdlh Hkkfr d dkjkokl l] ftldh vofèk ,d o"k rd dh gk ldxh] ;k teku l] tk ,d gtkj #i, rd dk gk ldxk] ;k nkuk l] nf.Mr fd;k tk,xkA**

8. धारा 448 गृह अतिचार के लिए दंड प्रावधानित करती है। धारा 442 गृह अतिचार परिभाषित करती है:–

> ***^xg&vfrpkj-***&tk dkb fdlh edku] rEc] ;k ty;ku e] tk ekuo fuokl d :i e mi;kx e vkrk g] ;k fdlh fuek.k e] tk mikluk&LFkku d :i e] ;k fdlh lEifÙk dh vfHkj{kk d LFkku d :i e mi;kx e tkrk g] ço'k djd ;k mle cuk jg djj] vkijkfèkd vfrpkj djrk g] og] ^xg&vfrpkj** djrk g] ;g dgk tkrk gA**

9. यह निवेदन किया गया था कि गवाहों के साक्ष्य और अ॰ सा॰ 6 आई॰ ओ॰ के निष्कर्ष के मुताबिक संपूर्ण घटना घर के बाहर हुई थी। गृह अतिचार का प्रश्न ही नहीं था, अत: अभियोजन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 448 के अधीन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में विफल रहा है। आगे, डॉक्टर के गैर परीक्षण की अनुपस्थिति में, उपहति रिपोर्ट नहीं पायी गयी है। अत: भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन मामला नहीं बनता है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ को सुनने पर, अ॰ सा॰ 6, आई॰ ओ॰ के साक्ष्य की दृष्टि में संपूर्ण घटना घर के बाहर हुई। अभियोजन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 448 के अधीन मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी ने दांडिक गृह अतिचार किया है और घर में घुसा है और तत्पचात् बलात्कार किया है। अत: विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के विषय में समुचित परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है। तद्नुसार, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 448 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। आगे, डॉक्टर के गैर परीक्षण की अनुपस्थिति में, अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन उपहति रिपोर्ट सिद्ध नहीं किया जा सका था। तद्नुसार, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त की जाती है।

11. तद्नुसार, दिनांक 21.1.2003 का निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है और वर्तमान अपील अनुज्ञात किया जाता है। अपीलार्थी को उसके जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है। इस निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

---

ekuuh; vferkHk dekj xIrk] U;k;efr

श्रीमती सागरिका देवी उर्फ सागरिका प्रसाद

cuke

विजय कुमार

Transfer Petition (C) No. 1 of 2016. Decided on 27th April, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 24—वैवाहिक वाद का अंतरण–वाद प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के न्यायालय में लंबित है–याची अपने वृद्ध पिता के साथ जमशेदपुर में रह रही है–उसकी माता जीवित नहीं है और वह राँची तक यात्रा करने एवं न्यायालय में उपस्थित होने में भारी मुश्किल एवं कठिनाई का सामना कर रही है–उसकी अवयस्क पुत्री है और उसके पास आय के साधन नहीं हैं–ऐसे मामलों में भी जहाँ पत्नी लाभप्रद रूप से नियोजित थी, पत्नी की सुविधा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था और मामला उस न्यायालय को अंतरित किया गया था जहाँ वह निवास कर रही थी–अंतरण याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.–AIR 1981 SC 1143; AIR 2002 SC 396; (2016)3 SCC 69; AIR (2000)3406 (1); AIR (2000) SC 3512 (1), AIR (2000)SC 3565 (1)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. Ram Kishore Prasad, Praful Jojo, For the Petitioner; Mr. Ashok Kumar Yadav, For the Respondent.

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अधीन यह याचिका याची पत्नी द्वारा वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015, विविध मामला सं॰ 35 वर्ष 2013, विविध केस सं॰ 36 वर्ष 2013 और वैवाहिक वाद

सं॰ 38 वर्ष 2014 जो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के न्यायालय में लंबित हैं को प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर के न्यायालय को अंतरण के लिए दाखिल की गयी है।

2. अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची अपने वृद्ध पिता जो सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है के साथ जमशेदपुर में रह रही है। यह कि उसे अपनी सात वर्षीया पुत्री श्रेया कुमारी की देखभाल करनी है। यह निवेदन किया गया है कि याची पत्नी ने विरोधी पक्षकार पति के विरुद्ध जमशेदपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन मामला भी दाखिल किया है। कि ओ॰ पी॰ उक्त मामले में जमशेदपुर न्यायालय में विचारण में उपस्थित हो रहा है और सामना कर रहा है। कि याची पत्नी राँची तक की यात्रा करने और न्यायालयों में उपस्थित होने में अत्यन्त मुश्किल एवं कठिनाई का सामना कर रही है और उसकी पुत्री एवं वृद्ध पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कि उसकी माता की मृत्यु अगस्त 2015 में हो गयी।

उक्त आधारों पर याची ने प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के न्यायालय से प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर को पूर्वोल्लिखित मामलों का अंतरण इप्सित किया है।

3. समानांतर स्तंभ में, विरोधी पक्षकार (ओ॰ पी॰) के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव ने निवेदन किया है कि ओ॰ पी॰/पति ने पहले वैवाहिक वाद सं॰ 52 वर्ष 2011 दाखिल किया था जिसमें याची पत्नी उपस्थित हुई थी और अपना लिखित कथन दाखिल किया था, किंतु उसने कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। जिसके बाद दिनांक 4.4.2013 को प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा न्यायिक पृथक्करण का एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध याची पत्नी ने एक पक्षीय आदेश अपास्त करवाने के लिए प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के न्यायालय में विविध केस सं॰ 35 वर्ष 2013 दाखिल किया था। याची ने भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन विविध केस सं॰ 36 वर्ष 2013 भी दाखिल किया। कि दिनांक 27.9.2014 को विविध केस सं॰ 35 वर्ष 2013 खारिज कर दिया गया था और विविध केस सं॰ 36 वर्ष 2013 प्रास्थगन में रखा गया था। उसके परिणामस्वरुप, याची पत्नी ने दिनांक 4.4.2013 एवं दिनांक 27.9.2014 के आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील सं॰ 566 वर्ष 2014 दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने याची को सुनने के बाद दिनांक 7.5.2015 के आदेश के तहत याची को वैवाहिक वाद सं॰ 52 वर्ष 2011 में दिनांक 4.4.2013 के आदेश के निबंधनानुसार तलाक की डिक्री के लिए विरोधी पक्षकार पति द्वारा दाखिल वैवाहिक वाद सं॰ 16 वर्ष 2015 में समस्त बिंदुओं को उठाने की स्वतंत्रता देते हुए एफ॰ ए॰ सं॰ 566 वर्ष 2014 निपटाया। कि याची पत्नी ने प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन वैवाहिक वाद सं॰ 38 वर्ष 2014 भी दाखिल किया है।

यह आग्रह किया गया है कि याची कुटुंब न्यायालय, राँची के समक्ष उक्त मामलों में उपस्थित हो रही है और उसने कुटुंब न्यायालय, राँची में मामलों को जारी रखने के संबंध में शिकायत अथवा आपत्ति कभी नहीं किया है।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21A आज्ञा देती है कि यदि किसी पक्ष द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन याचिका धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री अथवा धारा 13 के अधीन तलाक की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय को प्रस्तुत की गयी है और तत्पश्चात दूसरे पक्ष द्वारा धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री अथवा किसी आधार पर धारा 13 के अधीन तलाक की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अधिनियम के अधीन एक अन्य याचिका प्रस्तुत की गयी है, चाहे यह उसी राज्य में उसी जिला न्यायालय में अथवा भिन्न राज्य में दी गयी हो, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21A (2) के

निबंधनानुसार याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। यह तर्क किया गया है कि धारा 21A **आज्ञा देती है कि यदि याचिकाओं को एक ही जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों याचिकाएँ उस जिला न्यायालय द्वारा साथ सुनी एवं विचारित की जाएँगी और यदि याचिकाओं को भिन्न जिला न्यायालयों में प्रस्तुत किया जाता है, बाद में प्रस्तुत की गयी याचिका उस जिला न्यायालय को अंतरित की जाएगी जहाँ पूर्व याचिका दाखिल की गयी थी और दोनों याचिकाओं को उस जिला न्यायालय जिसमें पहले याचिका दाखिल की गयी है द्वारा साथ सुना एवं निपटाया जाएगा।**

विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि निर्विवादत: उच्च न्यायालय धारा 24 के निबंधनानुसार मामलों का अंतरण करने के लिए सशक्त है किंतु, वर्तमान मामले में, मामले विचारण के अंतिम छोर पर हैं और कुटुंब न्यायालय, राँची मामले पर विचार कर रहा है और सारवान न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि मामलों को एक ही न्यायालय द्वारा सुना जाए जहाँ दोनों पक्षों ने मामला दाखिल किया है क्योंकि याची पत्नी ने राँची में मामलों को जारी रखने के संबंध में कोई शिकायत कभी नहीं किया था अथवा कि वह कुटुंब न्यायाधीश, राँची के न्यायालय में मामलों को अग्रसर करने में कठिनाई का सामना कर रही थी।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **गुडा विजय लक्ष्मी बनाम गुडा रामचंद्र शेखर शास्त्री, AIR 1981 SC 1143,** में निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 21A के प्रावधानों के विस्तार एवं परिधि पर चर्चा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि धारा 21A एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को मामलों के अंतरण का निर्देश देने में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय की धाराओं 23 से 25 के अधीन शक्ति का प्रयोग कम नहीं करती है, अत: विरोधी पक्षकार पति द्वारा दिया गया तर्क मान्य नहीं है। यह तर्क किया गया है कि निर्णयों की श्रृंखला में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक वाद का अंतरण उस न्यायालय को करने का निर्देश दिया है जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत पत्नी रह रही है। अपना तर्क पुख्ता करने के लिए विद्वान अधिवक्ता ने **सुमिता सिंह बनाम कुमार संजय एवं एक अन्य, AIR (2002)SC 396; तेजल बेन बनाम मिहिरभाई भारतभाई कोठारी, (2016)3 SCC 69; ललिता ए॰ रंगा बनाम अजय चंपालाल रंगा, AIR (2000)3406 (1); मोना अरेश गोयल बनाम अरेश सत्य गोयल, AIR (2000)SC 3512 (1)** और **मुन्नी कुमारी बनाम शैलेन्द्र कुमार चौधरी, AIR (2000)SC 3565 (1)** में निर्णयों पर विश्वास किया है।

5. सुना गया। स्वीकृत रूप से, विरोधी पक्षकार पति के अधिवक्ता ने सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 24 के अधीन एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को मामले का अंतरण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति विवादित नहीं किया है, किंतु उन्होंने जोर दिया है कि धारा 24A आज्ञा देती है कि बाद में संस्थित मामलों को उस न्यायालय को अंतरित किया जाना चाहिए जहाँ पूर्व वाद संस्थित किया गया था। यह तर्क किया गया है कि यह स्वीकार किया गया है कि याची पत्नी ने जमशेदपुर में नहीं, बल्कि राँची में वैवाहिक वाद संस्थित किया है और तद्द्वारा उसने राँची में न्यायालयों में मामलों का प्रतिवाद करने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त किया है, अत: मामलों को जमशेदपुर अंतरित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम जमशेदपुर में मामलों को अग्रसर करने में समय एवं धन की बर्बादी में होगा और अन्य वकीलों को काम पर लगाना होगा जिनको नए सिरे से केस तैयार करना होगा। यद्यपि पहली नजर में, ओ॰ पी॰ के अधिवक्ता का तर्क मजबूत प्रतीत होता है किंतु, विरोधी पक्षकार पति द्वारा दाखिल वैवाहिक वाद के प्रकथनों का परिशीलन करने पर यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि ओ॰ पी॰/पति ने अभिकथित किया है कि याची पत्नी

का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में, ओ॰ पी॰/पति के प्रकथनों के मुताबिक वह अकेली राँची तक यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं है। इससे इनकार नहीं किया गया है कि उसकी अवयस्क पुत्री है और वृद्ध पिता है जिसकी देखभाल उसको करनी है, वह अर्जन करने वाली स्त्री नहीं है और याची के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत कुछ निर्णयों में भी, ऐसे मामलों में जहाँ पत्नी लाभप्रद रूप से नियोजित है, पत्नी की सुविधा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था और मामलों को उस न्यायालय की अधिकारिता को अंतरित करने का निर्देश दिया गया था जहाँ पत्नी निवास करती है।

6. आनुषंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों में, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के न्यायालय में लंबित पूर्वोल्लिखित मामलों को उसी चरण पर जहाँ वे वर्तमान में लंबित हैं किसी न्यायालय द्वारा समेकित सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर अंतरित करने का आदेश एवं निर्देश दिया जाता है। स्वीकृत रूप से, पति याची पत्नी द्वारा दाखिल दांडिक परिवाद मामले के संबंध में जमशेदपुर में न्यायालयों में उपस्थित हो रहा है और यह ओ॰ पी॰/पति के लिए असुविधा/प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा।

7. परिणामस्वरुप आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

जगदीश महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 3102 of 2005. Decided on 5th May, 2016.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धाराएँ 18 एवं 28A—भूमि का अर्जन–मुआवजा की बढ़ायी गयी राशि का दावा–याचियों का दावा वैयक्तिक रूप से अभिनिश्चित किया जाना है–यदि याचियों का दावा समय के भीतर किया गया है और उन्हें उसी अधिसूचना द्वारा आच्छादित पाया गया है, विधि के अनुरुप अधिनिर्णीत राशि के पूर्व विनिश्चयकरण किया जाए और व्यक्तियों जो इसके हकदार हैं को बढ़ाए गए मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाए। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–Mr. B.V. Kumar, For the Petitioners; Mr. V.K. Prasad, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान याचीगण भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन जारी दिनांक 16 जुलाई, 1980 की अधिसूचना द्वारा आच्छादित होने का दावा करते हैं जिसने मांडू अंचल, जिला हजारीबाग के अधीन ग्राम पचंदा में अवस्थित उनकी रैयती भूमि के कतिपय टुकड़ों को अर्जित करने का प्रस्ताव दिया। इन याचियों के संबंध में भूमि अर्जन मामले सं॰ 3/1979-80 एवं 5/1979-80 हैं। भूमि खोने वालों ने दिनांक 14 अप्रिल, 1982 को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन समाहर्ता द्वारा तैयार किए गए अधिनिर्णय के निबंधनानुसार मुआवजा पाया। इन याचियों ने विरोध के अधीन मुआवजा स्वीकार किया किंतु एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश नहीं किया था। किंतु, कुछ अन्य व्यथित अधिनिर्णीत प्राप्त लोगों ने समाहर्त्ता के समक्ष आवेदन देकर निर्देश इप्सित किया। भूमि अर्जन न्यायाधीश हजारीबाग के समक्ष भूमि निर्देश केस सं॰ 28/1985 से 31/1985 एवं 34/1985 से 54/1985 संस्थित

किया गया था। निर्देश न्यायालय ने दिनांक 22 अगस्त, 1987 के एक ही निर्णय द्वारा पूर्वोक्त एल॰ ए॰ मामलों में अधिनिर्णय पारित एवं तैयार किया और 1200/- रु॰ प्रति डिसमिल तक मुआवजा बढ़ाया। इन याचियों को उक्त प्रावधान के निबंधनानुसार मुआवजा का पूर्व विनिश्चियकरण एवं वृद्धि इप्सित करते हुए तीन माह की अवधि के भीतर भू॰ अ॰ अधिनियम, 1894 की धारा 28A के निबंधनानुसार आवेदन देता बताया गया है।

3. याचियों के अधिवक्ता ने दिनांक 12 नवंबर, 1990 का पत्र सं॰ 339 (परिशिष्ट–2) निर्दिष्ट किया है जिसके अधीन निदेशक, भूमि अर्जन, बिहार, पटना से भूमि अर्जन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में बढ़ाए गए मुआवजा के भुगतान के लिए 1,17,10,344.95/- रुपयों का आवंटन प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वह उक्त पत्र के पैरा 2 से इंगित करते हैं कि यह धारा 28A के निबंधनानुसार तीन माह की अवधि के भीतर संबंधित आवेदकों द्वारा आवेदन दिया जाना अभिस्वीकृत करता है जिस पर आवेदकों को सुना भी गया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि उपायुक्त, हजारीबाग ने दिनांक 12 जनवरी, 1990 को मुआवजा नियत करते हुए मूल्यांकन खतियान तैयार किया। इस राशि का भुगतान प्रकटत: इस कारण से नहीं किया गया था कि राज्य ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एफ॰ ए॰ सं॰ 108-132/1998 (R) में निर्देश न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील किया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता आगे इंगित करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17 दिसंबर, 2003 को परिशिष्ट–7 पर एक ही निर्णय द्वारा उक्त अपीलों का अंतिम रूप से निपटान किया है, जिसके अधीन निर्देश न्यायालय का आदेश एवं अधिनिर्णय अभिपुष्ट किया गया है और अपीलों को अस्वीकार किया गया है। फिर भी, याचियों को बढ़ाए गए मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है जो भी अधिनिर्णीतियों जो बढ़ाए गए मुआवजा के लाभार्थी हैं और उसी अधिसूचना द्वारा आच्छादित हैं की तरह समस्थित है।

5. प्रत्यर्थियों ने भी अपने प्रतिशपथ पत्र में भूमि अर्जन मामलों जिसमें मुआवजा बढ़ाते हुए अधिनिर्णय पारित किया गया था को और एफ॰ ए॰ सं॰ 108-132/1998 (R) की खारिजी को भी निर्दिष्ट किया है। तत्पश्चात, प्रतिशपथ पत्र में प्रकथन केवल किया गया पत्राचार दर्शाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि याचियों ने अपने दावा के संबंध में उत्तराधिकार का कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिसकी अनुपस्थिति में प्रत्यर्थीगण कोई अधिनिर्णय तैयार करने में अक्षम हैं। इस मामले के सत्यापन की आवश्यकता है कि क्या भूमि खोने वालों/याचियों के पूर्वजों को सी॰ सी॰ एल॰ से मुआवजा का भुगतान किया गया है अथवा नहीं।

6. पक्षों के निवेदनों पर विचार करने पर और अभिवचन किए गए प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में लेकर अब यह स्पष्ट है कि परिशिष्ट–7 पर इस न्यायालय के दिनांक 17 दिसंबर, 2003 के निर्णय द्वारा एफ॰ ए॰ सं॰ 108-132/1998 (R) की खारिजी के बाद प्रत्यर्थियों अर्थात् उपायुक्त, हजारीबाग एवं जिला भूमि अर्जन अधिकारी, हजारीबाग को सम्यक सत्यापन पर कि याचीगण उसी अधिसूचना द्वारा आच्छादित हैं और कि व्यक्तिगत याचियों ने अधिनियम वर्ष 1894 की धारा 28A के अधीन विहित समय के भीतर ऐसा आवेदन दिया था, मुआवजा की वृद्धि के संबंध में वर्तमान याचियों के दावा को वैयक्तिक रूप से अभिनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रत्यर्थियों को विषय पर उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा जारी दिनांक 12 नवंबर, 1990 के पत्र (परिशिष्ट–2) को भी विचार में लेना चाहिए और यदि याचीगण का दावा समय के भीतर किया गया है और उन्हें उसी अधिसूचना द्वारा आच्छादित पाया गया है, तो विधि के अनुरुप अधिनिर्णीत राशि का पूर्व विनिश्चयकरण किया जाय और व्यक्तियों जो इसके हकदार हैं को बढ़ायी गयी मुआवजा राशि का भुगतान किया जाय।

7. चूँकि मामला पुराना है, इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से अधिमानत: 16 सप्ताह के भीतर युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसा कार्य पूरा किया जाए।

8. रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

मो॰ महफूज

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 163 of 2015. Decided on 6th May, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—भरण-पोषण—दहेज मांग एवं यातना—पति के साथ नहीं रहने का पत्नी के पास तर्कपूर्ण आधार है—भरण-पोषण की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए ताकि पत्नी को मर्यादा के साथ रहने के लिए सक्षम बनाया जा सके—दावेदार, उस व्यक्ति जो वायु सेना में है की पत्नी होने के नाते निश्चय ही भरण-पोषण के रूप में 4000/- रुपया प्रतिमाह तथा पुत्र कम से कम 2000/- रुपया प्रतिमाह पाने के हकदार हैं—उच्च अर्हता होना मात्र इस उपधारणा को उद्‌भूत नहीं करता है अथवा नहीं सुझा सकता है कि पत्नी स्वयं का भरण-पोषण कर रही है—अवर न्यायालय द्वारा नियत राशि अभिपुष्ट। (पैराएँ 11 से 14)

अधिवक्तागण.—Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; APP, For the State; M/s Lukesh Kumar, A.K. Singh, For the O.P. No. 2.

आदेश

इस पुनरीक्षण आवेदन में पति ने दिनांक 30.1.2015 के निर्णय को अपास्त करने के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धनबाद ने भरण पोषण याचिका सं॰ 30 वर्ष 2009 में पत्नी को 4000/- रुपया प्रतिमाह की दर पर और पुत्र को (वयस्कता प्राप्त करने तक) 2000/- रुपया प्रतिमाह की दर पर भरण-पोषण प्रदान किया है।

2. पत्नी रफात परवीन सोनी ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन आवेदन यह कथन करते हुए दाखिल किया है कि वह मो॰ महफूज की विधिवत ब्याहता पत्नी है। उक्त विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ था जो अवयस्क है। वह कथन करती है कि उसे उसके पति द्वारा क्रूरता एवं दहेज मांग के लिए यातना के अध्यधीन किया गया था और जिसके परिणामस्वरुप पति द्वारा उसकी पूरी उपेक्षा की गयी है। पति वायुसेना में कार्यरत है और 25,000/- रुपया प्रतिमाह का वेतन अर्जित कर रहा है। वह इस आधार पर भरण-पोषण का दावा करती है कि पति ने उसका भरण-पोषण करने का पर्याप्त साधन होने के बावजूद उसकी उपेक्षा किया।

3. पति न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसमें यह कथन करते हुए कारण बताओ दाखिल किया कि उसके द्वारा दहेज का दावा कभी नहीं किया गया था। उसने यातना के अभिकथनों से इनकार किया। वह आगे कथन करता है कि वह पत्नी को मर्यादित तरीके से रखने के लिए तैयार एवं इच्छुक है। वह आगे कथन करता है कि चूँकि पत्नी स्वयं अपनी इच्छा से पति के साथ नहीं रह रही है, वह भरण-पोषण की किसी राशि की हकदार नहीं है।

4. पत्नी का गवाह के रूप में परीक्षण किया गया था और उसने अपने मामले का समर्थन किया। पति ने भी साक्ष्य दिया और कथन किया कि उसकी पत्नी उच्च अर्हता वाली स्त्री है और उसके पास

एम॰ ए॰/बी॰ एड॰ की डिग्री है। उसने आगे कथन किया कि उसकी पत्नी उसके साथ घूम रही है और खरीदारी कर रही है, अत: वह भरण पोषण की कोई राशि पाने की हकदार नहीं है।

5. अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का अधिमूल्यन करते हुए पाया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 498A के अधीन परिवाद मामला सं॰ 470 वर्ष 2009 है। अवर न्यायालय ने यह भी पाया कि क्रूरता एवं यातना के इस विनिर्दिष्ट अभिकथन की दृष्टि में और दांडिक मामला लंबित रहने के कारण पत्नी को पति के साथ सहवास करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। अवर न्यायालय ने यह भी पाया कि पति वायु सेना की नियमित सेवा में है और इस प्रकार पत्नी को 4000/- रुपया प्रतिमाह और पुत्र को वयस्कता प्राप्त करने तक 2000/- रुपया प्रति माह की राशि अधिनिर्णीत किया है।

6. उक्त निर्णयों को चुनौती देते हुए पति ने यह पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया है।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

8. पति की ओर से निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय इसे विचार में लेने में विफल रहा है कि पत्नी अर्हित स्त्री है और उसके पास एम॰ ए॰/बी॰ एड॰ की डिग्री है और इसलिए वह भरण–पोषण की हकदार नहीं है। उसने आगे निवेदन किया कि पत्नी के पास पृथक रूप से रहने का आधार नहीं है और ऐसा होने के नाते वह मुआवजा की किसी राशि की हकदार नहीं है।

9. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अवर न्यायालय इन पहलूओं पर विचार करने में विफल रहा है जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन आवेदन विनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

10. विद्वान अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद पाया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 498A के अधीन अपराध के लिए दांडिक परिवाद मामला सं॰ 470 वर्ष 2009 लंबित है। अवर न्यायालय ने यह भी पाया है कि क्रूरता एवं यातना के इस विनिर्दिष्ट अभिकथन और दांडिक मामला लंबित रहने के कारण पत्नी को पति के साथ रहने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। यह निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर आने के लिए पर्याप्त है कि पत्नी के पास अलग रहने का युक्तियुक्त कारण है।

11. इस तथ्य की दृष्टि में कि पत्नी द्वारा दहेज मांग एवं यातना के लिए दांडिक मामला दर्ज किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अलग रहने का युक्तियुक्त आधार नहीं है। मैं पाता हूँ कि पति के साथ नहीं रहने के लिए पत्नी के पास तर्कपूर्ण आधार है।

12. जहाँ तक भरण–पोषण की मात्रा का संबंध है, पति द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह वायु सेना की सेवा में है और उसने स्वयं कथन किया है कि उसका कुल वेतन 31,000/- रुपया है और वह हाथ में 20,000/- रुपया पा रहा है। न्यायालय ने केवल पति/याची के वेतन से पत्नी को 4000/- रुपया प्रतिमाह और अवयस्क पुत्र को 2000/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

13. भरण–पोषण की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए ताकि पत्नी को मर्यादा के साथ उस स्तर के समरुप जिसमें वह अपने दांपत्य गृह में रहेगी, रहने के लिए सक्षम बनाया जा सके। दावेदार ऐसे व्यक्ति जो वायु सेना की सेवा में है की पत्नी होने के नाते निश्चित रूप से भरण–पोषण के रूप में 4000/- रुपया प्रति माह और पुत्र कम से कम 2000/- रुपया प्रति माह पाने की हकदार है।

14. उस दृष्टि में, अवर न्यायालय द्वारा नियत की गयी राशि अयुक्तियुक्त एवं उच्चतर पक्ष पर नहीं कही जा सकती है। जहाँ तक याची द्वारा किए गए इस निवेदन का संबंध है कि उसकी पत्नी सुअर्हित है और वह एम॰ ए॰/बी॰ एड॰ है, यह मात्रा को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता है। यह याची का मामला नहीं है कि पत्नी किसी स्रोत से अर्जन कर रही है। मात्र उच्च अर्हता रखना किसी उपधारणा को उद्‌भूत नहीं करता है और न ही सुझा सकता है कि पत्नी स्वयं का भरण पोषण कर रही है।

15. आगे, अवर न्यायालय ने संपूर्ण पहलूओं पर विचार करने के बाद भरण-पोषण अधिनिर्णीत किया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय कारण रहित है।

16. उपर किए गए संप्रेक्षणों पर, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस तथ्य की दृष्टि में कि पति स्वीकृत तौर पर वायु सेना की सेवा में है, पत्नी को 4000/- रुपयों एवं पुत्र को 2000/- रुपयों की राशि भरण-पोषण के रूप में सही प्रकार से निर्धारित की गयी है।

17. आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

सोदेर नगेसिया एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1670 of 2003. Decided on 24th February, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 170 वर्ष 1996, पालकोट पी॰ एस॰ केस सं॰ 24 वर्ष 1995 से उद्‌भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 366 वर्ष 1995 के तत्सम के संबंध में श्री आलोक कुमार दूबे, अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1, गुमला द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 29.9.2003 एवं दिनांक 30.9.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 320/149, 148 एवं 323—हत्या एवं घोर उपहति—विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य—दोषसिद्धि—पक्षों के बीच भूमि विवाद—अपीलार्थीगण द्वारा किया गया अभिवचन उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है—गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास अथवा लोप नहीं पाया गया—अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण ने अपीलार्थियों पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं किया है—चाक्षुक साक्ष्य की दृष्टि में अपराध के हथियार की गैर-प्रस्तुति अतात्विक है—चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है—अपील खारिज।

(पैराएँ 6 से 13)

अधिवक्तागण.—M/s Ashutosh Anand, Triveni Mishra, For the Appellants; Mr. Sanjay Kumar Pandey, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.—यह दांडिक अपील सत्र विचारण सं॰ 170 वर्ष 1996, पालकोट पी॰ एस॰ केस सं॰ 24 वर्ष 1995 से उद्‌भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 366 वर्ष 1995 के तत्सम, के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ I, गुमला द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 29.9.2003 और दिनांक 30.9.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा समस्त अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 सहपठित धारा 149, 148 एवं 323 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन

आजीवन कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दो वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन पृथक दंडादेश नहीं दिया गया है।

2. प्राथमिकी से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि दिनांक 28.5.1995 को प्रात: 8 बजे सूचक जो असनपानी में बकरी चरा रहा था, ने अपने खेत में नौ हल देखा। तत्पश्चात, वह अपने पिता गंथूरा नगेसिया एवं अन्य संबंधियों गर्थू नगेसिया एवं गेंदल नगेसिया को सूचित करने गया। उनको एकत्रित करने के बाद जब सूचक अपने पिता के साथ असनपानी खेत गया, उन्होंने पाया कि अपीलार्थीगण खेत जोत रहे थे। जब उसने खेत जोते जाने के विरुद्ध आपत्ति किया, अपीलार्थी जीतू नगेसिया ने कहा कि वह खेत जोतेगा और जो कोई भी आपत्ति करने आएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। तत्पश्चात, दौरा नगेसिया, जो बांध के निकट खड़ा था ने अपने सहयोगियों को उकसाया जिस पर प्राथमिकी में नामित समस्त अपीलार्थियों ने बलुआ और टांगी निकाला जिसे पहले से खेत में रखा गया था और सूचक एवं उसके साथियों पर प्रहार कारित करने लगे। दौरा नगेसिया, सुकरा नगेसिया और बैसकू नगेसिया ने गेंदल नगेसिया पर प्रहार कारित किया और उसकी हत्या की। अपीलार्थियों द्वारा अपने-अपने हथियारों जो वे लिए हुए थे की मदद से और गुलेल की मदद से फेंके गए पत्थरों से सूचक एवं उसके साथियों को भी प्रहार के अध्यधीन किया गया था। अपराध करने के बाद अभियुक्तगण वहाँ से भाग गए।

हफीनदर नगेसिया (अ॰ सा॰ 4) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 447, 324, 323, 337 और 302 के अधीन गुमला, पालकोट पी॰ एस॰ केस सं॰ 24 वर्ष 1995 दर्ज किया गया था। अन्वेषण किया गया था, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी, घटना स्थल पर पाए गए हथियारों एवं अन्य वस्तुओं को जब्त किया गया था और गेंदल नगेसिया का मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों का बयान दर्ज किया था और अन्वेषण पूरा करने के बाद, समस्त अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और आरोप विरचित करने के बाद अपीलार्थियों का विचारण किया गया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149, 148 एवं 323 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी अभिनिर्धारित किया और दंडादेश अधिरोपित किया, जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है।

3. चूँकि विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिवेणी मिश्रा जो पिछली तिथि पर उपस्थित नहीं थे और आज वह उपस्थित हैं किंतु अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष आनंद को अपीलार्थियों की ओर से मामले पर तर्क करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है।

4. दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश को प्रथमत: इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है और इसने अपीलार्थियों पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है। अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण के कारण घटना स्थल सिद्ध नहीं किया गया है। गवाहों के बयान में सामने आने वाले विरोधाभासों को निर्दिष्ट नहीं किया जा सका था। प्रति मामला का संस्थापन एवं अन्वेषण का परिणाम जैसे कुछ अन्य तथ्यों को अभिलेख पर नहीं लाया गया है। द्वितीयत: विधिविरुद्ध जमाव नहीं था। अपीलार्थीगण घटना के समय पर अपना खेत जोत रहे थे और खेत जोतना अविधिपूर्ण नहीं माना जा सकता था। पक्षों के बीच भूमि विवाद स्वीकार किया गया है। कुछ अपीलार्थियों को कारित उपहतियाँ भी स्वीकार की गयी हैं। वस्तुत:, सूचक और उसके साथी हमलावर थे और वे अपराध करने

घटनास्थल पर आए थे और वे बलुआ, टांगी आदि से लैस थे। जब अपीलार्थीगण ने आपत्ति अनदेखा किया और खेत जोतते रहे, सूचक दल द्वारा उन्हें प्रहार के अध्यधीन किया गया था और उन्हें अपने शरीर पर उपहति आयी और यह कुछ अभियोजन गवाहों के स्वीकरण और ब॰ सा॰ 1 के साक्ष्य से प्रकट है। अत:, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि गलत रूप से दर्ज की गयी है और यह अपास्त किए जाने की दायी है। तृतीयत:, अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 ने स्वयं का घायल चश्मदीद गवाह होने का दावा किया किंतु उन्होंने मृतक के शरीर पर कारित उपहतियों के संबंध में संगत विवरण नहीं दिया है। पूर्वोक्त चार गवाह घटना के तरीका पर भी संगत नहीं हैं। किसी ने कहा है कि मृतक पर कुल चार उपहतियाँ कारित की गयी थी, कोई कहता है कि दो उपहतियाँ कारित की गयी थी और कोई कहता है कि मृतक पर बार-बार टांगी एवं बलुआ से वार किया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष जब्त हथियार प्रस्तुत नहीं किया गया था। घटनास्थल से जब्त रक्तरंजित मिट्टी का क्या हुआ, मामले के अभिलेख पर अज्ञात है। अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण के कारण यह तथ्य असिद्ध रहा कि क्या घटनास्थल से जब्त हथियार वस्तुत: उनके थे। अपीलार्थियों का मामला यह है कि सूचक एवं उसके साथी बलुआ एवं टांगी जैसे घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर आए थे और उन्होंने ब॰ सा॰ 1 एवं उनके सहयोगियों पर प्रहार कारित किया था। पक्षपाती तरीके से अन्वेषण किया गया था और अन्वेषण अधिकारी ने सूचक एवं उसके सहयोगियों के प्रभाव के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्कों का विरोध एवं निवेदन किया है कि विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के अवयवों, जैसा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अधीन उपदर्शित किया गया है, को अच्छी तरह सिद्ध किया गया है। अपीलार्थियों द्वारा निभायी गयी भूमिका उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 142 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाती है। उक्त के अतिरिक्त, घटनास्थल पर अपीलार्थियों का जमावड़ा खेत जोतने के लिए नहीं था बल्कि वे प्रश्नगत खेत जबरन कब्जा लेने आए थे। एक ही समय पर उनके द्वारा उपयोगित नौ हल उनका आशय सिद्ध करते हैं। घटनास्थल पर रखा गया बलुआ एवं टांगी भी उनका आशय दर्शाता है। जब सूचक ने खेत जोतने के विरुद्ध आपत्ति किया और कहा कि भूमि का पहले ही बँटवारा हो गया था, अपीलार्थी जीतू ने कहा कि हम खेत जोतेंगे, जो कोई भी प्रतिरोध करेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी, भी उनका आशय दर्शाता है। केवल यही नहीं अपीलार्थी दौरा ने अभियुक्त साथियों को उकसाया, जिन्होंने तुरन्त घटनास्थल पर रखे गए हथियारों को हाथों में लिया और मृतक गेंदल, सूचक एवं उसके साथियों पर प्रहार कारित किया। अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 समस्त तात्विक बिंदुओं पर अडिग रहे। इन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ कृष्ण प्रसाद के साक्ष्य से समर्थन पाता है जिन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया और मृतक के शरीर पर हुई उपहतियों का वर्णन किया है। यद्यपि डॉ॰ बी॰ एन॰ शर्मा का परीक्षण नहीं किया गया है, किंतु उनके द्वारा जारी उपहति रिपोर्ट अ॰ सा॰ 8 राजेश्वर पाठक द्वारा सिद्ध की गयी है। पूर्वोक्त उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 4 से 4/2 हीर्थू नगेसिया, गंधूरा नगेसिया एवं सिंधु नगेसिया को कारित उपहतियों से संबंधित है। कम से कम, प्रदर्श 4 से 4/2 इस तथ्य का प्रमाण है कि उन्होंने घटना में उपहति पाया था। अ॰ सा॰ 5 मंगल नाथ नगेसिया मृत्यु समीक्षा का गवाह है और उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर किया गया अपना हस्ताक्षर

एवं बहुरा नगेसिया का हस्ताक्षर सिद्ध किया है। यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी के गैर–परीक्षण ने अपीलार्थियों पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं किया है। किसी भी गवाह के मुख से कोई विरोधाभास नहीं आया है। अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज अपने बयान पर टिके रहे हैं। न ही अतिशयोक्ति है और न ही लोप। ऐसे मामले में जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं, घटनास्थल सिद्ध करने के लिए अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण घातक नहीं है। चूँकि अपीलार्थियों को सही प्रकार से दोषसिद्ध किया गया है, इस अपील में गुणागुण नहीं है।

6. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का भी परिशीलन किया है। अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य का सारतत्व यह है कि बँटवारा वाद में डिक्री पारित किये जाने के बाद पक्षों के बीच प्रश्नगत भूमि का बँटवारा हुआ था। अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर अपने कब्जा का दावा कर रहे थे और इसे सिद्ध करने के लिए उसी खेत में एक ही समय पर नौ हलों का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने घटना स्थल पर टांगी एवं बलुआ जैसे हथियार भी रखा था। जब सूचक एवं उसके साथियों ने खेत जोतने के विरुद्ध आपत्ति किया, अपीलार्थीगण क्रोधित हो गए और अपीलार्थी द्वारा जो बलुआ से लैस था, अपीलार्थीगण सुकरा एवं बैसकू जो टांगी से लैस थे ने अपने–अपने हथियारों से मृतक गेंदल नगेसिया पर वार किया। गर्दन एवं कनपट्टी क्षेत्र पर उपहति कारित की गयी थी। गेंदल नगेसिया की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। शेष अपीलार्थियों ने भी उक्त अभियुक्तों/अपीलार्थियों का साथ दिया और प्रहार में भाग लिया एवं सूचक एवं उसके साथियों पर उपहति कारित किया। अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 द्वारा अभिलेख पर लाया गया मामला स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि अपीलार्थीगण जबरन कब्जा लेने के लिए अथवा प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा दर्शाने के लिए घटनास्थल पर आए थे और वे घटनास्थल पर जमा हुए थे और उन्होंने घटनास्थल पर टांगी एवं बलुआ जैसे हथियारों को रखा था। वे सूचक पक्ष द्वारा आपत्ति किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्योंही सूचक एवं उसके साथी खेत जोते जाने के विरुद्ध आपत्ति करने घटनास्थल पर आए, अपीलार्थियों ने उनको उपहति कारित किया और गेंदल नगेसिया की हत्या की। अभिलेख पर इस प्रकार लाए गए साक्ष्य पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 141 एवं 142 के अयवय आकृष्ट होते हैं और अभियोजन गवाहों द्वारा सिद्ध किए गए हैं। चूँकि उक्त विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में गेंदल नगेसिया की हत्या की गयी थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 प्रयोज्य हुआ।

7. अब प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अपीलार्थीगण यह सिद्ध करने में सफल हुए कि यह पक्षों के बीच खुली लड़ाई थी और वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किए जाने के दायी नहीं हैं?

हमने पुन: अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार किया है और ब॰ सा॰ 1 के साक्ष्य का परीक्षण किया है कि कुछ अपीलार्थियों को उपहति आयी थी, यह अ॰ सा॰ 2 पैरा 5 और अ॰ सा॰ 4 पैरा 6 के स्वीकरण से समर्थन पाता है। अभियोजन गवाहों ने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थियों द्वारा उनके विरुद्ध मामला भी दर्ज किया गया था। वर्तमान अपील में ब॰ सा॰ 1 जीतू नगेसिया, अपीलार्थी सं॰ 6, ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना का समय, घटना स्थल और समय के उस बिंदु पर समस्त अपीलार्थियों की उपस्थिति स्वीकार किया है। और भी अधिक उसने कहा है कि सूचक एवं उसके साथी अपीलार्थियों को खेत जोतने से अवरुद्ध करने घटनास्थल पर आए थे और सूचक दल बलुआ टांगी आदि से लैस था। जब अपीलार्थीगण अनुदेश मानने के लिए सहमत नहीं हुए थे, उन्हें सूचक एवं उसके साथियों द्वारा प्रहार के

अध्यधीन किया गया था। उसने अपने मुख्य परीक्षण में नहीं कहा था कि उन्होंने सूचक एवं उसके साथियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया था। कोई उपहति रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गयी है कि अपीलार्थीगण अर्थात् सुखु नगेसिया, गंडूर नगेसिया, बैसकू नगेसिया और जीतू नगेसिया ने घटना में उपहति पाया था। प्रति मामला, यदि दर्ज किया गया था, की प्राथमिकी अभिलेख पर नहीं लायी गयी है। अत:, अपीलार्थियों द्वारा किया गया अभिवचन उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। चूँकि अपीलार्थियों द्वारा अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं लाया गया है कि सूचक दल हमलावर था, वे घातक हथियारों के साथ घटनास्थल पर आए थे, उन्होंने कुछ अपीलार्थियों को उपहति कारित किया था, हम इस तर्क कि यह पक्षों के बीच खुली लड़ाई थी और इसलिए, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद से धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करना सही नहीं है, को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं। अपीलार्थियों द्वारा खुली लड़ाई की कथा सिद्ध नहीं की गयी है और इसलिए, तर्क अस्वीकार किया जाता है।

8. अपीलार्थियों ने बार-बार बिंदु उठाया है कि अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण ने उन पर प्रतिकूलता कारित किया है। घटना के समय के संबंध में विरोधाभास स्पष्ट नहीं किया गया है और घटना स्थल सिद्ध नहीं किया गया है। जहाँ तक घटना के समय, घटनास्थल और अपीलार्थियों के समय के प्रासंगिक बिंदु पर घटना स्थल पर जमा होने का संबंध है, ब॰ सा॰ 1 ने स्वयं स्वीकार किया है और वह कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी सं॰ 6 है। अत:, इन समस्त तथ्यों को सिद्ध करने के लिए अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण ने कोई प्रतिकूलता कारित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, हम नहीं पाते हैं कि प्रतिपरीक्षण के दौरान अपीलार्थियों द्वारा किसी भी गवाह के मुख से कोई विरोधाभास अथवा लोप निकलवाया गया है। इस कारण से भी, हम नहीं मानते हैं कि अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण ने अपीलार्थियों पर कोई प्रतिकूलता कारित किया है। घटना स्थल से जब्त हथियारों की गैर-प्रस्तुति भी पुन: अतात्विक बन गयी है जब यह विचार किया जाता है कि अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 का चाक्षुक विवरण स्वीकार्य है। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि मृतक पर अपीलार्थी दौरा नगेसिया द्वारा बलुआ से कारित उपहति और अपीलार्थीगण सुकरा नगेसिया एवं बैसकू नगेसिया द्वारा टांगी से कारित उपहति शव परीक्षण रिपोर्ट से समर्थन पाती है। अत:, चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है।

9. विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष आनन्द ने जोरदार तर्क किया है कि घटना के तरीके एवं अपीलार्थियों द्वारा मृतक पर कारित उपहतियों के बिंदु पर अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 संगत नहीं हैं। हमने सावधानीपूर्वक अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य का संवीक्षण किया है और उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में घटना की कल्पना करने का प्रयास भी किया है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी दौरा नगेसिया बलुआ से लैस था, जबकि शेष अपीलार्थीगण अपने हाथों में टांगी लिए थे। जब सूचक एवं उसके साथियों ने खेत जोतने के विरुद्ध आपत्ति किया, वे क्रोधित हो गए और अपने-अपने हथियारों जिनसे वे लैस थे से अपने लक्ष्यों पर उपहति कारित करना शुरू किया। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में लक्ष्यित व्यक्ति स्वयं को बचाने का प्रयास करेंगे और यह उम्मीद नहीं की जाती है कि शरीर के अंग विशेष पर उपहति कारित करने के लिए परस्पर हथियारों से किया गया प्रत्येक वार प्रत्येक गवाह द्वारा समरुप तरीके से स्पष्ट किया जाय था। हम इसे तात्विक नहीं मानते हैं कि यदि कोई गवाह कहता है कि दौरा ने पहले उपहति कारित किया अथवा सुकरा या बैसकू ने पहले टांगी से मृतक पर वार किया। तथ्य बना रहता है कि गेंदल नगेसिया (मृतक) ने टांगी द्वारा कारित दो उपहति और बलुआ द्वारा कारित एक उपहति पाया था और अ॰ सा॰ 7 द्वारा इसका समर्थन किया गया है। पेराइटल अस्थि को कटने की उपहति कारित करते हुए उसकी गर्दन एवं मस्तक पर उपहतियाँ थी।

10. इन समस्त पहलूओं और उपर की गयी चर्चा पर विचार करते हुए, हम नहीं पाते हैं कि विचारण न्यायाधीश द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश किसी अवैधता, अस्पष्टता से पीड़ित है अथवा साक्ष्य के कुअधिमूल्यन पर आधारित है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने तर्कपूर्ण कारणों के साथ समस्त बिंदुओं पर चर्चा किया है। हम सत्र विचारण सं॰ 170 वर्ष 1996, पालकोट पी॰ एस॰ केस सं॰ 24 वर्ष 1995 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 366 वर्ष 1995 के तत्सम, के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1, गुमला द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक महसूस नहीं करते हैं।

11. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, राँची के अधीक्षक के कार्यालय से जारी सुखु नगेसिया के परिवार के सदस्यों को संबोधित दिनांक 11.1.2005 के मेमो सं॰ 136 के तहत जारी रिपोर्ट से प्रकट होता है कि सुखु नगेसिया, पुत्र स्वर्गीय छोटू नगेसिया की मृत्यु दिनांक 11.1.2005 को आर॰ आई॰ एम॰ एस॰, राँची में हो गयी है। यदि रिपोर्ट सही है, अपीलार्थी सुखु नगेसिया के विरुद्ध अपील उपशमनित हो जाएगी।

12. अपीलार्थीगण दौरा नगेसिया एवं बैसकू नगेसिया पहले से ही कारा में है। शेष अपीलार्थीगण अर्थात् सोदेर नगेसिया, चरकू नगेसिया, बुदा नगेसिया, जगत नगेसिया, जीतू नगेसिया, सुकरा नगेसिया और गंडूर नगेसिया जमानत पर हैं, उनका जमानत बंधपत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। उन्हें दंडादेश भुगतने के लिए आज के दिन से छह सप्ताह के भीतर दोष सिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है जिसके अनुपालन में विफल रहने पर दोषसिद्ध करने वाला/उत्तरवर्त्ती न्यायालय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेशिका जारी करेगा और न्यायालय जमानत राशि समपहृत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करेगा।

13. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

अरुण कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (PIL) No. 7525 of 2013. Decided on 9th March, 2016.

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995—धारा 33—आरक्षण का क्रियान्वयन–निःशक्त व्यक्ति को रोस्टर बिंदु संख्या 1 से 33 के बीच आने वाले पदों में से किसी एक पर नियुक्त करना होगा और ऐसा नहीं है कि केवल रोस्टर बिंदु संख्या 33 पर एक पद ही आरक्षित किया जा सकता है–दिव्यांगों के लिए आरक्षण कुल कैडर संख्या के आधार पर विनिश्चित करना होगा और इसे विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या में क्रियान्वित किया जाएगा–समस्त स्थापनों को दिव्यांगों के लिए न्यूनतम 3% आरक्षण सुनिश्चित करना होगा। (पैराएँ 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(1993) 2 SCC 411; (2010) 7 SCC 626; (2013) 10 SCC 772; AIR 2014 SC 2869—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, Suchitra Pandey, For the Petitioner; Mr. Ajit Kumar, For the Resp.-State; Mr. Sanjay Piprawall, For the Resp.-J.P.S.C..

आदेश

याची झारखंड विकलांग मंच (जे॰ वी॰ एम॰) का अध्यक्ष है जिसने दिव्यांगों के लिए अनेक जागरुकता अभियान चलाया है। रिट याचिका में प्रक्षेपित विवाद्यक यह है कि ''क्या नि:शक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन आरक्षण केवल विज्ञापित पदों की कुल संख्या अथवा कैडर संख्या के मुकाबले विज्ञापित पदों की संख्या पर विचार करते हुए क्रियान्वित करना होगा?'' झारखंड सरकार द्वारा प्रतिशपथ में अपनाए गए दृष्टिकोण ने हमें विस्तारपूर्वक विवाद्यक पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।

2. नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 नि:शक्तता अधिकार आंदोलन का परिणाम है जिसने दिसंबर, 1992 में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की बीजिंग बैठक में गति पाया जहाँ ''एशिया-पैसिफिक नि:शक्त व्यक्ति दशक 1993-2002" आरंभ किया गया था। भारत सरकार ने ''एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी एवं समानता पर उद्घोषणा'' के अधीन अपनी बाध्यता के निर्वहन में दिनांक 26.8.1995 को लोकसभा में विषय पर विधेयक पुर:स्थापित किया जो वर्तमान नि:शक्तता अधिनियम, 1995 है। ''1995 अधिनियम अधिनियमित करने के लिए'' उद्देश्यों एवं कारणों की प्रस्तावना इसे प्रकट करती है कि नि:शक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव दूर करना, नि:शक्त व्यक्तियों के दुरुपयोग एवं शोषण की किसी स्थिति के प्रति कार्रवाई करना और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता की रणनीति अधिकथित करना राज्य की जिम्मेदारी है। नि:शक्तता अधिनियम, 1995 केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा पूर्णत: अथवा मुख्य रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त स्थापनों पर प्रयोज्य है। धारा 2 (k) के अधीन ''स्थापना'' की परिभाषा सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार अथवा सरकारी कंपनी के स्वामित्व वाला अथवा सहायता प्राप्त निगम प्राधिकरण अथवा निकाय सम्मिलित करती है। धारा 32 आज्ञा देती है कि समुचित सरकार स्थापनों में पदों को चिन्हित करेगी जिन्हें नि:शक्त व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकता है और इस प्रकार चिन्हित पदों की सूची का तीन वर्षों के भीतर सावधिक अंतरालों में पुनर्विलोकन करेगी।

3. धारा 33 भरी जाने वाली रिक्तियों में (i) अंधापन अथवा कमजोर दृष्टि, (ii) श्रवण दुर्बलता और (iii) लोकोमोटर नि:शक्तता अथवा सेरिब्रल पालसी की नि:शक्तता वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए 3% से अन्यून आरक्षण आज्ञापक बनाती है। धारा 36 प्रावधानित करती है कि रिक्तियाँ, जो किसी भरती वर्ष में उपयुक्त नि:शक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से खाली रह गयी, उत्तरवर्ती भरती वर्ष में आगे ले जायी जाएगी। नि:शक्त व्यक्तियों को 3% से अन्यून आरक्षण प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता आगे धारा 36 में परिलक्षित होती है जो प्रावधानित करती है कि यदि उत्तरवर्ती भरती वर्ष में भी उपयुक्त नि:शक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, पद पहले तीन कोटियों के बीच विनिमय द्वारा भरा जा सकता है और केवल तब जब उस वर्ष में पद के लिए ''नि:शक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है,'' नियोक्ता नि:शक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्तियाँ भरेगा। धारा 36 आगे प्रावधानित करती है कि ''यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दी गयी कोटि के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, रिक्तियों का तीन कोटियों के बीच समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन से विनिमय किया जा सकता है।''

4. नि:शक्तता अधिनियम उनको समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिए नि:शक्त व्यक्तियों पर विचार करने वाला विशेष विधान है, यह विवादित नहीं है। अधिनियम की धारा 72 प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा उसके अधीन जारी किसी नियमावली, आदेश अथवा कोई अनुदेश, जिसे ''नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ'' के लिए अधिनियमित अथवा जारी किया गया है, के अल्पीकरण में नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त होगी।

5. यहाँ यह गौर करना संदर्भ के बाहर नहीं होगा कि सरकारी पदों के लिए स्पर्धा करने के लिए समान अवसर पाने के लिए चाक्षुक रूप से विकलांग व्यक्ति के अधिकार को 1995 अधिनियम के अधिनियमन के पहले ही मान्यता दी गयी थी। **राष्ट्रीय दृष्टिहीन फेडरेशन बनाम संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य, (1993)2 SCC 411,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को पात्र दृष्टिहीन अथवा आंशिक रूप से दृष्टिहीन उम्मीदवारों को ब्रेल लिपि में अथवा लेखकों की मदद से सिविल सेवा परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

6. भारत सरकार, सचिव के माध्यम से एवं एक अन्य बनाम रवि प्रकाश गुप्ता एवं एक अन्य, (2010)7 SCC 626, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधान के आशय के संबंध में विवाद्यक का परीक्षण किया कि ''क्या धारा 33 के अधीन आरक्षण पहचान पर निर्भर है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नि:शक्तता अधिनियम, 1995 का उद्देश्य परिपूर्ण किया जाय, अभिनिर्धारित किया कि,–

> *"25.... ,lh fu;fDr d fy, mldh èkkjk 32 d vèkhu mi;Dr ink dh igpku d ckn gh fu%'kDrrk vfèkfu;e] 1995 dh èkkjk 33 d çkoèkkuk d fØ;kUo;u d lcèk e Hkkjr l?k dh vkj l fd;k x;k fuonu ml foèkk;h vk'k; d foijhr tkrk g ftld lkFk vfèkfu;e vfèkfu;fer fd;k x;k FkkA ,l fuonu dk Lohdkj djuk ,lh fLFkfr Lohdkj dju d rY; gkxk tgk iokDr vfèkfu;e dh èkkjk 33 d çkoèkkuk dk ukdj'kkgh fuf"Ø;rk }kjk vfuf'pr le; rd çkLFkfxr j[kk tk ldrk FkkA mPp U;k;ky; d le{k ;kfp;k }kjk fy;k x;k nf"Vdk.k lgh çdkj l vLohdkj fd;k x;k Fkk-----**

7. झारखंड सरकार ने दिनांक 7.11.2007 का परिपत्र जारी किया है जिसके अधीन रोस्टर बिंदु 1 से 33 तक से एक पद, रोस्टर बिंदु 34 से 67 तक से एक पद और रोस्टर बिंदु 68 से 100 तक से एक पद क्रमश: (1) अंधापन अथवा कमजोर दृष्टि (ii) श्रवण अक्षमता और (iii) चलने-फिरने की नि:शक्तता अथवा सेरिब्रल नि:शक्तता से पीड़ित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। परिपत्र का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *^^dkfed] i'kklfud lq/kkj rFkk jktHkk"kk foHkkx] >kj[k.M] jkph }kjk fuxr jkT; ,o ftyk Lrj ij fu/kkfjr jkLVj e fodykxk dk fcUn fu/kkfjr ugh fd;k x;k gA vr% dkfed] i0l0 rFkk jktHkk"kk foHkkx] >kj[k.M] jkph }kjk fuxr ldYi l0 6329 fnukd 20.11.2003 ¼jkT; Lrj dk jkLVj½ ,o 6704 fnukd 10.12.2003 ¼ftyk Lrj dk jkLVj½ }kjk fuxr jkLVj d vkykd e mDr fodykxk dk fuEukfdr J[kyk d vrxr vkj{k.k n; gkxk%&*
>
> *¼d½ nf"V fu%'kDrrk & jkLVj fcUn 01 l 33 rd ¾01 in*
>
> *¼[k½ ed cf/kj fu%'kDrrk & jkLVj fcUn 34 l 67 rd ¾ 01 in*
>
> *¼x½ pyu fu%'kDrrk & jkLVj fcUn 68 l 100 rd ¾ 01 in*
>
> *9- fu%'kDr 0;fDr ¼leku volj] vf/kdkj] lj{k.k ,o i.k Hkkxhnkjh½ vfèkfu;e] 1995 dh /kkjk 36 tk fuEuor g] d vu:i u Hkjh xb fjfDr;k dk vxf.kr fd, tku d lc/k e dkjokb dh tk ldxhA*

*tgk fdlh Hkrh o"k e /kkjk 33 d v/khu fdlh fjfDr d fdlh mi;Dr fu%'kDr 0;fDr dh vuiyC/krk d dkj.k ;k fdUgh vU; i;kIr dkj.k l Hkjk ugh tk ldrk g] ogk ,slh fjfDr vxyh o"k e vxxf.kr dh tk;xh vkj ;fn vxy Hkrh o"k e Hkh mi;Dr fu%'kDr 0;fDr miyC/k ugh g] rk bl igy rhuk ioxk d chp ijLij ifjoru }kjk Hkjk tk ldxk vkj doy rHkh tc ml o"k e in d fy, dkb fu%'kDr 0;fDr miyC/k ugh g] fu;kt d fu%'kDr 0;fDr l fHkUu fdlh vU; 0;fDr dh fu;fDr djd fjfDr dk Hkjxk*A

*ijUr ;fn fdlh LFkkiuk e fjfDr;k dh idfr ,slh gk fd fdlh fuf'pr iox d 0;fDr dk fu;kftr ugh fd;k tk ldrk g] rk fjfDr;k ljdkj d iokueknu l rhuk ioxk d chp ijLij ifjofrr dh tk ldxhA***

8. किंतु, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य ने दृष्टिकोण लिया है कि धारा 33 के अधीन आरक्षण की संगणना रिक्तियों जिन्हें भरा जाना है के आधार पर की जानी है।

9. विद्वान अवर महाधिवक्ता श्री अजित कुमार निवेदन करते हैं कि केवल ऐसे मामलों में, जहाँ कम से कम 33 रिक्तियाँ विज्ञापित की गयी है, धारा 33 के अधीन लाभ प्रदान करने के लिए एक पद आरक्षित किया जाएगा और यदि विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या 33 से न्यून है, नि:शक्तता से पीड़ित व्यक्तियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अपने प्रतिवाद को आगे विस्तार देते हुए, विद्वान अपर महाधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विज्ञापित पदों में आरक्षण धारा 33 के अधीन उल्लिखित व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग के लिए रोस्टर बिंदु संख्या 33, 67 एवं 100 पर होगा और न कि किसी अन्य रोस्टर बिंदु पर।

10. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य की ओर से किया गया अभिवचन भ्रामक है। प्रतिशपथ पत्र में, झारखंड राज्य ने दृष्टिकोण लिया है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, द्वारा जारी दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन का अनुसरण करते हुए दिनांक 7.11.2007 का परिपत्र जारी किया गया है। दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन का खंड 15 प्रावधानित करता है कि समस्त स्थापन 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर रजिस्टर रखेंगे और प्रत्येक रजिस्टर का 100 बिंदु का चक्र होगा। यह आगे प्रावधानित करती है कि 100 बिंदु का प्रत्येक चक्र का समान रूप से विभाजित तीन समूह होंगे।

11. सुनवाई के क्रम के दौरान याची के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा ने खंड 15 (c) पर जोर दिया जबकि विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री अजित कुमार ने खंड 15 (d) से खंड 15 (i) निर्दिष्ट किया। दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन के खंड 15 का पठन निम्नलिखित है:–

"15. ***vkj{k.k çHkkodkjh cuk;k tkuk%***

(a) leLr LFkkiu fu%'kDr d fy, vkj{k.k fofuf'pr dju@çHkkodkjh cuku d fy, ifjf'k"V&II e fn, x, QkeV e iFkd 100 fcn vkj{k.k jkLVj jftLVj j[kx(çR;{k Hkjrh l Hkj x, leg 'A' ink] çR;{k Hkjrh }kjk Hkj x, leg 'B' ink] çR;{k Hkjrh }kjk Hkj x, leg 'C' ink] çkUufr }kjk Hkj x, leg 'C' ink] çR;{k Hkjrh }kjk Hkj x, leg 'D' ink vkj çkUufr }kjk Hkj x, leg 'D' ink e l çR;d d fy, ,d&,dA

(b) çR;d jftLVj dk 100 fcnvk dk pØ gkxk vkj 100 fcnvk dk çR;d pØ fuEufyf[kr fcnvk l xfBr rhu Cykd e foHkkftr fd;k tk,xk%&

çFke Cykd&fcn l0 1 l fcn l0 33

f}rh; Cykd&fcn l0 34 l fcn l0 66

rrh; Cykd&fcn l0 67 l fcn l0 100

(c) jkLVj dk fcn 1, 34 ,o 67 fu%'kDr 0;fDr;k d fy, vkjf{kr d.kkfdr fd;k tk,xk&fu%'kDrrkvk dh rhu dkfV;k e l çR;d d fy, ,d fcnA LFkkiu dk vè;{k fu%'kDrrkvk dh dkfV;k fofuf'pr djxkA ft ld fy, leLr çklfxd rF;k dk è;ku e j[kr g, fcn 1, 34 ,o 67 vkjf{kr fd;k tk,xkA

(d) LFkkiu e mnHkr gku oky çR;{k Hkjrh dkVk e vku oky leg 'C' ink e leLr fjfDr;k çklfxd jkLVj jftLVj e çfo"V dh tk,xhA ;fn fcn l0 1 ij vku oky in fu'kDr d fy, fpfUgr ugh fd;k x;k g vFkok LFkkiu dk vè;{k bl fu%'kDr 0;fDr }kjk Hkjk tkuk okNuh; ugh ekurk g vFkok fdlh vU; dkj.k l fu%'kDr }kjk ml in dk Hkjuk lHko ugh g] fcn 2 l 33 d chp fcnvk e l fdlh ij vku okyh fjfDr;k e l ,d dk fu%'kDr d fy, vkjf{kr ekuk tk,xk vkj bl çdkj Hkjk tk,xkA blh çdkj l] fcn 34 l 66 vFkok fcn 67 l 100 d chp fcnvk e l fdlh ij vku okyh fjfDr fu%'kDr }kjk Hkjh tk,xhA fcnvk 1, 34 ,o 67 dk vkjf{kr d :i e j[ku dk ç;ktu fcn 1 l 33 rd çFke miyCèk mi;Dr fjfDr] fcn 34 l 66 rd çFke miyCèk mi;Dr fjfDr vkj fcn 67 l 100 rd çFke miyCèk mi;Dr fjfDr fu%'kDr 0;fDr;k }kjk Hkjh tkuh gA

(e) ;g lHkkouk g fd fcn 1 l 33 rd dh fjfDr;k e l dkb fu%'kDr dh fdlh dkfV d fy, mi;Dr ugh gA ml fLFkfr e] fcn 34 l 66 rd dh nk fjfDr;k fu%'kDr 0;fDr;k d fy, vkjf{kr d :i e Hkjh tk,xhA ;fn fcn 34 l 66 rd dh fjfDr;k Hkh fdlh dkfV d fy, mi;Dr ugh g] rhu fjfDr;k fcn 67 l 100 vrfo"V dju oky rrh; Cykd l vkjf{kr d :i e Hkjh tk,xhA bldk vFk g fd ;fn fdlh Cykd fo'k"k e dkb fjfDr vkjf{kr ugh dh tk ldrh g] bl vxy Cykd e y tk;k tk,xkA

(f) jkLVj d leLr 100 fcnvk dk vkPNkfnr dju d ckn 100 fcnvk dk u;k pØ vkjHk gkxkA

(g) ;fn fjfDr;k dh l[;k fdlh o"k e ,lh g rkfd ; doy ,d ;k nk Cykd vkPNkfnr dj ld] ;g Lofood fd fu%'kDr dh fdl dkfV d fy, igy txg cuk;k tkuk pkfg,] LFkkiu d vè;{k e fufgr gkxk] tk in dh çNfr d vkèkkj ij lcfèkr xM@in vkfn e fofufn"V fu%'kDr d çfrfufèkRo dk Lrj fofuf'pr djxkA

(h) çkUufr }kjk Hkj x, leg 'C' ink d fy, iFkd jkLVj j[kk tk,xk vkj çfØ;k] tlk mij Li"V fd;k x;k g] dk vulj.k fu%'kDr 0;fDr;k dk vkj{k.k nu d fy, fd;k tk,xkA blh çdkj l] leg 'D' ink d fy, nk iFkd jkLVj j[k tk,x] ,d çR;{k Hkjrh }kjk Hkj x, ink d fy, vkj nljk çkUufr }kjk Hkj x, ink d fy,A

(i) leg 'A' ,o leg 'B' e vkj{k.k doy fpfUgr ink e fjfDr;k d vkèkkj ij fofuf'pr fd;k tkrk gA LFkkiu e leg 'A' ink ,o leg 'B' ink d fy, iFkd jkLVj j[k tk,xA leg 'A' ,o leg 'B' ink d fy, j[k x, jkLVj e fpfUgr ink e mnHkr gku okyh çR;{k Hkjrh dh leLr fjfDr;k çfo"V dh tk,xh vkj ml rjhd l vkj{k.k çHkkoh cuk;k tk,xk tlk mij Li"V fd;k x;k gA**

12. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिवाद करने के लिए काफी जोर दिया गया था कि क्या नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर बिंदु सं॰ 1 से 33, 34 से 67 और 68 से 100 तक से अथवा केवल रोस्टर बिंदुओं 1 अथवा 33, 67 एवं 100 से उपलब्ध पदों पर किया जा सकता है। दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन का खंड 15 (c) प्रावधानित करता है कि रोस्टर का रोस्टर बिंदु सं॰ 1, 34 एवं 67 नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कर्णांकित किया जाएगा और स्थापन के अध्यक्ष में नि:शक्तताओं की कोटियाँ विनिश्चित करने की शक्ति निहित की गयी है जिसके लिए रोस्टर बिंदु सं॰ 1, 34 एवं 67 आरक्षित किया जाएगा। किंतु, खंड 15 (d) खंड 15 (c) के अधीन बाध्यता के प्रति अपवाद अलग करता है। खंड 15 (d) का सादा पठन प्रकट करता है कि यदि रोस्टर बिंदु 1 पर आने वाला पद नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पहचाना नहीं गया है अथवा नि:शक्त व्यक्ति द्वारा रोस्टर बिंदु सं॰ 1 पर पद भरा जाना वांछनीय नहीं है, रोस्टर बिंदुओं 2 से 33 तक में से किसी पर आने वाली रिक्तियों में से एक नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित के रूप में मानी जाएगी। हमारे मत में, रोस्टर बिंदु सं॰ 2 से 33 तक एक रिक्ति आरक्षित रखना इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि नि:शक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को रोस्टर बिंदु संख्या 1 से 33 के बीच आने वाले पदों में से किसी एक पर नियुक्त करना होगा और ऐसा नहीं है कि केवल रोस्टर बिंदु संख्या 33 पर ही एक पद आरक्षित किया जा सकता है। यदि नि:शक्तता अधिनियम, 1955 के अधीन आज्ञा क्रियान्वित करते हुए नि:शक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 33 की ऐसी व्याख्या की जाती है, जैसा प्रत्यर्थी झारखंड राज्य की ओर से प्रचारित किया गया है, जिस उद्देश्य से नि:शक्तता अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया गया है विफल हो जाएगा। **भारत संघ एवं एक अन्य बनाम राष्ट्रीय नेत्रहीन फेडरेशन, (2013)10 SCC 772,** में भारत संघ द्वारा किया गया अभिवचन कि आरक्षण की संगणना केवल चिन्हित पदों के विरुद्ध होनी होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है। **राष्ट्रीय नेत्रहीन फेडरेशन (ऊपर)** मामले के पैराग्राफ सं॰ 52 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"52. vr% xHkhj fopkj d ckn gekjk nf"Vdk.k g fd fu%'kDr 0;fDr;k d fy, vkj{k.k dh lx.kuk leg A, B, C ,o D ink d ekey e In'k rjhd l djuh gkxh vFkkr ^^dMj l[;k e fjfDr;k dh dy l[;k ij 3% vkj{k.k lxf.kr djr g,** tk foèkkueMy dk vk'k; gA rnu lkj] fnukd 29.12.2005 d vk0 ,e0 e dfri; [kM tk mDr rd d foijhr g fo[kfMr fd, tkr g vkj ge lefpr ljdkj dk bl U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k; d lkFk lxr u, dk;ky; Kkiuk dk tkjh dju dk fun'k fnr gA**

13. नि:शक्तता अधिनियम, 1955 के अधीन प्रावधानों एवं **राष्ट्रीय नेत्रहीन फेडरेशन (ऊपर)** में निर्णय पर विचार करते हुए एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षण कुल कैडर संख्या के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा और इसे विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या पर क्रियान्वित किया जायेगा। उदाहरणस्वरुप, यदि 100 पदों की कुल कैडर संख्या के विरुद्ध केवल 20 रिक्तियाँ विज्ञापित की गयी हैं, धारा 33 में उल्लिखित नि:शक्तताओं की तीनों कोटियों में से किसी एक के लिए एक पद आरक्षित रखा जा सकता है, यदि कोई पद व्यक्तियों की ऐसी कोटि को आरक्षण का लाभ देने के लिए चिन्हित किया जा सकता है। रोस्टर बिंदु संख्या 1 से 20 तक से पद चिन्हित नहीं किए जा सकने की स्थिति में, रोस्टर बिंदु सं॰ 1 से 33 तक से एक रिक्ति धारा 33 के अनुरुप नि:शक्तताओं की तीन कोटियों में से किसी एक के लिए आरक्षित रखी जाएगी। किंतु, इस बिंदु पर भी यदि नि:शक्तताओं की तीन कोटियों में से किसी एक के लिए कोई पद पहचाने जाने योग्य नहीं है, रोस्टर बिंदु सं॰ 33 से 67 तक से दो पद आरक्षित रखे जाएँगे और इसी प्रकार से, रोस्टर बिंदु संख्या 34 से 67 और रोस्टर बिंदु

संख्या 68 से 100 में पुनः आरक्षण क्रियान्वित करना होगा। धारा 33 के अधीन आरक्षण एस॰ सी॰/एस॰ टी॰/ओ॰ बी॰ सी॰ आदि के लिए आरक्षण की योजना से सुभिन्न है क्योंकि निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण क्षैतीजीय है और बिल्कुल यही कारण है कि रोस्टर बिंदु सं॰ 1 से 33, 34 से 67, 68 से 100 पर रोस्टर में हुई रिक्ति उपर्युक्त निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपलब्ध है। किसी भी स्थिति में, समस्त स्थापनों को दिव्यांगों के लिए न्यूनतम 3% आरक्षण सुनिश्चित करना होगा जैसा निःशक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 33 में उपदर्शित किया गया है।

14. किंतु, हम स्पष्ट करते हैं कि जब एक बार रोस्टर बिंदु संख्या 1 से 33 तक से पदों में से कोई एक आरक्षित रखा जाता है, दूसरी रिक्ति केवल रोस्टर बिंदु संख्या 34 से 67 तक से आरक्षित होगी। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या धारा 33 में उल्लिखित तीनों कोटियों में से किसी एक से आने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को धारा 33 के अधीन लाभ नहीं देने के लिए निःशक्तता नहीं होगी। पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, हम स्वयं को प्रत्यर्थी झारखंड राज्य की ओर से किए गए प्रतिवाद को स्वीकार करने में अक्षम पाते हैं कि केवल रोस्टर बिंदु संख्या 33, 67 एवं 100 पर रिक्तियाँ दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं।

15. प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थी झारखंड राज्य ने स्वीकार किया है कि विभिन्न विभागों के अधीन पदों की कुल संख्या चिन्हित नहीं की गयी है जैसी आज्ञा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राष्ट्रीय नेत्रहीन फेडरेशन (ऊपर)** मामले में दिया गया है। इस पर पुनः जोर देना महत्वपूर्ण है कि समस्त स्थापनों में 3% पदों का आरक्षण दिनांक 15.12.2000 से प्रभावी बनाया गया है जब बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन झारखंड राज्य स्थापित किया गया था। केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश जारी करते हुए, **न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारी फाउन्डेशन बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, AIR 2014 SC 2869** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"10. pkg tk Hkh gk] 1995 vfèkfu;e d ykHkdkjh çkoèkkuk dk o"kk rd doy dkxt ij cu jgu vkj rn}kjk ,l h fofèk ,o foèkk;h uhfr d ç;ktu dk gh foQy dju dh vuefr ugh nh tk ldrh gA l?k] jkT;k] l?k 'kkflr {k=k vkj mu lck] ftu ij 1995 vfèkfu;e d vèkhu ckè;rk Mkyh x;h g] dk bl çHkkodkjh :i l fØ;kfUor djuk gkxkA oLrr% bl tl ekeyk e ljdkjk dh Hkfedk lfØ; gkuh gkxhA tk fn0;kx g] mUg vurk"k çnku dju d ekeyk e dk;ikfydk dk nf"Vdk.k ,o jo;k mnkj ,o vurk"k e[kh gkuk pkfg, vkj u fd vojkèki.k ;k vkylhA bl ox tk fn0;kxk g d fy, FkkMh fprk mud thou e vk'p;tud ifjoru yk ldrk g vkj mudk Lo; ij fuHkj gku vkj fdlh vU; dh n;k ij ugh jgu e enn dj ldrk gA dY;k.kdkjh jkT;] tk Hkkjr g] dk gekj lekt d bl ox tk fn0;kxk l xfBr g dk viuk lokUke ,o fo'k"k è;ku nuk gkxkA ;gh lPph lekurk ,o leku volj dk çHkkodkjh çnUkdj.k gA***

> *11. 1995 vfèkfu;e ikfjr fd, tku d ckn 18 o"k l vfèkd chr x, g vkj ge vHkh Hkh l?k] jkT;k] l?kh; {k=k ,o vU; LFkkiuk ftud çfr bl ç;kT; cuk;k x;k g }kjk 1995 vfèkfu;e d li.k fØ;kUo;u dh leL;k dk lkeuk dj jg gA*

.....

*13. gekj nf"Vdk.k e] dn ljdkj] jkT; ljdkjk ,o l?kh; {k=k }kjk fdlh foyc d fcuk 1995 vfèkfu;e dk v{kj'kh ,o ijh rjg l fØ;kfUor djuk gkxk ;fn vc rd ugh fd;k x;k gA***

*14. rnulkj] ge dn ljdkj] jkT; ljdkjk ,o l?kh; {k=k dk rjUr vkj ldkjkRed :i l 2014 d vr rd 1995 vfèkfu;e d çkoèkkuk dk v{kj'kh ,o ijh rjg l fØ;kfUor dju dk fun'k nr gA***

16. तद्नुसार, हम निम्नलिखित अनुदेश जारी करते हैं:–

(i) çR;Fkh >kj[kM jkT; bl U;k;ky; d vkn'k d vkykd e fnukd 7.11.2007 dk ifji= mikrfjr@Li"V djr g, ifji= tkjh djxkA

(ii) çR;Fkh >kj[kM jkT; leLr LFkkiuk dk rhu ekg dh vofèk d Hkhrj miyCèk fjfDr;k dh l[;k dh lx.kuk dju ,o fn0;kxk d fy, ink dk fpfUgr dju dk fun'k nxk vkj ,lk leLr MkVk ykd {k= e miyCèk djk;k tk,xk vkj

(iii) çR;Fkh >kj[kM jkT; LFkkiu d vè;{k dk fuH'kDr 0;fDr;k d fy, vkj{k.k dh ;ktuk d xj&fØ;kUo;u d fy, futh :i l ftEenkj cukr g, leLr LFkkiuk dk fun'k tkjh djxk vkj fjfDr;k tk >kj[kM jkT; d ltu d ckn fjDr cuh jgh] fnukd 29.12.2005 d dk;ky; Kkiu d [kM 15(c) ,o 15 (d) d vèkhu minf'kr fjfDr;k d forj.k d le#i i)fr viukdj Hkjh tk,xhA

17. तद्नुसार, वर्तमान रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mhu ,uu mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

राम कुवर साहू एवं एक अन्य (838 में)

नन्हू साहू (823 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (DB) Nos. 838 with 823 of 2007. Decided on 11th February, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 294 वर्ष 2004 में श्री आनन्द कुमार गुप्ता, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 14 जून, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18 जून, 2007 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि–फर्दबयान दर्ज करने के तुरन्त बाद अन्वेषण किया गया था–अभिग्रहण सूची अथवा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में छल साधन अथवा लिप्त लेखन नहीं है–केवल इसलिए कि प्राथमिकी एक दिन के विलंब के बाद न्यायालय में प्राप्त की गयी थी, वह संपूर्ण अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा–घटनास्थल के संबंध में, यदि चश्मदीद गवाहों का बयान सत्य स्वीकार किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है–न्यायिक दंडाधिकारी के अपरीक्षण ने अपीलार्थियों पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं किया है–अभियोजन मामला एवं गवाहों का साक्ष्य एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्टों से समर्थन पाता है–अपीलें खारिज।

(पैराएँ 10 से 17)

अधिवक्तागण.—Mr. Anil Kumar, For the Appellants; M/s Ram Prakash Singh and Krishna Shankar, For the State.

न्यायालय द्वारा.—ये दांडिक अपीलें सत्र विचारण सं॰ 294 वर्ष 2004, गुमला, सिसई पी॰ एस॰ केस सं॰ 72 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 428 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 14 जून, 2007 तथा दिनांक 18 जून, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना का भुगतान करने के व्यतिक्रम में छह माह का अतिरिक्त सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. अभियोजन मामला, जैसा यह दिनांक 10 जुलाई, 2004 को प्रातः 6.15 बजे दर्ज अ॰ सा॰ 9 बिरसा खरिया के फर्दबयान से प्रतीत होता है, संक्षेप में यह है कि जवाहर रोजगार योजना के अधीन विरकेरा से घाघरा तक कच्ची सड़क के निर्माण की संविदा मंजूर की गयी थी। सूचक को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था जबकि मृतकों में से एक मारु महतो को ग्राम सभा के सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था, और उक्त सड़क का निर्माण कार्य ग्राम सभा के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाना था। उक्त सड़क के निर्माण का मूल्य 2.98 लाख रुपया था। सड़क का मुख्य भाग निर्मित किया गया था किंतु अपीलार्थियों द्वारा काम रोक दिया गया था क्योंकि वे सड़क को अपनी भूमि से होकर जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। मामले को प्रखंड कार्यालय के ध्यान में लाया गया था किंतु कोई समाधान नहीं पाया गया था। चूँकि सड़क का निर्माण पूरा किया जाना था, मृतक मारु महतो सहित सूचक एवं ग्राम सभा के सदस्यों ने रात के दौरान सड़क पूरा करने का निर्णय किया था। यह प्रकट किया गया है कि मृतक मारु महतो कुछ मजदूरों के साथ दिनांक 9 जुलाई, 2004 को रात्रि लगभग 8.30 बजे सड़क निर्माण पूरा करने के लिए घटना स्थल पर गया था। ज्योंही काम शुरू हुआ, अपीलार्थीगण अपने सहयोगियों के साथ बलुआ, भाला एवं टांगी से लैस होकर घटना स्थल पर आए और अपीलार्थी राम कुंवर साहू ने बलुआ से मारु महतो के पेट पर वार किया। तत्पश्चात, साथी अभियुक्तों ने भी भाग लिया और मारु महतो पर प्रहार कारित किया। वे कह रहे थे कि वे किसी को नहीं छोड़ेंगे जो उनकी भूमि पर सड़क का निर्माण करने का साहस करेगा। तत्पश्चात, अपीलार्थियों ने अपने सहयोगियों के साथ मजदूरों में से एक अर्थात् मंगा खरिया पर प्रहार कारित किया और उसकी हत्या कर दी।

अगली सुबह 6.15 बजे बिरसा खरिया का फर्दबयान दर्ज किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन गुमला, सिसई पी॰ एस॰ केस सं॰ 72 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ सं॰ 428 वर्ष 2004 के तत्सम, दर्ज किया गया था।

3. पुलिस ने सम्यक् अन्वेषण के बाद अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र विचारण सं॰ 294 वर्ष 2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया।

विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया और दंडादेश अधिरोपित किया जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

4. अपीलार्थियों ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि अ॰ सा॰ 2 लक्ष्मी नाथ ओराँव, अ॰ सा॰ 3 तेतरू महली, अ॰ सा॰ 5 सुकरा लोहरा और अ॰ सा॰ 7 सुरेन्द्र साहू ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और वे पक्षद्रोही हो गए हैं। अ॰ सा॰ 9 बिरसा खरिया सूचक है। यद्यपि उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है किंतु उसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है जैसा उसके द्वारा अपने फर्दबयान में बनाया गया है। उसने केवल फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया है किंतु उसमें किए गए प्रतिवाद को स्वीकार नहीं किया था। फर्दबयान के अनुसार, वह घटना का चश्मदीद गवाह था, किंतु न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य के अनुसार वह कहता है कि दिनांक 10 जुलाई, 2004 को प्रातः वह जान सका था कि मारु महतो एवं मंगा खरिया की हत्या कर दी गयी है। अभियोजन ने चतुरता से उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया था। करमू महतो अ॰ सा॰ 1 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और अभिग्रहण सूची का गवाह है। भीखम साहू अ॰ सा॰ 8 अनुश्रुत गवाह है जबकि उदय कुमार सिंह औपचारिक गवाह है और उसने औपचारिक प्राथमिकी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची में आने वाले आर॰ पी॰ गुप्ता के हस्ताक्षर को सिद्ध किया है। डॉ॰ मानवेन्द्र कुमार सिंह अ॰ सा॰ 11 ने मारु महतो एवं मंगा खरिया के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है। अभियोजन मामला मुख्यतः अ॰ सा॰ 4 घूरा ओराँव एवं अ॰ सा॰ 6 नवल गोप के साक्ष्य पर टिका है। अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के अनुसार, उसने अभियुक्त नन्हू साहू को पहचाना है। उसने अपीलार्थियों राम कुवर साहू एवं चंदर साहू को नामित नहीं किया था। अपने प्रति परीक्षण में, उसने अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन नहीं किया है और उसने कहा है कि प्रहार शुरू होने के बाद वह घटना स्थल से चला गया था। अगली सुबह, वह दो व्यक्तियों अर्थात् मारु महतो एवं मंगा खरिया की मृत्यु के बारे में जान सका था। उसने कथन नहीं किया है कि नन्हू साहू ने मृतकों में से किसी पर प्रहार कारित किया।

5. यह निवेदन किया गया है कि नवल गोप अ॰ सा॰ 6 विश्वसनीय गवाह नहीं है। उसने स्वयं को चश्मदीद गवाह के रूप में प्रक्षेपित किया है, किंतु उसका बयान तीन दिन बाद दर्ज किया गया था और इसे उसके द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया गया है। वह एकमात्र गवाह है जिसने घटना का वर्णन किया है और अपीलार्थियों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों को प्रकट किया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 6 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 8 में कहा है कि ''जहाँ काम हो रहा था, वह जमीन दयाल बरायक एवं डोमन बरायक की थी।'' यदि इस गवाह का प्रतिवाद सही है, घटनास्थल जैसा सूचक द्वारा प्रकट किया गया है, वही नहीं है। अभियोजन मामला के अनुसार, रात में सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का फैसला किया गया था। यह प्रकट किया गया है कि घटना शुरू हुई जब मृतकों मारु महतो ने अपीलार्थियों की भूमि पर काम शुरू किया था। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। अतः, अभियोजन घटना स्थल सिद्ध करने में विफल रहा है। अ॰ सा॰ 6 का परिसाक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है और ऐसे गवाह के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती थी।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि न्यायालय को प्राथमिकी भेजने में विलंब हुआ था। प्राथमिकी दिनांक 10 जुलाई, 2004 को दर्ज की गयी थी, किंतु इसे विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2004 को प्राप्त किया गया था। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को प्राथमिकी भेजने में विलंब क्यों हुआ था, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। पुनः अन्वेषण अधिकारी का गैर-परीक्षण घातक बन जाता है। यदि उसका परीक्षण किया गया होता, सत्य का पता लगाने के लिए प्रति परीक्षण

किया गया होता। रक्तरंजित मिट्टी एवं कुछ हथियारों को जब्त किया गया था किंतु उन वस्तुओं का क्या हुआ, अज्ञात बना हुआ है और वह भी अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण। न्यायिक दंडाधिकारी जिन्होंने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन नवल गोप अ॰ सा॰ 6, सुरेन्द्र साहू अ॰ सा॰ 7, करमू महतो अ॰ सा॰ 1, बिरसा खरिया अ॰ सा॰ 9 के बयानों को दर्ज किया था, का परीक्षण नहीं किया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी, जिन्होंने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन गवाहों का बयान दर्ज किया था, के अपरीक्षण के कारण अपीलार्थीगण न्यायालय में अपने परीक्षण के दौरान पूर्वोक्त बयानों को निर्दिष्ट करने का अवसर नहीं पा सके थे।

7. विद्वान अधिवक्ता ने उपर प्रकाशमान बिंदुओं को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया है कि अभियोजन अपनी बाध्यता का पालन करने में विफल रहा है और इसने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन मामला सिद्ध नहीं किया है और, इसलिए, अपीलार्थियों के विरुद्ध विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने का दायी है।

8. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि चश्मदीद गवाह के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि बयान पूर्णत: विश्वसनीय एवं अनधिक्षेपणीय है। समय के प्रासंगिक बिंदु पर घटना स्थल पर अ॰ सा॰ 6 नवल गोप की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह उस कच्ची सड़क के निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में काम पर लगा हुआ था। अपीलार्थियों द्वारा सबक सिखाने की धमकी दी गयी थी यदि सूचक और उसके साथी उनकी भूमि पर सड़क बनाना जारी रखने का साहस करेंगे। मामला प्रखंड कार्यालय के ध्यान में लाया गया था, किंतु कोई फलदायी हल नहीं पाया गया था। तत्पश्चात, सूचक एवं मृतक मारु महतो ने रात के दौरान काम करवाने का निर्णय लिया था और उसके लिए वे घटना स्थल पर मजदूरों के साथ जमा हुए थे। ज्योंही काम शुरू हुआ, अपीलार्थीगण अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर आए और तुरन्त उन्होंने बलुआ, भाला एवं टांगी से मारु महतो को उपहति कारित किया। तब मजदूरों में से एक, अर्थात, मंगा खरिया को लक्ष्य बनाया गया था और उसे भी उपहति कारित की गयी थी। सूचक सहित अन्य मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। अ॰ सा॰ 6 नवल गोप का साक्ष्य प्रहार के बिंदु पर अक्षुण्ण है। उसने अपीलार्थियों द्वारा प्रयुक्त हथियारों का वर्णन किया है। न्यायालय द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसका परीक्षण भी किया गया था जिसमें उसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज बयान (प्रदर्श 4) पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार एवं सिद्ध किया था।

विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि ऐसी स्थिति में, कुछ गवाह मामले का समर्थन करते हैं और कुछ गवाह भय के कारण समर्थन नहीं करते हैं और यही वर्तमान मामले में भी हुआ है। अन्वेषण अधिकारी का गैर-परीक्षण किसी तरीके से अपीलार्थियों पर प्रतिकूलता कारित करता प्रतीत नहीं होता है। किसी भी गवाह के मुख से विरोधाभास नहीं निकलवाया गया है। जहाँ तक घटना स्थल सिद्ध करने का संबंध है, चश्मदीद गवाहों ने अपने अभिसाक्ष्यों में घटना स्थल सटीक रूप से बताया है। कहानी अत्यन्त स्पष्ट है, सड़क निर्माण पूरा किए जाने की संभावना थी, किंतु इसे अपीलार्थियों की भूमि के निकट रोका गया था किंतु सूचक एवं उसके साथी इसे पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। घटनास्थल के बिंदु पर बचाव अधिवक्ता द्वारा किसी गवाह से विनिर्दिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया है। आगे, अपीलार्थीगण कोई साक्ष्य देकर अथवा किसी तात्विक गवाह के मुख से कोई चीज निकलवाकर अथवा अभिलेख पर मौजूद किसी दस्तावेज पर विश्वास करके अभिलेख पर यह लाने में विफल रहे हैं कि प्राथमिकी पूर्वदिनांकित अथवा

पश्च दिनांकित थी और, केवल इसलिए, कि दो दिन के विलंब के बाद न्यायालय में प्राथमिकी प्राप्त की गयी थी, वह संपूर्ण अभियोजन मामले को ठुकराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अभियोजन ने अपना मामला सुसिद्ध किया है और इन अपीलों में कोई गुणागुण नहीं है।

9. परस्पर विरोधी निवेदन सुने गए, मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया, साक्ष्य एवं उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया गया। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने दो बिंदुओं पर जोरदार तर्क किया है: प्रथम बिंदु यह है कि प्राथमिकी दिनांक 12 जुलाई, 2004 को न्यायालय में प्राप्त की गयी थी, जबकि मामला दिनांक 10 जुलाई, 2004 को दर्ज किया गया था। प्राथमिकी भेजने में दो दिनों का विलंब स्पष्ट नहीं किया गया है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 157 (1) के मुताबिक, प्रभारी–अधिकारी दंडाधिकारी को तुरन्त सूचना भेजने की बाध्यता के अधीन है जो संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा बिंदु अन्वेषण अधिकारी एवं न्यायिक दंडाधिकारी जिन्होंने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन गवाहों का बयान दर्ज किया था का गैर परीक्षण है।

10. प्रथम बिंदु का उत्तर देने के लिए, हमने उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार, घटना दिनांक 9 जुलाई, 2004 को अपराह्न लगभग 9 बजे हुई; फर्दबयान दिनांक 10 जुलाई, 2004 को प्रात: 6.15 बजे दर्ज किया गया था और फर्दबयान के आधार पर दिनांक 10 जुलाई, 2004 का गुमला, सिसई पी॰ एस॰ केस सं॰ 72 वर्ष 2004 अपराह्न 12.15 बजे दर्ज किया गया था। फर्दबयान दर्ज करने के बाद, घटना स्थल पर अन्वेषण आरंभ किया गया था और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी। अन्वेषण अधिकारी ने आगे अंतिम छोर पर टूटे बाँस के हैंडल के साथ रक्तरंजित बलुआ, एक चादर, रक्त रंजित मिट्टी जब्त किया है और तद्नुसार, घटनास्थल पर अ॰ सा॰ 6 नवल गोप एवं अ॰ सा॰ 1 करमू महतो की उपस्थिति में दिनांक 10 जुलाई, 2004 को प्रात: 6.30 बजे अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। दोनों गवाहों ने अभिग्रहण सूची पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है। उसी दिन पर अर्थात् दिनांक 10 जुलाई, 2004 को प्रात: 9.15 बजे टूटे बाँस का भाग, लगभग 3 फीट लंबा, रक्तरंजित कुल्हाड़ी और एक रक्तरंजित डाव (तेज धार वाला हथियार) अपीलार्थी नन्हू साहू के घर से बरामद किया गया था और कि अभिग्रहण अ॰ सा॰ 1 करमू महतो एवं अ॰ सा॰ 6 नवल गोप द्वारा देखा एवं हस्ताक्षरित किया गया था और उन्होंने अभिग्रहण सूची पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। पूर्वोक्त अभिग्रहण सूचियों को प्रदर्श 10 एवं 10/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। अत:, हम पाते हैं कि फर्दबयान दर्ज कराने के तुरन्त बाद अन्वेषण किया गया था और हम अभिग्रहण सूचियों अथवा मृत्यु समीक्षा रिपोर्टों में कोई छल साधन अथवा लिप्त लेखन नहीं पाते हैं।

11. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 157(1) कहती है कि यदि संज्ञेय अपराध की कारिता के संबंध में कोई सूचना पुलिस को दी जाती है, प्रभारी अधिकारी इसे तुरन्त निकटतम दंडाधिकारी को प्रेषित करेगा जो संज्ञान लेने के लिए सशक्त है और अन्वेषण के लिए अग्रसर होगा। चूँकि फर्दबयान दर्ज करने के बाद घटनास्थल पर अन्वेषण आरंभ हुआ, औपचारिक प्राथमिकी उस तिथि का अन्वेषण पूरा करने के बाद दिनांक 10 जुलाई, 2004 को लिखी गयी थी और केवल एक दिन बाद दिनांक 12 जुलाई, 2004 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा प्राप्त की गयी थी। हम निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों में से किसी में कोई अवैधता, अनियमितता अथवा छल साधन नहीं पाते हैं और केवल इसलिए कि प्राथमिकी न्यायालय में एक दिन के विलंब के बाद प्राप्त की गयी थी, वह संपूर्ण अभियोजन मामला खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

12. विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया अगला बिंदु अन्वेषण अधिकारी का गैर–परीक्षण और न्यायिक दंडाधिकारी जिन्होंने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन गवाहों के बयानों को दर्ज किया था का गैर–परीक्षण है। हमने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य का परिशीलन किया है और हम नहीं पाते हैं कि किसी भी गवाह के मुख से विरोधाभास निकलवाया गया है। यह प्रतीत होता है कि गवाह, जिन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज अपने बयानों पर टिके रहे थे। हम उनके बयानों में कोई अतिशयोक्ति नहीं पाते हैं। जहाँ तक घटनास्थल सिद्ध करने का संबंध है, यदि चश्मदीद गवाहों के बयानों को सत्य स्वीकार किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। अभियोजन मामला के अनुसार, अपीलार्थियों की भूमि के निकट सड़क निर्माण रोक दिया गया था क्योंकि वे आपत्ति कर रहे थे। सड़क निर्माण का काम पूरा करने के लिए सूचक एवं उसके साथियों ने रात के दौरान काम करने का निर्णय लिया था और वे रात्रि 8.30 बजे घटनास्थल पर जमा हुए थे। ज्यों ही काम शुरू हुआ, अपीलार्थीगण अपने सहयोगियों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर घटना स्थल पर आए और मृतक पर प्रहार करने लगे। फर्दबयान में यह प्रकट नहीं किया गया है कि घटना अपीलार्थियों की भूमि पर हुई, बल्कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य कहता है कि ज्योंही वे मिट्टी खोदने लगे, घटना हुई, सूचक का परीक्षण अ॰ सा॰ 9 के रूप में किया गया है और उसने अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया है कि ''देसवाली के पास सड़क निर्माण में मारकाट हुआ है।'' अपने अभिसाक्ष्य के पैरा–2 में, वह स्वीकार करता है कि उसका फर्दबयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और उसने फर्दबयान (प्रदर्श 6) पर किया गया अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया है। उसने आगे स्वीकार किया है कि फर्दबयान अ॰ सा॰ 1 करमू महतो द्वारा अनुप्रमाणित किया गया था और फर्दबयान में किया गया करमू महतो का हस्ताक्षर प्रदर्श 6/1 के रूप में सिद्ध किया गया है। इस गवाह ने न्यायालय में अपीलार्थियों को पहचानने का दावा भी किया है। उसने स्वयं को चश्मदीद गवाह बनने से इनकार किया है और उसने कहा है कि सुबह में वह घटना के बारे में जान सका था और तब वह घटनास्थल पर गया और पुलिस के समक्ष फर्दबयान दिया था। अ॰ सा॰ 9 बिरसा खरिया ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 6 में स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में अ॰ सा॰ 6 नवल गोप द्वारा सूचित किया गया था और नवल गोप (अ॰ सा॰ 6) ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि घटना देसवाली के निकट हुई थी जो बिरकेरा से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है। अ॰ सा॰ 6 द्वारा पैराग्राफ 14 में घटना स्थल की चौहद्दी का वर्णन किया गया है और उस पैराग्राफ में भी देसवाली का निर्देश आ रहा है। पुनः हम संप्रेक्षित करना चाहेंगे कि यदि चश्मदीद गवाहों के बयान पर विश्वास किया जाता है और उनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय माना जाता है, तब लघु विरोधाभासों को अनदेखा किया जाना है। यह बयान एक मजदूर द्वारा दिया गया है और हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वह अभियन्ता या विशेषज्ञ की तरह घटना सटीक रूप से इंगित करेगा।

ऊपर निर्दिष्ट साक्ष्य एवं चर्चा की दृष्टि में, हम नहीं पाते हैं कि अभियोजन द्वारा घटना स्थल सिद्ध नहीं किया गया है और इस संबंध में अन्वेषण अधिकारी का गैर–परीक्षण घातक नहीं है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि न्यायिक दंडाधिकारी, जिन्होंने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन गवाहों का बयान दर्ज किया था, का परीक्षण नहीं किया गया है। अतः, उन गवाहों के बयानों में आने वाले विरोधाभाषों एवं असंगतताओं को उन्हें निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता था। हम इस तर्क को टिकने योग्य होना स्वीकार नहीं करते हें।

गवाहों ने अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया है कि उन्होंने दंडाधिकारी के समक्ष बयान दिया था और उन्होंने उन बयानों पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया था। विद्वान बचाव अधिवक्ता ने न्यायालय में उनके परीक्षण के दौरान उन गवाहों के बयानों को निर्दिष्ट नहीं किया है। अत:, हम नहीं पाते हैं कि न्यायिक दंडाधिकारी के गैर–परीक्षण ने किसी भी तरीके से अपीलार्थियों पर कोई प्रतिकूलता कारित किया है।

14. अब अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर आते हुए, करमू महतो अ॰ सा॰ 1 अनुश्रुत गवाह है और उसने इस तथ्य का समर्थन किया है कि उसने मंगा खरिया एवं मारु महतो के मृत शरीरों को देखा था और दिनांक 9 जुलाई, 2004 को रात्रि 8:30-9:00 बजे के बीच उनकी हत्या कर दी गयी थी। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और अभिग्रहण सूची पर किया गया अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है। लक्ष्मी नाथ ओराँव अ॰ सा॰ 2 पक्षद्रोही बन गया है, उसने अपीलार्थियों को हमलावरों के रूप में नामित नहीं किया था, किंतु वह समर्थन करता है कि घटना हुई थी जिसमें दो व्यक्तियों अर्थात् मारु महतो एवं मंगा खरिया की हत्या कर दी गयी है। तेतरू महली अ॰ सा॰ 3 मजदूर था और सड़क निर्माण के काम में लगा हुआ था। इस गवाह ने भी कथन किया है कि उसे प्रहार के क्रम में अपनी गर्दन पर उपहति आयी थी, किंतु वह हमलावर को पहचान नहीं सका था। बाद में वह जान सका था कि दो व्यक्तियों अर्थात् मारु महतो एवं मंगा खरिया की घटनास्थल पर हत्या कर दी गयी है। वह केवल अपीलार्थियों को पहचानने के बिंदु पर पक्षद्रोही बन गया। घूरा ओराँव अ॰ सा॰ 4 भी मजदूर था और वह भी सड़क निर्माण के काम में लगा हुआ था। उसने कथन किया है कि दिनांक 9 जुलाई, 2004 को शाम में जब सड़क निर्माण का काम चल रहा था, अपराधी/हमलावर घटनास्थल पर आए और मजदूरों पर प्रहार करने लगे। उन्होंने घटनास्थल पर मारु महतो एवं मंगा खरिया की हत्या कर दी। उसने केवल एक अपीलार्थी नन्हू साहू को पहचानने का दावा किया था। निश्चय ही, अपने प्रतिपरीक्षण में पैराग्राफ 4 में उसने कथन किया है कि उसने संपूर्ण घटना नहीं देखा था क्योंकि वह भय के कारण घटनास्थल से चला गया था। उसने अपीलार्थी नन्हू साहू को घटनास्थल पर देखा था। सुकरा लोहरा अ॰ सा॰ 5 ने उसी तथ्य को दोहराया है जिसे अ॰ सा॰ 3 तेतरु महली द्वारा प्रकट किया गया था। नवल गोप अ॰ सा॰ 6 एक मात्र चश्मदीद गवाह है जिसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने इस गवाह के परिसाक्ष्य को इस आधार पर चुनौती दिया है कि उसका बयान घटना के तीन दिन बाद दर्ज किया गया था। यह इंगित किया गया है कि वह मुर्गु मोड़ के निकट पुलिस से मिला (पैराग्राफ 11) और वह घटनास्थल गया था जब मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया था किंतु उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था। अगले दिन, वह पुलिस थाना नहीं गया था, बल्कि करमू महतो, बिरसा खरिया और सुरेन्द्र साहू पुलिस थाना गए थे। पैराग्राफ 12 में वह कहता है कि वह बिरसा, करमू, कोंगरा खरिया एवं सुरेन्द्र साहू के साथ तीसरे दिन पुलिस थाना गया था और वे पुलिस थाना से अपना बयान देने न्यायालय गए थे, जिन्हें दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। पुलिसकर्मी न्यायालय के बाहर खिड़की के पास खड़े थे।

15. अब हमें विचार करना होगा कि क्या भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मान्य ठहराने के लिए अ॰ सा॰ 6 नवल गोप के साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है; क्या उसने घटना देखा था और समय के प्रासंगिक बिंदु या घटनास्थल पर मृतक के साथ उपस्थित था?

हमने इस चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 6 के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक संवीक्षण किया है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया है। हम पाते हैं कि इस गवाह की उपस्थिति में रक्तरंजित वस्त्र रक्तरंजित मिट्टी और रक्त–रंजित हथियार बरामद किए गए हैं और उसने अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर

किया है, जिसे प्रदर्श 10 एवं 10/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। सूचक अ॰ सा॰ 9 अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 6 में स्वीकार करता है कि नवल गोप अ॰ सा॰ 6 ने उसको घटना के बारे में सूचित किया था। अन्य गवाहों ने कथन किया है कि वह सड़क निर्माण के काम में लगा हुआ था और वर्तमान काम के पहले भी उसने काम किया था। यह तर्क किया गया है कि वह मृतक मारु महतो का कजिन है और, इसलिए, वह हितबद्ध गवाह है। इस गवाह के अभिसाक्ष्य से, हम नहीं पाते हैं कि उसने घटना की अतिशयोक्ति करने का प्रयास अथवा अपीलार्थियों अथवा किसी अन्य को आलिप्त करने का प्रयास किया है। उसने अपने अभिसाक्ष्य में घटना का विवरण दिया है। उसने अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 4 में घटनास्थल की चौहद्दी का स्पष्टत: वर्णन किया है। यह सत्य है कि अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण के कारण अभिलेख पर यह नहीं लाया जा सका था कि कब इस गवाह का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज किया गया था किंतु तब यह तथ्य बना रहता है कि दिनांक 14 जुलाई, 2004 को अर्थात उस तिथि जिस पर न्यायालय में प्राथमिकी प्राप्त की गयी थी से दो दिनों के भीतर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसका बयान दर्ज किया गया था। केवल यही नहीं, इस गवाह द्वारा वर्णित प्रहार का तरीका अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ मानवेन्द्र कुमार सिंह के साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि पाता है। कटने के कई जख्मों के अतिरिक्त, आँतों को नुकसान कारित करते हुए नाभि के ठीक दाएँ तेज धारदार एवं भेदनकारी जख्मों को पाया गया था; उपहति सं॰ VIII के ठीक नीचे अर्थात् नाभि के नीचे दो तेज धारदार एवं भेदनकारी जख्मों को ध्यान में लिया गया था; बाएँ लंबर क्षेत्र पर तेज धारदार एवं भेदनकारी जख्मों को भी पाया गया था। इस प्रकार, इस गवाह का बयान कि राम कुंवर साहू ने मारु महतो को बलुआ एवं भाला से उसके पेट में उपहति कारित किया, शव परीक्षण रिपोर्ट एवं अ॰ सा॰ 11 के साक्ष्य से समर्थन पाता है।

हमें यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि अ॰ सा॰ 6 नवल गोप का परिसाक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय है और यह शव परीक्षण रिपोर्ट एवं अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ मानवेन्द्र कुमार सिंह के साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि पाता है।

16. हम आगे पाते हैं कि न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त की गयी रिपोर्ट प्रदर्श 11 चिन्हित की गयी है। घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी एवं रक्तरंजित हथियार जब्त किया गया था और कुछ हथियारों को अपीलार्थी नन्हू साहू के घर से बरामद किया गया था। न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श 11) उपदर्शित करती है कि उन वस्तुओं पर मानव रक्त पाया गया था और कि मानव रक्त दो समूहों का था जो इस बात का समर्थन करता है कि मंगा करिया को उपहति कारित करने के लिए उन हथियारों का उपयोग किया गया था। अत:, अभियोजन मामला एवं गवाहों का साक्ष्य न्यायालयिक प्रयोगशाला के रिपोर्ट से समर्थन पाता है।

17. मामले के इन समस्त पहलूओं एवं उपर की गयी चर्चा पर विचार करते हुए हम इन अपीलों में गुणागुण नहीं पाते हैं और इन्हें खारिज किया जाता है।

सत्र विचारण सं॰ 294 वर्ष 2004, गुमला, सिसई पी॰ एस॰ केस सं॰ 72 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 428 वर्ष 2004 के तत्सम, के संबंध में अपीलार्थियों के विरुद्ध दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है। अपीलार्थी राम कुंवर साहू जो जमानत पर है का जमानत बंधपत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है और उसे आज के दिन से छह सप्ताह के भीतर दोषसिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है जिसके अनुपालन में विफलता पर जमानत राशि समपहृत कर ली जाएगी और दोषसिद्ध करने वाला/उत्तरवर्ती न्यायालय उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेशिका जारी करेगा।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स जी॰ पी॰ टी॰ इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) Case No. 6 of 2014. Decided on 3rd March, 2016.

माइक्रो, लघु एवं मीडियम इंटरप्राइजेज विकास अधिनियम, 2006—धाराएँ 18 (3) एवं 19—माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996–धारा 5—मध्यस्थता–भुगतान विवाद–ऐसे मामलों में जब सांविधिक उपचार का अधिक्रम उपलब्ध है और न्यायालयों के हस्तक्षेप से बचा जाना है, उच्च न्यायालय अधिनिर्णय को चुनौती ग्रहण नहीं कर सकता है–खरीदार (खोने वाला पक्ष) भी संबंधित न्यायालय द्वारा 2006 के अधिनियम की धारा 34 के अधीन अपना आवेदन ग्रहण किए जाने के पहले अधिनिर्णीत राशि का 75% जमा करने की सांविधिक बाध्यता के अधीन है–विधि के अधीन उपलब्ध सांविधिक उपचार का लाभ लेने के स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.–(2012) 6 SCC 345—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, For the Petitioner; M/s Biren Poddar, Darshan Poddar, Rohit Roy, Piyush Poddar, A. Akhtar, A. Sinha, For the Resp. No.3; M/s Ajit Kumar, Aprajita Bhardwaj, For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. दिनांक 12.12.2013 के मेमो सं॰ 3342 के माध्यम से संसूचित प्रत्यर्थी सं॰ 2, झारखंड माइक्रो एवं लघु इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउन्सिल द्वारा पारित परिशिष्ट–11 पर अधिनिर्णय याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है। आक्षेपित अधिनिर्णय आवेदक आपूर्तिकर्ता/प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा किए गए निर्देश पर केस सं॰ JHMS EFC सं॰ 1/2013 में माइक्रो, लघु एवं मीडियम इंटरप्राइजेज विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के अधीन पारित किया गया है। आवेदक/आपूर्तिकर्ता को जिला उद्योग केंद्र, राँची के साथ रजिस्टर्ड लघु इंटरप्राइजेज फर्म बताया गया है जिसको परिदान की तिथि से 30 दिनों के भीतर किए जाने वाले भुगतानों के साथ 112.77/- लाख रुपयों के मूल्य के एच॰ टी॰ एस॰ तार के 2 लाख कि॰ ग्रा॰ की आपूर्ति के लिए खरीदार/याची द्वारा दिनांक 1.10.2012 को आदेश दिया गया था। परिदान की तिथि से 30 दिनों के भीतर किए जाने वाले भुगतानों के साथ 107.73 लाख रुपयों के मूल्य के एच॰ टी॰ एस॰ तार के विनिर्दिष्ट वर्णन की आपूर्ति के लिए भी दिनांक 29.11.2012 को एक अन्य खरीद आदेश दिया गया था। आवेदक खरीद आदेश के अनुरुप विभिन्न तिथियों पर खरीदारों को 1,65,64,314/- रुपयों के मूल्य के परेषण की आपूर्ति करने का दावा करता है जिसके विरुद्ध दिनांक 22.12.2012 को 25,86,752/- रुपयों का आंशिक भुगतान किया गया था।

3. भुगतान करने में विलंब से व्यथित होकर, आवेदक आपूर्तिकर्ता ने दिनांक 4.2.2013 को आवेदक के शपथ पत्र द्वारा समर्थित एवं चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित मूलधन हेतु 1,39,77,562/- रुपयों और दिनांक 31.1.2013 तक ब्याज हेतु 2,60,997/- रुपयों के बकाया की वसूली के लिए परिषद के समक्ष अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 18 (1) के अधीन निर्देश दाखिल किया। दिनांक 12.2.2013

को परिषद् द्वारा निर्देश स्वीकार किया गया था और दिनांक 13.2.2013 को आवेदक/आपूर्तिकर्ता की दावा याचिका के साथ खरीदार/याची को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया था और दिनांक 5.3.2013 को उपस्थित होने और अपना आपत्ति/लिखित कथन, यदि हो, दिनांक 28.2.2013 तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। खरीदार/याची दिनांक 5.3.2013 को उपस्थित हुआ और यह दावा करते हुए कि प्रार्थना अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 18 के अधीन पोषणीय नहीं है, केस सं॰ 1/2013 में आगे की कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध परिषद से करते हुए माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अधीन आवेदन दाखिल किया। उसने अपर जिला न्यायाधीश, बारासात (पश्चिम बंगाल) के समक्ष माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अधीन विविध मामला सं॰ 16/2013 (N) भी दाखिल किया जिसे प्रतिवाद पर दिनांक 14.5.2013 के आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया था। यह आदेश भी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। याची ने परिषद् के समक्ष कार्यवाही के स्थगन के लिए सी॰ ए॰ एन॰ सं॰ 6439 वर्ष 2013 के तहत के साथ माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपील एफ॰ एम॰ ए॰ सं॰ 1945 वर्ष 2013 में अपील दाखिल किया। स्थगन याचिका इस संप्रेक्षण के साथ कि ''हमने पक्षों को अधिकरण के समक्ष अपना-अपना प्रतिवाद करने के लिए मुक्त किया है'', दिनांक 8.7.2013 को व्यय के किसी आदेश के बिना निपटायी गयी थी। विरोधी पक्षकारों/याची द्वारा आपत्ति दाखिल करने की अगली तिथि दिनांक 17.6.2013 थी। विरोधी पक्षकार की ओर से उपस्थित कनीय अधिवक्ता ने इस आधार पर समय के लिए प्रार्थना किया कि बहस करने वाले अधिवक्ता उपस्थित होंगे। आवेदक के दावा के विरुद्ध लिखित कथन दाखिल करने के अंतिम अवसर के रूप में विरोधी पक्षकारों को दिनांक 19.8.2013 तक का समय अनुज्ञात किया गया था ताकि परिषद् मामला सुनेगा। पुन: दिनांक 2.9.2013 को मामला सुना गया था। किंतु, उक्त तिथि पर भी यह कथन करते हुए कि विरोधी पक्षकारों ने माध्यथम खंड का अवलंब लिया है जिसके अनुसरण में एकमात्र मध्यस्थ, कोलकाता के समक्ष कार्यवाही लंबित है, स्थगन याचिका के रूप में खरीदार/याची के जूनियर अधिवक्ता द्वारा स्थगन की प्रार्थना भी की गयी थी। परिषद् द्वारा याची/खरीदार की उक्त प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी थी। यह प्रतीत होता है कि अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 18 (2) के अधीन सुलह के माध्यम से समझौते पर आने की पक्षों की विफलता पर प्रत्यर्थी परिषद् अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 18 (4) के अधीन शक्ति के प्रयोग में पक्षों के बीच विवाद विनिश्चित करने अग्रसर हुआ। तत्पश्चात, इसने आवेदक के दावा पर विचार किया और अधिनिर्णय घोषित किया जिसके अधीन याची/खरीदार को दिनांक 31.8.2013 तक 1,39,77,562/- रुपयों की मूल बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश भी दिया गया था कि खरीदार/याची अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 16 के निबंधनानुसार चक्रवृद्धि मासिक ब्याज के साथ आर॰ बी॰ आई॰ द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तिगुने दर पर मूल बकाया पर दिनांक 10.11.2012 से दिनांक 31.8.2013 तक 26,61,381/- रुपयों के ब्याज का भुगतान करेगा। अंतिम भुगतान किए जाने की तिथि तक ब्याज लगेगा।

4. याची द्वारा आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती इस आधार पर दी गयी है कि अधिकरण का गठन अनियमितता से ग्रस्त है और अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 21 के प्रावधान के अनुरुप नहीं है क्योंकि पाँच से अधिक सदस्य हैं। चुनौती इस आधार पर भी आधारित है कि अधिकरण कोई प्रक्रिया विकसित किए बिना रहस्यमय आदेश द्वारा आवेदकों आपूर्तिकर्ता का दावा विनिश्चित करने के लिए अग्रसर हुआ जो पर्याप्त प्रमाण के रूप में दावा किए गए राशि की ग्राह्यता के प्रति कोई कारण अंतर्विष्ट नहीं करता है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान फैसिलिटेशन परिषद् के समक्ष कार्यवाही में प्रयोज्य नहीं है किंतु ऐसे किसी दावा को साक्ष्य अधिनियम में अधिकथित सामान्य सिद्धांतों के मुताबिक स्थापित किया जाना होगा। यह निवेदन किया गया है कि

राज्य सरकार अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 30 के निबंधनानुसार दावों के न्याय निर्णयन के लिए ऐसा निर्देश ग्रहण करने में परिषद् द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करने वाली किसी नियमावली को विरचित करने में विफल रही है। अत: प्रक्रिया एवं आक्षेपित अधिनिर्णय अधिकारिता की अनियमितता से पीड़ित है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि यदि कार्यवाही एवं आक्षेपित अधिनिर्णय अधिकारिता की गलती से पीड़ित है, याची को सांविधिक उपचार की उपस्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाही में इस न्यायालय के समक्ष इसे उठाने से अपवर्जित नहीं किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि जिस तरीके से अधिनिर्णय पारित किया गया था, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में विफलता है।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि याची फैसिलिटेशन परिषद् की अधिकारिता स्वीकार करने के बाद और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय से कार्यवाही के संबंध में कोई स्थगन प्राप्त करने में विफल रहने पर अब अधिकरण के गठन और अधिकरण द्वारा अनुसरण की गयी प्रक्रिया से संबंधित अमान्य आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती दिया है। यह निवेदन किया गया है कि रिट आवेदन में भी अधिकरण के गठन अथवा अधिकरण द्वारा अनुसरित प्रक्रिया के प्रति चुनौती से संबंधित ऐसे आधार नहीं हैं। माध्यस्थम कार्यवाही के तरीके में निर्देश पर विवाद विनिश्चित करते हुए फैसिलिटेशन परिषद् द्वारा धारा 18 (3) के निबंधनानुसार माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का अनुसरण किया जाना है। यह निवेदन किया गया है कि अधिकरण को प्रक्रियाओं के नियमों जिससे पक्षगण सहमत हैं का अनुसरण करने अथवा उसकी विफलता पर उस तरीके जिसे यह समुचित मानता है से कार्यवाही संचालित करने की अधिकारिता है। ऐसी किसी कार्यवाही के संचालन में माध्यस्थम अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता अथवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा बाध्य नहीं होगा जैसा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 19 के प्रावधानों से प्रकट है। आगे यह निवेदन किया गया है कि ये आधार, जिन्हें रिट अधिकारिता के अधीन कार्यवाही में आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए आग्रहित किया जा रहा है। याची को माध्यस्थम अधिनिर्णय के विरुद्ध अधिनियम वर्ष 1996 की धारा 34 के अधीन आवेदन में उठाए जाने के लिए उपलब्ध हैं। उस संबंध में धारा 34 (2) (v) को भी निर्दिष्ट किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि मात्र अधिनिर्णय की राशि का 75% जमा करने के दायित्व से बचने के लिए याची ने रिट न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लेना चुना है और अधिनियम वर्ष 2006 के अधीन उपलब्ध सांविधिक उपचार का सहारा लेने से बचता रहा जिसमें निर्देश द्वारा 1996 अधिनियम के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 24 के प्रावधानों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उसके साथ किसी असंगत चीज के बावजूद अध्यारोही प्रभाव है। राज्य सरकार द्वारा अधिकथित नियमावली की अनुपस्थिति में, अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 30 के अधीन अधिनियम अव्यवहार्य नहीं बन जाएगा क्योंकि अधिकरण स्वयं अपनी प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए अच्छी तरह अपनी अधिकारिता के अंतर्गत है, जिसे निश्चय ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के सामान्य सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि गुणागुण पर जब आवेदक/आपूर्तिकर्ता के दावे का प्रतिरोध किसी लिखित कथन द्वारा नहीं किया गया है, अधिकरण अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद अधिनिर्णय घोषित करने में पूर्णत: न्यायोचित था। अत:, वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के समर्थन में निवेदन किया है। यह निवेदन किया गया है कि फैसिलिटेशन परिषद् अधिनियम वर्ष 2006 के अधीन विनिर्दिष्टत: सृजित निकाय है। अधिनियम वर्ष 2006 प्रक्रियात्मक विधि की कठोरता,

जैसा नियमित न्यायालयों में अनुसरण किया जाता है, द्वारा अनवरुद्ध माध्यस्थम कार्यवाही की प्रकृति में खरीदार द्वारा दिए गए खरीद आदेश पर की गयी आपूर्ति के बाद भुगतान में विलंब से उद्‌भूत होने वाले दावा के न्यायनिर्णयण के लिए प्रावधान अधिकथित करते हुए माइक्रो, लघु एवं मीडियम इंटरप्राइजेज के हित को संरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अतः याची को अधिनियम वर्ष 2006 के अधीन उपलब्ध सांविधिक उपचारों का लाभ लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

7. मैंने पक्षों के निवेदनों पर विचार किया है और आक्षेपित अधिनिर्णय सहित अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री का परिशीलन किया है। अभिवचनों एवं आक्षेपित निर्णय का कोरा पठन दर्शाता है कि आवेदक/आपूर्तिकर्ता जिला उद्योग केंद्र, राँची के साथ रजिस्टर्ड लघु इंटरप्राइजेज फर्म था जिसको खरीदार/याची द्वारा विनिर्दिष्ट वर्णन की कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खरीद आदेश दिया गया था। ऐसा दावा अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 18 (1) के निबंधनानुसार किए गए निर्देश पर फैसिलिटेशन परिषद् के समक्ष सम्यक रूप से ग्राह्य है। यह याची द्वारा चुनौती का आधार भी नहीं है कि स्वयं निर्देश पोषणीय नहीं था क्योंकि आपूर्तिकर्ता अधिनियम वर्ष 2006 के प्रावधानों के अधीन आच्छादित इंटरप्राइज नहीं था। जैसा यहाँ उपर गौर किया गया है चुनौती के आधार केवल अधिकरण के गठन और ऐसे न्यायनिर्णयन पर आने में अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली अधिकथित प्रक्रिया के नियमों की कमी है।

8. यहाँ उपर ध्यान में लिए गए अभिलेख पर मौजूद तथ्य भी दर्शाते हैं कि अंतर्वर्ती चरणों पर याची ने फैसिलिटेशन परिषद् के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराओं 8 एवं 9 का अवलंब लिया। अपर जिला न्यायाधीश के विद्वान न्यायालय बारासात, पश्चिम बंगाल अथवा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्थगन आवेदन अस्वीकार करते हुए स्पष्ट संप्रेक्षण किया है कि पक्षगण अधिकरण के समक्ष अपना परस्पर निवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। वस्तुतः, ऐसे स्थगन से इनकार के बावजूद याची ने गुणागुण पर प्रतिवाद करना कभी नहीं चुना बल्कि अभिलेख दर्शाते हैं कि एक या दूसरे बहाने केवल स्थगन इप्सित किया गया था। अनेक स्थगनों एवं अंतिम अवसर देने के बाद जब याची/खरीदार ने आवेदक/आपूर्तिकर्ता के दावा का गुणागुण पर प्रतिवाद करने के लिए कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया था, अधिकरण निर्देश के न्यायनिर्णयन के लिए अग्रसर हुआ है। जहाँ तक माध्यस्थम् अधिकरण के गठन अथवा माध्यस्थम प्रक्रिया अनुसरण करने में विफलता का संबंध है, ये आधार माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अध्याय VII के अधीन धारा 34 के अधीन विनिर्दिष्टतः उपलब्ध हैं जहाँ अधिनिर्णय से व्यथित पक्ष द्वारा माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध सहारा लिया जा सकता है। अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 18 (3) के प्रावधानों के परिशीलन से यह भी प्रतीत होता है कि माध्यस्थम् कार्यवाही की प्रकृति के विवाद का निर्णय करते हुए, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान विवाद पर लागू होंगे मानों माध्यस्थम् करार के अनुसरण में 1996 के अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) को निर्दिष्ट की गयी थी। अधिनियम वर्ष 1996 की धारा 19 में विहित प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान यहाँ नीचे उद्धृत किए जाते हैं–

*"19. **çfØ;k d fu;ek dk voèkkj.k-**&(1) ekè;LFke vfHkdj.k] flfoy çfØ;k lfgrk] 1908 (1908 dk 5) ;k Hkkjrh; lk{; vfèkfu;e] 1872 (1872 dk 1) l vkc) ugh gkxkA*

(2) bl Hkkx d vèkhu jgr g, i{kdkj] ekè;LFke vfèkdj.k }kjk viuh dk;okfg;k d lpkyu e viukb tku okyh çfØ;k ij djkj dju d fy, Lor= gA

(3) mièkkjk (2) e fufn"V fdlh djkj d u gku ij ekè;LFke vfèkdj.k] bl Hkkx d vèkhu jgr g, ,lh jhfr l] tk og lefpr le>] dk;okfg;k dk lpkyu dj ldxkA

(4) mièkkjk (3) d vèkhu ekè;LFke vfèkdj.k dh 'kfDr e fdlh lk{; dh xkg;rk] llxrrk] rkfRod vkj egRo dk voèkkj.k dju dh 'kfDr Hkh lfEefyr gA**

यह स्पष्ट है कि पक्षगण ऐसी किसी माध्यस्थम् कार्यवाही में ऐसी किसी प्रक्रिया से सहमत हो सकते हैं और उनका ऐसा करने में विफलता पर माध्यस्थम् अधिकरण उस तरीके से जिसे यह समुचित समझता है कार्यवाही संचालित करने के लिए स्वतंत्र है। अधिनियम वर्ष 2006 का कार्य संचालन और परिषद् द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही संचालन प्रक्रिया अधिकथित करने वाली नियमावली की विरचना की अनुपस्थिति में असंभव नहीं था। फैसिलिटेशन परिषद् को 90 दिनों की अनुबंधित समयावधि के भीतर ऐसा निर्देश विनिश्चित करने की सांविधिक बाध्यता है। ऐसे निर्देश को विनिश्चित करने में अनुसरण की जाने वाली आवश्यकता एवं विचार केवल ऐसी प्रक्रिया का होना है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ संगत है और साक्ष्य अधिनियम के सामान्य सिद्धांत के साथ भी संगत है जहाँ तक दावा की ग्रहणीयता का संबंध है। यदि याची/खरीदार गुणागुण पर दावा का प्रतिवाद करने में विफल रहा है, तब विद्वान अधिकरण के पास नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए और याची को पर्याप्त अवसर देने के बाद विधि के अनुरुप कार्यवाही संचालित करने के अलावा विकल्प नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में, जब आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट आधार पहले से ही अधिनियम वर्ष 1996 की धारा 34 के अधीन आवेदन में कार्यवाही से व्यथित खरीदार को पहले से ही उपलब्ध हैं, इसका कोई कारण नहीं है कि याची को अधिनियम के प्रावधानों, जो विशेष विधान की प्रकृति का है, के अधीन उपलब्ध सांविधिक उपचार का लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए था।

9. समापन में, केवल यह कहा जा सकता है कि जब सांविधिक उपचार का अधिक्रम ऐसे मामलों में उपलब्ध है और न्यायालयों के हस्तक्षेप से बचा जाना है जैसी आत्मा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 की है, आग्रहित आधारों पर अधिनिर्णय को चुनौती ग्रहण करने के लिए अपनी स्वविवेकी अधिकारिता का प्रयोग करने का कारण इस न्यायालय के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त, खोने वाला पक्ष अर्थात् वर्तमान मामले में खरीदार भी सक्षम न्यायालय द्वारा अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 34 के अधीन अपना आवेदन ग्रहण किए जाने के पहले अधिनिर्णीत राशि का 75% जमा करने की सांविधिक बाध्यता के अधीन है।

10. तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता एवं यहाँ उपर चर्चा किए गए कारणों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय संतुष्ट नहीं है कि इस न्यायालय की रिट अधिकारिता के प्रयोग में किए जाने वाले किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। रिट याचिका खारिज की जाती है किंतु याची को विधि के अधीन उपलब्ध सांविधिक उपचार का लाभ लेने की स्वतंत्रता के साथ।

11. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय लिखवाए जाने के बीच में न्यायालय को यह भी इंगित किया है कि अधिनियम वर्ष 2006 की धारा 19 के अधीन पूर्व जमा के मामले में न्यायालय को किश्तों में पूर्व जमा की अनुमति देने का स्वविवेक है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गुडइयर इंडिया लिमिटेड बनाम नार्टन इनटेक्ट रबर प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य, 2012 (6) SCC 345** में अभिनिर्धारित किया गया है।

12. यह स्पष्ट किया जाए कि यहाँ उपर की गयी चर्चा/संप्रेक्षण केवल इस दृष्टिकोण पर आने के

प्रयोजन से है कि क्या आक्षेपित अधिनिर्णय को ऐसी चुनौती भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाही में ग्रहण की जानी चाहिए। किंतु वे विधि के किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष ऐसी किसी कार्यवाही में पक्षों को प्रतिकूलता के प्रति कार्यवाही नहीं करेंगे। लंबित आई॰ ए॰ भी बंद किए जाते हैं।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

विकास तिवारी उर्फ विकास नाथ तिवारी उर्फ बिकास तिवारी उर्फ बिकास नाथ तिवारी

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 2267 of 2015. Decided on 8th March, 2016.

बंदी अधिनियम, 1900—धारा 29—विचाराधीन कैदी का स्थानांतरण–ऐसे स्थानांतरण की आवश्यकता एवं स्थिति की मांग एवं अन्य कारकों को दंडाधिकारी के विवेक पर अधिमान डालना होगा–आक्षेपित आदेश पर्याप्त कारण अंतर्विष्ट नहीं करता है जो न्यायिक विवेक का स्वतंत्र इस्तेमाल परिलक्षित कर सके–तर्क की अनुपस्थिति में ऐसा आदेश असंपोषणीय बन जाता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया और मामला नया आदेश पारित किए जाने के लिए सी॰ जे॰ एम॰ के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(2012) 13 SCC 192 **: 2013 (1) JLJ 181 (SC)**—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; Mr. Suraj Verma, For the Opp. Party.

आदेश

इस आवेदन में, याची ने विद्वान सी॰ जे॰ एम॰ रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 30.10.2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन महानिरीक्षक (कारा), झारखंड द्वारा की गयी प्रार्थना पर याची को लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग से दुमका केंद्रीय कारा स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 2.11.2015 के आदेश जिसके द्वारा हजारीबाग केंद्रीय कारा से किसी अन्य कारा नहीं भेजने की याची की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना की गयी है।

2. पतरातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 309 वर्ष 2014, जिसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संस्थित किया गया था, के संबंध में याची गिरफ्तार किया गया था और विचाराधीन कैदी के रूप में हजारीबाग केंद्रीय कारा में रखा गया था। कारा महानिरीक्षक, झारखंड द्वारा दिनांक 28.10.2015 के ज्ञापन सं॰ 2699 के साथ दिनांक 29.10.2015 का पत्र सं॰ 5116 वर्ष 2015 जारी किया गया था जिसमें याची को लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग से दुमका केंद्रीय कारा स्थानांतरित करने के लिए विचारण न्यायालय से अनुरोध किया गया था।

3. विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रामगढ़ ने दिनांक 30.10.2015 के आदेश के तहत की गयी ऐसी प्रार्थना अनुज्ञात करते हुए आदेश पारित किया। चूँकि याची को अपने जीवन के प्रति खतरे की आशंका थी, उसने हजारीबाग केंद्रीय कारा से दुमका केंद्रीय कारा उसको नहीं भेजने के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष दिनांक 30.10.2015 को आवेदन दाखिल किया। किंतु, दिनांक 2.11.2015 के आदेश के निबंधनानुसार याची द्वारा की गयी प्रार्थना अस्वीकार की गयी थी।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री सूरज वर्मा सुने गए।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा ने निवेदन किया है कि विवेक का इस्तेमाल किए बिना एवं कोई कारण दिए बिना आक्षेपित आदेशों को पारित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि महानिरीक्षक (कारा), झारखंड, राँची के अनुरोध मात्र पर और गोपनीय पत्र के आधार पर याची को हजारीबाग केंद्रीय कारा से दुमका केंद्रीय कारा स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, जबकि स्वीकृत रूप से याची के जीवन को भारी खतरा है और जिसे दिनांक 30.10.2015 की उसकी याचिका में अवर न्यायालय की जानकारी में लाया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि न तो बंदी अधिनियम और न ही कारा अधिनियम किसी विचाराधीन कैदी का कोई स्थानांतरण प्रावधानित करता है और, इसलिए, ऐसे प्रावधान की अनुपस्थिति में, आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने के दायी हैं। अपना तर्क सुदृढ़ करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने **महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सईद सोहेल शेख एवं अन्य, (2012)13 SCC 192; [: 2013 (1) JLJ 181 (SC)** को निर्दिष्ट किया है।

6. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री सूरज वर्मा ने याची का हजारीबाग केंद्रीय कारा से दुमका केंद्रीय कारा स्थानांतरण इप्सित करने वाली राज्य की कार्रवाई के समर्थन में कथन किया है कि एक कारा से दूसरे कारा को बंदी का स्थानांतरण राज्य सरकार का विशेषाधिकार है जिसे प्रशासनिक कारणों से एवं अन्य कारकों पर किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि झारखंड कारा निर्देशिका का नियम 30 एवं 770 (B) महानिरीक्षक (कारा) को बंदी का एक कारा से दूसरे कारा स्थानांतरण इप्सित करने की शक्ति देता है। ऐसी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा दिनांक 30.10.2015 एवं दिनांक 2.11.2015 के आक्षेपित आदेशों में अवैधता नहीं की गयी है, अतः, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ वर्तमान आवेदन की खारिजी इप्सित करते हैं।

7. दिनांक 30.10.2015 एवं दिनांक 2.11.2015 के आक्षेपित आदेशों को पारित करने का आधार आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग द्वारा जारी दिनांक 10.10.2015 का गोपनीय पत्र और महानिरीक्षक (कारा) झारखंड द्वारा जारी दिनांक 28.10.2015 के ज्ञापन सं॰ 2699 के साथ दिनांक 29.10.2015 का पत्र सं॰ 5116 वर्ष 2015 है। जैसा प्रतीत होता है, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2015 के अपने आदेश में प्रार्थना रुटीन तरीके से अनुज्ञात की गयी है। जब याची ने किसी अन्य कारा उसको नहीं भेजने के लिए आवेदन दाखिल किया, दिनांक 30.10.2015 के पूर्व आदेश का अनुसरण करते हुए ऐसी प्रार्थना भी अस्वीकार की गयी थी।

8. अब इस प्रकार पारित आक्षेपित आदेशों की वैधता की परीक्षा के लिए विषय पर न्यायिक उद्घोषणा एवं एक कारा से दूसरे कारा बंदी का स्थानांतरण रेखांकित करने वाले अनेक प्रावधानों के संदर्भ में इसे देखा जाना है। बंदी अधिनियम, 1900, जिसे न्यायालय के आदेश द्वारा परिरुद्ध बंदी से संबंधित विधि समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, बंदी के स्थानांतरण पर विचार करती है और अधिनियम की धारा 29 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है।

> *"29. **dfn;k dk gVk;k tkuk-**&(1) jkT; ljdkj] lkekU; ;k fo'k"k vkn'k }kjk fdlh dkjkxkj e fu:) fdlh dnh dk fuEu d lEcU/k e jkT; d fdlh vU; dkjkxkj e gVk; tku dk ikoèkku dj ldxh&*
>
> *(a) eR; n.M vfèkfuf.kr dnh*

(b) dkjkokl d n.M d vèkhu ;k bld cny e ;k ifjogu d fy,] ;k

(c) tekuk d Hkxrku d 0;frØe e] ;k

(d) 'kkfr ;k ln0;ogkj cuk; j[ku d fy, ifrHkkfr inku dju e 0;frØe gku ijA

*(2) jkT; ljdkj d vkn'kk ,o fu;=.k d vèkhu] dkjkxkj egkfujh{kd bl h idkj l jkT; d fdl h dkjkxkj e ;Fkk ioDr fu:) fdl h dnh d jkT; e fdl h vU; dkjkxkj e gVk; tku dk ikoèkku dj ldxA***

9. बंदी अधिनियम, 1900 की धारा 29 केवल बंदी के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण तक सीमित है और बंदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 बंदियों के अंतरा-राज्य स्थानांतरण पर विचार करता है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 3 में विचार किया गया है। बंदी अधिनियम, 1900 की धारा 29 दोषसिद्ध सहित बंदियों की अनेक कोटियों पर विचार करती है और आवश्यक विवक्षा द्वारा विचाराधीन कैदी को अपवर्जित करती है। बिहार कारा, निर्देशिका, जो बिहार में काराओं के अधीक्षण एवं प्रबंधन से गठित है और जिसे राज्य के पुनर्गठन के बाद झारखंड राज्य के प्रति प्रयोज्य बनाया गया है, के पास सांविधिक बल है। झारखंड कारा निर्देशिका के नियमों 30 एवं 770 (B) पर विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा काफी जोर दिया गया है और उनके प्रतिवादों का अधिमूल्यन करने के लिए इसे नीचे उद्धृत किया जाता है:-

"30. vfèkfu;e IIIo"k 1900, tl k vfèkfu;e lo"k 1903 }kjk l 'kkfèkr fd;k x;k g] dh èkkjk 29 (2) d vèkhu mle jkT; d Hkhrj fcgkj d fdl h dkjk l nlj dkjk vFkok ljdkj }kjk tkjh lkekU; vFkok fo'k"k vkn'kk d vu#i fdl h vU; jkT; d dkjk cfn;k d LFkkukrj.k dk vkn'k nu dh 'kfDr fufgr dh x;h gA ml egkekjh d nkjku fdl h dkjk d LFkk;h Hkou l vLFkk;h LFkkuk ij cfn;k dk gVku dh etjh nu d fy, Hkh çkfèkÑr fd;k x;k gA

*770 (a) lyXku rkfydk e fofgr oxhdj.k ,o nMkn'k dh vofèk d çfr ifjlhek d vè;èkhu] leLr cfn;k d lkekU; r% viuk nMkn'k Hkxru d ç;ktu l ml dkjk e ft le igyh ckj ml Hktk x;k g vFkok ml dkjk e tgk ml le;≤ ij bl vè;k; e fu;ek d vu#i LFkkukrfjr fd;k tkrk g] ifj#) fd;k tk,xkA***

10. उक्त उद्धृत प्रावधान स्पष्टत: कहते हैं कि वे बंदी अधिनियम, 1900 से प्रवाहित होते हैं और दोषसिद्ध कैदी तक सीमित है।

11. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सईद सोहेल शेख एवं अन्य (ऊपर) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदी को एक कारा से दूसरे कारा स्थानांतरित करने की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति और क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में किया जा सकता है, पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

19. cnh vfèkfu;e] 1900 dh èkkjk 29 dk iBu fuEufyf[kr g%&

*^^29. **cfn;k dk gVk;k tkuk-&**(1) jkT; ljdkj lkekU; vFkok fo'k"k vkn'k }kjk*

(a) eR; nMkn'k d vèkhu] vFkok

(b) dkjkokl d nMkn'k vFkok ifjogu d vèkhu vFkok bld cny e] vFkok

(c) tekuk d Hkxrku d 0;frØe e] vFkok

(d) 'kkfr cuk, j[ku d fy, vFkok vPNk vkpj.k cuk, j[ku d fy, çfrHkfr nu d 0;frØe e]

dkjkokl e ifj:) fdlh cnh dk jkT; e fdlh vU; dkjk e gVk, tku d fy, çkoèkkfur dj ldrh gA

(2) vkn'kk d vè;èkhu] rFkk jkT; ljdkj d fu;=.k d vèkhu] dkjk egkfujh{kd] blh idkj l jkT; d fdlh dkjkxkj e ;Fkk mijkDr ifj:) fdlh dnh d gVk; tku dk ikoèkku cuk ldxA"

mDr çkoèkku d dkj ifj'khyu l ;g Li"V g fd bld vèkhu fdlh cnh dk gVk;k tkuk doy jkT; ljdkj dh çj.kk ij mu ekeyk e ifjdfYir fd;k x;k g tgk cnh eR; nMkn'k d vèkhu vFkok dkjkokl d nMkn'k vFkok ifjogu d vèkhu vFkok bld cny e vFkok tekuk d Hkxrku d 0;frØe e vFkok 'kkfr cuk, j[ku d fy, vFkok vPNk vkpj.k cuk, j[ku d fy, çfrHkfr d 0;frØe e dkjkokl Hkxr jgk gA bl çdkj] èkkjk 29 dh mièkkjk (1) (Åij) d fucèkukuLkj LFkkukrj.k doy mDr [kMk (a) l (d) rd }kjk vkPNkfnr fLFkfr;k e vuK; gA ;g Li"V g fd ;g çkoèkku mu fopkjkèkhu cfn;k ij fopkj ugh djrk g tk mle fn, x, o.ku d vu:i ugh gA

*20. bl çfrokn fd fopkjkèkhu dnh dk LFkkukrj.k vuK; g] d leFku e èkkjk 29 dh mièkkjk (2) ij fo'okl Hkh gekj er e vihyKFkhx.k dh lgk;rk ugh djrk gA fu%lng mièkkjk (2) dkjk egkfujh{kd dk LFkkukrj.k dk fun'k nu d fy, l'kDr cukrh g tk èkkjk 29 dh mièkkjk (1) e mfYyf[kr ifjfLFkfr;k rd lhfer gA ;g 'kCnk ^^dkjk e iokDrkuLkj ifj:) fdlh cnh** d ç;kx l Li"V gA vfHk0;fDr fdlh çdkj dk lng ugh NkMrh g fd mièkkjk (2) d vèkhu LFkkukrj.k Hkh doy rc vuK; g ;fn ;g mu cfn;k l lcfèkr g ftUg èkkjk 29 dh mièkkjk (1) e minf'kr ifjfLFkfr;k e ifj:) j[kk x;k FkkA oreku ekey e çR;FkhZx.k fopkjkèkhu dnh Fk ftUg mij m)r èkkjk 29 d vèkhu dkjk egkfujh{kd d vkn'kk d fucèkukuLkj LFkkukrfjr ugh fd;k tk ldrk FkkA*

23. bl pj.k ij lfgrk dh èkkjk 309 d çfr Hkh fun'k fd;k tk ldrk g tk vU; ckrk d lkFk U;k;ky; dk vijkèk dk lKku yu vFkok fopkj.k vkjHk gku d ckn mu ekeyk e vfHk;Dr dk vfHkj{kk e fjekUM dju d fy, l'kDr cukrh g tgk U;k;ky; fopkj.k vFkok tkp 'k: dju dk LFkfxr djuk vko';d ikrk gA bu nkuk çkoèkkuk e fufgr rd ;g g fd fopkj.k vFkok tkp d nkjku ty e cnh dk pky fujkèk doy U;k;ky;@nMkfèkdkjh] ftud le{k vfHk;Dr dk i'k fd;k x;k g vFkok mldk fopkj.k fd;k tk jgk g] d çkfèkdkj d vèkhu fofèkd vkj oèk gA lcfèkr U;k;ky; }kjk ikfjr fjekUM d ,l vkn'k d dkj.kk l fopkjkèkhu dnh vfHkj{kk e cuk jgrk g vkj ,lk fjekUM çkfèkdkjh] ftl mldk vfHkj{kk e j[kuk g] dk lckfèkr okjUV d ekè;e l gkrk gA fjekUM vkn'k lno dkjk vèkh{kd dk lckfèkr fd;k tkrk g tgk fopkjkèkhu dnh dk ml ç;ktu l fu;r frfFk ij U;k;ky; d le{k mudk i'k fd, tku rd fu:) fd;k tkrk gA bl çdkj] dkjk tgk fopkjkèkhu dnh dk fu:) fd;k x;k g] lfgrk dh èkkjk 167 vFkok èkkjk 309 d fucèkukuLkj l{ke U;k;ky; }kjk igpku fd;k x;k dkjk gA ;g Lor% fl) g fd fujkèk d ,l fdlh LFkku l cnh dk LFkkukrj.k

doy ml U;k;ky;] ftld okjUV d vèkhu fopkjkèkhu dnh dk vfHkj{kk e fjekUM fd;k x;k g] dh vuefr l vuK; gkxkA

25. U;k;ky; e U;k;kyf;d cgl LFkkukrj.k dh vuefr nr vFkok bll budkj djr g, U;k;ky; }kjk ç;kx fd, tku okyh 'kfDr dh çÑfr d ckj e FkhA fdr] ge ;g vfHkfuèkkfjr dju e dkb ldkp ugh g fd LFkkukrj.k dh vuefr nr vFkok bll budkj djr g, U;k;ky; }kjk ç;kx dh tku okyh 'kfDr ^U;kf;d* g vkj u fd ^vulfpoh;* tlk Jh uQkn }kjk çfrokn fd;k x;k gA vulfpoh; 'kfDr dk ç;kx mu fLFkfr;k e fujFkd g tgk ukxfjd d thou vFkok Lor=rk dh x.koUkk çHkkfor gkrh g Hky gh og dkjkokl d nMkn'k d vèkhu g vFkok py jg fopkj.k e nkfMd vkjki dk lkeuk dj jgk gA njLFk dkjk e fopkjkèkhu dnh dk , lk LFkkukrj.k Lo; dk cpko dju d mld vfèkdkj dk çfrdy :i l çHkkfor dj ldrk g vkj mldk viu lcfèk;k vkj fe=k d lekt l dkV Hkh n ldrk g] d ç'u dk igy gh luhy c=k (2) cuke fnYyh ç'kklu] (SCC i"B 510, ijk 48), e bl U;k;ky; d fu.k; }kjk lfuf'pr fd;k tk pdk g tgk bl U;k;ky; u lçf{kr fd;k fd&

^^48. d"V] 'kkjhfjd çgkjk d vfrfjDr] vud ifjoru'khy :ik dk èkkj.k dj ldr gA cnh dk ,dkfrd dk"B e j[kuk] vko';d lfoèkk nu l budkj djuk] vkj dHkh&dHkh bll Hkh Hk;kog njLFk dkjk e LFkkukrfjr djuk tgk fe=k vFkok lcfèk;k dk lekt NV ldrk g vFkok eykdkr ugh gk ldrh g] viekutud Kku vkofVr djuk] mldk vkrrk;h vFkok cj xx vkj bu tlk d lkFk j[kuk çHkko e nMkRed gk ldrk gA , lh çR;d ihMk vFkok l{kihdj.k Lor=rk vFkok thou dk bld 0;kid vFk e mYy?ku g vkj likf"kr ugh fd;k tk ldrk g tc rd vuPNn 21 dk lr"V ugh fd;k tkrk gA lèkkjd fofèkd çfØ;k gkuh gh pkfg, tk fu"i{k vkj ;fDr;Dr vkj çHkkodkjh gkA vuPNn 14 d vèkhu , lk mYy?ku euekuk gkxk ;fn ;g vekxnf'kr Lofood ij fuHkj g] vuPNn 19 d vèkhu v;fDr;Dr gkxk ;fn ;g mipkj ugh fd, tku ;kX; vkj vihy ugh fd, tku ;kX; g] vkj vuPNn 21 d vèkhu vufpr gkxk ;fn ;g ulfxd U;k; d fl)krk dk mYy?ku djrk gA çFke fu.k; e miof.kr c=k e ekxn'kd fl)krk dh J[kyk] ftl ge viukr g] dN pj.kk ij luokb] mPprj }kjk iufoykdu vkj ;Fkk le; U;kf;d fopkj çkoèkkfur djrh g rkfd dk;okgh lhtj l lhtj rd ifjofrr ugh gk ldA ge ml ç;ktu l mu lfUu;ek vkj lLFkkuk?ed çkoèkkuk d dBkj vuikyu dk fun'k nr gA**

35. oreku ekey ij mDr fl)krk dk ykx djr g, vkj bl rF; dk nf"V e j[kr g, fd dkb vkn'k] ftl U;k;ky; cnh d LFkkukrj.k d vujkèk ij ikfjr dj ldrk g] mldk çfrdy :i l çHkkfor dju d fy, ckè; g] ge vfHkfuèkkfjr djuk gh gkxk fd mu ifjfLFkfr;k d çfr] ftue LFkkukrj.k dh çkFkuk dh tk jgh g] fu"i{k vkj oLrijd :i l viu food dk bLreky djuk vkj vkifÛk;k] ftUg cnh dj ldrk g] dk è;ku e j[kdj lfopkfjr nf"Vdk.k viukuk U;k;ky; d fy, ckè;dkj gA fofu'p;dj.k vkj fu.k; dju dh ml çfØ;k e fu"i{k :i l] oLrijd :i l ÑR; dju vFkok nlj 'kCnk e U;kf;d :i l ÑR; dju dk dr0; vrfufgr gA bll vulfjr gkrk g fd , lh fdlh dk;okgh e ikfjr LFkkukrj.k dk dkb vkn'k vkj dN ugh cfYd U;kf;d vkn'k vFkok de l de U;kf;d dYi vkn'k gA D;kfd fopkj.k U;k;ky; ekey dk ç'kklfud ekurk gvk çrhr gkrk g vkj blu fopkjkèkhu dfn;k dk ukfVl tkjh fd, fcuk vFkok ekey e lefpr vkn'k ikfjr fd, fcuk LFkkukrj.k dh vuefr nh] blu xyrh dhA dkjk çkfèkdkfj;k l çkIr llpuk ij lE;d vkj lefpr fopkj fd, fcuk vkj lfopkfjr U;kf;d vkn'k] doy tk ekey e LFkkukrj.k dk U;k;kfpr Bgjk ldrk Fkk] ikfjr fd, fcuk mÙkj e llpuk Hktdj ç'kklfud Lrj ij

ekey ij fopkj fd;k x;k Fkk vkj fuiVk;k x;k FkkA , lh voLFkk gku d dkj.k mPp U;k;ky; LFkkukrj.k dk 'kU; ?kkf"kr dju e vkj ckEc ty e fopkjkèkhu dfn;k dk iuLFkkukrfjr dju dk fun'k nu e lgh FkkA ;g lkekU; vkèkkj g fd çR;Fkhx.k d fo:) yfcr rhu fopkj.kk dh dk;okgh dk LFkxu bl U;k;ky; }kjk fjDr fd;k x;k gA vr%] mud fo:) yfcr dk;okfg;k d lcèk e vMjVk;k dh mifLFkfr vko';d gkxh ftl ç;ktu l mUg igy gh ckEc e vkFkj jkM ty e okil LFkkukrfjr fd;k x;k gA ml nf"Vdk.k e] bl pj.k ij ml lcèk e bl U;k;ky; }kjk vkx dN Hkh dju dh vko';drk ugh gA

12. कैदी का स्थानांतरण विनियमित करने वाले प्रावधानों की पृष्ठभूमि में ताथ्यिक मैट्रिक्स एवं उपर उद्धृत न्यायिक उद्घोषणा सुझाते हैं कि विद्वान अवर न्यायालय कठोर फॉर्मूला के अनुसार आवेदन विनिश्चित अथवा स्वीकार नहीं कर सकता है। विद्वान न्यायालय को न्यायोचित तरीके से ऐसे आवेदन पर विचार करना होगा क्योंकि विचाराधीन कैदी विद्वान न्यायालय के प्राधिकार के अधीन अभिरक्षा में है और इसलिए ऐसे स्थानांतरण की आवश्यकता एवं स्थितिक मांग तथा अन्य कारकों को विद्वान दंडाधिकारी के विवेक पर अधिमान डालना होगा। दिनांक 30.10.2015 के आदेश ने मात्र दिनांक 29.10.2015 के पत्र की विषयवस्तु की दृष्टि में याची का स्थानांतरण अनुज्ञात किया। याची द्वारा दाखिल पश्चातवर्ती आवेदन भी मात्र इस आधार पर अननुज्ञात किया गया था कि ऐसा स्थानांतरण राज्य/जिला प्रशासन का विशेषाधिकार है। ऐसे आधार का अर्थ पर्याप्त कारण के रूप में नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि पुनः विद्वान दंडाधिकारी ने कैदी (याची) द्वारा की गयी आपत्तियों पर सुविचारित दृष्टिकोण नहीं लिया था। आक्षेपित आदेश पर्याप्त कारण अंतर्विष्ट नहीं करते हैं जो न्यायिक विवेक का स्वतंत्र इस्तेमाल परिलक्षित करता हो और तर्क की अनुपस्थिति में ऐसे आदेश असंपोषणीय बन जाते हैं।

13. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और पतरातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 309 वर्ष 2014 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 30.10.2015 और दिनांक 2.11.2015 के आदेशों को एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामला विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रामगढ़ के पास वापस ले जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

प्रदीप करन सिद्धार्थ

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (PIL) No. 5764 of 2015. Decided on 4th May, 2016.

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995—धारा 33—ओ॰ एम॰ आर॰ प्रणाली के माध्यम से परीक्षा–ओ॰ एम॰ आर॰ के मूल्यांकन के दौरान की गयी कुछ गलतियाँ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी–व्यक्तिगत उम्मीदवारों के पास अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए विधि में पर्याप्त उपचार हैं–धारा 33 के अधीन आरक्षण की गणना कैडर बल के आधार पर संगणित की जाएगी–निर्देश जारी किए गए। (पैराएँ 4, 8, 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Mr. Kumar Kaushik, For the Petitioner; Ms. Suchitra Pandey, For Intervener (Vivek Kumar Singh); Mr. H.K. Mehta, For the Respondents; Mr. Anil Kumar Sinha, For the JPSC.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–पाँचवीं झारखंड लोक सेवा परीक्षा में की गयी व्यापक अनियमितताएँ अभिकथित करते हुए वर्तमान जनहित याचिका दाखिल की गयी है। यद्यपि वर्तमान जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा अनेक आदेश पारित किए गए हैं, केंद्रीय प्रश्न बना रहा कि क्या वर्तमान रिट याचिका वस्तुत: लोकहित का समर्थन करती है अथवा क्या व्यक्तिगत उम्मीदवार समुचित कार्यवाही में अपनी शिकायतों का प्रतितोषण इप्सित कर सकते हैं।

2. झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा और विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ श्री अजित कुमार ने वर्तमान याचिका की पोषणीयता का प्रश्न इस आधार पर उठाया कि सेवा मामला अंतर्ग्रस्त करने वाली जनहित याचिका पोषणीय नहीं है। किंतु, याची के विद्वान अधिवक्ता कुमार कौशिक निवेदन करते हैं कि याची द्वारा उठाया गया बड़ा प्रश्न ओ॰ एम॰ आर॰ प्रणाली के माध्यम से परीक्षा की व्यवहार्यता एवं हाइपर टेक्निकल विवाद्यकों पर मेधावी उम्मीदवारों का पूर्ण अस्वीकरण है।

3. स्वयं को संतुष्ट करने के लिए हमने झारखंड लोक सेवा आयोग को व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक के साथ ओ॰ एम॰ आर॰ उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने का निर्देश दिया जिस निर्देश का सम्यक रूप से अनुपालन किया गया है।

4. अंत में, याची के विरुद्ध जो जाता है, वह रिट याचिका में आधारभूत तथ्यों की एवं इस तथ्य की अनुपस्थिति है कि याची ओ॰ एम॰ आर॰ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान की गयी अनियमितताओं को प्रकट करने में विफल रहा है। भले ही ओ॰ एम॰ आर॰ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन दौरान कुल गलतियाँ की गयी हो, ये वर्तमान कार्यवाही में न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। व्यक्तिगत उम्मीदवारों के पास अपनी शिकायतों, यदि हो, को दूर करवाने के लिए विधि में पर्याप्त उपचार है।

5. सुनवाई के क्रम के दौरान, याची के विद्वान अधिवक्ता ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन आरक्षण के क्रियान्वयन का विवाद्यक उठाया। मध्यक्षेपी (आई॰ ए॰ सं॰ 1622 वर्ष 2016) के विद्वान अधिवक्ता ने भी याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन किया है।

6. श्री अजित कुमार, विद्वान ए॰ ए॰ जी॰, ने अनुदेश पर निवेदन किया कि सरकार सहमत हुई है कि ऐसे समस्त उम्मीदवारों जो चौथी एवं पाँचवीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में उपस्थित हुए थे को उपर्युक्त शिथिलीकरण बढ़ाया जाएगा ताकि उनको छठे झारखंड लोक सेवा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सके।

7. चार सप्ताह की अवधि के भीतर छठे झारखंड लोक सेवा परीक्षा के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में भूल सुधार जारी किया जाए और अपना आवेदन देने के लिए ऐसे समस्त व्यक्तियों को युक्तियुक्त समय प्रदान किया जाए।

8. यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि नि:शक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन आरक्षण **डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰ सं॰ 7525 वर्ष 2013 (अरुण कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य)** में पारित दिनांक 9.3.2016 के निर्णय के आलोक में और कैडर संख्या के आधार पर संगणित किया जाएगा। उक्त मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

13. fu%'kDrrk vfèkfu;e] 1955 d vèkhu çkoèkkuk ,o jk"Vh; u=ghu QMj'ku (Åij) e fu.k; ij fopkj djr g,] ,rn }kjk ;g ?kkf"kr fd;k tkrk g fd fn0;kxk d fy, vkj{k.k dy dMj l[;k d vkèkkj ij fofuf'pr fd;k tk,xk vkj bl foKkfir fjfDr;k dh dy l[;k ij fØ;kfUor fd;k tk;xkA mnkgj.kLo#i] ;fn 100 ink dh dy dMj l[;k d fo#) doy 20 fjfDr;k foKkfir dh x;h g] èkkjk 33 e mfYyf[kr fu%'kDrrkvk dh rhuk dkfV;k e l fdlh ,d d fy, ,d in vkjf{kr j[kk tk ldrk g] ;fn dkb in 0;fDr;k dh ,lh dkfV dk vkj{k.k dk ykHk nu d fy, fpfUgr fd;k tk ldrk gA jkLVj fcn l[;k 1 l 20 rd l in fpfUgr ugh fd, tk ldu dh fLFkfr e] jkLVj fcn l0 1 l 33 rd l ,d fjfDr èkkjk 33 d vu#i fu%'kDrrkvk dh rhu dkfV;k e l fdlh ,d d fy, vkjf{kr j[kh tk,xhA fdr] bl fcn ij Hkh ;fn fu%'kDrrkvk dh rhu dkfV;k e l fdlh ,d d fy, dkb in igpku tku ;kX; ugh g] jkLVj fcn l0 33 l 67 rd l nk in vkjf{kr j[k tk,x vkj blh çdkj l] jkLVj fcn l[;k 34 l 67 vkj jkLVj fcn l[;k 68 l 100 e iu% vkj{k.k fØ;kfUor djuk gkxkA èkkjk 33 d vèkhu vkj{k.k ,l0 lh0@,l0 Vh0@vk0 ch0 lh0 vkfn d fy, vkj{k.k dh ;ktuk l lfHkUu g D;kfd fu%'kDr 0;fDr;k d i{k e vkj{k.k {krh th; gkrk g vkj fcYdy ;gh dkj.k g fd jkLVj fcn l0 1 l 33, 34 l 67, 68 l 100 ij jkLVj e gb fjfDr mi;Dr fu%'kDr 0;fDr;k dh fu;fDr d fy, miyCèk gA fdlh Hkh fLFkfr e] leLr LFkkiuk dk fn0;kxk d fy, U;ure 3% vkj{k.k lfuf'pr djuk gkxk tks fu%'kDrrk vfèfu;e] 1995 dh èkkjk 33 e minf'kr fd;k x;k gA

14. fdr] ge Li"V djr g fd tc ,d ckj jkLVj fcn l[;k 1 l 33 rd l ink e l dkb ,d vkjf{kr j[kk tkrk g] nljh fjfDr doy jkLVj fcn l[;k 34 l 67 rd l vkjf{kr gkxhA foKkfir fjfDr;k dh l[;k èkkjk 33 e mfYyf[kr rhuk dkfV;k e l fdlh ,d l vku oky 0;fDr@0;fDr;k dk èkkjk 33 d vèkhu ykHk ugh nu d fy, fu%'kDrrk ugh gkxhA iokDr ppk dh nf"V e] ge Lo; dk çR;Fkh >kj[kM jkT; dh vkj l fd, x, çfrokn dk Lohdkj dju e v{ke ikr g fd doy jkLVj fcn l[;k 33, 67 ,o 100 ij fjfDr;k fn0;kxk dh fu;fDr d fy, miyCèk gA

9. किंतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि तीन माह की अवधि के भीतर निःशक्त व्यक्तियों के पद की पहचान एवं रिक्ति की संख्या संगणित करने के लिए उक्त जनहित याचिका में पारित निर्देश छठे झारखंड लोक सेवा परीक्षा के अधीन आगे की प्रक्रिया नहीं रोकेगा। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछली बकाया रिक्तियों की कुल संख्या, जिसके लिए छठे झारखंड लोक सेवा परीक्षा के अधीन पदों को आरक्षित करना होगा, बाद में अधिसूचित की जा सकती है, यदि इसे तुरन्त नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 7.11.2007 का परिपत्र आगे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, विशेषतः इस बहाने पर कि इसे राज्य सरकार द्वारा अब तक उपांतरित नहीं किया गया है।

10. हम एतद् द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि डब्ल्यू० पी० (पी० आई० एल०) सं० 7525 वर्ष 2013 सहपठित वर्तमान जनहित याचिका में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का झारखंड राज्य एवं झारखंड लोक सेवा आयोग दोनों द्वारा कठोरतापूर्वक पालन किया जाय, अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग और सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार पर उत्तरदायित्व तय करते हैं।

11. परिणामस्वरुप, हम मामले में आगे अनुग्रह प्रदान करने से इनकार करते हैं और पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका निपटायी जाती हैं।

12. दिनांक 16.3.2016 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

उमेश कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Rev. No. 175 of 2015. Decided on 6th May, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 258—दांडिक कार्यवाही छोड़ा जाना–लापरवाह एवं उपेक्षावान चालन का अभिकथन–याची के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है–प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब, उपहति रिपोर्ट की अनुपलब्धता और चश्मदीद गवाहों का गैर परीक्षण जैसे अनेक विवाद्यकों को साक्ष्य लेने के बाद विचारण के चरण पर विनिश्चित किया जाना है–अवर न्यायालय ने सही प्रकार से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 258 के अधीन याचिका अस्वीकार किया–आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Deepak Kumar, For the Petitioner; Mr. Shekhar Sinha, For the State; Mr. B. Shestri, For the O.P. No. 2.

आदेश

जी॰ आर॰ सं॰ 663 वर्ष 2013 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अधीन याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 16.12.2014 का आदेश चुनौती के अधीन है।

2. याची ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अधीन इस आधार पर याची के विरुद्ध कार्यवाही छोड़ने के लिए उसमें प्रार्थना करते हुए आवेदन दाखिल किया है कि याची ने अपराध नहीं किया है और अभियोजन मामले में गंभीर कमी है। जो मामले के अभिलेख को देखते ही प्रकट है, अत: कार्यवाही छोड़ दिए जाने की दायी है।

3. भोला महतो के पुत्र दामोदर महतो की प्रेरणा पर प्राथमिकी उसमें यह कथन करते हुए दर्ज की गयी थी कि वह किसी मनोज कुमार महतो के साथ बी॰ एस॰ एल॰ मुख्यालय में अपने कर्तव्य स्थल पर जा रहा था और इस बीच सेक्टर IV के एल॰ आई॰ सी॰ चौराहा के निकट रजिस्ट्रेशन सं॰ BER 3409 वाली एक कार जिसे लापरवाह एवं उपेक्षावान तरीके से चलाया जा रहा था याची की मोटर साइकिल से टकराया जिसके परिणामस्वरुप परिवादी एवं पिछला सवार घायल हो गए। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्तगण ने भागने का प्रयास किया किंतु उपस्थित व्यक्तियों ने उनको भागने से रोका। उसने आगे कथन किया कि उसे अनेक उपहति आयी और दुर्घटना याची के लापरवाह एवं उपेक्षावान कृत्य के कारण हुई।

4. अन्वेषण के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337, 338 के अधीन अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया और न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था। मामला अभियोग का सार स्पष्ट करने के लिए लंबित है। इस चरण पर, अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अधीन याचिका उसमें कार्यवाही छोड़ने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया क्योंकि केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों एवं सामग्रियों के सूक्ष्म संवीक्षण पर अभिकथित अपराध का आरोप उसके विरुद्ध नहीं

बनता है। उक्त याचिका विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो के दिनांक 16.12.2014 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी है जिसके परिणामस्वरुप पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता विस्तारपूर्वक सुने गए।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि केस डायरी से और संपूर्ण अभिलेख से याची को आलिप्त करने के लिए कुछ नहीं है और उसके विरुद्ध आरोप नहीं बनता है। वह आगे निवेदन करते हैं कि सूचक को दिनांक 22.4.2013 को प्रात: 8.50 बजे बोकारो जेनरल अस्पताल में भरती किया गया था किंतु उपहति रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है कि डॉक्टर द्वारा उसका परीक्षण प्रात: 11.50 बजे किया गया था जो महत्वपूर्ण विरोधाभास है। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्राथमिकी में उल्लिखित किया गया है कि उसकी मोटरसाइकिल का पिछला सवार मनोज कुमार महतो बुरी तरह घायल हुआ था किंतु संपूर्ण केस डायरी में, मनोज कुमार महतो की उपहति रिपोर्ट नहीं है और न ही मनोज कुमार महतो की किसी उपहति के बारे में केस डायरी में कोई चर्चा है। वह आगे निवेदन करते हैं कि यथा अभिकथित दुर्घटना घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुई थी किंतु आश्चर्यजनक रूप से आई॰ ओ॰ अभिकथित घटना स्थल के पास के किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया है। वह आगे निवेदन करते हैं कि सूचक की मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा जब्त नहीं की गयी थी और मोटर वाहन निरीक्षक का रिपोर्ट नहीं है। वह आगे निवेदन करते हैं कि याची के वाहन की मोटर वाहन निरीक्षण रिपोर्ट सुझाती है कि याची के वाहन को किसी नुकसान का निशान नहीं है जो सुझाता है कि दुर्घटना नहीं हुई थी। वह निवेदन करते हैं कि यह मामला असद्भावपूर्ण आशय के साथ दर्ज किया गया है।

7. याची को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद और आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि अवर न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है। अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया है कि केस डायरी के पैराग्राफों 3, 4 एवं 16 में गवाहों के बयान अभियोजन मामले का समर्थन करते हैं। आगे तर्क से मैं पाता हूँ कि याची द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर इस चरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 दंडाधिकारी को उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से कार्यवाही रोकने की शक्ति देती है। वर्तमान मामले में, दंडाधिकारी ने पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त सामग्री है। (i) प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब, (ii) रजिस्ट्रेशन सं॰ JH-09N-6326 वाली मोटरसाइकिल की गैर-जब्ती, (iii) मोटर वाहन निरीक्षक की रिपोर्ट, मनोज कुमार महतो की उपहति रिपोर्ट की अनुपलब्धता और चश्मदीद गवाहों अथवा गवाहों जो घटना स्थल पर उपस्थित थे के गैर परीक्षण का प्रभाव क्या होगा, इसे साक्ष्य लेने के बाद विचारण के चरण पर विनिश्चित किया जाना है।

8. इस चरण पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अधीन याचिका विनिश्चित करते हुए याची द्वारा उठाए गए प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है। मेरे दृष्टिकोण में, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अधीन याचिका अस्वीकार किया है। इस प्रकार, यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

9. दिनांक 16.6.2015 को पारित अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

चामू ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal (Jail) Appeal (DB) No. 528 of 2006. Decided on 29th March, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 21/2005 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार द्वारा पारित दिनांक 31.1.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 307—हत्या एवं हत्या का प्रयास–दोषसिद्धि–अपीलार्थी ने पुलिस के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया है और उक्त बयान सिद्ध किया गया है–अपीलार्थी अपना बयान देने के लिए बिल्कुल सक्षम था और उसकी मानसिक दशा स्वस्थ थी–इस अभिवचन के समर्थन के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र सिद्ध नहीं किया है कि घटना की तिथि पर अथवा उसके पहले अपीलार्थी मानसिक असंतुलन से पीड़ित था–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 84 के अधीन छूट का लाभ लेने के लिए अपीलार्थी ने अन्य साक्ष्य नहीं दिया है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 6 से 8)

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धाराएँ 101 एवं 105—प्रमाण का भार–उक्त अपवाद के अंतर्गत मामला लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति उपधारित करेगा। (पैरा 6)

निर्णयज विधि.–(2013)12 SCC 270—Distinguished; (1970)3 SCC 533; (1986)0 Cr. LJ 271; (1977)0 Cr. LJ 1765; (2009)9 SCC 495; (2010)10 SCC 582—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Ram Kishore Prasad, For the Appellant; Mr. Sanjay Kumar Pandey, For the State.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–पक्षों को सुना गया।

2. यह दांडिक अपील लातेहार पी॰ एस॰ केस सं॰ 67/2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 266/2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 21/2005 में सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 31.1.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध कारा से दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने और 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। उसे आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में दो माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। इस प्रकार पारित समस्त दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

3. दिनांक 2.8.2004 को प्रातः 9.30 बजे लातेहार अस्पताल में उदेश्वर ओराँव के पुत्र दिनेश ओराँव के फर्दबयान के सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि दिनांक 2.8.2004 को प्रातः 6 बजे जब सूचक दैनिक कर्म से निबट कर घर लौट रहा था, उसने अपनी बहन द्वारा किया गया हल्ला सुना। वह दौड़ कर घटना स्थल पर गया और पाया कि उसका चाचा चामू ओराँव (अपीलार्थी) गोशाला में टांगी से उसकी माता पर उपहतियाँ कारित कर रहा है। सूचक को देखने पर अपीलार्थी वापस घर चला गया, सूचक उसके पीछे गया और अपीलार्थी को अपनी पत्नी तथा अपनी पुत्रियों लगभग ढाई वर्षीया पुत्री सिबना कुमारी और पाँच वर्षीया रिबना कुमारी को उपहति कारित करते देखा था। अपीलार्थी ने टांगी से उनको उपहति कारित करके अपनी पत्नी एवं दो पुत्रियों की हत्या की। उसने सूचक को धमकाया ''यदि तुम आओगे, तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी।

सूचक अपनी माता को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। अस्पताल में, सूचक का बयान दर्ज किया गया था और अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307, 302, 324 के अधीन दिनांक 2.8.2004 का लातेहार पी॰ एस॰ केस सं॰ 67/2004 दर्ज किया गया था।

पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और मामला एस॰ टी॰ सं॰ 21/2005 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए सूचक डॉक्टर और अन्वेषण अधिकारी सहित कुल 13 गवाहों का परीक्षण किया।

अन्वेषण के दौरान अपीलार्थी की संस्वीकृति पुलिस द्वारा दर्ज की गयी थी और उसने अपना दोष स्वीकार किया था और उस इकबालिया बयान को प्रदर्श 9 के रूप में चिन्हित किया गया है। अपीलार्थी का परीक्षण दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन किया गया था जिसमें भी उसने अपना दोष स्वीकार किया था और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज वह संस्वीकृति प्रदर्श 10 के रूप में सिद्ध की गयी है।

विद्वान सत्र न्यायाधीश, लातेहार ने विचारण के समापन पर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजों एवं अपीलार्थी के इकबालिया बयान पर विश्वास करते हुए उसको अपनी पत्नी एवं दो पुत्रियों की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और आगे उसको सूचक की माता को उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया।

4. न्यायमित्र के रूप में नियुक्त विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राम किशोर प्रसाद ने आक्षेपित निर्णय को मुख्यत: इस आधार पर चुनौती दिया है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन प्रावधानित लाभ का हकदार है। अपीलार्थी ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज अपनी संस्वीकृति में स्पष्टत: कथन किया है कि कभी-कभार वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। उस तिथि पर जिस पर उसने अपनी पत्नी एवं दो पुत्रियों की हत्या की थी और अपनी भाभी को उपहति कारित किया था, उसकी मानसिक दशा अच्छी नहीं थी और उस मानसिक अवस्था में अपराध किया गया था। जब कभी वह मानसिक विक्षिप्तता से पीड़ित होता है। वह ओझा एवं वैद्य से मदद इप्सित करता है। कभी कभार वे कहते हैं कि वह भूत के प्रभाव में है।

सुब्बु कुमारी (अ॰ सा॰ 12) अपीलार्थी की पुत्री है। उसने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में घटना का समर्थन किया है और कहा है कि उसके पिता ने उसकी माता एवं दो बहनों की हत्या की थी। उसके पिता ने उसकी चाची (बड़ी माँ) को भी उपहति कारित किया था। अपीलार्थी द्वारा उसका भी पीछा गया था किंतु उसने सुरक्षित स्थान पर छुपकर स्वयं को बचाया। अपने प्रति परीक्षण में उसने कहा है कि उसका पिता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन ने अपनी बाध्यता का निर्वहन नहीं किया है। यदि यह तथ्य है कि अपीलार्थी मानसिक रोग से पीड़ित था, उसकी मानसिक दशा अभिनिश्चित करने के लिए सक्षम डॉक्टर से उसका परीक्षण करवाना अभियोजन का कर्तव्य था। विद्वान अधिवक्ता ने **रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1970 (3) SCC 533,** मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है। उसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

> *^^vc ;g lfuf'pr gS fd le; dk fu.kk;d fcanq ftl ij ekufld fof{kIrrk LFkkfir dh tkuh pkfg,] og le; gS tc vijk/k oLrqr% fd;k x;k Fkk vkSj blfl) djus dk Hkkj vfHk;Dr ij gSA*
>
> *vihykFkhZ us Hkkj dk fuoZgu fd;k gSA blds dkbZ dkj.k ugha gS fd cO lkO 1 ';keyky vkSj Fkkuk flag cO lkO 2 ds lk{; ij fo'okl D;ksa ugha fd;k tkuk*

pkfg,A ;g lR; g fd o vihykFkh d lcèkh g] fdr doy lcfèk;k d fudV lid e cu jgu dh lHkkouk gkrh gA ?kVuk d fnu ij vihykFkh dk 0;ogkj] tc vihykFkh vfHkj{kk e Fkk] mldh n'kk d çfr lk{; nu e ifyl dh foQyrk vkj fpfdRlh; lk{; minf'kr djr g fd vihykFkh HkkO n0 l0 dh èkkjk 84 d vFk d vrxr fof{kIr FkkA

*?kVuk d le; ij og Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 84 d vFk d vrxr fof{kIr FkkA***

विद्वान अधिवक्ता ने आगे **कुटप्पन बनाम केरल राज्य, (1986)0 Cr. LJ 271,** मामले में और **सरजू मरांडी एवं एक अन्य बनाम बिहार राज्य (1977)0 Cr. LJ 1765** मामले में दिए गए निर्णय पर आगे विश्वास किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपराध किया गया है जब वह मानसिक विक्षिप्तता से पीड़ित था और इस तथ्य को स्वयं अन्वेषण के चरण पर अभियोजन की जानकारी में लाया गया था दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज अपीलार्थी के इकबालिया बयान में, यह तथ्य न्यायालय के ध्यान में और अन्वेषण अधिकारी के ध्यान में भी लाया गया था किंतु अभियोजन ने सक्षम डॉक्टर द्वारा अपीलार्थी का परीक्षण करवाने का प्रयास नहीं किया था। अभिलेख पर पूर्वोक्त तथ्य लाकर उसने अपनी बाध्यता का निर्वहन किया है। अब इसे असिद्ध अथवा त्यक्त करने की बारी अभियोजन की थी कि अपीलार्थी द्वारा उस मानसिक अवस्था में अपराध नहीं किया गया था और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के लाभ का हकदार नहीं है।

तकनीकी आधारों के अतिरिक्त, यह निवेदन किया गया है कि सूचक, अ॰ सा॰ 3 परमेश्वर ओराँव, अ॰ सा॰ 7 बब्लू ओराँव, अ॰ सा॰ 9 मनबहाल ओराँव और अ॰ सा॰ 10 लाल चंद ओराँव भी पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। उदेश्वर ओराँव (अ॰ सा॰ 2) ने अभियेजन मामले का समर्थन किया है किंतु वह अनुश्रुत गवाह प्रतीत होता है। अपने प्रतिपरीक्षण में वह स्वीकार करता है कि उसने अपीलार्थी द्वारा मृतक एवं घायल को कारित प्रहार नहीं देखा था। मन्नन ओराँव (अ॰ सा॰ 4) और फूलदेव ओराँव अनुश्रुत गवाह हैं और उन्होंने कहा है कि अपीलार्थी के घर से टांगी बरामद की गयी थी। डॉ॰ दिलीप कुमार (अ॰ सा॰ 6) ने मृतकाओं बुधनी देवी, सिबना कुमारी और रिबना कुमारी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है। सत्यबीर सिंह (अ॰ सा॰ 8) अन्वेषण अधिकारी है। उसने प्रदर्श 4 के रूप में फर्दबयान, प्राथमिकी पर किया गया पृष्ठांकन, औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 6) टांगी की अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 8), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 7 से 7/2) और अपीलार्थी का इकबालिया बयान (प्रदर्श 9) सिद्ध किया है। पक्षद्रोही गवाहों के मुख से निकलवाया गया विरोधाभास अन्वेषण अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है। वह स्वीकार करता है कि जब्त टांगी न्यायालयों में उसके समक्ष नहीं है।

यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी एवं डॉक्टर औपचारिक गवाह हैं। सूचक एवं अन्य तात्विक गवाह पक्षद्रोही बन गए हैं। केवल अ॰ सा॰ 12 जो अपीलार्थी की पुत्री है के बयान पर और अपीलार्थी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि दर्ज की गयी है। यह पुन: निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 12 ने अपने प्रति परीक्षण में कथन भी किया है कि उसका पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ था। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 84 को निर्दिष्ट करके यह प्रतिवाद किया गया था कि ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है जो इसे करने के समय पर मानसिक विक्षिप्तता के कारण कृत्य की प्रकृति अथवा कि जो वह कर रहा है विधि के विपरीत अथवा गलत है जानने में अक्षम था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पुलिस तथा दंडाधिकारी के समक्ष अपीलार्थी के बयान से

यह स्पष्ट है कि वह कृत्य की प्रकृति जानने में अक्षम था और वह उस समय पर मानसिक रोग से पीड़ित था जब अपराध किया गया था। ऐसी परिस्थितियों के अधीन, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने का दायी है और अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अंतर्विष्ट लाभ का हकदार है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि घटना के पहले की कोई पूर्व घटना अभिलेख पर नहीं लायी गयी है कि अपीलार्थी मानसिक रोग से पीड़ित था। उसके द्वारा कहा गया वाक्य कि ''कभी-कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है'' भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन उसको लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घटना की तिथि पर वह मानसिक रोग से पीड़ित था और उस मानसिक अवस्था में अपराध किया गया था। उसके विरुद्ध विरचित आरोप उसको हिंदी में पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया गया था किंतु उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया। इसी प्रकार से, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज बयान में उसने स्वीकार नहीं किया था कि उसके द्वारा मानसिक विक्षिप्तता के कारण अपराध किया गया था और वह कृत्य की प्रकृति जानने में अक्षम था। अभिलेख पर मौजूद तथ्य एवं साक्ष्य स्पष्टत: सुझाते हैं कि अपीलार्थी समुचित रूप से अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था और वह अपने अधिकार से अवगत था। अपने इकबालिया बयान में उसने कुछ सीमा तक घटना के पीछे का हेतु इंगित किया है। चूँकि अपील के चरण पर अपीलार्थी द्वारा किया गया अभिवचन विचारण के दौरान नहीं किया गया था अथवा सिद्ध नहीं किया गया था, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर विश्वास किया है।

(i) ***(2009)9 SCC 495 txnh'k cuke eè; in'k jkT;(***

(ii) ***(2010)10 SCC 582 lèkkdj.k cuke djy jkT;(***

(iii) ***(2013)12 SCC 270 efjvliu cuke rfeyukM jkT;A***

उक्त के अतिरिक्त, अभियोजन ने साक्ष्य देकर आरोप सिद्ध किया है और एक गवाह अर्थात् सुब्बो कुमारी (अ॰ सा॰ 12) और कोई नहीं बल्कि अपीलार्थी की पुत्री है और घटना की चश्मदीद गवाह है। इस गवाह ने कथन किया है कि उसके पिता ने उसकी माता एवं दो बहनों की हत्या की थी और उसकी चाची (बड़ी माँ) को भी उसने उपहति कारित किया था। उसने प्रहार कारित करने के लिए इस गवाह का भी पीछा किया किंतु किसी प्रकार वह बच निकली और छुप गयी। सूचक भी घटना का चश्मदीद गवाह है और उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। इस अपील में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने की दायी है।

6. हमने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने पुलिस के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया था और उक्त इकबालिया बयान प्रदर्श 9 के रूप में सिद्ध किया गया है। प्रदर्श 9 से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने हत्या करने के बाद घर के ढाबा में कुल्हाड़ी छुपा दिया और इसे उसके इंगित करने पर बरामद किया गया था और हत्या करने के लिए प्रयुक्त कुल्हाड़ी की बरामदगी के लिए अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 8) तैयार की गयी थी। अपीलार्थी का इकबालिया बयान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया था और इसे प्रदर्श 10 के रूप में सिद्ध किया गया है। लोलार्क दूबे (अ॰ सा॰ 11) ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अपीलार्थी का बयान दर्ज किया है और संलग्न प्रमाण पत्र स्पष्टत: सुझाता है कि वह अपना बयान देने के लिए बिल्कुल सक्षम था और उसकी मानसिक दशा बिल्कुल अच्छी थी। घटना दिनांक 2.8.2004 को हुई थी और दो दिनों के भीतर अर्थात् दिनांक 4.8.2004 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अपीलार्थी का बयान दर्ज किया गया था। अपीलार्थी की पुत्री सुब्बो कुमारी (अ॰ सा॰ 12) चश्मदीद गवाह है और उसने

अभियोजन मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। सूचक दिनेश ओराँव भी चश्मदीद गवाह है और अ॰ सा॰ 1 के रूप में उसका परीक्षण किया गया है। यह स्पष्ट है कि उसने अपने चाचा को बचाने का प्रयास किया है और पक्षद्रोही हो गया है किंतु उसने स्वीकार किया है कि उसके लिखवाने पर फर्दबयान लिखा गया था और प्रदर्श 1 पर अपना हस्ताक्षर करने के पहले इसे उसे पढ़कर सुनाया गया था। अतः, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य संगत, विश्वासोत्पादक हैं और विश्वास उत्पन्न करते हैं कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी एवं दो पुत्रियों की हत्या की है और आगे सूचक की माता को उपहति कारित किया है। चूँकि अपीलार्थी के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन प्रावधानित लाभ इप्सित किया है, हम इसका परीक्षण करना चाहेंगे जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *“84. **foÑrfpÙk O;fDr dk dk;-**&dkb ckr vijkèk ugh g tk ,l O;fDr }kjk dh tkrh g] tk ml djr le; fpÙk&foÑfr d dkj.k ml dk; dh iÑfr] ;k ;g fd tk dN og dj jgk g og nk"ki.k ;k fofèk d ifrdy g] tkuu e vleFk gA***

इस प्रावधान का लाभ उस व्यक्ति को उपलब्ध है जो उस समय पर जब कृत्य किया गया था, अपने कृत्य की प्रकृति अथवा कि जो वह कर रहा था गलत अथवा विधि के विपरीत था, जानने में अक्षम था। इस प्रावधान की विवक्षा यह है कि अपराधी को उस समय पर जब कृत्य किया गया था, इस मानसिक अवस्था का होना होगा और यह तथ्य कि वह पहले अथवा बाद में विक्षिप्त था केवल उस सीमा तक प्रासंगिक है कि वे अन्य साक्ष्य के साथ घटना के दिन पर अभियुक्त की मानसिक दशा विनिश्चित करने में परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इस संदर्भ में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 प्रासंगिक है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^105. tcfd dkb O;fDr fdlh vijkèk dk vfHk;Dr g rc mu ifjfLFkfr;k d vfLrRo dk lkfcr dju dk Hkkj] tk ml ekey dk Hkkjrh; nM lfgrk (1860 dk 45) d lkèkkj.k vioknk e l fdlh d vUrxr ;k mlh lfgrk d fdlh vU; Hkkx e] ;k ml vijkèk dh ifjHkk"kk dju okyh fdlh fofèk e] vUrfo"V fo'k"k vioknk ;k ijUrd d vUrxr dj nrh g] ml O;fDr ij g vkj U;k;ky; ,lh ifjfLFkfr;k d vHkko dh miëkkj.kk djxkA*
>
> *4. **miëkkfjr djxk-**&bl vfèkfu;e e tgk dgh ;g fufn"V g fd U;k;ky; dkb rF; miëkkfjr djxk] tcrd fd bl vfl) u dj fn;k tk; ;g ;Fkk micfèkr ,l rF;k dk è;ku j[kxkA*
>
> ***fl)-**&dkb rF; fl) fd;k x;k dgk tkrk g tc bld le{k iLrr fo"k;k ij fopkj dju d mijkr U;k;ky; ;k rk bld vfLrRo e gku dk Lohdkj djrk g] ;k bldk vfLrRo bruk vfèklHkkO; ekurk g fd fdlh ekeyk fo'k"k dh ifjfLFkfr;k e ,d food'khy O;fDr bl èkkj.kk ij dk; djxk fd ;g fo|eku gA*
>
> ***vfl)-**&dkb rF; vfl) fd;k x;k dgk tkrk g tc bld le{k iLrr fo"k;k ij fopkj dju d mijkr] U;k;ky; ;k rk fo'okl djrk g fd fo|eku ugh g ;k bldk xj&vfLrRo bruk vfèklHkkO; ekurk g fd fdlh ekeyk fo'k"k dh ifjfLFkfr;k e ,d food'khy O;fDr bl èkkj.kk ij dk; djxk fd ;g vfLrRo'khy ugh gA***

साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 प्रमाण के भार के बारे में कहती है और इसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^101. tk dkb U;k;ky; l ;g pkgrk g fd og ,l fdlh fofèkd vfèkdkj ;k nkf;Ro d ckj e fu.k; n tk mu rF;k d vfLrRo ij fuHkj g] ftUg og ik[;ku djrk g] ml lkfcr djuk gkxk fd mu rF;k dk vfLrRo gA*

*tc dkbZ 0;fDr fdlh rF; dk vfLrRo lkfcr dju d fy, vkc) g] rc ;g dgk tkrk g fd ml 0;fDr ij lcr dk Hkkj gA***

यह दांडिक विधिशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि अभियुक्त को निर्दोष उपधारित किया जाता है और इसलिए युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है। अत:, अभियोजन मानववध के मामले में युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करेगा कि अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में वर्णित अध्यपेक्षित आशय के साथ मृत्यु कारित किया। यह सामान्य भार कभी शिफ्ट नहीं होता है और यह सदैव अभियोजन पर टिका है। किंतु, चूँकि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 प्रावधानित करती है कि ऐसी कोई चीज अपराध नहीं है यदि अभियुक्त उस कृत्य को करने के समय पर मानसिक विक्षिप्तता के कारण अपने कृत्य की प्रकृति अथवा जो वह कर रहा था गलत अथवा विधि के विपरीत था, जानने में अक्षम था। इसके अपवाद होने के नाते, उक्त अपवाद के अंतर्गत मामला को लाने वाली परिस्थितियों का अस्तित्व सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है; और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति उपधारित करेगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 सहपठित उसकी धारा 4 में परिभाषा ''उपधारित करेगा'' के अधीन न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति सिद्ध की गयी के रूप में मानेगा जब तक अपने समक्ष मामले पर विचार करने के बाद यह विश्वास नहीं करता है कि उक्त परिस्थितियाँ विद्यमान थी अथवा उनका अस्तित्व इतना अधिसंभाव्य था कि विवेकशील व्यक्ति को उस मामले की परिस्थितियों के अधीन इस धारणा के अधीन कि वे विद्यमान थी पर कृत्य करना चाहिए।

यह भी विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना है कि धारा 84 के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मामला लाने वाली परिस्थितियों का अस्तित्व अभिनिश्चित करने का समय का निर्णायक बिंदु वह समय है जब अपराध किया गया है।

7. हमने सावधानीपूर्वक मामला अभिलेख का परिशीलन किया है और हम नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी ने मामले के संस्थापन से निर्णय की उद्घोषणा तक किसी चरण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का लाभ इप्सित किया है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह सिद्ध करने के लिए कि विक्षिप्त मानसिक दशा में अपराध किया गया था, अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, मामले के संस्थापन के दो दिनों के भीतर, अपीलार्थी ने अपना दोष स्वीकार किया है और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसका बयान (प्रदर्श 10) दर्ज किया गया था। जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का बयान दर्ज किया गया था, उसने अभिवचन नहीं किया था कि घटना के समय पर वह मानसिक विक्षिप्तता अथवा किसी मानसिक रोग से पीड़ित था। तर्क के समय पहली बार अपीलार्थी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का अभिवचन किया गया है। हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण **मरिअप्पन बनाम तमिलनाडू राज्य, (2013)12 SCC 270,** मामले में निर्णय से समर्थन पाता है। वर्तमान मामले में सामने आने वाले तथ्य अपीलार्थी द्वारा उद्धृत निर्णय में सामने आने वाले तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। घटना की तिथि के पहले की कोई अवधि जिसके दौरान अपीलार्थी किसी मानसिक रोग से पीड़ित था, अभिलेख पर नहीं लायी गयी है। इसका समर्थन करने के लिए कि घटना की तिथि पर अथवा इसके पहले अपीलार्थी मानसिक रोग से पीड़ित था, चिकित्सीय प्रमाण पत्र सिद्ध नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन छूट का लाभ लेने के लिए अपीलार्थी द्वारा कोई अन्य साक्ष्य नहीं दिया गया है। इन परिस्थितियों में, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन प्रावधानित अपवाद पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इस प्रकार दिया गया तर्क अस्वीकार किया जाता है।

8. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

इम्तियाज अहमद

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Tr. Petition (Cr.) No. 24 of 2014. Decided on 23rd April, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 407—दांडिक मामले का अंतरण—याची सरायकेला से जमशेदपुर जो केवल 40 कि॰ मी॰ की दूरी पर है, अपना मामला अंतरित करवाना चाहता है—याची सरायकेला से जमशेदपुर पुलिस मामला के अंतरण के लिए मामला बनाने में विफल रहा है—याची को सरायकेला में विचारण न्यायालय के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य देने के लिए गवाहों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए एस॰ पी॰, जमशेदपुर के पास जाने की स्वतंत्रता दी गयी। (पैरा 4)

अधिवक्तागण.—Mr. Mokhtar Ahmed, For the Petitioner; Mr. Sanjay Kumar Pandey-II, For the State; Mr. K. Panda, For the Res. No. 7 to 12.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोख्तार अहमद, राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री संजीव कुमार पांडे-II और प्रत्यर्थी सं॰ 7 से 12 के विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पांडा सुने गए।

2. याची ने इस आवेदन में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावाँ के समक्ष लंबित राजनगर पी॰ एस॰ केस सं॰ 89 वर्ष 2013 को जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में किसी समतुल्य न्यायालय को अंतरित करने के लिए प्रार्थना किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची के पुत्र के गायब होने के संबंध में आरंभिक सूचना याची द्वारा जुगसलाई पुलिस थाना के समक्ष दी गयी थी किंतु केवल इस तथ्य के कारण कि याची के पुत्र का मृत शरीर राजनगर पुलिस थाना की अधिकारिता के अंतर्गत किसी स्थान से बरामद किया गया था, उक्त मामला संस्थित किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्तगण उसको धमकी दे रहे हैं और वस्तुत: उसने पहले ही जुगसलाई पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को संसूचना में अपनी आशंका व्यक्त किया है। यह निवेदन किया गया है कि यदि मामले का विचारण सरायकेला-खरसावाँ में किया जाता है, गवाह भय के कारण उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

4. स्टेटस रिपोर्ट जिसे विद्वान विचारण न्यायालय से मंगवाया गया था, यह प्रतीत होता है कि चौदह आरोप-पत्रित गवाहों में से अब तक एक गवाह का परीक्षण किया गया है। याची अपना मामला सरायकेला से जमशेदपुर अंतरित करवाना चाहता है जो स्वीकृत रूप से केवल 40 कि॰ मी॰ की दूरी पर है। याची सरायकेला से जमशेदपुर राजनगर पी॰ एस॰ केस सं॰ 89 वर्ष 2013 को अंतरित करवाने के लिए मामला बनाने में विफल रहा है। किंतु याची की प्रार्थना स्वीकार किए बिना यह संप्रेक्षित किया गया है कि यदि याची सरायकेला में विचारण न्यायालय के समक्ष उनके अभिसाक्ष्य के लिए गवाहों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, जमशेदपुर के पास जाता है, वरीय आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर आवश्यक करेंगे।

5. यहाँ उपर किए गए संप्रेक्षणों के साथ यह आवेदन निपटाया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

खोरा बौरी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 536 of 2009. Decided on 25th February, 2016.

सत्र केस सं॰ 10 वर्ष 2003/18 वर्ष 2004 में शिवशंकर मिश्रा, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 22 मई, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24 मई, 2007 के दंडादेश के विरुद्ध।

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 313—अभियुक्त का परीक्षण–यह प्रावधान आज्ञापक प्रकृति का है और न्यायालय पर अनिवार्य कर्तव्य डालता है और उसके विरुद्ध सामने आने वाली अपराध में फँसाने वाली ऐसी सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने का अवसर पाने का अभियुक्त पर तत्सम अधिकार प्रदान करता है–भारत में निष्पक्षता न्यायिक प्रणाली का सार है। (पैरा 12)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि–अंतिम बार साथ देखे जाने की कथा विश्वसनीय नहीं पायी गयी थी–चूँकि अभियुक्त को स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया था, अभिलेख पर मौजूद संस्वीकृति का उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 11 से 15)

निर्णयज विधि.–(2011)2 SCC 206; (2011)8 SCC 80—Relied; (2011)2 SCC 490—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s. Rishi Pallav, K.P. Deo, For the Appellants; M/s. Pankaj Kumar, Krishna Shankar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील जामतारा, नाला पी॰ एस॰ केस सं॰ 11 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 56 वर्ष 2003 के तत्सम सत्र केस सं॰ 102 वर्ष 2003/18 वर्ष 2004 में विद्वान अपर द्वितीय सत्र न्यायाधीश, जामतारा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 22 मई, 2007 एवं दिनांक 24 मई, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. मंटू बौरी द्वारा दर्ज प्राथमिकी से सामने आने वाला तथ्य यह है कि दिनांक 23 फरवरी, 2003 को प्रात: लगभग 10 बजे पीड़िता रेखा बौरी (सूचक की पुत्री) सड़क की ओर अपनी माता को देखने घर से निकली, किंतु घर जीवित वापस नहीं आयी। जब सूचक की पत्नी बाजार से घर लौटी, उससे रेखा के अता-पता के बारे में पूछा गया था किन्तु उसने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त किया। माता-पिता द्वारा तलाश किया गया था किंतु वे रेखा का पता लगाने में विफल रहे। दिनांक 25 फरवरी, 2003 को अपराह्न लगभग 3 बजे बाटू बौरी, जाडू बौरी की पत्नी ने सूचित किया कि उसने रेखा बौरी का मृत शरीर हासी पहाड़ी पर पड़ा देखा था। ऐसी सूचना पाने पर, सूचक अपने संबंधियों के साथ घटनास्थल पर गया और नग्न दशा में रेखा का मृत शरीर पाया। उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। शरीर के कुछ निचले हिस्से जले हुए थे। उसके अंत:वस्त्र भी घटनास्थल के निकट थे। पुलिस को मामला रिपोर्ट किया गया था। सूचक

ने अपीलार्थी खोरा बौरी एवं सह-अभियुक्त गोरा चंद बर्धन के विरुद्ध संदेह किया था जिन्होंने पूर्व अवसर पर रेखा बौरी की मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास किया था।

पुलिस सब-इंस्पेक्टर अरविन्द कुमार सिन्हा द्वारा दर्ज मंटू बौरी के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 201 एवं 34 के अधीन दिनांक 25 फरवरी 2003 का जामतारा, नाला पी॰ एस॰ केस सं॰ 11 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था। बाद में, दिनांक 27 फरवरी, 2003 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 भी जोड़ी गयी थी।

3. सह-अभियुक्त गोराचंद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, किंतु अपीलार्थी खोरा बौरी को गिरफ्तार किया गया था और उसने गवाहों तथा पुलिस के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया। पुलिस द्वारा अपीलार्थी की संस्वीकृति दर्ज की गयी थी और उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और पुनः दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अपीलार्थी का इकबालिया बयान दर्ज किया गया था। पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति के आधार पर, मृतका का गला दबाने के लिए प्रयुक्त सूती तौलिया बरामद किया गया था।

पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376/302/201/34 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र केस सं॰ 102 वर्ष 2003 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (G), 302/34 एवं 201/34 के अधीन आरोपों को विरचित किया गया था जिसके प्रति अपीलार्थी ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

आरोप सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने सूचक एवं डॉक्टर सहित कुल 14 गवाहों का परीक्षण किया। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का मुख्यतः इस आधार पर विरोध किया है कि विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करके गंभीर गलती किया है। दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश विकृत है और मान्य नहीं ठहराया जा सकता है।

यह निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा दर्ज संस्वीकृति विधि में ग्राह्य नहीं है। अ॰ सा॰ 6 कमल बौरी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी जिन्होंने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अपीलार्थी का इकबालिया बयान दर्ज किया ने अभियुक्त की संस्वीकृति दर्ज करते हुए आवश्यक प्रावधान एवं सावधानी का अनुपालन नहीं किया है। उन्होंने **रबिन्द्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम भारत का गणतंत्र, (2011)2 SCC 490,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया था।

आगे यह इंगित किया गया है कि अभिलेख पर प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी की संस्वीकृति पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया है। आश्चर्यजनक रूप से, अपराध में फँसाने वाली परिस्थिति अर्थात् अपीलार्थी की संस्वीकृति पर अपीलार्थी से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा

313 के अधीन दर्ज अपने बयान में पूछताछ नहीं किया था। इस संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मो॰ इकराम एवं एक अन्य, (2011)8 SCC 80** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है।

6. जहाँ तक अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 1, 5 एवं 6 क्रमश: मृतका के माता, पिता एवं दादा हैं। अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने मामले का समर्थन किया है जिसे उन्होंने प्राथमिकी में बनाया था। स्वीकृत रूप से, वे चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उन्होंने घटना नहीं देखा था। इन दो गवाहों ने अपीलार्थी के विरुद्ध संदेह किया है क्योंकि उनके अनुसार अपीलार्थी ने पहले मृतका की मर्यादा भंग करने का प्रयास किया था। कमल बौरी मृतका का दादा है। उसके द्वारा अभिलेख पर लाए गए तथ्यों पर कल्पना की किसी सीमा तक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वह कहता है कि उसने मृतका रेखा बौरी को उस स्थान पर खड़ा देखा था जहाँ अपीलार्थी और सह-अभियुक्त गोरा चंद बर्धन मदिरा सेवन कर रहे थे। जब उसने रेखा को साथ चलने को कहा, उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी माता के साथ आएगी। स्थान जहाँ अ॰ सा॰ 6 ने रेखा को देखा था वह स्थान है जहाँ से रेखा का मृत शरीर बरामद किया गया था। अ॰ सा॰ 5 के अनुसार, सूचक के घर से घटनास्थल पहुँचने में एक घंटा लगता है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, स्थान जहाँ से मृत शरीर बरामद किया गया था, हासी पहाड़ीवन के भीतर अवस्थित है। अभिलेख पर विनिर्दिष्ट साक्ष्य नहीं लाया गया है किंतु निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि स्थान जहाँ मृतका का मृत शरीर पड़ा होगा, जनसंख्या एवं आम सड़क से दूर निर्जन स्थान होगा। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता था कि उस स्थान से हटने का कमल बौरी (अ॰ सा॰ 6) के पास अवसर नहीं था और उसके लिए उसके द्वारा कारण नहीं दिया गया है। सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि मृतका को दिनांक 23 फरवरी, 2003 को उसके घर से गायब पाया गया था और माता-पिता परेशान हुए और उन्होंने तलाश किया किंतु अ॰ सा॰ 6 जो मृतका का दादा है ने अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 5 को यह तथ्य प्रकट नहीं किया था कि उसने रेखा को अपीलार्थी एवं सह-अभियुक्त गोरा चंद बर्धन के साथ देखा था। पैरा 6 में, अ॰ सा॰ 6 के मुख से विरोधाभास निकलवाया गया है किंतु अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण उसे निर्दिष्ट नहीं किया जा सका था कि क्या ऐसा बयान अ॰ सा॰ 6 द्वारा पुलिस के समक्ष दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दिया गया था या नहीं। अत:, अपने अभिसाक्ष्य के पैरा I में दिये गये अ॰ सा॰ 6 के पूर्वोक्त बयान को किसी विचार से त्यक्त किए जाने की आवश्यकता है। यदि इसे विचार से व्यक्त किया जाता है, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत विनष्ट हो जाता है।

7. उत्तर दिए जाने के लिए शेष प्रश्न यह है कि क्या पुलिस के समक्ष संस्वीकृति दोषसिद्धि का आधार हो सकती है? निश्चय ही, उत्तर नकारात्मक होगा। तब विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज अपीलार्थी के इकबालिया बयान पर विश्वास किया है। केवल अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है यदि इसे तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाता है और कि तर्कपूर्ण साक्ष्य परिस्थितिजन्य अथवा प्रत्यक्ष हो सकता है।

पुन: यह इंगित किया गया है कि अपराध में फँसाने वाली पूर्वोक्त परिस्थितियों जिनके आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की गयी है को अपीलार्थी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन नहीं रखा गया था। अत:, विचारण न्यायाधीश द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश केवल इस आधार पर अपास्त किए जाने का दायी है।

8. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला किसी गलती के बिना अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करती हैं जिसने 14 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध किया है। अपीलार्थी और सह-अभियुक्त गोराचंद बर्धन ने घटना के पहले भी पूर्व अवसर पर मृतका की मर्यादा भंग करने का प्रयास किया था और उसे दोनों परिवारों के ध्यान में लाया गया था। अपीलार्थी और सह-अभियुक्त के माता-पिता को सतर्क किया गया था। मृतक अपने घर से गायब थी। उसे अ॰ सा॰ 6 द्वारा अपीलार्थी के साथ देखा गया था। अपीलार्थी ने गवाहों एवं पुलिस के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया है और संस्वीकृति के आधार पर मृतका का गला दबाने के लिए प्रयुक्त तौलिया बरामद किया गया था। अपीलार्थी ने आगे दंडाधिकारी के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन बयान दर्ज किया गया था। डॉक्टर आर॰ पी॰ सिंह, अ॰ सा॰ 7 ने रेखा बौरी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उन्होंने मृतका के शरीर पर जिन उपहतियों को ध्यान में लिया था, वह पूरी तरह सुझाती है कि उसकी हत्या करने के पहले मृतका के साथ बलात्कार किया गया था। दोनों स्तनों, कंधा पर उपहतियाँ एवं योनि पर विदीर्णता ध्यान में लिया गया था। मृत्यु का कारण गला दबाने के परिणामस्वरुप दम घुटना था। इन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के समेकित तथ्य किसी गलती के बिना अपीलार्थी के दोष की ओर ले जाते हैं और उसे सही प्रकार से दोषी अभिनिर्धारित किया गया है।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है और अवर न्यायालय अभिलेख का और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया है। किया गया अपराध निश्चय ही गंभीर है क्योंकि 14 वर्षीय बालिका का बलात्कार एवं हत्या की गयी थी। किंतु प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अभियोजन ने अपीलार्थी को अभिकथित अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य लाया है? अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इंगित करते हैं कि सूचक की पुत्री को दिनांक 23 फरवरी, 2003 से गायब पाया गया था और मृत शरीर हासी पहाड़ी वन से दिनांक 25 फरवरी, 2003 को बरामद किया गया था। जादू बौरी की पत्नी बातू बौरी ने पहले मृत शरीर देखा था और उसने सूचक एवं उसके परिवार को मृत शरीर के स्थान के बारे में सूचित किया था। बातू बौरी का परीक्षण नहीं किया गया है। अर्चना बौरी अ॰ सा॰ 1 मृतका की माता है और व्यवहार्यत: वह अनुश्रुत गवाह है। उसने सूचक द्वारा प्राथमिकी में दिए गए विवरण का समर्थन किया है। वह इस तथ्य का भी समर्थन करती है कि अपीलार्थी और सहअभियुक्त गोरा चंद बर्धन ने पूर्व अवसर पर मृतका की मर्यादा भंग करने का प्रयास किया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि उसने घटना देखा था या नहीं। एकमात्र परिस्थिति उपदर्शित करती है कि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त गोराचंद बर्धन ने रेखा की मर्यादा भंग करने का प्रयास पूर्व अवसर पर किया था। गौतम बौरी अ॰ सा॰ 2, हरधन बौरी अ॰ सा॰ 3, लखन बौरी अ॰ सा॰ 4 और मंटू बौरी अ॰ सा॰ 5 सूचक ने भी न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में यही तथ्य दोहराया है। पूर्वोक्त गवाहों ने तिथि का उल्लेख नहीं किया है जिस पर अपीलार्थी अथवा सह-अभियुक्त गोराचंद बर्धन ने रेखा की मर्यादा भंग करने का प्रयास किया था। पुलिस को उन घटनाओं की जानकारी कभी नहीं दी गयी थी। यह मानते हुए भी कि यह सत्य है कि घटना के पीछे का हेतु यह था और अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त गोराचंद बर्धन मृतका के साथ यौन संबंध स्थापित करने का आशय रखते थे और शव परीक्षण रिपोर्ट सुझाता है कि मृतका को उसकी मृत्यु के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था, तथ्य बना रहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धि दर्ज नहीं की गयी है। अ॰ सा॰ 7 द्वारा सुझाव

नहीं दिया गया था कि मृतका को उसकी मृत्यु के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (g) के अधीन दर्ज दोषमुक्ति के निष्कर्ष के विरुद्ध राज्य द्वारा अपील दाखिल नहीं की गयी है। मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए हेतु जिसे गवाहों द्वारा न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में दिया गया है का उपयोग अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

10. हमने यह पता लगाने का भी प्रयास किया है कि क्या अंतिम बार साथ देखे जाने की कहानी, जिसे अ॰ सा॰ 6 द्वारा अभिलेख पर लाया गया है, पर विश्वास किया जा सकता है? अ॰ सा॰ 6 मृतका का दादा है। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यह उपदर्शित किया गया है कि घटना स्थल जहाँ मृत शरीर पाया गया था हासी पहाड़ी वन के भीतर अवस्थित है। अ॰ सा॰ 5 के बयान के अनुसार, सूचक के घर से घटनास्थल पर पहुँचने में एक घंटा लगता है। घटना स्थल जहाँ मृत शरीर पड़ा हुआ था आबादी से घिरा नहीं था। अभिलेख पर यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या उस स्थान से होकर कोई सड़क अथवा गाँव की पगडंडी जाती थी। अ॰ सा॰ 6 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि यह उस स्थान पर क्यों गया था। अब उस बयान पर आते हुए जिसे अ॰ सा॰ 6 ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में दिया है, वह कहता है कि मृतका वहाँ खड़ी थी जहाँ अपीलार्थी और सह अभियुक्त गोरा चंद बर्धन मदिरा सेवन कर रहे थे। यदि यह तथ्य था, तब अपीलार्थी एवं सह-अभियुक्त गोराचंद बर्धन द्वारा मृतका की मर्यादा भंग करने का प्रयास करने की कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मृतका ने अ॰ सा॰ 6 दादा को प्रकट नहीं किया था कि उसे किसी मजबूरी के अधीन अपीलार्थी द्वारा उस स्थान पर लाया गया था। अ॰ सा॰ 6 कहता है कि वह घटना स्थल के निकट खड़ी थी। जब उसने उसे साथ चलने को कहा, उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी माता के साथ आएगी। यदि अ॰ सा॰ 6 का बयान इस सीमा तक सही स्वीकार किया जाता है, तब निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि अपीलार्थी एवं सह-अभियुक्त गोराचंद के साथ मृतका की उपस्थिति मैत्रीपूर्ण थी। हम एक अन्य कारण से अ॰ सा॰ 6 का ऐसा बयान स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं कि उसने इस तथ्य को मृतका के माता-पिता को प्रकट नहीं किया था। उसने अ॰ सा॰ 5 से यह नहीं कहा था कि उसने रेखा को अपीलार्थी एवं सह अभियुक्त गोराचंद बर्धन के साथ देखा था। बचाव अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 6 के मुख से पैरा 6 में विरोधाभास निकलवाया है और सुझाया कि उसने पुलिस के समक्ष वह बयान नहीं दिया था। पुनः अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण यह अभिपुष्ट नहीं किया जा सका था कि क्या अ॰ सा॰ 6 ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन बयान दिया था या नहीं। उक्त कारणों से हम अ॰ सा॰ 6 द्वारा अभिलेख पर लायी गयी अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत अस्वीकार करते हैं।

11. यह सुनिश्चित विधि है कि केवल अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर, उसे किए गए अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। अभियोजन मामले के अनुसार, अपीलार्थी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद गवाहों एवं पुलिस के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया था और इसे लेखबद्ध किया गया था। अ॰ सा॰ 9 द्वारा वह बयान औपचारिक रूप से सिद्ध किया गया है। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। अपीलार्थी को दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया था। अब विचार किए जाने के लिए केवल साक्ष्य का वह टुकड़ा शेष है। यह प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए संस्वीकृति का एक भाग स्वीकार किया है और शेष संस्वीकृति अस्वीकार कर दिया है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि बलात्कार के बिंदु पर संस्वीकृति स्वीकार नहीं की गयी है। संस्वीकृति का वह भाग जो मृतका की हत्या के बारे में कहता है स्वीकार किया गया है। कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है कि क्यों अपीलार्थी को हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए संस्वीकृति का एक भाग स्वीकार किया गया है और बलात्कार की कारिता के संबंध में संस्वीकृति का भाग अस्वीकार किया गया है। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा की गयी एक अन्य भयंकर भूल यह है कि उन्होंने दं॰ प्र॰

सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज उसके बयान में अपीलार्थी से कोई प्रश्न नहीं पूछा था कि उसने पुलिस के समक्ष और दंडाधिकारी के समक्ष भी अपना दोष संस्वीकार किया था।

12. हमारे देश में न्यायनिर्णयन की एडवर्शियल प्रणाली है। दोनों पक्षों को न्यायालय के समक्ष अपनी पूरी बात कहने का समान अवसर दिया जाता है। अभियोजन एवं बचाव को अभिलेख पर अपना साक्ष्य लाने का समान अवसर दिया जाता है। दांडिक विचारण आरोप विरचित करने की तिथि से आरंभ होता है और आरोप विरचित करने का प्रयोजन अभियुक्त को आरोपों से अवगत कराना है, जिसे अभियोजन विचारण के दौरान उसके विरुद्ध सिद्ध करने का आशय रखता है। आरोप अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य के आधार पर विरचित किया जाता है। आरोप की विरचना इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि इसे अभियुक्त पर विचारण के दौरान अपना बचाव करने में कोई प्रतिकूलता नहीं करनी चाहिए। अभियोजन साक्ष्य बंद होने के बाद, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण किया जाता है। भारत में निष्पक्षता न्यायिक प्रणाली का सार है। पुनः निष्पक्षता का सिद्धांत लागू करने के लिए, अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन सिद्ध करने के लिए लायी गयी अपराध में फँसाने वाली समस्त परिस्थितियों को प्रश्नों के रूप में अभियुक्त के ध्यान में लाने की आवश्यकता है ताकि वह अपने विरुद्ध लाए गए अपराध में फँसाने वाली परिस्थिति/साक्ष्य को स्पष्ट करने में सक्षम हो सके। अभियुक्त के समक्ष अपराध में फँसाने वाली समस्त परिस्थितियों को रखना एवं उसका प्रत्युत्तर लेना न्यायालय का न केवल कर्त्तव्य है बल्कि न्यायालय ऐसा करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है। यह प्रावधान आज्ञापक प्रकृति का है और न्यायालय पर अनिवार्य कर्तव्य डालता है और अपने विरुद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाली ऐसी सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए अभियुक्त को अवसर पाने के तत्सम अधिकार का अनुपालन अपेक्षित है।

वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी से कोई प्रश्न नहीं पूछा है कि क्या उसने पुलिस अथवा दंडाधिकारी के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया था। चूँकि अभियुक्त को स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया है, उसे दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध उस संस्वीकृति का उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट **मो॰ इकराम एवं एक अन्य (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया गया है।

13. अलग होने के पहले हम यह दर्ज करना वांछनीय महसूस करते हैं कि अभियोजन ने ईमानदारीपूर्वक अपनी बाध्यता का निर्वहन नहीं किया है और लोक अभियोजक डॉक्टर, जिन्होंने रेखा के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था, को सुझाव कि स्तनों, कंधा पर हुई मृत्युपूर्व उपहतियाँ और योनि पर ध्यान में ली गयी विदीर्णता इस तथ्य को सुझाने वाली है कि मृतका को उसकी हत्या के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था, नहीं देने के कारण अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान था। लोक अभियोजकों के ऐसे लापरवाह रवैये पर रोक लगाने की आवश्यकता है और उसके लिए निदेशक, अभियोजन, झारखंड राज्य का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है।

14. दांडिक अपीलों को सुनते हुए हमने अनुभव किया है कि हमारे न्यायिक अधिकारी आरोपों की विरचना एवं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के परीक्षण के प्रति समुचित ध्यान नहीं देते हैं जो दांडिक विचारण में दो अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण है। **सन्जन शर्मा बनाम बिहार राज्य, (2011)2 SCC 206,** पैरा 14 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के इस रवैये को ध्यान में लिया है। उक्त निर्णय का पैरा 14 यहाँ उद्धृत किया जाता है:–

> *"14. ge ;g dgu d fy, etcj g fd ;g ,dkdh ekeyk ugh g cfYd vke ekeyk gA gekjk vuHko g fd fcgkj e nkfMd fopkj.k e vkjkik dh fojpuk ,o nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 313 d vèkhu vfHk;Dr d ijh{k.k d çfr lefpr è;ku*

*ugh fn;k tkrk g tk nkfMd fopkj.k e nk vR;Ur egRoi.k pj.k gA vkjki dh fojpuk vkj vfHk;Dr dk ijh{k.k çk;% ykijokg ,o ;kf=d rjhd l fd;k tkrk gA ge vi{kk djr g fd iVuk mPp U;k;ky; dk ml mi{kk.k rjhd dk è;ku e yuk pkfg, ftl rjhd l jkT; e dN U;k;ky; xHkhj vijkèkk dk fopkj.k djr çrhr gkr g vkj lefpr lèkkjid dne mBkuk pkfg,A***

सञ्जन शर्मा (ऊपर) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, हम इस दांडिक अपील में हमारे द्वारा उद्घोषित निर्णय को निदेशक, न्यायिक एकेडमी, झारखंड; निदेशक, अभियोजन, झारखंड राज्य; और समस्त प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को समुचित कदम उठाने के लिए परिचालित करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय की सहमति इप्सित करने का निर्देश रजिस्ट्रार जेनरल, झारखंड उच्च न्यायालय को देते हैं।

15. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, अभियोजन की ओर से ढिलाई और साक्ष्य का अधिमूल्य करने में विचारण न्यायाधीश द्वारा की गयी गलती के कारण और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन बयान दर्ज करने के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हमारे पास सत्र मामला सं॰ 102 वर्ष 2003/18 वर्ष 2004 के संबंध में पारित क्रमशः दिनांक 22 मई, 2007 एवं दिनांक 24 मई, 2007 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश को अपास्त करने के अलावा विकल्प नहीं है। तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी जो सत्र केस सं॰ 102 वर्ष 2003/18 वर्ष 2004 के संबंध में अभिरक्षा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय समुचित निर्देश जारी करेंगे यदि यह आवश्यक हो।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

विवेक कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

LPA No. 641 of 2015. Decided on 4th May, 2016.

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995—धारा 33—3% आरक्षण का प्रावधान–झारखंड राज्य निःशक्तता अधिनियम, 1995 के अधीन आज्ञा क्रियान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है–पी॰ आई॰ एल॰ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में अपीलार्थी को जो भी लाभ प्रवाहित होते हैं, उन्हें उसको प्रदान किया जाएगा। (पैराएँ 3 से 6)

अधिवक्तागण.–Ms. Suchitra Pandey, For the Appellant; M/s Ajit Kumar, Sanjay Piprawal, For the Respondents.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 330/2013 में पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी रिट याची (इसमें इसके बाद 'याची' के रूप में निर्दिष्ट) ने वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल करके इस न्यायालय के दरवाजा पर दस्तक दिया है।

2. लेटर्स पेटेन्ट अपील के लंबित रहने के दौरान, जनहित याचिका **डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 7525 वर्ष 2013 शीर्षक ''अरुण कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य''** जो कैडर संख्या

के आधार पर नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन आरक्षण प्रदान करने एवं क्रियान्वित करने के लिए प्रत्यर्थी झारखंड राज्य को निर्देश इप्सित करती है, को दिनांक 9.3.2016 के आदेश के तहत विनिश्चित किया गया। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *"13. fu%'kDrrk vfèkfu;e] 1995 d vèkhu çkoèkkuk rFkk ^^u'kuy QMj'ku vkQ n CykbM** (Åij) e fu.k; ij fopkj djr g, ;g ,rn }kjk ?kkf"kr fd;k tkrk g fd fu%'kDr 0;fDr;k d fy, vkj{k.k dy dMj l[;k d vkèkkj ij fofuf'pr fd;k tk,xk vkj] ;g foKfir fjfDr;k dh dy l[;k d çfr fØ;kfUor fd;k tk,xkA mnkgj.kLo#i] ;fn 100 ink d dy dMj l[;k d fo#) doy 20 fjfDr;k foKkfir dh x;h g] èkkjk 33 e mfYyf[kr fu%'kDrrkvk dh rhuk dkfV;k e l fdlh ,d d fy, ,d in vkjf{kr j[kk tk ldrk g ;fn 0;fDr;k dh ,lh dkfV dk vkj{k.k dk ykHk nu d fy, ,l in dh igpku dh tk ldrh gA jkLVj fcn l[;k 1 l 20 rd fdlh in dh igpku ugh fd, tk ldu dh fLFkfr e] jkLVj fcn l[;k 1 l 33 rd ,d fjfDr èkkjk 33 d vu#i fu%'kDrrkvk dh rhuk dkfV;k e l fdlh ,d d fy, vkjf{kr fd;k tk ldrk gA fdr] ;fn bl fcn ij Hkh fu%'kDrrkvk dh rhu dkfV;k e l fdlh ,d d fy, in igpku ;kX; ugh g] jkLVj fcn lO 33 l 67 rd nk ink dk vkjf{kr djuk gkxk vkj] blh çdkj l] iu% jkLVj fcn l[;k 34 l 67 vkj jkLVj fcn l[;k 68 l 100 e vkj{k.k fØ;kfUor djuk gkxkA èkkjk 33 d vèkhu vkj{k.k ,lO lhO@,lO VhO@vkO chO lhO vkfn d fy, vkj{k.k dh ;ktuk l lfHkUu g D;kfd fu%'kDr 0;fDr d i{k e vkj{k.k {krh th; gkrk g vkj fcYdy ;gh dkj.k g fd jkLVj fcn lO 1 l 33, 34 l 67; 68 l 100 ij jkLVj e vku okyh fjfDr mi;Dr fu%'kDr 0;fDr;k dh fu;fDr d fy, miyCèk gA fdlh Hkh fLFkfr e] LFkkiu dk fu%'kDr 0;fDr;k dk U;ure 3% vkj{k.k lfuf'pr djuk gkxk tlk fu%'kDrrk vfèkfu;e 1995 dh èkkjk 33 e minf'kr fd;k x;k gA*
>
> *14. fdr] ge Li"V djr g fd tc ,d ckj jkLVj fcn lO 1 l 33 d ink e l fdlh ,d dk vkjf{kr j[kk tkrk g] nl jh fjfDr doy jkLVj fcn l[;k 34 l 67 e vkjf{kr dh tk,xhA foKkfir fjfDr;k dh l[;k èkkjk 33 e mfYyf[kr rhuk dkfV;k e l fdlh ,d l vku oky 0;fDr@0;fDr;k dk èkkjk 33 d vèkhu ykHk ugh inku dju d fy, fu%'kDrrk ugh gkxhA iokDr ppk dh nf"V e] ge çR;Fkh >kj[kM jkT; dh vkj l fd, x, çfrokn dk Lohdkj dju e Lo; dk v{ke ikr g fd doy jkLVj fcn l[;k 33, 67 ,o 100 ij fjfDr;k gh fu%'kDr 0;fDr dh fu;fDr d fy, miyCèk gA**"*

3. इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि झारखंड सरकार नि:शक्तता अधिनियम, 1955 के अधीन आज्ञा क्रियान्वित करने के कर्तव्य के अधीन है। वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक का उत्तर इस न्यायालय द्वारा **अरुण कुमार सिंह** मामले में दिया गया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि ओ॰ एम॰ आर॰ उत्तर पुस्तिका के अस्वीकरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका अर्थात् डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 5764 वर्ष 2015 इस न्यायालय में विचार किए जाने के लिए लंबित है। उक्त जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, जिस तरीके से राज्य ने नि:शक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन पाँचवें झारखंड लोक सेवा परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया है, उसे चुनौती दी गयी थी।

4. दिनांक 16.3.2016 के आदेश के तहत वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील को डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 5764 वर्ष 2015 के साथ सुनने का निर्देश दिया गया था।

5. उक्त जनहित याचिका में, झारखंड राज्य ने दृष्टिकोण लिया कि आगे होने वाली छठी झारखंड लोक सेवा परीक्षा में राज्य नि:शक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन नियुक्ति के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों के लिए पद रखेगा।

6. डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 7525 वर्ष 2013 एवं डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 5764 वर्ष 2015 में पारित आदेशों पर विचार करते हुए, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 330 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 24.6.2015 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और अभिनिर्धारित किया जाता है कि पूर्वोक्त दो जनहित याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में अपीलार्थी को जो भी लाभ प्रवाहित होता है, उसे प्रदान किया जाएगा। आगे निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी राज्य चतुर्थ झारखंड लोक सेवा परीक्षा में उसकी मेधा के आधार पर उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करेगा यदि चतुर्थ झारखंड लोक सेवा परीक्षा से बैकलॉग रिक्ति है।

7. लेटर्स पेटेन्ट अपील निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

पंकज उपाध्याय

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. Petition No. 2453 of 2015. Decided on 8th March, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 498A—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961—धाराएँ 3/4—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—क्रूरता–दहेज मांग–संज्ञान–कार्यवाही केवल इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए कि इसे असद्भावपूर्ण आशय के साथ एवं प्रतिशोध लेने के लिए आरंभ किया गया है–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन कार्यवाही में, उच्च न्यायालय को परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करते समय चौकस होना होगा–यदि अपराध की कारिता का संकेत देनेवाली प्रथम दृष्टया सामग्री विद्यमान है, अभियुक्त के कहने पर दांडिक कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है–आवेदन खारिज। (पैराएँ 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–AIR 2014 SC 1106; (1996)4 SCC 659; (2005)10 SCC 608—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. B.M. Tripathy, For the Petitioner; APP, For the O.P. No. 1; Mr. R.S. Mazumdar, For the O.P. No. 2.

आदेश

इस आवेदन में, याची ने विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 9.9.2015 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित परिवाद मामला सं॰ 930 वर्ष 2015 से उद्भूत होने वाले संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की प्रार्थना किया है।

2. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उसकी पुत्री का याची के साथ विवाह हिंदू रीति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कृपालपुर, बलिया में दिनांक 27.11.2013 को संपन्न किया गया था। विवाह के समय पर, दहेज मांगा गया था जिसे विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दिया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी की पुत्री के अपने दांपत्य

गृह जाने के बाद अभियुक्त सं॰ 2, 3 एवं 4 कम दहेज लाने के लिए उसे ताना देने लगे। बाद में, उसे याची के साथ रहने के लिए बंगलोर ले जाया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि याची भी दहेज मांगने लगा और उसको निर्ममतापूर्वक पीटने लगा। आगे अभिकथन किया गया है कि दिनांक 29.7.2014 को परिवादी की पुत्री पर प्रहार किया गया था और हार्पिक पीने के लिए मजबूर किया गया था जिसके बाद वह बेहोश हो गयी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भरती किया गया था। परिवादी यह समाचार सुनने पर उसे राँची वापस लाया जहाँ उसे अस्पताल में भरती किया गया था और उसका जीवन बचाया गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि दिनांक 18.4.2015 को उसका ससुर 5-7 लोगों के साथ परिवादी के घर आया और परिवादी को गंभीर परिणामों का धमकी दिया और उनकी दहेज मांग पूरी किए जाने तक उसकी पुत्री को वापस ले जाने से इनकार कर दिया। पूर्वोक्त अभिकथनों के आधार पर परिवाद मामला सं॰ 930 वर्ष 2015 दर्ज किया गया था।

3. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच करने पर और सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी एवं उसके गवाहों का परीक्षण करके श्री सी॰ बी॰ कुमार, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा दिनांक 9.9.2015 को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया था।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री आर॰ एस॰ मजूमदार सुने गए।

5. याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी ने निवेदन किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन मामला याची के विरुद्ध इस कारण से पोषणीय नहीं है कि याची का विवाह परिवादी की पुत्री के साथ उसके पूर्व विवाह जो याची की पुत्री का किसी राहुल कुमार के साथ हुआ था को दबाकर संपन्न किया गया था। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने विवाह अधिकारी, पुरुलिया जिला द्वारा जारी दिनांक 20.5.2011 के विवाह प्रमाण पत्र को निर्दिष्ट किया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि चूँकि परिवादी की पुत्री राहुल कुमार के साथ भाग गयी थी परिवादी द्वारा प्राथमिकी लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 282 वर्ष 2011 संस्थित किया गया था जिसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 366 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था जिसमें परिवादी की पुत्री को बहकाकर ले जाने में राहुल कुमार की अंतर्ग्रस्तता के बारे में संदेह किया गया था। निवेदन किया गया है कि जब परिवादी की पुत्री का पता लगाया गया था, उसने बयान दिया था जिसे दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया था जिसमें उसने स्पष्टत: कथन किया था कि उसने पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा में राहुल कुमार के साथ विवाह किया था। यह निवेदन भी किया गया है कि राहुल कुमार द्वारा विवाह के विघटन के लिए वाद दाखिल किया गया था जिसमें दिनांक 14.7.2015 के एकपक्षीय निर्णय द्वारा राहुल कुमार एवं परिवादी की पुत्री के बीच विवाह विघटित किया गया था। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता के अनुसार, ये तथ्य अपनी पुत्री के पहले विवाह को जानबूझकर दबाने एवं याची के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाने में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के असद्भावपूर्ण आशय को उजागर करते हैं, ऐसी परिस्थिति याची पर लादा गया द्वेषपूर्ण अभियोजन प्रकट करती है और मामले के ऐसे दृष्टिकोण में याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

6. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री आर॰ एस॰ मजूमदार ने अपने तर्क के आरंभिक चरण में परिवादी की पुत्री तथा राहुल कुमार के बीच तात्पर्यित विवाह के संबंध में याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता के प्रतिवाद को चुनौती दिया। यह निवेदन किया गया है कि संपूर्ण प्रासाद जिसे परिवादी की पुत्री के पूर्व विवाह के संबंध में सृजित किया गया है, जाँच की दृष्टि में ढह जाता है जिसे परिवादी द्वारा विवाह प्रमाण पत्र की वास्तविकता एवं वैधता के संबंध में किया गया था जो संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के आधारों में से एक को निर्मित करता है। इस संदर्भ में, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र को निर्दिष्ट किया है जो विवाह प्रमाण पत्र और विवाह अधिकारी जिसने अभिकथित रूप से विवाह संपन्न किया था की प्रामाणिकता के संबंध में विवाह रजिस्ट्रार जेनरल (पश्चिम बंगाल) को प्रस्तुत आवेदन अंतर्विष्ट करता है। निवेदन किया गया है कि विवाह अधिकारी स्वयं दिनांक 15.6.2007 को सेवानिवृत्त हो गया था और कोई परिस्थिति प्रतीत नहीं होती है जिसके अधीन वह विवाह प्रमाण पत्र जारी कर सकता था और इसलिए, यह निष्कर्षित किया जा सकता था कि परिवादी की पुत्री का विवाह राहुल कुमार के साथ संपन्न कभी नहीं किया गया था जैसा अभिकथित किया गया है। अपना तर्क मजबूत करने के लिए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दिए गए हेवियस कॉर्पस आवेदन में पारित आदेश भी निर्दिष्ट किया है जिसमें पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था और यह स्पष्टत: कथन किया गया था कि वह राहुल कुमार के साथ जाना नहीं चाहती है और कि उसने उसके साथ विवाह कभी नहीं किया था। अत: यह निवेदन किया गया है कि उक्त उल्लिखित परिस्थिति में जब परिवादी की पुत्री का राहुल कुमार के साथ विवाह संदेह के घेरा में आ जाता है, याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही का आरंभ नहीं रोका जा सकता है क्योंकि हस्तक्षेप का आधार नहीं है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **उमेश कुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, AIR 2014 SC 1106; महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सोमनाथ थापा एवं अन्य, (1996)4 SCC 659** और **मो॰ मालेक मोंडल बनाम प्रांजल बरदलाई एवं एक अन्य, (2005)10 SCC 608** में निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए परस्पर विरोधी प्रतिवाद इस तथ्य तक सीमित प्रतीत होते हैं कि क्या निधि कुमारी (परिवादी की पुत्री) का विवाह पहले राहुल कुमार के साथ हुआ था या नहीं। दिनांक 20.5.2011 का विवाह प्रमाण पत्र दिनांक 20.5.2011 को स्वयं का पुरुलिया जिला का विवाह अधिकारी होने का दावा करते हुए किसी शांति प्रसाद चक्रवर्ती द्वारा जारी किया गया प्रतीत होता है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विवाह रजिस्ट्रार जेनरल, पश्चिम बंगाल द्वारा जारी दिनांक 12.10.2012 का पत्र प्रकट करता है कि उक्त शांति प्रसाद चक्रवर्ती पुरुलिया जिला में भूतपूर्व विवाह अधिकारी था, किन्तु वह दिनांक 15.6.2007 को सेवा से अधिवर्षित हो गया था। उक्त पत्र के मुताबिक विवाह विधि की दृष्टि में प्रामाणिक नहीं था। पुरुलिया जिला के गैर पदीय विवाह अधिकारियों की सूची भी संलग्न की गयी है जो श्री शांति प्रसाद चक्रवर्ती का नाम अंतर्विष्ट नहीं करती है। इस प्रकार, विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रामाणिकता अथवा वास्तविकता अटल सत्य नहीं मानी जा सकती है क्योंकि ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया गया था जो विधि के अधीन सक्षम नहीं था और, इसलिए, पुरुलिया जिला में संपन्न किया गया निधि कुमारी एवं राहुल कुमार का विवाह संदेहपूर्ण बन जाता है। परिवादी द्वारा लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 282 वर्ष 2011 के संस्थापन पर निधि कुमारी बरामद की

गयी थी और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज बयान राहुल कुमार के साथ विवाह का तथ्य प्रकट करता है। किंतु हेबियस कॉर्पस आवेदन डब्ल्यू॰ पी॰ (एच॰ बी॰) दां॰ सं॰ 104 वर्ष 2012 में वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने के लिए कहे जाने पर उसके द्वारा स्पष्ट बयान दिया गया था कि उसने याची के साथ विवाह नहीं किया था। निधि कुमारी द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान पूर्व विवाह को दबाने के संबंध में याची का दावा सिद्ध अथवा न्यायोचित नहीं ठहराता है। राहुल कुमार द्वारा विवाह के विघटन के लिए वाद दाखिल किया गया था जिसमें निधि कुमारी के साथ पुरुलिया में अपने विवाह के बारे में निर्देश किया गया है और तत्पश्चात दिनांक 14.7.2015 के निर्णय के तहत राहुल कुमार का निधि कुमारी के साथ विवाह विघटित कर दिया गया था।

8. वर्तमान मामले में अंतर्ग्रस्त संपूर्ण इर्द-गिर्द की परिस्थितियाँ इस न्यायालय को आश्वस्त नहीं करती हैं कि निधि कुमारी का विवाह पहले राहुल कुमार के साथ हुआ था और वास्तविक तथ्य दबाकर याची के साथ बाद में विवाह संपन्न किया गया था। **उमेश कुमार (ऊपर)** के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

*"18. bl çdkj] mDr dh nf"V e] ;g Li"V gk tkrk g fd ;fn vfHkdFku e dN lkj g vkj vkond dh vkijkfèkdrk fl) dju d fy, lkexh fo|eku g] ekey dk ijh{k.k bld i.k fnXn'ku e fd;k tkuk g vkj dk;okgh doy bl vkèkkj ij vfHk[kfMr ugh dh tkuh pkfg, fd bl vrjLFk gr dh çkfIr d fy, vFkok çfr'kkèk yu d fy, vlnHkkoiod vkjHk fd;k x;k gA***

9. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (ऊपर) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:-

*"32. iokDr n'kkrk g fd ;fn vfHky[k ij ektn lkexh d vkèkkj ij U;k;ky; bl fu"d"k ij vk ldrk Fkk fd vijkèk dh dkfjrk vfèklHkk0; ifj.kke g] vkjki fojfpr dju d fy, ekeyk fo|eku gA fHkUu :i l dgr g,] ;fn U;k;ky; le>rk g fd vfHk;Dr vijkèk dj ldrk Fkk] ;g vkjki fojfpr dj ldrk g ;|fi nk"kflf) d fy, vko';d fu"d"k ;g g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k gA ;g çdV g fd vkjki fojfpr fd, tku d pj.k ij vfHky[k ij ektn lkexh ifjoh{kkRed eY; ij fopkj ugh fd;k tk ldrk g(ml pj.k ij vfHk;ktu }kjk vfHky[k ij yk;h x;h lkexh dk lR; d :i e Lohdkj djuk gkxkA***

10. ''मो॰ मालेक मोंडल (ऊपर) के मामले में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित पैराग्राफ को निर्दिष्ट किया है जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:-

"6. ifjokn dh dk;okgh lKku fy, tku d ckn vkjfHkd pj.k ij gA ;kph l ifjç'u ugh fd;k tk ldrk Fkk D;kfd og ifjokn e fd, x, çdFkuk d erkfcd vud ukfVl tkjh fd, tku d ckn Hkh ,u0 lh0 ch0 vfèkdkfj;k d le{k mifLFkr gku l cp jgk gA ifjokn e fd, x, vfHkdFku xHkhj gA vfHk;ktu d vulkj] cjkenxh 2.050 fd0 xk0 gjkbu dh g tk fnyhi nkl d c;ku d vulkj ;kph dh gA bl ç'u dh D;k ,u0 MhO ihO ,l0 vfèkfu;e dh èkkjk 42 dk vuikyu fd;k x;k g ;k ugh(rF; dk ç'u gku d dkj.k lk{; ftl fo'k"k U;k;kèkh'k d le{k fn;k tk ldrk g d vfèkeY;u ij fopkj djuk gkxkA çFke n"V;k] mPp U;k;ky; bl fu"d"k ij vk;k g fd vuikyu fd;k x;k gA ;g bl ç'u d xgu ijh{k.k dk pj.k ugh gA ;g çfrokn fd ;kph d fo#)

lkexh ugh g D;kfd vfHky[k ij ekt n ,dek= lkexh vfHkdfFkr :i l lg&vfHk;Dr fnyhi nkl }kjk fn;k x;k vkj okil y fy;k x;k vxkg; c;ku Fkk] bl pj.k ij Lohdkj ugh fd;k tk ldrk g tc doy lKku fy;k x;k g vkj ;kph l vHkh iNrkN ckdh gA lk{; dh li"Vdkjh çNfr d ckj e ç'u ij Hkh lefpr pj.k ij fopkj dju gkxkA ,dek= vU; vkxfgr çfrokn fo'k"k U;k;kèkh'k dh okjUV tkjh dju dh 'kfDr dh deh d ckj e gA

8. vyx gku d igy] ge ;g Hkh xkj dj ldr g fd mPp U;k;ky; e fufgr dh x;h vfHk[kfMr dju dh 0;kid vlkèkkj.k 'kfDr dk ç;kx fdQk;r l vkj lrdrk d lkFk fd;k tkuk g vkj u fd oèk vfHk;ktu dk jkdu d fy,A ,l ekey e ,lh 'kfDr dk ç;kx dju dh vko';drk g tgk ifjokn dkb vijkèk çdV ugh djrk g vkj ;g rPN] rx dju okyk vFkok mRihMd gA ml pj.k ij] ekey dk foLrkji.k fo'y"k.k ugh gk ldrk gA mPp U;k;ky; u lgh çdkj l bl vkjfHkd pj.k ij ifjokn vfHk[kfMr dju dh çkFkuk l budkj fd;k gA ;g ugh dgk tk ldrk g fd fo'k"k U;k;ky; }kjk lKku yu d fy, lkexh ugh FkhA ifjokn dk li.k :i l iBu n'kkrk g fd vfHk;ktu ekeyk d erkfcd] gjkbu dh fo'kky cjkenxh dh x;h FkhA cjken fd;k x;k inkFk ;kph dk crk;k x;k Fkk] ;kph u çR;Ukj ugh fn;k Fkk vkj fyf[kr ukfVlk d ckotn ,u0 lh0 ch0 vfèkdkfj;k d le{k mifLFkr gku l foiy jgkA bu ifjfLFkfr;k d vèkhu] vkx vUo"k.k] ftl vfHkj{kk e ;kph l iNrkN dju d ckn fd;k tk ldrk g] d ckn ijd ifjokn nkf[ky dju d fy, U;k;ky; dh vuefr bfllr djr g, ;kph ,o fnyhi nkl d fo#) ifjokn nkf[ky fd;k x;k FkkA bl i"BHkfe e] ifjokn vfHk[kfMr ugh fd;k tk ldrk gA

11. उमेश कुमार (ऊपर) मामले में, यह अभिखंडित किया गया था कि कार्यवाही केवल इस आधार पर अभिखंडित नहीं की जानी चाहिए कि इसे असद्भावपूर्ण आशय के साथ और प्रतिशोध के लिए आरंभ किया गया है। यदि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने पश्चातवर्ती घटनाक्रमों को जो विवाह प्रमाण पत्र की वास्तविकता के संबंध में हुए थे और हेवियस कॉर्पस आवेदन में पारित आदेश को अभिलेख पर नहीं लाया होता, इस न्यायालय शायद याची के विवरण पर विश्वास कर लिया होता। असद्भाव अथवा प्रतिशोध अथवा द्वेषपूर्ण अभियोजन का अभिकथन वाष्पित हो जाता है जब विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य का परिशीलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन कार्यवाही में इस न्यायालय को परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करते हुए चौकस रहना होगा और यदि अपराध की कारिता इंगित करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री विद्यमान हैं, अभियुक्त के कहने पर दांडिक कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है।

12. मेरे सुविचारित मत में और यहाँ उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान होने के कारण मैं इस आवेदन को ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हूँ जिसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

बिनोद सिंह उर्फ विनोद कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 1428 of 2013. Decided on 20th April, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A एवं 494—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 239—क्रूरता एवं द्वि-विवाह–उन्मोचन याचिका का अस्वीकरण–याची का मूल प्रतिवाद यह था कि दो दांडिक मामलों को अग्रसर होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि वे तथ्यों के एक ही संवर्ग पर आधारित हैं–न्यायालय ने केवल इस तथ्य पर विचार किया था कि क्या भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध याची के विरुद्ध बनाया गया है या नहीं–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और मामला नए आदेश के लिए वापस भेजा गया। (पैराएँ 9 से 11)

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Tandon, For the Petitioner Mrs. Shushma Devi, For the O.P. No. 2.

आदेश

इस आवेदन में याची ने कोतवाली (एस॰ एन॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 336 वर्ष 2006 के संबंध में श्री एस॰ एन॰ बारा, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.1.2013 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 के अधीन दाखिल उन्मोचन याचिका खारिज कर दी गयी है। दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 21 वर्ष 2013 में विद्वान न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 5.4.2013 के आदेश को चुनौती देते हुए आगे प्रार्थना की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया है और दिनांक 18.1.2013 का आदेश अभिपुष्ट किया गया है।

2. सूचक द्वारा प्राथमिकी संस्थित की गयी थी जिसमें अभिकथन किया गया था कि याची के साथ उसका विवाह दिनांक 20.10.2003 को संपन्न हुआ था और तत्पश्चात दहेज मांग के कारण याची एवं उसके परिवार के सदस्य सूचक को यातना देने लगे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि सूचक के पूर्व पति की मृत्यु काश्मीर में हो गयी थी और उसे 10,00,000/- रुपयों का भुगतान किया गया था जो राशि याची चाहता था। यह भी अभिकथित किया गया है कि सूचक ने हीरो होंडा मोटरसाईकिल, 2.5 लाख रुपया नगद एवं चारदीवारी के निर्माण के लिए धन दिया था।

3. पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोतवाली (एस॰ एन॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 336 वर्ष 2006 संस्थित किया गया था।

4. अन्वेषण के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A एवं 494 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जिसके अनुसरण में उक्त धाराओं के अधीन संज्ञान लिया गया था और याची को विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया था। याची द्वारा दांडिक विविध याचिका सं॰ 1831 वर्ष 2007 दिनांक 27.6.2007 के संज्ञान लेने के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि कोतवाली (एस॰ एन॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 336 वर्ष 2006 के संस्थापन के पहले तथ्यों के उन्हीं संवर्ग पर सूचक द्वारा एक अन्य मामला कोतवाली (एस॰ एन॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 209 वर्ष 2004 संस्थित किया गया था। इस न्यायालय ने दिनांक 16.7.2012 के आदेश के तहत दिनांक 27.6.2007 के संज्ञान लेने वाले आदेश का वह भाग अभिखंडित कर दिया था जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन संज्ञान लिया गया था। किंतु, इस न्यायालय ने संज्ञान में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन लिया गया था क्योंकि पूर्व मामला केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संस्थित किया गया था। याची ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 के अधीन उन्मोचन के लिए आवेदन दाखिल किया जिसे विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 18.1.2013 को अस्वीकार कर दिया गया था। दिनांक 18.1.2013 के आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण आवेदन भी दिनांक 5.4.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन एवं श्रीमती सुषमा देवी जो वैयक्तिक रूप से उपस्थित हुई को सुना गया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय ने दांडिक विविध याचिका सं॰ 1831 वर्ष 2007 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दृष्टि में याची द्वारा दाखिल उन्मोचन आवेदन पर विचार नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस न्यायालय ने जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का संबंध है, संज्ञान लेने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था क्योंकि पहले संस्थित मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन अपराध गठित करने के संबंध में अभिकथन नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि सूचक द्वारा किए गए कोरे कथन के सिवाए अन्वेषण के क्रम में कोई सामग्री सामने नहीं आयी थी जो सुझाती हो कि याची ने अपनी पहली पत्नी के जीवनकाल के दौरान दूसरी बार विवाह किया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पर्यवेक्षण टिप्पणी साक्ष्य नहीं मानी जा सकती है और ऐसी परिस्थिति में दोनों विद्वान अवर न्यायालयों ने याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन दंडनीय अपराध से उन्मोचित नहीं करके विधि में गलती किया और इसलिए, यह आवेदन अनुज्ञात किए जाने योग्य है।

7. श्रीमती सुषमा देवी जो वर्तमान मामले की सूचक है, वैयक्तिक रूप से उपस्थित हुई थी और निवेदन किया था कि याची ने दूसरा विवाह किया था जो अनेक दस्तावेजों से स्पष्ट होगा जिन्हें दाखिल किए गए पूरक शपथ पत्र में अभिलेख पर लाया गया है। यह निवेदन भी किया गया था कि याची ने किसी श्वेता सिंह के साथ विवाह किया था और उसने दो संतानों को जन्म दिया है। सूचक ने यह निवेदन भी किया है कि उसका विवाह याची के साथ कोलकाता में दिनांक 20.10.2003 को हुआ था और उक्त विवाह से पुत्र का जन्म भी हुआ था। यह निवेदन किया गया है कि सूचक का विवाह पहले किसी विश्वनाथ सिंह के साथ हुआ था जो सीमा सुरक्षा बल में नियोजित था और काश्मीर में पदस्थापित रहते हुए शहीद हो गया था। यह निवेदन किया गया है कि अपने पहले पति की मृत्यु के कारण उसने जो राशि प्राप्त किया, उसे याची एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा याची से उद्दापित कर लिया गया था। सूचक आगे निवेदन करती है कि याची के साथ उसका विवाह होने के कारण पेंशन जो वह पा रही थी 50% घटा दिया गया था। यह निष्कर्षित किया गया है कि अवर न्यायालयों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन उसके विरुद्ध किए गए अभिकथनों से याची को उन्मोचित करने से इनकार करने में गलती नहीं किया और ऐसी परिस्थिति में वर्तमान आवेदन खारिज किए जाने का दायी है।

8. विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची का दिनांक 18.1.2013 का आदेश परिलक्षित करता है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 के अधीन याची द्वारा दाखिल उन्मोचन आवेदन अस्वीकार करते हुए, यह दांडिक विविध याचिका सं॰ 1831 वर्ष 2007 में पारित दिनांक 16.7.2012 के आदेश से प्रभावित हुआ प्रतीत होता है। केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराध के अस्तित्व का प्रश्न इस न्यायालय द्वारा दां॰ वि॰ या॰ सं॰ 1831 वर्ष 2007 में विनिश्चित किया गया था क्योंकि सूचक द्वारा संस्थित पूर्व प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन अपराध करने का अभिकथन अस्तित्व में नहीं था। याची ने बाद में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 के अधीन उन्मोचन के लिए आवेदन दाखिल किया और दां॰ वि॰ या॰ सं॰ 1831 वर्ष 2007 में पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना इस प्रकार दाखिल आवेदन को विनिश्चित करना विद्वान दंडाधिकारी पर बाध्यकारी था। विद्वान न्यायिक आयुक्त, राँची ने विद्वान दंडाधिकारी

का आदेश अनुमोदित करते हुए केवल पर्यवेक्षण टिप्पणी पर आधारित भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन आरोप पत्र की प्रस्तुती के संबंध में याची के प्रतिवाद का समुचित रूप से अधिमूल्यन अथवा इस पर चर्चा नहीं किया है। आगे यह प्रतीत होता है कि पुनरीक्षण न्यायालय भी दां॰ वि॰ या॰ सं॰ 1831 वर्ष 2007 में पारित आदेश से प्रभावित था क्योंकि उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवस्था जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन आवेदन विनिश्चित करने और उन्मोचन याचिका दाखिल करने के समय पर विद्यमान थी, एक ही है।

9. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता घोर अन्याय रोकना है। यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने केवल इस तथ्य पर विचार किया था कि क्या याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध बनता है या नहीं, क्योंकि याची का मूल प्रतिवाद यह था कि दो दांडिक मामलों को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि वे तथ्यों के एक ही संवर्ग पर आधारित हैं। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 494 के संदर्भ में, दां॰ वि॰ या॰ सं॰ 1831 वर्ष 2007 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

> *^^fdr tgk rd vkn'k dk og Hkkx ft ld vèkhu Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 494 d vèkhu vijkèk dk lKku fy;k x;k g] og voèk çrhr ugh gkrk g D;kfd ifyl u ekey dk vUo"k.k dju ij èkkjk 494 d vèkhu ekeyk ik;k Fkk tcfd ekeyk ftl o"k 2004 e nt fd;k x;k g] Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 494 d vèkhu lfLFkr ugh fd;k x;k FkkA vr%] ;g ugh dgk tk ldrk g fd mDr vijkèk Hkh io çkFkfedh dk fo"k; oLr FkkA***

10. उपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रतीत होगा कि विद्वान अवर न्यायालयों ने दां॰ वि॰ या॰ सं॰ 1831 वर्ष 2007 में पारित दिनांक 16.7.2012 के आदेश की कुव्याख्या किया था और ऐसी तथ्यपरक स्थिति में आक्षेपित आदेशों में से कोई भी विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है।

11. तद्नुसार, उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और कोतवाली (एस॰ एन॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 336 वर्ष 2006 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.1.2013 का आक्षेपित आदेश और दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 21 वर्ष 2013 में विद्वान न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 5.4.2013 का आदेश भी अपास्त किया जाता है और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन पर विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए मामला विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के पास वापस भेजा जाता है।

12. यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है एवं निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

तम्बो कुनकल एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 1924 of 2004. Decided on 27th April, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 223 वर्ष 2003 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ II, चाईबासा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 6.10.2004 एवं दिनांक 8.10.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 376 (2) (g)—सामूहिक बलात्कार एवं हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि–शव परीक्षण रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा योनि स्वाब रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि उसे उसकी मृत्यु के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था और उसकी मृत्यु गला घोंटे जाने द्वारा कारित मानव वध थी–अपीलार्थियों का सूचक के परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था और उनकी मृतका के साथ मित्रता थी–अभियोजन ने दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध किया है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. J.N. Upadhyay, For the Appellants; Mr. Sudhansu Kumar Deo, For the State.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील मंझरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 11 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 237 वर्ष 2003 के तत्सम एस॰ टी॰ सं॰ 223 वर्ष 2003 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ II, चाईबासा द्वारा पारित क्रमश दिनांक 6.10.2004 एवं दिनांक 8.10.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 376 (2) (g) एवं 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं 376 (2) (g) के अधीन प्रत्येक अपराध के लिए आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन सात वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

2. संक्षेप में तथ्य, जैसा प्राथमिकी से प्रतीत होता है, ये हैं कि अपीलार्थियों की मृतका के साथ मित्रता थी और वे सूचक के घर आया जाया करते थे। यह प्रकट किया गया है कि दिनांक 28.6.2003 को अपराह्न लगभग 4 बजे अपीलार्थीगण जेमा माई बिरुआ (मृतका) को अपने साथ ले गए। जेमा भाई बिरुआ (मृतका) अपने घर नहीं लौटी थी। तत्पश्चात, सूचक एवं उसके परिवार ने तलाश किया किंतु वे जेमामाई बिरुआ को खोजने में सफल नहीं हो सके थे। दिनांक 29.6.2003 को दोपहर में मेंजो कुई (अ॰ सा॰ 7) ने सूचित किया कि उसने जेमा माई बिरुआ के मृत शरीर को जामुन के पेड़ की शाखा से लटके हुए देखा था। ऐसी सूचना पाने पर, सूचक घटनास्थल पर गया और अपनी पुत्री जेमा माई बिरुआ का मृत शरीर उक्त पेड़ की शाखा से लटका पाया। पुलिस घटनास्थल पर आयी और सेलाई बिरुआ (अ॰ सा॰ 5) का फर्दबयान दर्ज किया। सेलाई बिरुआ के फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 302, 34 के अधीन मंझारी पी॰ एस॰ केस सं॰ 11/2003 दर्ज किया गया था। सूचक ने उंगली पर खून ध्यान में लिया था और अंत: वस्त्र गीला पाया और इस पर वीर्य जैसी वस्तु दृष्टव्य थी।

पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (2) (g), 302/34 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और अपीलार्थियों का मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 223/2003 के रूप में दर्ज किया गया था।

अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (2) (g)/302/34 तथा 201 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति अपीलार्थियों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया है और डॉ॰ एस॰ सी॰ अरुण का न्यायालय गवाह सं॰ 1 के रूप में परीक्षण किया गया है। अभियोजन ने शव परीक्षण रिपोर्टों, अभिग्रहण सूची, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, स्वाब टेस्ट रिपोर्ट आदि सिद्ध किया है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करके अपीलार्थियों को दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश अधिरोपित किया।

3. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का इस आधार पर विरोध किया है कि किसी ने भी अपीलार्थियों को मृतका को उसके घर से ले जाते नहीं देखा था। घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। संपूर्ण अभियोजन मामला अ० सा० 5 एवं अ० सा० 9 के साक्ष्य पर आधारित है। जंबीरा कुनकल (अ० सा० 3) पक्षद्रोही हो गया है जबकि चैतन गोप (अ० सा० 4) निविदत्त किया गया है। चंबुरु बिरुआ (अ० सा० 6) अनुश्रुत गवाह है।

अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह प्रकट है कि अपीलार्थियों का सूचक के परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था और उनकी मृतका के साथ मित्रता थी। अपीलार्थियों के सूचक के घर आने जाने पर किसी ने भी कभी कोई आपत्ति नहीं किया था। जेमा माई बिरुआ की हत्या के पीछे का हेतु नहीं बताया गया है। यह सुझाने के लिए कि उसे सामूहिक बलात्कार के अध्यधीन किया गया था, मृतका के शरीर पर हिंसा का निशान नहीं है। चूँकि मृतका स्वयं अपीलार्थियों के साथ सहज महसूस करती थी, उसके साथ बलात्कार का प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता है और कि अपीलार्थियों के पास हत्या करने का हेतु नहीं था। किसी भी अपीलार्थी के कब्जा से अपराध में फँसाने वाला कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर जो संगत रूप से और किसी गलती के बिना अपीलार्थियों के दोष को इंगित नहीं कर रहे हैं पर विश्वास करके अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में गलती किया है। अपीलार्थीगण विगत लगभग 13 वर्षों से कारावास में हैं।

4. विद्वान ए० पी० पी० ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य किसी गलती के बिना अपीलार्थियों का दोष सिद्ध करते हैं। वे दिनांक 28.6.2003 को मृतका को अपने साथ ले गए थे और तत्पश्चात जेमा माई बिरुआ जीवित नहीं लौटी थी। मृतका की माता सोमवारी कुई (अ० सा० 9) की उपस्थिति में जेमा माई बिरुआ इन अपीलार्थियों के साथ घर के बाहर गयी थी। यह तथ्य अ० सा० 5 के साक्ष्य से भी समर्थन पाता है। अनुश्रुत गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। दस्तावेजों जिन्हें प्रदर्शों के रूप में चिन्हित किया गया है, विशेषत: प्रदर्श 8 एवं प्रदर्श 1 तथा 1/1 प्रासंगिक हैं। अभियोजन ने फर्दबयान और फर्दबयान पर किए गए अनुप्रमाणक साक्षियों का हस्ताक्षर सिद्ध किया है। शव परीक्षण रिपोर्ट एवं योनि स्वाब रिपोर्ट स्पष्टत: सुझाती है कि मृतका को उसकी हत्या के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण गला दबाए जाने के परिणामस्वरुप दम घुटना था। अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन मामला सुसिद्ध है और इस अपील में गुणागुण नहीं है।

5. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री का परीक्षण किया है और हम विद्वान ए० पी० पी० के निवेदन में बल पाते हैं। फर्दबयान से प्रकट होता है कि अपीलार्थियों का सूचक के घर आना–जाना था और वे मृतका के साथ सहज थे। अ० सा० 9 के अभिसाक्ष्य से आगे पता चलता है कि अपीलार्थीगण बुधनी (सूचक के छोटे भाई की पत्नी) के रिश्तेदार थे। चूँकि अपीलार्थीगण सूचक के संबंधी थे, उनका सूचक के घर आना–जाना सामान्य था और स्थिति का लाभ लेकर उन्होंने मृतका के साथ मित्रता कर लिया था। सूचक (अ० सा० 5) ने इस तथ्य को संपुष्ट किया है कि घटना की तिथि पर अर्थात् दिनांक 28.6.2003 को दोनों अपीलार्थी सूचक के घर आए थे। मृतका अपीलार्थियों के साथ दिनांक 28.6.2003 को सायं लगभग 4 बजे घर से निकली थी किंतु जीवित घर नहीं लौटी थी। सूचका का यह प्रतिवाद अ० सा० 9 के साक्ष्य से समर्थन पाता है जो मृतका की माता है और वह उस समय पर घर में उपस्थित थी जब मृतका घर से गयी थी। अ० सा० 9 ने स्पष्टत: कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में अपीलार्थीगण

मृतका को अपने साथ ले गए थे, अत: अभिलेख पर संगत बयान मौजूद है कि दिनांक 28.6.2003 को सायं लगभग 4 बजे अपीलार्थीगण मृतका को अपने साथ ले गए और तत्पश्चात् जेमा माई बिरुआ जीवित घर नहीं लौटी थी। अगले दिन दोपहर में जामुन के पेड़ से लटकता जेमा माई बिरुआ का मृत शरीर में मेन्जो कुई (अ॰ सा॰ 7) द्वारा देखा गया था जिसने तुरन्त सूचक और उसके परिवार के सदस्यों को सूचित किया। वे घटना स्थल पर गए और सूचना सही पाया। इस बीच, पुलिस भी घटनास्थल पर आयी और गवाहों अर्थात् चुंबुरु बिरुआ (अ॰ सा॰ 6), कुशल चंद्र कर्मकार (अ॰ सा॰ 11) तथा दुर्लभ बांधो बिरूआ (अ॰ सा॰ 2) की उपस्थिति में सेलई बिरुआ (अ॰ सा॰ 5) का फर्दबयान दर्ज किया है और इन तीनों अनुप्रमाणक साक्षियों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है जैसा सूचक द्वारा अभिलेख पर लाया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह डॉ॰ बी॰ के॰ सिंह (अ॰ सा॰ 1) एवं न्यायालय गवाह सं॰ 1 डॉ॰ एस॰ सी॰ अरुण हैं। जेमा माई बिरुआ के मृत शरीर का शव परीक्षण सी॰ डब्ल्यू॰ सं॰ 1 (डॉ॰ एस॰ सी॰ अरुण) की अध्यक्षता में डॉ॰ बी॰ के॰ सिंह (अ॰ सा॰ 1) एवं डॉ॰ बी॰ के॰ साहनी की सहायता से चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया गया था। सी॰ डब्ल्यू॰ 1 ने प्रदर्शों 1/2, 1/3 एवं 1/4 के रूप में चिन्हित शव परीक्षण रिपोर्ट पर किया गया अपना हस्ताक्षर एवं डॉ॰ बी॰ के॰ सिंह एवं डॉ॰ बी॰ के॰ साहनी का हस्ताक्षर सिद्ध किया है। सी॰ डब्ल्यू॰ 1 ने आगे दोहराया है कि प्रदर्श 1 शव परीक्षण रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया था। डॉ॰ पी॰ रंजन द्वारा पैथोलॉजिकल परीक्षण किया गया था और उनके द्वारा योनि स्वाब रिपोर्ट तैयार की गयी थी और कि वह रिपोर्ट प्रदर्श 8 चिन्हित की गयी है। योनि स्वाब रिपोर्ट के अनुसार योनि नमूना में मृत वीर्य पाया गया था। पृष्ठभूमि में अनेक एपिथेलियल सेल थे। जेमा माई बिरुआ की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरुप दम घुटने से हुई थी। डॉक्टरों जिन्होंने शव परीक्षण किया ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि मृतका को उसकी मृत्यु के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था। दुर्लभ बंधु बिरुआ (अ॰ सा॰ 2) ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर किया गया अपना हस्ताक्षर एवं चुंबुरु बिरुआ (अ॰ सा॰ 6) का हस्ताक्षर भी सिद्ध किया है। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण अ॰ सा॰ 12 के रूप में किया गया है और उसने किए गए अन्वेषण का पूर्ण समर्थन किया है और फर्दबयान (प्रदर्श 3), फर्दबयान पर किया गया पृष्ठांकन (प्रदर्श 3/1), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 4), प्रस्तुती सह अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 5), औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 6) केस डायरी का पैरा 77 से 89 (प्रदर्श 7) सिद्ध किया है। अभियोजन ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि जेमा माई बिरुआ (मृतका) को इन अपीलार्थियों द्वारा दिनांक 28.6.2003 को सायं 4 बजे उसके घर से ले जाया गया था और वह जीवित घर नहीं लौटी थी। शव परीक्षण रिपोर्ट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और योनि स्वाब रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि उसे उसकी मृत्यु के पहले बलात्कार के अध्यधीन किया गया था और उसकी मृत्यु गला घोंटने द्वारा कारित मानव वध थी।

6. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विचार करते हुए, हमें यह संप्रेक्षित करने में संकोच नहीं है कि हत्या के साथ सामूहिक बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया गया है और अभियोजन ने दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है।

7. हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ सुरेन्द्र प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य, केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से

Criminal Appeal (SJ) No. 318 of 2016. Decided on 25th April, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 439—जमानत–अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 409 एवं 120B के अधीन और भ्र॰ नि॰ अधिनियम की धाराओं 13 (2) एवं 13 (1) (d) के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के निबंधनानुसार और भ्र॰ नि॰ अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन गबन अथवा दुर्विनियोग का आरोप विरचित नहीं किया गया था–जब योजना के रद्दकरण के बाद राशि लौटा दी गयी थी, दो माह की अवधि के लिए भी राशि रखना मात्र निधि के गबन अथवा दुर्विनियोग के तुल्य नहीं होगा–जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–(1996)10 SCC 193; (2013)1 SCC 205; 2016 (1) JLJR ?; (2013)8 SCC 119—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar Sinha, Kumar Harsh, For the Appellant; Mr. K.P. Deo, For the C.B.I.

आदेश

ग्रहण किया गया।

2. यह प्रतीत होता है कि दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 289 वर्ष 2016 में अवर न्यायालय अभिलेख पहले ही प्राप्त किया गया है।

3. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता तथा सी॰ बी॰ आई॰ का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता को जमानत मामले पर सुना गया।

4. जमानत प्रदान करने की प्रार्थना पर विचार करने के पहले, अभियोजन मामले का संक्षिप्त तथ्य देना आवश्यक है: विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से प्राप्त की गयी सूचना के आधार पर सी॰ बी॰ आई॰ की प्रेरणा पर आर॰ सी॰ केस सं॰ 24 (A)/1995 (Pat.) इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि अभियुक्तों में से एक राम अयोध्या साह ने कार्यपालक अभियन्ता, वर्क्स डिविजन I, आर॰ ई॰ ओ॰, राँची में कार्यपालक अभियन्ता के रूप में कार्यरत रहते हुए इस अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों अर्थात् राजीव रंजन प्रसाद एवं देवेन्द्र प्रसाद सिंह दो एस॰ डी॰ ओ॰–सह–सहायक अभियन्ता, विवेकानंद चौधरी उर्फ विवेका नन्द चौधरी, अशोक कुमार, कुमार विजय शंकर, बिनोद कुमार मंडल, अभय कुमार सिन्हा, बिनोद प्रसाद एवं अरविन्द प्रसाद समस्त वर्ष 1994 के दौरान विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित कनीय अभियन्ता के साथ दांडिक षडयन्त्र किया और विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु भारत सरकार द्वारा 80% और बिहार राज्य द्वारा 20% के अनुपात में 17 पुरानी एवं 51 नयी योजनाओं के निष्पादन के लिए राँची जिला के लिए जवाहर रोजगार योजना के अधीन आवंटित 100.70 लाख रुपयों की राशि के लिए भारत सरकार एवं बिहार राज्य के साथ छल किया। डी॰ आर॰ डी॰ ए॰, राँची द्वारा मई–जून की अवधि के दौरान आर॰ ई॰ ओ॰, वर्क्स डिविजन, राँची को 100.70 लाख रुपयों की उक्त रशि निर्मुक्त/आवंटित की गयी थी किंतु उक्त राम अयोध्या साह ने उक्त राशि कार्यपालक अभियन्ता एवं डिविजनल लेखा अधिकारी के पदनाम के संयुक्त नाम में खोले गए नए खाता में रखा और बाद में चेकों के माध्यम से राशि वापस निकाल लिया और इसे नियमों एवं विहित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए नगद रूप में कनीय अभियन्ताओं को वितरित किया। विकास उपायुक्त ने योजनाओं का प्रगति रिपोर्ट मांगा, तब उक्त कार्यपालक अभियन्ता राम अयोध्या साह ने सहायक अभियन्ताओं के साथ संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन केवल 45 योजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया और विंगदीवार, गार्ड दीवार के निर्माण और खड्हों की मरम्मत पूरा करने के अतिरिक्त ग्रेड I एवं मोरम काम के लिए अग्रिम देकर और बिटुमन की खरीद पर भी विपुल राशि खर्च की गयी दर्शायी गयी थी किंतु अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट

झूठा पाया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 28.8.1994 के आदेश द्वारा तीन योजनाओं के सिवाए समस्त योजनाओं को रद्द किया गया था और आर॰ ई॰ ओ॰ राँची को रद्द की गयी योजनाओं के विरुद्ध उनको दिया गया अग्रिम धन लौटाने का निर्देश दिया गया था किंतु केवल 55.75 लाख रुपया डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ को नौ किस्तों में लौटाया गया था।

5. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को यद्यपि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 सहपठित धारा 120B के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है किंतु अवर न्यायालय द्वारा विरचित आरोप योजना के रद्दकरण के बाद भी न्यस्त/आवंटित राशि अपने पास रखने से संबंधित थे और निधि के गबन अथवा दुर्विनियोग के लिए आरोप विरचित नहीं किया गया था। कुछ दिनों के लिए अथवा जैसा अभिकथित किया गया है, लगभग दो माह के लिए राशि अपने पास रखना मात्र गबन अथवा दुर्विनियोग के तुल्य नहीं होगा जैसा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के अधीन अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इस दशा में, दोषसिद्धि और धन का भाग अपने पास रखने के लिए दोष का निष्कर्ष विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि उक्त अभिकथित दुर्विनियोगित राशि प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने के तुरन्त बाद लौटा दी गयी थी। यह निवेदन भी किया गया था कि वित्तीय सन्नियमों अथवा नियमों के उल्लंघन के संबंध में अवर न्यायालय का निष्कर्ष भ्रामक है और ऐसे नियमों का उल्लंघन मात्र अधिकाधिक गलत अथवा अनियमितता मात्र हो सकता है किंतु दांडिक अपराध नहीं हो सकता है। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **सी॰ चेंगारेड्डी एवं अन्य बनाम ए॰ पी॰ राज्य, (1996)10 SCC 193,** में निर्णय पर विश्वास किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही अभियुक्त ने वित्तीय संहिता अथवा सरकारी परिपत्रों/अनुदेशों के उल्लंघन में कृत्य किया किंतु यदि बेईमान आशय अनुपस्थित है, अभियुक्त पर दांडिक दायित्व नहीं आरोपित किया जा सकता है और वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा विश्वास किए गए परिस्थितियों अथवा दस्तावेजों में से कोई भी किसी निश्चयात्मक प्रकृति की नहीं है और परिस्थितियों को साथ रखने पर भी वे अपीलार्थी के दोष के अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाते हैं। यह निवेदन भी किया गया था कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि अनुमानों एवं अटकलों पर और संदेह पर भी आधारित है और सरकारी धन अथवा निधि के दुर्विनियोग अथवा गबन में अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता दर्शाने के लिए अभिलेख पर निर्णायक परिस्थिति अथवा निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय ने निधि का गबन दर्शाने के लिए गलत रूप से प्रदर्श 17, 17/1 एवं 17/2 पर विश्वास किया है और कि अपीलार्थी के विरुद्ध एकमात्र अभिकथन कि उसने लगभग दो माह तक 30.85 लाख रुपया अपने पास रखा, विफल होने का दायी है क्योंकि अभियोजन द्वारा दावा स्थापित नहीं किया गया था कि किस तिथि एवं समय के पहले अपीलार्थी को धन लौटा देना चाहिए था। यह प्रतिवाद किया गया था कि अपीलार्थी की ओर से किसी वित्तीय लाभ का मामला नहीं बनाया गया है ताकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) आकृष्ट की जा सके और स्वीकृत रूप से अपीलार्थी को आवंटित 56 लाख रुपयों में से काम पूरा करने के बाद 30.85 लाख रुपयों की शेष राशि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाने के तुरन्त बाद वापस कर दी गयी थी, अत: दुर्विनियोग का प्रश्न आधारहीन है और साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अ॰ सा॰ 6 ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्टत: परिसाक्ष्य दिया है कि निरीक्षण के दौरान, उसने पाया कि काम में प्रगति नहीं हुई थी अथवा प्रगति अत्यन्त धीमी थी। यह निवेदन भी किया गया है कि मई-जून में काम आवंटित किया गया था और तत्पश्चात, राशि दी गयी थी और तुरन्त तत्पश्चात दिनांक 16.8.1994 के डी॰ डी॰ सी॰ की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए दिनांक 28.8.1994 के आदेश

के तहत कार्य आदेश रद्द कर दिया गया था, अत: अपीलार्थी एवं अन्य सह-दोषसिद्धों को काम पूरा करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया था और जल्दबाजी में योजनाएँ रद्द कर दी गयी थी। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि अवर न्यायालय का निष्कर्ष जैसा आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 36 एवं 37 में दर्ज किया गया है, विश्वास किए गए दिनांक 30.3.1982 के पत्र सं॰ 429 एवं दिनांक 31.12.1983 के पत्र सं॰ 2347 और एम॰ बी॰ बुक को अभिलेख पर कभी नहीं लाया एवं प्रदर्शित किया गया था और यह निष्कर्ष कि मिट्टी का काम सरकार के निर्देश के अनुरुप नहीं हुआ था, प्राक्कल्पित निष्कर्ष है और किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। समरुपत:, मामले का आधार ही अर्थात् दिनांक 28.8.1994 का डी॰ डी॰ सी॰ का रद्दकरण पत्र भी अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए नहीं लाया गया है कि योजनाएँ रद्द की गयी थी किंतु रद्दकरण जो अभिलेख पर मौजूद नहीं है पर विश्वास करते हुए अवर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि योजनाओं के रद्दकरण के बाद भी इस अपीलार्थी एवं अन्य सह-दोषसिद्धों की न्यस्त/आवंटित राशि उनके द्वारा अपने पास रख ली गयी थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता, ने **सी॰ के॰ जाफर शरीफ बनाम राज्य (सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से) (2013)1 SCC 205,** मामले पर विश्वास करते हुए आगे निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

> *^^;fn bl çfØ;k e] fu;ek vFkok lfUu;ek dk mYy?ku fd;k x;k Fkk vkj fy;k x;k fu.k; vuko';drk dk vkMcji.k çn'ku n'kkrk g] vihykFkh dk vkpj.k ,o dkjokb vufpr vFkok foHkkxh; lfUu;ek d foijhr gk ldrk gA fdr ;g dguk fd bl vufpr èkuh; ykHk çkIr dju d fy, cbeku vk'k; l okLrfod cuk;k x;k Fkk] lgh ugh gkxk fd cbeku vk'k; èkkjk 13 (1) (d) d vèkhu vijkèk dk lkj g] ç;Dr 'kCnk vFkkr ^^Hk"V vFkok voèk lkèku ,o ykd lod d :i e in dk n#i;kx e vrfufgr gA***

विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे **भारत संघ बनाम वी॰ श्रीहरन उर्फ मुरुगन एवं अन्य,** 2016 (1) JLJR, में संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि वर्तमान मामले में, राज्य अथवा केंद्र सरकार की सहमति के बिना स्वप्रेरणा पर सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा अन्वेषण किया गया था, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अधीन आज्ञापक था और इसलिए अन्वेषण और बाद में ऐसे अन्वेषण पर आधारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश प्राधिकारहीन है। अंत में यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी विचारण के दौरान पूरे समय जमानत पर था किंतु दिनांक 16.3.2016 से वह अभिरक्षा में है और अपीलार्थी ने लगभग 21 वर्षों तक विचारण की कठिनाई का सामना किया है। अत: अपीलार्थी जमानत पर निर्मुक्ति योग्य है।

6. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देव ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रतिवाद किया कि आरोप विरचित करने में त्रुटि नहीं हुई है और अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अधिमूल्यन करने के बाद सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है और स्वीकृत रूप से, अपीलार्थी ने योजनाओं के रद्दकरण के बाद भी धन अपने पास रखा था जो निधि के गबन एवं दुर्विनियोग के तुल्य है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रदर्शों 17, 17/1 एवं 17/2 पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि कोई काम नहीं किया गया था जैसा डी॰ डी॰ सी॰ द्वारा रिपोर्ट किया गया है किंतु अपीलार्थी ने योजना के अधीन सड़क का निर्माण करके अथवा सड़कों पर मोरम रखकर वापस की गयी राशि से भिन्न शेष राशि खर्च करने का दावा किया। श्री देव आगे अ॰ सा॰ 2 के अभिसाक्ष्य के विभिन्न पैराग्राफों पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि अभियोजन ने सर्वोत्तम रूप से अभिलेख पर प्रत्येक दस्तावेज लाया जिस पर अवर न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **महाराष्ट्र राज्य, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के माध्यम से बनाम महेश जी॰ जैन, (2013)8 SCC 119,** मामले

के पैराग्राफ 20 पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामलों को गंभीरता से लिया है और अभिनिर्धारित किया कि लघु अनियमितताओं अथवा तकनीकी पेचिदगियों को एवरेस्ट समान दर्जा नहीं देना है। इसे ध्यान में रखना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार स्वस्थ शासन के लिए अशांत बीमारी है। अंत में, यह निवेदन किया गया था कि वित्तीय सन्नियमों अथवा नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलार्थी एवं अन्य सह-दोषसिद्धों द्वारा सरकारी निधि का गबन अथवा दुर्विनियोग दर्शाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य, मौजूद हैं और राज्य सरकार की अधिसूचना के आलोक में मामले का अन्वेषण किया गया था। अतः, न तो अन्वेषण न ही दोषसिद्धि विधि में दोषपूर्ण हैं।

7. अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने के पहले, अवर न्यायालय द्वारा विरचित आरोपों का प्रासंगिक भाग समुचित अधिमूल्यन के लिए यहाँ नीचे दिया जाता है:–

*"(i)..... ckn e] rhu ;ktukvk d flok, vkj0 b0 vk0] jkph dh leLr ;ktuk, rRdkyhu MhO MhO lh0 Jh ,e0 ,l0 HkkfV;k }kjk jí dh x;h FkhA rRdkyhu MhO MhO lh0] vkj0 b0 vk0] jkph }kjk yxkrkj ihNk fd, tku ij 55.75 yk[k #i;k MhO vkj0 MhO ,0 dk ykVk fn;k x;k FkkA bl rF; d ckotn fd fdlh dke d fy, bldh vko';drk ugh Fkh] nk ekg l vfèkd dh vofèk d fy, vfèkdk'k fufèk dk ,l voèk rjhd l j[kk x;k Fkk] vr% vki lck u HkkO n0 l0 dh èkkjk 409 lgifBr èkkjk 120B d vèkhu vkj Hk"Vkpkj fuokj.k vfèkfu;e] 1988 dh èkkjk 13 (1) (d) lgifBr èkkjk 13 (2) d vèkhu vijkèk fd;k tk ej lKku d vrxr gA***

*(ii) fd vki lck dk ykd lod d :i e vkidh gfl;r e lMdk d fuek.k@ejEerh d fy, tokgj jktxkj ;ktuk d vèkhu 17 ijkuh ,o 51 u;h ;ktukvk d fu"iknu d fy, 100.70 yk[k #i;k dh jkf'k U;Lr dh x;h Fkh fdr bl rF; d ckotn fd fdlh dke d fy, bldh vko';drk ugh Fkh] nk ekg dh vofèk l vfèkd d fy, 55.75 yk[k #i;k voèk rjhd l j[kk x;k Fkk vFkkr (i) ch0 d0 eMy 4 yk[k #i;k] (ii) d0 oh0 'kdj 14 yk[k #i;k] (iii) v'kkd dekj 10 yk[k #i;k] (iv) oh0 ,u0 pkèkjh 2.85 yk[k #i;k] (v) vjfoUn çlkn 4 yk[k #i;k] (vi) d0 d0 çlkn 6.90 yk[k #i;k] (vii) ,0 d0 flUgk 7 yk[k #i;k vkj (viii) foukn çlkn 7 yk[k #i;k ¼dy 55.75 yk[k #i;k½ }kjk j[kk x;k Fkk vkj vki lck u bl çdkj U;Lr lifUk d lcèk e U;kl dk nkfMd Hkx fd;k vkj rn}kjk ej lKku d vrxr HkkO n0 l0 dh èkkjk 409 d vèkhu vijkèk fd;kA***

8. प्रकटतः अपीलार्थी एवं अन्य सह दोषसिद्धों के विरुद्ध विरचित दो आरोपों से यह प्रतीत होगा कि अपीलार्थी एवं अन्य के विरुद्ध एकमात्र अभिकथन इस तथ्य के बावजूद कि योजनाओं के रद्दकरण के बाद किसी काम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, लगभग दो माह के लिए राशि अपने पास रखना है और इसके अतिरिक्त यह प्रतीत होता है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के निबंधनानुसार एवं पी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन गबन अथवा दुर्विनियोग के लिए कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल प्रतीत होता है कि जब योजनाओं के रद्दकरण के बाद राशि लौटा दी गयी थी, लगभग दो माह की अवधि के लिए भी राशि रखना मात्र, यद्यपि अधिकांश मामलों में राशि 21 दिनों के भीतर लौटायी गयी है, निधि के गबन अथवा दुर्विनियोग के तुल्य नहीं होगा। अ॰ सा॰ 6 जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, के परिसाक्ष्य से भी यह प्रतीत होता है कि निरीक्षण के दौरान उसने पाया कि काम में प्रगति नहीं हुई थी अथवा प्रगति अत्यन्त धीमी थी। अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य में यह भी आया है कि आवंटित राशि पहले सहायक अभियन्ताओं को विभिन्न तिथियों जैसे 14.6.1994,

15.6.1994 एवं 17.6.1994 को दी गयी थी और सहायक अभियन्ताओं ने आगे कनीय अभियन्ताओं को नगद राशि दिया और योजना के रद्दकरण के बाद, इस अपीलार्थी ने कार्यपालक अभियन्ता को 30.85 लाख रुपया लौटा दिया। इसी प्रकार से, अन्य सहदोष सिद्धों ने भी कार्यपालक अभियन्ताओं को राशि लौटा दिया था। अत: केवल अत्यन्त संक्षिप्त अवधि के भीतर सहायक अभियन्ताओं एवं कनीय अभियन्ताओं ने मोरम एवं अन्य सामग्री रखकर काम शुरू किया। साक्ष्य में यह भी आया है कि योजनाओं के अधीन कुछ काम किया गया था और इसके रद्दकरण के तुरन्त बाद शेष राशि जो खर्च नहीं की गयी थी लौटा दी गयी थी। आक्षेपित निर्णय से, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 16.3.2016 को अभिरक्षा में लिया गया था और तब से वह अभिरक्षा में है।

9. अधिवक्ताओं के निवेदन, अभिकथन, अवर न्यायालय द्वारा विरचित आरोप, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, यह तथ्य कि अवर न्यायालय का निष्कर्ष दस्तावेजों पर आधारित है जिन्हें अभिलेख पर नहीं लाया गया है अथवा प्रदर्श के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, अभिरक्षा की अवधि और यह तथ्य कि अपीलार्थी विचारण के दौरान पूरे समय जमानत पर था और यह तथ्य भी कि समस्त दोषसिद्ध सरकारी सेवक हैं और उनमें से अधिकांश अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, पर विचार करते हुए मैं इस अपील के लंबित रहने के दौरान आर॰ सी॰ केस सं॰ 24A/1995 (Pat.) में विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰ (ए॰ एच॰ डी॰ मामलों से भिन्न) की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- रुपयों के जमानत बंध पत्र को प्रस्तुत करने पर अवर न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि के भुगतान के अध्यधीन अपीलार्थी को जमानत पर निर्मुक्त करने के इच्छुक हूँ।

10. मामले की प्रकृति एवं इस तथ्य कि अधिकांश दोषसिद्ध पहले ही अपनी सेवा से अधिवर्षित हो गए हैं, पर विचार करते हुए कार्यालय को 'सुनवाई के लिए' शीर्षक के अधीन इस मामले को जुलाई 2016 के द्वितीय सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश देना वांछनीय है।

11. तद्नुसार, अपीलार्थी की प्रेरणा पर जमानत के प्रदान के लिए दाखिल आई॰ ए॰ सं॰ 1971 वर्ष 2016 निपटाया जाता है।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh ,o vuUr fct ; flg] U;k;efrx.k

नागेश्वर रजवार (1418 में)

सरस्वती देवी (1196 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (D.B.) Nos. 1418, 1196 of 2008. Decided on 30th June, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 115/174 वर्ष 2004 में श्री प्रेम प्रकाश पांडे, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 22.8.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 25.8.2008 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 304B—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 113B—दहेज मृत्यु–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–मोटरसाईकिल एवं टी॰ वी॰ की अभिकथित मांग–केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन आरोप विरचित किया गया है–साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन प्रावधान के निबंधनानुसार, अभियोजन की धारा 113B के अधीन प्रावधान के निबंधनानुसार, अभियोजन को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन निम्नलिखित अवयवों को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करना है अर्थात् (a) विवाह सात वर्षों के भीतर हुआ था; (b) मृत्यु का कारण अस्वाभाविक था; और (c) मृत्यु के तुरन्त पहले मृतका

को पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा क्रूरता अथवा परेशानी के अध्यधीन किया गया था–अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि मृतका को मृत्यु के तुरन्त पहले अपीलार्थियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता अथवा परेशानी के अध्यधीन किया गया था–स्वतंत्र गवाहों एवं बचाव गवाहों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है–सूचक और मृतका के पिता तथा मृतका की माता ने एक-दूसरे के प्रति विरोधाभासी बयान दिया है और यह तथ्य आई॰ ओ॰ के वस्तुपरक साक्ष्य द्वारा समर्थित था–विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करने में गलती किया–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त–अपीलें अनुज्ञात। (पैरा 23)

निर्णयज विधि.–2014 (3) JLJR 646; (2006)10 SCC 681—Referred.

अधिवक्तागण.–Mrs. Rashmi Kumari (in 1418); Mr. N.K. Sahani (in 1196), For the Appellants; Mrs. Sadhna Kumar (in 1418), Mr. Ravi Prakash (in 1196), For the State.

अनन्त बिजय सिंह, न्यायमूर्ति.–दोनों दांडिक अपीलें अर्थात् अपीलार्थी नागेश्वर रजवार द्वारा दाखिल दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1418 वर्ष 2008 एवं सरस्वती देवी द्वारा दाखिल दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1196 वर्ष 2008 साथ सुनी जा रही हैं और एक ही निर्णय द्वारा निपटायी जा रही है क्योंकि दोनों दांडिक अपीलें एस॰ टी॰ सं॰ 115/174 वर्ष 2004 में अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करते हुए पारित दिनांक 22.8.2008 के एक ही निर्णय से उद्भूत होती हैं और आगे उनको दिनांक 25.8.2008 को दंडादेश दिया जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन कठोर आजीवन कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

2. चास पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को संबोधित सूचक अ॰ सा॰ 5 सुधीर रजवार के दिनांक 23.10.2003 के लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 1) में यह अभिकथित करते हुए अभियोजन मामला यह है कि वह ग्राम नरकारा, पी॰ एस॰ बालीडीह, जिला बोकारो का निवासी है, उसकी बहन उर्मिला देवी का विवाह जून माह में 2002 में नागेश्वर रजवार (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1418 वर्ष 2008 में अपीलार्थी) के साथ हुआ था। यह अभिकथित किया गया है कि विवाह में 55,000/- रुपया नगद एवं अन्य वस्तुएँ दहेज में दी गयी थीं। सूचक की बहन अपने ससुराल गयी। तत्पश्चात, वह अपने पिता के साथ माएके आयी और नागेश्वर रजवार भी वहाँ आया और बीमार पड़ गया तथा उसका इलाज कराया गया था और तत्पश्चात वह अपने घर लौट गया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इस बीच उसकी बहन ने प्रकट किया कि उसकी सास, उसका पति नागेश्वर रजवार हीरो होण्डा स्पलेन्डर मोटरसाइकिल और एक कलर टी॰ वी॰ की मांग के लिए दबाव डालते थे, किसी प्रकार उसके पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने मोटरसाइकिल देने का आश्वासन दिया, तत्पश्चात् उसकी बहन अपने दांपत्य गृह गयी। आगे यह अभिकथित किया गया है कि घटना के तीन माह पहले, उसकी बहन घर आयी और प्रकट किया कि उसका पति नागेश्वर रजवार, सास एवं एक पड़ोसी एलू रजवार, रामबिलास कपरदार, जगदीश कपरदार, भीखन कपरदार उसके पति के मामा होने के नाते मोटरसाइकिल की मांग के लिए नियमित रूप से दबाव डाला करते थे और गंभीर परिणामों की धमकी देते थे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 23.10.2003 को अपराह्न लगभग 3 बजे बंधु रजवार के पुत्र राजू रजवार (परीक्षण नहीं किया गया) ने सूचक को सूचित किया कि उसकी बहन उर्मिला देवी की हत्या कर दी गयी थी, तत्पश्चात् सूचक अपने परिवार के सदस्यों एवं कुछ गाँववालों के साथ अपनी बहन के ग्राम गोमडीह, टोला पिपराबेरा, पी॰ एस॰ चास (एम॰) स्थित दांपत्य-गृह आया और 5 बजे वहाँ पहुँचा और अपनी बहन को गर्दन के बाएँ भाग

पर काला निशान लिए मृत पाया। यह अभिकथित किया गया है कि चूँकि दहेज मांग परिपूर्ण नहीं की गयी थी, अभियुक्तों द्वारा गला दबाकर उसकी बहन की हत्या की गयी थी।

3. सूचक के पूर्वोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए चास (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 75 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था।

4. अन्वेषण के बाद, आरोप पत्र दाखिल किया गया था और दिनांक 27.3.2004 को विद्वान सी॰ जे॰ एम॰, बोकारो के आदेश द्वारा मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि एस॰ टी॰ सं॰ 115 वर्ष 2004 में अपीलार्थी नागेश्वर रजवार का मामला और एस॰ टी॰ सं॰ 174 वर्ष 2004 में सरस्वती देवी का मामला पृथक रूप से सुपुर्द किया गया था और आगे अभिलेख प्रकट करता है कि दिनांक 15.5.2004 को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एस॰ टी॰ सं॰ 115 वर्ष 2004 में नागेश्वर रजवार के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन आरोप विरचित किया गया था और आगे एस॰ टी॰ सं॰ 174 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 23.8.2004 को सरस्वती देवी (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1196 वर्ष 2008 में अपीलार्थी) के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन आगे आरोप विरचित किया गया था और अभिलेख आगे प्रकट करता है कि एस॰ टी॰ सं॰ 115 वर्ष 2004 में विचारण अग्रसर हुआ और चार गवाहों अर्थात् अर्जुन रजवार, मोहन रजवार, अशोक कुमार रजवार एवं काशी नाथ रजवार का परीक्षण किया गया था, तत्पश्चात् दिनांक 15.2.2004 को राज्य द्वारा दाखिल याचिका पर दोनों मामलों अर्थात् एस॰ टी॰ सं॰ 115 वर्ष 2004 तथा एस॰ टी॰ सं॰ 174 वर्ष 2004 को दिनांक 24.11.2004 के आदेश के तहत मिला दिया गया था और अपीलार्थी सरस्वती देवी को पूर्वोक्त चार गवाहों का परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया था।

5. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में कुल ग्यारह गवाहों का परीक्षण किया है। अ॰ सा॰ 1 अर्जुन रजवार है; अ॰ सा॰ 2 मोहन रजवार है; अ॰ सा॰ 3 अशोक कुमार रजवार है; अ॰ सा॰ 4 काशी नाथ रजवार है; अ॰ सा॰ 5 सुधीर रजवार सूचक है; अ॰ सा॰ 6 मुरलीधर रजवार है; अ॰ सा॰ 7 बिरेन्द्र रजवार है; अ॰ सा॰ 8 जालो रजवार है; अ॰ सा॰ 9 मृतका की माता मोहनी देवी है; अ॰ सा॰ 10 मृतक का पिता झारी रजवार है और अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ अजय शंकर श्रीवास्तव है जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया।

6. अभिलेख प्रकट करते हैं कि अभियोजन को अवसर दिए जाने के बावजूद अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था और दिनांक 14.7.2006 को अभियोजन मामला बंद किया गया था। दिनांक 24.7.2006 को रामेश्वर राम (पुलिस इंस्पेक्टर) उपस्थित हुआ और आगे दिनांक 28.7.2006 के आदेश के तहत विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया था और रामेश्वर राम (पुलिस इंस्पेक्टर) का न्यायालय गवाह सी॰ डब्ल्यू॰ 1 के रूप में परीक्षण किया गया था।

7. बचाव ने अपने मामले के समर्थन में कुल पाँच गवाहों अर्थात् ब॰ सा॰ 1 लक्ष्मण तिवारी, ब॰ सा॰ 2 दशरथ महथा, ब॰ सा॰ 3 सुबोध चंद्र रजवार, ब॰ सा॰ 4 गुलेल महतो एवं ब॰ सा॰ 5 मिहिर दास का परीक्षण किया।

8. प्रदर्शों के मुताबिक, प्रदर्श 1 फर्दबयान है; प्रदर्श 2 उर्मिला देवी की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर मुरलीधर रजवार द्वारा हस्ताक्षर है; प्रदर्श 2/2 उर्मिला देवी की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर जालो रजवार द्वारा हस्ताक्षर है; प्रदर्श 2/1 उर्मिला देवी की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर बिरेन्द्र रजवार द्वारा हस्ताक्षर है; प्रदर्श 3 उर्मिला देवी की शव-परीक्षण रिपोर्ट है; प्रदर्श 1/1 प्रभारी पदाधिकारी चास (एम॰) के फर्दबयान पर पृष्ठांकन है; प्रदर्श 4 संपूर्ण औपचारिक प्राथमिकी है; प्रदर्श 2/3 संपूर्ण मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है; प्रदर्श 5 संपूर्ण अभिग्रहण सूची है।

9. दोनों अपीलों में उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए गवाहों को दो कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अ॰

सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 अर्थात् अर्जुन रजवार, मोहन रजवार, अशोक कुमार रजवार एवं काशीनाथ रजवार स्वतंत्र गवाह हैं और वे सूचक से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने अपीलार्थियों द्वारा मृतका से दहेज मांग का अथवा उसको दी गयी यातना के मामले का समर्थन नहीं किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी सरस्वती देवी (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1196 वर्ष 2008 में अपीलार्थी) को इन गवाहों का प्रति परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया था जैसा अभिलेख प्रकट करते हैं, जिसने अपीलार्थियों को प्रतिकूलता कारित किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि गवाहों का एक अन्य संवर्ग अ॰ सा॰ 5 से 10 है अर्थात् सूचक सुधीर रजवार, मुरलीधर रजवार, बिरेन्द्र रजवार, जालो रजवार, मोहनी देवी मृतका की माता और झारी रजवार (मृतका का पिता) है जो मृतका के संबंधी हैं और अत्यन्त हितबद्ध गवाह हैं। उन्होंने अपीलार्थियों द्वारा मोटरसाइकिल एवं कलर टी॰ वी॰ की मांग के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन किया है किंतु उनके साक्ष्य एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। अभियोजन ने स्थापित नहीं किया है कि मोटरसाईकिल एवं कलर टी॰ वी॰ के संबंध में अपीलार्थियों द्वारा पहली बार मांग कब की गयी थी, अत: उनके साक्ष्य पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि बचाव ने भी पाँच गवाहों का परीक्षण किया है। उन्होंने अपीलार्थियों के मामले का समर्थन किया है और अपीलार्थियों द्वारा मोटरसाईकिल अथवा कलर टी॰ वी॰ की किसी मांग अथवा अपीलार्थियों द्वारा किसी यातना के बारे में नहीं कहा है। आगे, डॉक्टर अ॰ सा॰ 11 ने अपने मत में कथन किया है कि मृत्यु लिगेचर द्वारा गला दबाए जाने के परिणामस्वरुप दम घुटने से हुई थी। इस मामले में फाँसी से लटका कर मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस संदर्भ में अ॰ सा॰ 5 सुधीर रजवार (सूचक) के साक्ष्य को भी निर्दिष्ट किया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी बहन उर्मिला देवी (मृतका) का विवाह नागेश्वर रजवार के साथ जून 2002 में किया गया था और 55,000/- रुपया नगद एवं अन्य वस्तुएँ दहेज के रूप में दी गयी थीं। तत्पश्चात वह अपने ससुराल गयी। अपने विवाह के छह माह बाद वह वापस आयी। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि नागेश्वर रजवार बिदागरी के लिए आया, तब उसके परिवार के सदस्यों ने करमा पूजा के बाद बिदागरी करने का अनुरोध किया। आगे यह कथन किया गया है कि उसकी बहन ने प्रकट किया कि पति नागेश्वर रजवार, सास, ऐलू रजवार एवं राम विलास कपरदार सहित उसके ससुराल वाले हीरो होण्डा मोटरसाईकिल एवं कलर टी॰ वी॰ मांग रहे थे। उसके पिता ने मांग परिपूर्ण करने में अपनी अक्षमता अभिव्यक्त किया किंतु किसी प्रकार उसके पिता ने दिनांक 21.10.2003 को उसकी बहन का बिदागरी समारोह संपन्न किया किंतु दिनांक 23.10.2003 को उसने राजू रजवार (परीक्षण नहीं किया गया) से सूचना पाया कि उसकी बहन की हत्या कर दी गयी है, तत्पश्चात अ॰ सा॰ 5 अपने परिवार के सदस्यों एवं कुछ गाँववालों के साथ और कुछ पुलिसकर्मी के साथ अपनी बहन के घर गया जहाँ उसने अपनी बहन का चारपाई पर पड़ा मृत शरीर पाया और उसकी गर्दन के इर्द-गिर्द काला निशान भी पाया और उसने पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 1) दिया। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि वह पाँचवीं-छठी कक्षा उत्तीर्ण है और वर्तमान में बोकारो स्टील लिमिटेड में कार्यरत है। उसने आगे निवेदन किया है कि नागेश्वर रजवार अंडा बेचता था और उसकी माता दाई है। इस गवाह ने कथन किया है कि उसका घर मृतका के घर से 25 कि॰ मी॰ की दूरी पर है। इस गवाह ने अपने फर्द बयान में कथन किया है कि उसकी बहन की बिदागरी दिनांक 21.10.2002 को हुई। पैराग्राफ 17 में इस गवाह ने कथन किया है कि वह नहीं कह सकता है कि किस माह में उसका पिता उसकी बहन को ससुराल से लाया था। उसने कहा है कि उसका पिता बोकारो स्टील लिमिटेड में कार्यरत है। अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 19 में उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह अपनी बहन के ससुराल गया था, वहाँ कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है। उसकी बहन ने बिजली के पंखा की शिकायत कभी नहीं की। अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 27 में, उसने कथन किया है कि उसकी बहन ने कहा

था कि उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज मांगा गया था किंतु किसी को लिखित सूचना नहीं दी गयी थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसकी बहन के ससुराल में बिजली नहीं थी जिस कारण उसकी बहन ने आत्म हत्या की।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उर्मिला देवी उसकी पुत्री थी। अपने विवाह के बाद, वह ससुराल गयी जहाँ उसे यातना के अध्यधीन किया गया था और उससे मोटरसाईकिल तथा एक कलर टी॰ वी॰ मांगा गया था, यह तथ्य उसकी पुत्री उर्मिला देवी (मृतका) द्वारा प्रकट किया गया था। उसने आगे कथन किया है कि उसकी पुत्री की बिदागरी मंगलवार को हुई और वृहस्पतिवार को उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी। प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि विवाह के बाद उसकी पुत्री माएके आयी और दस दिन बाद पुनः अपने ससुराल चली गयी। तीन–चार दिन बाद पुनः वह करमा पूजा में आयी और तत्पश्चात करमा पूजा के बाद वह पुनः अपने ससुराल चली गयी जहाँ वह बीमार पड़ गयी। प्रति परीक्षण के पैरा 8 में, इस गवाह ने कथन किया है कि उसका दामाद नागेश्वर रजवार सेक्टर 11 में अंडा बेचता था। पैरा 10 में उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री के ससुराल में बिजली नहीं है और उसकी पुत्री के ससुराल वाले गरीब हैं। उसके दामाद का अंडा बेचने के सिवाय आय का दूसरा स्रोत नहीं है। प्रति परीक्षण के पैरा 13 में उसने कथन किया है कि जब उसकी पुत्री ने ससुराल वालों द्वारा टी॰ वी॰ एवं हीरो होण्डा मोटरसाईकिल की मांग के बारे में सूचित किया, उसने पुलिस थाना को सूचित नहीं किया था।

11. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया है कि मोटरसाईकिल एवं कलर टी॰ वी॰ की मांग के संबंध में अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य में विरोधाभास है जो बाद में सोचा गया विचार है।

12. आगे अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने मृतका की माता अ॰ सा॰ 9 मोहनी देवी के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया। अ॰ सा॰ 9 मोहनी देवी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी पुत्री उर्मिला देवी का विवाह नागेश्वर रजवार के साथ वर्ष 2002 में हुआ था। विवाह के बाद, वह अपने ससुराल गयी। एक माह बाद वह अपने माएके आयी और वहाँ एक माह तक रही, तत्पश्चात वह पुनः अपने ससुराल गयी। अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 3 में, इस गवाह ने कथन किया है कि उसकी पुत्री ने शिकायत किया कि अभियुक्तों ने उसको गाली दिया था। नागेश्वर रजवार (मृतका के पति) का मामा टी॰ वी॰ एवं वाहन मांगा करता था और उसकी पुत्री को धमकाया भी था। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 18 में उसने कथन किया है कि नागेश्वर रजवार अंडा बेचता था और वह नहीं कह सकती है कि नागेश्वर रजवार की माता क्या करती है। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 9 में उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री के ससुराल वाले बहुत गरीब हैं। उसने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 10 में स्पष्टतः कथन किया है कि वह प्रकट नहीं कर सकती है कि किस तिथि को उसकी पुत्री को यातना दी गयी थी। पैरा 11 में उसने कथन किया है कि वह नागेश्वर के मामा की बेटी की शादी में गयी थी जहाँ नागेश्वर ने उसकी उपस्थिति में उसकी पुत्री पर प्रहार किया था। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 13 में, उसने कथन किया है कि वह अपने पति के साथ नागेश्वर के मामा के विवाह में गयी थी और उसने अपनी पुत्री को घटना बताया था। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 22 में उसने स्पष्टतः कथन किया है कि वह दिन एवं तिथि के बारे में नहीं कह सकती है जब मामा, उसकी बहु ने टी॰वी॰ आदि मांगा था। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 24 में उसने कथन किया है कि उसने पुलिस

थाना एवं अतिरिक्त पुलिस थाना को दहेज मांग के बारे में सूचित किया था। अ॰ सा॰ 9 के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी नागेश्वर रजवार के मामा द्वारा मोटरसाईकिल एवं कलर टी॰ वी॰ की मांग की गयी थी।

13. अ॰ सा॰ 6 मुरलीधर रजवार जो मृतका उर्मिला देवी का चाचा है ने नागेश्वर रजवार के साथ उर्मिला देवी के विवाह के तथ्य का समर्थन किया है और कथन किया है कि वह उर्मिला देवी की मृत्यु के बारे में सुनने के बाद उर्मिला देवी के ससुराल गया और पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और उसने इस पर अपना हस्ताक्षर किया जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उसको पढ़कर सुनायी गयी थी। प्रति परीक्षण के पैरा 14 में उसने कथन किया है कि उसने पुलिस को हीरो होण्डा मोटरसाईकिल एवं टी॰ वी॰ की मांग के बारे में सूचित नहीं किया था। पैरा 17 में उसने कथन किया है कि पुलिस ने उससे परिप्रश्न नहीं किया था।

14. अ॰ सा॰ 7 बिरेन्द्र रजवार जो मृतका उर्मिला देवी का भाई है ने भी अपनी बहन का नागेश्वर रजवार के साथ विवाह के तथ्य का समर्थन किया है और कथन किया है कि अपने विवाह के बाद वह ससुराल गयी। उसकी मृत्यु के बाद वह वहाँ गया और अपनी बहन का मृत शरीर देखा। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया जिसे प्रदर्श 2/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने प्रति परीक्षण में, उसने स्पष्टत: कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में दहेज मांग नहीं की गयी थी और पैरा 16 में उसने स्पष्टत: कथन किया है कि वह मृतका से उसके ससुराल जाने के 3-4 माह बाद मिला था।

15. अ॰ सा॰ 5 जालो रजवार मृतका का चाचा है इसने भी मृतका का नागेश्वर रजवार के साथ विवाह का तथ्य स्वीकार किया है और इस तथ्य का कथन भी किया अपने विवाह के बाद वह अपने ससुराल गयी और जब वह माएके लौटी, उसने अभियुक्तों द्वारा कलर टी॰ वी॰ एवं मोटरसाईकिल की मांग तथा उसपर प्रहार के बारे में शिकायत किया। यह गवाह भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया है जिसे प्रदर्श 2/2 के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रति-परीक्षण के पैरा 10 में, उसने कथन किया है कि जब वह मृतका से मिला, उसने अपने ससुरालवालों द्वारा किए गए प्रहार के बारे में बताया। पैरा 11 में, उसने कथन किया है कि उसने पुलिस को सूचना नहीं दिया था।

इस प्रकार, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया था कि पूर्वोक्त गवाह अ॰ सा॰ 5 से अ॰ सा॰ 10 मृतका के संबंधी हैं और वे अत्यन्त हितबद्ध गवाह हैं और उन्होंने नागेश्वर रजवार द्वारा मोटरसाईकिल एवं कलर टी॰ वी॰ की मांग के बारे में विरोधाभासी विवरण दिया है, अत: उनके साक्ष्य पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है।

16. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्यों को भी निर्दिष्ट किया है जो स्वतंत्र गवाह हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है कि अपीलार्थियों द्वारा मोटरसाईकिल एवं कलर टी॰ वी॰ की मांग की गयी थी अथवा मृतका को यातना दी गयी थी।

17. इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ अजय कुमार श्रीवास्तव के साक्ष्य के प्रति निर्देश में यह निवेदन किया था कि उन्होंने कथन किया है कि दिनांक 24.10.2003 को वह सब-डिविजनल अस्पताल, चास में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे और उन्होंने ग्राम गोमतीडीह, टोला पिपरावेरा, पी॰ एस॰ चास (एम॰), बोकारो के निवासी नागेश्वर रजवार उर्फ लागन रजवार की पत्नी उर्मिला देवी का शव परीक्षण किया था और निम्नलिखित पाया था: मृतका लगभग 21 वर्षीया थी और उसका मृत शरीर चौकीदार तथा सुधीर रजवार एवं कृष्णा रजवार द्वारा लाया गया था। वह औसत कद काठी की थी, निचले अंगों में शव काठिन्य अंशत: मौजूद था। दोनों हाथ अंशत: बंद थे। जीभ बाहर निकली हुई थी। मुँह के कोणों से लार नासिका के फेनवाले डिस्चार्ज से मिश्रित खून नहीं देखा गया था। पेट फूला हुआ और तना था। मृत्युपूर्व

उपहतियाँ लिगेचर निशान, थायरायड कार्टिलेज से गर्दन की नेप तक जाता बाएँ भाग पर लिगेचर निशान के उपर–नीचे एचिमोज्ड एवं एब्रेडेड सतहों के साथ 1/2" चौड़ा निगेचर निशान लगभग क्षैतीजीय रूप से था। यह गर्दन को लगभग घेरते हुए तिर्यक रूप से उपर की ओर दाएँ भाग तक गया था। मृतका के शरीर पर कोई अन्य मृत्यु पूर्व उपहति नहीं पायी गयी थी। चीर–फाड़ पर लिगेचर निशान के ऊपर–नीचे रक्त का एक्सट्रावेशन था। लैरिन्क्स एवं ट्रेचिया कंजस्टेड थे अैर ल्यूमन में खून मिला फेनवाला म्यूकस संग्रह था। थायरायड एवं प्रथम ट्रेचियल रिंग स्पष्ट रूप से ग्रूण्ड थे। फेफड़े कंजस्टेड और इडामेटस थे। हृदय के समस्त चैम्बरों में रक्त था। शव परीक्षण किए जाने तक मृत्यु से बीता समय 36 से 40 घंटा था। उनके अनुसार, लिगेचर द्वारा गला दबाए जाने के परिणामस्वरुप दम घुटने के कारण मृत्यु हुई थी। इस मामले में फाँसी लटका कर मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित किया गया है। फाँसी लटकाने के मामले में, ट्रेचिया शरीर के वजन के कारण जुड़ा नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कथन किया है कि फाँसी लटकाने के क्रम में रस्सी अथवा लिगेचर के प्रकार का निशान हो सकता है। इस गवाह ने सुझाव से इनकार किया है कि यह सत्य नहीं है कि इस मामले में फाँसी लटकाने के कारण मृतका की मृत्यु हुई।

18. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह निवेदन किया गया था कि मृत्यु दम घुटने से हुई थी। आगे अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने मामले के आई॰ ओ॰ रामेश्वर राम सी॰ डब्ल्यू॰ 1 के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया जिसका साक्ष्य अभियोजन द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन दाखिल याचिका द्वारा न्यायालय के समक्ष लिया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 23.10.2003 को वह चास (एम॰) पी॰ एस॰ में एस॰ आई॰ के रूप में पदस्थापित था, चास (एम॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 75 वर्ष 2003 सुधीर रजवार की लिखित रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था और इस मामले का अन्वेषण उसको सौंपा गया था। उसने प्रभारी अधिकारी का पृष्ठांकन एवं हस्ताक्षर (प्रदर्श 1/1) सिद्ध किया है। उसने आगे औपचारिक प्राथमिकी पर प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर (प्रदर्श 4) सिद्ध किया है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अन्वेषण का प्रभार लेने के बाद, वह प्रभारी अधिकारी के साथ घटनास्थल पर गया। प्रभारी अधिकारी अंजनी कुमार ने कार्बन प्रतिलिपि के साथ मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया जिस पर गवाहों मुरलीधर रजवार, जालो रजवार, विरेन्द्र एवं धूम रजवार द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और प्रभारी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया था। गवाहों एवं प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर प्रदर्श 2/3 चिन्हित किए गए हैं। उसने आगे कथन किया कि उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया और इंदिरा आवास योजना के अधीन ईंट–सीमेंट से निर्मित दो कमरों वाला अभियुक्तों का घर देखा। मृतका का मृत शरीर पाया गया था। एक सात फीट की प्लास्टिक रस्सी पायी गयी थी जिसे प्रभारी अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था। गवाहों के हस्ताक्षर के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 5) तैयार की गयी थी। उसने गवाहों का बयान दर्ज किया है और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा है। उसने घटना सत्य पाया किंतु इस बीच उसका स्थानांतरण कर दिया गया था, अत: उसने प्रभारी अधिकारी को अन्वेषण का प्रभार सौंप दिया।

19. प्रति परीक्षण के क्रम में, उसने पैरा 9 में कथन किया है कि घटनास्थल के निरीक्षण के बाद वह इस निष्कर्ष पर आया कि यह फाँसी से लटकाने का मामला है। उसने आगे पैरा 10 में कथन किया कि उसने काशीनाथ रजवार (अ॰ सा॰ 4), अशोक कुमार रजवार अ॰ सा॰ 3, अर्जुन रजवार अ॰ सा॰ 1 और मोहन रजवार अ॰ सा॰ 2 का बयान दर्ज किया जिन्होंने कथन नहीं किया है कि अभियुक्तों ने दहेज

मांग के लिए मृतका को यातना दिया था और कथन किया कि मृतका ने आत्महत्या की थी और यह कथन भी किया कि मृतका के पति के सिवाए उस घर में कोई नहीं उपस्थित था। पैरा 11 में उसने कथन किया है कि मृतका की माता मोहनी देवी ने प्रकट नहीं किया था कि कब वह नागेश्वर के मामा की पुत्री के विवाह में गयी थी, उसकी उपस्थिति में नागेश्वर द्वारा उसकी पुत्री पर प्रहार किया गया था। पैरा 13 में, उसने कथन किया है कि गवाह ने घटना का पक्का समय प्रकट नहीं किया था। उसने सुझाव से इनकार किया है कि अन्वेषण त्रुटिपूर्ण था।

20. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे निवेदन किया कि आई॰ ओ॰ सी॰ डब्ल्यू॰ 1 के साक्ष्य ने मोहनी देवी मृतका की माता का साक्ष्य झुठलाया है कि उसकी उपस्थिति में नागेश्वर रजवार ने उसकी पुत्री उर्मिला देवी पर प्रहार किया था। आगे अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने ब॰ सा॰ 1, ब॰ सा॰ 2, ब॰ सा॰ 3, ब॰ सा॰ 4 एवं ब॰ सा॰ 5 के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया जिन्होंने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वे नागेश्वर रजवार और सरस्वती देवी को जानते हैं। नागेश्वर रजवार अंडा बेचा करता था और सरस्वती देवी दाई है और वे उर्मिला देवी को पूरी मर्यादा एवं स्नेह के साथ रखते थे।

21. इन साक्ष्यों के आधार पर और **''अरुण सोनी बनाम झारखंड राज्य,** 2014 (3) JLJR 646, में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास करते हुए:–

> *^^Hkkjrh; nM lfgrk] 1860–èkkjk, 498A/304B/201 lgifBr Hkkjrh; lk{; vfèkfu;e] 1872 dh èkkjk 113B—fookg d lkr o"kk d Hkhrj iRuh dh eR;&erdk d firk lpd dk ifjlk{; ekrk d ifjlk{; d foijhr g&vkb0 vk0 u vfHk;ktu ekeyk dk mi;Dr cuku d fy, oLrvk dh tCrh d lcèk e lk{; ykdj ekeyk cuku dk ç;kl fd;k g ftl ekrk&firk d ifjlk{; }kjk li"V ugh fd;k x;k g&firk] ekrk ,o nknk d ifjlk{; ml vofèk d lcèk e vlxr g fd dc vihykFkh u LdVj ekxk vkj mUgku ?kVuk d igy mDr ekx d lcèk e fdlh dk çdV dHkh ugh fd;k Fkk tk , lh fLFkfr e ekrk&firk d LokHkkfod vkpj.k d çfrdy g&vfHk;ktu u LFkkfir ugh fd;k g fd vihykFkh u ngt ekx d lcèk e mldh eR; d rjUr igy erdk dk Øjrk vFkok ij'kkuh d vè;èkhu fd;kA fdlh lk{; dh vuifLFkfr e fd ngt ekxh x;h Fkh vFkok ngt d lcèk e erdk dk Øjrk vFkok ij'kkuh d vè;èkhu fd;k tkrk Fkk] èkkjk 113B d vèkhu mièkkj.kk ugh dh tk ldrh g&Lor= xokgk d ifjlk{; dh nf"V e] vfèklHkk0;rk ;g fd erdk dh eR; n?kVuko'k gb&nk"kflf) vikLr dh x;hA*
>
> *Hkkjrh; nM lfgrk] 1860—èkkjk 304B lgifBr Hkkjrh; lk{; vfèkfu;e] 1872 dh èkkjk 113B—èkkjk 304B d vèkhu vfHk;Dr d nk"ki.k vkpj.k ij vkKkid mièkkj.kk dh tkrh g&ngt eR; mièkkfjr dju d fy, ;g n'kku dk Hkkj fd vijkèk d vko';d vo;ok dk LFkkfir fd;k x;k g vfHk;ktu ij g vkj ;g ijkHkk0; 'kr g fd ngt ekx l lcfèkr vufèk{ki.kh; lk{; gkuk gh gkxk&;fn vo;ok dk LFkkfir fd;k tkrk g] doy rc èkkjk 113B d fucèkuku lkj cpko ij çek.k dk Hkkj f'k¶V gkrk g&èkkjk 304B doy rF;k d fn, x, lox e fofFk dh mièkkj.kk dh vuefr nrh g vkj u fd rF; dh mièkkj.kk dh vkj rF; fl) djuk gkxk vkj doy rc LFkkfir@fl) rF;k d vkèkkj ij fofèk mièkkfjr dh tk,xhA***

अपीलार्थियों की ओर से यह निवेदन किया गया था कि विचारण के दौरान अभियोजन गवाहों अर्थात् सुधीर रजवार अ॰ सा॰ 5 (सूचक), मुरलीधर रजवार अ॰ सा॰ 6, बिरेन्द्र रजवार अ॰ सा॰ 7, जालो रजवार अ॰

सा॰ 8, मृतका की माता मोहनी देवी अ॰ सा॰ 9 एवं झारी रजवार (मृतका का पिता) अ॰ सा॰ 10 ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन आरोप लाने के लिए मोटरसाईकिल एवं कलर टी॰ वी॰ की मांग के संबंध में मामला निर्मित किया है किंतु इसे स्वतंत्र गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 अर्थात् अ॰ सा॰ 1 अर्जुन रजवार, अ॰ सा॰ 2 मोहन रजवार, अ॰ सा॰ 3 अशोक कुमार रजवार और अ॰ सा॰ 4 काशी नाथ रजवार सहपठित बचाव गवाहों के साक्ष्य मामले के आई॰ ओ॰ सी॰ डब्ल्यू॰ 1 के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है और जिसने कथन किया है कि यह फाँसी से लटकाने का मामला है। यह निवेदन किया गया था कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अवयवों को सिद्ध करने के संबंध में अपने भार का निर्वहन करने की आरंभिक जिम्मेदारी अभियोजन की है; तब साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B आकृष्ट होगी और यह स्पष्टीकरण देने का भार अपीलार्थियों पर होगा कि किस प्रकार मृतका की मृत्यु हुई, चूँकि अभियोजन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन मूल अवयवों को स्थापित करने में विफल रहा है। विचारण न्यायालय इसके समुचित परिप्रेक्ष्य में विधि का अधिमूल्यन करने में विफल रहा है, अतः, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने का दायी है।

22. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने **त्रिमुख मारोति किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006)10 SCC 681,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए:–

> *"A. nM lfgrk] 1860—èkkjk 304B (èkkjk 302) ngt eR;&ifjfLFkfrtU; lk{;&çek.k d Hkkj&dh çÑfr&vfHkfuèkkfjr] gYd pfj= dh g tc ?kj d vnj xIrrk e vijkèk fd;k x;k g&lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 106 dh nf"V e] bld çfr rdi.k Li"Vhdj.k nu fd fdl çdkj vijkèk fd;k x;k Fkk dk rRle Hkkj ?kj d lnL;k ij g&o eku jg dj vkj bl vkèkkj ij fd vfHk;ktu dk ekeyk fl) dju d viu Hkkj dk fuogu djuk gkxk] cp ugh ldr g&lk{; vfèkfu;e] 1872, èkkjk 106.*
>
> *B. nM lfgrk] 1860—èkkjk 302—ifjfLFkfrtU; lk{;&çek.k dk Hkkj&vijkèk e Qlku okyh ifjfLFkfr;k d fo#) vLi"Vhdj.k vFkok >Bk Li"Vhdj.k&;fn vfHk;Dr rdi.k Li"Vhdj.k nu e foQy jgrk g vFkok Li"Vhdj.k nrk g tk vlR; g] bl vfHk;Dr d fo#) ifjfLFkfr;k dh J[kyk e bl i.k cuku d fy, vfrfjDr dMh d :i e ekuk tk ldrk g&lk{; vfèkfu;e èkkjk 106, o III(b).*
>
> *C. nkfMd fopkj.k&ifjfLFkfrtU; lk{;&vfre ckj lkFk n[kk tkuk&ngt eR;&ifr dk vfHk;ktu tgk vfHk;ktu ;g n'kku d fy, fd (i) ifr&iRuh dk vfre ckj lkFk n[kk x;k Fkk] vFkok (ii) vijkèk fuokl LFkku e fd;k x;k Fkk tgk ifr Hkh fuokl djrk Fkk vx.kh lk{; nu e lQy gkrk g vkj ;fn vfHk;Dr ifr Li"Vhdj.k ugh nrk g fd fdl çdkj mldh iRuh }kjk migfr ik;h x;h Fkh vFkok Li"Vhdj.k >Bk g] vfHkfuèkkfjr fd;k x;k] etcr ifjfLFkfr;k g tk minf'kr djrh g fd mlu vijkèk fd;k g&çek.k dk HkkjA HkkO nO lO 1860, èkkjk 304B*

और **माया देवी एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य (दांडिक अपील सं॰ 1263 वर्ष 2011** दिनांक 7.12.2015) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करते हुए भी:–

> *"15. lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 113B ngt eR; d çfr mièkkj.kk d ckj e dgrh g ft ldk iBu fuEufyf[kr gS*

"113B. ***ngt eR`; d cckj e mi/kkj.kk&*** *tc iz'u ;g g fd fdlh 0;fDr u fdlh L=h dh ngt eR`; dh g vkj ;g nf'kr fn;k tkrk g fd eR`; d dN iwo ,sl 0;fDr u ngt dh fdlh ekx d fy,] ;k mlds lEcU/k e mlL=h d lkFk Øwjrk dh Fkh ;k mls mRihfM+r fd;k Fkk rks U;k;ky; ;g mi/kkj.kk djxk fd ,sl 0;fDr u ngt eR`; dkfjr dh FkhA*

Li"Vhdj.k& *bl /kkjk d i;kstuk d fy, ^^ngt eR`;** dk ogh vFk gksxk tks Hkkjrh; nM lafgrk (1860 dk 45) dh /kkjk 304B e gA**

tSlk mij dgk x;k g] vfHk;kstu HkkO nO lO dh /kkjk 304B d v/khu iek.k d Hkkj ls cp ugh ldrk g fd irkMuk ;k Øwjrk ngt dh ekx ls lcf/kr Fkh rFkk ;g ^mldh eR`; d rqjr igys fd;k x;k FkkA mDr /kkjk d Li"Vhdj.k dh nf"V e] 'kCn ^^ngt** dk ngt ifr"ks/k vf/kfu;e] 1961 dh /kkjk 2 e ifjHkkf"kr fd;k x;k g tks fuEuor ifBr g& 1*

"2. ***ngt dh ifjHkk"kk&*** *bl vf/kfu;e e ^^ngt** ls rkRi;Z g&*

(a) fookg d ,d i{k }kjk nljs i{k d fy,] ;k

(b) fookg d fdlh i{k d ekrk&firk ;k vU; 0;fDr }kjk fookg d nljs i{k ;k fdlh vU; 0;fDr d fy,]

*fookg djus d lEcU/k e fookg d le; ;k mlds iwo ;k i'pkr fdlh le; çR;{k ;k vçR;{k nh tkus okyh ;k nh tkus d fy, çfrKkr dh xbZ fdlh lEifÙk ;k eY;oku çfrHkwfr] ls g fdUrq blesa mu 0;fDr;k dh n'kk e egj lfEefyr ugh gksxk ftu ij eqfLye 0;fDrxr fo/kku ¼'kjh;r½ ykxw gksrk gA**

निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 5 से अ॰ सा॰ 10 तथा आगे सी॰ डब्ल्यू॰ 1 आई॰ ओ॰ के साक्ष्य और अ॰ सा॰ 11 डॉक्टर के साक्ष्य की मृत्यु फाँसी से लटकने के कारण कारित नहीं हो सकती है और मृत्यु लिगेचर द्वारा गला दबाने के परिणामस्वरूप दम घुटने के कारण हुई थी, की दृष्टि में अभियोजन ने आरंभिक भार का निर्वहन किया है कि (i) मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई; (ii) उसकी मृत्यु अस्वाभाविक थी, (iii) मृत्यु के तुरन्त पहले मोटर साइकिल एवं कलर टी॰ वी॰ की मांग की गयी थी और (iv) उसकी मृत्यु ससुराल में हुई, अत: साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के निबंधनानुसार स्पष्टीकरण देने का भार अब अपीलार्थियों पर है कि उनके विरूद्ध दहेज मृत्यु की उपधारणा है और अपीलार्थियों द्वारा अच्छा कारण नहीं दिया गया है, अत: विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया है और तद्नुसार अपील खारिज किए जाने की दायी है।

23. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा **त्रिमुख मारोति किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** पर विश्वास किया गया है जिसमें भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B एवं 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन प्रावधान जो अभियुक्त पर किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए विशेष जानकारी होने का भार डालता है का अवलंब लिया जा सकता है किंतु वर्तमान मामले में केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन आरोप विरचित किया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन प्रावधान के निबंधनानुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के निम्नलिखित अवयवों पर सिद्ध करना होगा अर्थात्:–

(a) fookg lkr o"kk d Hkhrj gvk Fkk]

(b) eR`; dk dkj.k vLokHkkfod Fkk]

(c) eR; d rjUr igy erdk dk ifr vFkok ifr d lcfèk;k }kjk Øjrk ;k ij'kkuh d vè;èkhu fd;k x;k FkkA

इस पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के प्रावधान के निबंधनानुसार यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्तों पर जाता है कि किन परिस्थितियों में मृतका की मृत्यु हुई किंतु वर्तमान मामले में अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि मृत्यु के तुरन्त पहले मृतका को अपीलार्थियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता अथवा परेशानी के अध्यधीन किया गया था। यह देखते हुए कि अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 (स्वतंत्र गवाह) तथा बचाव गवाह (ब॰ सा॰ 1 से ब॰ सा॰ 5) ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और इसी प्रकार से अ॰ सा॰ 5 सूचक तथा अ॰ सा॰ 10 (मृतका के पिता) तथा अ॰ सा॰ 9 (मृतका की माता) ने एक-दूसरे के प्रति विरोधाभासी बयान दिया है और आई॰ ओ॰ सी॰ डब्ल्यू॰ 1 के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य द्वारा इस तथ्य का समर्थन किया गया है। अतः इन परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करने में गलती किया है। अतः, मामले के इस दृष्टिकोण में कि अपीलार्थीगण दस वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में हैं। दिनांक 22.8.2008 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 25.8.2008 का दंडादेश अपास्त किया जाता है और वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है। दोनों अपीलार्थियों का अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है।

प्रदीप कुमार मोहन्ती, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh ,o Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efrx.k

फगुवा पाहन उर्फ पंडित

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 892 of 2010. Decided on 13th June, 2016

एस॰ टी॰ सं॰ 62 वर्ष 2003 में प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 24.1.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 27.1.2007 के दंडादेश के विरुद्ध।

डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999—धारा 4—भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—जादू टोना का संदेह—अभियोजन द्वारा अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है और प्राथमिकी सिद्ध नहीं की गयी है—अभिकथित अपराध में उसको आलिप्त करते हुए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी से प्रश्न पूछा नहीं गया था—अभियोजन द्वारा उपहति रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गयी है—सूचक ने घटना नहीं देखा है—संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है—अपीलार्थी दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 11 से 14)

अधिवक्तागण.—Mr. Pradip Kumar Deomani, For the Appellant; Mr. Sanjay Kumar Srivastava, For the State.

न्यायालय द्वारा.—यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ सं॰ 62 वर्ष 2003 में प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 24.1.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 27.1.2007 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन भी आरोपों का दोषी पाए जाने पर डायन प्रथा निवारण

अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अधीन छह माह के लिए कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और आगे सूचक के पक्ष में भुगतेय 20,000/- रुपयों के जुर्माना के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 20.5.2002 को जब सूचक बसंती पाहन (अ॰ सा॰ 6) अपने पति के साथ खाना खाने के बाद घरेलू काम कर रही थी, अपराह्न लगभग 3 बजे अपीलार्थी फगुआ पाहन उर्फ पंडित सह अभियुक्तों तुरी लेदे पाहन एवं ललुआ पाहन के साथ समस्त टांगी से लैस होकर वहाँ आए और उसका डायन होना अभिकथित करते हुए उसको गाली देने लगे और उसको घर से बाहर आने का चुनौती दिया। इस पर, सूचक का पति बगरू पाहन (मृतक) घर के बाहर आया और विरोध किया और अभियुक्तों को गाली देने से मना किया। तत्पश्चात अपीलार्थी फगुआ पाहन उर्फ पंडित ने बगरु पाहन के मस्तक पर टांगी से वार किया। यह देखकर, सूचक अपने पति को बचाने घर के बाहर आयी, किंतु अपीलार्थी फगुआ पाहन टांगी से सूचक पर प्रहार किया जिस कारण उसके अपने दोनों हाथों पर उपहति पाया। चूँकि उसने वार से बचने का प्रयास किया था, उसका बायाँ अंगूठा जड़ से अलग हो गया था। समस्त अभियुक्त सूचक की हत्या करना भी चाहते थे, किंतु वह अपना जीवन बचाने के लिए गाँव की ओर भाग गयी। कुछ देर बाद वह घर लौटी, उसने पाया कि उसका पति अपने शरीर पर उपहति पाकर मृत पड़ा था।

कर्रा पुलिस थाना के ए॰ एस॰ आई॰ घटना के बारे में सूचित किए जाने पर गाँव पहुँचा। जहाँ बसन्ती पाहन का फर्दबयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने पूर्वोक्तानुसार घटना के बारे में विवरण दिया।

3. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्तों तुरी लेदे पाहन एवं ललुआ पाहन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307, 326/34 के अधीन और डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 की धाराओं 3/4 के अधीन अपराध के लिए कर्रा पी॰ एस॰ केस सं॰ 18 वर्ष 2002 दर्ज किया गया था।

4. मामला दर्ज करने के बाद, अन्वेषण किया गया था और मृतक का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिसे डॉ॰ पवन कुमार दत्ता अ॰ सा॰ 1 द्वारा किया गया था जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहति पाया:-

1. 'ko vdMk gvk FkkA

2. xnu e dVu dk t[e ik;k x;kA

(i) fiNy Hkkx (ikLVhfj;j vkLiDV) ij {krhth;

(a) igyk .5" x 3" x 1/4" dk Vkxh tl rt èkkjoky Hkkjh gfFk;kj }kjk dkfjr mij dh vkj cu eVj dVu okyk t[eA

(b) nljk 4" x 3" x 1/2" dk Vkxh tl rt èkkjoky Hkkjh gfFk;kj }kjk dkfjr t[eA

(ii) vkrfjd ,o ck, Hkkx ij 1/2" x 1/4" x 1/4" dk ,d {krhth; migfr (dVu dh)

*3. ukd ,o eg d mij cgrk [kuA***

डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट जारी किया कि मृत्यु टांगी जैसे तेज धार वाले भारी हथियार द्वारा कारित मस्तक एवं गर्दन उपहतियों के कारण कारित हुई थी। मृत्यु के समय से बीता समय 24 घंटा के भीतर था और उपहतियाँ मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं।

5. अन्वेषण पूरा करने पर, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था और अपराध का संज्ञान लिया गया था। सम्यक क्रम में जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, उसका विचारण किया गया था। अन्य दो सह-अभियुक्तों ललुआ पाहन एवं तुरी लेदे पाहन को आरोप पत्र में भगोड़ा दर्शाए जाने पर उनका मामला मूल मामला अभिलेख से अलग किया गया था। बाद में, गिरफ्तारी के स्थायी वारंट के निष्पादन के बाद पुलिस द्वारा सह-अभियुक्त ललुआ पाहन को पेश किया गया था और, इसलिए, उक्त सह-अभियुक्त ललुआ पाहन का अभिलेख एस॰ टी॰ सं॰ 62 (A) वर्ष 2003 के रूप में संख्यांकित किया गया था जो अभियोजन साक्ष्य के लिए लंबित है और सह अभियुक्त तुरी लेदे पाहन का अभिलेख अलग किया गया था जिसे एस॰ टी॰ सं॰ 62 (B) वर्ष 2003 के रूप में संख्यांकित किया गया है।

6. विचारण के दौरान, अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल छह गवाहों का परीक्षण किया है। उनमें से अ॰ सा॰ 1 श्री पवन कुमार दत्ता चिकित्सा अधिकारी है। अ॰ सा॰ 2 सुखराम मुंडा, अ॰ सा॰ 3 माना होरो, अ॰ सा॰ 4 सुखु पाहन एवं अ॰ सा॰ 5 साधु पाहन को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 6 सूचक मृतक की पत्नी है जिसने पूरी कहानी बताया है और अभिकथित किया है कि अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों ने मृतक के शरीर पर टांगी से वार किया जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी।

7. विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य को और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अधिमूल्यन के बाद अपीलार्थी को मृतक की हत्या करने का दोषी पाया और तद्नुसार, अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

8. सूचक के साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार देवमनि ने निम्नलिखित आधारों पर विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय का विरोध किया है:-

(I) fdlh Lor= xokg u vfHk;ktu ekeyk li"V ugh fd;k gA

(II) v0 lk0 2, 3, 4 ,o 5 i{knkgh gk x, gA

(III) v0 lk0 6 ,dek= xokg g tk oreku ekey e p'enhn xokg ugh g D;kfd og Hk;Hkhr gkdj ?kVuk LFky l Hkkx x;h FkhA

(IV) v0 lk0 6 dh migfr fjikV vfHk;ktu }kjk fl) ugh fd;k x;k g vkj rn}kjk vfHk;ktu u rkfRod rF;k dk neu fd;k gA

(V) vfHkdfFkr vijkèk e mldk vkfylr djr g, vihykFkh ln0 ç0 lo dh èkkjk 313 d vèkhu ç'u ugh iNk x;k FkkA

(VI) vfHk;ktu }kjk vUo"k.k vfèkdkjh dk ijh{k.k ugh fd;k x;k gA

9. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवादों का जोरदार विरोध किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थी एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने मृतक पर टांगी से वार किया जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने सूचक पर भी प्रहार किया किंतु सूचक अपना जीवन बचाने किसी प्रकार वहाँ से भाग गयी। पूर्वोक्त निवेदन के आधार पर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया

कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में दुर्बलता नहीं है, अत: विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी परिशीलन किया है। यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 1 डॉक्टर है जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है, और मत दिया है कि मृत्यु टांगी जैसे तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित मस्तक एवं गर्दन उपहतियों के कारण कारित हुई थी और उपहतियाँ मृत्युपूर्व प्रकृति की थी; अ॰ सा॰ 2, 3, 4 एवं 5 जो अपीलार्थी और मृतक के सह-ग्रामीण हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं। अ॰ सा॰ 6 सूचक चश्मदीद गवाह है और मृतक की विधवा है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वर्तमान अपीलार्थी सह अभियुक्तों तुरी लेदे पाहन एवं ललुआ पाहन के साथ मृतक बगरु पाहन के मस्तक पर टांगी से वार किया जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी ने उस पर भी टांगी से प्रहार किया जिसे सूचक ने अपने हाथों से रोका जिसके परिणामस्वरुप उसने अपने दोनों अंगूठों एवं दाएँ अग्रबाँह पर उपहति पाया। उसका बायां अंगूठा जड़ से अलग हो गया था।

11. अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 एवं 326 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था किंतु अपीलार्थी को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचक अ॰ सा॰ 6 पर टांगी से वार किया गया था किंतु अभियोजन द्वारा उपहति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया था और डॉक्टर जिन्होंने अ॰ सा॰ 6 का इलाज किया को अभियोजन द्वारा इस संबंध में परीक्षण नहीं किया गया था। न तो जड़ से अलग अंगूठा प्रदर्शित किया गया था और न ही सूचक ने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन किया है कि घटना के समय पर अपीलार्थी द्वारा उसका अंगूठा काट कर अलग किया गया है। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है और अभियोजन द्वारा प्राथमिकी सिद्ध नहीं किया गया है। अभिकथित अपराध में उसको आलिप्त करते हुए अपीलार्थी से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रश्न नहीं पूछा गया था। जड़ से बायां अंगूठा काट कर अलग करने की घटना के संबंध में साक्ष्य नहीं है और अ॰ सा॰ 6 तथा डॉक्टर के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। इस प्रकार, अ॰ सा॰ 6 का साक्ष्य संपोषित नहीं किया जा सकता है। अभियोजन द्वारा उपहति रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गयी है। सूचक ने घटना नहीं देखा है क्योंकि वह भयभीत होकर गाँव की ओर भाग गयी थी, अत: उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

12. इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को मान्य ठहराना मुश्किल है क्योंकि संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि अभियोजन को समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने वाला कभी नहीं कहा जा सकता है। किंतु, विचारण न्यायालय ने मामले के इन समस्त पहलूओं को सही परिप्रेक्ष्य में ध्यान में नहीं लिया था और तद्द्वारा इसने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

14. इस दशा में, वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है और एस॰ टी॰ सं॰ 62 वर्ष 2003 में प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 24.1.2007 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 27.1.2007 का दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जो कारा में है को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

जोगिन्द्र स्वांसी उर्फ उदु स्वांसी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 961 of 2012. Decided on 1st March, 2016.

जी॰ आर॰ सं॰ 885/2000 के तत्सम कामदारा पी॰ एस॰ केस सं॰ 37/2000 के संबंध में सत्र विचारण सं॰ 172 वर्ष 2002/08 वर्ष 2003 में सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 2.3.2012 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149, 307 एवं 148—हत्या एवं हत्या का प्रयास–विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य–दोषसिद्धि–अपीलार्थीगण अभिकथित रूप से बाजार में आए थे जहाँ 400 से अधिक लोग मौजूद थे किंतु किसी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है–किसी उपहति रिपोर्ट को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया है–अभियोजन अभिलेख पर यह लाने में विफल रहा है कि किसने मृतक की हत्या की–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 4 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Jitendra S. Singh, For the Appellant; Mr. Krishna Shankar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–पक्षकार सुने गए।

2. यह दांडिक अपील जी॰ आर॰ सं॰ 885/2000 के तत्सम कामदारा पी॰ एस॰ केस सं॰ 37/2000 से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 172 वर्ष 2002/08 वर्ष 2003 में सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 2.3.2012 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 148 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और धारा 302/149 के अधीन प्रत्येक को 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने एवं आजीवन कठोर कारावास भुगतने; भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन कठोर आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 1000/- रुपया प्रत्येक का जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। जुर्माना राशि के गैर भुगतान की स्थिति में अपीलार्थियों को छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

3. कामदारा अस्पताल में दिनांक 19.12.2000 को प्रातः 7 बजे दर्ज विशंभर लोहरा के फर्दबयान से प्रकट तथ्य ये हैं कि दिनांक 18.12.2000 को अपराह्न लगभग 4.30 बजे सूचक अपने छोटे भाई जयदेव उर्फ रंथू लोहरा के साथ गाँव के बाजार में हर्बल दवा बेचने के लिए दुकान जमाने गया था। इस बीच पिस्तौल से लैस 6-7 दुष्ट घटनास्थल पर आए। उनमें से, उडू स्वांसी (अपीलार्थी सं॰ 1), पुना साहू, तेजुआ मुंडा और रोशन टोपनो उर्फ बॉबी मुंडा (अपीलार्थी सं॰ 2) को पहचाना गया था। सूचक खतरा भाँप कर घटनास्थल से भाग गया किंतु दुष्टों द्वारा उसकी पीछा किया गया था।

पुना साहू ने सूचक को उसकी बायीं जांघ पर उपहति कारित करते हुए गोली चलायी जबकि उडू स्वांसी द्वारा दागे गए गोली ने सूचक के कनपट्टी पर उपहति कारित किया। साथी अभियुक्त ने भी गोली चलाई किंतु सूचक किसी प्रकार बच निकला और स्वयं को जंगल में छुपा लिया। तत्पश्चात् वह अपने गाँव पहुँचा और रामधनी सिंह (अ॰ सा॰ 6) के घर में शरण लिया। यह प्रकट किया गया है कि सूचक के छोटे भाई जयदेव उर्फ रंथू लोहरा की हत्या दुष्टों द्वारा दिनांक 19.12.2000 को की गयी थी। सूचक

को उसके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था।

विशंभर लोहरा के फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 302, 307/34 के अधीन दिनांक 19.12.2000 का कामदारा (गुमला) पी॰ एस॰ केस सं॰ 37/2000 दर्ज किया गया था।

अन्वेषण के क्रम में, जयदेव उर्फ रंथू लोहरा का मृत शरीर उत्तर से 400 गज दूर स्थान से बरामद किया गया था जहाँ दुष्टों जो एम॰ सी॰ सी॰ अतिवादी संगठन के सदस्य थे द्वारा लिखा गया पर्चा मृत शरीर के निकट पाया गया था। परचा पर नारा था–एम॰ सी॰ सी॰ जिंदाबाद, पुलिस दलाल मुर्दाबाद''

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी, अपराध में फँसाने वाली वस्तुएँ जब्त की गयी थीं, गवाहों का परीक्षण किया गया था और अन्वेषण समाप्त करने के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था। अपीलार्थियों अर्थात् जोगिन्दर स्वांसी उर्फ उडू स्वांसी एवं रोशन टोपनो उर्फ बॉबी मुंडा का विचारण किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307, 147, 148 एवं 149 और आयुध अधिनियम की धारा 27 तथा सी॰ एल॰ ए॰ अधिनियम की धारा 17 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति अपीलार्थियों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 13 गवाहों का परीक्षण किया और दस्तावेज सिद्ध किया जबकि अपीलार्थियों द्वारा अपने बचाव में किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है।

विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला ने विचारण के समापन पर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थियों को दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश अधिरोपित किया। एक सह-अभियुक्त मुकुट मुंडा को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया गया था।

4. अपीलार्थियों ने आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का विरोध मुख्यत: इस आधार पर किया है कि अभियोजन उनके विरुद्ध विरचित आरोपों को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा। कोई गवाह यह कहने आगे नहीं आया है कि उसने अपीलार्थियों को जयदेव उर्फ रंथू लोहरा की हत्या करते देखा था। भोला लोहरा (अ॰ सा॰ 8) सूचक का संबंधी है और उसने अभियोजन मामले का इस सीमा तक समर्थन किया है कि दुष्टों ने विशंभर लोहरा को उपहति कारित करते हुए गोली चलायी और विशंभर लोहरा उपहति पाने के बाद गिर गया। पैरा 5 में वह कहता है कि जयदेव उर्फ रंथू लोहरा की हत्या दुष्टों द्वारा स्वयं बाजार में की गयी थी और उसके बाद बाजार में शोर-गुल मचा था। उसने अपीलार्थियों जो विचारण का सामना कर रहे थे सहित किसी भी अभियुक्त को पहचानने का दावा नहीं किया था। अ॰ सा॰ 8 का साक्ष्य उपयोगहीन है क्योंकि वह दुष्टों को पहचानने में विफल रहा।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि सूचक विशंभर लोहरा का परीक्षण अ॰ सा॰ 4 के रूप में किया गया है किंतु वह विश्वसनीय गवाह नहीं है। उसने कथन किया है कि दिनांक 18.12.2000 को अपराह्न लगभग 4.30 बजे वह अपने भाई जयदेव उर्फ रंथू लोहरा के साथ जड़ी-बूटी औषधि बेचने के लिए बाजार में खोमचा लगाने गया था। इस बीच, अपीलार्थीगण अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर आए और वे पिस्तौल से लैस थे। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। खतरा भाँप कर वह वहाँ से भाग गया किंतु दुष्टों द्वारा उसका पीछा किया गया था। पूना साहू ने गोली चलायी जिसने उसकी बायीं जांघ पर उपहति कारित किया जबकि जोगिन्दर स्वांसी उर्फ उडू स्वांसी द्वारा चलायी गयी गोली उसके बाएँ कनपट्टी क्षेत्र पर लगी। किसी प्रकार वह घटनास्थल से भागने में और स्वयं को अपने गाँव मुरुम

केला में छुपाने में सफल रहा। उसने रामधनी सिंह के घर में शरण लिया जिसके बाद रामधनी सिंह पुलिस एवं उसके माता-पिता को सूचित करने गया। अगली सुबह लगभग 8 बजे पुलिस वहाँ आयी और उसे कामदारा अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसका बयान दर्ज किया गया था।

स्वीकृत रूप से, सूचक की उपस्थिति में रंथू लोहरा की हत्या नहीं की गयी थी। फर्दबयान के अनुसार, उसका बयान दिनांक 19.12.2000 को प्रात: 7.30 बजे दर्ज किया गया था, सूचक के अभिसाक्ष्य पैरा 48 के मुताबिक, उसका बयान पुलिस द्वारा प्रात: 10.30-11:00 बजे दर्ज किया गया था। अत:, यह स्पष्ट नहीं है कि सूचक का फर्दबयान कब दर्ज किया गया था। उसने कहा है कि उसने घटना के बाद रामधनी सिंह के घर में शरण लिया था और रामधनी सिंह सूचना देने पुलिस थाना गया था। यदि सूचक का यह विवरण सही है, तब रामधनी सिंह द्वारा दर्ज सूचना का अभियोजन द्वारा दमन किया गया है। इसके अतिरिक्त, रामधनी सिंह (अ॰ सा॰ 6) पक्षद्रोही हो गया और किसी तरीके से सूचक के विवरण का समर्थन नहीं किया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 149, 148 एवं 307 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया है। जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 149 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि का संबंध है, कोई गवाह अभियोजन मामले का समर्थन करने आगे नहीं आया है कि इन अपीलार्थियों ने रंथू लोहरा की हत्या की है। अभियोजन मामले के अनुसार, अपीलार्थीगण एवं उनके सहयोगी पिस्तौल से लैस होकर बाजार में उपस्थित हुए किंतु किसी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विचारण के समापन पर किसी भी अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया था बल्कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 एवं 148 के अधीन दंडनीय अपराध के दोषी हैं। यदि यह निष्कर्ष है, विचारण न्यायाधीश ने दंडादेश पारित करने के समय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता लेकर घोर गलती किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित दोषसिद्ध पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन दंडादेश अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डॉक्टर द्वारा उपहति रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गयी है जिन्होंने सूचक का परीक्षण किया था। अ॰ सा॰ 13 अधिवक्ता लिपिक है और उसने उपहति रजिस्टर का पृष्ठ 173 सिद्ध किया है जिस पर अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता था।

उक्त तथ्यों एवं निष्कर्षों को इंगित करते हुए यह निवेदन किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अपास्त किए जाने का दायी है और यदि अभियोजन मामला उक्त बिंदु पर विफल होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 148 चित्र में नहीं आएगी। अपीलार्थियों को गलत रूप से लगभग 13 वर्षों की अवधि के लिए कारा में निरुद्ध किया गया है। दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने का दायी है और अपीलार्थीगण समस्त आरोपों से दोषमुक्त होने के हकदार है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध एवं निवेदन किया है कि परीक्षण किए गए तात्विक गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। महंगू लोहरा (अ॰ सा॰ 1) सूचक का पिता है। उसने इस तथ्य को संपुष्ट किया है कि रामधनी सिंह ने सूचित किया कि विशंभर लोहरा (सूचक) घायल दशा में उसके घर आया है और उसने बंदूक की गोली से उपहति पाया है। ऐसी सूचना पाकर वह कामदारा पुलिस

थाना गया और घटना सूचित किया और कहा कि उसका छोटा पुत्र भी गायब है। फर्दबयान के समय पर, वह अस्पताल में भी उपस्थित था। जमुना देवी (अ॰ सा॰ 2) एवं मालती देवी (अ॰ सा॰ 3) क्रमशः सूचक की माता एवं पत्नी है। उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया जिसे वे सूचक से जान सकी थीं। डॉ॰ अनिल कुमार अग्रवाल ने जयदेव उर्फ रंथू लोहरा के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था। अ॰ सा॰ 7 एवं 9 अन्वेषण अधिकारी हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 10 एवं 11 मृत्यु समीक्षा के गवाह हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने जयदेव उर्फ रंथू लोहरा का मृत शरीर देखा था और उनकी उपस्थिति में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी। अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध किया है। अपील गुणागुण रहित है और यह खारिज किए जाने की दायी है।

6. हमने सावधानीपूर्वक मामला अभिलेख का परीक्षण किया है, साक्ष्य एवं दस्तावेजों तथा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का परिशीलन किया है। अभियोजन मामला मुख्यतः सूचक (अ॰ सा॰ 4) के बयान पर टिका है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने फर्दबयान में अपीलार्थियों सहित चार अभियुक्तों को पहचाना एवं नामित किया था। उसने अपीलार्थियों के शेष सहयोगियों को नहीं पहचाना था। खतरा भाँपकर वह घटनास्थल से भाग गया किंतु अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा उसका पीछा किया गया था, पूना साहू एवं उडू स्वांसी द्वारा चलायी गयी गोली ने उसको उपहति कारित किया किसी वह किसी प्रकार बच निकलने में सफल रहा था। अगली सुबह वह जान सका था कि उसके भाई जयदेव उर्फ रंथू लोहरा की हत्या की गयी थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सूचक ने नहीं देखा था कि किस प्रकार और किसके द्वारा उसके भाई जयदेव उर्फ रंथू लोहरा की हत्या की गयी थी। सूचक के सिवाए, भोला लोहरा (अ॰ सा॰ 8) जो सूचक का संबंधी है ने सूचक को कारित उपहतियों के बिंदु पर अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसने आगे कहा है कि दुष्टों द्वारा जयदेव उर्फ रंथू लोहरा को पकड़ लिया गया था और बाजार में उसकी हत्या की गयी थी। उसने किसी भी अभियुक्त को नामित नहीं किया था अथवा उनमें से किसी को पहचान नहीं सका था।

अमर नाथ सुरीन (अ॰ सा॰ 9) पुलिस अधिकारी है और उसने सूचक का फर्दबयान दर्ज किया है और अन्वेषण किया है। पैरा 9 में इस गवाह द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, प्रथम घटनास्थल जहाँ सूचक ने उपहति पाया था, रेडवा बाजार रोड है जबकि द्वितीय घटनास्थल रेडवा बाजार टांड़ से 400 गज उत्तर डेलो टोली है जहाँ रंथू लोहरा की हत्या की गयी थी। अतः, अ॰ सा॰ 8 का बयान अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 9) के बयान से समर्थन नहीं पाता है। यह प्रतीत होता है कि सूचक भी विश्वसनीय गवाह नहीं है क्योंकि फर्दबयान पर किए गए पृष्ठांकन के मुताबिक इसे दिनांक 19.12.2000 को प्रातः 7.30 बजे दर्ज किया गया था किंतु सूचक स्वयं कहता है कि उसका बयान पूर्वाहन 10.30-11:00 बजे दर्ज किया गया था। उसने कथन किया है कि खतरा भाँप कर वह घटनास्थल से भागने लगा किंतु उसका पीछा किया गया था और दो दुष्टों ने आग्नेयास्त्र का उपयोग करके उसको उपहति कारित किया। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 26 में वह कहता है कि–

> *"10 dne tc Hkkxk rc duiVh ij xkyh lkeu l yxhA vkèkk fd0 eh0 ij tc Fkk rc nljh xkyh gedk lkeu l 10 dne dh njh l yxhA***

यदि अपीलार्थियों द्वारा सूचक का पीछा किया गया था, सामने से गोली नहीं मारी जा सकती थी। अतः, सूचक ने स्वयं घटना के तरीका का विरोध किया।

अभियोजन की ओर से की गयी ढिलाई अभित्यक्त नहीं की जा सकती थी। यह दर्शाने के लिए कि उसके द्वारा सूचक का परीक्षण किया गया था और उसने गोली से उपहति पाया था, दर्शाने के लिए कोई उपहति रिपोर्ट सिद्ध करने के लिए किसी डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया है। उपहति रजिस्टर औपचारिक रूप से अधिवक्ता लिपिक द्वारा सिद्ध की गयी है, अतः इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

7. इन परिस्थितियों में, अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि सूचक ने अपने शरीर पर गोली से उपहति पाया था और, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि गलत रूप से विचारण न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गयी है। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307 एवं 148 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया गया है। जयदेव उर्फ रंथू लोहरा की हत्या के अपराध के लिए उनको दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद नहीं ली गयी थी। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि अभियोजन अभिलेख पर यह लाने में विफल रहा है कि किसने जयदेव उर्फ रंथू लोहरा की हत्या की थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दंडादेश अधिनिर्णीत करने के समय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का मदद लिया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडादेश दिया है और तद्द्वारा विचारण न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद से दंडादेश अधिनिर्णीत करने में गलती किया है। यह पहले ही संप्रेक्षित किया गया है कि अभियोजन अभिलेख पर यह लाने में विफल रहा है कि किसने जयदेव उर्फ रंथू लोहरा की हत्या की थी और, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश तथ्यों पर भी संपोषित नहीं किया जा सकता था। विचारण न्यायाधीश का निष्कर्ष घातक हथियारों के साथ दंगा करने के बिंदु पर भी मौन है। आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी आरोप सिद्ध नहीं किया गया है। आग्नेयास्त्र द्वारा सूचक को कारित उपहति भी सिद्ध नहीं की गयी है। अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश भी पोषणीय नहीं है।

8. मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए, हम इस अपील को अनुज्ञात करने के इच्छुक हैं और तद्नुसार, सत्र विचारण सं॰ 172 वर्ष 2002/08 वर्ष 2003 में सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 2.3.2012 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। उक्त नामित अपीलार्थियों जो अभिरक्षा में हैं को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय/उत्तरवर्ती न्यायालय निर्देश जारी करेगा यदि आवश्यक हो।

परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

जय प्रकाश ठाकुर

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 2356 of 2014. Decided on 14th June, 2016.

बिहार व्यापारिक वस्तुएँ (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984—खंड 11—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955—धारा 7—पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति का रद्दकरण–अनियमितता, कालाबाजारी एवं एकीकरण आदेश के प्रावधान के उल्लंघन का अभिकथन–एक ही सामग्री प्राथमिकी के संस्थापन एवं अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का आक्षेपित आदेश पारित करने का आधार निर्मित करती है–याची को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था–इस दशा में, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और नए निर्णय के लिए मामला उपायुक्त के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s Kailash Prasad Deo, Aashish Kumar, For the Petitioner; Mr. Prem Pujari Roy, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. पंचायत पिंदराहाट, प्रखंड पोरयाहाट, जिला गोड्डा के लिए सं॰ 01/1986 वाला याची की पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति प्रत्यर्थी सं॰ 4 सब-डिविजनल अधिकारी, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 23 अगस्त, 2008 द्वारा रद्द की गयी थी और विविध अपील सं॰ 26 वर्ष 2008-09 में उपायुक्त, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 21 जनवरी, 2013 के आदेश (क्रमशः परिशिष्ट 1 एवं 2) (इसमें आक्षेपित) द्वारा अभिपुष्ट की गयी थी।

3. पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का आदेश याची के पी॰ डी॰ एस॰ दुकान के कार्डधारक बताए गए अनेक व्यक्तियों के परिवाद पर प्रभारी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, पोरयाहाट द्वारा संचालित जाँच और दिनांक 27.7.2008 को याची की पी॰ डी॰ एस॰ दुकान के निरीक्षण पर आधारित था। याची को कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था और उसके उत्तर पर विचार करने के बाद सब-डिविजनल अधिकारी, गोड्डा द्वारा आदेश पारित किया गया था जिन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन पोरयाहाट पी॰ एस॰ केस सं॰ 160 वर्ष 2008 की प्राथमिकी संस्थित करने का निर्देश भी दिया।

4. अपीलीय प्राधिकारी ने 'अंत्योदय योजना' के अधीन कार्ड धारक लाभार्थियों को खाद्य वस्तुओं की अनियमित आपूर्ति तथा विहित किरासन तेल से कम तेल की आपूर्ति से संबंधित अभिकथनों के आधार पर आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट-2 द्वारा रद्दकरण आदेश भी अभिपुष्ट किया। उन्होंने प्रभारी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी की जाँच रिपोर्ट पर और दिनांक 27 जुलाई, 2008 को प्रातः 10.35 बजे याची की पी॰ डी॰ एस॰ दुकान, जब इसे बंद पाया गया था, के निरीक्षण के बाद तैयार की गयी निरीक्षण रिपोर्ट पर भी विश्वास किया। अपीलीय प्राधिकारी ने इस तथ्य को भी ध्यान में लिया कि याची के विरुद्ध जाँच के दौरान पाए गए तात्विक साक्ष्य के आधार पर प्राथमिकी संस्थित की गयी है। उन्होंने यह भी संप्रेक्षित किया कि जमानत पर याची की निर्मुक्ति उसके विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों से विमुक्ति के तुल्य नहीं होगी। अनियमितता, कालाबाजारी एवं बिहार व्यापारिक वस्तुएँ (अनुज्ञप्ति) एकीकरण आदेश, 1984 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप पर याची के पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति का रद्दकरण मान्य ठहराया गया था।

5. गाँववालों के परिवादों पर संचालित जाँच के आधार पर प्रभारी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी, पोरयाहाट की लिखित रिपोर्ट पर याची के विरुद्ध संस्थित प्राथमिकी अंततः टी॰ आर॰ सं॰ 26 वर्ष 2014/ जी॰ आर॰ सं॰ 1016 वर्ष 2008 में विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, गोड्डा के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30 मई, 2014 के निर्णय (पूरक शपथ पत्र का परिशिष्ट-3) द्वारा विचारण के बाद याची की दोषमुक्ति की ओर ले गयी है। यह विवादित नहीं है कि याची के पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति का रद्दकरण और प्राथमिकी का संस्थापन का आधार एक ही था। वही आधारभूत तथ्य जो प्रभारी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी की जाँच से और याची के परिसर के निरीक्षण के बाद तैयार की गयी जाँच रिपोर्ट के आधार पर सामने आए, ने याची की पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति का रद्दकरण और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसका अभियोजन का आधार निर्मित किया। अतः, याची अब दांडिक मामले में उसकी दोषमुक्ति के पश्चातवर्ती विकास की दृष्टि में मामले पर पुनर्विचार इप्सित करता है।

6. प्रत्यर्थियों ने अपने प्रतिशपथ पत्र में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी की जाँच रिपोर्ट एवं निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के आदेश का बचाव किया है। वे यह निवेदन भी करते हैं कि आक्षेपित आदेश कारण बताओ नोटिस के बाद और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन

में पारित किया गया है। प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 10 पर दिया गया बयान भी दर्शाता है कि पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का आदेश पारित करते हुए याची के विरुद्ध ई॰ सी॰ अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्राथमिकी के दर्जकरण के लिए निर्देश भी जारी किया गया था। प्रत्यर्थियों ने प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 11 में यह कथन भी किया है कि प्राथमिकी के निपटान तक याची को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

7. अभिलेख पर मौजूद पूर्वोक्त प्रासंगिक तथ्यों और पक्षों के निवेदनों की दृष्टि में यह प्रकट है कि प्राथमिकी के संस्थापन के लिए और याची के पी॰ डी॰ एस॰ अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए एक ही सामग्री आधार निर्मित करती है। विद्वान विचारण न्यायालय ने चार अभियोजन गवाहों एवं प्रासंगिक रिपोर्टों सहित संपूर्ण तात्विक साक्ष्य पर विचार करने पर इस निष्कर्ष पर आया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे ई॰ सी॰ अधिनियम की धारा 7 के अधीन याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। अत:, उसे आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

8. तद्नुसार, विविध अपील सं॰ 26 वर्ष 2008-09 में उपायुक्त, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 21 जनवरी 2013 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। दांडिक मामले में याची की दोषमुक्ति को ध्यान में लेते हुए विधि के अनुरुप युक्तियुक्त समय के भीतर, प्राथमिकत: इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर नए निर्णय के लिए मामला उपायुक्त, गोड्डा के पास वापस भेजा जाता है।

9. पूर्वोक्त तरीके से रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

राजीव रंजन प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के माध्यम से

Criminal Appeal (S.J.) No. 324 of 2016. Decided on 25th April, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 389—जमानत–भ्रष्टाचार एवं षड्यंत्र–आरोप जवाहर रोजगार योजना से संबंधित–जब योजना के रद्दकरण के बाद राशि लौटायी गयी थी, दो माह के लिए राशि रखना मात्र निधि के दुर्विनियोग अथवा गबन के तुल्य नहीं होगा–अपीलार्थी दिनांक 16.3.2016 से अभिरक्षा में है–समस्त दोषसिद्ध सरकारी सेवक हैं और उनमें से अधिकांश सेवा निवृत्त हो चुके हैं–जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar Sinha, Kumar Harsh, For the Appellant; Mr. K.P. Deo, For the C.B.I.

आदेश

ग्रहण किया गया।

2. यह प्रतीत होता है कि दांडिक अपील (एज॰ जे॰) सं॰ 289 वर्ष 2016 में अवर न्यायालय अभिलेख पहले ही प्राप्त किया गया है।

3. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता और सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता जमानत के मामले पर सुने गए।

4. जमानत प्रदान की प्रार्थना पर विचार करने के पहले, अभियोजन मामले के संक्षिप्त तथ्यों को देना आवश्यक है: विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर आर॰ सी॰ केस सं॰ 24(A)/ 1995 (PAT) सी॰ बी॰ आई॰ की प्रेरणा पर इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि अभियुक्तों में से एक राम अयोध्या साह ने कार्यपालक अभियन्ता, वर्क्स डिविजन I, आर॰ ई॰ ओ॰, राँची के रूप में कार्यरत रहते हुए इस अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों अर्थात् सुरेन्द्र प्रसाद एवं देवेन्द्र प्रसाद सिंह-दो एस॰ डी॰ ओ॰-सह-सहायक अभियन्ता, विवेकानंद चौधरी उर्फ विवेका नंद चौधरी, अशोक कुमार, कुमार विजय शंकर, बिनोद कुमार मंडल, अभय कुमार सिन्हा, बिनोद प्रसाद एवं अरविन्द प्रसाद-समस्त वर्ष 1994 के दौरान विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित कनीय अभियन्ता के साथ दांडिक षडयंत्र किया और विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की ओर भारत सरकार द्वारा 80% एवं बिहार राज्य द्वारा 20% के अनुपात में 17 पुरानी और 51 नयी योजनाओं के निष्पादन के लिए जिला राँची के लिए आवंटित राशि 100.70 लाख रुपयों का छल भारत सरकार एवं बिहार राज्य के साथ किया। अवधि मई-जून 1994 के दौरान 100.70 लाख रुपयों की उक्त राशि डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ राँची द्वारा आर॰ ई॰ ओ॰ वर्क्स-डिविजन, राँची को निर्मुक्त/आवंटित की गयी थी किंतु उक्त राम अयोध्या साह ने उक्त राशि कार्यपालक अभियन्ता एवं डिविजनल लेखा अधिकारी के पदनाम के संयुक्त नाम में खोले गए नए खाता में रखा और बाद में चेकों के माध्यम से राशि वापस निकाल लिया और नियमों एवं विहित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए नगद के रूप में कनीय अभियन्ताओं को वितरित किया। विकास उपायुक्त ने योजनाओं का प्रगति रिपोर्ट मांगा, तब उक्त कार्यपालक अभियन्ता राम अयोध्या साह ने सहायक अभियन्ताओं के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन केवल 45 योजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया और विंग वाल, गार्ड वाल के निर्माण को पूरा करने तथा गड्ढ़ों को मरम्मती के अतिरिक्त और बिटुमन की खरीद पर भी तथा ग्रेड I एवं मोरम काम के लिए अग्रिम देकर विशाल राशि खर्च की गयी दर्शायी गयी थी किंतु अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट झूठा पाया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 28.8.1994 के आदेश द्वारा तीन योजना के सिवाए समस्त योजनाएँ रद्द की गयी थी और आर॰ ई॰ ओ॰ राँची को रद्द की गयी योजनाओं के विरुद्ध उनको दिया गया अग्रिम धन लौटाने का निर्देश दिया गया था किंतु डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ को नौ किस्तों में केवल 55.75 लाख रुपया लौटाया गया था।

5. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने निवेदन किया कि यद्यपि अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 सहपठित धारा 120B के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है किंतु अवर न्यायालय द्वारा विरचित आरोप योजना के रद्दकरण के बाद भी न्यस्त/आवंटित धन अपने पास रख लेने से संबंधित थे और निधि के गबन अथवा दुर्विनियोग के लिए आरोप विरचित नहीं किया गया था। कुछ दिनों के लिए अथवा यथा अभिकथित लगभग दो माह के लिए राशि अपने पास रखना मात्र गबन अथवा दुर्विनियोग के तुल्य नहीं होगा जैसा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के अधीन परिभाषित किया गया है अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। इस दशा में, धन का भाग अपने पास रखने के लिए दोषसिद्धि और दोष का निष्कर्ष विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि उक्त अभिकथित दुर्विनियोगित राशि प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने के बाद तुरन्त लौटा दी गयी थी। यह निवेदन भी किया गया था कि वित्तीय सन्नियमों अथवा नियमों के उल्लंघन के संबंध में अवर न्यायालय का निष्कर्ष

भ्रामक है और ऐसे नियमों का उल्लंघन मात्र अधिकाधिक गलत अथवा अनियमितता मात्र हो सकता है किंतु दांडिक अपराध नहीं हो सकता है। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **सी॰ चेंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996)10 SCC 193,** में निर्णय पर विश्वास किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही अभियुक्त ने वित्तीय संहिता अथवा सरकारी परिपत्र/अनुदेश के उल्लंघन में कृत्य किया है किंतु बेईमान आशय अनुपस्थित है, अभियुक्त पर दांडिक दायित्व नहीं डाला जा सकता है और वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा विश्वास की गयी परिस्थितियों अथवा दस्तावेजों में से कोई भी किसी निश्चयात्मक प्रकृति की नहीं हैं और परिस्थितियों को साथ रखने पर भी वे अपीलार्थी के दोष के अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाते हैं। यह निवेदन भी किया गया था कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि अनुमानों एवं अटकलों पर एवं संदेह पर भी आधारित है और किसी निर्णायक परिस्थिति अथवा निश्चयात्मक साक्ष्य सरकारी धन अथवा निधि के दुर्विनियोग अथवा गबन में अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता दर्शाने के लिए अभिलेख पर नहीं लाया गया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय ने निधि का गबन दर्शाने के लिए प्रदर्श 17, 17/1 एवं 17/2 पर गलत रूप से विश्वास किया है और अपीलार्थी के विरुद्ध एकमात्र अभिकथन कि उसने लगभग दो माह के लिए 20.90 लाख रुपया अपने पास रखा, विफल होने का दायी है क्योंकि तिथि एवं समय जिसके पहले अपीलार्थी को धन लौटा दिया जाना चाहिए था के प्रति अभियोजन द्वारा दावा स्थापित नहीं किया गया था। यह प्रतिवाद किया गया था कि अपीलार्थी की ओर से वित्तीय लाभ का मामला नहीं बनता है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (d) आकृष्ट कर सके और स्वीकृत रूप से अपीलार्थी को आवंटित 32 लाख रुपयों में से 20.90 लाख रुपयों की शेष राशि काम पूरा करने के बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश पर तुरन्त वापस कर दी गयी थी, अत: दुर्विनियोग का प्रश्न आधारहीन है और किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अ॰ सा॰ 6 ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्टत: परिसाक्ष्य दिया कि निरीक्षण के दौरान उसने पाया कि काम में प्रगति नहीं हुई थी अथवा प्रगति धीमी थी। यह निवेदन भी किया गया था कि मई-जून में काम आवंटित किया गया था, और तत्पश्चात् राशियाँ दी गयी थी और तुरन्त तत्पश्चात डी॰ डी॰ सी॰ की दिनांक 16.8.1994 की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए दिनांक 28.8.1994 के आदेश के तहत कार्य आदेश रद्द किया गया था, अत: अपीलार्थी एवं अन्य सह दोष सिद्धों को काम पूरा करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया था और जल्दबाजी में योजनाएँ रद्द की गयी थी। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि अवर न्यायालय का निष्कर्ष जैसा आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 36 एवं 37 पर दर्ज किया गया है, दिनांक 30.3.1982 के पत्र सं॰ 429 एवं दिनांक 31.12.1983 के पत्र सं॰ 2347 और एम॰ बी॰ बुक अभिलेख पर कभी नहीं लाया गया था और निष्कर्ष कि मिट्टी का काम सरकार के निर्देश के अनुरुप नहीं था, प्राक्कलित निष्कर्ष है और किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार से, मामले का आधार ही अर्थात् दिनांक 28.8.1994 का डी॰ डी॰ सी॰ का रद्दकरण पत्र भी अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए नहीं लाया गया है कि योजनाएँ रद्द की गयी थी किंतु रद्दकरण पत्र पर विश्वास करते हुए, जो अभिलेख पर नहीं है, अवर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि योजनाओं के रद्दकरण के बाद भी इस अपीलार्थी एवं अन्य सहदोष सिद्धों को न्यस्त/आवंटित धन उनके द्वारा अपने पास रख लिया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे **सी॰ के॰ जाफर शरीफ बनाम राज्य (सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से), (2013)1 SCC 205,** मामले पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

^^;fn bl ifØ;k e ç;kT; fu;ek vFkok lfUu;ek dk mYy?ku fd;k x;k Fkk vFkok fy;k x;k fu.k; vuko';drk dk vkMcji.k çn'ku n'kkrk g] vihykFkh dk vkpj.k ,o dkjokb foHkkxh; lfUu;ek d foijhr vFkok vufpr gk ldrh FkhA fdr ;g dguk fd bl vufpr ykHk yu d fy, cbeku vk'k; d lkFk fd;k x;k

*Fkk] lgh ugh gkxkA fd cbeku vk'k; èkkjk 13 (1) (d) d vèkhu vijkèk dk lkj g] ç;Dr 'kCnk vFkkr Hk"V vFkok voèk lkèku vkj ykd lod d :i e in dk n#i;kx e vrfufgr gA***

विद्वान वरीय अधिवक्ता ने 2016 (1) JLJR **(भारत संघ बनाम वी॰ श्री हरन उर्फ मुरुगन एवं अन्य)** में प्रकाशित संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय पर आगे विश्वास करते हुए निवेदन किया कि वर्तमान मामले में सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार की सहमति के बिना स्व-प्रेरणा पर अन्वेषण किया गया था जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अथिनियम, 1946 की धारा 6 के अधीन आज्ञापक था और इसलिए अन्वेषण तथा बाद में ऐसे अन्वेषण पर आधारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश प्राधिकारहीन है। अंत में, यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी विचारण के दौरान पूरे समय जमानत पर था किंतु वह दिनांक 16.3.2016 से अभिरक्षा में है और अपीलार्थी ने लगभग 21 वर्षों तक विचारण की कठोरता का सामना किया है। अत:, अपीलार्थी जमानत पर निर्मुक्त किए जाने योग्य है।

6. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देव ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रतिवाद किया कि आरोप विरचित करने में त्रुटि नहीं है और अवर न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अधिमूल्यन करने के बाद सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है और स्वीकृत रूप से, अपीलार्थी ने योजनाओं के रद्दकरण के बाद भी धन अपने पास रखा जो निधि के गबन एवं दुर्विनियोग के तुल्य है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रदर्श 17, 17/1 एवं 17/2 पर आगे विश्वास करते हुए निवेदन किया कि कोई काम नहीं किया गया था जैसा डी॰ डी॰ सी॰ ने रिपोर्ट किया था, किंतु अपीलार्थी ने योजना के अधीन सड़क का निर्माण करके अथवा सड़क पर मोरम रखकर लौटायी गयी राशि से भिन्न शेष धन को खर्च करने का दावा किया। श्री देव ने आगे अ॰ सा॰ 2 के अभिसाक्ष्य के विभिन्न पैराग्राफों पर विश्वास करके निवेदन किया कि अभियोजन ने प्रत्येक दस्तावेज अभिलेख पर लाया है, जिस पर अवर न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया। विद्वान अधिवक्ता ने **महाराष्ट्र राज्य, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के माध्यम से बनाम महेश जी॰ जैन, (2013)8 SCC 119,** मामले के पैराग्राफ 20 पर विश्वास करते हुए आगे निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामलों को गंभीरतापूर्वक ध्यान में लिया है और अभिनिर्धारित किया है कि लघु अनियमितताओं अथवा तकनीकी पेचिदगियों को हिमालय पर्वत का दर्जा नहीं दिया जाना है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार स्वस्थ शासन के लिए अशांत करने वाला रोग है। अंत में, यह निवेदन किया गया था कि वित्तीय नियमों अथवा सन्नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलार्थी तथा अन्य सह दोषसिद्धों द्वारा सरकारी निधि का गबन अथवा दुर्विनियोग दर्शाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है और राज्य सरकार की अधिसूचना के आलोक में मामले का अन्वेषण किया गया था। अत:, दोषसिद्धि या अन्वेषण विधि में दोषपूर्ण नहीं है।

7. अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के पहले अवर न्यायालय द्वारा विरचित आरोपों का प्रासंगिक भाग बेहतर अधिमूल्यन के लिए यहाँ नीचे दिया जाता है:-

*"(i) .....ckn e] rhu ;ktukvk d flok, vkj0 b0 vk0] jkph dh leLr ;ktuk, rRdkyhu MhO MhO lh0 Jh ,e0 ,l0 HkkfV;k }kjk jí dj nh x;h FkhA rRdkyhu MhO MhO lh0] vkj0 b0 vk0 }kjk yxkrkj ekx tku ij 55.75 yk[k #i;k dh jkf'k MhO vkj0 MhO ,0] jkph dk ykVk;h x;h FkhA bl rF; d ckotn fd fdlh dke d fy, bldh vko';drk ugh Fkh] nk ekg l vfèkd dh vofèk d fy, ,l voèk rjhd l vfèkdk'k fufèk j[k yh x;h Fkh] vr%] vki lcku HkkO n0 l0 dh èkkjk 120B lgifBr èkkjk 409 vkj ih0 lh0 vfèkfu;e] 1988 dh èkkjk 13 (2) lgifBr èkkjk 13 (1) (d) d vèkhu vijkèk fd;k tk ej lKku d vrxr gA***

*(ii) fd vki lck dk ykd lod dh vkidh gfl;r e o"k 1994 d nkjku lMdk d fuek.k@ejEer d fy, tokgj jktxkj ;ktuk d vèkhu 17 ijkuh vkj 51 u;h ;ktukvk d fu"iknu d fy, 100.70 yk[k #i;k dh jkf'k U;Lr dh x;h Fkh fdr 55.75 yk[k #i;k dh jkf'k nk ekg l vfèkd dh vofèk d fy, ,l voèk rjhd l bl rF; d ckotn fd fdlh dke d fy, bldh vko';drk ugh Fkh] vki lck vFkkr vkj0 b0 vk0 d leLr t0 b0 (i) ch0 d0 eMy&4 yk[k #i;k] (ii) d0 oh0 'kdj 14 yk[k #i;k] (iii) v'kkd dekj 10 yk[k #i;k] (iv) oh0 ,u0 pkèkjh 2.85 yk[k #i;k] (v) vjfoUn çlkn 4 yk[k #i;k] (vi) d0 d0 çlkn 6.90 yk[k #i;k] (vii) ,0 d0 flUgk 7 yk[k #i;k (viii) fcukn ilkn 7.00 yk[k #i;k (dy 55.75 yk[k #0) j[k yh x;h Fkh vkj vki lck u bl çdkj U;Lr lifÙk d lcèk e U;kl dk nkfMd Hkx fd;k vkj rn}kjk HkkO nO lO dh èkkjk 409 d vèkhu vijkèk fd;k tk ej lKku d vrxr gA**

8. प्रकटत: अपीलार्थी एवं अन्य सह दोषसिद्धों के विरुद्ध विरचित दो आरोपों से यह प्रतीत होगा कि अपीलार्थी एवं अन्य के विरुद्ध एकमात्र अभिकथन इस तथ्य के बावजूद कि योजनाओं के रद्दकरण के बाद किसी काम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, दो माह के लिए राशि अपने पास रखने का है और इसके अतिरिक्त यह प्रतीत होता है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के निबंधनानुसार और पी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 13 (1) (d) के अधीन गबन अथवा दुर्विनियोग के लिए आरोप विरचित नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन में बल प्रतीत होता है कि जब योजना के रद्दकरण के बाद राशि लौटा दी गयी थी, लगभग दो माह की अवधि के लिए भी राशि रखना मात्र, यद्यपि अधिकांश मामलों में राशि 21 दिनों के भीतर लौटायी गयी है, निधि के गबन अथवा दुर्विनियोग के तुल्य नहीं होगा। अ॰ सा॰ 6 जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था के परिसाक्ष्य से भी यह प्रतीत होता है कि निरीक्षण के दौरान उसने पाया कि काम में प्रगति नहीं हुई थी अथवा प्रगति धीमी थी। अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य में यह भी आया है कि आवंटित राशि विभिन्न तिथियों जैसे 14.6.1994, 15.6.1994 एवं 17.6.1994 को सहायक अभियन्ता को दी गयी थी और सहायक अभियन्ताओं ने आगे कनीय अभियन्ताओं को नगद राशि दिया और योजना के रद्दकरण के बाद इस अपीलार्थी ने कार्यपालक अभियन्ता को 20.90 लाख रुपया लौटा दिया। इसी प्रकार से, अन्य सह दोषसिद्धों ने भी कार्यपालक अभियन्ता को राशि लौटा दिया था। अत: अत्यन्त संक्षिप्त काल के भीतर सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियन्ताओं ने मोरम एवं अन्य सामग्री रखकर काम शुरु किया था। साक्ष्य में यह भी आया है कि योजनाओं के अधीन कुछ काम किए गए थे और इसके रद्दकरण के तुरन्त बाद शेष राशि जो खर्च नहीं की गयी थी लौटा दी गयी थी। आक्षेपित निर्णय से, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को 16.3.2016 को अभिरक्षा में लिया गया था और तब से वह अभिरक्षा में है।

9. अधिवक्ताओं के निवेदनों, अभिकथनों, अवर न्यायालय द्वारा विरचित आरोपों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, यह तथ्य कि अवर न्यायालय के निष्कर्ष दस्तावेजों पर आधारित हैं जिन्हें अभिलेख पर नहीं लाया गया है अथवा प्रदर्श के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, अभिरक्षा की अवधि और यह तथ्य कि अपीलार्थी विचारण के दौरान पूरे समय जमानत पर था और यह तथ्य भी कि समस्त दोषसिद्ध सरकारी सेवक हैं और उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पर विचार करते हुए मैं अपीलार्थी को इस अपील के लंबित रहने के दौरान आर॰ सी॰ केस सं॰ 24A/1995 (Pat) में विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰ (ए॰ एच॰ डी॰ मामलों से भिन्न) की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- रुपये का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, अवर न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि के भुगतान के अध्यधीन जमानत पर निर्मुक्त करने का इच्छुक हूँ।

10. मामले की प्रकृति और इस तथ्य कि अधिकांश दोषसिद्ध पहले ही अपनी सेवा से अधिवर्षित हो गए है, पर विचार करते हुए इस मामले को जुलाई, 2016 के दूसरे सप्ताह में 'सुनवाई के लिए' शीर्षक के अधीन सूचीबद्ध करने का निर्देश कार्यालय को देना वांछनीय है।

11. तद्नुसार जमानत प्रदान करने के लिए अपीलार्थी की प्रेरणा पर दाखिल आई॰ ए॰ सं॰ 2007 वर्ष 2016 निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ç'kkr dekj] U;k;efr

बिंध्याचल चौरसिया उर्फ बिंधाचल चौरसिया

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 640 of 2015. Decided on 8th March, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—भरण-पोषण—मात्रा—विपक्षी पक्षकार याची की पत्नी है और अलग रह रही है—वह भरण-पोषण की हकदार है—विपक्षी पक्षकार ने स्पष्ट कथन किया है कि उसके पति द्वारा उसे यातना दी जाती थी—यदि पति अवैध मांग के लिए पत्नी को यातना देता था अथवा परेशान करता था, तब पत्नी के पास पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण है—वर्तमान मामले में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 (4) की रिष्टि की प्रयोज्यता नहीं है—मुआवजा की राशि 7000/- रुपया प्रतिमाह तक उपांतरित। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.—2006 (4) JCR 669 (Jhr.)—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Ashutosh Anand, For the Petitioner; Mr. Ravi Prakash, For the State; Mr. Afaque Ahmad, For the O.P. No. 2.

आदेश

यह पुनरीक्षण आवेदन विविध केस सं॰ 5 वर्ष 2013 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला खरसावाँ द्वारा पारित दिनांक 27.2.2015 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा उन्होंने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया और आदेश की तिथि से भरण-पोषण के रूप में 10,000/- रुपया प्रतिमाह की राशि का भुगतान करने का निर्देश याची को दिया।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष आनन्द निवेदन करते हैं कि वस्तुत: याची पर नोटिस तामील नहीं किया गया और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने उसकी ओर से अवर न्यायालय में वकालतनामा दाखिल किया था। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश संपोषित नहीं किया जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि भरण-पोषण याचिका में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने 7000/- रुपया प्रतिमाह के लिए प्रार्थना किया था, किंतु अवर न्यायालय ने 10,000/- रुपयों का भरण-पोषण अधिनिर्णीत किया जो विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा की गयी प्रार्थना के परे है। तद्नुसार, वह निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश अपास्त किया जा सकता है और मामला नया आदेश पारित करने के लिए अवर न्यायालय वापस भेजा जाए। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अवर न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर आने का कारण नहीं दिया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2,10,000/- रुपयों की हकदार है, इस प्रकार उस आधार पर भी आक्षेपित आदेश संपोषित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि याची अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार है, अत: दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है।

3. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशफाक अहमद ने निवेदन किया है कि याची ने आक्षेपित आदेश पारित करने के बाद भी अवर न्यायालय में कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है कि अधिवक्ता द्वारा उसकी ओर से दाखिल वकालतनामा कूटरचित वकालतनामा है। पुनरीक्षण आवेदन में भी याची ने कहीं नहीं कथन किया कि उक्त वकालतनामा पर उसका हस्ताक्षर कूटरचित है। तद्नुसार, श्री अशफाक अहमद निवेदन करते हैं कि याची अब यह नहीं कह सकता है कि पूर्वोक्त वकालतनामा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा एकपक्षीय आदेश प्राप्त करने की दृष्टि से अवर न्यायालय में दाखिल किया गया है। तब यह निवेदन किया गया है कि भरण पोषण आदेश पारित करते हुए विद्वान अवर न्यायालय ने विचार किया कि याची भारतीय सेना में कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत है और 30,000/- रुपया प्रतिमाह वेतन पा रहा है। यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने भी अभिसाक्ष्य दिया था और अपने साक्ष्य में कथन किया था कि याची सेना में कार्यरत है उसका मासिक वेतन 35000/- रुपया है। श्री अशफाक अहमद निवेदन करते हैं कि इस न्यायालय में याची ने प्रत्युत्तर में अपना वेतन पर्ची संलग्न किया है जो भी दर्शाता है कि सांविधिक कटौती के बाद 25,030/- रुपया उसके खाता में डाला गया है। पूर्वोक्त वेतन पर्ची दर्शाता है कि कटौती के बिना उसका वेतन 33,074/- रुपया है जो अ॰ सा॰ 1 एवं 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुरुप है। श्री अहमद द्वारा निवेदन किया गया है कि स्वीकृत रूप से विरोधी पक्षकार सं॰ 2 याची की पत्नी है। उक्त परिस्थितियों के अधीन, वह भरण–पोषण की हकदार है। वह तब निवेदन करती है कि यह स्वीकृत अवस्था है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन परिवाद और घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन भी मामला दाखिल किया था, क्योंकि याची उसको परेशान करता था और यातना देता था। यह निवेदन किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा अपने साक्ष्य में इस तथ्य का कथन किया गया है। तद्नुसार, श्री अहमद निवेदन करते हैं कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के पास याची के साथ नहीं रहने का पर्याप्त कारण था। विद्वान अवर न्यायालय ने मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार किया और तब निष्कर्ष पर आया कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 भरण–पोषण की हकदार है।

4. निवेदनों को सुनने पर, मैंने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है। अवर न्यायालय अभिलेख के ऑर्डरशीट के परिशीलन से, मैं पाता हूँ कि दो अवसरों पर याची के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया था, किंतु इसे वापस लौटा दिया गया था। दिनांक 21.6.2014 के आदेश के परिशीलन से, मैं पाता हूँ कि उस दिन पर याची की ओर से वकालतनामा दाखिल करके अधिवक्ता उपस्थित हुआ था। तत्पश्चात, याची को अपना कारण बताने की दाखिली के लिए अनेक अवसर दिए गए थे, किंतु उसके द्वारा कारण बताओ उत्तर दाखिल नहीं किया गया था। इससे मजबूर होकर, विद्वान अवर न्यायालय एकपक्षीय रूप से याची के विरुद्ध अग्रसर हुआ। याची का अभिकथन कि उसका वकालतनामा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल किया गया था, से विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा इनकार किया गया है। अवर न्यायालय अभिलेख के परिशीलन से, मैं पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश के बारे में जानने के बाद भी याची ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विरुद्ध उसकी ओर से कूट रचित वकालतनामा दाखिल करने के लिए कोई कार्रवाई किए जाने के लिए अवर न्यायालय में कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। पुनरीक्षण आवेदन में भी याची ने कथन नहीं किया है दिनांक 21.6.2014 को दाखिल पूर्वोक्त वकालतनामा पर हस्ताक्षर उसका नहीं है। तर्क के क्रम में, याची के विद्वान अधिवक्ता स्वीकार करते हैं कि उक्त हस्ताक्षर याची का है। पूर्वोक्त परिस्थिति के अधीन, केवल याची के कोरे कथन पूर्वोक्त वकालतनामा याची सं॰ 2 द्वारा दाखिल किया गया है, के आधार पर आक्षेपित आदेश अस्त–व्यस्त नहीं किया जा सकता है। वस्तुत: याची यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है कि उक्त वकालतनामा उसकी ओर से विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल किया गया था। इस प्रकार, श्री आशुतोष आनन्द का पूर्वोक्त प्रतिवाद एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

5. अब अगले प्रतिवाद पर आते हुए, मैं पाता हूँ कि विद्वान अवर न्यायालय ने गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा किया था और कथन किया था कि याची सेना में कार्यरत है। निर्णय के पैराग्राफ सं॰ 2 में, विद्वान अवर न्यायालय ने उल्लेख किया कि याची का मासिक वेतन 30,000/- रुपया है और वह कृषि से डेढ़ लाख रुपया प्रतिवर्ष अर्जित करता है। पैराग्राफ 6 में अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य पर चर्चा करते हुए विद्वान अवर न्यायालय ने आगे विचार किया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का पति सेना में सेवारत है। पुन: निर्णय के पैराग्राफ 7 में विद्वान अवर न्यायालय ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करने के बाद निष्कर्षित किया था कि याची का वेतन 35-40 हजार रुपया प्रतिमाह है। इस प्रकार, अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 भरण–पोषण के रूप में 10,000/- रुपया प्रतिमाह की हकदार है। अवर न्यायालय का पूर्वोक्त निष्कर्ष विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दिए गए गवाहों के साक्ष्य के अनुरुप प्रतीत होता है क्योंकि अ॰ सा॰ 1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 5 में कथन किया है कि उसका दामाद 35,000/- रुपया मासिक पा रहा है, जबकि अ॰ सा॰ 2 ने पैराग्राफ 10 पर कथन किया है कि याची का वेतन लगभग 35-40 हजार रुपया है। अ॰ सा॰ 3 (विरोधी पक्षकार सं॰ 2) द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ सं॰ 10 में भी इस तथ्य का कथन किया गया है। यह स्वीकृत अवस्था है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 याची की पत्नी है। उक्त परिस्थिति के अधीन, मेरे दृष्टिकोण में, वह भरण–पोषण की हकदार है। पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन **2006 (4) JCR 669 (Jhr.)** में प्रकाशित इस न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में वर्तमान मामला वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुनरीक्षण न्यायालय के पास अवर न्यायालय का निष्कर्ष इसके आदेश को पोषित करते हुए परिवर्तित करने की शक्ति है। चूँकि, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करने के बाद मेरा दृष्टिकोण है कि याची विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को भरण–पोषण का भुगतान करने का दायी है, अत: इसी प्रयोजन के लिए मामला वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

6. अब याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तीसरे प्रतिवाद पर आते हुए कि याची विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को अपनी पत्नी के रूप में रखने के लिए तैयार है, अत: दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 (4) के मुताबिक वह भरण–पोषण की हकदार नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अ॰ सा॰ 3 (विरोधी पक्षकार सं॰ 2) ने अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 8 में स्पष्टत: कथन किया है कि रानीखेत में उसके पति द्वारा उसको यातना दी जाती थी जब वह अपने पति के साथ रहा करती थी। यह सुनिश्चित है कि यदि पति अवैध मांग के लिए पत्नी को यातना देता है/परेशान करता है, तब पत्नी के पास अपने पति से दूर रहने का पर्याप्त कारण है। पूर्वोक्त परिस्थिति के अधीन, मेरे दृष्टिकोण में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 (4) की रिष्टि की वर्तमान मामले तथ्यों के प्रति प्रयोज्यता नहीं है।

7. अब याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष आनन्द के अंतिम प्रतिवाद पर आते हुए कि अवर न्यायालय ने भरण–पोषण के रूप में 10,000/- रुपया प्रतिमाह अधिनिर्णीत किया था, जो याची द्वारा की गयी प्रार्थना के परे है, सही प्रतीत होता है। चूँकि भरण–पोषण याचिका में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने 7000/- रुपया प्रतिमाह भरण–पोषण के लिए प्रार्थना किया है। यह दर्शाने के लिए एल॰ सी॰ अभिलेख में कुछ नहीं है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा प्रार्थना अंश संशोधित किया गया है। उक्त परिस्थिति के अधीन, केवल अवर न्यायालय में मौखिक निवेदन करके कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 भरण–पोषण के रूप में 17000/- रुपया प्रतिमाह की हकदार है, इसे अधिनिर्णीत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि विद्वान अवर न्यायालय ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का पूर्वोक्त निवेदन स्वीकार करने में गलती किया था। मामले के उस दृष्टिकोण में, भरण–पोषण के रूप में 10,000/- रुपयों का अधिनिर्णय संपोषित नहीं

किया जा सकता है। तद्नुसार, मैं अवर न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश को उपांतरित करता हूँ और निर्देश देता हूँ कि याची विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को भरण-पोषण के रूप में 7000/- रुपयों की राशि का भुगतान प्रतिमाह अवर न्यायालय के आदेश की तिथि से करेगा।

8. भरण-पोषण राशि में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ मैं इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करता हूँ।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स गोल्डन सेरामिक वर्क्स प्रा॰ लि॰

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3999 of 2014. Decided on 14th June, 2016.

बिहार सार्वजनिक भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 1956—धारा 3—अधिक्रमण हटाया जाना—याची सिविल न्यायालय डिक्री द्वारा कुछ भूखंडों के उपर अभिधान का दावा कर रहा है—याची भूमि के किसी टुकड़े पर किसी कब्जा का दावा नहीं कर रहा है और न ही इसके उपर अपना अभिधान सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज है—समाहर्त्ता के समक्ष अपील लंबित रहने की दृष्टि में इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.—M/s Amit Kr. Das, Chandrajit Mukherjee, For the Petitioner; J.C. to Mr. Vikash Kishore Prasad, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. ग्राम लैकडीह, थाना सं॰ 254 के अधीन 6.79 एकड़ क्षेत्रवाले सं॰ 319, 230, 303, 97, 113, 130, 140, 164, 178, 195, 238, 732, 739, 738, 730, 660, 661, 639, 642, 641, 734, 632, 635, 638, 735, 736, 737, 620 संख्या वाले अनेक भूखंडों के संबंध में अंचलाधिकारी-सह-समाहर्ता, भूमि अधिक्रमण, धनबाद द्वारा जारी दिनांक 10.3.2012 के परिशिष्ट 1 पर नोटिस के अनुसरण में याची के विरुद्ध आरंभ की गयी बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ कार्यवाही याची के विरुद्ध निष्कर्षित की गयी थी जिसने समाहर्ता, धनबाद के समक्ष बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अपील सं॰ 4 वर्ष 2013 में इसका विरोध किया। दिनांक 18.7.2013 को परिशिष्ट-3 के तहत अपीलीय प्राधिकारी ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:—

^^çFke n"V;k ;g çrhr gkrk g fd dN Hk[kMk dk chO ihO ,y0 b0 ukfVl e lfEefyr fd;k x;k g ftud mij ;kph flfoy U;k;ky; fMØh }kjk vfHkèkku j[ku dk nkok djrk gA oèk nLrkot k d ekè;e l nkok n'kku d fy, dN Hk[kM gA

vr% doy vehu }kjk ekih }kjk Hkkfrd :i l Hk[kM dk lR;kiu dju d ckn dkb cn[kyh dk; djuk gkxk vkj cn[kyh doy mu Hk[kMk ij l dh tkuh pkfg, ftud fy, vihykFkh u dkb oèk vfHkèkku nLrkot ugh n'kk;k gA

vfHkèkku vihy l0 33/95 e mfYyf[kr Hk[kMk ftud mij vihykFkh dk vfHkèkku ?kkf"kr fd;k x;k g dh cn[kyh vxy vkn'k rd LFkfxr dh tkrh gA

*fnukd 30.7.13 dk luokb d fy, j[kk tk,A lh0 vk0 fujlk dk vun'k tkjh fd;k tk,A***

3. इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 4355 वर्ष 2013 में बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ कार्यवाही को चुनौती ग्रहण करने से इनकार कर दिया क्योंकि याची समानांतर उपचार का भी अनुसरण कर रहा था और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था। दिनांक 30.7.2013 के आदेश (परिशिष्ट–4) के तहत रिट याचिका खारिज की गयी थी। अंचलाधिकारी, निरसा ने दिनांक 24.7.2014 के पत्र सं॰ 696 (परिशिष्ट–5) के माध्यम से अधिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाया है और तद्नुसार सब डिविजनल अधिकारी, धनबाद से बल की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया है जिससे व्यथित होकर याची पुनः इस न्यायालय के पास आया है।

4. प्रत्यर्थियों ने अपने प्रतिशपथपत्र में अभिवचन किया है कि अंचलाधिकारी द्वारा आरंभ किया गया कार्य भौतिक रूप से भूखंडों के सत्यापन के लिए था जिसे स्थानीय लोगों एवं अन्य की उपस्थिति में विभिन्न खाता एवं भूखंडों के मौजा सं॰ 254 के संबंध में किया जा रहा था। दिनांक 24.7.2014 के पत्र सं॰ 696 में अंतर्विष्ट अधिक्रमण हटाने के लिए अनुरोध प्राधिकारियों द्वारा अभी भी प्रभावकारी बनाया जाना है क्योंकि अंचल अमीन एवं अन्य द्वारा दिनांक 27.2.2015 को भूमि की मापी भौतिक रूप से संचालित की जानी थी। अन्यथा प्रत्यर्थीगण याची के मामले का प्रतिवाद करते हैं और अभिकथित करते हैं कि याची ने सरकारी भूमि का अधिक्रमण किया है और इसके विरुद्ध बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ कार्यवाही सही रूप से संस्थित की गयी है।

5. अपील समाहर्त्ता, धनबाद के समक्ष लंबित बतायी जाती है। अतः याची के पास अंचलाधिकारी, निरसा द्वारा जारी दिनांक 24.7.2014 के पत्र सं॰ 696 से संबंधित पूर्वोक्त तथ्य को अपीलीय प्राधिकारी के ध्यान में लाने का पर्याप्त अवसर था। प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का पालन करने की बाध्यता के अधीन भी हैं। भूखंडों जिनके उपर याची कोई वैध अभिधान एवं दस्तावेज दर्शाने में सक्षम नहीं हुआ है के संबंध में बेदखली का ऐसा कार्य बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अपील सं॰ 4 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 18.7.2013 के अंतरिम आदेश के निबंधनानुसार अमीन द्वारा मापी के माध्यम से भौतिक रूप से भूखंडों के सत्यापन के बाद किया जाना था। आगे उससे यह प्रतीत होता है कि अभिधान अपील सं॰ 33/95 में उल्लिखित भूखंडों जिनके उपर (अपीलार्थी का अभिधान घोषित किया गया है से बेदखली अगले आदेश तक स्थगित की गयी है। अतः याची को भी मापी में सहयोग करने की आवश्यकता थी और प्रत्यर्थियों को अपीलीय प्राधिकारी सहित बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के निबंधनानुसार बेदखली के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि क्रमशः .25 एवं .10 एकड़ क्षेत्र वाले खेसरा सं॰ 660 एवं 661 वाले भूखंड सं॰ 140 के संबंध में और .72 एकड़ क्षेत्रफल वाले खेसरा सं॰ 620 वाले खाता सं॰ 319 के संबंध में भी, जैसा दिनांक 24.7.2014 के (परिशिष्ट–5) में निर्दिष्ट किया गया है, याची भूमि के उक्त टुकड़े पर दावा नहीं कर रहा है और उसके पास इसके प्रति अपना अभिधान सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है।

7. जैसा पक्षों द्वारा अभिवचन किया गया है, अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने पर इस न्यायालय का मत है कि समाहर्ता, धनबाद के समक्ष लंबित अपील की दृष्टि में मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट किया जाए कि यहाँ उपर किए गए संप्रेक्षण को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के गुणागुण पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा।

8. तद्नुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

धरमू महतो उर्फ धर्मनाथ महतो

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1069 of 2008. Decided on 5th Feburary, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—पत्नी की हत्या–दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील–एकमात्र विश्वसनीय गवाह स्वयं अभियुक्त की अवयस्क पुत्री है और वह अपने पिता के विरुद्ध मामला नहीं बना रही है–स्वयं उस पर भी उसके पिता द्वारा प्रहार किया गया था–अपीलार्थी ने फाँसी से लटककर आत्महत्या सृजित करने का प्रयास किया–दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहराया गया। (पैराएँ 18 से 21)

अधिवक्तागण.–Mr. P.K. Verma, For the Appellant; Mr. M.K. Sinha, For the State.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील काँके, पी॰ एस॰ केस सं॰ 60 वर्ष 2004 से उद्भूत होनेवाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 2695 वर्ष 2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 124 वर्ष 2005 के संबंध में विद्वान XXवें अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 14.7.2008 एवं दिनांक 17.7.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को अपास्त करवाने के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। अत:, यह अपील की गयी है।

2. दिनांक 8.9.2004 को अपराह्न 2 बजे दिए गए पन्ने नाथ महतो के पुत्र जगलाल महतो के फर्दबयान में वर्णित अभियोजन मामला यह है कि लगभग 16 वर्ष पहले उसकी बहन बाजो देवी का विवाह किसी धरमू महतो के साथ हुआ था। उसकी पुत्री की तीन संतानें थीं–12 वर्षीय पुत्री और लगभग क्रमश: 8 वर्षीय एवं 5 वर्षीय दो पुत्र। विवाह के बाद, उसकी बहन का पति उसको नियमित रूप से पीटा करता था। वह अपने साथ अपना विवेक कुमार नामक एक भतीजा रखता था जिसे वह पढ़ाया करता था। दिनांक 8.9.2004 की सुबह में लगभग 6 बजे स्वर्गीय लक्ष्मी नाथ महतो का पुत्र मनोज महतो जो अभियुक्त बहनोई का भतीजा है और कोई स्वर्गीय आलम महतो का पुत्र लच्छू महतो जो भी धरमू महतो का भतीजा है, उसके घर मोटर साइकिल से आए थे। उन्होंने उनका हाल-चाल पूछा जिसका उन्हें उत्तर मिला कि चाची की मृत्यु हो गयी है और उनके साथ अपने भतीजा को लेकर मोटर साइकिल पर लौटा। इसके बाद, वह अपने चाचा पुनी नाथ महतो, बलदेव महतो के पुत्र के साथ मोटर साइकिल पर कदमा गया। कदमा पहुँचने पर, उन्हें जानकारी हुई कि बहन के पति धरमू महतो ने उसकी बहन का गला घोंट दिया और फाँसी पर लटका दिया और उसकी हत्या कर दी थी। उसे पूरा विश्वास है कि धरमू महतो ने उसकी बहन की गला घोंटकर अथवा फाँसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दिया था।

3. फर्दबयान के आधार पर, पुलिस ने राँची सदर, काँके पी॰ एस॰ केस सं॰ 60 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ सं॰ 2695 वर्ष 2004, के तत्सम, दर्ज किया। चूँकि अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसे सत्र विचारण सं॰ 124 वर्ष 2005 के रूप में सुपुर्द किया गया था। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति अभियुक्त ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण का दावा किया।

4. कुल सात गवाहों का परीक्षण किया गया था। अ॰ सा॰ 1 तुनी कुमारी मृतका की पुत्री है; अ॰ सा॰ 2 पुनीनाथ महतो मृतका का पिता है; अ॰ सा॰ 3 मृतका का भाई एवं सूचक जगलाल महतो है; अ॰ सा॰ 4 मनोज महतो है; अ॰ सा॰ 5 हरिलाल महतो है; अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ शंभु शरण है और अ॰ सा॰ 7

मनोज कुमार है। विचारण किया गया था जिसके समापन पर अभियुक्त को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया था। अत:, यह अपील की गयी है।

5. अ॰ सा॰ 1 तुनी कुमारी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 7.9.2004 को अपराह्न 8 बजे हुई थी। वह और उसकी माता बाजो देवी दोनों घर में थी। वह सोयी हुई थी जब उसका पिता घर आया। चूँकि, उसने बाहर लटकते कपड़ों को घर में नहीं लाया था, वह आया और मुझे थप्पड़ मारा। उसको थप्पड़ मारा जाना देखकर उसकी माता उसको बचाने आयी और पूछा कि तुम क्यों उसे मार रहे हो। इस पर उसके पिता ने उसकी माता को गाली देना शुरु किया और उसे पीटने भी लगा। उसने उसको भी गाली दिया और तरकारी बनाने को कहा और उसकी माता को पीटना जारी रखा, वह उसे बाहर ले गया। कुछ देर बाद वह उसके पास आया और कहा'' तुम्हारी माता ने स्वयं को फाँसी पर लटका लिया है।'' तब वह बाहर गयी और अपनी माता को फाँसी पर लटका देखा। रस्सी ढीली थी और पैर जमीन पर थे। उसने कहा कि उसकी माता ने स्वयं को फाँसी पर नहीं लटकाया था बल्कि उसके पिता ने उसे पीटा था और उसकी हत्या की थी। तब उसके पिता ने उसकी माता को रस्सी से निर्मुक्त किया और उसे नीचे रखा। तत्पश्चात, वह मोटरसाइकिल पर उसको डॉ॰ उपेन्द्र के पास ले गया। डॉ॰ उपेन्द्र ने उसको देखा और उसे मृत घोषित किया। तब मनोज महतो और उसका पिता उसको घर वापस लाए। मेरी माता की मृत्यु के पहले भी उसका पिता रोज उसकी पिटाई करता था। जब कभी वह कहीं से लौटता था, उसे पीटा करता था। उसने कथन किया है कि वह उस व्यक्ति को पहचानती है जिसने उसकी माता की हत्या की और वह कटघरे में है। अपने प्रति परीक्षण में उसने आगे कहा है कि वह विगत छह-सात माह से अपने नाना-नानी के साथ रह रही है और कि वह उनका कहा मानती है। उसके दो भाई भी अब नाना-नानी के साथ रह रहे हैं। घटना अपराह्न 7-8 बजे की है और अंधेरा था यद्यपि उनके घर पर बिजली है।

6. अ॰ सा॰ 1 ने आगे कहा कि उसकी माता उसको पिता की पिटाई से बचाने आगे आयी थी और तब उसका पिता उसकी माता से लड़ने लगा था। उसके पिता ने उसे दो-तीन थप्पड़ मारा, किंतु वह जोर से नहीं चिल्लायी थी। तब उसकी माता बैठी हुई थी। उसने उसकी माता को बाल से पकड़ लिया और आक्रामक रूप से हाथ-पैर से उस पर प्रहार करने लगा। उसने उसको गाली दी और तरकारी बनाने को कहा। जब वह किसी प्रकार तरकारी बना रही थी, उसका पिता उसकी माता को बाहर ले गया। कुछ समय बाद वह आया और उसको बताया कि उसकी माता ने स्वयं को फाँसी पर लटका लिया है। तब उसका पिता उसे उस स्थान पर ले गया जहाँ उसकी माता फाँसी पर लटक रही थी।

7. उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने माता-पिता के बीच घर के बाहर हुआ झगड़ा नहीं देखा था, किंतु उसने उसको अपनी माता को पीटते सुना था। उसकी माता रो रही थी और चीख रही थी। पिता भी उसकी माता को गाली दे रहा था। यह एक घंटा तक चलता रहा और तब शांत हो गया। जब उसका पिता आया और उसको बताया कि उसकी माता फाँसी से लटक रही है। वह तरकारी बना रही थी। तब वह अपनी माता के पास गयी और देखा कि उसकी माता फाँसी से लटक रही थी। रस्सी ढीली थी और पैर जमीन को छू रहे थे। माता ऊँचाई से नहीं लटकी थी, क्योंकि स्थान फाँसी लगाने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने कहा कि उसके पिता ने रस्सी खोला और उसकी माता गिर गयी। जब वह नीचे गिरी, उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, अत: उसे चोट महसूस नहीं हुआ। उसका पिता उसकी माता को कमरा में लाया और मनोज महतो को बुलाने गया जो आया और तब उन दोनों ने उसको मोटरसाइकिल पर रखा और उसे डॉ॰ उपेन्द्र के पास ले गए। उस समय तक मनोज महतो की पत्नी भी आयी थी और वह मुझे घर ले गयी।

8. अ॰ सा॰ 2 पुनी नाथ महतो मृतका का पिता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना लगभग सात माह पहले की है। दो व्यक्ति आए थे और सूचित किया कि चाची की मृत्यु हो गयी है। तब, वह जगलाल महतो के साथ कदमा गया। जब वे कदमा पहुँचे उसने देखा कि उसकी पुत्री मृत पड़ी है। तब उसकी नातिन ने उसको सूचित किया कि मामला कपड़ा नहीं उठाने से संबंधित है और उसके पिता ने उसको तरकारी बनाने को कहा था। और वह अंदर गयी थी। कि तुनी का पिता उसकी माता को घर के बाहर ले गया और सारे समय उसको पीट रहा था। तब उसने उसको बताया कि उसकी माता ने स्वयं को फाँसी पर लटका लिया था और उसकी मृत्यु हो गयी है। तब तुनी गयी और देखा कि उसकी माता रस्सी से फाँसी पर लटकी थी। रस्सी ढीली थी और उसके पैर जमीन छू रहे थे। उसने कहा कि उसने अपने दामाद को पहचाना है जिसने उसकी पुत्री की हत्या की और वह न्यायालय में है।

9. अ॰ सा॰ 4 मनोज महतो ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के समय पर वह घर में था। उस रात लगभग 11-12 बजे रात में धर्मनाथ ने उसको घर से बुलाया था। उसने कहा था कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब है। इस पर वह उसके घर गया। उसने उसकी पत्नी को हाँफते देखा। धर्मनाथ ने कहा कि उसको अस्पताल ले जाया जाए। तब वे उसको अपने मोटरसाइकिल पर डॉ॰ उपेन्द्र के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसकी पत्नी की नस टूटी है। उसमें जीवन नहीं है। इसके बाद धर्मनाथ की पत्नी घर लायी गयी थी। अपने प्रति-परीक्षण में उसने कहा है कि अभियुक्तों का घर उसके घर से 100 फीट की दूरी पर है और हम नियमित रूप से एक-दूसरे से मिलते थे। उसने धर्मनाथ को अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते कभी नहीं देखा है। डॉक्टर के स्थान से लौटने के बाद धर्मनाथ की पत्नी की मृत्यु के संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी गयी थी। उसकी पत्नी के लोगों को सूचना दी गयी थी। उसने यह भी कहा कि वह नहीं जानता है कि किस प्रकार धरम की पत्नी की मृत्यु हुई अथवा किसने उस पर प्रहार किया।

10. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ शंभु शरण हैं और उन्होंने धरम महतो की पत्नी बाजो देवी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है। उन्होंने दाएँ अंगूठे से छोटी उंगली तक और दाएँ कंधे के उपर खरोंच ध्यान में लिया है। आंतरिक रूप से ब्रेन के कंट्यूजन के साथ ऑक्सीपीटल खोपड़ी का डिफ्यूज्ड कंट्यूजन है और ब्रेन के दोनों हिस्सों पर सब ड्यूरल रक्त एवं रक्त का थक्का मौजूद है। उसने यह मत भी दिया है कि उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी है और मृत्यु मस्तक उपहति के कारण हुई है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि किसी प्रकार उसकी पत्नी घायल हो गयी थी, और भले ही बाद में उस पर प्रहार किया गया था, अभियुक्त ने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसको बचाने का प्रयास किया। कोई हेतु नहीं था और अधिकाधिक वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अधीन अपराध का दोषी है।

12. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने बचाव अधिवक्ता के तर्क का विरोध किया है कि यह केवल उपेक्षा का मामला है और प्राख्यान किया है कि संपूर्ण घटना का क्रम एवं साक्ष्य किसी उपेक्षा को नकारता है। उन्होंने निवेदन किया है कि उसने भी दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपने बयान में कहानी गढ़ा है कि चूँकि डूबने से उनकी भैंस मर गयी थी, वह व्यथित थी जिसका परिणाम उसकी मृत्यु में हुआ। विवाद का परिणाम शायद ही मृत्यु में होता है और उसके शरीर पर उपहतियाँ ऐसा उपदर्शित नहीं करती है।

13. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने यह भी कहा है कि अभियुक्त ने यह चित्रण करके मृतका बाजो देवी यद्यपि घायल थी किंतु जीवित थी जब अ॰ सा॰ 4 ने उसे देखा था और वे उसे तुरन्त डॉक्टर के पास ले गए, अ॰ सा॰ 4 अथवा मनोज महतो की सहायता से सच्चे तथ्यों के बारे में न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया कि अ॰ सा॰ 4 अभियुक्त का मित्र है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

14. अभिलेखों एवं साक्ष्यों का परिशीलन करने पर और दोनों विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुनने पर मामला बिल्कुल सरल एवं सीधा है और मुख्यत: एकल गवाह के साक्ष्य पर आधारित है जिसने कम से कम अभियुक्त द्वारा मृतक पर आरंभ में किए गए प्रहार को देखा था जो प्रकटत: जारी रहा था। तब, डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया, का रिपोर्ट है और उनका रिपोर्ट स्पष्टत: प्रहार के कारण मृत्यु का तथ्य इंगित करता है।

15. जगलाल महतो अ॰ सा॰ 3 जो मृतका का भाई भी है द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके अभियुक्त के विरुद्ध मामला आरंभ किया गया था जिसने अभियुक्त एवं मृतका की पुत्री तुनी कुमारी से प्राप्त सूचना के आधार पर इसे दर्ज किया था जिसने उसको सूचित किया कि उसका पिता उसकी माता की मृत्यु हो जाने तक उस पर प्रहार करता रहा। तुनी कुमारी अथवा अ॰ सा॰ 1 से सूचना पाने पर, जगलाल महतो ने प्राथमिकी दर्ज किया। तुनी कुमारी अथवा अ॰ सा॰ 1 लगभग बारह वर्ष की है किंतु, वह अत्यधिक विश्वसनीय है। न्यायालय ने भी प्रमाण पत्रित किया है कि यद्यपि वह अवयस्क पुत्री है किंतु वह प्रश्न समझती है और अपने से पूछे गए प्रश्नों का समुचित रूप से उत्तर दे सकती थी। उसका विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षण किया गया था और वह समुचित रूप से समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम रही थी और अपने बयानों में संगत थी, अत: पूर्णत: विश्वसनीय है और यह कहने का कारण नहीं है कि उस पर क्यों नहीं विश्वास किया जा सकता है। अ॰ सा॰ 1 महत्वपूर्ण गवाह भी है क्योंकि वह अभियुक्त और मृतका दोनों की पुत्री है। अपनी माता को खोने पर वह अपने पिता को अभियोजित अथवा आलिप्त करने नहीं जा रही है जब तक वास्तव में उसे आलिप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

16. उसके अभिसाक्ष्य का मुख्य लक्षण यह है कि चूँकि उसने सूखने के लिए घर के बाहर टंगे कपड़ों को घर में नहीं लाया था, उसका पिता उसे पीटने लगा। उसकी माता उसे बचानी आयी और बदले में उसकी माता उसके पिता से पिटने लगी। तब उसके पिता ने उसको तरकारी बनाने को कहा और उसकी माता को बाहर ले गया। कुछ देर बाद वह आया और उसको कहा कि उसकी माता ने फाँसी लगा लिया है। किंतु, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसने शरीर फाँसी पर लटके देखा, उसने देखा कि रस्सी ढीली थी और उसकी माता का पैर जमीन छू रहा था। उसने स्पष्टत: अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी माता ने स्वयं को फाँसी नहीं लगाया था बल्कि उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पिता ने उस पर प्रहार किया और उसकी हत्या की।

17. उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब डॉ॰ उपेन्द्र ने उसको देखा उसने घोषित किया कि उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में, मनोज महतो अ॰ सा॰ 4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि डॉ॰ उपेन्द्र ने कहा था कि उसका नस कटा है और वह जीवनहीन है।

18. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ शंभु शरण वह डॉक्टर है जिन्होंने शव परीक्षण किया है। उन्होंने दाएँ पैर एवं दाएँ कंधा पर खरोंच और ब्रेन के कंट्यूजन के साथ ऑक्सीपीटल खोपड़ी का डिफ्युज्ड कंट्यूजन और ब्रेन के दोनों हिस्सों पर सब ड्यूरल रक्त एवं रक्त के थक्कों की मौजूदगी पर गौर किया है। उन्होंने मत दिया है कि उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ से कारित की गयी थी और मृत्यु मस्तक पर उपहति के कारण हुई थी। अवसाद से मृत्यु होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि तब उपहति नहीं होती। उपहतियों को देखते ही भैंस की मृत्यु के चलते अवसाद से मृत्यु का विवरण स्वयं स्पष्ट रूप से मनगढ़ंत कहानी इंगित करता है।

19. इस प्रकार, अभिलेख पर साक्ष्य को देखते हुए अर्थात् कि एकमात्र विश्वसनीय गवाह स्वयं अभियुक्त की अवयस्क पुत्री है और यह निश्चित है कि वह अपने पिता के विरुद्ध मामला नहीं बना रही

है। उसपर स्वयं अपने पिता द्वारा प्रहार किया गया था जब उसकी माता उसको बचाने आयी थी और तब उसकी माता ही प्रहार का शिकार बन गयी जिसे बालिका ने देखा। तुरन्त बाद, उसका पिता सूचित करता है कि उसकी माता ने फाँसी लगा लिया है, जिसे अ॰ सा॰ 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करके खंडित करती है कि रस्सी ढीली थी और उसकी माता का पैर जमीन छू रहा था। अत:, यह स्पष्ट है कि पिता ने प्रहार करके उसकी हत्या की और तब फाँसी लगाकर आत्महत्या सृजित करने का प्रयास किया जिस पर पुत्री ने स्वाभाविकत: अविश्वास किया। वह बाद में भैंस की मृत्यु से अवसाद के कारण अपनी पत्नी की मृत्यु होने की कहानी गढ़ता है। मृत्यु के दूसरे अनाधारित विवरण का सृजन केवल इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की।

20. द्वितीयत: अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ शंभु शरण ने अपने अभिसाक्ष्य में अ॰ सा॰ 1 के विवरण का समर्थन किया है कि उसकी माता पर उसके पिता द्वारा प्रहार किया गया था जो मृतका बाजो देवी की मृत्यु की ओर ले गया।

21. अत:, तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य की संपूर्णता को देखते हुए यह निष्कर्षित किया जाता है कि अभियुक्त धरमू नाथ महतो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी है और उसकी दोषसिद्धि मान्य ठहरायी जाती है। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंड भी मान्य ठहराया जाता है।

22. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

अरुण प्रसाद एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 660 of 2014. Decided on 20th May, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 107—शांति भंग होने की आशंका–शांति बंध पत्र निष्पादित करने का निर्देश–कार्यवाही के जीवन का विस्तारण–इसे आगे बढ़ाने के लिए पक्षों की उपस्थिति में याचिका सुनी गयी थी–ऐसा होने के नाते यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि एस॰ डी॰ एम॰ का कार्यवाही छोड़ने का आशय था–न्यायालय द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया में दोष नहीं निकाला जा सकता है–आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Yogendra Prasad, For the Petitioners; Mr. Hardeo Prasad Singh, For the State; Mr. Sarju Prasad, For O.P. No. 2.

आदेश

इस आवेदन में याचीगण दांडिक अपील सं॰ 113 वर्ष 2012 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश VI, हजारीबाग द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दे रहे हैं जिसके द्वारा उन्होंने विद्वान सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन कार्यवाही में पारित दिनांक 23.7.2012 के आदेश को मान्य ठहराया है।

2. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन कार्यवाही इस आधार पर आरंभ की गयी थी कि उक्त कार्यवाही के पक्षों के बीच शांति भंग होने की आशंका प्रतीत होती है। कार्यवाही दिनांक 14.7.2011 को आरंभ की गयी थी और पक्षगण नोटिस पर दिनांक 15.9.2011 को उपस्थित हुए। चूँकि छह माह की अवधि का अवसान दिनांक 14.3.2012 को हाना था, विस्तारण की अनुमति मांगी गयी थी तथा 10.3.2012 के आदेश के तहत प्रदान किया गया था। विद्वान सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा याचीगण

जो कार्यवाही में विरोधी पक्षकार थे को एक वर्ष की अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए 5000/- रुपयों का बंधपत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश देते हुए दिनांक 23.7.2012 को अंतिम आदेश पारित किया गया था।

3. विविध केस सं॰ 149 वर्ष 2011 में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 23.7.2012 के इस आदेश को याचीगण द्वारा दांडिक अपील सं॰ 113 वर्ष 2012 में चुनौती दी गयी थी। उक्त दांडिक अपील दिनांक 11.6.2014 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था जिसका परिणाम इस आवेदन के दाखिले में हुआ।

4. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कार्यवाही संचालित करते हुए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा गंभीर अवैधता एवं अनियमितता की गयी है और अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के घोर उल्लंघन में पारित किया गया है क्योंकि गवाहों का प्रति परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया था। अवर न्यायालय अभिलेख पर विश्वास करते हुए वह निवेदन करते हैं कि दिनांक 10.3.2012 का आदेश दर्शाता है कि मामला ''आदेशों पर'' नियत किया गया था और इस पुनरीक्षण मेमों में आधारों को निर्दिष्ट करते हुए वह निवेदन करते हैं कि उक्त तिथि पर विद्वान सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने खुले न्यायालय में मौखिक रूप से यह धारणा दिया कि यह कार्यवाही छोड़ी जा रही है, इस दशा में याचीगण आगे कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए थे जिसने उनको गवाहों का प्रति परीक्षण करने से रोक दिया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि दंडाधिकारी को कम से कम न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए याचीगण के विरुद्ध वारंट जारी किए जाने सहित समस्त प्रपीड़क कदम उठाना चाहिए था और ऐसा नहीं करके उन्होंने गंभीर अवैधता किया है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

5. विरोधी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण द्वारा किया गया प्रतिवाद निराधार है। वह आगे निवेदन करते हैं कि कार्यवाही का विस्तारण, यद्यपि यह विरोधी पक्षकार सं॰ 2 (प्रथम पक्ष) की प्रेरणा पर था, फिर भी याची अर्थात् कार्यवाही का विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता को सुनने के बाद आदेश पारित किए गए थे। विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता तर्क करते हैं कि चूँकि कार्यवाही की समय सीमा कार्यवाही के दोनों पक्षों की उपस्थिति में बढ़ाई गयी थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचीगण कार्यवाही लंबित रहने से अवगत नहीं थे। वह आगे निवेदन करते हैं कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि याचीगण ने स्वयं कार्यवाही से परहेज रखना चुना था, और प्रथम पक्ष के गवाहों का प्रति परीक्षण नहीं किया था। अंत में, वह निवेदन करते हैं कि चूँकि पक्षगण न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थित थे, गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अवसर नहीं था।

6. मैंने पक्षों के निवेदनों को सुना है और अवर न्यायालय अभिलेख का परिशीलन किया है। अवर न्यायालय अभिलेख से, मैं पाता हूँ कि कार्यवाही दिनांक 10.3.2012 को विस्तारित की गयी थी। उक्त विस्तारण प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल दिनांक 21.2.2012 की याचिका पर प्रदान किया गया था और आदेश दोनों पक्षों की उपस्थिति में पारित किया गया थ यह स्पष्टत: सुझाता है कि दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया था और वे कार्यवाही का जीवन बढ़ाने के पक्ष में थे। आक्षेपित आदेशों से यह प्रकट है कि याचीगण स्वयं को ज्ञात कारणों से कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए थे। आदेशों से एवं अभिलेख से भी यह स्पष्ट है कि याचीगण का प्रतिनिधित्व सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके अधिवक्ता के माध्यम से किया गया था, चूँकि याचीगण का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से किया जा रहा था, यह नहीं कहा जा सकता है कि दंडाधिकारी कोई वारंट जारी करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे। याचीगण का प्रतिवाद

कि दिनांक 10.3.2012 के आदेश से यह धारणा बनी थी कि कार्यवाही छोड़ दी गयी है, भी निराधार है। यद्यपि दिनांक 10.3.2012 का आदेश ''आदेशों पर'' का उल्लेख करता है किंतु यह कार्यवाही के समय के विस्तारण के लिए आदेश था क्योंकि समय बढ़ाने के लिए याचिका काफी पहले दिनांक 21.2.2012 को दाखिल की गयी थी जिसे दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुना गया था। दिनांक 23.7.2012 का आदेश स्पष्टत: सुझाता है कि दिनांक 21.2.2012 की याचिका समय बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनी गयी थी। ऐसा होने के नाते, यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का कार्यवाही छोड़ने का कोई आशय था। आगे, चूँकि स्वयं याचीगण ने कार्यवाही के दौरान उपस्थित होना और गवाहों का प्रति परीक्षण करना नहीं चुना था, न्यायालय द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया में दोष नहीं निकाला जा सकता है।

7. उपर की गयी चर्चा से मैं पाता हूँ कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अवैधता नहीं की गयी है। अत: यह आवेदन खारिज किया जाता है।

8. अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है। अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त अवर न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

सुफल हेम्ब्रम उर्फ मतल हेम्ब्रम

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 496 of 2014. Decided on 8th March, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 129 वर्ष 2002/140 वर्ष 2002 में श्री रामनाथ प्रसाद, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 11 मार्च, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 12 मार्च, 2003 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—पत्नी की हत्या–दोषसिद्धि–सूचक के सिवाए किसी अन्य गवाह ने प्रहार की घटना नहीं देखा है–किसी गवाह ने अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि मृतक को अपीलार्थी द्वारा आगे प्रहार कारित किया गया था–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि संपरिवर्तित की गयी और अपीलार्थी को सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashish Verma, For the Appellant; Mr. Ravi Prakash, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील लिट्टीपारा पी॰ एस॰ केस सं॰ 28 वर्ष 2002 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 335 वर्ष 2002 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 129 वर्ष 2002/140 वर्ष 2002 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट II, पाकुड़ द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 11 मार्च, 2003 तथा दिनांक 12 मार्च, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. दिनांक 26 जून, 2002 को अपराह्न 2.15 बजे दर्ज करमी मुर्मू के फर्दबयान से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि पिछली रात के दौरान पूर्वाह्न लगभग 2 बजे सूचक मेरंग माई टुडु (मृतक) द्वारा किया

गया हल्ला सुनकर जाग गयी। यह प्रकट किया गया है कि सूचक ने अपीलार्थी सुफल हेमब्रम को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था और अपीलार्थी अपनी पत्नी मेरंग माई टुडू के साथ सूचक के साथ रह रहा था। सूचक ने जागने के बाद अपीलार्थी को अपनी पत्नी मरेंग माई टुडू पर गदा से प्रहार करते देखा। जब सूचक ने मध्यक्षेप करना चाहा, उसे धमकाया गया था। किसी प्रकार सूचक घटनास्थल से भाग गयी और मेरंग माई टुडू का जीवन बचाने के लिए गाँववालों को जमा किया, किंतु तब तक अपीलार्थी ने अंदर से घर बंद कर लिया था। जब गाँववाले जमा हुए और मेरंग माई टुडू की मदद करना चाहा अपीलार्थी खिड़की से कूद कर भाग गया।

करमी मुर्मू के फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दिनांक 26 जून, 2002 का लिट्टीपारा पी॰ एस॰ केस सं॰ 28 वर्ष 2002 अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज किया गया था।

पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया और, तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र विचारण सं॰ 129 वर्ष 2002 के रूप में दर्ज किया गया था।

3. अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए डॉक्टर, अन्वेषण अधिकारी एवं सूचक सहित आठ गवाहों का परीक्षण किया है।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों पर विचार करते हुए अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धरारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया।

4. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि सूचक चश्मदीद गवाह नहीं है और उसने प्रहार की घटना नहीं देखा था। मेरंग माई टुडू को कमरा में मृत पड़ा पाने पर उसने गाँववालों को जमा किया और कहानी गढ़ा कि अपीलार्थी ने गदा से उसको उपहति कारित करके अपनी पत्नी की हत्या की है। अ॰ सा॰ 1 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और शेष गवाह अर्थात् अ॰ सा॰ 3 से 6 अनुश्रुत गवाह हैं। संपूर्ण अभियोजन मामला सूचक के साक्ष्य पर टिका है और वह विश्वसनीय गवाह नहीं है। गवाहों में से एक ने कहा है कि सूचक घर के अंदर थी जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था। यदि ऐसा होता, सूचक के पास घटना देखने के लिए गाँववालों को जमा करने का अवसर नहीं था। अभियोजन मामले के अनुसार, गाँववाले घटनास्थल पर जमा हुए थे जब अपीलार्थी कमरा के अंदर था और उनके अनुसार वह खिड़की से कूद गया और भाग गया, किंतु किसी गवाह ने उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं किया था और यह स्वाभाविक आचरण प्रतीत नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करते हुए गंभीर गलती किया। फर्दबयान में किए गए प्रतिवाद पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्वयं सूचक ने स्वीकार किया है कि वह हिन्दी नहीं जानती है। फर्दबयान दर्ज करने के पहले किसी दुभाषिया को नियुक्त नहीं किया गया था और फर्दबयान का अनुप्रमाणक साक्षी नहीं है। अतः, यह सत्य का विश्वसनीय टुकड़ा नहीं है। हत्या करने के लिए अभिकथित रूप से प्रयुक्त गदा घटनास्थल से बरामद किया गया था, किंतु इसे रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था। और अंत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि शव परीक्षण रिपोर्ट सहित अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य मामला को भा॰ दं॰ सं॰ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाते हैं। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य कहता है कि रात के दौरान पति (अपीलार्थी) एवं पत्नी (मृतका) के बीच झगड़ा

हुआ और उसके क्रम में अपीलार्थी ने गदा से वार किया जिसका परिणाम मृतका की मृत्यु में हुआ। किसी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया गया था। अपीलार्थी के पास मृतक के शरीर पर आगे उपहति कारित करने का समस्त अवसर था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया था। अपीलार्थी पहले से ही 13 वर्षों से अधिक से कारा में बना हुआ है। उसे पर्याप्त रूप से दंडित किया गया है, अत:, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित की जा सकती है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि सूचक चश्मदीद गवाह है और यह कोई अंतर नहीं बनाएगा यदि दुभाषिया का नाम फर्दबयान में नहीं आता है। सूचक ने अपने फर्दबयान में किए गए प्रतिवाद से इनकार नहीं किया था, बल्कि उसने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में पूर्णत: समर्थन किया है। सूचक द्वारा किया गया प्रतिवाद अन्य गवाहों जो गाँववाले और स्वतंत्र गवाह हैं अर्थात् अ॰ सा॰ 4, 5 एवं 6 से समर्थन पाता है। यद्यपि अ॰ सा॰ 3 मृतका का पुत्र है और अनुश्रुत गवाह है, किंतु उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। डॉक्टर ने मृतका के मस्तक पर फ्रैक्चर उपहति पाया था। अन्वेषण अधिकारी ने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण का समर्थन किया है। विचारण न्यायाधीश ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. दोनों पक्षों से किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों को सुनने के बाद, हमने मामले के अभिलेख, साक्ष्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया है। हमने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का भी परिशीलन किया है। अभियोजन का स्वीकृत मामला है कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा रात के दौरान पूर्वाह्न 2 बजे हुआ था और अपीलार्थी जो पति है मृतका की हरकतों के विरुद्ध शिकायत कर रहा था और मृतका द्वारा इस पर आपत्ति की गयी थी। उस क्षण पर, अपीलार्थी ने गदा लिया और मृतका पर उपहति कारित किया, उस समय तक सूचक जाग गयी। जब उसने मध्यक्षेप करना चाहा, उसे धमकाया गया था जिसके बाद वह घर से बाहर भाग गयी और गाँववालों को सूचित किया। गाँववाले वहाँ जमा हुए जिसके बाद अपीलार्थी घर से भाग गया। मामला पुलिस के ध्यान में लाया गया था जिसके बाद वे कमरा में घुसे जहाँ मृतका पड़ी थी और उसके मस्तक पर उपहति थी। आगे अन्वेषण किया गया था। सूचक का परीक्षण अ॰ सा॰ 2 के रूप में किया गया था और उसने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य का समर्थन किया है। सूचक ने कथन नहीं किया था कि अपीलार्थी द्वारा मृतका के शरीर पर बार-बार वार कारित किया गया था। सूचक के सिवाए किसी गवाह ने प्रहार का घटना नहीं देखा था बल्कि वे तब जमा हुए थे जब अपीलार्थी ने घर अंदर से बंद कर लिया था। किसी गवाह ने अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अपीलार्थी द्वारा मृतका पर आगे प्रहार कारित किया गया था।

7. मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II में संपरिवर्तित करने के इच्छुक हैं। तद्नुसार, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन पारित आजीवन कारावास का दंडादेश भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित किया जाता है और अपीलार्थी को सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया जाता है।

8. अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी पहले से ही 13 वर्षों से अधिक समय से कारा में है जो उपदर्शित करता है कि उसने पहले ही दंडादेश भुगत लिया है जैसा इस न्यायालय द्वारा अपील में संपरिवर्तित किया गया है।

9. इन परिस्थितियों में, अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी जो पहले ही सत्र विचारण सं॰ 129 वर्ष 2002/140 वर्ष 2002 के संबंध में दंडादेश भुगत चुका है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और इसके लिए दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय/उत्तरवर्ती न्यायालय समुचित निर्देश जारी करेगा, यदि इसकी आवश्यक हो।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

श्रीनिवास रंजन मिश्रा उर्फ निबाश रंजन मिश्रा एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Rev. No. 893 of 2015. Decided on 6th May, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 500/34—मानहानि–संज्ञान–शब्दों चोरी-छुपे एवं चतुराई का उपयोग–संव्यवहार की प्रकृति तथा किस प्रकार किसी पक्ष द्वारा संव्यवहार किया गया था का उल्लेख करने के वाद पत्र में शब्द का प्रयोग भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 499 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकता है–संज्ञान आदेश विधि में दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने का दायी है क्योंकि परिवाद याचिका से दांडिक अपराध नहीं बनता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया। (पैराएँ 11 एवं 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Tiwari, For the Petitioners; A.P.P., For the State; Mr. Vishwanath Roy, For the O.P. No. 2.

आदेश

इस पुनरीक्षण आवेदन में पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 87 वर्ष 2014 में दिनांक 12.6.2015 का संज्ञान आदेश चुनौती के अधीन है। दिनांक 12.6.2015 के आदेश द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ ने पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 87 वर्ष 2014 में भारतीय दंड संहिता की धारा 500/34 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया और याचीगण के विरुद्ध समन जारी किया।

2. परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया गया था कि वे सम्मानित परिवार से आते हैं। वह आगे कथन करता है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सं॰ 3893 वर्ष 2011 को शून्य एवं अकृत, अवैध, अविधिपूर्ण, अप्रवर्तित एवं वादीगण पर अबाध्यकारी के रूप में घोषित करके संपत्ति के अग्रक्रय और अर्जन के लिए उप–न्यायाधीश, पाकुड़ के समक्ष अभिधान वाद सं॰ 34 वर्ष 2012 दर्ज किया गया था। यह कथन किया गया है कि अभिधान वाद के वाद पत्र में अभियुक्तों ने परिवादी के पिता स्वर्गीय बसन्त कुमार मिश्रा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अनेक अवसरों पर शब्दों ''चोरी–छिपे'' एवं ''चतुराई'' का उपयोग किया है। परिवादी कथन करता है कि ये दो शब्द मानहानिकारक प्रकृति के हैं। वह आगे कथन करते हैं कि वाद पत्र में उक्त शब्दों का उपयोग करके याचीगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध किया है और इस दशा में उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

3. परिवाद दाखिल किए जाने के बाद, जाँच गवाहों का परीक्षण किया गया था और तत्पश्चात न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500/34 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया और अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी किया।

उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, यह पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया।

4. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वादपत्र के परिशीलन से कोई अपराध बिल्कुल नहीं बनता है और इस प्रकार, अवर न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था। याचीगण के अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अभिधान वाद के वाद पत्र में शब्दों ''चोरी छिपे'' एवं ''चतुराई'' का उपयोग मात्र भारतीय दंड संहिता की धारा 499 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकता है। वह आगे निवेदन करते हैं कि दांडिक मामला और कुछ नहीं बल्कि याचीगण पर दबाव डालने के लिए परिवादी द्वारा विकसित युक्ति है क्योंकि याचीगण ने टी॰ एस॰ सं॰ 34 वर्ष 2012 दाखिल किया है जो न्यायनिर्णयण के लिए लंबित है। वह आगे कथन करते हैं कि मामले के तथ्यों में, चूँकि कोई अपराध नहीं बनता है, संज्ञान का आदेश अभिखंडित कर दिये जाने का दायी है।

5. विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वह बसंत कुमार मिश्र का पुत्र होने के नाते व्यथित पक्षकार है तथा परिवाद दाखिल कर सकता है। वह आगे कथन करते हैं कि शब्दों ''चोरी छिपे'' एवं ''चतुराई'' का उपयोग उसके मृत पिता को बदनाम करने के लिए किया गया है और इसने उसके परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाया है और इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है। वह आगे निवेदन करता है कि इस प्रकार उसके पिता को अभियुक्तों द्वारा छली एवं चोर बताया गया है। वह आगे निवेदन करता है कि इस तथ्य पर कि चूँकि लांछन भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में उल्लिखित अपवाद के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 500/34 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया है और यह आवेदन खारिज किए जाने का दायी है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. मैंने संपूर्ण परिवाद का परिशीलन किया है। परिवादी कथन करता है कि वाद पत्र में अनेक अवसरों पर शब्दों ''चोरी छिपे'' एवं ''चतुराई'' का उपयोग किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि ये दोनों शब्द मानहानिकारक प्रवृत्ति के हैं। मैंने वाद में वादपत्र का परिशीलन किया है जिसे याचिका के परिशिष्ट 3 के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त वाद पत्र का विषय वस्तु दोनों पक्षों द्वारा विवादित नहीं किया गया है। वाद पत्र वादी के रूप में विकास रंजन मिश्रा, निवास रंजन मिश्रा, सुभाष रंजन मिश्रा, प्रियरंजन मिश्रा एवं चित्तरंजन मिश्रा द्वारा प्रतिवादीगण के रूप में श्रीमती सुनीता देवी एवं श्रीमती जनक नंदिनी देवी के विरुद्ध निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए दाखिल किया गया है:–

(a) fd ;g ?kkf"kr ,o U;k;fu.khr fd;k tk ldrk g fd oknhx.k dk viu çkFkfedrk@vxØ; vfèkdkj d vèkhu okn Hkfe dk mlh eY; ij [kjhnu dk vfèkdkj g tlk jftLVM foØ; foy[k lO 3893 o"k 2011 }kjk igy cpk x;k Fkk vkj rnulkj] fofèk d çkoèkku d vèkhu ?kk"k.kk dh fMØh ikfjr dh tk, tlk igy gh okn i= e mij dFku fd;k x;k gA

(b) ikdM lc&jftLV'ku dk;ky; d foØ; foy[k lO 3893 o"k 2001 dk 'kU; ,o vÑr] voèk] vfofèki.k] vçofrr ,o voèk ?kkf"kr djr g, ?kk"k.kk dh fMØh ikfjr dh tk,A

(c) fd oknhx.k d i{k e 0;; dh fMØh ikfjr dh tk ldrh gA

(d) dkb vU; vurk"k ft ld oknhx.k gdnkj g] mudk çnku fd;k tk ldrk gA

वादपत्र के पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित उल्लिखित किया गया है:–

^^fd o"k 1972 e] bl clr dekj feJk u pkjh fNi ,o oknhx.k rFkk vU; v'kèkkfj;k dh tkudkjh d fcuk mDr vpy lEifÙk cpk ftl mud lkekU; iot t; çlkn feJk }kjk iokDr lkjnk cok mQ fnx okflu l jftLVM foØ; foy[k d QyLo#i [kjhnk x;k Fkk---------**

इसी प्रकार से, पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित उल्लिखित किया गया है:–

^^fd oknhx.k clUr dekj feJk] fceu fcgkjh feJk ,o ou fcgkjh feJk l xfBr l;Dr ifjokj d lnL; g vkj ç'uxr Hkfe clr dekj feJk }kjk ifjokj d çcèkd ,o drk d :i e viuh iRuh tkudh ufnuh noh tk doy uke nu okyh Fkh] d uke e [kjhnh x;h Fkh-----------*

इसी प्रकार से, पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित उल्लिखित किया गया है:–

^^fd blfy,] foØ; foy[k 'kU;] voèk g vkj oknhx.k d i{k e ?kk"k.kk dh fMØh çnku fd, tku ;kX; gA çfroknh f}rh; i{k u prjkb l pkjh&fNi ,o vk'k;iod oknhx.k l okLrfod rF;k dk nckr g, oknhx.k dk Hkkx Hkh cp fn;k tk Hkkx mudk ç'uxr Hkfe e Fkk vkj ;g çfrQy d fcuk voèk] vufpr g vkj oknhx.k ij vckè;dkjh d :i e ?kkf"kr fd, tku ;kX; gA**

8. संपूर्ण वादपत्र के परिशीलन से मैं पाता हूँ कि वादीगण दावा करते हैं कि वादीगण को अंधेरे में रखकर बसन्त कुमार मिश्रा ने संयुक्त परिवार की संपत्ति बेचा और अपनी पत्नी के नाम में संपत्ति खरीदा। मृतक बसन्त कुमार मिश्रा की कार्रवाई वाद में चुनौती के अधीन है। शब्द ''चोरी छिपे'' का अर्थ है ''गुप्त रूप से''। किसी व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से किया गया कृत्य उक्त शब्द द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। वादीगण का वादपत्र में मामला है कि गुप्त रूप से वास्तविक तथ्य छिपाकर आशयपूर्वक उक्त बसन्त कुमार मिश्रा ने सामान्य पूर्वज द्वारा खरीदी गयी अचल संपत्ति बेचा था। वाद पत्र में प्रयुक्त शब्द केवल यह स्पष्ट करने के लिए है कि यह संव्यवहार गुप्त तरीके से किया गया था। यह बसन्त कुमार मिश्रा द्वारा इस प्रकार किए गए संव्यवहार की प्रकृति विशेषित करती है।

9. इस प्रकार से, चतुराई का अर्थ है, ''चालाकी से''। वाद पत्र में वादी प्राख्यान करता है कि बसन्त कुमार मिश्रा ने चतुराई से संयुक्त परिवार संपत्ति बेचा।

10. वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रयुक्त उक्त दोनों शब्दों का उपयोग वादीगण द्वारा उस तरीका को सुझाने के लिए किया गया था जिस तरीके से संव्यवहार किया गया था। यह बसन्त कुमार मिश्रा के विरुद्ध वाद पत्र में मुख्य अभिकथन है। सिविल न्यायालय को सिविल वाद के पक्षों का दावा अभी भी विनिश्चित करना है।

11. मामले के विचित्र तथ्यों पर, संव्यवहार की प्रकृति तथा किसी पक्ष द्वारा किस प्रकार संव्यवहार किया गया था के बारे में उल्लेख करने के लिए वाद पत्र में शब्द का प्रयोग, मेरे मत में, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि याची ने संपत्ति में अपना हित संरक्षित करने के लिए अभिधान वाद दाखिल किया है और ऐसा करते हुए उसने यह स्पष्ट करने के लिए कि किसी तरीके से संव्यवहार किया गया था, दो शब्दों का प्रयोग किया था। इस प्रकार, मेरे मत में संज्ञान आदेश दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने का दायी है क्योंकि परिवाद याचिका के कोरे परिशीलन से दांडिक अपराध नहीं बनता है।

12. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की दृष्टि में और उक्त निष्कर्ष की दृष्टि में, दिनांक 12.6.2015 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

13. परिणामस्वरुप, यह पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vur fct ; flg] U;k;efr

बुधी कुमार एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) no. 845 of 2007. Decided on 26th May, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 530 वर्ष 2004 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त सं॰ XVI, राँची द्वारा पारित दिनांक 28.2.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील–सूचक का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया–किंतु, अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है, अतः वे दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं–किंतु, अभियोजन ने एक अपीलार्थी के विरुद्ध अपना मामला पूरी तरह सिद्ध करने में सक्षम हुआ है–वह भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध किए जाने योग्य है–अपील अंशतः अनुज्ञात। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–M/s G.C. Sahu, Mukul Sahu, For the Appellants; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–तीनों अपीलार्थियों अर्थात् (I) बुधी कुमार, (II) तेजू कुमार एवं (III) पुटकी देवी ने सत्र विचारण सं॰ 530 वर्ष 2004 में श्री राय सतीश बहादुर, विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त सं॰ XVI, राँची द्वारा पारित दिनांक 28.2.2007 ने दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर वर्तमान दांडिक अपील दाखिल किया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने समस्त तीनों अपीलार्थियों अर्थात् बुधी कुमार, तेजू कुमार एवं पुटकी देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उनको दोषी अभिनिर्धारित किया है और दोषसिद्ध किया है और उनको आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है और जुर्माना वसूल किए जाने पर सूचक को इसका भुगतान किया जाएगा।

2. अभिलेख के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अपील दिनांक 26.7.2007 को विलंब माफ करने के बाद स्वीकार की गयी थी। सुश्री कविता सिंह को न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। किंतु अब अधिवक्ता श्री जी॰ सी॰ साहू तीनों अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3. दिनांक 27.4.2004 को प्रातः 9.45 बजे सूचक के दरवाजा पर सिल्ली पी॰ एस॰ के प्रभारी अधिकारी एस॰ आई॰ बी॰ पी॰ मंडल द्वारा दर्ज ग्राम ब्राहमणी, कमर टोला, पी॰ एस॰ सिल्ली, जिला राँची के निवासी मृतक तारा चंद कुमार की पत्नी सवि देवी (अ॰ सा॰ 1) के फर्दबयान से सामने आने वाला अभियोजन मामला यह है कि रात 9.30 बजे सूचक का पति ताराचंद कुमार खाना खाने के बाद अपना

हाथ धोने घर के बाहर आया था, इस बीच सूचक का देवर अर्थात् तेजू कुमार (अपीलार्थी) टांगी से लैस होकर, पुटकी देवी (अपीलार्थी), तेजू की पत्नी गुप्ती से लैस होकर और बुधी कुमार लाठी से लैस होकर आए और आगे बुधी कुमार ने सूचक के पति पर लाठी से प्रहार किया और उसके बाद तेजू कुमार ने टांगी से उसकी गर्दन पर प्रहार किया और तब पुटकी देवी ने गुप्ती से उसकी छाती एवं शरीर के अन्य भागों पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरुप सूचक के पति की मृत्यु हो गयी और सूचक द्वारा हल्ला किए जाने पर आस-पास के लोग आए जिस पर अभियुक्तगण भाग गए। घटना का हेतु यह है कि घटना के तीन माह पहले जंगली हाथियों ने सूचक का घर विनष्ट कर दिया था जिस पर सूचक ने तेजू कुमार एवं गंगा कुमार के कमरा के बगल में छोटे कमरा का निर्माण किया था और सूचक के पति ने पैतृक संपत्ति मांगा जिसने पक्षों के बीच का संबंध कटु बना दिया था।

4. इन अभिकथनों के आधार पर, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दिनांक 27.7.2004 का सिल्ली पी॰ एस॰ केस सं॰ 40 वर्ष 2004 संस्थित किया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने अन्वेषण के बाद अंतिम फॉर्म प्रस्तुत किया और दिनांक 8.12.2004 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के आदेश के अधीन मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 3.1.2005 को विद्वान पंचम अपर न्यायिक आयुक्त श्री सी॰ टांटी के आदेश के अधीन भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में छह गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 सवि देवी (सूचक); अ॰ सा॰ 2 गंगा कुमार जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है; अ॰ सा॰ 3 मुकुन्द करमाली जिसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है; अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ चंद्रशेखर प्रसाद जिन्होंने ताराचंद कुमार के मृत शरीर का शव परीक्षण किया; अ॰ सा॰ 5 पगलू कुमार जो मृतक तारा चंद कुमार का अवयस्क नौ वर्षीय पुत्र बाल गवाह है और अ॰ सा॰ 6 लालमुनि कुमारी जिसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है का परीक्षण किया। प्रदर्श 1 तारा चंद कुमार का शव परीक्षण रिपोर्ट है।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 5 के सिवाए अन्य गवाह पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं। वर्तमान मामले के आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है। आगे औपचारिक फर्दबयान एवं औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध नहीं की गयी है जिसने बचाव पर अत्यधिक प्रतिकूलता कारित किया है और अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में पैरा-1 में कथन किया है कि तेजू कुमार 'चाकू' से लैस था, पुटकी देवी 'भुजाली' से लैस थी और बुधी कुमार टांगी से लैस था और आगे कथन किया है कि बुधी कुमार ने टांगी से सूचक के पति पर प्रहार किया जिस पर उसने गर्दन पर उपहति पाया और तेजू कुमार ने चाकू से सूचक के पति पर उसके पेट पर प्रहार किया और पुटकी देवी ने सूचक के पति पर भुजाली से प्रहार किया। इसके परिणामस्वरुप वह गिर गया। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपराध का तरीका, जैसा साबी देवी अ॰ सा॰ 1 द्वारा अपने फर्दबयान में कथन किया गया है यह है कि बुधी कुमार लाठी से लैस था, तेजू कुमार टांगी से लैस था और पुटकी देवी गुप्ती से लैस थी। तत्पश्चात्, तेजू कुमार ने टांगी से सूचक के पति की गर्दन पर प्रहार किया, बुधी कुमार ने लाठी से उस पर प्रहार किया और पुटकी देवी ने सूचक के पति की छाती पर गुप्ती से प्रहार किया। यह निवेदन किया गया था कि अ॰ सा॰ 1 (सूचक के अपने फर्दबयान में न्यायालय में दिए गए साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है जो अभियोजन मामला झूठा बनाता है।) आगे, फर्दबयान पर अंगूठा का निशान 'X' के रूप में चिन्हित किया गया है।

आगे यह निवेदन किया गया है कि डॉक्टर अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ चंद्र शेखर प्रसाद ने दिनांक 27.7.2004 को अपराह्न 4.15 बजे तारा चंद कुमार के मृत शरीर का परीक्षण किया था और ध्यान में लिया था कि मृतक के शरीर पर गुप्ती से उपहति कारित नहीं की गयी थी। निर्देश के लिए, शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर द्वारा ध्यान में ली गयी उपहतियाँ अभिलेख पर हैं।

dVu d t[e

(i) fyuh;j dV&nk, dèk d lkeu 10cm yckA

(ii) fyuh;j dV&nk;h Nkrh d lkeu 15cm yckA

(iii) fyuh;j dV&ÝkVkyVjy nk, iV ij 10cm yckA

(iv) e#nM lfgr ikpo lokbdy oVhck dk ijh rjg rFkk eyk;e fV'k] jDr ufydk] Vfp;k] , lkQxl dk dkVr g, nk, xnu d fupy Hkkx d lkeu ij 8cm x 2cm x vfLFk rd xgjkA

fonh.k t[e%

(i) BMMh d lkeu 2cm x 1cm x eyk;e fV'k rd xgjkA

vkrfjd%

nljh l NBh ilyh (nk;h) dk ÝDpjA

viu çfrijh{k.k d ijk 11e] v0 lk0 4u dFku fd;k fd mlu xlrh }kjk dkfjr migfr ugh ik;k FkkA

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे अ॰ सा॰ 6 पगलु कुमार जो मृतक का 9 वर्षीय पुत्र है के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया। विचारण न्यायालय द्वारा उसकी सक्षमता की परीक्षा की गयी थी और साक्ष्य दर्ज किया गया था। अ॰ सा॰ 5 ने कथन किया था कि बुधी (अपीलार्थी) ठेंगा (लाठी) से लैस था, तेजू टांगी से लैस था और पुटकी गुप्ती से लैस थी। बुधी ने अ॰ सा॰ 5 के पिता पर ठेंगा (लाठी) से प्रहार किया। तेजू ने अ॰ सा॰ 5 के पिता पर टांगी से प्रहार किया और गर्दन पर उपहति कारित किया और पुटकी ने गुप्ती से अ॰ सा॰ 5 के पिता के पेट पर वार किया। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में, अ॰ सा॰ 5 ने कथन किया है कि उसने सुबह में मृत शरीर देखा था किंतु वह नहीं कह सकता है कि रात में क्या हुआ था।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 2 गंगा कुमार, अ॰ सा॰ 3 मुकुंद करमाली एवं अ॰ सा॰ 6 लालमुनि कुमारी के साक्ष्य को भी निर्दिष्ट किया जिन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आई॰ ओ॰ के गैर–परीक्षण की अनुपस्थिति में और आगे अभिलेख पर मौजूद औपचारिक फर्दबयान एवं औपचारिक प्राथमिकी की असिद्धि और अ॰ सा॰ 1 साबी देवी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में और अपने फर्दबयान में दिए गए विरोधाभासी साक्ष्य, प्रहार का तरीका एवं मृतक द्वारा पायी गयी उपहतियों की प्रकृति की दृष्टि में अभियोजन मामला संदेहपूर्ण बन जाता है और यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन अपीलार्थियों के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है, अतः वे दोषमुक्ति के हकदार हैं।

7. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य में लघु विरोधाभास है। अ॰ सा॰ 1 जो सूचक एवं मृतक की पत्नी है ने फर्दबयान में दिए गए अपने बयान में मामले का समर्थन किया है जिसे आगे डॉ॰ चंद्रशेखर प्रसाद के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है। अतः, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया।

8. यहाँ उपर चर्चा किए गए संपूर्ण साक्ष्य के पुनर्संवीक्षण के बाद हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन बुधी कुमार एवं पुटकी देवी के प्रति समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है क्योंकि अभिकथित अपराध में उनकी भागीदारी अत्यन्त संदेहपूर्ण प्रतीत होती है जब शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के मुकाबले अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार, वे उनके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्ति के योग्य हैं। किंतु, अभियोजन अपीलार्थी अभियुक्त तेजू कुमार, जिसने अभिकथित रूप से टांगी से मृतक के शरीर पर उपहति कारित किया था जो घातक सिद्ध हुई, के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में पूरी तरह सक्षम हुआ है। इस प्रकार, वह भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

9. शुद्ध परिणाम यह है कि वर्तमान अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी अभियुक्तों बुधी कुमार एवं पुटकी देवी को अपने आक्षेपित निर्णय के तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, जबकि अपीलार्थी अभियुक्त तेजू कुमार की भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्धि पोषित की जाती है। अपीलार्थी अभियुक्त बुधी कुमार को जमानत पर बताया गया है क्योंकि उसका मुख्य दंडादेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.12.2013 के आदेश के तहत निर्लंबित किया गया था। इस दशा में, उसे उसके जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है। चूँकि तेजू कुमार की पत्नी अपीलार्थी अभियुक्त पुटकी देवी विगत लगभग 12 वर्षों से अभिरक्षा में है, उसे तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु, अपीलार्थी अभियुक्त तेजू कुमार अपने मुख्य दंडादेश का शेष भाग भुगतेगा।

10. रजिस्ट्री को, वर्तमान अपील का परिणाम तुरन्त कारा प्राधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है। तद्नुसार, विचारण न्यायालय को भी सूचित किया जाएगा।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh ,o Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efrx.k

पिंटू कुमार उर्फ गुंजन कुमार

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 287 of 2007. Decided on 30th June, 2016.

लातेहार (मनिका) पी॰ एस॰ केस सं॰ 34 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 338 वर्ष 2003 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 107 वर्ष 2004 के संबंध में श्री हरिकेश चंद, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 16.1.2007 तथा दिनांक 18.1.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 394/34—डकैती एवं हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–संयुक्त रूप से किया गया प्रकटीकरण त्यक्त नहीं किया जा सकता है–परिप्रश्न पर उन्होंने संस्वीकार किया कि उन्होंने गया से वाहन भाड़े पर लिया था, रास्ते में चालक की हत्या की थी, मृत शरीर सड़क के बगल में फेंका था और इसे बेचने के लिए लूटे गए वाहन के साथ राँची की ओर से भाग गए थे–अपीलार्थी एवं उनके सहयोगियों को हथियार कारतूस पर काबिज पाया गया था–अभियोजन ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर चालक का मृत

शरीर बरामद किया गया था और आगे मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची जैसी औपचारिकताएँ पूरी की गयी थीं–अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा चलते वाहन में हत्या का अपराध किया गया था और अपीलार्थी तथा उसके सहयोगियों के सिवाए किसी अन्य का घटना देखना संभव नहीं था–अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य चालक की सीट के निकट वाहन के तल पर रक्त धब्बों का तथा सह-अभियुक्त के कपड़ों पर रक्त के धब्बों का कथन करते हैं–विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर विश्वास किया है–पुलिस दल जो गश्ती के दौरान चौकस था, ने वाहन के बॉडी पर रक्त धब्बों को ध्यान में लिया और किसी प्रकार एक अन्य पुलिस थाना के पुलिस गश्तीदल की सहायता से वाहन घेरा गया था और अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों को पकड़ा गया था–अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा किया गया प्रकटीकरण संपुष्ट हुआ–अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन बिल्कुल ग्राह्य हैं–अपीलार्थी द्वारा किया गया प्रकटीकरण शव परीक्षण रिपोर्ट से समर्थन पाता है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया गया–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 8, 9, 11 से 14)

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 27—प्रकटीकरण बयान-साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अर्थ के अंतर्गत पाए गए तथ्यों को ठोस तथ्य होना होगा जिसके साथ सूचना प्रत्यक्षतः संबंधित है–यह चुरायी गयी संपत्ति, अपराध का औजार, हत्या किए गए व्यक्ति का शव अथवा कोई अन्य तात्विक चीज हो सकता है अथवा यह स्थान जहाँ इसे पाया गया है के संबंध में तात्विक चीज हो सकता है। (पैरा 10)

निर्णयज विधि.–(2005)11 SCC 600, (2013)7 SCC 45—Relied; (2013)0 AIR (SC) 651; (2013)1 JLJR (SC) 499; AIR 1929 Lah. 344; AIR 1947 PC. 67; 1966 AIR 119—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathi, Nutan Sharma, Naveen Kumar Jaiswal, For the Appellants; Mr. Sanjay Kumar Pandey-II, For the Respondent.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील लातेहार (मनिका) पी॰ एस॰ केस सं॰ 34 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 338 वर्ष 2003 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 107 वर्ष 2004 के संबंध में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 16.1.2007 तथा दिनांक 18.1.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 394/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 394/34 के अधीन 10 वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में प्रत्येक अपराध के लिए दो माह की अवधि का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है। इस प्रकार पारित दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

2. अभियोजन मामला निम्नलिखित है:

दिनांक 21.9.2003 को सूचक अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ शाम की गश्ती पर था और उसके क्रम में वे बी॰ पी॰ जिप्सी पेट्रोल पंप के निकट उपस्थित थे। एक अन्य पुलिस गश्ती दल बाबा राघव चिस्ती के निकट 300 गज की दूरी पर आगे उपस्थित था। इस बीच, तेज गति से चल रहा टाटा सूमो वाहन सड़क पर आया। सूचक ने वाहन के बॉडी के बाएँ भाग पर रक्त के धब्बों को ध्यान में लिया

और इसलिए, दूसरी गश्ती दल के अधिकारी को वाहन रोकने के लिए सूचित किया। चालक को फ्लैश लाइट संकेत दिया गया था किंतु उसने वाहन नहीं रोका था और तेज गति से उसे ले गया। तत्पश्चात सूचना कि रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 2B 4691 वाला टाटा सूमो वाहन संदेहपूर्ण दशा में चलाया जा रहा है, वायरलेस के माध्यम से चंदवा पुलिस थाना को दी गयी थी। सूचक सहित लातेहार पुलिस गश्ती दल ने वाहन का पीछा किया। किसी प्रकार, वाहन को उदयपुरा घाटी के निकट घेरा गया था। अपीलार्थी सहित चार व्यक्ति उक्त सूमो वाहन में बैठे थे। चंदवा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी आमोद नारायण सिंह ने समस्त चार सवारों को वाहन जिसका उन्होंने पीछा किया था से बाहर आने को कहा। उन्होंने आगे अपना नाम प्रकट करके अपनी पहचान बताया। तलाशी पर एक अभियुक्त गुड्डू कुमार को देसी पिस्तौल पर काबिज पाया गया था जिसमें बारुद की गंध मौजूद थी। अपीलार्थी पिंटू कुमार उर्फ गुंजन कुमार को दो जीवित कारतूसों पर काबिज पाया गया था। अभियुक्तों विकास एवं रामानन्द यादव के वस्त्र रक्त से सने थे। अपीलार्थी और उसके सहयोगियों ने हथियार कारतूस रखने के विरुद्ध कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था और इसलिए, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1) (b) (a)/26/35 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियोजित किया गया था और उसके लिए मामला दर्ज करने के लिए लिखित रिपोर्ट अग्रसारित किया गया था। आगे परिप्रश्न पर अभियुक्त गुड्डू कुमार ने संस्वीकार किया कि डकैती करने की योजना बनाने के बाद उन्होंने गोला-बिघा बस अड्डा से राँची जाने के बहाना पर टाटा सूमो वाहन भाड़े पर लिया था और वे दिनांक 21.9.2003 को प्रातः लगभग 11.00 बजे गया से उस वाहन पर प्रस्थान किया। डालटेनगंज से 30-40 कि॰ मी॰ की दूरी तय करने के बाद अपराह्न 6 बजे निर्जन स्थान पर जहाँ सड़क के किनारे झाड़ियाँ उपलब्ध थी, अभियुक्त रामानंद यादव ने चालक को वाहन की गति धीमी करने के लिए कहा। इस बीच अभियुक्त गुड्डू कुमार जो पिछली सीट पर बैठा था चालक के कनपट्टी क्षेत्र पर निशाना लगाते हुए अपने पिस्तौल से गोली चलाया। गोली लगने से हुई उपहति पाकर चालक की मृत्यु स्वयं वाहन में हो गयी और अभियुक्त रामानंद यादव ने वाहन चलाने का काम ले लिया। तत्पश्चात, चालक का मृत शरीर सड़क पर फेंका गया था और वे इस प्रकार लूटे गए वाहन को ठिकाना लगाने के लिए राँची की ओर अग्रसर हुए। मृतक चालक का नाम दिनेश सिंह प्रकट किया गया था। अपीलार्थी और साथी अभियुक्तों ने आगे संस्वीकार किया कि वे दिनेश सिंह का मृत शरीर दिखा सकते हैं जिसे उन्होंने सड़क पर फेंका हैं। तब पुलिस दल अपीलार्थी एवं अन्य के साथ डालटेनगंज की ओर वापस आया और उदयपुरा से 25-30 कि॰ मी॰ पीछे स्थान पर सड़क पर पड़ा चालक का मृत शरीर पाया। अपीलार्थी सहित समस्त चारों अभियुक्तों ने चालक के मृत शरीर की ओर इंगित किया और संयुक्त रूप से संस्वीकार किया कि उन्होंने चालक की हत्या की थी और वाहन की डकैती करने के लिए मृत शरीर फेंक दिया था। पुलिस दल अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने के बाद पूरी रात इन समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने में व्यस्त रहा। अहली सुबह जब लोग जमा हुए, गवाहों अर्थात् गौरी प्रसाद एवं शंकर प्रसाद की उपस्थिति में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी। मृतक के मस्तक पर जमी रक्त रंजित मिट्टी एवं रक्त और मोबाइल जो घटनास्थल पर पड़ा था भी जब्त किया गया था।

3. पुलिस सब-इंस्पेक्टर मो॰ जैनुद्दीन ने अपना स्व-बयान दर्ज किया है जिसके आधार पर दिनांक 22.9.2003 का लातेहार (मनिका) पी॰ एस॰ केस सं॰ 34 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था। अन्वेषण किया गया था और अपीलार्थी तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 394 एवं 411/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। तद्नुसार,

संज्ञान लिया गया था। अपीलार्थी के सिवाए शेष तीनों अभियुक्तों को किशोर पाया गया था और इसलिए, उन तीन अभियुक्तों का मामला वर्तमान अपीलार्थी के मामला से अलग किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 394 एवं 411 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोपों के लिए अपीलार्थी का विचारण किया गया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं दस्तावेज पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार उसको दंडादेशित किया।

4. अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने किसी सीमा तक अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 5 मुरली प्रसाद गुप्ता गवाह है जो राँची से लौटने के क्रम में दिनांक 21.9.2003 को घटनास्थल पर पहुँचा और सड़क पर पुलिस दल देखकर उसने वाहन धीमा किया और तब लातेहार की ओर अग्रसर हुआ। उसने अभिग्रहण सूची पर किया गया अपना हस्ताक्षर स्वीकार एवं प्रदर्श 1 के रूप में सिद्ध किया है। उसने घटना अथवा घटनास्थल पर अपीलार्थी की गिरफ्तारी पर प्रकाश नहीं डाला था, अत: उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था। अ॰ सा॰ 6 तब चंदवा पुलिस थाना में पदस्थापित पुलिस कॉन्सटेबल है और वह प्रभारी अधिकारी अ॰ सा॰ 10 आमोद नारायण सिंह के नेतृत्व के अधीन अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गश्ती ड्यूटी पर था। उसने गश्ती दल में उपस्थित काँस्टेबल एवं पुलिस अधिकारियों को नामित किया है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि वायरलेस पर सूचना पाने के बाद उन्होंने उक्त सूमो वाहन रोका जिसकी बॉडी पर रक्त का धब्बा उपलब्ध था। पूर्वोक्त सूमो वाहन उदयपुरा के निकट रोका गया था और वाहन का रजिस्ट्रेशन संख्या 4691 था। चार व्यक्ति वाहन में बैठे थे और उन्हें हथियार कारतूस पर काबिज पाया गया था। अभियुक्तों रामानंद एवं विकास की कमीज पर रक्त का धब्बा देखा गया था। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने प्रकट किया कि वे पूर्वोक्त वाहन भाड़ा पर लेकर गया से आ रहे है। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने यह भी संस्वीकार किया कि उन्होंने चालक दिनेश सिंह की हत्या कर दी है और वन में सड़क के बगल मृत शरीर फेंक दिया है और वे उक्त लूटा गया वाहन बेचने राँची जा रहे थे। अ॰ सा॰ 7 नथुनी सिंह एवं अ॰ सा॰ 8 त्रिवेणी सिंह पुलिस गश्ती के सदस्य थे और उन्होंने अ॰ सा॰ 6 के बयान का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 10 आमोद नारायण सिंह तब चंदवा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और वह भी अपने क्षेत्र में शाम की गश्ती ड्यूटी पर था। वायर लेस सेट पर संदेश पाने के बाद सूमो वाहन जो तेज गति से आ रहा था को अ॰ सा॰ 10 के नेतृत्व में पुलिस गश्ती दल द्वारा उदयपुरा घाटी के निकट रोका गया था। उसने उक्त सूमो वाहन का नंबर BR 2B 4691 बताया है। इस बीच, लातेहार पुलिस थाना का तत्कालीन प्रभारी अधिकारी मो॰ जैनुद्दीन पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर आया। दो स्वतंत्र गवाहों, जो लातेहार अवस्थित अपने घर जाने के क्रम में घटनास्थल पर पहुँचे थे, की उपस्थिति में अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों की तलाशी ली गयी थी। अभियुक्त गुड्डू के कब्जा से देशी पिस्तौल एवं अपीलार्थी पिंटू के कब्जा से दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इस गवाह एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने रामानन्द यादव के कपड़ा पर रक्त के धब्बा की उपस्थिति ध्यान में लिया। जब उन्होंने वाहन का बॉडी लाइट जलाया उन्होंने चालक सीट के निकट तल पर पड़ा रक्त पाया। इस गवाह एवं अन्य पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस काँस्टेबलों की उपस्थिति में, अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने संस्वीकार किया कि उन्होंने राँची जाने के बहाना पर गया से वाहन भाड़े पर लिया था और डालटेनगंज से गुजरने और 35-40 कि॰ मी॰ की दूरी तय करने के बाद रास्ते में उन्होंने गोली मारकर चालक की हत्या की और मृत शरीर सड़क के बगल में फेंक दिया और वे लूटा गया वाहन बेचने राँची की ओर जा रहे थे। इस गवाह ने अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों जिन्हें पुलिस दल ने पकड़ा था को पहचानने का दावा किया है।

5. अ॰ सा॰ 11 धनेश्वर राम, पुलिस ए॰ एस॰ आई॰, अ॰ सा॰ 12 राजू थापा, पुलिस हवलदार और अ॰ सा॰ 13 विक्की गुरंज पुलिस गश्ती दल के सदस्य थे और उन्होंने सूचक तथा अ॰ सा॰ 10 आमोद नारायण सिंह द्वारा अभिलेख पर लाए गए उन्हीं तथ्यों को दोहराया है। सूचक मो॰ जैनुद्दीन का परीक्षण अ॰ सा॰ 16 के रूप में किया गया था और उसने अभियोजन मामले जैसा अभिलेख पर लाया गया है का पूर्णत: समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 15 संजय कुमार अन्वेषण अधिकारी हैं। उन्होंने प्रदर्श 3 के रूप में प्राथमिकी सिद्ध किया है। उसने आगे अ॰ सा॰ 16 द्वारा तैयार की गयी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 16 द्वारा अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों का इकबालिया बयान घटनास्थल पर दर्ज किया गया है। इस गवाह ने अन्वेषण समाप्त करने के बाद अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। अ॰ सा॰ 16 ने कथन किया कि दिनांक 21.9.2003 को वह लातेहार पुलिस थाना में प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था। उसी तिथि को वह अन्य पुलिस काँस्टेबलों एवं अधिकारियों के साथ बुलेट प्रुफ वाहन में शाम की गश्ती ड्यूटी पर अग्रसर हुआ। ए॰ एस॰ आई॰ राम किशुन पासवान के नेतृत्व में एक अन्य पुलिस गश्ती दल चिस्ती बाबा मठ के निकट मधुबन होटल के निकट 400-500 मीटर पश्चिम की दूरी पर मौजूद था। इस बीच उसने टाटा सूमो वाहन जिसे तेज गति से चलाया जा रहा था पर रक्त का धब्बा देखा। सूचक ने दुर्घटना का संदेह करते हुए राम किशुन पासवान के नेतृत्व वाली पुलिस को वाहन रोकने कहा किंतु वे सफल नहीं हुए थे और सूमो वाहन आगे चला गया। दोनों पुलिस दल एक सूचक के नेतृत्व में और दूसरा ए॰ एस॰ आई॰ राम किशुन पासवान के नेतृत्व में–ने उक्त सूमो वाहन का पीछा किया और वायरलेस के माध्यम से चंदवा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना दी गयी थी और इसे सूमो वाहन को राजदाहा पुल पर घेरा गया था। अपीलार्थी एवं उसके तीन सहयोगियों को वाहन पर सवार पाया गया था, उनसे पूछ-ताछ किया गया था जिसके बाद उन्होंने अपना नाम प्रकट किया और आगे संस्वीकार किया कि उन्होंने राँची जाने के बहाना पर गया से वाहन भाड़ा पर लिया था किंतु रास्ते में डालटेनगंज से गुजरने के बाद उन्होंने चालक की हत्या कर दी और मृत शरीर सड़क के किनारे फेंक दिया और वाहन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करने राँची की ओर अग्रसर हुए। अभियुक्त गुड्डु कुमार के पास देशी पिस्तौल पाया गया था जबकि अपीलार्थी दो जिंदा कारतूसों पर काबिज था। गुड्डू कुमार द्वारा रखे गए पिस्तौल की नाल पर कुछ देर पहले गोली दागने की गंध मौजूद थी। हथियार-कारतूस जब्त किया गया था और तद्नुसार अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी और आग्नेयास्त्र की बरामदगी के बाद एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने संस्वीकृति किया और वे पुलिस दल को उस स्थान पर ले गए जहाँ चालक का मृत शरीर पड़ा था। तत्पश्चात्, रक्तरंजित मिट्टी, मृत शरीर से संग्रहित जमे खून और मृत शरीर के निकट पड़े मोबाइल की अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों का इकबालिया बयान दर्ज किया गया था और इस गवाह ने अपना लिखित बयान तैयार किया जिसके आधार पर लातेहार (मनिका) पी॰ एस॰ केस सं॰ 34 वर्ष 2003 तैयार किया गया था। उसने विचारण के दौरान न्यायालय में अपीलाार्थी को पहचाना है।

6. सी॰ डब्ल्यू॰ 1 ब्रजनंदन प्रसाद हवलदार है और उसने अ॰ सा॰ 16 द्वारा दर्ज अपीलार्थी का इकबालिया बयान सिद्ध किया है और अपीलार्थी की उक्त संस्वीकृति प्रदर्श 7 के रूप में चिन्हित की गयी है। अ॰ सा॰ 16 द्वारा तैयार की गयी अभिग्रहण सूची प्रदर्श 8 के रूप में चिन्हित की गयी है। एफ॰ एस॰ एल॰ से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया है।

7. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का विरोध मुख्यत: इस आधार पर किया है कि पुलिस के समक्ष उसके एवं उसके सहयोगियों द्वारा अभिकथित रूप से किए गए प्रकटीकरण पर हत्या एवं डकैती के अपराध के लिए अभियोजित किया

गया था एवं दोषी अभिनिर्धारित किया गया था। पुलिस के समक्ष अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति विधि में अग्राह्य है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 एवं धारा 26 की दृष्टि में उसके विरुद्ध उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 धाराओं 25 एवं 26 के प्रति अपवाद है किंतु तब केवल तथ्य की खोज की ओर ले जाने वाली संस्वीकृति का भाग ग्राह्य है यदि इसे किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया था और वह भी जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है। अत:, ऐसी सूचना की धारणा, कि क्या यह संस्वीकृति के तुल्य है या नहीं सुभिन्न रूप से तथ्य से संबंधित है तद्द्वारा उसके विरुद्ध खोज सिद्ध किया जा सकता है। आगे यह प्रतिवाद किया गया था कि वर्तमान अपीलार्थी का तथाकथित इकबालिया बयान प्रदर्श 7 के रूप में चिन्हित किया गया है और इसे दिनांक 22.9.2003 को पूर्वाह्न 1.30 बजे उदयपुरा–राँची–डालटेनगंज पिच रोड के निकट दर्ज किया गया था। लिखित रिपोर्ट के मुताबिक, सूचक का स्वीकृत मामला यह है कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों को अपराह्न लगभग 10 बजे गिरफ्तार किया गया था। अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण के पहले सह–अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए थे। अत:, तथाकथित इकबालिया बयान जिसके आधार पर अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया गया है बाद के समय का था। उसके पहले अन्य अभियुक्तों द्वारा इन समस्त तथ्यों को सूचक तथा अन्य पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता था कि चालक का मृत शरीर वर्तमान अपीलार्थी की प्रेरणा पर बरामद किया गया था। चंदवा पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी आमोद नारायण सिंह अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य के मुताबिक, अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों की तलाशी सूचक द्वारा ली गयी थी और उसके बाद उन्हें लातेहार पुलिस थाना ले जाया गया था। अ॰ सा॰ 5 ने यह कथन भी किया है कि उसे पुलिस द्वारा अगली तिथि पर बुलाया गया था और स्वयं पुलिस थाना में अभिग्रहण सूची पर उसका हस्ताक्षर लिया गया था। इन दो गवाहों के अभिसाक्ष्य और इकबालिया बयान प्रदर्श 7 की दृष्टि में, यह तथ्य समर्थन नहीं पाता है कि चालक का मृत शरीर इस अपीलार्थी की प्रेरणा पर बरामद किया गया था। यह ध्यान में लिया जाना है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण के पहले अन्य अभियुक्तों एवं गुड्डू कुमार ने पुलिस के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया था और वह संस्वीकृति भी दर्ज की गयी थी। यदि ऐसा था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का अवलम्ब लेकर भी प्रदर्श 7 सिद्ध तथा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था। इस संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने **सुखविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1994)5 SCC 152** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है। यह निवेदन किया गया है कि पहले ही प्रकट किए गए तथ्यों की पुनर्खोज और खोजे जाने योग्य अननुध्यात, एक और एक ही खोज की ओर ले जाने वाला एक से अधिक अभियुक्तों द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान–अभिनिर्धारित किया गया, समय के बिंदु में पहली बार दिया गया प्रकटीकरण बयान केवल साक्ष्य में ग्राह्य है। स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पुलिस गवाहों के बयान पर विश्वास किया है जिनका परीक्षण अ॰ सा॰ 6 से अ॰ सा॰ 8 और अ॰ सा॰ 10 से अ॰ सा॰ 16 के रूप में किया गया है। मृत चालक की पहचान सत्यापित करने के लिए अन्वेषण नहीं किया गया था। वाहन के स्वामित्व के संबंध में अन्वेषण नहीं किया गया था। आई॰ ओ॰ ने वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी का नाम–पता पता लगाने का प्रयास नहीं किया था, अत:, उसका बयान दर्ज करने का प्रश्न उद्भूत ही नहीं हुआ था। आई॰ ओ॰ ने किसी व्यक्ति का परीक्षण नहीं किया था जिसकी उपस्थिति में अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा अभिकथित वाहन भाड़े पर लिया गया था। अभियोजन ने एफ॰ एस॰ एल॰ से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श 6 सिद्ध किया है किंतु वह अपीलार्थी को भी अभिकथित हत्या के साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। गवाहों द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया था कि सह–अभियुक्तों रामानन्द एवं विकास के कपड़ों पर रक्त का धब्बा ध्यान में लिया गया था। रक्तरंजित मिट्टी तथा चालक के मृत शरीर से जमा रक्त संग्रहित भी किया गया था और इनके परीक्षण के लिए उन वस्तुओं को एफ॰ एस॰ एल॰ भेजा गया था। रिपोर्ट मानव रक्त

उपदर्शित करती है किंतु यह इस बिंदु पर निर्णायक नहीं है कि सह-अभियुक्तों विकास एवं रामानन्द यादव के कमीज पर पड़ा रक्त मृतक के रक्त समूह से मेल खा रहा था। सह-अभियुक्त, जिन्हें किशोर घोषित किया गया था, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए और जाँच का सामना करने के बाद उन्हें आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्य का कुअधिमूल्यन किया है और अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पुलिस के समक्ष अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण प्रदर्श 7 पर विश्वास करके घोर गलती किया है। आक्षेपित निर्णय अत्यन्त गलत है और अपास्त किए जाने का दायी है।

8. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि प्रत्येक मामले को उस मामला विशेष में सामने आने वाले तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विनिश्चित किया जाना है। वर्तमान मामले में सामने जाने वाले तथ्य उतने सामान्य नहीं हैं जितना साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य तथ्य की खोज की ओर ले जाने वाले संस्वीकृति के अन्य मामलों में सामने आते हैं। यह मामला विशेष परिस्थितियों वाला है जिसमें अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य संग्रहित करना संभव नहीं था और वह नहीं हो सकता था। पुलिस दल ने डालटेनगंज-राँची रोड पर रात के दौरान टाटा सूमो वाहन का आवागमन ध्यान में लिया, सड़क पर वाहन का आना-जाना असामान्य नहीं है किंतु पुलिस द्वारा ध्यान में लिया गया असामान्य वाहन के बॉडी पर लगा रक्त का धब्बा था। पुलिस दल ने वाहन को रोकने का संकेत दिया किंतु वाहन के सवारों ने ध्यान नहीं दिया था और गायब होने के लिए वाहन तेजी से चला कर ले गए। सूचना चंदवा पुलिस थाना के एक अन्य गश्ती दल को दी गयी थी और पहले वाली पुलिस टीम ने वाहन का पीछा किया। किसी प्रकार वाहन बीच रास्ते रोका गया था और अपीलार्थी तथा उसके तीन सहयोगियों को रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 2B 4691 वाले उक्त टाटा सूमो वाहन के अधिभोग में पाया गया था। तलाशी पर अभियुक्त गुड्डू को देसी पिस्तौल पर काबिज पाया गया था जिसमें बारूद की गंध थी। अपीलार्थी को दो जिंदा कारतूसों पर काबिज पाया गया था। चूँकि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगी हथियार एवं कारतूस पर कब्जा के विरुद्ध तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण देने में विफल रहे, उनहें आयुध अधिनियम के अधीन संज्ञेय अपराध करता हुआ पाया गया था और उन्हें अभिरक्षा में लिया गया था। आगे परिप्रश्न पर उन्होंने संस्वीकार किया कि उन्होंने गया से वाहन भाड़े पर लिया था, डालटेनगंज से गुजरने के बाद रास्ते में चालक की हत्या की थी, सड़क के किनारे मृत शरीर फेंका था और इसे बेचने के लिए लूटे गए वाहन के साथ राँची की ओर भाग गए। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों की यह संस्वीकृति दर्ज की गयी थी और पुलिस दल अपीलार्थी और उसके तीन सहयोगियों के साथ डालटेनगंज की ओर अग्रसर हुए और रास्ते में अपीलार्थी तथा उसके सहयोगियों ने चालक के मृत शरीर की ओर इंगित किया। अपीलार्थी और उसके सहयोगियों द्वारा प्रकट किया गया यह तथ्य पुलिस अधिकारियों को पहले से ज्ञात नहीं था। यह सत्य है कि कोरस मे प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए किंतु उन सबों ने संयुक्त रूप से पुलिस दल के समक्ष पूर्वोक्त तथ्यों को प्रकट किया जो वर्तमान मामले में गवाह है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि **राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰) बनाम नवजोत संधु, (2005)11 SCC 600,** पैरा 145-147 में प्रकाशित निर्णय की दृष्टि में संयुक्त रूप से किया गया प्रकटीकरण त्यक्त नहीं किया जा सकता है।

विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे प्रतिवाद किया कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों को हथियार-कारतूस पर काबिज पाया गया था। हथियार कारतूस पर काबिज पाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया अपराध किया गया माने जाने पर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया था, लिखित रिपोर्ट तैयार की गयी थी और मामला दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस थाना भेजा गया था जो स्वयं प्राथमिकी से प्रतीत हो रहा है। अभिरक्षा में लिए जाने के बाद उन्होंने प्रकटीकरण बयान दिया। अभियोजन ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि

अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर चालक का मृत शरीर बरामद किया गया था और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। अपीलार्थी द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान मृतक चालक के मृत शरीर की खोज की सीमा तक निर्बंधित नहीं होगा बल्कि वर्तमान मामले में सामने आने वाली विशेष परिस्थितियों के कारण उसके परे जाएगा। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने वाहन की डकैती करने की योजना बनायी थी और उन्होंने राँची जाने के बहाना पर उक्त टाटा सूमो वाहन भाड़े पर लिया था। रास्ते में, सूर्यास्त के बाद जब वह जंगल से होकर गुजर रहे थे, अपनी योजना के मुताबिक, मृतक चालक की बगल में बैठे अभियुक्त रामानन्द यादव ने चालक से वाहन धीमा करने का अनुरोध किया और पिछली सीट पर बैठे अन्य अभियुक्त को संकेत दिया। यह प्रकट किया गया है कि अभियुक्त गुड्डू ने मृतक चालक के मस्तक क्षेत्र पर निशाना लगाते हुए अपनी पिस्तौल से गोली चलाया और चलती गाड़ी में ही चालक की हत्या कर दी। तुरन्त तत्पश्चात अभियुक्त रामनंद यादव ने गाड़ी चलाना शुरू किया, चालक का मृत शरीर सड़क किनारे फेंका गया था और तब वे आगे बढ़े। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा चलती गाड़ी में हत्या का अपराध किया गया था और अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों के सिवाए किसी और के लिए घटना देखना संभव नहीं था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य चालक की सीट के निकट रक्त धब्बा, वाहन के बॉडी पर रक्त धब्बा, सह-अभियुक्त विकास एवं रामानन्द यादव के कपड़ों पर रक्त धब्बा के बारे में कहता है। पुलिस द्वारा लिया गया रक्त नमूना और अभियुक्त की रक्तरंजित कमीज इसके परीक्षण के लिए एफ॰ एस॰ एल॰ भेजी गयी थी और रिपोर्ट मानव रक्त की मौजूदगी संपुष्ट करती है। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के पहले सूचना एवं पुलिस दल के पास यह जानने का अवसर नहीं था कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगी द्वारा कौन सा अपराध किया गया था। उक्त कथित परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से इस मामले में अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा दिए गए संपूर्ण प्रकटीकरण बयान विशेषत: अपीलार्थी की संस्वीकृति प्रदर्श 7 पर विश्वास किया है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने धारा 3 में आने वाले तथ्य की परिभाषा एवं प्रासंगिक तथ्य निर्दिष्ट किया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 की दृष्टि में ग्राह्य है। इस संदर्भ में, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने **(2013)0 AIR (SC) 651,** 2013 (1) JLJR (SC) 499 **(आर॰ शाजी बनाम केरल राज्य, (2013)7 SCC 45 (हरिवदन बाबू भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य)** में प्रकाशित निर्णयों को निर्दिष्ट किया है। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि अन्य तीन अभियुक्तों जिन्हें किशोर घोषित किया गया है के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उद्घोषित निर्णय बाध्यकारी नहीं है और उसे विचारण के दौरान अभिलेख पर नहीं लाया गया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है और आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. हम सहमत हैं कि वर्तमान मामले में सामने आने वाले तथ्यों एवं परिस्थितियों को समस्त संवेदनशीलता तथा सतर्कता के साथ संवीक्षण करने की आवश्यकता है और उसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 3, 8 एवं 27 की प्रयोज्यता के संबंध में विधि का अधिमूल्यन अत्यन्त आवश्यक है। साक्ष्य अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं पर विचार करने के पहले, हम अभियोजन मामले एवं किए गए अन्वेषण के कतिपय पहलूओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यह पहले ही उपदर्शित किया गया है कि उक्त सूमो वाहन के चालक की हत्या चलती गाड़ी में की गयी थी जिस पर अपीलार्थी और उसके तीन सहयोगी सवार थे जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है। घटना जंगल से होकर गुजरती सड़क पर सूर्यास्त

के बाद हुई थी। घटना स्थल के निकट बस्ती नहीं थी। हत्या करने के बाद, मृतक चालक का मृत शरीर सड़क के बगल में फेंका गया था और अभियुक्तगण राँची की ओर अग्रसर हुए। पुलिस दल जो गश्ती के दौरान सतर्क था ने उक्त सूमो वाहन के बॉडी पर रक्त का धब्बा ध्यान में लिया और किसी प्रकार एक अन्य पुलिस थाना के पुलिस गश्ती दल की मदद से वाहन घेरा गया था और अपीलार्थी तथा उसके सहयोगियों को पकड़ा गया था। ऐसी स्थिति में, आई॰ ओ॰ से किस प्रकार का साक्ष्य संग्रहित करने की उम्मीद की जा सकती थी? स्वीकृत रूप से, हत्या की घटना किसी गवाह की उपस्थिति में नहीं की गयी थी, अत: वर्तमान मामले में चश्मदीद गवाह की उपलब्धता का अवसर नहीं था। अत:, यह उम्मीद की गयी थी कि आई॰ ओ॰ परिस्थितिजन्य साक्ष्य संग्रहित करेगा। वर्तमान मामले में परिस्थितियाँ ये हैं कि अपीलार्थी और उसके सहयोगियों को पकड़ा गया था जब वे चालक की हत्या करने के बाद लूटे गए वाहन पर भाग रहे थे। वाहन के बॉडी पर तथा चालक की सीर के नीचे रक्त लगा था। अपीलार्थी सहित दो अभियुक्तों के पास आग्नेयायुध एवं गोला–बारूद पाया गया था, शेष दो अभियुक्तों के कपड़ों पर रक्त के धब्बे थे। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने घटना के बारे में प्रकटीकरण किया जिसके आधार पर मृत चालक का मृत शरीर खोजा गया था और आगे अन्वेषण किया गया था। उसके क्रम में, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी, घटनास्थल पर उपलब्ध रक्तरंजित मिट्टी एवं वस्तुएँ जब्त की गयी थी और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था किंतु उसके पहले मृत शरीर का फोटो खींचा गया था।

10. अब, हमें आई॰ ओ॰ द्वारा अन्वेषण के दौरान संग्रहित परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर भी विचार करना होगा। **राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰ बनाम नवजोत संधु (ऊपर),** संसद पर आतंकवादी हमले का मामला में निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तारपूर्वक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 और विश्वास किए गए निर्णय, **सुखन बनाम सम्राट AIR 1929 Lah 344** एवं **पुलुकुरी कोटय्या बनाम सम्राट AIR 1947 PC 67** और स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी विधिक उद्घोषणाओं पर विचार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंतत: इस निष्कर्ष पर आया है कि 'तथ्य' की परिभाषा जैसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया है को संपूर्णता में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उपदर्शित 'तथ्य' के समतुल्य नहीं बनाया जा सकता था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अर्थ के अंतर्गत खोजे गए तथ्य को कुछ ठोस तथ्य होना होगा जिसके प्रति सूचना प्रत्यक्षत: संबंधित है, यह चुरायी गयी संपत्ति, अपराध का औजार, हत्या किए गए व्यक्ति का शव अथवा कोई अन्य तात्विक चीज हो सकता है और यह उस स्थान अथवा मुहल्ला जहाँ इसे पाया गया है के संबंध में तात्विक चीज हो सकता है। **सुखन बनाम सम्राट (ऊपर)** मामले में विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वाक्यांश ''खोजा गया तथ्य'' तात्विक तथ्य और न कि मानसिक तथ्य को निर्दिष्ट करता है। अत:, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन दी गयी तथ्य की परिभाषा 'खोजे गए तथ्य' को ग्रहण करते हुए विचार में नहीं ली जाएगी।

11. प्राथमिकी तथा अ॰ सा॰ 6 से अ॰ सा॰ 8 और अ॰ सा॰ 10 से अ॰ सा॰ 16 के साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट है कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों को लूटे गए टाटा सूमो वाहन रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 2B 4691 के साथ पकड़ा गया था, एक अभियुक्त गुड्डु को देशी पिस्तौल पर काबिज पाया गया था अपीलार्थी के पास दो जिंदा कारतूस था और उसके लिए अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। लिखित रिपोर्ट लिखी गयी थी और मामला के दर्जकरण के लिए लातेहार पुलिस थाना भेजी गयी थी, पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई स्पष्टत: उपदर्शित करती है कि अपीलार्थी और उसके सहयोगियों को अभिरक्षा में लिया गया

था। तत्पश्चात्, आगे तथ्य जो सूचक एवं गवाहों की जानकारी में नहीं था, अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान से प्रकट किया गया था। सूचक एवं अन्य पुलिस अधिकारी जान सके थे कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने राँची जाने के बहाना पर गया से वाहन भाड़े पर लिया था किंतु वे डकैती करने की योजना बना रहे थे। अपने मिशन को प्रभाव देने के लिए उन्होंने रास्ते में चालक की हत्या की, मृत शरीर सड़क के बगल में फेंका और लूटे गए वाहन के साथ राँची की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने आगे प्रकट किया कि उनके द्वारा मृत शरीर इंगित किया जा सकता था। तत्पश्चात, पुलिस दल अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों के साथ डालटेनगंज की ओर अग्रसर हुआ और डालटेनगंज पहुँचने के पहले रास्ते में अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा इंगित किए जाने पर मृत चालक का मृत शरीर खोजा गया था। मृतक को गोली लगने से उपहति हुई अर्थात् उसके कनपट्टी क्षेत्र पर प्रवेश का जख्म और बुलेट भवों के उपर निकास जख्म सृजित करते हुए ब्रेन से होकर गुजरने के बाद बुलेट बाहर निकल गया। अत:, अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर मृतक चालक का मृत शरीर बरामद किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **सुखविन्दर सिंह पंजाब राज्य (ऊपर)** और **1966 AIR 119 (अघनू नगेसिया बनाम बिहार राज्य)** ने निवेदन किया है कि पहले वाले अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है किंतु यदि बाद वाले अभियुक्त द्वारा वही प्रकटीकरण किया जाता है इसे उसके विरुद्ध सिद्ध एवं उपयोगित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क भी किया गया था कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा किया गया हत्या का अपराध, भले ही प्रकटीकरण के बयान में स्वीकार किया जाता है, उसका उपयोग उनके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 25 एवं 26 द्वारा अधिरोपित निर्बंधन के कारण नहीं किया जा सकता है। **राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰) बनाम नवजोत संधू (ऊपर)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष की दृष्टि में तर्क कि संयुक्त प्रकटीकरण बाद वाले अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जा सकता है, एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

इस मोड़ पर, हम अभिलेख पर यह लाना चाहेंगे कि विद्वान अधिवक्ता ने बिंदु उठाया है कि एफ॰ एस॰ एल॰ से प्राप्त रिपोर्ट (प्रदर्श 6) इस बिंदु पर निश्चयात्मक नहीं है कि रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए वस्तुओं पर पाया गया मानव रक्त मृतक के रक्त समूह के साथ मेल नहीं खा रह था। तर्क सिद्ध करने के लिए हमने **(2013)0 AIR (SC) 651,** (2013)1 JLJR (SC) 499 **(आर॰ शाजी बनाम केरल राज्य)** में प्रकाशित निर्णय पर विचार किया है जिसके पैराग्राफ 17 एवं 18 का पठन निम्नलिखित है:–

> *"17. vihykFkh d fo}ku vfèkoDrk }kjk rd fd;k x;k g fd pfd xMkIk ij ik;k x;k jDr èkCcs dk jDr leg vfHkfuf'pr ugh fd;k tk ldrk Fkk] mDr xMkIk dh cjkenxh ij fo'okl ugh fd;k tk ldrk gA*
>
> *lhje d fo[kMu d dkj.k jDr dh mRifÙk dk irk yxku e lhjkykftLV dh foQyrk dk vFk ;g ugh g fd dYgkMh ij yxk [ku ekuo jDr fcYdy ugh gk ldrk FkkA dHkh&dHkkj ;g lHko g fd D;kfd èkCcs Lo; e vi;kIr g vFkok gekVkykftdy ifjoru ,o lyktefVd dkxy'ku d dkj.k lhjkykftLV ç'uxr jDr dh mRifÙk dk irk yxku e foQy gk ldrk gA fdr] ,l ekey e tc rd lng ;fDr;Dr vk;ke dk ugh g ftl U;kf;d ifØ;k l voxr 0;fDr dN oLrfu"Brk d lkFk xg.k dj ldrk g] bl lcèk e vfHk;Dr }kjk fdlh ykHk dk nkok ugh fd;k tk ldrk gA*
>
> *tc ,d ckj vfHk;Dr }kjk fn, x, çdVhdj.k c;ku d vulj.k e cjkenxh dh tkrh g] jDr legk dk ey&cey gkuk egRo xok nrk gA [n[k %*

çg ckokth ukfo cuke ckEc jkT;] AIR 1956 SC 51; jk?ko iiUuk f=ikBh cuke mÙkj in'k jkT;] AIR 1963 SC 74 : jktLFkku jkT; cuke rtk jke] AIR 1999 SC 1776; xjk flg cuke jktLFkku jkT;] AIR 2001 SC 330; tku ikfM;u cuke jkT;] ifyl bLiDVj d çfrfufèkRo e] rfeyukM] (2010)14 SCC 129; vkj MkO luhy fDyQkM Mfu;y cuke itkc jkT;] JT 2012 (8) SCC 639].

*18. mDr dh nf"V e] U;k;ky; ikrk g fd bl fuonu dk Lohdkj djuk lHko ugh g fd jDr dh mRifÙk d lcèk e fjikV dh vuifLFkfr e vfHk;Dr dk nk"kfl) ugh fd;k tk ldrk g] D;kfd doy le; chru d dkj.k] jDr lQyrkiod oxhÑr ugh fd;k tk ldk FkkA vr%] fdlh ykHk dk nkok dju d fy, mldk l{ke cuku d fy, vfHk;Dr ij dkb ykHk çnÙk ugh fd;k tk ldrk g] vkj jDr d fo[kMu dh fjikV vkfn dk xk;c dMh d :i e ugh ekuk tk ldrk g ftld vkèkkj ij ifjfLFkfr;k dh J[kyk VVh gb mièkkfjr dh tk ldrh gA***

पुनः, हम इस तथ्य के प्रति अ॰ सा॰ 10 एवं अ॰ सा॰ 16 के साक्ष्य को निर्दिष्ट करना चाहेंगे कि सह अभियुक्तों विकास एवं रामानन्द यादव के कपड़ा पर रक्त धब्बा उनके एवं अन्य गवाहों द्वारा ध्यान में लिया गया था। रक्त नमूना उस स्थान से संग्रहित किया गया था जहाँ मृत शरीर पड़ा था और मृतक की उपहति से जमे रक्त का नमूना भी लिया गया था।

12. अब हम अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों के आचरण पर विचार करना चाहेंगे। तथ्यों को निर्दिष्ट करने के पहले, यह ध्यान में रखना होगा कि संपूर्ण घटना एक ही एवं उसी संव्यवहार में हुई थी, अतः, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य खोजे गए तथ्यों और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन ग्राह्य अभियुक्त का आचरण द्विभाजित एवं सुभिन्न करना बिल्कुल असंभव है। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगी राँची जाने के बहाना पर टाटा सूमो वाहन में गया से चले। योजना वाहन लूटने की थी। रास्ते में उन्होंने चालक की हत्या की, मृत शरीर सड़क के बगल में फेंका और लूटा गया वाहन ठिकाने लगाने के आशय से राँची की ओर जाने लगा। जब वे लातेहार पुलिस थाना की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली सड़क से गुजर रहे थे, पुलिस गश्ती दल ने वाहन पर रक्त धब्बा ध्यान में लिया और एक अन्य पुलिस गश्ती दल जो आगे खड़ी थी से वाहन रोकने का अनुरोध किया। ए॰ एस॰ आई॰ राम किशुन के नेतृत्व में पुलिस दल ने वाहन रोकने के लिए रोशनी चमकाया, किंतु अपीलार्थी एवं उसके सहयोगी ने संकेत का पालन करने के बजाए गति बढ़ा दिया। तुरन्त वायरलेस के माध्यम से चंदवा पुलिस थाना को सूचना दी गयी थी और वाहन जिस पर अपीलार्थी एवं उसके सहयोगी भाग रहे थे को तीनों पुलिस दल द्वारा बीच रास्ते रोका गया था और एक अभियुक्त गुड्डू के पास हथियार कारतूस पाया गया था जबकि अभियुक्तों विकास एवं रामानन्द की कमीज पर भी रक्त धब्बा लगा था और वाहन पर भी रक्त धब्बा मौजूद था। जब वाहन की बॉडी लाइट जलायी गयी थी, चालक की सीट के निकट गिरा खून भी ध्यान में लिया गया था। तत्पश्चात्, अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने प्रकटीकरण बयान दिया जिसके आधार पर मृतक चालक का मृत शरीर खोजा गया था। अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा किया गया प्रकटीकरण संपुष्ट हुआ और इसलिए, अभिलेख पर लाए गए तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन बिल्कुल ग्राह्य हैं। इस संबंध में, **हरिवदन बाबू भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2013)7 SCC 45** में निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया संप्रेक्षण प्रासंगिक है जो निम्नलिखित है:–

B. lk{; vfèkfu;e] 1872—èkkjk, 27 ,o 8—ifjfLFkfr tU; lk{;&vijkèk e Qlku okyh oLrvk ,o ihfMr d er 'kjhj dh cjkenxh@[kkt&vfHk;Dr A1 (vihykFkh) d fo#) xkg;rk&ip xokgk u ipukek (vfHkxg.k@cjkenxh eek) dk leFku ugh fd;k Fkk&vfHk;Dr }kjk ifyl d le{k dh x;h lLohÑfr fcYdy vxkg; g] fdr vfHkfuèkkfjr fd;k x;k] rF; cuk jgrk g fd LFky tgk l erd dk er 'kjhj ,o vU; oLrvk dk cjken fd;k x;k Fkk] vihykFkh dh fo'k"k tkudkjh d vrxr Fkk&vr% i'pkrorh ?kVukvk }kjk lif"V dk fl)kr vkÑ"V gkrk g&bl çdkj] vfHkfuèkkfjr fd;k x;k] oreku ekey e cjkenxh vFkok [kkt çklfxd rF; vFkok lkexh g ftl ij fo'okl fd;k tk ldrk g vkj lgh :i l vihykFkh d fo#) fo'okl fd;k x;k g&nM lfgrk] 1860 èkkjk, 302, 342, 346 ,o 201)

बेहतर अधिमूल्यन के लिए, हम उक्त निर्णय के पैराग्राफों 16 से 20 को निर्दिष्ट करना वांछनीय महसूस करते हैं जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"16. vkØe.k dk nljk pj.k vfHk;Drk }kjk dh x;h lLohÑfr vkj oLrvk dh [kkt dh vkj y tku oky fook|d l lcfèkr gA ;g fuonu fd;k x;k g fd lLohÑfr Hkkx fcYdy vxkg; g vkj mlld vfrfjDr] tc ip xokgk u ipukek dk leFku ugh fd;k Fkk] tCr oLrvk dh cjkenxh vFkok [kkt dk mi;kx vihykFkh d fo#) ugh fd;k tk ldrk gA ble dkb lng ugh gk ldrk g fd lLohÑfr Hkkx lk{; e vxkg; gA ;g Hkh fookfnr ugh g fd ip xokg i{knkgh gk x, g fdr rF; cuk jgrk g fd LFky tgk l erd d er 'kjhj ,o vU; oLrvk dk cjken fd;k x;k Fkk] vihykFkh dh fo'k"k tkudkjh d vrxr FkkA

17. bl lnHk e] ge ykHknk;h :i l ,0 ,u0 odV'k cuke dukVd jkT; dk fufn"V dj ldr g fd ftle ;g vkn'k fn;k x;k g fd% (SCC P 721 Para 9)

"9. lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 8 d QyLo#i] vfHk;Dr dk vkpj.k çklfxd g] ;fn , lk vkpj.k fookfnr fdlh rF; vFkok çklfxd rF; dk çHkkfor djrk g vFkok bll çHkkfor gkrk gA ifjfLFkfr dk lk{;] lhèk rkj ij] fd vfHk;Dr u ifyl vfèkdkjh dk og LFkku bfxr fd;k tgk viâr ckyd dk er 'kjhj ik;k x;k Fkk------bl rF; dk è;ku e fy, fcuk fd D;k , l vkpj.k d ledkyhu vFkok ioorh vfHk;Dr }kjk fn;k x;k c;ku lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 27 d dk;{k= d vrxr vkrk g ;k ugh] èkkjk 8 d vèkhu vkpj.k d :i e xkg; gkxkA

mDr fu.k; e] çdk'k pn cuke jkT; (fnYyh ç'kklu) e vfèkdfFkr fl)kr ij fo'okl fd;k x;k FkkA ;g mYy[kuh; g fd mDr ekey e vfHky[k ij lkexh ektn g fd vfHk;Dr vUo"k.k vfèkdkjh dk ?kVukLFky ij y x;k Fkk vkj ml LFkku dk bfxr fd;k Fkk tgk er 'kjhj nQuk;k x;k Fkk vkj bl U;k;ky; u bl vfHk;Dr d vkpj.k d :i e èkkjk 8 d vèkhu lk{; d xkg; VdM d :i e ekuk gA

18. egkjk"V jkT; cuke nke e fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g% (SCC p. 283 Para 35)

35. .....vc ;g lfuf'pr g fd oLr dh cjkenxh [kkt vFkok rF; ugh g tlk lk{; vfèkfu;e] 1872 dh èkkjk 27 e ifjdfYir fd;k x;k gA iydjh dkV;k cuke fdx ,Eihjj e fçoh dkmfUly dk fu.k; bl 0;k[;k dk leFku

*dju d fy, vfèkdk'kr% m) r fd;k tkrk g fd èkkjk e ifjdfYir ^^[kkt k x;k rF;** ml LFkku tgk l oLr çLrr fd;k x;k Fkk] bld çfr vfHk;Dr dh tkudkjh lekfo"V djrk g fdr nh x;h lpuk lfHkUu :i l ml çHkko d lkFk lcfèkr gkuh gkxhA*

19. ;gh fl)kr egkjk"V jkT; cuke lj'k] itkc jkT; cuke xjuke dkj] vkQrkc vgen vlkjh cuke mÙkjkpy jkT;] Hkxoku nkl cuke jkT; (fnYyh dk ,uO lhO VhO) eu 'kek cuke jkT; (fnYyh dk ,uO lhO VhO) ,o #eh ckjk nÙk cuke vle jkT; e vfèkdfFkr fd;k x;k gA

*20. oreku ekey e lpuk dk rF; er 'kjhj ,o vU; oLrvk dh [kkt l lcfèkr gvk vkj mDr lpuk oreku vihykFkh dh fo'k"k tkudkjh d vrxr FkhA vr%] i'pkrorh ?kVukvk }kjk lif"V dk fl)kr vkÑ"V gkrk g vkj] blfy,] ge ;g vfHkfuèkkfjr dju e ldkp ugh g fd oreku ekey e cjkenxh vFkok [kkt çklfxd rF; vFkok lkexh g ftl ij fo'okl fd;k tk ldrk g vkj lgh :i l fo'okl fd;k x;k gA***

हरिवदन बाबूभाई पटेल (ऊपर) में माननीय न्यायाधीशों द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार के अतिरिक्त, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का उदाहरण (i) वर्तमान मामले में सामने आने वाले तथ्यों की दृष्टि में अधिक प्रासंगिक है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का उदाहरण (i) यहाँ नीचे उल्लिखित किया जाता है:–

“(i) d fdlh vijkèk dk vfHk;Dr gA

*; rF; fd vfHkdfFkr vijkèk d fd, tku d i'pkr og Qjkj gk x;k ;k fd ml vijkèk l vftr lEifÙk d vkxe mld dCt e Fk ;k fd mll mu oLrvk dk] ftul og vijkèk fd;k x;k Fkk] ;k fd;k tk ldrk Fkk] fNikus dk ç;Ru fd;k] llxr gA***

वर्तमान मामले में उपलब्ध तथ्य सुझाते हैं कि चालक की हत्या करने के बाद, अपीलार्थी एवं उसके सहयोगी लूटे गए टाटा सूमो वाहन के साथ भाग रहे थे और पुलिस दल द्वारा बीच रास्ते में पकड़े जाने के कारण न केवल टाटा सूमो वाहन बरामद किया गया था बल्कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों को हथियार कारतूस एवं अपराध करने में प्रयुक्त हथियार पर काबिज पाया गया था।

13. हमने सावधानीपूर्वक अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया है। अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ रविन्द्र नारायण ने दिनांक 22.9.2003 को मृतक चालक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहति पाया था:–

1. nk, fiUuk d yxHkx 1½" mij [kkiMh d VEikjy {k= ij 1" x 1" x 8" vkdkj e xky ço'k dk t[eA efM;yh] {kfrth; ,o FkkMk mij tku okyk mYV g, fdukjk d ço'k t[e d bn&fxn tyk FkkA

*2. cu eVfj;y d ,DLVk o'klu d lkFk boVM ekftu d lkFk 2" x 2" vMkdkj vkdkj dk fudkl t[eA t[e jDr ,o ljhck Likbuy ¶ybM (lhO ,lO ,QO) l Hkjk FkkA***

इस प्रकार, हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान शव परीक्षण रिपोर्ट से समर्थन पाता है। सूचक एवं अ॰ सा॰ 10 ने आगे कथन किया है कि अभियुक्त गुड्डु के कब्जा से बरामद पिस्तौल पर बारुद की हाल की गंध मौजूद थी। अपीलार्थी को दो कारतूसों पर काबिज पाया गया था न

केवल वाहन के बॉडी पर, बल्कि चालक के सीर के नीचे फर्श पर रक्त के धब्बे पाये गये थे। प्रकटीकरण बयान के आधार पर मृतक चालक का मृत शरीर बरामद किया गया था। अभियुक्तों का रक्त नमूना एवं रक्तरंजित वस्त्र संग्रहित किया गया था और एफ॰ एस॰ एल॰ भेजा गया था और रिपोर्ट उन वस्तुओं पर मानव रक्त की उपस्थिति उपदर्शित करता है। पुलिस कर्मी जो वर्तमान मामले के गवाह हैं द्वारा तुरन्त कार्रवाई एवं उठाए गए कदमों के बाद अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों को पकड़ा गया था। अत: अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अर्थात् अपीलार्थी द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान, अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा संग्रहित परिस्थितिजन्य साक्ष्य, लूटे गए वाहन की जब्ती, अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों के कब्जा से हथियार तथा कारतूस की जब्ती, मृत शरीर की बरामदगी, शव-परीक्षण रिपोर्ट जो आग्नेयास्त्र द्वारा कारित उपहति का समर्थन करती है, एफ॰ एस॰ एल॰ रिपोर्ट जो संगत रूप से वाहन में और अभियुक्तों के वस्त्र पर मानव रक्त की मौजूदगी उपदर्शित करता है का समेकित परिणाम सिद्ध करता है कि अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों ने मृतक चालक की हत्या की है और लूटे गए वाहन के साथ भाग रहे थे। अपीलार्थी ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसे पकड़ा गया था जब वह टाटा सूमो वाहन पर विवाह समारोह में भाग लेने जा रहा था। उसने उक्त वाहन के अधिभोग से इनकार नहीं किया है। पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा गया था और इस मामले में अभियोजित किया गया था। हम विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में कमी नहीं पाते हैं और इसलिए हम लातेहार (मनिका) पी॰ एस॰ केस सं॰ 34 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 338 वर्ष 2003 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 107 वर्ष 2004 के संबंध में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लातेहार द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 16.1.2007 तथा दिनांक 18.1.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

14. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

प्रदीप कुमार मोहन्ती, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vur fct; flg] U;k;efr

बिक्की लोहार

cuke

झारखण्ड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 9 of 2015 with I.A. No. 117 of 2016. Decided on 26th May, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 389—दंडादेश का निलंबन—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 364A/34 के अधीन दोषसिद्धि—तीन सह-दोषसिद्धों को अपीलों के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन का रियायत प्रदान किया गया है—किंतु, अपीलार्थी का मामला उसके सह-दोषसिद्धों के मामले से गुणागुण पर बिलकुल भिन्न है—अपीलार्थी अपराधकर्त्ता है—अपीलार्थी जमानत पर रिहा किए जाने योग्य नहीं है—आवेदन खारिज। (पैराएँ 4 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. B.M. Tripathy, Naveen Kr. Jaiswal, For the Appellants; Mr. S.K. Pandey, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–

आई॰ ए॰ संख्या 117 वर्ष 2016

आवेदक–अपीलार्थी मुख्य अपील के लंबित रहने के दौरान मुख्य दंडादेश के निलंबन एवं जमानत के लिए प्रार्थना कर रहा है।

2. श्री नवीन कुमार जायसवाल द्वारा सहायित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री त्रिपाठी एवं विद्वान राज्य के अधिवक्ता श्री पांडे सुने गए। अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. कुल छह अभियुक्तों को 17 वर्षीय नवयुवक अर्थात आलोक कुमार (पीड़ित), जो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण घटना की तिथि पर अस्थायी रूप से विकलांग था क्योंकि उसको हाथ का फ्रैक्चर हो गया था और अपीलार्थी आवेदक जो मूलत: दूसरे राज्य (उड़ीसा) से आता है को पीड़ित को विद्यालय ले जाने और वापस घर लाने के लिए नियोजित किया गया था, का अभिकथित रूप से अपहरण करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 364A/34 के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया था। अभियोजन मामले के मुताबिक, आवेदक–अपीलार्थी ने किसी मिंटू कुमार सिंह के साथ पीड़ित का अपहरण करने का षडयंत्र रचा जिसके संबंध में सुबह में मॉक ट्रायल भी किया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर जब वह पीड़ित को वापस घर ले जा रहा था, वह एक स्थान पर रूका, मूत्र त्याग के बहाने बगल में गया और तब अपने सह–अभियुक्त मिंटू कुमार सिंह को अपना हाथ हिलाकर संकेत दिया और तत्पश्चात अपहरण किया गया जिसमें अन्य भी अंतर्ग्रस्त थे और अंतत: पीड़ित को राकेश कुमार वर्मा उर्फ चंद्रबंशी उर्फ राकेश चंद्रबंशी उर्फ सनी (इस मामले में अभियुक्त) के घर से बरामद किया गया था।

4. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि आवेदक अपीलार्थी के तीन सह–दोषसिद्धों अर्थात मिंटु कुमार सिंह जिसके साथ आवेदक अपीलार्थी ने अभिकथित तौर पर षडयंत्र रचा, राकेश कुमार वर्मा उर्फ चंद्रबंशी उर्फ राकेश चंद्रबंशी उर्फ सनी जिसके घर से अभिकथित रूप से अपहृत पीड़ित पुलिस द्वारा बरामद किया गया था और संजय साहू उर्फ भकरू जो उस वाहन का चालक था जिसमें पीड़ित ले जाया गया था का उनकी अपीलों के लंबित रहने के दौरान तीन भिन्न अपीलों अर्थात दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 703 वर्ष 2014, दांडिक अपील (डी॰बी॰) सं॰ 584 वर्ष 2014 और दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 237 वर्ष 2014, में पारित तीन विभिन्न आदेशों के तहत दंडादेश के निलंबन का रियायत प्रदान किया गया है। किंतु, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, आवेदक अपीलार्थी का मामला पूर्वोक्त तीन सहदोषसिद्धों जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया गया है जैसा यहाँ उपर उपदर्शित किया गया है के मामले से तथ्यों पर बिलकुल सुभिन्न हैं।

5. यह प्रतीत होता है कि संजय साहू उर्फ भकरू ने पहचान न किये जाने के बिंदु पर दंडादेश के निलंबन का रियायत पाया क्योंकि अ॰सा॰ 8 परीक्षा पहचान परेड में उसे नहीं पहचाना था। राकेश कुमार वर्मा उर्फ चंद्रबंशी उर्फ राकेश चंद्रबंशी उर्फ सनी का मामला संजय साहू उर्फ भकरू ने मामले के समरूप पाया गया था, अत:, उसे भी वही अनुतोष प्रदान किया गया था। मिंटू कुमार सिंह को जमानत प्रदान करते हुए न्यायालय ने पाया कि उसकी अंतर्ग्रस्तता मुख्यत: पुलिस के समक्ष वर्तमान आवेदक अपीलार्थी द्वारा की गयी संस्वीकृति पर है जिसमें उसने अन्य सह–अभियुक्तों द्वारा निभायी गयी भूमिका प्रकट किया था आवदेक अपीलार्थी ने पुलिस को प्रकट किया कि मिंटू कुमार सिंह ने समय के प्रासंगिक बिंदु पर उसको हाथ हिलाकर इशारा किया था ताकि पीड़ित का अपहरण किया जा सके। यह पक्ष को हरी झंडी की आकृति में था। यह एक अभियुक्त का दूसरे सह–अभियुक्त के विरूद्ध बयान है और वह भी पुलिस के समक्ष।

6. आवेदक-अपीलार्थी को पीड़ित के पिता द्वारा पीड़ित को सुबह में विद्यालय ले जाने और छुट्टी के उपरांत घर वापस लाने के खास काम पर अस्थायी आधार पर नियोजित किया गया था। पीड़ित के पिता ने विस्तारपूर्वक इसकी कल्पना किए बिना आवेदक अपीलार्थी पर विश्वास किया कि उसका पुत्र उसका शिकार बन जाएगा। हमारे दृष्टिकोण में, आवेदक अपीलार्थी अपराध आरंभकर्ता था। यदि उसने अपने सह-अभियुक्तों के साथ हाथ नहीं मिलाया होता अथवा इस गंभीर अपराध का भागीदार बनने के लिए सहमत नहीं हुआ होता, यह गंभीर घटना नहीं घटी होती। अत:, हमारे दृष्टिकोण में आवेदक अपीलार्थी का मामला गुणागुण पर उसके सह-दोषसिद्धों के मामलों से बिलकुल भिन्न है जिन्हें जैसा इसमें उपर कहा गया है विभिन्न तिथियों पर इस न्यायालय द्वारा दंडादेश के निलंबन का रियायत प्रदान किया गया था और वह जमानत पर रिहा किए जाने योग्य नहीं है।

7. वर्तमान आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। तद्नुसार आदेशित किया गया।

8. वर्तमान अपील एवं अन्य संबंधित अपील अपनी पारी आने पर सुनवाई के लिए रखी जाएँ।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

राजेश्वरी शर्मा (जांगीर)

cuke

दुर्गा देवी जांगीर एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 5972 of 2015. Decided on 19th July, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 151—वादी का साक्ष्य पुनः खोला जाना—यदि साक्ष्य पूरा करने एवं तर्कों को सुनने के बीच अंतर है, यदि पक्ष को कुछ साक्ष्य मिलता है जिसे वह पहले नहीं पा सका था, न्यायालय ऐसे साक्ष्य की प्रस्तुती की अनुमति देने की बाध्यता के अधीन है—वर्तमान में, मामला ऐसा नहीं है कि सम्यक् तत्परता के बाद भी वादी दो गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका था—उनके नाम भी गवाहों की सूची में उद्धृत नहीं किए गए थे—अस्वीकरण का आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.—Ms. Pooja Kumari. For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

वादी याची ने इस रिट याचिका को दाखिल करके अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 7 वर्ष 2011 में विद्वान सिविल न्यायाधीश (सिनियर डिविजन III), चाइबासा द्वारा पारित दिनांक 15.10.2015 के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है, जिसके द्वारा वादी द्वारा वादी के साक्ष्य को पुन: खोलने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में ''संहिता'') की धारा 151 के अधीन दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. वाद पत्र में यथा अभिवचनित मामले के तथ्य हैं कि वादी के दादा स्वर्गीय मगराज जांगीर, जो राजस्थान में नवलगढ़ से प्रवास करके चाइबासा में आ बसा, के नौ पुत्र एवं दो पुत्रियाँ थी। नौ पुत्रों में से रतनलाल जांगीर तीसरा और मोहन लाल जांगीर पाँचवाँ पुत्र था। रतन लाल जांगीर नि:संतान था। उसने

छोटे भाई मोहन लाल जांगीर की एक पुत्री जब वह एक वर्ष की थी को गोद लिया था जो वाद की वादी है। एक संक्षिप्त समारोह में मोहन लाल जांगीर और उसकी पत्नी ने सामाजिक रीति-रिवाजों का पालन करने के बाद नवम्बर, 1974 में रतन लाल जांगीर एवं उसकी पत्नी दुर्गा देवी जांगीर जो प्रतिवादी सं॰1 है को गोद में दिया। दत्तक ग्रहण की तिथि के बाद से वादी रतन लाल जांगीर एवं प्रतिवादी सं॰ 1 की पुत्री बन गयी। विद्यालय रजिस्टर में रतन लाल जांगीर का नाम पिता के कॉलम में प्रविष्ट किया गया था।

उक्त गोद लेनेवाले पिता रतन लाल जांगीर ने अपने जीवनकाल के दौरान अपनी आमदनी के माध्यम से भूमि का दो टुकड़ा खरीदा था जिनका विवरण वाद पत्र के नीचे की अनुसूची के आइटम सं॰ 1 एवं आइटम सं॰ 2 में दिया गया है। किंतु, आइटम सं॰ 1 में उल्लिखित संपत्ति रतन लाल जांगीर द्वारा अपनी पत्नी प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं॰ 1 के नाम में खरीदी गयी थी। उक्त भूखंड पर, (आइटम सं॰ 1), रतन लाल जांगीर ने पक्का घर बनाया और उस घर में रहने लगा किंतु चूंकि वह अपने व्यवसाय में स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था, उसने व्यवसाय में सहायता करने के लिए प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं॰ 2 राजकुमार जांगीर को लाया जो प्रतिवादी सं॰ 1 की बहन का पुत्र था। दिनांक 17 फरवरी, 1991 को उसके दत्तक पिता रतन लाल जांगीर ने वादी का विवाह किया, जिसके बाद वह अपने दांपत्य गृह आयी।

आगे अभिवचन यह है कि रतन लाल जांगीर की मृत्यु के तुरन्त वाद प्रतिवादी सं॰ 2 वाद संपत्तियों को बेचने के लिए विभिन्न व्यक्तियों से बातचीत करने लगा। वादी ने भी अपनी माता प्रतिवादी सं॰ 1 को प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं॰ 2 को उसके साथ दीर्घकालिक संबंध पर विचार करते हुए वाद संपत्ति में 1/3 हिस्सा देने के लिए आश्वस्त किया यद्यपि वह किसी हिस्सा का हकदार नहीं था। इसी प्रकार से, वादी ने अपना भी 1/3 हिस्सा मांगा किंतु चूँकि प्रतिवादियों ने उसको कोई हिस्सा देने से इनकार कर दिया, वाद दाखिल किया गया था।

4. प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण वाद में अपनी उपस्थिति के बाद, संयुक्त लिखित कथन दाखिल किया और अभिवचन किया कि चूँकि वाद संपत्ति प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा स्वयं अपने नाम में दिनांक 27.2.1969 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा अर्जित की गयी थी, स्वयं वाद बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के अधीन वर्जित है और आगे अभिवचन किया कि प्रतिवादी सं॰ 1 को अभिधृति के प्रबंधन में उसके पति तथा उसके पुत्र प्रतिवादी सं॰ 2 द्वारा सहायता दी जाती थी और वादी ने स्वयं को गलत रूप से रतन लाल जांगीर की पुत्री के रूप में वर्णित किया है। रतन लाल जांगीर द्वारा उसको गोद कभी नहीं लिया गया था जैसा दावा उसके द्वारा वादपत्र में किया गया है और दत्तक ग्रहण का अभिवचन बिलकुल झूठ है, इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त बिंदु की दृष्टि में प्रतिवादी प्रत्यर्थियों के संपूर्ण अभिवचन का वर्णन करना यहां आवश्यक नहीं है।

5. विवाद्यक विरचित करने के बाद, दोनों पक्षों ने अपना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया और, तत्पश्चात वाद तर्क के लिए अग्रसर हुआ। प्रतिवादी के तर्क के समापन पर, वादी के तर्क के लिए वाद नियत किया गया था किंतु वादी ने अपने नैसर्गिक माता-पिता का परीक्षण करने के लिए उसको सक्षम बनाने के लिए वादी का साक्ष्य पुनः खोलने के लिए संहिता की धारा 151 के अधीन याचिका दाखिल किया।

6. अवर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इस याचिका की दाखिली के पीछे वादी का आशय केवल मामले का निपटान विलम्बित करना है, याचिका अस्वीकार कर दिया और उसको तर्क समाप्त करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, वादी याची ने इस रिट याचिका को दाखिल किया है।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का विधि में दोषपूर्ण तथा विकृत के रूप में विरोध करते हुए गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि संहिता की धारा 151 के अधीन याची द्वारा

दाखिल याचिका अस्वीकार करने में अवर न्यायालय ने गलती किया यद्यपि न्याय के हित में और इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यकों के समुचित न्यायनिर्णयन के लिए उसके दत्तक ग्रहण की वास्तविकता सिद्ध करने के लिए वादी याची के नैसर्गिक माता–पिता का परीक्षण आवश्यक था। यह निवेदन भी किया गया था कि मात्र इस आधार पर कि याचिका विलंबित चरण पर दाखिल की गयी थी। वादी के साक्ष्य को पुनः खोलने की प्रार्थना अस्वीकार नहीं की जा सकती है।

8. मैंने वाद पत्र एवं लिखित कथन जिन्हें रिट आवेदन के साथ दाखिल किया गया है का परिशीलन किया है और आक्षेपित आदेश का परीक्षण किया है और मैं पाता हूँ कि अवर न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थियों द्वारा तर्क के दौरान विवाद्यक उठाया गया था कि नैसर्गिक माता–पिता जिन्होंने वादी को दत्तक ग्रहण में दिया था का परीक्षण नहीं किया गया है, केवल तत्पश्चात वादी का साक्ष्य पुनः खोलने के लिए संहिता की धारा 151 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। प्रकटतः, प्रतिवादी पक्ष तर्क बंद होने के बाद लोप एवं कमी को भरने के लिए उक्त याचिका दाखिल की गयी थी। वादी के नैसर्गिक माता–पिता को वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों की सूची में गवाह के रूप में उद्धृत भी कभी नहीं किया गया था। वादी के अंतिम गवाह का परीक्षण दिनांक 24.4.2014 को किया गया था और वादी की प्रार्थना पर, उसका साक्ष्य दिनांक 5.5.2014 को बंद किया गया था। तत्पश्चात, प्रतिवादियों के लिए मामला रखा गया था। प्रतिवादियों ने दिनांक 22.6.2015 को अपना साक्ष्य बंद किया और मामला तर्क के लिए रखा गया था। उनके तर्क के समापन के बाद, उक्त याचिका दाखिल की गयी थी।

9. संहिता के आदेश XVIII नियम 17 न्यायालय को किसी गवाह जिसका पहले ही परीक्षण किया गया है को किसी चरण पर वापस बुलाने के लिए सक्षम बनता है किंतु उक्त शक्ति साक्ष्य में लोप अथवा कमी भरने के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित नहीं है। शक्ति स्वविवेकी है और केवल समुचित मामलों में किफायत से उपयोग किया जाना चाहिए जिसका अर्थ है केवल किसी संदेह जो इसे पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य के संबंध में हो सकता है को स्पष्ट करने के लिए गवाह जिसका परीक्षण पहले ही किया जा चुका है को वापस बुलाना। आगे गवाहों के मुख्य परीक्षण अथवा प्रतिपरीक्षण के प्रयोजन से साक्ष्य पुनः खोलने के लिए पक्षकार को सक्षम बनाने हेतु संहिता में विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है। संहिता की धारा 151 प्रावधानित करती है कि संहिता की कोई भी बात ऐसे आदेशों जो न्याय के उद्देश्य के लिए अथवा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, को पारित करने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। स्पष्टतः, साक्ष्य खोलने के लिए किसी विनिर्दिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, समुचित मामलों में संहिता की धारा 151 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का अवलंब किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 18 नियम 17A में पहले से अज्ञात साक्ष्य अथवा साक्ष्य जिसे सम्यक तत्परता के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया जा सका था की प्रस्तुती के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान था किंतु बाद में वर्ष 2002 में उक्त प्रावधान इसके दुरूपयोग के कारण विलोपित किया गया था।

10. संहिता के प्रावधान दोनों पक्षों के साक्ष्य के समापन के बाद तुरन्त तर्क सुनने की उम्मीद विचारण न्यायालय से करती है। निःसंदेह, यदि साक्ष्य के समापन और किसी भी कारण से तर्क की सुनवाई के बीच अंतराल है, और किसी पक्षकार को कुछ साक्ष्य मिलता है जिसे वह पहले नहीं पा सका था, पक्ष को न्यायालय के पास आने की छूट है और न्यायालय संहिता की धारा 151 के अधीन शक्ति के प्रयोग में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने की बाध्यता के अधीन था किंतु वर्तमान मामले में वादी ने अपने नैसर्गिक माता–पिता का परीक्षण करने का प्रयास कभी नहीं किया। मामला यह नहीं है कि सम्यक

तत्परता के बाद भी वह दोनों गवाहों को प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। उनके नाम भी वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों की सूची में उद्धृत नहीं किए गए थे। वादी यह नहीं कह सकती थी कि उसे कुछ साक्ष्य मिला है जिसे वह पहले नहीं पा सकी थी।

11. अत: उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में मैं समझता हूँ कि यह संहिता की धारा 151 के अधीन न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के लिए सुयोग्य मामला नहीं है। ऐसा नही है कि अवर न्यायालय ने यंत्रवत आक्षेपित आदेश पारित किया है मेरे मत में, अवर न्यायालय ने समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए सही प्रकार से वादी का साक्ष्य पुन: खोलने की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया है। अत:, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई तर्क संगत आधार नहीं पाता हूँ।

12. तद्नुसार, यह रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

कालीपद महतो

cuke

बबी महतेन एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 4650 of 2015. Decided on 29th July, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 26. नियम 9 सह-पठित धारा 151—प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति—संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री इप्सित करने वाला वाद—स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति का उद्देश्य साक्ष्य संग्रहित नहीं करना है जिसे न्यायालय में दिया जा सकता है—आयुक्त इस प्रश्न को विनिश्चित करने की अवस्था में नहीं होगा कि संपत्ति किसके कब्जा में है—न्यायालय को पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर मामला विनिश्चित करना होगा—अवर न्यायालय ने सही प्रकार से याची की प्रार्थना अस्वीकार किया है चूँकि अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया है और इसे दो विवाद्यकों पर विचार करने के लिए पर्याप्त पाया है—रिट आवेदन खारिज। (पैराएँ 9 से 11)

निर्णयज विधि.—2011 (4) JCR 316; 2011 (2) JLJR 38—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. A.K. Sahani, For the Appellants; Mr. Jitendra Tripathi, For the Respondent.

आर॰ एन॰ वर्मा, न्यायमूर्ति.—वादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह रिट आवेदन अभिधान वाद सं॰ 47 वर्ष 2007 में विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) बोकारो द्वारा पारित दिनांक 13.4.2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल किया है, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश 26 नियम 9 सहपठित धारा 151 के अधीन प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए वादी द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दिया गया है।

2. वादी याची की प्रेरणा पर, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के डिक्री के लिए और वाद भूमि के उपर कब्जा की संपुष्टि के लिए और आगे वाद पत्र के नीचे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख शेष प्रतिफल राशि लाने के बाद निष्पादित करने में निर्देश के लिए वाद दाखिल किया गया था।

3. वादी का अभिवचन यह है कि पी॰ एस॰ चंदनक्यारी के अंतर्गत मौजा कालियादाग में अवस्थित 23 डिसमिल माप वाली सी॰ एस॰ भूखंड सं॰ 827 एवं 828 वाली प्रश्नगत संपत्ति प्रतिवादी सं॰ 1 की है

जिसने दिनांक 18.12.1987 तथा दिनांक 28.6.2002 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के फलस्वरूप वाद संपत्ति अर्जित किया था। उक्त प्रतिवादी सं॰ 1 ने वादी के पिता को 52,000/- रुपयों की कुल प्रतिफल राशि पर उक्त भूमि को बेचने का प्रस्ताव दिया जिसे वादी के पिता द्वारा स्वीकार किया गया था। प्रतिवादी सं॰ 1 ने वादी से 30,000/- रुपया अग्रिम लिया और 22,000/- रुपयों की शेष प्रतिफल राशि पाने के बाद विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ। तद्नुसार, विक्रय के निबंधनों एवं शर्तों को सम्मिलित करने वाला गैर रजिस्टर्ड करार विलेख निष्पादित किया गया था। अग्रिम धन लेने के बाद वादी को कब्जा भी दिया गया था और तब से वादी काबिज बना हुआ है।

4. मई, 2007 में, प्रतिवादी सं॰ 2 ने गाँव में तथ्य प्रकट किया कि उसने प्रतिवादी सं॰ 1 से वाद संपत्ति खरीदा है और जाँच के बाद वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी सं॰ 1 ने वाद संपत्ति के संबंध में दिनांक 11.8.2005 को प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया है। किंतु प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन के बावजूद, वादी वादभूमि पर काबिज बना हुआ है। चूँकि विक्रय विलेख करार के भंग में निष्पादित किया गया था, वर्तमान वाद उक्त उपदर्शित अनुतोष के लिए दाखिल किया गया था।

5. उपस्थिति के बाद, प्रतिवादी सं॰ 1 वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 1 ने वादी के पक्ष में किसी अरजिस्टर्ड करार विलेख के निष्पादन और करार के अनुसरण में वाद संपत्ति का कब्जा सौंपने से पूरी तरह इनकार करते हुए लिखित कथन दाखिल किया।

प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं॰ 1 से संपूर्ण अभिवचन पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

6. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के गवाहों को बंद करने के बाद मामला अंतिम तर्क के लिए नियत किया गया था। प्रतिवादी के तर्क के समापन के बाद वादी की ओर से तर्क के लिए मामला रखा गया था। तर्क के क्रम के दौरान, वादी ने संहिता के आदेश 26 नियम 9 सहपठित धारा 151 के अधीन याचिका दाखिल किया। अवर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह अभिनिर्धारित करते हुए कि याचिका अनुज्ञात करना इस विलंबित चरण पर वादी की ओर से साक्ष्य संग्रहित करने के तुल्य होगा, आक्षेपित आदेश द्वारा प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। अत: यह रिट आवेदन दाखिल किया गया है।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री॰ ए॰ के॰ साहनी ने आक्षेपित आदेश का विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि संहिता के आदेश 26 नियम 9 के कोरे परिशीलन से यह प्रतीत होगा कि वाद के किसी चरण पर प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अवर न्यायालय ने विधि के प्रावधानों पर विचार किए बिना मात्र इस आधार पर कि ऐसे विलंबित चरण पर उक्त याचिका अनुज्ञात नहीं की जा सकती है उक्त याचिका अस्वीकार करने में गलती किया। यह निवेदन भी किया गया था कि अवर न्यायालय ने विवाद्यक सं॰ 9 पर विचार नहीं करने में भी गलती किया जो कब्जा अथवा भूमि का दर्जा अभिनिश्चित करने से संबंधित विवाद से संबंधित है क्योंकि पक्षों के बीच विवाद के समुचित न्यायनिर्णयन के लिए ऐसा स्थानीय अन्वेषण आवश्यक था। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **कमल किशोर प्रधान बनाम नेट्रो प्रधान एवं 'अन्य', 2011(4) JCR 316** और **''गोबिन्द साहू बनाम बैजनाथ साहू एवं अन्य'',** 2011(2) JLJR 38 में निर्णयों पर विश्वास किया है।

8. मैंने आक्षेपित आदेश, संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अधीन वादी द्वारा दाखिल याचिका,

प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं॰ 1 की प्रेरणा पर दाखिल प्रत्युत्तर तथा अधिवक्ता द्वारा उद्धृत उक्त निर्णयों का परिशीलन किया है। अवर न्यायालय द्वारा विरचित प्रासंगिक विवाद्यक सं॰ VIII एवं IX निम्नलिखित है:-

> ***^^fookn|d lÂ0 VIII.****–D;k çfroknh lÂ0 1 u okfnh l 30,000/- (rhl gtkj) #i;k vfxze d :i e çkIr fd;k g vkj okn lifÙk cpu d fy, fnukd 26.12.2014 dk xj jftLVMZ djkj foy[k fu"ikfnr fd;k g*
>
> ***fookn|d lÂ0 IX.****—D;k çfroknh lÂ0 1 u okfnh dk okn Hkfe dk dCtk lkik g***

9. यह सुनिश्चित है कि प्लीडर कमिश्नर नियुक्त करके स्थानीय अन्वेषण करने का उद्देश्य साक्ष्य संग्रहित नहीं करना है जिसे न्यायालय में दिया जा सकता है। कमिश्नर यह प्रश्न विनिश्चित करने की अवस्था में नहीं होगा कि संपत्ति किसके कब्जा में है। न्यायालय को पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य अथवा अभिलेख पर पहले से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामला विनिश्चित करना होगा।

10. प्रकटत: वर्तमान मामले में, दोनों पक्षों ने साक्ष्य दिया है और इसे बंद करने के बाद प्रतिवादी ने अपना तर्क पूरा किया है। अब मामले पर तर्क करने की बारी वादी की है जब प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए पूर्वोक्त याचिका दाखिल की गयी थी। स्पष्टत:, इसे केवल साक्ष्य में कमी भरने के लिए और साक्ष्य को छानने के लिए दाखिल किया गया है जिसे अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। अत:, विवादित मामले के रहस्य से पर्दा उठाने अथवा आगे बढ़ाने के लिए प्लीडर कमिश्नर नियुक्त करना आवश्यक नहीं है। अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया है और इसे दोनों विवाद्यकों पर विचार करने के लिए पर्याप्त पाया है तथा याची की प्रार्थना उचित प्रकार से अस्वीकार कर दिया है। याची के विद्वान अधिवक्ता श्री साहनी ने आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई तर्क संगत आधार अथवा तर्कपूर्ण कारण इंगित नहीं किया है।

11. तद्नुसार, यह रिट आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh ,o Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efrx.k

फेबियानस बेक

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1205 of 2006. Decided on 27th June, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 150 वर्ष 1988 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 29 जून, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 30 जून, 2006 के दंडादेश के विरूद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या—दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील—जब चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है, अन्वेषण अधिकारी के गैरपरीक्षण ने बचाव को अत्यन्त प्रतिकूलता कारित किया है और यह अभियोजन के लिए घातक है—प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब के लिए स्पष्टीकरण नहीं है—मात्र संदेह पर किसी व्यक्ति को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त।

(पैराएँ 18, 20 एवं 21)

(ख) दांडिक विधि—साक्ष्य का अधिमूल्यन—बाल गवाह—बाल गवाह का साक्ष्य अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं अत्यधिक चौकसी के साथ मूल्यांकित करना होगा—इस पर विश्वास किए जाने के पहले बाल गवाह के साक्ष्य को पर्याप्त संपुष्टि पानी होगी—यदि अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्य द्वारा इसे विश्वसनीय पाया जाता है और संपुष्ट किया गया है, इसे नि:संकोच स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (पैरा 19)

निर्णयज विधि.—(2014) 5 SCC 389—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s K.S. Nanda & Zafar Alam, For the Appellant; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

न्यायालय द्वारा.—यह दांडिक अपील सत्र विचारण सं॰ 150 वर्ष 1988 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 29 जून, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा 30 जून, 2006 के दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोपों का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास भुगतने तथा 500/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने तथा इसके व्यतिक्रम में छह माह का सामान्य कारावास आगे भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 4.4.1988 को सूचक अपने साढू फ्रांसिस बेक के घर गया जो उसे और एक सहग्रामीण रिमुन मिंज को भाकुर खरिया (अ॰ सा॰ 4) के घर ले गया। यह प्रकट किया गया है कि मृतक बार्तोलमी बेक तीन अन्य अर्थात बिनोद, अलेक्जैंडर एवं बिनोद के एक मित्र के साथ भाकुर (अ॰ सा॰ 4) के घर में पहले से हड़िया (शराब) पी रहा था। सूचक और उसके साथी भी शामिल हुए। आगे यह अभिकथित किया गया है कि चर्चा के दौरान, मृतक फ्रैंसिस बेक ने बिनोद को दो मुक्का मारा जिसके बाद बिनोद उस जगह से चला गया और गाँव की ओर गया। कुछ समय बाद वे भी अपने घर के लिए उस जगह से चले गए, किंतु रास्ते में बिनोद उनकी ओर दौड़ता हुआ आया और वह अपने हाथ में तबला लिए था। सूचक खतरा भाँप कर भागने लगा। तत्पश्चात्, विनोद तबला से मृतक (फ्रैंसिस बेक) पर प्रहार करने लगा। गाँव पहुँचने के बाद, सूचक ने हल्ला किया और तब वह गाँववालों के साथ पुन: घटना स्थल पर गया, जहाँ उसने तबला द्वारा काटा गया मृतक (फ्रैंसिस बेक) का गर्दन देखा और यह भी देखा कि बारतोल्मी बेक (मृतक फ्रैंसिस बेक के भाई) का मुख, मस्तक एवं गला कटा हुआ था और दोनों मृत थे। सूचक यह जानने पर कि बालक डबलू भी गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल ले जाया गया था, अस्पताल गया। सूचक ने संदेह किया है कि उक्त बिनोद ने अपने पूर्वोक्त दो मित्रों की मदद से घटना किया होगा। पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, बिनोद एवं दो अज्ञात लोगों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और अन्वेषण पूरा करने के बाद अभियुक्तों बिनोद खाखा एवं वर्तमान अपीलार्थी फेबियानस बेक के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया था। किंतु, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुमला ने दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओ 302, 307 एवं 326/34 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया। सुपुर्दगी के बाद, आरोप विरचित किए गए थे जिन्हें हिंदी में अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया।

बचाव विवरण अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों से पूर्ण इनकार का है।

3. अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने डॉक्टर (अ॰सा॰ 8) जिन्होंने मृतकों के मृत शरीरों का शव परीक्षण किया सहित कुल दस गवाहों का परीक्षण किया है। बचाव ने भी

दो गवाहों का परीक्षण किया है। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन करने के बाद और गवाहों के साक्ष्य पर विचार करते हुए वर्तमान अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है और उसे आजीवन कठोर कारावास भुगतने का तथा 500/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने तथा इसके व्यतिक्रम में छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

4. अ॰ सा॰ 1 (सूचक) एवं अ॰ सा॰ 7, जो बाल गवाह है, के साक्ष्य को आधार बनाते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय का विरोध किया है:–

(I) vUo"k.k vfèkdkjh }kjk ijh{kk igpku ijM ugh fd;k x;k Fkk] D;kfd çkFkfedh ,d ukfer vfHk;Dr vFkkr fcukn ,o nk vKkr 0;fDr;k d fo:) nt dh x;h Fkh(

(II) v0 lk0 1, lpd igyh ckj e] vFkkr fnukd 26.4.1989 dk oreku vihykFkh dk geykoj d :i e igpku ugh ldk Fkk vkj doy fnukd 11.5.1989 dk tc ekeyk vkx ijh{k.k d fy, LFkfxr Fkk] og dV?kj e vfHk;Dr dk igpku ldk FkkA bld vfrfjDr] og erdk dk lgxkeh.k ugh g vkj v0 lk0 1 d lk{; e rkfRod fojkèkkHkk l gku d dkj.k og fo'oluh; xokg ugh g(

(III) v0 lk0 7 tkIQ cd mQ Mcy cky xokg g ft ldh vk; n0 ç0 l0 dh èkkjk 161 d vèkhu nt c;ku e 4 o"k mfYyf[kr dh x;h gA bl xokg u Lo; dFku fd;k g fd og viu firk d lkFk viu ?kj ykVr g, viu pkpk dh xkn e FkkA

bl çdkj] ;g lLi"V g fd v0 lk0 7 cky xokg g] vkj ;|fi fopkj.k U;k;ky; u ml çHkko dk çek.ki= fn;k Fkk fdr mldh ijh{kk dHkh ugh fd;k gA bl xokg u dFku fd;k g fd ?kVuk d fnu ij og viu firk vkj pkpk d lkFk gfM;k ihu f[kjk [kkM x;k Fkk tgk vihykFkh lfgr vU; 0;fDr Hkh gfM;k ih jg FkA ml u vkx dFku fd;k g fd viu firk ,o pkpk d lkFk ?kj ykVr g, bl vihykFkh u Vkxh l ml d pkpk ij çgkj fd;k vkj ml lh lkl e ml u dFku fd;k g fd vihykFkh }kjk ml ij Hkh Vkxh l çgkj fd;k x;k FkkA fdr] vfHk;ktu }kjk bl cky xokg vFkkr v0 lk0 7 dh migfr fjikV çLrr ugh fd;k x;k g(

(IV) bl ekey e vUo"k.k vfèkdkjh dk ijh{k.k ugh fd;k x;k g vkj bl çdkj] vUo"k.k vfèkdkjh d xj ijh{k.k u cpko ij vR;fèkd çfrdyrk dkfjr fd;k g D;kfd oreku ekey e ?kVuk LFky fl) ugh fd;k x;k gA

5. समानांतर स्तंभ में, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवादों का जोरदार विरोध किया है और निवेदन किया है कि इस अपीलार्थी को पूर्वोक्त अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए उसके विरूद्ध निर्णायक साक्ष्य हैं। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 7 का साक्ष्य स्पष्ट है क्योंकि बाल गवाह अ॰ सा॰ 7 ने विनिर्दिष्टत: अभियुक्त द्वारा निभायी गयी भूमिका का उल्लेख किया है और उसे न्यायालय द्वारा परिसाक्षित एवं प्रमाणपत्रित किया गया था। इस बाल गवाह द्वारा मामले में कोई सुधार नहीं किया गया है और अभियुक्त द्वारा अपराध की कारिता में प्रयुक्त हथियार के बारे में कोई विवाद है और डॉक्टर जिन्होंने मृतकों के मृत शरीरों का शव परीक्षण किया ने भी हथियार को टांगी जैसे तेज धारवाले हथियार बतला के रूप में वर्णित किया है।

पूर्वोक्त निवेदनों के आधार पर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में दुर्बलता नहीं होने के नाते, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी परिशीलन किया है।

7. अ॰ सा॰ 1 (रमेश तिर्की), मृतक का संबंधी, इस मामले का सूचक है जिसने दिनांक 26.4.1989 को दर्ज अपने अभिसाक्ष्य में एक चरण पर कथन किया है कि वह बार्तोल्मी बेक, फ्रैंसिस बेक एवं डब्लू के साथ शराब पीने के बाद पतरा टोली लौट रहा था। रास्ते में, उसने एक व्यक्ति को लाठी लिए अपने पीछे आते देखा। फ्रैंसिस ने उक्त व्यक्ति को दो मुक्का मारा जिस पर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और आगे चला गया। तत्पश्चात्, एक व्यक्ति झाड़ी से बाहर आया और तबला से फ्रैंसिस पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया। उक्त व्यक्ति ने उसका पीछा भी किया, किंतु वह भाग गया। इस गवाह ने स्वीकार किया है कि इन दो व्यक्तियों जो कटघरा में थे में से कोई भी फ्रैंसिस की हत्या करने में अंतर्ग्रस्त नहीं था। तत्पश्चात्, इस गवाह ने आगे दिनांक 11.5.1989 को दर्ज अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि व्यक्ति जो उनके पीछे अपने हाथ में लाठी लिए आ रहा था ने तबला से फ्रैंसिस पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। इस गवाह ने फेबिनस बेक (अपीलार्थी) जो कटघरा में था की ओर इंगित करते हुए कथन किया है कि यही वह व्यक्ति है जिसने तबला से फ्रैंसिस की हत्या की है। उसने आगे कथन किया है कि दिनांक 26.4.1989 को उसने भय के कारण अभियुक्त फेबियानस बेक की पहचान नहीं की थी यद्यपि वह न्यायालय में उपस्थित था। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि यद्यपि सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो गया था किंतु वह अभियुक्त अपीलार्थी को पहचान सका था क्योंकि उसने उसके साथ मदिरा सेवन किया था। उसने आगे कथन किया है कि उसने बार्तोल्मी पर प्रहार होते नहीं देखा था।

8. अ॰ सा॰ 2 रेमन मिंज अनुश्रुत गवाह है, जिसने केवल कटघरा में मौजूद दोनों अभियुक्तों को पहचाना था।

9. अ॰ सा॰ 3 लिनस एक्का है जिसने कथन किया है कि जब वह दैनिक कर्म से निबटने बाहर गया, उसने बालक का रोना सुना और जब वह वहाँ पहुँचा, उसने दो व्यक्तियों को मृत और बालक को घायल दशा में देखा, जिसे वह अपने घर में लाया जहाँ उसकी पत्नी ने उसको बार्तोल्मी के पुत्र के रूप में पहचाना।

10. अ॰ सा॰ 4 भाकुर खरिया हड़िया विक्रेता है जिसने कथन किया है कि दोनों मृतकों सहित 7-8 लोग घटना के दिन पर हड़िया पी रहे थे और मृतक के साथ एक छोटा लड़का भी था। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि वह (अपीलार्थी) फेबियानस को चेहरा से पहचानता है।

11. अ॰ सा॰ 5 कृपा मिंज अनुश्रुत गवाह है जो अ॰ सा॰ 7 जोसेफ बेक उर्फ डब्लू की माता और मृतक बार्तोल्मी की विधवा है। इस गवाह ने कथन किया है कि अपने पति एवं देवर/जेठ की हत्या के बारे में सूचना पाने पर वह फ्रैंसिस की पत्नी के साथ घटना स्थल पर गयी। उसने आगे कथन किया है कि उसे घटना के बारे में किसी ज्योति प्रकाश द्वारा सूचित किया गया था।

12. अ॰ सा॰ 6 भवन लोहरा ने प्रदर्श 1 एवं 1/1 के रूप में चिन्हित दोनों मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है।

13. अ॰ सा॰ 7 जोसेफ बेक उर्फ डबलू बाल गवाह है, जिसका न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया था और यह प्रमाणित किया गया था कि वह प्रश्न उत्तर समझता है। किंतु, उसे परिसाक्ष्यित करने के लिए

विनिर्दिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था और इसके अतिरिक्त जब उससे विनिर्दिष्ट प्रश्न किया गया था कि उसकी आयु क्या थी, उसने विनिर्दिष्टत: कथन किया कि वह अपनी सटीक आयु नहीं बता सकता है किंतु न्यायालय ने उसकी आयु दस वर्ष निर्धारित किया। इस चश्मदीद गवाह ने कथन किया है कि जब वह अपने पिता एवं चाचा के साथ लौट रहा था, वर्तमान अपीलार्थी फेबियानस बेक ने उसके चाचा पर बलिया से वार किया जिस कारण वह गिर गया। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी ने ही उसके पिता की हत्या की और अपीलार्थी ने उस पर भी प्रहार किया था और यह गवाह अपनी पीठ पर मौजूद उपहति का निशान दिखाता है।

14. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ चंद्रभूषण डॉक्टर है जिसने मृतकों के मृत शरीरों का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया:–

erd Ýfl l cd d 'kjhj ij ik;h x;h migfr;k

(i) dku d fiUuk d Bhd mij flj dh [kky d ck, Hkkx ij cu rd xgjk 4 cm x 3 cm x 3 cm dh rt èkkjnkj gfFk;kj l migfrA

(ii) ck;h vkj ijkbVy vfLFk ij 2 cm x 2 cm x vfLFk rd xgjh dVu dh migfrA

(iii) e:nM dh migfr dh vkj y tku oky NBh ,o lkroh lokbdy cVhck dh dVu dh migfr xnu dh leLr ekl if'k;k ij ck;h vkj dVu dh migfr FkhA

migfr l0 1 d foPNnu dju ij MkDVj u flj dh [kky dh gMMh ij rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dh migfr ik;k tk cu rd xgjh Fkh ,o e:nM dh migfr FkhA

MkDVj d er e] eR; migfr l0 (i) d dkj.k rjUr gb Fkh tk çÑfr d lkekU; vuØe e eR; dkfjr dju d fy, i;kIr FkhA

leLr migfr;k rcyk t l rt èkkjoky gfFk;kj }kjk dkfjr dh x;h FkhA

erd ckFkyksh cd d 'kjhj ij ik;h x;h migfr;k

(i) ck;h vkj d ijkbVy vfLFk dh rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dh migfr FkhA vkdkj 3 cm x 2 cm x 2 cm, cu rd xgjkA cu MeTM Fkk vkj [kkiMh dh migfr LFky ij [ku dk tek FkDdk ik;k x;k FkkA

(ii) e:nM d udlku dh vkj y tku oky ck;h vkj dh igyh ,o nljh Fkkjfld cVhck dh rt rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dh migfrA

(iii) dB rFkk 'okl uyh Hkh rt èkkjnkj gfFk;kj l dV Fk rFkk vkgkjuyh rd fonh.krk Fkh tk ck;h vkj mij dh leLr ljpukvk lfgr dVk gvk FkkA

MkDVj d er e] eR; migfr l0 (i) ,o (iii) d dkj.k dkfjr gb FkhA nkuk migfr;k vFkkr migfr l0 (i) ,o (iii) vdy ;k l;Dr :i l eR; dkfjr dju d fy, i;kIr FkhA eR; d le; l 18 ?kVk chr pdk FkkA

mDr migfr;k rcyk t l rt èkkjoky gfFk;kj }kjk dkfjr dh x;h FkhA

15. अ॰ सा॰ 9 मुनु सिंह अधिवक्ता लिपिक है जिसने प्रदर्श 7 के रूप में चिन्हित औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है।

16. बचाव पक्ष द्वारा दो गवाहों का परीक्षण किया गया था। उनमें से एक, ब॰ सा॰ 1 शशिकांत झा ने कथन किया है कि घटना के समय अ॰ सा॰ 7 की आयु साढ़े तीन वर्ष थी और इस अपीलार्थी को परिवार के बीच भूमि विवाद के कारण झूठा आलिप्त किया गया है। ब॰ सा॰ 2 जकारियस कुजुर है, जिसने भी परिवार के बीच भूमि विवाद के कारण अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किए जाने का कथन किया है।

17. संपूर्ण साक्ष्य के छानबीन से, यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 1 मृतक का साला/बहनोई है, जो पहली बार दिनांक 26.4.1989 को अभियुक्त अपीलार्थी को पहचान नहीं सका था और 15 दिनों के अंतराल के बाद जब पुन: दिनांक 11.5.1989 को उसका परीक्षण किया गया था, वह अभियुक्त अपीलार्थी को पहचान सका था और तद्द्वारा अपने विवरण में सुधार किया। इस प्रकार, इस गवाह के आचरण से प्रतीत होता है कि वह विश्वसनीय गवाह नहीं है।

अ॰ सा॰ 5 कृपा मिंज जो मृतक बार्तोल्मी की विधवा एवं जोसेफ बेक उर्फ डब्लू की माता है ने कथन किया है कि उसने किसी ज्योति प्रकाश से घटना के बारे में सुना था, किंतु आश्चर्यजनक रूप से उक्त ज्योति प्रकाश का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है।

अ॰ सा॰ 7 जोसेफ बेक उर्फ डबलू बाल गवाह है। उसकी समझदारी के बारे में दंडाधिकारी द्वारा उसे परिसाक्ष्यित नहीं किया गया था किंतु यह प्रमाणित किया गया था कि वह प्रश्न-उत्तर समझ सकता है। अभियोजन द्वारा उस प्रभाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

आगे, अन्वेषण अधिकारी जिसका साक्ष्य घटना स्थल सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण है का परीक्षण वर्तमान मामले में नहीं किया गया है।

18. यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि जब चश्मदीद गवाहों (वर्तमान मामले में अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 7) के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं, अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा करना अभियोजन का कर्तव्य है जिसका सामना अभियुक्तों द्वारा अन्य गवाहों के बयान के साथ करवाया जा सकता है। इस प्रकार, अन्वेषण अधिकारी के अ-परीक्षण ने बचाव पर अत्यधिक प्रतिकूलता कारित किया है और यह अभियोजन के प्रति घातक है। इसके अतिरिक्त, घटना स्थल अ॰ सा॰ 4 भाकुर खरिया के घर में नहीं था जो हड़िया बेच रहा था। वस्तुत:, पुलिस घायल बाल गवाह को इलाज के लिए अस्पताल ले गयी किंतु उसका बयान दर्ज नहीं किया और उसी दिन प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गयी थी और न ही थाना डायरी में कोई प्रविष्टि की गयी थी। केवल अगले दिन, प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब का स्पष्टीकरण नहीं है।

19. जहाँ तक बाल गवाह के साक्ष्य का संबंध है, **राधे श्याम बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 5 SCC 389,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बाल गवाह का साक्ष्य अधिक सावधानीपूर्वक एवं अत्यन्त चौकसी के साथ मूल्यांकित करना होगा क्योंकि बालक जो अन्य उसको कहते हैं से आसानी से प्रभावित होता है और बाल गवाह पट्टी पढ़ाए जाने का आसान शिकार होता है। यह भी सुनिश्चित है कि बाल गवाह के साक्ष्य पर विश्वास किए जाने के पहले इसे पर्याप्त रूप से संपुष्ट किया जाना होगा। बाल गवाह के साक्ष्य को पट्टी पढ़ाने की संभावना दूर करने के लिए सूक्ष्म संवीक्षण के अध्यधीन करना होगा। इस पर विश्वास किया जा सकता है यदि न्यायालय पाता है कि बाल गवाह को शपथ की बाध्यता की पर्याप्त बुद्धिमत्ता एवं समझदारी है। सतर्कता के तौर पर, न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य का पर्याप्त संपुष्टि पाना होगा। यदि इसे अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्य द्वारा विश्वसनीय, सत्यपूर्ण एवं संपुष्ट किया गया पाया जाता है, इसे नि:संकोच स्वीकार किया जा सकता है।

20. इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को मान्य ठहराना मुश्किल है क्योंकि संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है।

21. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ

है। इस प्रकार, वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है और दिनांक 29 जून, 2006 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 30 जून, 2006 का दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जो कारा में है को तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

22. विचारण न्यायालय को भी वर्तमान अपील का परिणाम सूचित किया जाएगा।

---

ekuuh; vij'k dekj flg U;k;efr

एच॰ एन॰ परीक एण्ड कंपनी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3358 of 2016. Decided on 4th July, 2016.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948—धारा 45AA—कर्मचारी राज्य बीमा के बकायों की वसूली—अधिनियम की धारा 45A के अधीन निर्धारण के ऐसे किसी आदेश अथवा उसके अधीन आरंभ की गयी वसूली कार्यवाही के विरूद्ध 1948 अधिनियम की धारा 45AA के अधीन उपलब्ध वैकल्पिक सांविधिक उपचार उपस्थित है—याची को आवश्यक उपचार के लिए अपीलीय प्राधिकारी के पास भेजा गया। (पैराएँ 8 एवं 10)

अधिवक्तागण.—M/s V.P. Singh, Arun Kr. Singh, A.K. Das and Rashmi Kumar, For the Petitioner; Mr. Ashutosh Anand, For the ESIC; M/s Rajiv Anand, Shyam Narsaria, For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राँची (इसमें इसके बाद 'ई॰ एस॰ आई॰ सी॰' के रूप में निर्दिष्ट) के वसूली अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 14.6.2016 का आदेश वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है जिसके अधीन महाप्रबंधक (ई॰ आर॰, डब्लू॰ एण्ड सी॰ एस॰ आर॰) मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड (संविदाकार कोष्ठ), जमशेदपुर को इ॰ एस॰ आई॰ के बकाया की ओर याची के खाता से 1,64,69,615/- रुपयों की राशि माफ करने के लिए कहा गया है। वसूली अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 31.5.2016 का आदेश (परिशिष्ट 12) भी आक्षेपित किया गया है जो महाप्रबंधक (ई॰ आर॰, डब्ल्यू॰ एण्ड सी॰ एस॰ आर॰) मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड (संविदाकार कोष्ठ) को याची को कोई बिल देने से अवरूद्ध करता है। याची को संबोधित उसी दिन अर्थात दिनांक 31.5.2016 का आदेश (परिशिष्ट–10) भी आक्षेपित किया गया है जिसके अधीन उसे अवधि जुलाई, 2010 से मई, 2015 तक के लिए इ॰ एस॰ आई॰ बकाया और दिनांक 24.5.2016 तक ब्याज की ओर 1,64,46,460/- रुपयों की राशि की वसूली के लिए ई॰ एस॰ आई॰ सी॰ अधिकारियों द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रमाण पत्र कार्यवाही आरंभ करने के बारे में सूचित किया गया है।

3. अभिवचनों से सामने आने वाले तथ्यों की पृष्ठभूमि निम्नलिखित है: डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 6970 वर्ष 2006 में दिनांक 11.1.2007 के निर्णय (परिशिष्ट–1) के तहत इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी निगम को स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन एवं कोड नंबर के आवंटन के लिए याची की प्रार्थना पर पुनर्विचार करने और विधि के अनुरूप तार्किक आदेश पारित करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी झारखंड राज्य को अनुबंधित अवधि के भीतर सकारण आदेश पारित करके इस इ॰ एस॰ आई॰ अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट के लिए याची के आवेदन पर विचार करने का निर्देश भी जारी किया गया था। यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि याची के अभ्यावेदन पर अंतिम आदेश पारित किए जाने तक दिनांक

17.10.2006 के उसके आक्षेपित परिशिष्ट–7 में यथा अंतर्विष्ट राशि की वसूली के लिए याची के विरूद्ध प्रपीड़क कदम नहीं उठाया जाएगा, जिसके अधीन उसे नवम्बर, 2004 से आगे की अवधि के लिए 31,92,750/- रुपयों की राशि का कर्मचारी अंशदान का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 6970 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 11.1.2007 के उक्त निर्णय से व्यथित प्रत्यर्थी ई॰ एस॰ आई॰ सी॰ एवं अन्य द्वारा दाखिल एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 70 वर्ष 2007 में विद्वान खंड न्यायपीठ ने उसमें गुणागुण नहीं पाते हुए दिनांक 19.6.2008 के आदेश (परिशिष्ट–2) के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार किया। तत्पश्चात याची को स्वतंत्र कोड आवंटित किया गया था। दिनांक 26.5.2009 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा याची का छूट के लिए आवेदन अस्वीकार किया गया था। इसे डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 122 वर्ष 2010 में इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि अधिकारी जिसने याची को सुना था ने अंतिम आदेश पारित नहीं किया था बल्कि प्रधान सचिव ने छूट के लिए याची का आवेदन अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया था। उक्त रिट याचिका मामले को प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को तीन माह की अनुबंधित अवधि के भीतर विधि के अनुरूप पक्षों को सुनने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए प्रेषित करते हुए दिनांक 24.11.2011 के निर्णय (परिशिष्ट–9) के तहत दिनांक 26.5.2009 का अस्वीकरण आदेश अभिखंडित करते हुए निपटायी गयी थी।

4. जैसा पूरक शपथपत्र के माध्यम से याची के बयानों से स्पष्ट है, छूट आवेदन अर्थात पूर्व दो रिट याचिकाओं की विषयवस्तु दिनांक 31.10.2006 को दाखिल 2004 से 2006 की अवधि के लिए था। याची ने तत्पश्चात पूरक शपथपत्र के पैरा 12 में दिए गए बयान के मुताबिक 2007 से 2012 तक की अवधि के लिए दिनांक 17.9.2012 को और 2013 से 2016 तक की अवधि के लिए दिनांक 1.7.2016 को छूट आवेदन दाखिल किया। याची के विद्वान अधिवक्ता ने मामला बनाने का प्रयास किया है कि जब श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट आवेदन विनिश्चित नहीं किया गया है, प्रत्यर्थी निगम को जुलाई, 2010 से मई, 2015 तक की अवधि के लिए मांग उद्ग्रहित करने तथा इसकी वसूली इप्सित करने के लिए अग्रसर नहीं होना चाहिए था। तर्क किया गया था कि याची पर निर्धारण कार्यवाही में पर्याप्त नोटिस तामील नहीं किया गया था और वह बिल्कुल अंधकार में था। उस अर्थ में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। अतः, वसूली कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए वर्तमान रिट याचिका विधि में पोषणीय है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रभाव डालने का भी प्रयास किया है कि छूट आवेदन लंबित रहने तक परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध आदेश के तहत रिट न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया संरक्षण प्रभाव में प्रश्नगत ई॰ एस॰ आई॰ सी॰ बकाया की मांग की वसूली के मामले में कोई प्रपीड़क कदम उठाने से याची के पक्ष में प्रवर्तित होना चाहिए। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आई॰ ए॰ सं॰ 3998 वर्ष 2016 के माध्यम से ई॰ एस॰ आई॰ सी॰ के प्रतिशपथपत्र के परिशिष्ट B के रूप में अभिलेख पर लाए गए दिनांक 17.8.2015 के निर्धारण आदेश को चुनौती देना भी इप्सित किया है।

5. प्रत्यर्थी निगम के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रतिशपथपत्र के विषयवस्तु को निर्दिष्ट करते हैं। तथ्यों के कालक्रम से न्यायालय को अवगत करते हुए यह कथन किया गया है कि याची ने अपने पूरक शपथपत्र में अंशदान का भुगतान करने के लिए उसको कहते हुए दिनांक 17.6.2015 के पत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जो उसके पूरक शपथपत्र के परिशिष्ट 14 पर है। प्रत्यर्थी निगम के विद्वान अधिवक्ता ने डिसपैच रजिस्टर के उद्धरण और उसके साथ संलग्न रजिस्ट्री के रसीदों जिसके अधीन इन्हें याची को डिसपैच किया गया था निर्दिष्ट करके दिनांक 20.7.2015 के पत्रों, परिशिष्ट A श्रृंखला और इ॰ एस॰ आई॰ सी॰ अधिनियम, 1948 की धारा 45A के अधीन पारित दिनांक 17.8.2015 के निर्धारण आदेश, परिशिष्ट B श्रृंखला की याची पर तामीला की कमी के संबंध में प्रतिवाद खंडित करना इप्सित किया है। यह भी

इंगित किया गया है कि इन पत्रों को न केवल याची को बल्कि उसके भागीदारों को भी भेजा गया था। अत: याची निर्धारण कार्यवाही से अनभिज्ञ होने का नाटक नहीं कर सकता है। दिनांक 25.5.2016 के पत्र, परिशिष्ट-C, को भी निर्दिष्ट किया गया है जो याची एवं अन्य भागीदारों को प्रति के साथ वसूली अधिकारी को निगम के सहायक निदेशक द्वारा संबोधित ई॰ एस॰ आई॰ सी॰ अधिनियम, 1948 की धारा 45C से 45 I के अधीन वसूली कार्यवाही आरंभ करने के संबंध में है। उनके अनुसार, उसके साथ संलग्न प्रेषित पत्र के उद्धरण के मुताबिक उक्त पत्र याची को भी भेजा गया है। प्रत्यर्थी निगम के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि ई॰ एस॰ आई॰ प्राधिकारी द्वारा सांविधिक कर्तव्यों के पालन में कारबार के सामान्य क्रम में रखे गए इन दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया नोटिस के तामील के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि नियमितता की उपधारणा आधिकारिक कार्यवाही के साथ संबद्ध है। उन्होंने प्रमुख नियोक्ता के रूप में याची से बकायों की वसूली से परहेज करने का अनुरोध वसूली अधिकारी, राँची से करते हुए मेसर्स टाटा मोटर्स के दिनांक 22.6.2016 के पत्र को भी निर्दिष्ट किया है। प्रत्यर्थी के अनुसार उक्त पत्र उपदर्शित करता है कि याची को कार्यवाही की जानकारी थी। अतिरिक्त रूप से यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम वर्ष 1948 की धारा 45AA के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उठाए जाने के लिए याची को तथ्य के ये समस्त विवाद्यक एवं विधि के आधार, यदि हो, उपलब्ध हैं। उनके अनुसार, याची ने पाँच वर्ष से अधिक की समयावधि तक रिटर्न दाखिल करने में तत्परता नहीं दर्शाया है जैसा उसके आचरण से स्पष्ट होगा। यह निवेदन भी किया गया है कि ई॰ एस॰ आई॰ अधिनियम की धारा 87 के मुताबिक प्रत्येक वर्ष के लिए एवं समय से पहले छूट आवेदन दाखिल किया जाना है। इसके अतिरिक्त, 2007-2012 की अवधि के लिए 2012 में दाखिल छूट आवेदन का लंबित रहना याची को ई॰ एस॰ आई॰ बकाया के दायित्व से अभिमुक्त नहीं कर सकता है। अत:, वह इस न्यायालय के स्वविवेकी उपचार का हकदार नहीं है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची का छूट आवेदन अभी भी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष विचाराधीन है और निर्धारण एवं वसूली आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान कार्यवाही में किए गए किसी संप्रेक्षण को इसके लंबित छूट आवेदन के मामले में याची के मामले पर प्रतिकूलता कारित नहीं करना चाहिए।

7. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ऐसे छूट आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी मामले पर विचार कर रहा है और ऐसी कार्यवाही में भाग लेने के लिए याची पर नोटिस भी जारी किया गया है। किंतु, उनके अनुदेशानुसार, ऐसे आवेदन पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

8. मैंने अभिवचन किए गए प्रासंगिक तात्विक तथ्यों के आलोक में पक्षों के निवेदनों पर विचार किया है। अधिनियम की धारा 45A के अधीन निर्धारण के ऐसे किसी आदेश अथवा उसके अधीन आरंभ की गयी वसूली कार्यवाही के विरूद्ध अधिनियम वर्ष 1948 की धारा 45AA के अधीन उपलब्ध वैकल्पिक सांविधिक उपचार की उपस्थिति में यह न्यायालय याची को उसको उपलब्ध विधि एवं तथ्यों के ऐसे समस्त आधारों को उठाने की स्वतंत्रता के साथ अपीलीय प्राधिकारी के पास मामला ले जाने के लिए भेजना समुचित समझता है।

9. अत: यह न्यायालय वर्तमान कार्यवाही में पक्षों के परस्पर विरोधी अभिवचनों पर कोई टिप्पणी करने से परहेज करता है।

10. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए 60 दिनों की सांविधिक अवधि है। किंतु, चूंकि केवल आज प्रत्यर्थी के प्रतिशपथपत्र

के माध्यम से निर्धारण आदेश अभिलेख पर लाया गया है, यह न्यायालय याची को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय प्रदान कर सकता है जो इसे दाखिल करने में हुआ विलंब माफ कर सकते हैं। पूर्वोक्त निवेदन ध्यान में रखकर यह संप्रेक्षित किया गया है यदि याची आज के दिन से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपील दाखिल करता है, अपीलीय प्राधिकारी सहानुभूतिपूर्वक विलंब के प्रश्न पर विचार करेगा। आज के दिन से दो सप्ताह की अवधि के लिए प्रत्यर्थी बकाया की वसूली के लिए कोई प्रपीड़क कदम नहीं उठाएगा। किंतु उक्त प्रदान किया गया अंतरिम संरक्षण आज के दिन से दो सप्ताह की अवधि के अवसान पर प्रवर्तित नहीं रहेगा।

11. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

बेंजामिन तिर्के एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (Jail) (DB) No. 1339 of 2005. Decided on 3rd March, 2016.

एस॰ टी॰ सं 206 वर्ष 2003 में श्री दिनेश चंद्र रे, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट III, गुमला द्वारा पारित दिनांक 15 अप्रिल, 2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 19 अप्रिल, 2005 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34, 307/34 एवं 341/34—हत्या, हत्या का प्रयास और दोषपूर्ण अवरोध—सामान्य आशय—दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील—तीन चश्मदीद गवाहों द्वारा अभियोजन मामला समर्थित किया गया—घटना का तरीका, घटना का समय एवं घटना स्थल के बिंदु पर गवाहों के बयानों में तात्विक विरोधाभास नहीं है—अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी सिद्ध किया गया है—हत्या करने का आशय सदैव प्रयुक्त हथियार से और उपहति कारित करने के लिए लक्ष्यित शरीर के भाग से एकत्रित किया जा सकता है—अपराध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है—दोषसिद्धि का निर्णय मान्य ठहराया गया। (पैराएँ 9 से 13)

अधिवक्तागण.–Mr. A.A. Kumar, For the Appellants; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.—यह दांडिक अपील डूमरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 17 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 288 वर्ष 2003 के तत्सम एस॰ टी॰ सं॰ 206 वर्ष 2003 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट III, गुमला द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 15 अप्रिल, 2005 एवं दिनांक 19 अप्रिल, 2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 307/34 एवं 341/34 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी अभिनिर्धारित किया है और उन्हें भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन कठोर आजीवन कारावास, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/34 के अधीन पाँच वर्षों के कठोर कारावास और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 341/34 के अधीन एक माह के सामान्य कारावास का दंडादेश दिया है। इस प्रकार पारित दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

2. दिनांक 13 मई, 2003 को प्रात: 8.30 बजे नवाडीह चौक पर दर्ज बिश्वनाथ भगत (अ॰ सा॰ 9) के फर्दबयान से सामने आने वाला तथ्य यह है कि घटना की तिथि पर अर्थात दिनांक 12 मई, 2003 को प्रात: 7 बजे सूचक अपने पिता बैजू भगत (अ॰ सा॰ 8) एवं चाचा फागा भगत (मृतक) के साथ खाता सं॰ 42 से संबंधित अपना खेत जोत रहा था। इस बीच, बेंजामिन तिर्के (अपीलार्थी सं॰ 1) भाला से लैस होकर, बिलफ्रेड तिर्के लाठी से लैस होकर और टुनी तिर्के (अपीलार्थी सं॰ 2) टांगी से लैस होकर घटना स्थल पर आए और खेत जोतने के विरूद्ध आपत्ति किया। टूनी ने टांगी से सूचक के मस्तक पर प्रहार कारित किया जबकि बिलफ्रेड तिर्के ने लाठी से प्रहार कारित किया। उपहति पाने के बाद सूचक गिर गया। सूचक का चाचा सूचक को बचाने दौड़ा, किंतु उसे भी लक्ष्य बनाया गया था और टुनी तिर्के ने टांगी से बेंजामिन तिर्के ने भाला से और बिलफ्रेड तिर्के ने लाठी से उस पर प्रहार कारित किया। सूचक के पिता बैजू भगत को भी अपीलार्थी टूनी तिर्के द्वारा टांगी से और बिलफ्रेड तिर्के द्वारा लाठी से प्रहार के अध्यधीन किया गया था। सूचक स्वयं को बचाने के लिए घटना स्थल से भाग गया तथा जुरमु गाँव में शरण लिया। कुछ समय बाद उसका पिता बैजू भगत भी जुरमु गाँव पहुँचा और उन्होंने अपना जीवन बचाया। अगली सुबह सूचक जान सका था कि उसके चाचा फागा भगत की उसके द्वारा पायी गयी उपहति के कारण मृत्यु हो गयी।

विश्वनाथ भगत के फर्दबयान के आधार पर भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 323, 324, 307 एवं 302/34 के अधीन जी॰ आर॰ सं॰ 288 वर्ष 2003 के तत्सम दिनांक 13 मई, 2004 का गुमला, डूमरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 17 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था और अन्वेषण किया गया था।

पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप–पत्र दाखिल किया और तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था। सह अभियुक्तों में से एक बिलफ्रेड तिर्के को किशोर माना गया था और उसका मामला अलग किया गया था और मामले की सुपुर्दगी के बाद इन दो अपीलार्थियों का विचारण किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 307 एवं 302/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति अपीलार्थियों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

3. अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए सूचक, डॉक्टर एवं अन्वेषण अधिकारी सहित कुल तेरह गवाहों का परीक्षण किया है।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 307 एवं 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया।

4. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि सूचक (अ॰ सा॰ 9) और एक अन्य घायल अ॰ सा॰ 8 जो और कोई नहीं बल्कि सूचक का पिता है ने घटना का तरीका तथा परिस्थितियों जिसके अधीन वे घटना स्थल से भाग गए थे और स्वयं को बचाने के लिए जुरमु गाँव पहुँचे थे के संबंध में बयान नहीं दिया था। सूचक ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि उपहति पाने के बाद वह बेहोश हो गया था। यदि ऐसा होता, उसके पास अपने चाचा फागा भगत पर कारित प्रहार देखने का अवसर नहीं था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके गिर जाने के बाद आगे प्रहार कारित नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि अपीलार्थियों का सूचक की हत्या करने का आशय नहीं था। उसने आगे कहा है कि वह स्वयं को बचाने के लिए घटना स्थल से

भाग गया और गाँव जुरमु पहुँचा और कुछ समय बाद उसका पिता बैजू भगत भी वहाँ पहुँचा। अ॰ सा॰ 9 का प्रतिवाद अ॰ सा॰ 8 के बयान को संपुष्ट नहीं करता है। उसने कथन किया है कि उपहति पाने के बाद वह घटना स्थल से भाग गया और घर गया और, तत्पश्चात, वह विश्वनाथ भगत (अ॰ सा॰ 9) को परोसने के लिए भोजन के साथ गाँव जुरमु गया था। यह निवेदन करके, यह इंगित किया गया है कि सूचक और उसके पिता घटना स्थल से भाग गए, किंतु उन्होंने घटना की तिथि पर अर्थात दिनांक 12 मई, 2003 को पुलिस को मामला रिपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने यह सूचना संग्रहित करने का परवाह नहीं किया था कि फागा के साथ क्या हुआ था जिसे वे अपीलाथियों की दया पर खेत में छोड़ आए थे। अ॰ सा॰ 8 एवं 9 का यह आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने फागा को आगे प्रहार से बचाने के लिए गाँव वालों का मदद इप्सित नहीं किया था। यह प्रकट किया गया है कि उन्होंने शांतिपूर्वक रात गुजारा। अगली सुबह अर्थात दिनांक 13 मई, 2003 को जब वे जान सके थे कि फागा ने अपनी उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया था, वे पुलिस को सूचना देने के लिये अग्रसर हुए। प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि डॉ॰ रामेश्वर कुमार रमेश अ॰ सा॰ 13 के अनुसार, अ॰ सा॰ 8 एवं 9 को कारित उपहतियों की आयु 14 घंटे के भीतर कारित निर्धारित की गयी थी, जबकि उपहति रिपोर्ट और डॉक्टर का साक्ष्य उपदर्शित करता है कि दिनांक 13 मई, 2003 को प्रातः 9.30 बजे अर्थात घटना के 24 घंटा बाद उनका परीक्षण किया गया था। आगे यह इंगित किया गया है कि डॉ॰ सरोज कुमार अ॰ सा॰ 1 ने फागा भगत के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और उन्होंने मृतक के शरीर पर कटने का जख्म अथवा भेदनकारी जख्म नहीं पाया था यद्यपि यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी तुनी तिर्के टांगी से लैस था और अपीलार्थी बेंजमिन तिर्के भाला से लैस था।

यह कहना अनावश्यक है कि टांगी एवं भाला विदीर्ण जख्म उत्पन्न नहीं करेंगे। फागा की मृत्यु कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित मस्तक उपहति के कारण हुई। बिलफ्रेड तिर्के लाठी लिए था, किंतु उसे किशोर घोषित किया गया है और उसका मामला वर्तमान अपीलार्थियों के मामले से अलग कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण मृतक फागा को कारित उपहतियों का दोषी अभिनिर्धारित किए जाने के दायी नहीं है।

6. अपीलार्थियों की ओर से आगे यह निवेदन किया गया है कि झुमरी भगतैन अ॰ सा॰ 2 सूचक की पत्नी है और उसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 18 में स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उन्होंने परिवार के सदस्यों से चर्चा किया था और अंततः इस निष्कर्ष पर आए कि जब तक अपीलार्थियों के विरूद्ध मामला संस्थित नहीं किया जाता है, वे उनका खेत नहीं छोड़ेंगे। झूठा आलिप्त करने का कारण पहले ही अ॰ सा॰ 2 द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्वास्ति कुमारी अ॰ सा॰ 10 मृतक फागा की पुत्री है और वह घटना के समय पर लगभग 10-11 वर्ष की थी। उसने कथन किया है कि वह अपने पिता फागा को स्वयं की मदद से घर लायी थी। अ॰ सा॰ 10 का यह आचरण भी स्वाभाविक नहीं है। यदि उसके पिता के शरीर पर ऐसी उपहति थी, यह उम्मीद की जाती थी कि उसने अन्य गाँववालों से मदद लिया होता। इसके अतिरिक्त, मृतक अपनी पुत्री स्वास्ति कुमारी की मदद से पैदल घर आया। उसे उसके इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया था। फागा की मृत्यु का कारण उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गयी उपेक्षा थी और इसलिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दोष सिद्धि पोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

7. अंत में पर अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण लगभग 13 वर्षों से कारा में हैं और परिस्थितियाँ जिन्हें अभिलेख पर लाया गया है, उपदर्शित नहीं करती हैं कि

अपीलार्थियों का हत्या करने का आशय था। वे खेत जोतने के विरूद्ध आपत्ति करने खेत में आए थे क्योंकि वे भी प्रश्नगत भूमि पर अपने अधिकार, अभिधान एवं कब्जा का दावा कर रहे हैं, कुछ झगड़ा हुआ जिसमें अ॰ सा॰ 8 एवं 9 ने उपहति पाया था और परिवार के सदस्यों की उपेक्षा के कारण फागा की मृत्यु हो गयी। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग I के अधीन दोषसिद्धि में परिवर्तित की जा सकती है।

8. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 8 एवं 9 घायल गवाह हैं। उन्होंने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में संपूर्ण घटना का विवरण दिया है। यह स्वीकार किया गया है कि उपहति रिपोर्ट तैयार करने में डॉक्टर ने गलती किया है। सूचक और उसके पिता बैजू भगत का परीक्षण डॉक्टर द्वारा दिनांक 13 मई, 2003 को किया गया था, किंतु उन्होंने गलती से 13 मार्च 2003 लिखा था और वह गलती उस समय हुई प्रतीत होती है जब उन्होंने उपहति की आयु 24 घंटा के बजाए 14 वर्ष लिखा था। डॉक्टर द्वारा की गयी गलती अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य की दृष्टि में अधित्यजित की जा सकती है जब उन्होंने अ॰ सा॰ 8 एवं 9 के चिकित्सीय परीक्षण के लिए तलब पर्ची सिद्ध किया था और वे उपहति पर्चियाँ प्रदर्श 9 एवं 9/1 के रूप में सिद्ध की गयी हैं। फर्दबयान दर्ज करने के तुरन्त बाद उपहति परची जारी की गयी थी और उसके बाद दोनों घायल अर्थात अ॰ सा॰ 8 एवं 9 का अस्पताल में इलाज किया गया था। उनके गाँव जुरमु पहुँचने के संबंध में अ॰ सा॰ 8 एवं 9 के बयानों में विरोधाभास नहीं है। सूचक स्वयं को बचाने के लिए सीधे जुरमु गाँव गया जबकि बैजू भगत अ॰ सा॰ 8 पहले अपने घर गया था और तब वह अपने पुत्र को देखने जुरमु गाँव गया। घटना स्थल पुलिस थाना से 25 कि॰ मी॰ की दूरी पर अवस्थित है, घायल अपने जीवन के प्रति खतरा महसूस कर रहे थे, उन्हें फागा के संबंध में जानकारी नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ था। पूर्वोक्त परिस्थिति के अधीन, उन्होंने उस दिन स्वयं को जुरमु गाँव तक सीमित रखा। अ॰ सा॰ 9 द्वारा पैरा 22 में यह प्रकट किया गया है कि घटना के एक-दो घंटा बाद उसने मंगलेश्वर भगत को पुलिस को सूचित करने कहा था और मंगलेश्वर भगत ने पुलिस थाना से लौटने के बाद कहा था कि उसने पुलिस को सूचित किया है। इस संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मंगलेश्वर भगत अ॰ सा॰ 5 ने नहीं कहा था कि वह घटना के बारे में सूचित करने पुलिस थाना गया था।

इसके अतिरिक्त, घायल चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 10 स्वास्ति कुमारी मृतक की पुत्री ने भी अभियोजन मामला का समर्थन किया है और उसका बयान त्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा पुरानी दुश्मनी स्वीकार की गयी है और यह दुधारी तलवार है जो दोनों ओर से काटती है।

अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ सरोज कुमार जिन्होंने शव परीक्षण किया था ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 सिद्ध किया है। उपहति सं॰ 1 विदीर्ण जख्म है जिसने मृतक के ऑक्सीपीटल अस्थि के दायें भाग का फ्रैक्चर तथा स्काल्प तथा ब्रेन मैटर का विदीर्णता कारित किया। यह उपहति टाँगी द्वारा संभव हो सकती थी और डॉक्टर ने इससे इनकार नहीं किया है। अ॰ सा॰ 8 एवं 9 के शरीर पर कटने की उपहतियाँ थी और वे उपहतियाँ गंभीर एवं जीवन के प्रति खतरनाक थी और डॉ॰ रामेश्वर कुमार रमेश अ॰ सा॰ 13 द्वारा उपहति रिपोर्ट सिद्ध की गयी है।

औपचारिक गवाहों ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 12 अन्वेषण अधिकारी ने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण का समर्थन किया है। अभियोजन का मामला अपीलार्थियों के विरूद्ध पूर्णत: अक्षुण्ण है और विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थियों को अभिकथित अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया। वर्तमान मामले में तीन चश्मदीद गवाह हैं तथा वे हैं अ॰ सा॰ 8, 9 तथा 10 एवं उनमें से अ॰ सा॰ 8 तथा 9 घायल चश्मदीद गवाह हैं। अ॰ सा॰ 9 जो सूचक है ने फर्दबयान में अपने द्वारा किए गए प्रतिवादों का समर्थन किया है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह अपने पिता एवं चाचा के साथ खेत जोत रहा था, टांगी एवं भाला से लैस अपीलार्थीगण घटना स्थल पर आए और उस पर प्रहार कारित किया। जब वह गिर गया, उसके चाचा फागा (मृतक) ने मध्यक्षेप करने का प्रयास किया, किंतु उस पर भी अपीलार्थी एवं सह-अभियुक्त बिलफ्रेड तिर्के द्वारा प्रहार किया गया था। सूचक के पिता को भी बख्शा नहीं गया था और उस पर भी प्रहार किया गया था। सूचक और उसका पिता अ॰ सा॰ 8 घटना स्थल से भागने में सफल हुए और जुरमु गाँव में आश्रय लिया। अगली सुबह, वे जान सके थे कि फागा ने उसको कारित उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया था। जब सूचक एवं उसका पिता सूचना दर्ज करने जा रहे थे, वे नवाडीह चौक पर पुलिस दल से मिले जहाँ फर्दबयान दर्ज किया गया था।

स्वास्ति कुमारी अ॰ सा॰ 10 मृतक फागा भगत की पुत्री है। यह निवेदन किया गया है कि उसे चश्मदीद गवाह के रूप में प्रक्षेपित किया गया है, सूचक ने नहीं कहा था कि वह खेत में उपस्थित थी।

10. हमने सावधानीपूर्वक स्वास्ति कुमारी के साक्ष्य का परिशीलन किया है और हम नहीं पाते हैं कि बचाव अधिवक्ता यह सिद्ध करने में सफल रहे कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थी। इस संदर्भ में, हमने फर्दबयान का परिशीलन किया है जिसमें सूचक ने कथन किया है कि प्रातः लगभग 6 बजे वह खेत जोतने के प्रयोजन से अपने पूर्वोक्त खेत पर गया था और घटना प्रातः लगभग 7 बजे हुई। स्वास्ति लड़की है जो घटना के समय पर लगभग 10-11 वर्ष की थी। उसने कथन किया कि अपीलार्थी तुनी तिर्के ने विश्वनाथ एवं उसके पिता पर प्रहार कारित किया था। घटना खेत में हुई थी। उपहति पाने के बाद, उसका पिता गिर गया और उसने उसको घर लाने में मदद किया। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने दृढ़तापूर्वक कथन किया है कि वह घटना के समय पर खेत में उपस्थित थी। वह आगे कहती है कि जब हमलावर घटना स्थल से चले गए, वह अपने पिता के साथ घर लौटी। अपीलार्थियों द्वारा लिया गया हथियार उसके द्वारा वर्णित किया गया है। हम नहीं पाते हैं कि स्वास्ति कुमार सिखायी पढ़ायी गयी गवाह है और उसने घटना नहीं देखा था। हम विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ के निवेदन से सहमत हैं कि डॉ॰ रामेश्वर कुमार रमेश अ॰ सा॰ 13 ने उपहति रिपोर्ट जारी करते हुए उपहतियों की आयु के संबंध में तिथि एवं समय उल्लिखित करने में गलती किया है। घायल के परीक्षण की तिथि 13 मई, 2003 लिखने के बजाय उन्होंने इसे 13 मार्च, 2003 के रूप में उल्लिखित किया है और इसी प्रकार की गलती उन्होंने की है जब उन्होंने उपहतियों की आयु 24 घंटा के बजाय 14 घंटा लिखा है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य उपदर्शित नहीं करते हैं कि कोई घटना रात के दौरान हुई थी और, इसलिए, उपहति की आयु 14 घंटा के भीतर उल्लिखित नहीं की जानी चाहिए थी। उपहति पर्चियाँ (प्रदर्श 9 एवं 9/1) दर्शाती हैं कि अन्वेषण अधिकारी ने घायल का परीक्षण किया था और उपहतियों को वर्णित किया था जिन्हें उसके शरीर पर खुली आँखों से देखा जा सकता था। हमारे कहने का अर्थ यह है कि यह सिद्ध करने के लिए कि अ॰ सा॰ 8 एवं 9 घायल चश्मदीद गवाह हैं अभियोजन ने डॉक्टर अ॰ सा॰ 13 का परीक्षण करके उपहति रिपोर्टों को अभिलेख पर लाया है और, इस प्रकार, उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 11 एवं 11/1 के रूप में सिद्ध की गयी है। अ॰ सा॰ 8 एवं 9 का साक्ष्य अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य से समर्थन पाता है। हम घटना का तरीका, घटना का समय एवं घटना स्थल के बिंदु पर पूर्वोक्त तीन गवाहों के बयानों में कोई तात्विक विरोधाभास नही पाते हैं।

11. सूचक ने कहा है कि घटना के एक दो घंटा बाद उसने मंगलेश्वर भगत अ॰ सा॰ 5 को घटना के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस थाना जाने के लिए कहा था। यह सत्य है कि अ॰ सा॰ 5 ने नहीं कहा था कि वह पुलिस थाना गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि अगली सुबह जब सूचक अपने पिता के साथ सूचना दर्ज करने जा रहा था, उनकी मुलाकात नवाडीह चौक के निकट पुलिस से हुई। ऐसे साक्ष्य पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि पुलिस को सूचित किया गया था और यही कारण था कि वे डुमरी पुलिस थाना के अंतर्गत इरावल गाँव की ओर जा रहे थे। जहाँ तक मृतक के मस्तक पर कारित विदीर्ण जख्म का संबंध है, उसे भलीभाँति टांगी से कारित किया जा सकता है। उपहतियों की प्रकृति एवं प्रयुक्त हथियार विनिश्चित करने के लिए डॉक्टर द्वारा उपहति का परीक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थीगण भाला, टांगी एवं लाठी से लैस थे। अपीलार्थी तुनी तिर्के टांगी से लैस था और सूचक उसके पिता एवं उसके चाचा फागा भगत को उपहति कारित करने में इसका उपयोग किया गया था। सूचक और बैजू भगत (अ॰ सा॰ 8) के शरीर पर कटने की उपहतियाँ ध्यान में ली गयी थी। यदि मस्तक पर उपहति कारित करने के लिए टांगी का उपयोग किया जाता है, तेज धारदार हथियार से कटने की उपहति एवं विदीर्ण जख्म दोनों संभव है क्योंकि यह उस कोण जिससे वार किया गया था और व्यक्ति जिस पर उपहति कारित की गयी है की मुद्रा एवं अवस्था पर निर्भर करता है। यह सदैव उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति जो टांगी से मस्तक उपहति कारित होने की उम्मीद कर रहा है, स्वयं को बचाने का प्रयास करेगा और उस क्रम में अपना शरीर हिलाने का प्रयास करेगा। ऐसी परिस्थितियों में, यदि टांगी जैसे हथियार का उपयोग किया जाता है, वह विदीर्ण जख्म कारित कर सकता है यदि यह लक्ष्य पर तिरछे रूप से लगता है और उन मामलों में यह असामान्य नहीं है जिनमें मस्तक पर उपहति कारित करने के लिए टांगी का उपयोग किया जाता है। टाँगी एक तेज धारदार भारी हथियार है। वर्तमान मामले में, मृतक फागा भगत ने ऑक्सीपीटल अस्थि के दाएँ भाग का डीप्रेस्ड फ्रैक्चर पाया था। मृतक के शरीर पर कारित उपहति यह भी सुझाती है कि इसे किसी भारी हथियार से कारित किया गया था और टांगी भारी हथियार है।

12. अपराध को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाने के संदर्भ में, हमने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का परीक्षण किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जो क्षणिक आवेश पर अथवा गंभीर एवं अचानक उकसावा के अधीन अथवा भावावेग के अधीन खुली लड़ाई के क्रम में हुआ था। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य अपराध को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 300 के किसी अपवाद के अंतर्गत नहीं लाते हैं। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह है कि अपीलार्थीगण भाला एवं टांगी से लैस होकर घटना स्थल पर आए थे और उनके द्वारा लिए गए हथियार उनके आशय के सूचक हैं। केवल यही नहीं, अ॰ सा॰ 8, 9 एवं मृतक को उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर उपहति कारित की गयी थी। बैजू भगत अ॰ सा॰ 8 तथा सूचक अ॰ सा॰ 9 को कारित उपहतियाँ गंभीर एवं जीवन को खतरे में डालने वाली पायी गयी थीं। मृतक की मृत्यु अपीलार्थी टुनी तिर्के द्वारा उसको कारित मस्तक उपहति के कारण हुई। हत्या करने का आशय सदैव प्रयुक्त हथियार और उपहति कारित करने के लिए लक्ष्यित शरीर के भाग से एकत्रित किया जा सकता है। हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं कि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है।

13. परिणामस्वरूप, हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और इसे खारिज किया जाता है। डूमरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 17 वर्ष 2003 से उद्भूत जी॰ आर॰ सं॰ 288 वर्ष 2003 के तत्सम एस॰ टी॰ सं॰ 206 वर्ष 2003 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट III, गुमला द्वारा पारित दिनांक 15 अप्रिल, 2005 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 19 अप्रिल, 2005 का दंडादेश एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

कृपानाथ चौधरी एवं एक अन्य (1368 में)

रामदेव चौधरी (1197 में)

दीनानाथ चौधरी एवं अन्य (1272 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

Cr. Appeal (DB) Nos. 1368, 1197 with 1272 of 2003. Decided on 12th April, 2016.

पलामू सदर पी० एस० केस सं० 341 वर्ष 1993 से उदभूत होने वाले जी० आर० केस सं० 1316 वर्ष 1993 के तत्सम सत्र विचारण सं० 30 वर्ष 1995 के संबंध में श्री बी० के० गौतम, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं० II, पलामु, डालटेनगंज द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 31.7.2003 एवं दिनांक 1.8.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149—हत्या—विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य—दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील—पक्षों के बीच पुराना भूमि विवाद पहले से चल रहा था और ऐसे मामलों में विरोधी पक्ष का अधिकाधिक व्यक्तियों को आलिप्त किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है—अभियोजन बिल्कुल मौन है कि कब और किस स्थान से अपीलार्थीगण अचानक अपने हाथों में घातक हथियार लिए प्रकट हुए—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट। (पैरा 10)

अधिवक्तागण.–M/s Pankaj Kumar, (in 1197, 1272), Alpana Verma, (in 1368), For the Appellants; M/s Arun Kumar Pandey, (in 1197 & 1272), Vijay Kumar Gupta (in 1368), For the Respondent.

डी० एन० उपाध्याय, न्यायमूर्ति.—ये दांडिक अपीलें पलामू सदर पी० एस० केस सं० 341 वर्ष 1993 से उद्भूत होने वाले जी०आर० केस सं० 1316 वर्ष 1993 के तत्सम सत्र विचारण सं० 30 वर्ष 1995 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं० II, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 31.7.2003 एवं दिनांक 1.8.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. दिनांक 19.9.1993 को अपराह्न 11 बजे दर्ज विश्वनाथ चौधरी के फर्दबयान से सामने आने वाले तथ्य संक्षेप में ये हैं कि उसी दिन अपराह्न लगभग 7.30 बजे सूचक का ध्यान अपने भाई विजय कांत चौधरी की ओर गया जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। जब सूचक तीनपत्ती मोड़ नामक स्थान पर गया, उसने अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों को गड़ाँसा, कुल्हाड़ी, लाठी आदि से विजयकांत चौधरी पर प्रहार कारित करते देखा। सूचक ने भी हल्ला किया जिसने अन्य गवाहों अर्थात सूर्य नाथ चौधरी एवं बैज नाथ चौधरी को आकृष्ट किया जो घटना-स्थल पर आए। यह प्रकट किया गया है कि विजय कांत चौधरी पर प्रहार कारित करने के बाद, प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण उसे अपीलार्थी रामदेव चौधरी के घर में ले गए और कमरा में मृत शरीर रखने के बाद उन्होंने ताला लगाया और भाग गए। घटना के पीछे का कारण पक्षों के बीच चला आ रहा पुराना विवाद है।

3. विश्वनाथ चौधरी के फर्दबयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 341, 342 एवं 302 के अधीन दिनांक 19.9.1993 का सदर पी॰ एस॰ केस सं॰ 341 वर्ष 1993 दर्ज किया गया था। सम्यक अन्वेषण के बाद अपीलार्थियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था और तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 30 वर्ष 1995 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. समस्त सातों अपीलार्थियों का विचारण किया गया था और उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 302/ 149 एवं 148 के अधीन आरोप विरचित किया गया था। आरोप सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल दस गवाहों का परीक्षण किया और शव परीक्षण रिपोर्ट, फर्दबयान एवं औपचारिक प्राथमिकी जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और यथा उपदर्शित दंडादेश दिया।

5. दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1197 वर्ष 2003 में अपीलार्थी रामदेव चौधरी की मृत्यु इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो गयी और इसलिए, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1197 वर्ष 2003 उपशमनित हो गयी।

6. दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1272 वर्ष 2003 में अपीलार्थी दीनानाथ चौधरी की भी मृत्यु हो गयी और इसलिए, उसके विरूद्ध अपील भी उपशमनित हो गयी।

7. दांडिक अपील (डी॰बी॰) सं॰ 1272 वर्ष 2003 में उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 तथा अ॰ सा॰ 8 ने स्वयं को चश्मदीद गवाह के रूप में प्रक्षेपित किया है किंतु उन्होंने घटना का सच्चा चित्र नहीं दिया है। घटना के तरीका के बिंदु पर और घटनास्थल के बिंदु पर भी उनके बयान में विरोधाभास है। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद से धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है किंतु समस्त गवाह मौन हैं कि किस प्रकार एवं कब अपराध आरंभ हुआ। वे इस बिंदु पर भी मौन हैं कि अपीलार्थीगण गड़ाँसा, कुल्हाड़ी, लाठी आदि जैसे घातक हथियारों के साथ कहाँ से प्रकट हुए। अभियोजन मामला इस बिंदु पर बिल्कुल मौन है कि कब और कहाँ अपीलार्थियों द्वारा विधि विरूद्ध जमाव निर्मित किया गया था। सूचक द्वारा अभिलेख पर लाया गया मामला कहता है कि उसने मृतक की आवाज सुनी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। इस मोड़ पर, यह ध्यान में रखा जाना है कि घटना स्थल निर्जन स्थान नहीं है बल्कि घरों से घिरा हुआ है, वहाँ एक रास्ता था और कुछ गाँव वालों की दुकानें भी वहाँ थीं। सती देवी अ॰ सा॰ 3 मृतक की पत्नी है और उसने कथन किया है कि उसका पति विजय कांत चौधरी तंबाकू लेने घर से निकला था। गवाहों द्वारा यह भी प्रकट किया गया है कि अभिकथित घटना स्थल तीन पत्ती मोड़ मृतक के घर से केवल 50 फीट की दूरी पर है। यदि ऐसा था, अपीलार्थियों का आवागमन गवाहों की निगाह में भलीभाँति था किंतु उन्होंने उस तरीके से अभियोजन मामला नहीं बताया है। अभियोजन गवाहों द्वारा अभिलेख पर लाया गया मामला सुझाता है कि घटनास्थल एवं मृतक की अवस्था घटना के समय पर उनको दृश्य नहीं थी। इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए, यह अच्छी तरह से कहा जा सकता था कि उन्होंने घटना नहीं देखा था बल्कि वे विजय कांत चौधरी की हत्या के बारे में बाद में जान सके थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि रामदेव चौधरी के घर में मृत शरीर रखने का, और वह भी ताला लगाकर कोई प्रयोजन नहीं था। यदि गवाहों ने वस्तुतः घटना देखा होता, वे अपीलार्थियों का प्रतिरोध कर सकते थे अथवा कम से कम रामदेव चौधरी के घर में ताला में बंद कर मृत शरीर रखने के विरूद्ध उनके द्वारा

विरोध करने की उम्मीद की जाती थी। इस संबंध में गवाहों का आचरण वास्तविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। पूर्वोक्त पाँच चश्मदीद गवाहों द्वारा अभिलेख पर लाया गया अभियोजन मामला निम्नलिखित कारणों से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है:

(i) गवाह मौन हैं कि कहाँ से और किस स्थान से अपीलार्थीगण अचानक प्रकट हुए और मृतक पर प्रहार कारित करने लगे।

(ii) समय के उस बिंदु पर मृतक का आवागमन सामान्य प्रतीत नहीं होता था क्योंकि अ॰ सा॰ 3 ने कथन किया है कि मृतक यूँ ही तंबाकू पीने घर से निकला था।

(iii) यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अपीलार्थी घात लगाए थे अथवा हत्या करने के लिए अपने छुपने के स्थान से अचानक प्रकट हुए।

(iv) उन्होंने कथन किया है कि समस्त अभियुक्तगण जो फर्दबयान के मुताबिक आठ की संख्या में थे, ने अपने-अपने हथियारों से जिसे वे लिए हुए थे से मृतक पर प्रहार कारित किया किंतु डॉक्टर अ॰ सा॰ 10 ने मृतक के शरीर पर केवल तीन उपहतियाँ पाया हैं। अत:, घटना का सही चित्र अभिलेख पर नहीं लाया गया है और पूर्वोक्त पाँच चश्मदीद गवाहों ने घटना के पीछे की सच्चाई प्रकट नहीं किया है।

विचारण के दौरान, गवाहों ने दो अपीलाथियों अर्थात घोष चौधरी एवं कृपानाथ चौधरी के विरूद्ध अभिकथन सीमित किया है और वे केवल इन दोनों के विरूद्ध अभिकथन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उक्त अपीलार्थी कृपानाथ ने गड़ाँसा से और अपीलार्थी घोष चौधरी ने कुल्हाड़ी से प्रहार कारित किया। यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन गवाह यह सिद्ध करने में विफल रहे कि विधि विरूद्ध जमाव था जिसके ये तीन अपीलार्थीगण सदस्य थे और वे उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य में हिस्सा लेने के लिए मौजूद थे। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये तीन अपीलार्थीगण जानते थे कि उक्त विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य अग्रसर करने में हत्या का अपराध किए जाने की संभावना है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने गलत रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद से धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों को दोषी अभिनिर्धारित किया है। आक्षेपित निर्णय अत्यन्त गलत है, तथ्यों एवं विधि के अधिमूल्यन पर आधारित है और जहाँ तक दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1272 वर्ष 2003 का संबंध है, यह अपास्त किए जाने का दायी है।

8. दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1368 वर्ष 2003 में उपस्थित विद्वान न्यायमित्र श्रीमती अल्पना वर्मा ने दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1272 वर्ष 2003 में अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क अपनाया है और आगे जोड़ा है कि तथाकथित चश्मदीद गवाह न्यायालय के समक्ष झूठ बोल रहे हैं। सूचक ने कहा है कि उसने अपने भाई विजय कांत की आवाज सुनी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। शेष गवाह अर्थात अ॰ सा॰ 2 से अ॰ सा॰ 4 किस प्रकार घटना स्थल की ओर आकृष्ट हुए, संतोषजनक रूप से प्रकट नहीं किया गया है। अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2 तथा अ॰ सा॰ 4 मृतक के सगे भाई हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने घटना देखा था किंतु पूर्वोक्त गवाहों का आचरण स्वीकार्य नहीं है। मृतक सहित चार भाई थे। बयान के मुताबिक घटना लगभग आधा घंटा जारी रही, अत: उनके पास मृतक की सहायता करने का पर्याप्त समय था किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया था और यह समय के प्रासंगिक बिंदु पर घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। तर्क के लाभ के लिए, यदि यह कहा जाता है कि प्रहार के दौरान उन्होंने मध्यक्षेप करने का साहस नहीं किया था किंतु अभिलेख पर लायी गयी कहानी

कहती है कि हत्या करने के बाद मृत शरीर रामदेव चौधरी के कमरा में ले जाया गया था और ताला बंद किया गया था। किंतु उस अवधि के दौरान भी उन्होंने कम से कम मृत शरीर का कब्जा लेने के लिए मध्यक्षेप नहीं किया था। यदि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण किया गया होता, और भी चीजें सामने आ सकती थी। आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने का दायी है।

9. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि पाँच चश्मदीद गवाहों ने घटना का तरीका, घटना स्थल, घटना का समय के संबंध में संगत बयान दिया है। अपीलार्थियों कृपानाथ चौधरी एवं घोष चौधरी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कृत्य समस्त चश्मदीद गवाहों द्वारा सुवर्णित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि दुश्मनी दोधारी तलवार है। पक्षों के बीच पुराना भूमि विवाद चल रहा था और मृतक मामले की देखभाल कर रहा था, अत: अपीलार्थियों ने उसको लक्ष्य बनाया। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि कहाँ से और किस स्थान से अपीलार्थीगण प्रकट हुए, महत्वपूर्ण वह अपराध है, जिसे उन्होंने किया है। अभिलेख पर संगत साक्ष्य मौजूद है कि अपीलार्थीगण अपने हाथों में घातक हथियार लिए आए, उन्होंने मृतक को अवरूद्ध किया एवं घेरा और अंधाधुंध उस पर प्रहार कारित किया। अपीलार्थियों कृपानाथ चौधरी एवं घोष चौधरी द्वारा घातक वार किया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य स्पष्टत: सुझाते हैं कि अपीलार्थियों ने विधि विरूद्ध जमाव निर्मित किया था और उस विधिविरूद्ध जमाव का उद्देश्य हत्या करना था और किया जाने वाला संभावित अपराध उस विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य की जानकारी में था और इसलिए, यह अतात्विक है कि क्या उन्होंने प्रत्यक्ष कृत्य किया है या नहीं, क्या उनके द्वारा किया गया वार ने मृतक को उपहति कारित किया है या नहीं। अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य कहते हैं कि समस्त अपीलार्थीगण जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है ने सक्रिय रूप से अपराध में भाग लिया और उन्होंने प्रहार के समय पर मृतक को घेरा था। उन्होंने मृतक के विरूद्ध दांडिक बल का इस्तेमाल किया था और हत्या करने में प्रत्येक सदस्य की सहायता की थी। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से अपीलार्थियों को दोषी अभिनिर्धारित किया है। अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण ने अपीलार्थियों को दोषी अभिनिर्धारित किया है। अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण ने अपीलार्थियों पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं किया है।

10. हमने सावधानीपूर्वक अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, आक्षेपित निर्णय एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया है। हम दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1272 वर्ष 2003 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल पाते हैं कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि विजय कांत चौधरी की हत्या करने के लिए अपीलार्थियों द्वारा विधि विरूद्ध जमाव निर्मित किया गया था। हमने घटना स्थल पर भी विचार किया है जैसा यह पूर्वोक्त चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य से सामने आया। अभियोजन पूर्णत: मौन है कि कब और किस स्थान से अपीलार्थीगण अपने हाथ में घातक हथियार लिए अचानक आए। हमने गौर किया है कि घटना स्थल निर्जन स्थान नहीं है और यह कम से कम कुछ घरों से घिरा है। गाँव का रास्ता भी था क्योंकि घटना तीनपत्ती मोड़ पर हुई। अ॰ सा॰ 8 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसने लगभग 100 फीट की दूरी से पक्षों के बीच हो रही हाथापाई को ध्यान में लिया था, धीरे-धीरे वह आगे गया और आधी दूरी पार करने के बाद वह कृपानाथ चौधरी को पहचानने में सफल हो सका था जिसने गड़ासा से विजय कांत को उपहति कारित किया। तब तक अन्य व्यक्ति कृपानाथ एवं दीना नाथ को घटना स्थल पर छोड़ कर भाग गए। वह आगे कहता है कि कृपानाथ एवं दीना नाथ मृत शरीर को रामदेव चौधरी के घर में ले गए और मृत शरीर को ताला में बंद करने के बाद वे भी भाग गए। इस गवाह ने कथन

किया है कि रामदेव चौधरी के घर का ताला तोड़ने के बाद पुलिस द्वारा विजय कांत के मृत शरीर का निरीक्षण किया गया था। प्रति परीक्षण में पैरा 12 में वह कहता है कि वह अन्य 5-7 व्यक्तियों को नहीं पहचान सका था जो घटना स्थल पर उपस्थित थे। उठाए गए बिंदुओं पर और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, हमने भी यह जानने के लिए विवेक का इस्तेमाल किया है कि कहाँ से अपीलार्थीगण प्रकट हुए किंतु हम सकारात्मक उत्तर नहीं पा सके थे। साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थियों द्वारा विधि विरूद्ध जमाव कहाँ निर्मित किया गया था, किंतु तब मृतक पर प्रहार कारित करने का अपीलार्थियों कृपानाथ चौधरी एवं घोष चौधरी के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन संगत प्रतीत होता है। अ॰ सा॰ 1 से अ॰ सा॰ 4 ने संगत रूप से साक्ष्य दिया है कि कृपानाथ चौधरी ने गड़ासा से मृतक के मस्तक पर उपहति कारित किया और घोष चौधरी ने टांगी से मृतक पर उपहति कारित किया। ये उपहतियाँ अ॰ सा॰ 10 द्वारा अभिलेख पर लाए गए शव परीक्षण रिपोर्ट से समर्थन पाती हैं। पक्षों के बीच पुराना भूमि विवाद पहले से चल रहा था और ऐसे मामलों में विरोधी पक्ष के अधिकाधिक व्यक्तियों को आलिप्त किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए, हम दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1272 वर्ष 2003 अनुज्ञात करने के इच्छुक हैं। तद्नुसार, अपीलार्थीगण सुदामा चौधरी, पारस नाथ चौधरी और त्रिभुवन चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय आरोप से एतद्द्वारा दोषमुक्त किया जाता है। उन्हें उनके अपने-अपने जमानत बंधपत्रों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है और स्वतंत्र किया जाता है।

चूँकि अपीलार्थियों कृपानाथ चौधरी एवं घोष चौधरी के विरूद्ध संगत साक्ष्य है कि उन्होंने मृतक को उपहति कारित किया और इस प्रकार कारित उपहतियाँ शव परीक्षण रिपोर्ट से समर्थन पाती हैं, हम दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1368 वर्ष 2003 अनुज्ञात करने के इच्छुक महसूस नहीं करते हैं। तद्नुसार, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1368 वर्ष 2003 खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vuUr fct ; flg] U;k;kefr

राजेश चौधरी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 1269 of 2006. Decided on 25th May, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 93 वर्ष 2003/137 वर्ष 2003 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ VI, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.8.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 364, 302 एवं 201—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 106—अपहरण, हत्या एवं साक्ष्य गायब करना—दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील—अपीलार्थी को मृतक तथा अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का संदेह—अपीलार्थी ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि किस प्रकार मृत शरीर उसके पिता के घर जो अपीलार्थी के अनन्य कब्जा में था में पाया एवं इससे बरामद किया गया था—वह अपराध की कारिता में अपीलार्थी की अपराधिता के बारे में बहुत कुछ कहता है—अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध किया है—अपील खारिज। (पैराएँ 29, 30 एवं 31)

निर्णयज विधि.–2014(4) East Cr. C. 234(SC)—Referred; 2014 (1) East Cr.C. 266 (SC)—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s Arjun Narayan Deo, Rajesh Bhushan, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश एवं अनन्त बिजय सिंह, न्यायमूर्ति.—यह अपील एकमात्र अपीलार्थी राजेश चौधरी द्वारा सत्र विचारण सं॰ 93 वर्ष 2003/137 वर्ष 2003 में श्री रमा शंकर शुक्ला, विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰), धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.8.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी राजेश चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364, 302 एवं 201 के अधीन आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित किया और आगे उसी तिथि पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए 10 वर्षों का कठोर कारावास तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास और 1000/- रुपयों के जुर्माना और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह का कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया और समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

2. दिनांक 5.10.2002 को झरिया पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को संबोधित सूचक सूरज चौहान (अ॰ सा॰ 8) द्वारा दिए गए लिखित रिपोर्ट में कथन किया गया था कि वह ग्राम रतनुबा, पी॰ एस॰ कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद का स्थायी निवासी है और वर्तमान में विक्टरी कोलियरी, पी॰ एस॰ झरिया, जिला धनबाद में निवास कर रहा है और उसके तीन पुत्र अर्थात इंद्रन चौहान, उपेन्द्र चौहान (मृतक) एवं बलिराम चौहान थे।

3. यह अभिकथित किया गया है कि लगभग 19 वर्षीय उपेन्द्र चौहान विवाहित नहीं है। उसने आगे अभिकथित किया कि मिश्री लाल मलाह उक्त गाँव का निवासी है और अपीलार्थी राजेश चौधरी मिसरी लाल मलाह का दामाद है। राजेश चौधरी का मृतक के साथ तनावपूर्ण संबंध था क्योंकि उसे संदेह था कि उपेन्द्र चौहान (मृतक) का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था जिसके लिए इस अपीलार्थी राजेश चौधरी ने उपेन्द्र चौहान (मृतक) को गंभीर परिणामों की धमकी दिया था।

4. उसने आगे अभिकथित किया है कि दिनांक 5.10.2002 को अपीलार्थी राजेश चौधरी मिसरी लाल मलाह के ग्राम विक्टरी कोलियरी स्थित घर आया और उपेन्द्र चौहान के साथ बात किया, तत्पश्चात उपेन्द्र चौहान एवं राजेश चौधरी घर के बाहर गए थे और तब से वे गायब थे।

5. सूचक ने अपने संबंधियों के स्थान पर मृतक का तलाश किया किंतु वह अपने पुत्र को खोज नहीं पाया था।

6. इस बीच, किसी रामदेनी चौहान (अ॰ सा॰ 1) ने सूचक को बताया कि दिनांक 5.10.2002 को मृतक उपेन्द्र चौहान ने उसको बताया कि वह अन्य को कोई सूचना दिए बिना राजेश चौधरी के साथ ग्राम चिनाकुरी जा रहा था। रामदेनी चौहान ने उसको यह भी बताया कि चूँकि उपेन्द्र एवं राजेश चौधरी (अपीलार्थी) के बीच तनाव था, कोई दुर्घटना हो सकती है, जिस पर सूचक एवं उसके परिवार के सदस्य राजेश चौधरी को खोजने लगे।

7. उक्त राजेश चौधरी–अपीलार्थी अपने ससुराल में पाया गया था, और पूछे जाने पर उसने कुछ भी प्रकट नहीं किया था किंतु आशंका की गयी थी कि राजेश चौधरी ने हत्या करने के प्रयोजन से सूचक के पुत्र का अपहरण कर लिया था।

8. पूर्वोक्त अभिकथनों के आधार पर, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए दिनांक 10.10.2002 का झरिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 330 वर्ष 2002 संस्थित किया गया

था और बाद में विद्वान सी॰ जे॰ एम॰ के दिनांक 13.10.2002 के आदेश द्वारा धाराएँ 302/201 जोड़ी गयी थीं।

9. अन्वेषण के बाद, पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया और विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 1.2.2003 के आदेश के तहत मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और आगे दिनांक 13.3.2003 को इस मामले में आरोप विरचित किया गया था।

10. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में कुल 15 गवाहों का परीक्षण किया। अ॰ सा॰ 1 रामदेनी चौहान है; अ॰ सा॰ 2 परमेश्वर पांडे है; अ॰ सा॰ 3 इंदल चौहान है; अ॰ सा॰ 4 सत्येन्द्र चौहान है; अ॰ सा॰ 5 बलराम चौहान है; अ॰ सा॰ 6 रामाशीष चौहान है; अ॰ सा॰ 7 नागेन्द्र पासवान है; अ॰ सा॰ 8 सूरज चौहान (सूचक) है; अ॰ सा॰ 9 दिनेश कुमार शुक्ला (अभिग्रहण सूची गवाह) है; अ॰ सा॰ 10 राजू कुमार (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट गवाह) है; अ॰ सा॰ 11 सैकट कुमार दत्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी है, जिसकी उपस्थिति में मृतक उपेन्द्र चौहान का मृत शरीर बरामद किया गया था; अ॰ सा॰ 12 तन्मय चंद्र फोटोग्राफर है; अ॰ सा॰ 13 मृतक की माता लगनी देवी है, अ॰ सा॰ 14 डॉ॰ तपन कुमार विश्वास है जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और अ॰ सा॰ 15 मामले का आई॰ ओ॰ राजेश नारायण वर्मा है।

11. प्रदर्शों के मुताबिक, प्रदर्श 1, लिखित रिपोर्ट है, प्रदर्श 2 दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 174 के अधीन अन्वेषण रिपोर्ट पर सूरज चौहान (सूचक) का हस्ताक्षर है; प्रदर्श 3 अभिग्रहण सूची पर दिनेश कुमार शुक्ला का हस्ताक्षर है; प्रदर्श 2/1 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर दिनेश कुमार शुक्ला का हस्ताक्षर है; प्रदर्श 2/2 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर राजू कुमार का हस्ताक्षर है; प्रदर्श 3/1 अभिग्रहण सूची पर राजू कुमार का हस्ताक्षर है; प्रदर्श 4 एस॰ डी॰ एम॰ आसनसोल का दिनांक 16.10.2002 का आदेश सं॰ 1455 है; प्रदर्श 2/3 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है; 'x' फोटोग्राफ पहचान 'x' 1 से 'x' 7 है; प्रदर्श 5 शव परीक्षण रिपोर्ट है; प्रदर्श 6 प्राथमिकी है; प्रदर्श 7 औपचारिक प्राथमिकी है, प्रदर्श 3/2 अभिग्रहण सूची है; प्रदर्श 8 रामदेनी चौहान (अ॰ सा॰ 1) का दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दिनांक 17.10.2002 का बयान है।

12. अभियोजन मामला भंजित करने के लिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देव ने जोरदार रूप से प्रतिवाद किया है कि:-

(i) v0 lk0 1 tk vfre ckj n[ku okyk xokg g oLrr% çFke lpd }kjk tVk;k x;k xokg g tk erd dk firk ,o v0 lk0 1 dk lcèkh gA oLrr% mlu U;k;ky; e tk Hkh dFku fd;k g] og v0 lk0 8, v0 lk0 13 ,o v0 lk0 15 (oreku ekey d vkb0 vk0) }kjk fl[kk; i<k, tku d dkj.k gA v0 lk0 1 d lk{; e ljk[k dju d fy, Jh no u ge bl xokg d çfr&ijh{k.k l voxr djk;k g tgk mlu cpko i{k }kjk iN x, mi;Dr ç'u d mÙkj e dFku fd;k fd ifyl u ml crk;k Fkk fd U;k;ky; e mldk D;k dguk FkkA

(ii) leLr v0 lk0 u dFku fd;k g fd vihykFkh dk erd d lkFk dV lcèk Fkk] vr% ;g lHko ugh Fkk fd vihykFkh d ddgu ij erd mld lkFk LFkku fo'k"k ij lkFk x;k gkxk vkj og Hkh eyk e tk v0 lk0 1 u U;k;ky; d le{k viu c;ku e dFku fd;k gA

(iii) lk{; e ;g vU;Fkk vk;k g fd erd miUæ pkgku Lo; vdy vkj u fd vihykFkh d lkFk ?kj l fudyk Fkk tk vfHky[k ij miyCèk lk{; l ik;k tkrk g] vr% vfre ckj n[ku dk vkèkkj ijh rjg fl) ugh fd;k x;k gA fo}ku vfèkoDrk d vulkj] ifjfLFkfrtU; lk{; dh J[kyk e xk;c dMh vfHk;ktu ekey dk dkQh gn rd [kk[kyk cukrh gA

(iv) fnukd 10.10.2002 dk nt çkFkfedh eux<r çrhr gkrh g D;kfd ify l dk igy lpd i{k }kjk miUæ pkgku (ft ldh vc eR; gk pdh g) d xk;c gku dh lpuk nh x;h Fkh vkj v0 lk0 2u ijk 4e Li"Vr% dFku fd;k g fd miUæ pkgku d xk;c gku d Bhd nk fnu igy ify l dk ?kVuk d ckj e lfpr fd;k x;k FkkA v0 lk0 3 ,o v0 lk0 5u Hkh , lk gh dFku fd;k gA çFke lpd dk Hkkb vkj erd dh ekrk u Hkh dFku fd;k fd o fnukd 5.10.2002 dk gh ify l d ikl x, FkA

(v) erd d Hkkb u ;gk rd dgk g fd o Lo; fnukd 5.10.2002 dk ify l d ikl x, Fk] ifjfLFkfr tU; lk{; dk e[; vkèkkj vFkkr vihykFkh dk bdckfy;k c;ku ft l ij vfHk;ktu Hkkjh : i e fuHkj dj jgk g Hkh ify l }kjk fd;k x;k vufpr ç;kl çrhr gkrk g D;kfd bl vihykFkh d DokVj l er 'kjhj cjken fd, tku d ckn r;kj fd;k x;k Fkk ft ldk dkj.k ;g Fkk fd çkFkfedh fnukd 11.10.2002 dk bykdk nMkfèkkdkjh dk Hkth x;h Fkh vkj rc rd vihykFkh }kjk dkb bdckfy;k c;ku nu d ckj e ppk Hkh ugh FkkA ;g cny e] ifjfLFkfr tU; lk{; dh J[yk e egRoi.k dMh Hkftr djrk gA

13. कार्यपालक दंडाधिकारी, जिसकी उपस्थिति में मृत शरीर की बरामदगी दर्शायी गयी थी, जब कटघरा में आया, ने यह बताया तक नहीं था कि मृत शरीर केवल अपीलार्थी की प्रेरणा पर बरामद किया गया था। मृत शरीर की बरामदगी के बाद तैयार की गयी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी इस तथ्य के बारे में मौन है। यह समस्त दर्शाता है कि ये समस्त कागजात अन्वेषण अधिकारी द्वारा बाद में मृत शरीर की बरामदगी के बाद तैयार किए गए हैं। यह साक्ष्य के इस आधार के संबंध में काफी संदेह सृजित करता है।

14. इकबालिया बयान दर्ज किया जाना भी अन्यथा अ॰ सा॰ 2 (पैरा 2), अ॰ सा॰ 4 (पैरा 5) और अ॰ सा॰ 6 (पैरा 5) के साक्ष्य से संदेह से घिरा हुआ है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि दारोगाजी (आम भाषा में अन्वेषण अधिकारी के लिए प्रयुक्त शब्द) ने उनको बताया था कि अपीलार्थी ने घटना के ठीक दो दिन बाद और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के पहले अपने घर में मृत शरीर दफनाया था।

15. अपीलार्थी की प्रेरणा पर मृतक की हत्या करने के लिए अभिकथित रूप से प्रयुक्त हथौड़ा की बरामदगी भी घने संदेह के घेरे में है और पुनः अनुचित प्रयास प्रतीत होता है क्योंकि हथौड़ा न तो रक्त रंजित था और न ही इसे विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अथवा मृतक के शरीर पर उपहति के संबंध में मत प्राप्त करने के लिए डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया था के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संख्या जैसा शव परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है उपदर्शित करता है कि मानो यह दिनांक 10.10.2002 के कुटली पी॰ एस॰ केस सं॰ 5 वर्ष 2002 से संबंधित है, जबकि वर्तमान मामला झरिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 330 वर्ष 2002 से संबंधित है। शव परीक्षण पी॰ एस॰ कुलटी के पूर्वोक्त मामले के प्रति निर्देश में किया गया है और न कि वर्तमान मामले के संबंध में। उक्त मामला सही रूप से क्या है, विचारण न्यायालय के समक्ष कभी नहीं लाया गया है और यह भी काफी संदेह सृजित करता है।

16. इकबालिया बयान जिसे वर्तमान मामले के अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 15 द्वारा अभिकथित रूप से दर्ज किया गया है अभिलेख पर नहीं लाया गया था और विचारण के दौरान प्रदर्शित नहीं किया गया था। बयान जो मृत शरीर की बरामदगी की ओर ले गया भी विचारण के दौरान फाइल पर सिद्ध नहीं किया गया है और उसकी अनुपस्थिति में मृत शरीर की बरामदगी का साक्ष्य धुल जाता है।

17. अभिलेख पर प्रकट अन्य मुख्य त्रुटि यह है कि अपीलार्थी के प्रकटीकरण बयान जो मृत शरीर की बरामदगी की ओर ले गया के संबंध में अपराध में फँसाने वाला साक्ष्य उसके समक्ष कभी नहीं रखा गया था जब द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया गया था। यह मूल त्रुटि अभियोजन द्वारा इस विलंबित चरण पर दूर नहीं की जा सकती है।

18. इस मामले में किया गया अन्वेषण पूर्णत: लापरवाह प्रतीत होता है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी की पत्नी अपीलार्थी की सास, अपीलार्थी के माता-पिता अथवा गवाहों जिनकी उपस्थिति में मृत शरीर बरामद किया गया था का बयान दर्ज करने का परवाह नहीं किया था। जबकि घटनास्थल के काफी निकट में अनेक स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे।

19. अभियोजन के मामले में ये समस्त कमजोरियाँ, यदि इन्हें एक साथ लिया जाता है, अपीलार्थी के विरूद्ध हत्या का आरोप असिद्ध करती हैं। अपने निवेदन के समर्थन में श्री देव ने **''सांगली उर्फ संगनाथन बनाम तमिलनाडू राज्य, 2014(4) East Cr. C.234 (SC)** पर विश्वास करते हुए,–

> *"A. nM lfgrk] 1860, èkkjk 302—nk"kfl)—lik"k.kh; rk—erd mPp fo|ky; tku okyk ckyd—v0 lk0 5, d vU; uo;orh tk Hkh mlh fo|ky; dh fo|kFkh Fkh tgk erd vè;;ujr Fkk—vihykFkh u v0 lk0 5 d firk d fy, dke fd;k Fkk—vihykFkh dk bdckfy;k c;ku dfri; cjkenfx;k dh vkj y x;k—og ml LFkku ij y x;k tgk l er 'kjhj cjken fd;k x;k Fkk—vfHk;ktu ekeyk ifjfLFkfrtU; lk{; ij vkèkkfjr—vijkèk dk gr LFkkfir ugh fd;k x;k—bl fu"d"k ij vku d fy, vfHkyf[k ij fofèkd :i l xkg; lk{; ugh g fd erd vihykFkh }kjk cyk, tku ij viu ?kj l fudyk Fkk—vihykFkh d bdckfy;k c;ku d vkèkkj ij jDrjftr pkd ,o lkbfdy dh cjkenxh lngi.k g—cjkenfx;k d vfrfjDr vihykFkh d fo:) dkb vU; mYy[kuh; ifjfLFkfr fl) ugh dh x;h—vihykFkh dk bl lng ij Qlk;k x;k fd f=dk.kh; çe dk ekeyk Fkk—vfre ckj lkFk n[k tku dk lk{; Hkh LFkkfir ugh fd;k x;k—;g n'kku d fy, lk{; ugh g fd erd vihykFkh l VyhQku dky iku d ckn ?kj l fudyk Fkk—?kVukvk dh J[kyk LFkkfir ugh dh x;h—vihykFkh d nk"k dk fu"d"k nt djuk ljf{kr ugh g—nk"kfl) ,o nMkn'k vikLr fd;k x;kA*
>
> *(B) nkfMd fopkj.k—cjkenfx;k—[kkt ,d vR;Ur detkj çdkj dk lk{;&cjkenxh lng lftr djrh g&lng fdruk Hkh etcr D;k u gk] ;g lkjoku çek.k ugh gk ldrk gA*
>
> *(C) nkfMd fopkj.k—ifjfLFkfrtU; lk{;—vfHk;Dr dh vkijkfèkrk bfxr dju okyh ?kVukvk dh i.k J[kyk LFkkfir fd, tku dh vko';drk g—vfHk;Dr d nk"k d flok, fdlh lng d fcuk dkb ^vU; fu"d"k ikIr ugh gkuk pkfg,A***

निवेदन किया कि अपीलार्थी का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सांगली उर्फ संगनाथन (ऊपर)** मामले में अधिकथित विधि द्वारा पूरी तरह आच्छादित है क्योंकि वर्तमान दांडिक अपील में अभियोजन का मामला परिस्थिजन्य साक्ष्य पर आधारित है किंतु केवल अभियुक्त के दोष की ओर इंगित करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है क्योंकि अभियोजन ने विचारण के दौरान पूर्वोक्त मृत शरीर की बरामदगी की ओर ले जाने वाले अपीलार्थी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान को अभिलेख पर नहीं लाया है।

20. यह निवेदन किया गया था कि चूँकि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है, अपीलार्थी आरोप से दोषमुक्त किए जाने का हकदार है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **सुजीत विश्वास**

बनाम असम राज्य, 2014(1) East Cr. C. 266(SC) में निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है:–

"A. nkfMd fopkj.k—lk{;—lng pkg fdruk Hkh xHkhj gk] çek.k dk LFkku ugh y ldrk g—^gk ldrk g vkj ^gkuk pkfg,* d chp ekufld njh dkQh cMh g—vfHk;Dr dk nk"kfl) d :i e nfMr dju d igy Li"V] rdi.k ,o vufèk{ki.kh; lk{; }kjk ,lh njh r; dju dh vko';drk g—;g è;ku e j[kr g, fd ;fDr;Dr lng dkYifud rPNrk vFkok dkj.k ,o lkekU; ckèk ij vkèkkfjr vfèklHkk0; lng ek= ugh gA*

C. nM çfØ;k lfgrk] 1973—èkkjk 313—vfHk;Dr dk ijh{k.k—ulfxd U;k; d nk fl)krk vFkkr nlj i{k dk Hkh luk dh vko';drk ijh dju d fy, vk'kf;r vfHk;Dr dk mld lkFk tMh vijkèk e Qlku okyh ifjfLFkfr;k d lcèk e Li"Vhdj.k çLrr dju d fy, dgk x;k—n0 ç0 l0 dh èkkjk 313 d vèkhu ijh{k.k e ifjfLFkfr;k mld le{k ugh j[kh x;h—mld fo:) bldk mi;kx ugh fd;k tk ldrk gA

*E. nkfMd fopkj.k—çkFkfedh—lpd rF; dh tkudkjh gku rFkk ihfMr l fudV :i l lcfèkr gku dk nkok dju okyk 0;fDr—mll çkFkfedh e leLr çklfxd rF;k dk mYy[k dju dh mEehn dh tkrh g—ekey dh vfèklHkk0;rk dk çHkkfor dju oky egRoi.k rF;k dk yki—lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 11 d vèkhu çklfxd dkjdA***

और निवेदन किया कि संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, यह अभियुक्त का दोष प्रमाणित होने का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह के परे अपना आरोप सिद्ध करना होगा।

21. आगे यह निवेदन किया गया है कि सूचक ने अपने लिखित रिपोर्ट में प्रकटीकरण नहीं किया है कि क्योंकि सूचक का पुत्र दिनांक 5.10.2002 से गायब था।

22. समानांतर स्तंभ में, दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का समर्थन करते हुए विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री पंकज कुमार ने निवेदन किया कि इस मामले में अभियोजन दो मुख्य परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है अर्थात अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य—जब अ॰ सा॰ 1 द्वारा मृतक एवं अपीलार्थी को साथ देखा गया था और कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में अपीलार्थी की प्रेरणा पर मृत शरीर की बरामदगी और वह भी उसके अपने क्वार्टर से जहाँ मृत शरीर दफनाया गया था और बाद में खोद कर निकाला गया था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे अ॰ सा॰ 1 रामदेनी चौहान के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया जिसका बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया था जिसने साक्ष्य के क्रम के दौरान स्पष्टत: कथित किया है कि दिनांक 5.10.2002 को उपेन्द्र चौहान (मृतक) राजेश चौधरी के साथ था और ग्राम चिनाकुरी जा रहा था जहाँ उसका मृत शरीर बरामद किया गया था। यह तथ्य अ॰ सा॰ 8 सूचक द्वारा अपने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 1) में संपुष्ट किया गया है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने अ॰ सा॰ 2 परमेश्वर पांडे, अ॰ सा॰ 3 इंदल चौहान के साक्ष्य को भी निर्दिष्ट किया जिन्होंने भी पैरा 1 में इस तथ्य का समर्थन किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि इन गवाहों ने तथ्य कथित किया है कि रामदेनी चौहान अ॰ सा॰ 1 ने प्रकट किया है कि उपेन्द्र चौहान (मृतक) दिनांक 5.10.2002 को राजेश चौधरी के साथ उसके घर चिनाकुरी गया था।

23. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि इन साक्ष्यों के आधार पर उपेन्द्र चौहान (मृतक) को अंतिम बार अपीलार्थी राजेश चौधरी के साथ देखा गया था। अ॰ सा॰ 5 बलराम चौहान एवं अ॰ सा॰ 6 रामाशीष चौहान ने पैरा 1 में इस तथ्य का समर्थन किया है कि रामदेनी चौहान अ॰ सा॰ 1

ने प्रकट किया है कि उपेन्द्र चौहान (मृतक) राजेश चौधरी के साथ उसके घर चिनाकुरी गया था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे अ॰ सा॰ 11 सैकट कुमार दत्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी का साक्ष्य निर्दिष्ट किया जिन्होंने कथन किया है कि दिनांक 5.10.2002 को उसे आसनसोल में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया था और एस॰ डी॰ एम॰ के आदेश (प्रदर्श 4) के अनुपालन के लिए वह नियामतपुर पुलिस थाना एवं कुलटी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के साथ चिनाकुरी, कुलटी पुलिस थाना दीवान चौधरी के क्वार्टर गया था जो और कोई नहीं बल्कि राजेश चौधरी (अपीलार्थी) का पिता है। उसने कथन किया है कि पूर्वोक्त क्वार्टर के आंगन से मृत शरीर बरामद किया गया था और झरिया पी॰ एस॰ के एस॰ आई॰ राजेश नारायण वर्मा की उपस्थिति में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और गवाह दिनेश कुमार शुक्ला, राजेश कुमार, नियामतपुर का एस॰ आई॰ परिमल चटर्जी भी वहाँ उपस्थित थे। अ॰ सा॰ 8 सूचक भी उस समय उपस्थित था जिसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था। उसने आगे कथन किया कि मृत शरीर मिट्टी से बरामद किया गया था जो सतह के चार फीट नीचे दफनाया गया था और उस समय तक फोटोग्राफ भी लिया गया था। इस प्रकार, उन्होंने निवेदन किया कि अभियोजन मामला पूरी तरह से अपीलार्थी के विरूद्ध सिद्ध किया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज उसकी दोषसिद्धि मान्य ठहराए जाने योग्य है।

24. संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य के पुनः छानबीन के बाद, हमारा दृष्टिकोण है कि अपीलार्थी अपराधी है।

25. अ॰ सा॰ 12 तन्मय चंद्रा जो फोटोग्राफर है ने कथन किया कि नियामतपुर पुलिस के अनुरोध पर वह फोटोग्राफ लेने चिनाकुरी गया जहाँ उसने सात–आठ फोटोग्राफ लिया। जहाँ मृत शरीर बरामद किया गया था। इन फोटोग्राफों को इस मामले में पहचान के प्रयोजन से X-I से X-7 के रूप में चिन्हित किया गया था।

26. अ॰ सा॰ 14 डॉ॰ तपन कुमार बिश्वास, जिन्होंने शव परीक्षण किया ने निम्नलिखित पायाः (i) विघटित शरीर, पूरे शरीर पर कीड़े–मकोड़े रेंग रहे थे। खोपड़ी की अस्थि के दाएं भाग पर 4" लंबा गहरा जख्म। खोपड़ी की हड्डी का फ्रैक्चर। उन्होंने अपने मत में कथन किया है कि मृत्यु जीवित रहने के दौरान कारित वर्णित उपहतियों के कारण हुई थी। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट का कार्बन कॉपी सिद्ध किया है जिसे उनके द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित किया गया था और इसे आपत्ति के साथ प्रदर्श (5) चिन्हित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया है कि आरंभ से ही वह पैथोलॉजिस्ट था। उन्होंने कथन किया है कि शरीर खोलने के बाद उन्होंने पाया कि समस्त अंग विघटित थे। शव का अकड़न अनुपस्थित पाया गया। किंतु, उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु के समय से बीते समय का उल्लेख नहीं किया है जो पहलू उतना प्रासंगिक नहीं होगा।

27. अ॰ सा॰ 15 राजेश नारायण वर्मा है जो मामले का अन्वेषण अधिकारी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.10.2002 को वह झरिया पुलिस थाना में पदस्थापित था। उसने मामला दर्ज करने के संबंध में सूचक की लिखित रिपोर्ट पर झरिया पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा किए गए पृष्ठांकन को सिद्ध किया है और इसे प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 7 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसका इकबालिया बयान दर्ज किया और तत्पश्चात वह सूचक एवं उसके पुत्र के साथ नियामतपुर पी॰ एस॰ कुलटी में मृतक का मृत शरीर बरामद करने गया था। उसने कथन किया है कि स्थानीय पुलिस के अनुरोध पर मृत शरीर की बरामदगी के प्रयोजन से दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था। श्री सैकट कुमार दत्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी, कुलटी पी॰ एस॰ एवं नियामतपुर पी॰ एस॰ के प्रभारी अधिकारी, फोटोग्राफर तन्मय

चंद्रा, पुलिस बल, सूचक, उसका पुत्र और अभियुक्त राजेश चौधरी वहाँ गए थे और दंडाधिकारी के आदेश पर उन्होंने अभियुक्त के इंगित करने पर जगह खोदा और पानी की टंकी से मृतक उपेन्द्र चौहान का मृत शरीर बरामद किया गया था। मृतक के पिता सूरज चौहान द्वारा मृतक का मृत शरीर पहचाना गया था। उसने घर के आंगन से चादर एवं हथौड़ा भी बरामद किया है। उसने दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पूर्वोक्त वस्तुओं के संबंध में अभिग्रहण सूची तैयार किया है और इसे प्रदर्श 3/2 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने फोटोग्राफों को भी पहचाना है जिन्हें मृत शरीर की बरामदगी के दौरान लिया गया था जिसे अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसरण में बरामद किया गया था और इसे पहले ही प्रदर्श 'X' 1 से 'X' 7 के रूप में चिन्हित किया गया है।

28. अ॰ सा॰ 15 के अनुसार, प्रथम घटना स्थल सूचक सूरज चौहान का घर है जो विक्टरी कोलियरी, पी॰ एस॰ झरिया, जिला धनबाद में स्थित बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ क्वार्टर है और द्वितीय घटना स्थल चिनाकुरी क्वार्टर सं॰ 3, मंदिरपारा, पी॰ एस॰ कुलटी, जिला बर्दवान है जो राजेश चौधरी (अपीलार्थी) के पिता दीवान चौधरी का घर है और इसका द्वार पश्चिम की ओर है और यह ई॰ सी॰ एल॰ क्वार्टर है। लगभग 10 फीट लंबा एक कमरा है जहाँ दक्षिण-पूर्व भाग में चौकी रखी थी जिस पर उपेन्द्र चौहान (मृतक) सोया था। उसने कथन किया है कि पुराना पानी टंकी (सैरा) घर के आंगन के पश्चिमी कोने के पूर्व में स्थित है जहाँ मृतक का मृत शरीर बरामद किया गया था। उक्त पानी टंकी पर सीमेन्ट का प्लास्टर था और यह ईंट बालू से ढका हुआ था।

29. अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त साक्ष्य और इस तथ्य कि मृत शरीर अपीलार्थी के पिता के चिनाकुरी अवस्थित क्वार्टर सं॰ 3 के आंगन से बरामद किया गया था, की दृष्टि में केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 आकृष्ट होगी। इसका पठन है:–

> *"106.* ***fo'k"kr% tkudkjh d vèkhu rF; fl) dju dk Hkkj-*** *&tc dkb rF; fo'k"kr% fdlh 0;fDr dh tkudkjh d vrxr g] ml rF; dk fl) dju dk Hkkj ml ij gA*
>
> *n"Vkr%*
>
> *(a) tcfd dkb 0;fDr fdlh dk; dk ml vk'k; l fHkUu fdlh vk'k; l djrk g] tk ml dk; dk Lo:i vkj ifjfLFkfr;k bfxr djrh g] rc ml vk'k; dk lkfcr dju dk Hkkj ml ij gA*
>
> *(b) d ij jy l fcuk fVdV ;k=k dju dk vkjki gA ;g lkfcr dju dk Hkkj fd ml d ikl fVdV Fkk ml ij gA**"*

मृत शरीर की बरामदगी अपराध में फँसाने वाली परिस्थिति होने के नाते धारा 313 बयान के अधीन अपीलार्थी के समक्ष रखी गयी थी जिसमें उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि किस प्रकार मृत शरीर उसके पिता के घर जो अपीलार्थी के अनन्य कब्जा में था से पाया और इससे बरामद किया गया था। यह मुख्य परिस्थिति अपीलार्थी की अपराध की कारिता में अपराधिता के बारे में काफी कुछ कहती है।

30. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य (ऊपर)** में निर्णय का संबंध है, यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर सुभिन्न है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा विश्वास किए गए मामले में बरामदगी की ओर ले जाने वाला अपीलार्थी का इकबालिया बयान सिद्ध

नहीं किया गया था किंतु वर्तमान मामले में भी चिनकुरी, पी॰ एस॰ कुलटी अवस्थित अपीलार्थी के पिता के अनन्य कब्जे वाले घर से मृत शरीर की बरामदगी की ओर ले जाने वाला अपीलार्थी का इकबालिया बयान अभिलेख पर नहीं लाया गया है, किंतु मृतक का मृत शरीर एस॰ डी॰ एम॰, आसनसोल के आदेश द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी (अ॰ सा॰ 11) की उपस्थिति में बरामद किया गया था। कार्यपालक दंडाधिकारी ने यह तथ्य संपुष्ट किया कि मृत शरीर उनकी उपस्थिति में और अपीलार्थी की उपस्थिति में बरामद किया गया था। अतः इस तथ्य को तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के निबंधनानुसार मृत शरीर की बरामदगी अपीलार्थी की जानकारी में थी किंतु दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे जाने के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, पूर्वोक्त निर्णय इस मामले पर प्रयोज्य नहीं होगा। इस प्रकार, हमारा सुविचारित मत है कि अभियोजन ने परिस्थितियों की निम्नलिखित श्रृंखला के आधार पर अपना मामला पूरी तरह सिद्ध किया है:–

(i) fnukd 5.10.2002 dk lpd dk i= miUæ pkgku (erd) jkt'k pkèkjh (vihykFkh) d lkFk fpukdjh xko x;k FkkA

(ii) jkenuh pkgku (v0 lk0 1) u miUæ pkgku (erd) dk n[kk Fkk tk vfHk;Dr jkt'k pkèkjh d lkFk fpukdjh xko tk jgk Fkk vkj mlu ;g rF; lpd ljt pkgku (v0 lk0 8) dk crk;k FkkA

(iii) vU; xokgk tl v0 lk0 2, v0 lk0 3, v0 lk0 5, v0 lk0 6 u Hkh bl rF; dk leFku fd;k g fd jkenuh pkgku (v0 lk0 1) u ;g rF; çdV fd;k fd miUæ pkgku (erd) vfHk;Dr jkt'k pkèkjh d lkFk fpukdjh xko x;k FkkA

(iv) n0 ç0 l0 dh èkkjk 164 d vèkhu c;ku e mDr jkenuh pkgku u bl rF; dk Lohdkj fd;kA vU; xokgk u Hkh dFku fd;k g fd jkenuh pkgku u ;g rF; mudk çdV fd;k FkkA

(v) vihykFkh }kjk dh x;h lLohÑfr ij v0 lk0 15 vkb0 vk0 v0 lk0 8 d lkFk xke fu;kerij] ih0 ,l0 dyVh LFkkuh; ifyl d lkFk x;k Fkk vkj nMkfèkdkjh çfrfu;Dr fd;k x;k Fkk vkj mldh mifLFkfr e vihykFkh d firk d ?kj DokVj l0 3 l er 'kjhj cjken fd;k x;k FkkA ;g fo?kfVr voLFkk e Fkk] v0 lk0 8 lpd u er 'kjhj igpkukA

(vi) vUo"k.k vfèkdkjh v0 lk0 15 u ?kVuk LFky l gFkkMk cjken fd;k ftldk mi;kx erd dh gR;k d fy, fd;k x;k FkkA

(vii) MkDVj (v0 lk0 14) u 'ko ijh{k.k e vfHkfuèkkfjr fd;k fd erd d 'kjhj ij migfr vk;h FkhA

(viii) bu ifjfLFkfr;k dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 313 d vèkhu vfHk;Dr d le{k j[kk x;k Fkk fdr Li"Vhdj.k ugh fn;k x;k Fkk fd fdl çdkj er 'kjhj vihykFkh d firk d ?kj l cjken fd;k x;k FkkA

31. इन समस्त परिस्थितियों को साथ लेते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अधिमूल्यन के सुनिश्चित सिद्धांतों पर उनकी परीक्षा करने के बाद, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और विचारण न्यायालय ने सही प्रकार अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है। हम वर्तमान अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार, इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव (370 में)

लखन यादव (615 में)

हरि यादव एवं अन्य (717, 682 में)

सुखदेव यादव (630 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

Cr. Appeal (DB) Nos. 370, 615, 717, 682 with 630 of 2015. Decided on 2nd March, 2016.

दांडिक अपील (डी॰बी॰) सं॰ 370 वर्ष 2005 सत्र विचारण सं॰ 247 वर्ष 1999 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट VIII, गिरीडीह द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 25.2.2005 तथा दिनांक 3.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है।

दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 615, 717, 682 एवं 630 वर्ष 2015 सत्र विचारण सं॰ 32 वर्ष 2000 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश I, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 5.8.2015 तथा दिनांक 6.8.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149, 120B, 147, 148 एवं 323/149—हत्या, घोर उपहति एवं षडयन्त्र—दोषसिद्धि—अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया—विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य गवाहों के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया—अपराध की कारिता में परिणत होने वाले घटनाओं का क्रम अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट। (पैराएँ 13 से 17)

अधिवक्तागण.—M/s B.M. Tripathi, Navin Jaiswal, Nutan Sharma, (in 615), A.K. Sahani (in 682), S.K. Ughal, S.K. Samanta (in 370 & 717), For the Appellants; M/s Vijay Kr. roy, P.K. Appu, Ram Prakash Singh, Hemant Kr. Shikarwar, Awanish Shankar, For the State.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.—दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 370 वर्ष 2005 अपीलार्थी राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव द्वारा जमुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 41 वर्ष 1998 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 753 वर्ष 1998 के तत्सम एस॰ टी॰ केस सं॰ 247 वर्ष 1999 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट VIII, गिरीडीह द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 25.2.2005 एवं दिनांक 3.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 323/149, 302/149 एवं 120B के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आजीवन कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है किंतु शेष अपराधों जिनके लिए उसे दोषी अभिनिर्धारित किया गया है के लिए पृथक दंडादेश नहीं दिया गया है।

2. दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 615, 630, 682 एवं 717 वर्ष 2015 सत्र विचारण सं॰ 32 वर्ष 2000 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, गिरीडीह द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 5.8.2015 एवं दिनांक 6.8.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा समस्त अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149 एवं 148 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 10,000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम की स्थिति में

आगे एक वर्ष के सामान्य कारावास का दंडादेश दिया गया है किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन पृथक दंडादेश नहीं दिया गया है।

3. चूँकि पूर्वोक्त अपीलें एक एवं एक ही जमुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 41 वर्ष 1998 से उद्‌भूत हो रही हैं, अत: उन्हें साथ सुना गया है और इसे एक ही निर्णय से निपटाया जा रहा है।

4. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि गवाहों के साक्ष्य अभियोजन गवाह संख्या को निर्दिष्ट करने के बजाए उनको नामित करके निर्दिष्ट किया जाएगा क्योंकि सात गवाह दोनों सत्र विचारण में एक ही हैं और वे तात्विक गवाह हैं।

सत्र विचारण सं॰ 32 वर्ष 2000 में डॉ॰ कौशलेन्द्र कुमार अ॰ सा॰ 8 एवं गणेशी देवी अ॰ सा॰ 9 का परीक्षण नहीं किया गया है।

सहदेव यादव उर्फ महतो अ॰ सा॰ 8, गणेश प्रसाद विश्वकर्मा अ॰ सा॰ 9, डॉ॰ सुनील कुमार सिंह अ॰ सा॰ 10, अरविन्द चौधरी अ॰ सा॰ 11 वे गवाह हैं जिनका परीक्षण पूर्व सत्र विचारण सं॰ 247 वर्ष 1999 में नहीं किया गया था।

5. दिनांक 10.5.1998 को अपराह्न 2 बजे दर्ज धनेश्वर यादव के फर्दबयान से प्रतीत होने वाला अभियोजन मामला यह है कि मेठ (प्रमुख) निर्वाचित करने के लिए प्रखंड कृषि अधिकारी सुरेश प्रसाद, प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी बालमुकुंद सहाय, पंचायत सेवक मुन्नु राम हेम्ब्रम की उपस्थिति में गाँव में बैठक आयोजित की गयी थी और बैठक में मजदूरों की सूची भी प्रस्तुत की गयी थी। बैठक के क्रम में, सहदेव यादव एवं बरहन यादव के बीच जोरदार बहस हुई ओर इसलिए, तनाव बढ़ गया और बैठक स्थगित कर दी गयी थी। गाँववाले जो बैठक में भाग लेने आए थे, अपने गंतव्य की ओर जाने लागे। इस बीच, अपीलार्थी बरहान यादव (दांडिक अपील (डी॰ बी॰ सं॰ 717 वर्ष 2015 में अपीलार्थी (ने सुखदेव यादव को धरम यादव को निरूद्ध करने एवं उस पर प्रहार करने का आज्ञा दिया। ज्योंही धरम यादव सुखदेव यादव के घर के निकट पहुँचा, उसे अपीलार्थियों सुखदेव यादव, लखन यादव, राजेन्द्र यादव, अशोक यादव, सुदामा यादव (मृत), हरि यादव पुत्र स्व॰ रघुनाथ यादव द्वारा घेर लिया गया था और वे सब लाठी से धरम यादव पर प्रहार करने लगे। प्रहार के क्रम में सुखदेव यादव ने धरम यादव की हत्या करने के लिए कहा जिसके बाद राजेन्द्र यादव उर्फ राजू ने धरम यादव के मस्तक पर लाठी का वार किया, हरि यादव ने मस्तक के सामने के भाग पर लाठी से वार किया, अशोक यादव ने पेट पर वार किया जबकि सुदामा यादव ने पत्थर से धरम यादव पर प्रहार किया। धरम यादव की मृत्यु उपहति पाने के बाद घटना स्थल पर हो गयी। सूचक जो मृतक का पुत्र है ने रामचंद्र यादव, गोविन्द यादव, सुरेश यादव, मुन्ना यादव एवं सकलदेव यादव के साथ अपने पिता को बचाने दौड़ा किंतु तब तक (दांडिक अपील डी॰ बी॰) सं॰ 615 वर्ष 2015 में अपीलार्थी) लखन यादव ने पिस्तौल निकाला एवं गोली चालाया। (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 682 वर्ष 2015 में अपीलार्थीगण अर्थात हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव एवं बिनोद यादव ने सकलदेव यादव को घेर लिया और लाठी से उस पर प्रहार कारित किया। तब दुष्टों ने धमकी दिया, जो भी मध्यक्षेप करने का प्रयास करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी।

6. धनेश्वर यादव के फर्दबयान के आधार पर समस्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 337, 307 एवं 302 के अधीन जमुआ पी॰ एस॰ केस सं॰ 41 वर्ष 1998 दर्ज किया गया था। अन्वेषण किया गया था और आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तद्‌नुसार संज्ञान लिया गया था।

7. चूँकि अन्य अपीलार्थीगण उपलब्ध नहीं थे, अपीलार्थी राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव का मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 247 वर्ष 1999 के रूप में दर्ज किया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 323/149, 337/149, 302/149 तथा 120B के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

एस॰ टी॰ सं॰ 247 वर्ष 1999 में कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया गया था और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव को दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया।

8. शेष अपीलार्थियों की उपस्थिति सुरक्षित की गयी थी और उन अपीलार्थियों के विरूद्ध मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 32 वर्ष 2000 के रूप में दर्ज किया गया था। समस्त आठों अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323/149, 337/149, 307/149, 302/149 एवं 120B के अधीन आरोप विरचित किए गए थे। अपीलार्थी लखन यादव को आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 148 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोपित किया गया था जबकि शेष सात अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था। चूँकि अपीलार्थियों ने आरोप स्वीकार नहीं किया था, उनका विचारण किया गया था।

9. आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया है जबकि अपीलार्थी सुखदेव ने स्वयं का ब॰ सा॰ 1 के रूप में परीक्षण करवाया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज पर विचार करते हुए समस्त आठों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149 एवं 148 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने शेष अपराधों के लिए दोषमुक्ति दर्ज किया।

10. दोनों मामलों में तात्विक गवाह महेन्द्र यादव, सुरेश यादव, सकलदेव यादव (घायल चश्मदीद गवाह), गोविन्द यादव, मुन्ना लाल यादव, रामचंद्र यादव एवं धनेश्वर यादव (सूचक) हैं।

11. अपीलार्थियों ने आक्षेपित निर्णय का विरोध मुख्यत: इस आधार पर किया है कि विचारण न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद से धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों को दोषी अभिनिर्धारित करने में गलती किया है। यह अभियोजन का स्वीकृत मामला है कि मेठ (प्रमुख) निर्वाचित करने के लिए बैठक बुलायी गयी थी जिसमें अपीलार्थीगण सूचक पक्ष एवं अन्य गाँव वाले उपस्थित हुए थे। कुछ कारण से मेठ (प्रमुख) का चुनाव पूरा नहीं किया गया था और बैठक में उपस्थित लोग बिखर गए थे और अपने-अपने गंतव्यों की ओर जाने लगे थे। विधिविरूद्ध जमाव का प्रश्न ही नहीं था और इसलिए, किसी की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य का प्रश्न उद्भूत नहीं होता था उस विधिपूर्ण जमाव का सामान्य उद्देश्य मेठ (प्रमुख) निर्वाचित करना था। लौटने के समय पर, रास्ते में, यदि कोई घटना हुई, प्रत्येक अभियुक्त उसके द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्य के लिए दायी अभिनिर्धारित किया जाएगा। अभियोजन का स्वीकृत मामला यह है कि अपीलार्थियों में से कोई भी घातक हथियार से लैस नहीं था और वे अपराध करने के लिए जमा नहीं हुए थे। चूँकि बैठक में मतभेद था, दो गुटों के बीच जोरदार बहस हुई थी। उस समय पर वे अपने-अपने घर जा रहे थे, कुछ घटना हुई जिसमें अभियुक्तों द्वारा धरम यादव को प्रहार के अध्यधीन किया गया था जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है और वे सुखदेव यादव, राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव, अशोक यादव, हरि यादव पुत्र रघुनाथ यादवं सुदामा यादव (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) हैं। प्रहार कारित करने के लिए बरहन यादव द्वारा दुष्प्रेरण किया गया था और उसने धरम यादव की हत्या करने के लिए कहा किंतु प्रहार में भाग नहीं लिया था। यदि अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य को सही स्वीकार किया जाता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन अपराध नहीं बनता है और

अपीलार्थीयों जिनके विरूद्ध प्रहार का अभिकथन है को शायद ही भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है। डॉ॰ कौशलेन्द्र कुमार जिन्होंने धरम यादव के मृत शरीर का शव परीक्षण किया ने उपहतियों को वर्णित किया है, जिन्हें उनके द्वारा ध्यान में लिया गया था और उपहतियाँ निम्नलिखित हैं:–

(a) ikLVhfj;j ,fDlyjh ykbu d fuiy l frjN :i l LFkkfir Nkrh d ck, Hkkx ij 6"x 1½" [kjkpA

(b) ck, vkj d iV d mijh Hkkx ij 1" x 1/2" dk [kjkpA

(c) [kkiMh dh [kky d ck, ijkbVy {k= d ikLVhfj;j igy d mij 1/2" x 1/4" x 1/8" dk fonh.k t[eA

(d) [kkiMh dh [kky dk vkDlhihVy {k= nck gvk FkkA

यह तर्क किया गया है कि मृतक पर लाठी का केवल दो वार किया गया था और उसपर पत्थर बरसाया गया था। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अत्यन्त गलत एवं अपास्त किए जाने का दायी है।

अपीलार्थीगण अर्थात हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव, बिनोद यादव (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 682 वर्ष 2015 में) और लखन यादव (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 615 वर्ष 2015 में) एक अन्य बचाव के साथ सामने आए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि घटना दो भाग में हुई। घटना के पहले भाग में अपीलार्थी बरहन यादव द्वारा आज्ञा दी गयी थी जिसने सुखदेव यादव को धरम यादव पर प्रहार करने का आदेश दिया। तत्पश्चात्, सुखदेव यादव, राजेन्द्र यादव, अशोक यादव, हरि यादव पुत्र रघुनाथ यादव एवं सुदामा यादव ने धरम यादव को घेर लिया और लाठी एवं पत्थर से उसपर प्रहार कारित किया। सूचक अपने फर्दबयान में अत्यन्त निश्चित था कि उन व्यक्तियों द्वारा घटना स्थल पर धरम यादव की हत्या की गयी थी। यदि उसके विवरण में सूचना सही है, उसके पास अपने पिता धरम यादव का जीवन बचाने की गुंजाइश नहीं थी। अधिकाधिक, यह कहा जा सकता था कि सूचक एवं उसके साथी जब धरम यादव का मृत शरीर देखने के लिए आगे बढ़े, उन्हें धमकी दी गयी थी। अभियोजन ने अब यह कहकर कि लखन यादव ने गोली चलाया था किंतु यह किसी को नहीं लगा, घटना का दूसरा भाग अंत:स्थापित किया है। हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव एवं बिनोद यादव ने धमकी दिया और लाठी से सकलदेव यादव पर प्रहार कारित किया। इस मोड़ पर, यह इंगित किया गया है कि सकलदेव यादव को कारित प्रहार के संबंध में उपहति रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लायी गयी है और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 अथवा धारा 323/149 के अधीन दोषसिद्धि दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। यह अभियोजन का स्वीकृत मामला है कि इन चारों अपीलार्थियों ने घटना के पहले भाग में भाग नहीं लिया था और उन्होंने मृतक पर प्रहार कारित नहीं किया था। उक्त कथित परिस्थितियों में, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद से हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था। घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति उस विधिविरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में नहीं मानी जा सकती थी जिसे अभिकथित रूप से घटना स्थल पर धरम यादव की हत्या करने के लिए निर्मित किया गया था। उक्त कथित परिस्थितियों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की दृष्टि में पूर्वोक्त चार अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने की दायी है। आगे यह इंगित किया गया है कि अपीलार्थी लखन यादव आगे आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोपित किया गया था किंतु इसे अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया था और इसलिए उसे दोषमुक्त किया गया। हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव एवं बिनोद यादव को भारतीय

दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया था और इसलिए, उनके विरूद्ध दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश अत्यन्त गलत है और वे भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने के दायी नहीं हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था किंतु उस अपराध के लिए दोषसिद्धि दर्ज नहीं की गयी थी। चूँकि अपीलार्थी लखन यादव को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन विरचित आरोप से दोषमुक्त किया गया है, घातक हथियारों के साथ दंगा करने का प्रश्न समाप्त हो जाता है, अत:, भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दर्ज दोषसिद्धि अपास्त किए जाने की दायी है।

12. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध किया है। सात चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने पूर्णत: अभियोजन मामले का समर्थन किया है। डॉ॰ कौशलेन्द्र कुमार ने सत्र विचारण सं॰ 247 वर्ष 1999 में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है और सत्र विचारण सं॰ 32 वर्ष 2000 में शव परीक्षण रिपोर्ट औपचारिक रूप से चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिद्ध की गयी है और वह चिकित्सा अधिकारी डॉ॰ सुनील कुमार अ॰ सा॰ 10 है। किसी भी गवाह से विरोधाभास नहीं निकाला गया है और इसलिए, अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण घातक नहीं है। चूँकि चश्मदीद गवाहों ने संपूर्ण घटना का वास्तविक विवरण दिया है, घटना स्थल सिद्ध करने के लिए आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण अतात्विक बन जाता है। दोनों सत्र विचारण में, समस्त अपीलार्थियों को सही प्रकार से दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. परस्पर विरोधी निवेदन सुना गया और दोनों मामलों के संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया गया। चश्मदीद गवाहों अर्थात महेन्द्र यादव, सुरेश यादव, सकलदेव यादव, गोविन्द यादव, मुन्ना लाल यादव, रामचंद्र यादव एवं धनेश्वर यादव (सूचक) जिनका दोनों मामलों में परीक्षण किया गया है, के साक्ष्य पर विचार करने के बाद हम पाते हैं कि अभियोजन गवाहों ने किसी गलती के बिना सिद्ध किया है कि धरम यादव की हत्या बैठक के स्थान से निकलने के बाद सुखदेव यादव के घर के निकट की गयी थी। अपीलार्थियों के विरूद्ध अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य कहानी सृजित करता है कि मेठ (प्रमुख) निर्वाचित करने के लिए बैठक बुलायी गयी थी और अपीलार्थियों, मृतक, सूचक पक्ष एवं अन्य गाँव वालों ने इसमें भाग लिया था। गाँववालों के बीच मतभेद के कारण बैठक स्थगित की गयी थी और मेठ (प्रमुख) का चुनाव नहीं किया जा सका था। तत्पश्चात, बैठक में उपस्थित गाँववाले अपने अपने गंतव्यों की ओर जाने लगे। इस बीच, अपीलार्थियों में से एक बरहन यादव ने सुखदेव यादव को धरम यादव (मृतक) पर प्रहार कारित करने का आदेश दिया। सुखदेव यादव अपने सहयोगियों हरि यादव पुत्र रघुनाथ यादव, राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव, अशोक यादव एवं सुदामा यादव के साथ लाठी से धरम यादव पर प्रहार कारित किया और घटना स्थल पर उसकी हत्या कर दी। जब सूचक एवं उसके साथी ने मध्यक्षेप करने का प्रयास किया, उन्हें धमकी दी गयी थी और अपीलार्थी लखन यादव द्वारा गोली चलायी गयी थी जो किसी को नहीं लगी थी। अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया शव परीक्षण रिपोर्ट यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि धरम यादव की मृत्यु मानववध थी और कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा उसको कारित मस्तक उपहतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

14. अब हमें विनिश्चित करना है कि घटना का कौन सा भाग विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया था, यदि बैठक समाप्त होने के बाद इसे निर्मित किया गया था।

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह पहले ही उपदर्शित किया गया है कि बरहन यादव ने सुखदेव यादव को धरम यादव पर प्रहार कारित करने का आदेश दिया जिसके बाद सुखदेव एवं उसके सहयोगियों अशोक यादव, राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव, सुदामा यादव, हरि यादव पुत्र रघुनाथ यादव ने प्रहार में भाग लिया और धरम यादव की हत्या की। अतः, यह अच्छी तरह से कहा जा सकता था कि ज्योंही अपीलार्थी बरहन यादव द्वारा आदेश दिया गया था, साथी अभियुक्त अर्थात सुखदेव यादव, हरि यादव पुत्र रघुनाथ यादव, अशोक यादव, राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव और सुदामा यादव ने धरम यादव पर प्रहार कारित करने के आशय से विधि विरूद्ध जमाव निर्मित किया। चूँकि धरम यादव की घटना स्थल पर हत्या कर दी गयी थी, यह कहा जा सकता था कि विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य धरम यादव की हत्या करना था। उन व्यक्तियों द्वारा घटना स्थल पर धरम यादव की हत्या की गयी थी, इसे दृढ़तापूर्वक सूचक एवं अन्य गवाहों द्वारा अभिपुष्ट किया गया था। इसलिए उस विधिविरूद्ध जमाव का उद्देश्य समाप्त हो गया, अतः, घटना के बाद का भाग जिसमें अपीलार्थियों अर्थात हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव, बिनोद यादव एवं लखन यादव ने भाग लिया था और उनके द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कृत्य उक्त विधि विरूद्ध जमाव का उद्देश्य नहीं था। उक्त के अतिरिक्त, अपीलार्थियों अर्थात हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव, बिनोद यादव एवं लखन यादव ने न तो धरम यादव पर प्रहार कारित करने में भाग लिया था। और न ही धरम यादव की हत्या के पहले उनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है कि धरम यादव जीवित था और प्रहार किया जा रहा था, सूचक एवं उसके साथी ने मदद करने का प्रयास किया किंतु उन्हें इन अपीलार्थियों द्वारा रोका एवं अवरूद्ध किया गया था बल्कि यह स्पष्ट मामला है कि धरम यादव की पहले ही हत्या की जा चुकी थी और यह सूचक को अच्छी तरह ज्ञात था।

15. उपर की गयी परिचर्चाओं की दृष्टि में, हम अपीलार्थीगण अर्थात् हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव, बिनोद यादव तथा लखन यादव के विरूद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का निर्णय तथा दण्डादेश बरकरार रखने के ईच्छुक नहीं हैं तथा उनके विरूद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि तथा दण्डादेश अपास्त किया जाता है।

जहाँ तक सत्र विचारण सं॰ 32 वर्ष 2000 में पूर्वोक्त अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन विचारण न्यायाधीश द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का संबंध है, यह अनावश्यक है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अपीलार्थियों हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव एवं बिनोद यादव के विरूद्ध आरोप विरचित नहीं किया गया था और आरोपित नहीं किए जाने पर उन्हें उक्त अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।

जहाँ तक अपीलार्थी लखन यादव का संबंध है, हमने पहले ही अभिनिर्धारित किया है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी नहीं है और उसे आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन घातक हथियार के साथ दंगा करने के लिए दोषसिद्धि मान्य नहीं ठहरायी जा सकती थी। तद्नुसार, अपीलार्थी लखन यादव के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन दर्ज दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश भी अपास्त किया जाता है।

अपीलार्थीगण हरि यादव पुत्र गुलाब यादव, सहदेव यादव, बिनोद यादव एवं लखन यादव जमानत पर हैं। उन्हें उनके अपने अपने जमानत बंधपत्रों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है और निर्मुक्त किया जाता है।

16. परिणामस्वरूप, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 615 एवं 682 वर्ष 2015 अनुज्ञात किया जाता है।

17. हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उपदर्शित किया है कि मेठ (प्रमुख) के निर्वाचन के लिए बैठक स्थगित किए जाने के बाद, बैठक में उपस्थित गाँववाले अपने गंतव्यों की ओर जाने लगे। जब मृतक धरम यादव सुखदेव यादव के घर के निकट पहुँचा, अपीलार्थी बरहन यादव ने धरम यादव को अवरूद्ध करने तथा उसकी हत्या करने के लिए उकसाया जिसके बाद सुखदेव यादव, राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव, अशोक यादव, सुदामा यादव और हरि यादव पुत्र स्व॰ रघुनाथ यादव ने लाठी से धरम यादव पर प्रहार कारित किया और उसकी हत्या की। प्रहार के क्रम में, सुखदेव यादव ने हत्या करने का आदेश दिया जिसका अनुसरण अपीलार्थी राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव द्वारा किया गया था जिसने धरम यादव के मस्तक पर लाठी का वार किया। जैसी चर्चा उपर की गयी है, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थीगण लखन यादव, हरि यादव पुत्र, स्व॰ गुलाब यादव, सहदेव यादव एवं बिनोद यादव ने धरम यादव पर प्रहार कारित करने में भाग नहीं लिया था। अत:, अपीलार्थियों अर्थात राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव, हरि यादव पुत्र रघुनाथ यादव बरहन यादव, अशोक यादव एवं सुखदेव यादव द्वारा प्रहार की घटना में भाग लिया गया था। विधि विरूद्ध जमाव, यदि बरहन यादव के उकसावा पर निर्मित किया गया था, तब इसे पूर्वोक्त अपीलार्थियों द्वारा निर्मित किया गया था जिन्होंने मृतक धरम यादव पर प्रहार कारित किया। मामले के पूर्वोक्त पहलूओं और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार करके हमने अपीलार्थी लाखन यादव (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 615 वर्ष 2015 में और अपीलार्थियों हरि यादव पुत्र स्व॰ गुलाब यादव, सहदेव यादव एवं बिनोद यादव (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 682 वर्ष 2015 में) का मामला दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 370 वर्ष 2005, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 717 वर्ष 2015 एवं दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 630 वर्ष 2015 में शेष अपीलार्थियों के मामले से अलग किया है। परिणामस्वरूप, हम एतद् द्वारा अपीलार्थियों राजेन्द्र यादव उर्फ राजू यादव, हरि यादव पुत्र स्व॰ रघुनाथ यादव, बरहन यादव, अशोक यादव एवं सुखदेव यादव के विरूद्ध दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश संपोषित करते हैं।

तद्नुसार, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 370 वर्ष 2005, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 717 वर्ष 2015 एवं दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 630 वर्ष 2015 खारिज की जाती है।

अपीलार्थी सुखदेव यादव का जमानत बंध पत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। उस दंडादेश भुगतने के लिए दोषसिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है जिसके अनुपालन में विफलता पर दोषसिद्ध करने वाला/उत्तरवर्ती न्यायालय उसके विरूद्ध आदेशिका जारी करके उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का समस्त प्रयास करेगा।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

श्रीमती रंभा देवी एवं अन्य

cuke

बैजनाथ सिंह

S.A. No. 239 of 2014. Decided on 22nd July, 2016.

बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982—धाराएँ 11(1)(c) एवं 11(1)(d)—बेदखली—किराया के भुगतान में व्यतिक्रम एवं मकान मालिक की निजी आवश्यकता—अवर न्यायालयों ने वादी का अभिधान विनिश्चित नहीं किया है न ही ऐसा विवाद्यक विरचित किया गया था—इसके लिए तर्कपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने का प्रश्न बिलकुल उद्भूत नहीं होता है—अभिवचनों के आधार पर अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं करते हैं—अपील खारिज की गयी।

(पैराएँ 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–AIR 2014 SC 1394; 2007 (3) JCR 581 (Jhr.)—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s H.K. Mehta, Manjushri Patra, For the Appellants; M/s Rohit Roy, J.K. Mazumdar, Pratik Sen, For the Respondents.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.—यह द्वितीय अपील अभिधान अपील सं॰ 111/2008 के संबंध में जिला न्यायाधीश IX, धनबाद द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 24.11.2014 के निर्णय और दिनांक 5.12.2014 की डिक्री के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अभिधान (बेदखली) वाद सं॰ 34/2001 के संबंध में प्रथम अपर मुंसिफ, धनबाद द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 2.8.2008 का निर्णय एवं दिनांक 11.8.2008 की डिक्री अभिपुष्ट किया गया है।

2. यह अपील दिनांक 12.3.2015 को विधि का निम्नलिखित सारवान प्रश्न विनिश्चित करने के लिए ग्रहण की गयी है:–

*^^D;k fo}ku voj U;k;ky; u okn d i{k e fu.k; rFkk fMØh ikfjr dju d igy fdlh rdi.k lk{; d vkèkkj ij okn d vfèkdkj] vfHkèkku ,o fgr ij fopkj fd;k g**

3. वादी का मामला संक्षेप में यह है कि मूल प्रतिवादी सुदामा सिंह को इंगलिश कैलेन्डर के अनुसार प्रत्येक उत्तरवर्ती माह के प्रथम सप्ताह तक प्रतिवादी द्वारा वादी को भुगतेय 300/- रुपया प्रतिमाह मासिक किराया पर अनुसूची A संपत्ति के एक भाग में वादी के अधीन मासिक किराएदार के रूप में प्रवेश दिया गया था। किराया वाला भाग वादपत्र की अनुसूची B में वर्णित किया गया है। अनुसूची B संपत्ति के अतिरिक्त, प्रतिवादी 100/- रुपया के मासिक किराया पर दुकान का अधिभोग भी कर रहा था जो प्रतिवादी द्वारा वादी को इंगलिश कैलेन्डर के अनुसार प्रत्येक उत्तरवर्ती माह के बाद भुगतेय था।

मासिक किराया के भुगतान के संबंध में विवाद उद्भूत हुआ और दिनांक 9.11.1998 को पंचायती की गयी थी और उक्त पंचायती में वादी एवं प्रतिवादी दोनों ने भाग लिया। पंचों द्वारा निर्णय किया गया था कि प्रतिवादी नियमित रूप से वादी को किराया परिसर के मासिक किराया का भुगतान करेगा। निर्णय लेखबद्ध किया गया था, दोनों पक्षों द्वारा अभिस्वीकृत किया गया था और उसे प्रदर्श 2 के रूप में सिद्ध किया गया है।

वादी का आगे मामला यह है कि पक्षों के बीच हुए समझौते के बावजूद प्रतिवादी दिसंबर, 1998 से अनुसूची B परिसर के विरूद्ध मासिक किराया का भुगतान करने में विफल रहा और वादी द्वारा बारम्बार मांग एवं आग्रह किये जाने के बावजूद प्रतिवादी ने किराया का भुगतान नहीं किया था और विधि की दृष्टि में व्यतिक्रमी बन गया है।

वादी ने आगे मामला बनाया है कि परिवार बड़ा हो जाने के कारण उसके निजी उपयोग एवं अधिभोग के लिए भी उक्त परिसर की आवश्यकता थी और इसे प्रतिवादी के ध्यान में भी लाया गया था और वाद परिसर खाली करने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 23.10.2000 को जब वादी ने प्रतिवादी से किराया मांगा, उसके पुत्रों ने वादी को गंभीर परिणामों की धमकी दी। वादी ने प्रतिवाद किया है कि अनुसूची B परिसर से आंशिक बेदखली आवश्यकता परिपूर्ण नहीं करेगी, अत: वादी को अपने निजी सद्भावपूर्ण उपयोग एवं अधिभोग के लिए संपूर्ण अनुसूची B परिसर की आवश्यकता है। पक्षों के बीच चले आ रहे विवाद के कारण दांडिक मामले भी संस्थित किए गए थे और अंतत: प्रतिवादी दिसंबर, 2000 में मार्च, 2001 तक वाद परिसर खाली करने के लिए सहमत हुआ और वह अपने परिवार के साथ स्वयं अपने घर में चला जाएगा जो किराया परिसर के दक्षिण दिशा की ओर अवस्थित है किंतु उसने अपना

वादा नहीं निभाया और इसलिए वर्तमान वाद का हेतुक दिसंबर, 1998 को एवं से तथा दिनांक 30.4.2001 की तिथि जब प्रतिवादी ने किराया परिसर खाली करने से इनकार किया पर उद्भूत हुआ।

वादी ने 7,800/- रुपयों की सीमा तक किराया के बकाया का दावा भी किया है जैसा वाद पत्र की अनुसूची C के अधीन वर्णित किया गया है।

4. प्रतिवादी उपस्थित हुआ और अन्य बातों के साथ यह प्रतिवाद करते हुए अपना लिखित कथन दाखिल किया कि बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम के अधीन बेदखली वाद प्रतिवादी के विरूद्ध पोषणीय नहीं है। वाद पक्षों के असंयोजन एवं कुसंयोजन के कारण और वाद संपत्ति के अस्पष्ट वर्णन के कारण भी दोषपूर्ण है।

प्रतिवादी ने प्रश्न किया है कि वादी ने वाद पत्र में प्रकट नहीं किया है कि किस प्रकार वह वाद संपत्ति का स्वामी बन गया है और वाद परिसर के विरूद्ध उसका स्वामित्व दर्शाने के लिए वाद पत्र के साथ कागज का कोई टुकड़ा भी नहीं दाखिल किया गया है। प्रतिवादी ने मकान मालिक–किराएदार संबंध से इनकार किया है और निवेदन किया है कि समय के किसी बिंदु पर उसे वाद परिसर में किराएदार के रूप में प्रवेश नहीं दिया गया था, अतः, 300/- रुपया प्रति माह की दर पर किराया के भुगतान का प्रश्न बिलकुल उद्भूत नहीं होता है था। वस्तुतः खाता सं॰ 24, भूखंड सं॰ 332 एवं अन्य भूखंडों के अधीन मौजा झरिया फतेहपुर में बहुत सी खाली भूमि पर, जिसे बालूगदा कहा जाता है, अनेक व्यक्ति अपना जीवनयापन करने आए और उन्होंने उक्त भूमि पर झोपड़ियों का निर्माण किया और वहाँ रहने लगे। सम्यक् क्रम में, झोपड़ियों के निर्माण की प्रकृति बदल गयी और झोपड़ियां कच्चा खपड़ा घर में संपरिवर्तित हो गयीं और कुछ लोगों ने उक्त भूमि पर पक्का निर्माण भी किया है। प्रतिवादी के पिता और स्वयं प्रतिवादी ने भी उक्त भूमि पर निर्माण किया और वे उसी घर में रहने लगे। उसने किराना दुकान चलाना भी शुरू किया इसी प्रकार से, वादी भी अपने पिता के साथ वर्ष 1954 में आया और उक्त भूमि पर विभिन्न झोपड़ियों का निर्माण करवाया। वादी ने उन झोपड़ियों में कुछ लोगों को किराएदार के रूप में प्रवेश दिया और कुछ किराएदार उन घरों में रह रहे हैं।

प्रतिवादी का आगे मामला यह है कि वादी ने झूठा कथन किया है कि अपने सद्भावपूर्ण उपयोग एवं अधिभोग के लिए उसे वाद परिसर की आवश्यकता है और वह उस आधार पर किसी डिक्री का हकदार नहीं है क्योंकि वह उक्त संपत्ति का स्वामी नहीं है। वादी ने केवल प्रतिवादी को परेशान करने के लिए वाद लाया है और वह बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(1)(c) अथवा धारा (1) (d) के अधीन किसी अनुतोष का हकदार नहीं है।

5. पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विद्वान प्रथम अपर मुंसिफ, धनबाद द्वारा निम्नलिखित विवाद्यकों को विरचित किया गया था:–

(I) D;k ;Fkk fojfpr okn viu oreku Lo:i e ik"k.kh; g

(II) D;k okn d fy, okn grd g

(III) D;k okn vfèkR;tu] fooèk ,o mier d fl)kr d vèkhu oftr g

(IV) D;k i{kk d chp edkuekfyd&fdjk,nkj dk lcèk g

(V) D;k çfroknh fdjk;k d Hkxrku e 0;frØeh g

(VI) D;k oknh dk viu futh mi;kx ,o vko';drk d fy, ;fDr;Dr :i l ,o lnHkkoi.k :i l okn ifjlj dh vko';drk g

(VII) D;k okn ifjlj dk o.ku lgh ,o igpku tku ;kX; g

(VIII) D;k oknh nkok fd, x, vurk"k dk gdnkj g\ ;fn gk] rk fdl lhek rd

(IX) D;k oknh fdjk;k d cdk;k dk gdnkj g

6. वादी एवं प्रतिवादी ने अपने दावा एवं प्रतिवाद के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया।

7. विद्वान मुंसिफ ने पैरावार विवाद्यकों पर चर्चा किया है और कारण देने के बाद वाद दोनों आधारों पर वादी के पक्ष में डिक्री किया और प्रतिवादी को निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर वाद परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

8. विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रतिवादी/अपीलार्थी ने विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष अभिधान अपील सं॰ 111/2008 दाखिल किया जिसे विद्वान जिला न्यायाधीश IX, धनबाद के न्यायालय को अंतरित किया गया था और वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में विनिश्चित किया गया था। अभिधान (बेदखली) वाद सं॰ 34/2001 के संबंध में विद्वान प्रथम अपर मुंसिफ, धनबाद द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री संपुष्ट किया गया था और अपील प्रतिवाद पर खारिज कर दी गयी।

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि वादी ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था कि वह वाद संपत्ति का स्वामी है। चूँकि प्रत्यर्थी का वाद संपत्ति पर वैध अधिकार, अभिधान एवं हित नहीं है, दोनों अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किए जाने के दायी हैं। वादी ने और प्रतिवादी ने भी संपत्ति के स्वामी के रूप में अपने दावा के समर्थन में एक ही एवं समरूप प्रकृति का दस्तावेज प्रस्तुत किया है किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार किया है और उसको वाद संपत्ति के स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। तर्क एवं निष्कर्ष इस कारण से मान्य नहीं है कि भूमि जिस पर वाद परिसर का निर्माण किया गया था, खाली पड़ी थी और यह झरिया के कोलियरी क्षेत्र के अंतर्गत बालू से भरी थी। अनेक लोग अपनी जीविका अर्जित करने 1950 तथा 1960 के दशक में झरिया आए और उन खाली भूमि पर झोपड़ियों का निर्माण किया और वहाँ रहने लगे। स्वीकृत रूप से, वादी अथवा प्रतिवादी अथवा अन्य लोग जिन्होंने उन खाली भूमि पर घरों का निर्माण किया था, संपत्तियों के संपूर्ण स्वामी नहीं हैं और उनका भूमि के अपने-अपने टुकड़ों जिन पर उन्होंने अपने अपने घरों का निर्माण किया है के विरूद्ध वैध अधिकार, अभिधान एवं हित नहीं है। चूँकि वादी/प्रत्यर्थी का अभिधान गलत रूप से विनिश्चित किया गया है, दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष अपास्त किए जाने के दायी हैं। अपीलार्थीगण ने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया है:–

(I) 1995 Supp (1) SCC 418— ek0 ;ul cuke x:cD'k flg(

(II) (2002)6 SCC 404—;nkjko nkftck Jko.k cuke ukuhyky gjdpn 'kkg ,o vU;(

(III) (2002)7 SCC 441/– jru no cuke ile noh(

(IV) 1995 Supp (4) SCC 534—lnk u;dk okfn;kj ,o vU; cuke jkekLokeh v;;j(

(V) (2007) 14 SCC 587—ljthr flg cuke ukud flg(

(VI) 2007(3) JCR 581 (Jhr.) fryd jkt VMu cuke clèkk dkd (bfM;k) çk0 fy0] èkulkj] èkuckn ,o vU; ln'k ekeyA

10. खंडन में, वादी/प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100 की उपधारा (5) को निर्दिष्ट करके निवेदन किया है कि पक्षों के बीच विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए विधि का ऐसा सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है। यह कहना सही नहीं है कि अवर न्यायालयों ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादी का अधिकार, अभिधान एवं हित विनिश्चित किया है। वादी ने वाद परिसर पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए वाद नहीं लाया है बल्कि वाद विशेष अधिनियम के विशेष प्रावधान के अधीन अर्थात बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(1)(c) एवं 11(1)(d) के अधीन लाया गया था। बिहार भवन (पट्टा किराया तथा निष्काषण) नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(f) उक्त अधिनियम के अधीन बेदखली वाद लाने के लिए मकान मालिक की परिभाषा देता है। यदि बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 11 के अधीन उल्लिखित आधारों को वादी द्वारा सिद्ध किया जाता है, प्रतिवादी/किराएदार उससे बेदखल किए जाने का दायी होगा। बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम जो विशेष विधान है के अधीन बेदखली वाद में प्रश्नगत संपत्तियों के अभिधान का प्रश्न विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और इसे वादी द्वारा लाए गए वाद में किया भी नहीं गया है और वह विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और इसे वादी द्वारा लाए गए वाद में किया भी नहीं गया है और वह विरचित किए गए विवाद्यकों से स्पष्ट है। इस संदर्भ में, वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **केशर बाई बनाम चुन्नुलाल, AIR 2014 SC 1394,** पैरा 14 पर विश्वास किया है।

यह निवेदन किया गया था कि बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण, अधिनियम के अधीन लाए गए बेदखली वाद में, विनिश्चित किया जाने वाला सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि ''क्या पक्षों के बीच मकान मालिक किराएदार संबंध विद्यमान है।'' यदि न्यायालय का मत सकारात्मक है, तब न्यायालय आगे उन आधारों को देखेगा जिनपर बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम के अधीन बेदखली वाद लाया गया था। यदि वादी द्वारा लिया गया आधार दस्तावेजों एवं साक्ष्य से सिद्ध हुआ, वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जा सकता है। वादी ने आगे निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया है:–

(I) AIR 2014 SC 1394—i jk 9, 14

(II) 2003(4) JLJR 245 (SC)—i jk 4

(III) AIR 1983 PAT 321—i jk 7, 8 ,o 9

(IV) AIR 1999 SC 1441—i jk 15, 16

11. दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों को परखने के लिए मैंने इस अपील को विनिश्चित करने के लिए दिनांक 12.3.2015 को इस न्यायालय द्वारा निरूपित विधि के सारवान प्रश्न का परिशीलन किया है। मैंने विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यकों का भी परिशीलन किया है। मैं नहीं पाता हूँ कि विचारण न्यायालय ने पक्षों के अधिकार, अभिधान एवं हित को विनिश्चित करने के लिए कोई विवाद्यक विरचित किया है। अभिलेख पर यह भी उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थियों/प्रतिवादियों ने कभी विरचित विवाद्यकों के विरूद्ध आपत्ति किया था अथवा विवाद्यकों को पुनः विरचित करने के लिए कोई याचिका दाखिल किया था। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि विवाद्यक पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विनिश्चित किए जाते हैं और वादी के अभिवचनों के अनुसार, प्रतिवादी को प्रत्येक इंगलिश कैलेन्डर माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान किए जाने वाले 300/- रुपया के मासिक किराया पर वाद परिसर में प्रवेश दिया गया था। दिसंबर, 1998 से प्रतिवादी वाद परिसर के विरूद्ध मासिक किराया के भुगतान में व्यतिक्रमी बन गया। प्रदर्श 2 दोनों पक्षों द्वारा अभिस्वीकृत दस्तावेज है जिसके अनुसार प्रतिवादी ने स्वयं को वादी के अधीन किराएदार स्वीकार किया है और वे मासिक किराया का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे किंतु स्वीकृत रूप

से दिसंबर, 1998 से किराया का भुगतान नहीं किया था, अत:, वे बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा (1) (d) के अधीन वाद परिसर से बेदखल किए जाने के दायी हैं। वादी का आगे अभिवचन यह है कि उसे परिवार बड़ा होने के कारण अपने निजी उपयोग एवं अधिभोग के लिए वाद परिसर की सद्भावपूर्वक आवश्यकता है और वाद भी बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(1)(c) के अधीन अनुतोष विनिश्चित करने के लिए विरचित किया गया था।

वादी द्वारा किए गए प्रकथनों से इनकार करने के लिए प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में दावा एवं प्रतिवाद से इनकार किया है और आगे प्रकथन किया है कि वाद परिसर उसके एवं उसके पिता द्वारा निर्मित किया गया था और उसे वादी द्वारा वाद परिसर में किराएदार के रूप में प्रवेश कभी नहीं दिया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना अनावश्यक नहीं होगा कि प्रतिवादी ने वाद संपत्तियों पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित तथा कब्जा की घोषणा के लिए कोई प्रतिदावा नहीं किया है। पुन: यह दोहराया गया है कि वादी ने बिहार मकान (पट्टा, किराया, बेदखली) नियंत्रण अधिनियम के विशेष विधान के अधीन वाद लाया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर, वादी को मकान मालिक माना गया था जैसा बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(f) के अधीन आवश्यक है। दोनों न्यायालयों ने आगे अभिनिर्धारित किया कि बेदखली के लिए आधार अर्थात बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(1)(c) तथा 11(1) (d) के अधीन आधार वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध सिद्ध किया गया और, इसलिए, बेदखली वाद वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री किया गया था। स्थिति स्पष्ट करने के लिए, मैं **AIR 2014 SC 1394** में प्रकाशित निर्णय का पैरा 14 निर्दिष्ट करना वांछनीय महससू करता हूँ:–

> *"14. mPp U;k;ky; u vfHk0;Dr fd;k g fd çR;Fkh vihykFkh dk nLrkot çLrr dju d fy, dgu e U;k;kfpr FkkA bl lç{k.k e mPp U;k;ky; dk nf"Vdk.k vrfufgr g fd çR;Fkh cn[kyh okn e vihykFkh dk vfHkèkku vrr% U;k;fu.khr djok ldrk FkkA bl rd e xyrh gA cn[kyh dk;okgh e] ç'uxr lifÙk d çfr ç'u ij vku"kfxd :i l fopkj fd;k tk ldrk g] fdr vfre :i l fofuf'pr ugh fd;k tk ldrk gA HkxkMh dUukcky (AIR 2006 SC 2403 : 2006 AIR SCW 3052) e le:i ç'u bl U;k;ky; d fopkjkFk vk;kA ml ekey e ;g rd fd;k x;k Fkk fd edku ekyfdu ç'uxr lifÙk;k dk fojkIr e iku dh gdnkj ugh Fkh vkj blfy, vkèk çn'k vfHkèkfr vfèkfu;e d vèkhu 0;frØe ,o mi&fdjk;nkjh d vkèkkj ij cn[kyh vkonu ikf"kr ugh dj ldrh Fkh bl U;k;ky; u rt Hkku enu cuke f}rh; vij fty k U;k;kèkh'k ,o vU; e viu fu.k; dk fufn"V fd;k ft le ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd fdjk,nkj dk edku ekfyd ,o fdjk,nkj d chp fooèk d lkeU; fl)kr ij edkuekyfdu d vfHkèkku l ofpr dju l vioftr fd;k x;k Fkk vkj fd bl fl)kr dk viu ey vkèkkjk e bll vfèkd vFk ugh g fd dfri; ifjfLFkfr;k d vèkhu fofèk fdlh 0;fDr dk vueknu ,o vuueknu dh vuefr nuk vU;k;kfpr ekurk gA lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 116 Li"Vr% ,lh fLFkfr d çfr ç;kT; gA bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd vxj edku ekyfdu ç'uxr lifÙk fojkIr e iku dh gdnkj ugh Hkh Fkh fQj Hkh og cn[kyh d fy, vkonu ikf"kr dj ldrh Fkh vkj edku ekfyd d i{k e voj U;k;ky;k }kjk nt rF; dk fu"d"k vLr 0;Lr fd, tku dk nk;h ugh FkkA bl U;k;ky; }kjk fofèk dh voLFkk fuEufyf[kr :i l dfFkr dh x;h Fkh%*

> *^^bl lcèk e] ge ;g Hkh bfxr dj ldr g fd mi&fdjk;nkjh ,o 0;frØe d vkèkkj ij nkf[ky cn[kyh ;kfpdk e U;k;ky; dk ;g fofuf'pr dju dh vko';drk g fd D;k edku ekfyd fdjk,nkj dk lcèk fo|eku g vkj u fd*

*ç'uxr lifÙk d çfr vfHkèkku dk ç'u ftl ij vku"kfxd :i l fopkj fd;k tk ldrk g fdr cn[kyh dk;okgh e vfre :i l fofuf'pr ugh fd;k tk ldrk gA***

सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस बिंदु पर अत्यन्त स्पष्ट हैं कि बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम अथवा अन्य राज्यों में प्रचलित किराया नियंत्रण अधिनियम जैसे विशेष विधान के अधीन लाए गए वाद में सामान्यतः अभिधान का जटिल प्रश्न विनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

12. अलग होने के पहले मैं यह उल्लेख करना आवश्यक महसूस करता हूँ कि **2007 (3) JCR 581 (Jhr),** में प्रकाशित निर्णय में सामने आने वाले तथ्य वर्तमान मामले में उपलब्ध नहीं हैं। उस मामले में विनिश्चित निर्णयाधार भिन्न आधार पर था। उस मामले में वादी को बिहार भवन (पट्टा, किराया एवं 'बेदखली) नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(f) के अधीन मकान मालिक नहीं माना गया था और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली वाद लाने के लिए सक्षम नहीं था। इन सबों को इस निर्णय में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है किंतु स्थिति अधिक स्पष्ट करने के लिए यह कथन किया जाता है कि मूल वादी प्रदर्श 2 में किए गए प्रतिवाद से इनकार करने अथवा इसका खंडन करने कटघरा में उपस्थित नहीं हुआ था और, इसलिए, दोनों न्यायालयों ने यह विचार करने के लिए सही प्रकार से दस्तावेज के रूप में प्रदर्श 2 पर विचार किया कि मूल अपीलार्थियों को, जो मासिक किराया का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे को किराएदार के रूप में वाद परिसर में प्रवेश दिया गया था।

13. उपर किए गए संप्रेक्षणों एवं चर्चा की दृष्टि में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अवर न्यायालयों ने वादी का अभिधान विनिश्चित नहीं किया है और न ही ऐसा विवाद्यक विरचित किया गया था और, इसलिए, इसके लिए तर्कपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने का प्रश्न बिल्कुल उद्भूत नहीं होता है। प्रत्यर्थी/वादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सही प्रकार से तर्क किया है कि अभिवचनों के आधार पर विरचित विवाद्यकों पर दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं करते हैं जैसा इस न्यायालय द्वारा निरूपित किया गया है। मेरा मत है कि प्रत्यर्थी/वादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सही प्रकार से सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यर्थी को न्यस्त अधिकार का प्रयोग किया है। परिणामतः, मैं इस अपील में गुणागुण नहीं पाता हूँ और इस खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

तुलसी महतो

cuke

रेणु देवी एवं एक अन्य

F.A. Nos. 71 of 2013, I.A. No. 3685 of 2014 with 3609 and 3616 of 2015.
Decided on 18th May, 2016.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13(1)(b)—तलाक—पत्नी द्वारा अधित्यजन एवं जारकर्म—अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा अधित्यजन और किसी के साथ उसका अवैध संबंध सिद्ध करने में विफल रहा है—तलाक लेने के लिए दोनों आधार सिद्ध नहीं किए गए हैं—तलाक याचिका खारिज करने में कुटुंब न्यायालय ने गलती नहीं किया—अपील खारिज।

(पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–M/s K.K. Singh, For the Appellant; Mr. Rajesh Kr. Mahata, For the Respondent No.1; J.C. to Mr. Mahesh Tiwari, For the Respondent No.2.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.—

एफ॰ ए॰ सं॰ 71 वर्ष 2013

यह प्रथम अपील अभिधान वैवाहिक वाद सं॰ 118 वर्ष 2007 के मूल आवेदक द्वारा दाखिल की गयी है। अपीलार्थी पति है जिसने मुख्यत: पत्नी द्वारा अधित्यजन तथा अनेक व्यक्तियों जो अपीलार्थी के घर के निकट रहते थे के साथ उसके अवैध संबंध के आधार पर इस अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी पत्नी के बीच विवाह के विघटन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(b) के अधीन आवेदन दाखिल किया था।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच विवाह दिनांक 31 जुलाई, 1987 को संपन्न हुआ था और चूँकि यह अपीलार्थी रेलवे में हावड़ा में सेवारत था, प्रत्यर्थी भी उसके साथ हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में रहती थी और वे लगभग 20 वर्षों तक साथ बने रहे किंतु, तत्पश्चात, उसने अनेक व्यक्तियों जो पड़ोस में रहते थे के साथ अवैध संबंध विकसित कर लिया और जब यह तथ्य उसके ध्यान में लाया गया था, उसने अपीलार्थी का घर छोड़ दिया। इस प्रकार, अधित्यजन प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा किया गया था। चूँकि इस प्रत्यर्थी का अनेक व्यक्तियों जो इस अपीलार्थी के घर के निकट रहते थे के साथ अवैध संबंध था। अपीलार्थी द्वारा तीन गवाहों का परीक्षण किया गया है और उन सबों ने इन दो तथ्यों का समर्थन किया है। इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **के॰ श्रीनिवास राव बनाम डी॰ ए॰ दीपा, (2013)5 SCC 266,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी विश्वास किया है और निवेदन किया है कि यदि इस पृथक्करण ने नहीं भरी जा सकने वाली दूरी सृजित किया है अथवा विवाह असुधार्य रूप से टूट गया है अथवा विवाह कटुता के कारण मरम्मती के परे हैं अथवा जहाँ विवाह समस्त प्रयोजन से निरर्थक है, तब इसे न्यायालय के निर्णय द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है और, इसलिए, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है और इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया जा सकता है।

3. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ विवाह के बाद 20 वर्षों तक हावड़ा में रही। चूँकि अपीलार्थी हावड़ा में रह रहा था और रेलवे में सेवारत था, प्रत्यर्थी के पास इस अपीलार्थी का घर छोड़ने का कारण नहीं था, बल्कि चूँकि इस अपीलार्थी ने अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध विकसित कर लिया था, उसे ग्राम कसमर जिला बोकारो लाया गया था और अपीलार्थी प्रत्यर्थी को गाँव में छोड़ कर ग्राम कसमर (बोकारो) से चला गया। यह परिघटना हुई है और वह कुछ समय ग्राम कसमर (बोकारो) में रूकी रही और तत्पश्चात चूँकि पति प्रत्यर्थी को ग्राम कसमर (बोकारो) में छोड़ कर हावड़ा चला गया था, उसके पास अपने मायका वापस जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी द्वारा अधित्यजन नहीं हुआ है बल्कि, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को अधित्यजित किया है। इन तथ्यों को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि इस अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ प्रथम विवाह के अस्तित्वयुक्त रहने के दौरान दूसरी स्त्री के साथ पहले ही विवाह कर लिया है। प्रत्यर्थी के गवाहों द्वारा यह साक्ष्य भी दिया गया है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि अपीलार्थी को अपनी पत्नी का अधित्यजन करने का इनाम नहीं दिया जा सकता है। वस्तुत: इस अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी का अधित्यजन किया और,

इसलिए, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का निर्णयाधार वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए अभिकथनों को किसी गवाह द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करते हुए विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो द्वारा मामले के इन पहलूओं का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है और उक्त आवेदन खारिज करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गलती नहीं की गयी है, अतः, इस न्यायालय द्वारा यह प्रथम अपील ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

कारण:

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए हम इस प्रथम अपील सं॰ 71 वर्ष 2013 में हस्तक्षेप करने का कारण निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से नहीं देखते हैं:–

(i) इस अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच विवाह दिनांक 31 जुलाई, 1987 को संपन्न किया गया था। चूँकि यह अपीलार्थी भारतीय रेल में हावड़ा पश्चिम बंगाल राज्य में सेवारत था, प्रत्यर्थी इस अपीलार्थी के साथ हावड़ा में 20 वर्षों से रह रही थी। इस अपीलार्थी द्वारा अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी ने अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध विकसित करना शुरू किया। इस अभिकथन को सिद्ध करने के लिए, इस अपीलार्थी ने तीन गवाहों कुंती देवी, मुंशी महतो तथा स्वयं अपना परीक्षण किया है। हमने इन तीन गवाहों के साक्ष्य का उनके प्रति परीक्षण के साथ परिशीलन किया है। यह अपीलार्थी अड़ोस-पडोस में रहने वाले व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी के घर में प्रत्यर्थी के अवैध संबंध का अभिकथन सिद्ध करने में विफल रहा है। इन गवाहों के प्रति परीक्षण को देखते हुए, वे इनमें से किसी व्यक्ति का नाम देने में अक्षम रहे थे, यद्यपि अपीलार्थी विगत 20 वर्षों से उस स्थान पर रह रहा था। विधि की दृष्टि में कोरे प्राख्यान का मूल्य नहीं है।

(ii) आगे, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी विवाहोपरांत विगत 20 वर्षों से अपीलार्थी के साथ रह रही थी। प्रत्यर्थी के पास अपीलार्थी-पति को छोड़ने का कारण नहीं था। इसके विपरीत, मामले के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी प्रत्यर्थी को हावड़ा (पश्चिम बंगाल) से झारखंड राज्य में कसमर (बोकारो) लाया और अपनी प्रत्यर्थी पत्नी को ग्राम कसमर (बोकारो) में छोड़ दिया और तत्पश्चात पति हावड़ा लौट गया। यह सिद्ध करता है कि इस अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी का अधित्यजन किया था।

(iii) आगे, मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि जब एक बार अपीलार्थी पति द्वारा प्रत्यर्थी को ग्राम कसमर (बोकारो) छोड़ दिया गया था और अपीलार्थी पति हावड़ा (पश्चिम बंगाल) लौट गया था। अब, प्रत्यर्थी अपने पति द्वारा अधित्यजन किए जाने पर अपने पति के बिना रह रही थी और इसलिए वह अपने माएके चली गयी थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी के पास अपने माएके में रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

(iv) अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से आगे यह प्रतीत होता है कि इस अपीलार्थी ने एक अन्य स्त्री अर्थात ग्राम तुलमुल, जिला बोकारो के नारायण प्रजापति की पुत्री सितारा देवी उर्फ सीता देवी के साथ विवाह किया है। प्रत्यर्थी द्वारा परीक्षण किए गए गवाहों ने इन तथ्यों का कथन किया है।

(v) मामले के साक्ष्य से आगे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अधित्यजन सिद्ध करने में विफल रहा है, न ही यह अपीलार्थी प्रत्यर्थी का किसी के साथ अवैध संबंध सिद्ध कर सका था। इस प्रकार, तलाक

लेने के लिए दोनों आधार सिद्ध नहीं किए गए है। अत:, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(b) के अधीन प्रत्यर्थी से तलाक लेने के लिए इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करने में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने गलती नहीं किया है।

(vi) अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **के॰ श्री निवास राव बनाम डी॰ ए॰ दीप, (2013) 5 SCC 226,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, विशेषत: उसके पैराग्राफ 30 पर विश्वास किया है। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह प्रत्यर्थी विवाहोपरांत 20 वर्षों तक इस अपीलार्थी के साथ रही थी और उसके पास अपीलार्थी पति का घर छोड़ने का कारण नहीं था। मामले के तथ्यों से यह भी प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी प्रत्यर्थी को हावड़ा (पश्चिम बंगाल) से ग्राम कसमर (बोकारो) झारखंड राज्य लाया और, तत्पश्चात, अपीलार्थी अपनी पत्नी प्रत्यर्थी को ग्राम कसमर में छोड़कर हावड़ा लौट गया। यह परिलक्षित करता है कि इस अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी का अधित्यजन किया है। इसके अतिरिक्त, इस अपीलार्थी ने इस प्रत्यर्थी के साथ प्रथम विवाह अस्तित्वयुक्त रहने के दौरान एक अन्य स्त्री से विवाह किया है। ये तीन तथ्य पूर्वोक्त प्रकाशित निर्णय के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न है और, इसलिए, इस अपीलार्थी को अपनी गलती का लाभ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी प्रत्यर्थी पत्नी का अधित्यजन किया है और, इसलिए, पूर्वोक्त निर्णय का निर्णयाधार वर्तमान मामले के तथ्यों पर प्रयोज्य नहीं है।

5. पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समेकित प्रभाव के कारण, अभिधान वैवाहिक वाद सं॰ 118 वर्ष 2007 खारिज करने में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो द्वारा गलती नहीं की गयी है। अत:, प्रथम अपील सारहीन है, तथा इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आई॰ ए॰ सं॰ 3685/2014

6. यह अंतर्वर्ती आवेदन प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा जनवरी, 2007 से 25,000/- रुपया प्रतिमाह की दर पर तदंतरिम भरण–पोषण, वाद के व्यय 30,000/- रुपया और यात्रा व्यय 5000/- रुपया के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन दाखिल किया गया है।

7. प्रथम अपील सं॰ 71 वर्ष 2013 की खारिजी के लिए यहाँ उपर कथित कारणों की दृष्टि में और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 8 अप्रिल, 2015 के अंतरिम आदेश को भी देखते हुए, इस न्यायालय ने पहले ही सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, इस्टर्न रेलवे, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) को इस अपीलार्थी के वेतन से 10,000/- रुपया काटने और इसे प्रत्यर्थी के बैंक खाता सं॰ 480710110004421 वाले बैंक ऑफ इंडिया, कसमर शाखा, जिला धनबाद, झारखंड राज्य में जमा करने का निर्देश दिया है। प्रदान किया गया अंतरिम अनतोष संपूर्ण बनाया जाता है। यह प्रतीत होता है कि उक्त सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, इस्टर्न रेलवे, हावड़ा ने केवल एक माह अर्थात सिंतबर, 2015 के लिए इस अपीलार्थी के वेतन से 10,000/- रुपया काटा है। आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 8 अप्रिल, 2015 के आदेश ने पैराग्राफ 8 में स्पष्टत: उल्लेख किया कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। अत:, प्रत्यर्थी के बैंक खाता में जमा किए जाने के लिए इस अपीलार्थी के वेतन से 10,000/- रुपयों की पूर्वोक्त राशि प्रत्येक माह काटी जानी थी, किंतु, उक्त सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, न्यायालय के इस आदेश का पालन करने में विफल रहा है। रेलवे प्राधिकारियों ने आदेश के उपांतरण के लिए कोई अंतर्वर्ती आवेदन

दाखिल नहीं किया है। रेलवे प्राधिकारी इस अपीलार्थी पति पर कृपा नहीं कर सकते है। रेलवे प्राधिकारी स्वयं ही इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश स्थगित नहीं कर सकते हैं। रेलवे प्राधिकारियों ने जानबूझकर इस न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन किया है।

8. आई॰ ए॰ सं॰ 3685 वर्ष 2014 निपटायी जाती है।

आई॰ ए॰ सं॰ 3609 वर्ष 2015

9. यह अंतर्वर्ती आवेदन इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 8 अप्रिल, 2015 के आदेश के उपांतरण के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया गया है।

10. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल भरण–पोषण आवेदन में विद्वान विचारण न्यायालय ने 7000/- रुपया के मासिक भुगतान का आदेश पारित किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि केवल जून, 2015 के लिए राशि का भुगतान किया गया है और इसके अतिरिक्त किसी चीज का भुगतान इस अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है, जैसा कथन प्रत्यर्थी पत्नी के अधिवक्ता द्वारा किया गया है। इस प्रकार, यह अपीलार्थी 10000/- रुपया प्रति माह भुगतान करने के संबंध में इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है और वह विचारण न्यायालय के आदेश का पालन भी नहीं कर रहा है।

11. अत:, हम आई॰ ए॰ सं॰ 3609 वर्ष 2015 खारिज करते हैं। इस चरण पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि 10000/- रुपयों का भुगतान करना अपीलार्थी का कर्तव्य नहीं था, बल्कि रेलवे प्राधिकारी 10000/- रुपया प्रति माह की कटोती करने के दायी थे। उसे स्वयं अपनी पत्नी को भरण–पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। यह सुविधा इस न्यायालय द्वारा दी गयी थी कि वेतन से राशि सीधे प्रत्यर्थी के खाता में जाएगी, किंतु, अपीलार्थी अवगत था कि रेलवे प्राधिकारियों ने 10000/- रुपयों की राशि काटना रोक दिया है। उस स्थिति में, अपीलार्थी को इस न्यायालय के आदेश के मुताबिक मासिक भरण–पोषण का भुगतान करना होगा। आई॰ ए॰ सं॰ 3609 वर्ष 2015 खारिज किया जाता है।

12. प्रत्यर्थी सं॰ 2 इस न्यायालय को स्पष्ट करेगा कि दिनांक 8 अप्रिल, 2015 के आदेश के भंग के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

13. चूँकि यह मामला निपटा दिया गया है इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले को केवल प्रत्यर्थी सं॰ 2 के विरूद्ध कार्रवाई करने के प्रयोजन से दिनांक 12 फरवरी, 2015 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

आई॰ ए॰ सं॰ 3616 वर्ष 2015

14. यह अंतर्वर्ती आवेदन दिनांक 8 अप्रिल, 2015 के आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को 10000/- रुपयों का तदंतरिम भरण–पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था के तुरन्त क्रियान्वयन के लिए प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल किया गया है।

15. इस मामले में पारित पूर्वोक्त आदेशों की दृष्टि में यह आई॰ ए॰ सं॰ 3616 वर्ष 2015 निपटाया जाताा है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

श्याम नारायण दूबे एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5262 of 2014. Decided on 5th July, 2016.

सेवा विधि—वेतनमान—घटाया जाना—वित्त विभाग का मत वैध कारणों द्वारा समर्थित किया जाना था जिसे स्वयं आक्षेपित आदेश में वर्णित करना चाहिए था—विवेक के किसी इस्तेमाल के बिना और केवल इसे वित्तीय मामलों में सर्वोपरि कथित करने वाले वित्त विभाग के मत की दृष्टि में याचीगण को उनके वैध अधिकार से इनकार किया गया है—आक्षेपित आदेश अनुच्छेदों 14 एवं 16 का उल्लंघनकारी होने के कारण अभिखंडित किया गया।

(पैराएँ 12 से 15)

अधिवक्तागण.—M/s Rajiv Ranjan, For the Petitioners; M/s Jai Prakash, For the Respondents.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण रिट आवेदन के परिशिष्ट 17 में यथा अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी सं॰ 2, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 10.9.2014 के आदेश सं॰ 3043 से व्यथित हैं जिसके द्वारा याचीगण को क्रमशः 6500-10,500/- रुपयों एवं 8000-13500/- रुपयों के उच्चतर वेतनमान में प्रदान किया गया प्रथम ए॰ सी॰ पी॰ एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ क्रमशः 5500-9000/- रुपयों तथा 6500-10-500/- रुपयों के वेतनमान में सारवान रूप से घटा दिया गया है।

3. याचीगण को आरंभ में वर्षों 1972 से 1990 के बीच जल संसाधन विभाग में शोध सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे तब से सेवा से अधिवर्षित भी हो गए हैं। रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 31.12.2005 के आदेश सं॰ 4787 द्वारा याचीगण को 6500-10,500/- रुपयों के वेतनमान में प्रथम ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान किया गया था जो शोध अधिकारी के अगले प्रोन्नति पद का वेतनमान था और 6500-13500/- रुपयों के वेतनमान में द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान किया गया था जो उपनिदेशक (शोध) के अगले प्रोन्नति के पद के प्रति प्रयोज्य था। बाद में, रिट आवेदन के परिशिष्ट 4 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 15.10.2008 को पत्र सं॰ 2584 भी इसे संपुष्ट करते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा झारखंड महालेखाकार को जारी किया गया था। वर्तमान मामले में, याचीगण के प्रति प्रथम तथा द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ की प्रयोज्यता की तिथि के प्रति विवाद नहीं है। एकमात्र विवाद यह है कि क्या याचीगण क्रमशः शोध अधिकारी और उप निदेशक (शोध) के अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान में ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान किए जाने के हकदार थे अथवा क्या वे अगले उच्चतर वेतनमान में प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ के हकदार थे जैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों को ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान करने वाले राज्य सरकार के संकल्प के अनुसूची 1 में प्रावधानित किया गया है, जिसे दिनांक 14.8.2002 के मेमो सं॰ 5207 के अधीन अधिसूचित किया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 में अंतर्विष्ट है। उक्त संकल्प के अनुसूची 1 के अनुसार, याचीगण को वेतनमान प्रासंगिक समय पर 5000/- से 8000/- रुपया होने के कारण क्रमशः 5,500-9,000/- रुपयों एवं 6,500-10,500/- रुपयों के वेतनमान में प्रथम तथा द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ प्रयोज्य थे।

4. जैसा उपर कथन किया गया है, याचीगण को पहले रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 31.12.2005 के आदेश द्वारा अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान में ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान किया गया था। किंतु, वित्त विभाग द्वारा आपत्ति पर जिसने कथन किया कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 में यथा अंतर्विष्ट राज्य सरकार के कर्मचारियों को ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान करने वाले राज्य सरकार के संकल्प के मुताबिक याचीगण केवल अगले उच्चतर वेतनमान में और न कि अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान

में अपने प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ के हकदार थे, रिट आवेदन के परिशिष्ट 11 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 2.3.2013 के मेमो सं॰ 1376 में अंतर्विष्ट आदेश द्वारा याचीगण को प्रदान किया गया ए॰ सी॰ पी॰ तद्नुसार क्रमशः 5,500-9,000/- रुपयों तथा 6,500-10,500/- रुपयों के वेतनमान में घटा दिया गया था।

5. इन याचीगण में से दो ने दिनांक 2.3.2013 के पूर्वोक्त आदेश के विरूद्ध डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 93 वर्ष 2013 में इस न्यायालय में रिट आवेदन दाखिल किया जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2013 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निबंधनों में अनुज्ञात किया गया था:–

^^eu i{kk d fo}ku vfèkoDrk dk lquk g vkj vfHky[k ij ektn rF;k ,o lkexh ij fopkj fd;k gA ;g LohÑr rF; g fd fnukd 31 fnlcj] 2005 d vkn'k (ifjf'k"V 3) }kjk ;kphx.k dk çFke ,o f}rh; ,0 lh0 ih0 dk ykHk fn;k x;k Fkk vkj mudk orueku Øe'k% 6,500-10,500/- #i;k rFkk 8,000/- 13,500/- #i;k d vxy mPprj orueku e fu;r fd;k x;k FkkA fnukd 2 ekp] 2013 d vk{kfir vkn'k (ifjf'k"V 10) }kjk] ;kphx.k dk fdlh Hkh dkj.k l oru bl rjg ?kVk, tku d igy dkb ukfVl vFkok luokb ;k vH;konu nu dk volj fn, fcuk ;kphx.k dk orueku lkjoku :i l Øe'k% 5500-9000/- #i;k rFkk 6500-10500/- #i;k d orueku e ?kVk fn;k x;k gA

lkjoku :i l oru ?kVk;k tkuk fu'p; gh 0;fDr dk çfrdy :i l çHkkfor djrk g vkj ,lk dkb vkn'k ulfxd U;k; d fl)krk dh ey vko';drkvk dk vuikyu fd, fcuk ikfjr ugh fd;k tk ldrk gA

iokDr dkj.kk l] fnukd 2 ekp] 2013 d eek l0 1376 }kjk tkjh vk{kfir vkn'k (ifjf'k"V 10) likf"kr ugh fd;k tk ldrk g vkj ,rn}kjk vfHk[kfMr fd;k tkrk gA

;g fjV ;kfpdk vuKkr dh tkrh gA**

6. उसके अनुसरण में, दिनांक 19.6.2014 को याचीगण एवं अन्य समस्थित व्यक्तियों को कारण बताने के लिए कहते हुए रिट आवेदन के परिशिष्ट 13 में यथा अंतर्विष्ट एक अन्य कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था कि वित्त विभाग के मत के अनुरूप, ए॰ सी॰ पी॰ के अधीन उनको प्रदान किया गया वेतनमान क्रमशः 5,500-9,000/- रुपयों तथा 6,500-10,500/- रुपयों के वेतनमान में क्यों नहीं बनाए रखा जाए। याचीगण ने उसका उत्तर दिया और इस पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा नया आदेश अर्थात दिनांक 10.9.2014 का आदेश सं॰ 3043 पारित किया गया था जो रिट आवेदन के परिशिष्ट 17 पर अंतर्विष्ट है, जिसके द्वारा पुनः याचीगण को केवल क्रमशः 5,500-9,000/- रुपयों तथा 6,500-10,500/- रुपयों के अगले उच्चतर वेतनमान में प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ दिया गया है जिसे इसे रिट आवेदन में आक्षेपित किया गया है। अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान में याचीगण को प्रथम तथा द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ से इनकार करने के कारणों के प्रति आक्षेपित आदेश में कथन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2012 को शोध सहायकों की कैडर नियमावली विरचित एवं अधिसूचित की गयी है जिसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं था, और इस दशा में, उक्त नियमावली को विचार में लेते हुए याचीगण को ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान नहीं किया जा सकता था। आदेश में यह भी कथन किया गया है कि मामले में वित्त विभाग का मत लिया गया था और वित्तीय मामलों में वित्त विभाग द्वारा दिए गए मत की सर्वोच्चता होती है और तद्नुसार वित्त विभाग के मत के अनुरूप याचीगण को ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान किया गया था।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर आने के पहले, कुछ और तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। तत्कालीन बिहार राज्य में दिनांक 2.2.1980 को अधिसूचना जारी की गयी थी जिसके द्वारा एकीकृत सिंचाई विभाग में शोध अधिकारियों/कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठित किया गया था। यह अधिसूचना रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 के रूप में अभिलेख पर लायी गयी है और यह शोध अधिकारी के पद से प्रोन्नति द्वारा उपनिदेशक (शोध) के पदों का कतिपय प्रतिशत भरे जाने तथा सहायक शोध अधिकारी के पद से शोध अधिकारी के पदों का कतिपय प्रतिशत भरे जाने के बारे में कहती है। दस्तावेज यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर लाया गया है कि कालक्रम में शोध अधिकारी एवं शोध सहायक के पदों के बीच आने वाला सहायक शोध अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया था और शोध अधिकारी का पद शोध सहायक के पद से प्रत्यक्षत: भरा जा रहा था। बाद में, वर्ष 2012 में, राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग में शोध सहायकों के लिए कैडर नियमावली विरचित किया है, जो प्रावधानित करता है कि उपनिदेशक (शोध) का पद शोध अधिकारी के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा और शोध अधिकारी का पद शोध सहायक के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा, जबकि शोध सहायक का पद प्रत्यक्ष भरती द्वारा भरा जाएगा। उक्त नियमावली राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2012 के मेमो सं॰ 5870 के अधीन अधिसूचित किया गया है और रिट आवेदन के परिशिष्ट 6 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

8. राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में अपने कर्मचारियों को ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान के लिए योजना विरचित किया था, जिसे रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। उक्त योजना के अनुसार, प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति कैडर विशेष में अपनी 12/24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रयोज्य है और शर्तों में से एक यह है कि ए॰ सी॰ पी॰ अगले प्रोन्नति के पद के वेतनमान में कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा किंतु ऐसे मामलों में जहाँ अगला प्रोन्नति का पद नियत नहीं है अथवा प्रोन्नति के पदों में से दो पदों से न्यून प्रोन्नति के लिए कर्णांकित किया गया है, ऐसे मामलों में ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ अगले प्रोन्नति के पद के वेतनमान में नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे अगले उच्चतर वेतनमान में दिया जाएगा जैसा उक्त संकल्प के अनुसूची 1 में विवरण दिया गया है। उक्त संकल्प में एक अन्य प्रावधान यह कथन करते हुए था कि एकल पद और ऐसे पदों के समूह/कैडर जिसमें केवल पदों का कुछ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए कर्णांकित किया गया है, के मामले में, ऐसे मामलों में भी, ए॰ सी॰ पी॰ लाभ अगले उच्चतर वेतनमान में दिया जाएगा जैसा संकल्प के अनुसूची 1 में उल्लिखित है। किंतु, यह प्रावधान स्वयं संकल्प की तिथि के प्रभाव से पश्चातवर्ती संशोधन द्वारा वापस ले लिया गया है जिसे दिनांक 5.2.2007 को जारी किया गया था और रिट आवेदन के परिशिष्ट 10 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण को सही प्रकार से रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 31.12.2005 के पूर्व आदेश सं॰ 4787 द्वारा अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान में प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान किया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा अवैध रूप से वापस ले लिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि शोध अधिकारी एवं उपनिदेशक (शोध) के रूप में शोध सहायक के कैडर के प्रोन्नति के पदों को स्पष्टत: विहित करते हुए वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा कैडर नियमावली विरचित की गयी है किंतु उसके पहले भी याचीगण इस संबंध में बिहार राज्य द्वारा वर्ष 1980 में ही जारी रिट आवेदन के परिशिष्ट–1 में यथा अंतर्विष्ट कार्यपालिका आदेश

द्वारा शासित थे और इस आदेश के अनुसार भी, शोध सहायक के पद के लिए प्रोन्नति की पहली सीढ़ी शोध अधिकारी थी और प्रोन्नति की दूसरी सीढ़ी उपनिदेशक (शोध) का पद थी यूपि कैडर नियमावली विनिर्दिष्टत: विरचित नहीं की गयी थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि शोध सहायकों के कैडर के प्रोन्नति पदों की उपलब्धता के कारण याचीगण को सही प्रकार से क्रमश: शोध अधिकारी एवं उपनिदेशक (शोध) के अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान में प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान किया गया था। अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान में याचीगण को प्रदान किए गए ए॰ सी॰ पी॰ के उक्त लाभों को वापस लेने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति प्रयोज्य ए॰ सी॰ पी॰ की योजना की अनुसूची 1 में यथा उल्लिखित अगले उच्चतर वेतनमान में इसे घटाने का कारण नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आदेश को याचीगण द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 93 वर्ष 2013 में सफलतापूर्वक चुनौती दी गयी थी और याचीगण के ए॰ सी॰ पी॰ लाभों को कम करने वाली अधिसूचना इस न्यायालय द्वारा रिट आवेदन के परिशिष्ट 12 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 13.11.2013 के आदेश द्वारा अभिखंडित की गयी थी। किंतु, उक्त आदेश के बाद, याचीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और पुन: रिट आवेदन के परिशिष्ट 17 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 10.9.2014 का आक्षेपित आदेश जारी किया गया है जिसके द्वारा ए॰ सी॰ पी॰ का घटाया जाना राज्य सरकार द्वारा पोषित किया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि यद्यपि आक्षेपित आदेश में यह कथन किया गया है कि वर्ष 2012 में विरचित शोध सहायकों की कैडर नियमावली का भूतलक्षी प्रभाव नहीं था और उक्त नियमावली के आधार पर याचीगण को ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान नहीं किया जा सकता था, किंतु इसी समय पर प्रत्यर्थी राज्य रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 में यथा अंतर्विष्ट वर्ष 1980 में ही तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित प्रोन्नति संभावनाओं के बारे में बिल्कुल मौन है। यह निवेदन भी किया गया है कि आक्षेपित आदेश स्पष्टत: दर्शाता है कि याचीगण का ए॰ सी॰ पी॰ केवल वित्त विभाग के मत की दृष्टि में घटाया गया है जिसे वित्तीय मामलों में सर्वोपरि के रूप में माना गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश पूर्णत: अवैध एवं मनमाना है और इसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि परिशिष्ट 6 में यथा अंतर्विष्ट वर्ष 2012 में कैडर नियमावली विरचित किए जाने के पहले शोध सहायक की प्रोन्नति के लिए कैडर नियमावली नहीं थी। यह निवेदन किया गया है कि इस तथ्य की दृष्टि में कि कैडर नियमावली नहीं थी और शोध सहायक के पद के लिए नियत प्रोन्नति का पद भी नहीं था, राज्य के कर्मचारियों को ए॰ सी॰ पी॰ प्रदान करने वाली योजना के अनुसार याचीगण केवल उक्त संकल्प की अनुसूची 1 के मुताबिक प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ हकदार थे और न कि अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान में, तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि वर्ष 2012 में विरचित कैडर नियमावली का भूतलक्षी प्रभाव नहीं था, इसका लाभ याची को नहीं दिया जा सकता था।

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि यह स्वीकृत तथ्य है कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 6 में यथा अंतर्विष्ट कैडर नियमावली के अनुसार शोध सहायक के कैडर की प्रोन्नति की संभावनाएँ अब शोध अधिकारी का पद और बाद में, उप निदेशक (शोध) का पद विहित की गयी हैं। यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त नियमावली के पहले रिट आवेदन के

परिशिष्ट 1 में यथा अंतर्विष्ट वर्ष 1980 में जारी कार्यपालिका आदेश प्रयोज्य था। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में निम्नलिखित कथन किया गया है:–

> *^^10. fd fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd fcgkj dh ,dhÑr vofèk d nkjku 'kkèk lgk;d d fy, dMj fu;ekoyh ugh FkhA oLrr% mud ijLij ink d çfr çkUufr d fy, in dk dfri; çfr'kr d.kkfdr fd;k x;k Fkk tlk fjV vkonu d ifjf'k"V 1 e lyXu fnukd 2.2.1980 d ldYi l0 243 e mfYyf[kr gA***
>
> *^^28. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 19 e ;kphx.k }kjk fn, x, c;ku d lcèk e fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd fnukd 2.2.1980 d ldYi d rgr (fjV vkonu dk ifjf'k"V 1)] ;g 'kkèk lgk;d dk dMj fu;ekoyh ifjHkkf"kr ugh djrk g] bl n'kk e] ty lkèku foHkkx] >kj[kM ljdkj u fofèk foHkkx] foÙk foHkkx] vkfn dk lykg yu d ckn fnukd 13.10.2012 d i= l0 5870 d rgr (fjV vkonu dk ifjf'k"V 6) rjUr d çHkko l ty lkèku foHkkx] >kj[kM ljdkj d vèkhu 'kkèk lgk;d dk dMj fu;ekoyh vfèklfpr fd;kA***
>
> *^^29. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ 20 e ;kphx.k }kjk fn, x, c;ku d lcèk e fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd fnukd 13.10.2012 dk vfèklfpr ty lkèku foHkkx] >kj[kM ljdkj d vèkhu 'kkèk lgk;d dh dMj fu;ekoyh d igy 'kkèk lgk;d d fy, ,lh dkb dMj fu;ekoyh ugh Fkh] bl n'kk e] mudh ojh;rk rFkk çkUufr d fy, vko';d vU; vko';drkvk d QyLo:i 'kkèk vfèkdkjh] mi fun'kd dk çkUufr in çnku dju d ckn Hkh mUg fnukd 13.10.2012 d mDr ldYi d igy dMj fu;ekoyh dh deh d pyr dMj çkUufr d in d :i e dgk ugh tk ldrk g] bl n'kk e ;kphx.k dk çfrokn vLohdkj fd;k tkrk gA***
>
> *^^36. fd mÙkjkèkhu oreku fjV ;kfpdk e ijkxkQ&27 e ;kphx.k }kjk fn, x, c;ku d lcèk e fouerkiod dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd ikpo oru iujh{k.k vk;kx d nkjku fu;fer LFkkiu in ij 'kkèk lgk;d] 'kkèk vfèkdkjh] mifun'kd tl vkj fuèkkfjr de LFkkiu e flYV fo'y"kd] duh; 'kkèk lgk;d] lgk;d 'kkèk vfèkdkjh] 'kkèk vfèkdkjh tl in Fk ¼fjV vkonu dk ifjf'k"V&1) fdr fnukd 13.10.2012 d ldYi d igy 'kkèk lgk;d d fy, dMj fu;ekoyh ugh Fkh] bl n'kk e] iokfYyf[kr 'kkèk vfèkdkjh mifun'kd in d çfr ;kph dk çfrokn vLohdkj fd;k tkrk gA***

12. इस प्रकार, प्रतिशपथपत्र में किए गए प्रकथनों से भी यह प्रकट है कि अगले प्रोन्नति के पदों के वेतनमान में याचीगण को प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰ से इनकार करने के लिए राज्य सरकार का दृष्टिकोण केवल यह है कि कैडर नियमावली केवल वर्ष 2012 में विरचित की गयी थी और इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं था। किंतु, तथ्य बना रहता है कि वर्ष 1980 में राज्य द्वारा जारी कार्यपालिका आदेश का अस्तित्व भी प्रतिशपथपत्र में स्वीकार किया गया है, और यह भी स्वीकार किया गया है कि शोध अधिकारी एवं उपनिदेशक (शोध) के कर्णांकित पदों के कतिपय प्रतिशत पर शोध सहायकों की प्रोन्नति दी गयी थी, यद्यपि यह कथन किया गया है कि ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं प्रोन्नति के लिए आवश्यक अन्य

आवश्यकताओं के फलस्वरूप प्रदान की गयी थी, जिसे कैडर नियमावली जिसे केवल वर्ष 2012 में विरचित किया गया था की अनुपस्थिति के कारण कैडर प्रोन्नति पद नहीं कहा जा सकता है।

13. याचीगण पहले अपने ए॰ सी॰ पी॰ को घटाए जाने को चुनौती देते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 93 वर्ष 2013 में इस न्यायालय के पास आए थे, जिसे इस न्यायालय द्वारा इस आवेदन के परिशिष्ट 12 में अंतर्विष्ट आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था क्योंकि इसे याचीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी किया गया था। उसके अनुसरण में प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा याचीगण को नोटिस दिया गया था और उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर वही आदेश पोषित किया गया है। किंतु, अगले उच्चतर प्रोन्नति के पदों में याचीगण को प्रथम एवं द्वितीय ए॰सी॰पी॰ से इनकार करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा केवल दो आधार दिया गया है। पहला कारण यह है कि दिनांक 13.10.2012 को विरचित नियमावली का भूतलक्षी प्रभाव नहीं था और इसका लाभ याचीगण को नहीं दिया सकता था। दूसरा कारण यह है कि वित्तीय मामलों में वित्त विभाग का मत सर्वोपरि है जिसका अनुसरण किया जाना था। रिट आवेदन के परिशिष्ट 17 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश से प्रकट है कि रिट आवेदन के परिशिष्ट–1 में यथा अंतर्विष्ट वर्ष 1980 में तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा जारी कार्यपालिका आदेश विचार में बिल्कुल नहीं लिया गया था और यह कथन करते हुए कि वित्तीय मामलों में वित्त विभाग का मत सर्वोपरि है, आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। यह याचीगण को देय लाभों से इनकार करने का वैध उत्तर नहीं हो सकता है। वित्त विभाग के मत को वैध कारणों द्वारा समर्थित किया जाना था, जिसे स्वयं आक्षेपित आदेश में वर्णित किया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी राज्य को रिट आवेदन के परिशिष्ट 17 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 10.9.2014 के आक्षेपित आदेश में विनिर्दिष्ट कारण दर्शाना चाहिए था कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 2.2.1980 के कार्यपालिका आदेश में उल्लिखित प्रोन्नति की संभावनाओं को विचार में क्यों नहीं लिया गया था। दिनांक 2.2.1980 के उक्त आदेश का अस्तित्व प्रत्यर्थी राज्य की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में स्वीकार किया गया है और यह भी स्वीकार किया गया है कि शोध अधिकारी एवं उपनिदेशक (शोध) के उच्चतर पदों में पदों का कुछ प्रतिशत शोध सहायक के पद से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए कर्णांकित किया गया था। रिट आवेदन के परिशिष्ट 17 में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश इन तथ्यों जिन्हें विचार में लिया जाना आवश्यक था, को विचार में लिए बिना पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश स्पष्टत: दर्शाता है कि विवेक के किसी इस्तेमाल के बिना और इसे वित्तीय मामलों में सर्वोपरि कथित करते हुए केवल वित्त विभाग के मत की दृष्टि में याचीगण को उनके वैध अधिकार से वंचित किया गया है।

14. मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, रिट आवेदन के परिशिष्ट 17 में अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित आदेश पूर्णत: अवैध है जिसे परिशिष्ट 1 में यथाअंतर्विष्ट दिनांक 2.2.1980 को जारी राज्य सरकार के पूर्व कार्यपालिका आदेश को विचार में लिए बिना पारित किया गया है। इस दशा में, आक्षेपित आदेश पूर्णत: अवैध एवं मनमाना तथा भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 का उल्लंघनकारी है जिसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

15. तद्नुसार, रिट आवेदन के परिशिष्ट–17 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 10.9.2014 के मेमो सं॰ 3043 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। परिणामस्वरूप, रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 31.12.2005 का राज्य सरकार द्वारा सं॰ 4787 वाला पूर्व आदेश और रिट आवेदन के परिशिष्ट 4 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 15.10.2008 का पश्चातवर्ती पत्र

सं॰ 2584 पुनर्जीवित हो जाएगा। याचीगण उक्त आदेश/पत्र जारी किए जाने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से उसके समस्त लाभों के हकदार होंगे।

16. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश का लाभ अन्य समस्थित व्यक्तियों को भी अनावश्यक रूप से इसी अनुतोष के लिए इस न्यायालय के पास आने के लिए उनको अनावश्यक रूप से मजबूर किए बिना इस तथ्य के निपरेक्ष कि क्या वे अभी भी सेवा में है अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं, दिया जाएगा।

17. तद्नुसार, पूर्वोक्त निर्देशानुसार यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

विश्वनाथ रवानी (469 में)

सुखदेव रवानी (402 में)

नूनी बाला देवी (442 में)

राजेन्द्र रवानी उर्फ राजेन्द्र कु॰ रवानी (466 में)

खगेश्वर रवानी उर्फ खगेशर रवानी (517 में)

धनेश्वर रवानी (209 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

Cr. Appeal (DB) Nos. 469, 402, 442, 466, 517 of 2008 with 209 of 2011. Decided on 30th July, 2016.

दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 469, 402, 442, 446 एवं 517 वर्ष 2008 बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ सं॰ 1584 वर्ष 2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 73 वर्ष 2005 के संबंध में श्री विजय शंकर सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश-13, धनबाद द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 16.2.2008 एवं दिनांक 19.2.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है, और

दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 209 वर्ष 2011 बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस॰ सं॰ 1584 वर्श 2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 के संबंध में श्री मदन मोहन सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश–I, धनबाद द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 19.2.2011 तथा दिनांक 21.2.2011 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149, 323/149, 147 एवं 148—हत्या एवं घोर उपहति–विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य—दोषसिद्धि—सूचक ने अभिकथित घटना में उपहति पाया था जब उसने अपनी मृतक पत्नी को बचाने का प्रयास किया—प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा निभायी गयी विनिर्दिष्ट भूमिका सूचक के साक्ष्य में उल्लेख पाती है—सूचक एवं अ॰ सा॰ की उपहति रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा सिद्ध की गयी हैं-घायल गवाहों ने अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है और न्यायालय के समक्ष संपूर्ण घटना का विवरण दिया है—चाक्षुक साक्ष्य डॉक्टर के साक्ष्य से समर्थन पाता है—विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य सिद्ध किया गया—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशत: मान्य ठहराया गया। (पैराएँ 23 से 27)

निर्णयज विधि.–(2011) 7 SCC 295—Applied; (2004) 9 SCC 18; (2011) 5 SCC 324; (2015) 2 SCC 734; (2012) 4 SCC 776; (2011) 9 SCC 257; (2011) 4 SCC 677; (2012) 3 SCC 221—Referred.

अधिवक्तागण.–M/ B.M. Tripathy, P.K. Mukhopadhyay, Jitendra Tripathy, Ashish Kumar, (in 469, 402 & 466), R.C.P. Sah, (in 517), Indrajit Sinha, Bibhash Sinha (in 209), For the Appellants; Mr. Krishna Shankar (in all), For the State; Mr. Shailesh, For the Informant.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.—दांडिक अपील (डी॰बी॰) सं॰ 469, 402, 442, 466 एवं 517 वर्ष 2008 अपीलार्थियों अर्थात क्रमशः विश्वनाथ रवानी, सुखदेव रवानी, नूनी बाला देवी, राजेन्द्र रवानी एवं खगेश्वर रवानी द्वारा बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 1584 वर्ष 2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 73 वर्ष 2005 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश-13, धनबाद द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 16.2.2008 एवं दिनांक 19.2.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149, 323/149 एवं 148 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आजीवन कारावास भुगतने और 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323/149 के अधीन छह माह का कठोर कारवास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 209 वर्ष 2011 अपीलार्थी धनेश्वर रवानी द्वारा बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 1584 वर्ष 2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 में अपर सत्र न्यायाधीश–I, धनबाद द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 19.2.2011 तथा दिनांक 21.2.2011 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149 एवं 147 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आजीवन कारावास भुगतने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. चूँकि समस्त अपीलें एक तथा उसी घटना अर्थात बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004 जी॰ आर॰ केस सं॰ 1584 वर्ष 2004 के तत्सम से उद्भूत हुई हैं, अतः उन्हें इस एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जाता है।

3. दिनांक 24.5.2004 को अपराह्न 1 बजे केंद्रीय अस्पताल, सरायधेला, पुरुष शल्य चिकित्सा वार्ड सं॰ III, बेड सं॰ 19 में दर्ज फूलचंद रवानी के फर्दबयान से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि उसी दिन पर प्रातः लगभग 7.30 बजे जब कारला देवी (मृतका) अपने घर के दरवाजा के निकट खड़ा होकर हाथ–मुँह धो रही थी, धनेश्वर रवानी ने पानी के प्रवाह के विरूद्ध आपत्ति किया और गाली–गलौज किया। इस बीच धनेश्वर रवानी के दोनों पुत्र राजेन्द्र रवानी एवं विश्वनाथ रवानी कारला देवी को घसीट कर अपने घर के आंगन में ले गए। मृतका द्वारा किए गए शोर ने संजय रवानी को आकृष्ट किया जिसके बाद सूचक ने अपने पुत्र के साथ कारला को बचाने का प्रयास किया किंतु तब तक अभियुक्तों ने तलवार, टांगी, भाला, लाठी आदि निकाल लिया। इन अभियुक्तों के साथ अन्य अभियुक्तगण सुखदेव रवानी, खगेश्वर रवानी, नूनी बाला देवी एवं रिंकी देवी जुड़ गए जो सब तलवार एवं टांगी से लैस थे। धनेश्वर रवानी द्वारा आदेश दिए जाने पर, राजेन्द्र रवानी ने अपनी माता नूनी बाला देवी एवं बहन रिन्की कुमारी की मदद से मृतका को जमीन पर गिरा दिया। यह अभिकथित किया गया है कि नूनी बाला देवी एवं रिन्की कुमारी ने कारला देवी का हाथ–पैर पकड़ लिया जबकि राजेन्द्र मृतका का मस्तक पकड़े था। विश्वनाथ रवानी ने तलवार से कारला देवी का गर्दन काट दिया जिसके परिणामस्वरूप घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात

विश्वनाथ रवानी ने सूचक के शरीर पर तलवार का वार किया और उसके हाथ पर उपहति कारित किया। अपीलार्थियों द्वारा टांगी, लाठी, तलवार आदि से संजय कुमार रवानी एवं मदन कुमार रवानी पर भी प्रहार किया गया था।

4. फूलचंद रवानी के फर्दबयान के आधार पर, समस्त सातों नामित अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 324, 326, 307 एवं 302 के अधीन सिन्दरी, बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004 दर्ज किया गया था। पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद, सिवाए अपीलार्थी धनेश्वर रवानी के छह नामित अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। अभियुक्त अर्थात रिन्की कुमारी को किशोरी पाया गया था और इसलिए, उसका मामला शेष अभियुक्तों से अलग किया गया था। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र विचारण सं॰ 73 वर्ष 2005 के रूप में दर्ज किया गया था।

5. चूँकि अपीलार्थी धनेश्वर रवानी को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था, शेष अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148, 302/149, 307/149 एवं 323/149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था और विचारण किया गया था।

आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया और दस्तावेजों को सिद्ध किया जबकि अपीलार्थियों ने भी अपने बचाव में छह गवाहों का परीक्षण किया और उपहति रिपोर्टों को सिद्ध किया। विचारण के समापन पर, अपीलार्थियों को पूर्वोक्तानुसार दोषी अभिनिर्धारित किया गया है एवं दंडादेश दिया गया है। पूर्वोक्त पाँच अपीलार्थियों ने अपने अपने अपीलों को दाखिल किया है जैसा शीर्षक पृष्ठ पर उपदर्शित किया गया है।

6. विचारण के दौरान अभियोजन ने धनेश्वर रवानी को अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 319 के अधीन याचिका दाखिल किया और पक्षों को सुनने के बाद, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 209 वर्ष 2011 में अपीलार्थी धनेश्वर रवानी को विचारण का सामना करने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद उसके विरूद्ध सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 के तहत पृथक विचारण प्रारंभ हुआ।

सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 में अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया गया है जबकि अपीलार्थी ने अपने बचाव में छह गवाहों का परीक्षण किया। दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेज भी सिद्ध किए गए थे। विचारण के समापन पर अपीलार्थी धनेश्वर रवानी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 एवं 302/149 के अधीन दोषी पाया गया था और उक्त उपदर्शित दंडादेश दिया गया था।

7. उक्त निर्दिष्ट दोनों सत्र विचारणों में, गवाहों बालिका देवी अ॰ सा॰ 5 एवं रामदेव प्रसाद अ॰ सा॰ 12 के सिवाए नौ गवाह एक ही हैं। अन्वेषण अधिकारी प्रवीण कुमार अ॰ सा॰ 7 ने स्वयं का सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 में ब॰ सा॰ 1 के रूप में परीक्षण करवाया है। उनके नामों से गवाहों के साक्ष्य को निर्दिष्ट करना हमारे लिए सुविधाजनक होगा।

8. फूलचंद रवानी (सूचक), संजय रवानी एवं मदन कुमार रवानी घायल गवाह हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है जैसा फर्दबयान में प्रकट किया गया है। इन समस्त तीनों गवाहों ने कथन किया है कि घटना दिनांक 24.5.2004 को प्रातः 7.30 बजे हुई जब कारला देवी घर के दरवाजा के निकट खड़ा होकर हाथ-मुँह धो रही थी। इस बीच, धनेश्वर रवानी ने गलियारा में गंदे पानी के प्रवाह के विरूद्ध आपत्ति किया और गाली दिया। उस क्रम में मृतका एवं धनेश्वर के बीच जोरदार बहस हुई। तत्पश्चात्, अपीलार्थीगण राजेन्द्र एवं विश्वनाथ घटना स्थल पर आए और कारला देवी को जबरन अपने घर के आंगन में ले गए। राजेन्द्र रवानी ने नूनी बाला देवी एवं रिन्की कुमारी की मदद से मृतका को जमीन

पर गिरा दिया और उसे पकड़ लिया। विश्वनाथ रवानी ने तलवार से कारला देवी का गर्दन काट दिया। प्रहार के क्रम में, धनेश्वर रवानी, खगेश्वर रवानी, सुखदेव रवानी भी घटना स्थल पर आए। धनेश्वर रवानी ने टांगी से मृतका के मस्तक पर उपहति कारित किया। जब इन गवाहों ने मध्यक्षेप करने का प्रयास किया, विश्वनाथ रवानी एवं राजेन्द्र रवानी द्वारा उन पर प्रहार किया गया था। खगेश्वर रवानी ने भाला से मदन रवानी पर प्रहार किया जबकि सुखदेव रवानी ने लाठी से वार किया। कारला देवी की मृत्यु घटना स्थल पर अर्थात अपीलार्थियों के घर के आंगन में हो गयी। लगभग डेढ़ घंटा बाद पुलिस घटना स्थल पर आयी। घायलों को उनके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था जहाँ फूलचंद रवानी का फर्दबयान दर्ज किया गया था और फर्दबयान प्रदर्श 5 के रूप में सिद्ध किया गया है। फर्दबयान पर किया गया फूलचंद रवानी एवं बालेश्वर रवानी का हस्ताक्षर सिद्ध किया गया है और क्रमशः प्रदर्श 1 एवं 1/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 6 के रूप में सिद्ध की गयी है। इन गवाहों ने प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा लिए गए विनिर्दिष्ट हथियार को वर्णित किया है। सूचक ने अपने प्रतिपरीक्षण में उनके विरूद्ध जी॰ आर॰ केस सं॰ 1585 वर्ष 2004 के तहत दर्ज प्रति मामले का संस्थापन स्वीकार किया है। उसने आगे स्वीकार किया है कि अपीलार्थी एवं सूचक के घरों के बीच से गुजरने वाले गलियारा के संबंध में धनेश्वर रवानी द्वारा दाखिल अभिधान वाद लंबित था। सूचक ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 25 में विवादित गलियारा का लंबाई चौड़ाई वर्णित किया है। पैरा 37 से 43 में उससे विरोधाभास निकाला गया है। संजय रवानी ने स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था और उसने पहली बार न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया है। इस गवाह को दिए गए सुझाव से इनकार किया गया है। मदन कुमार रवानी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रति मामला में उसे अभियुक्त बनाया गया है। गलियारा के उपयोग के संबंध में विवाद पक्षों के बीच पहले से चला आ रहा है। सहदेव रवानी एवं हरिपद रवानी वे गवाह हैं जो प्रहार के बाद घटना स्थल पर आए थे तथा उन्होंने अपीलार्थियों के घर के आंगन में कारला देवी का मृत शरीर पड़ा देखा था। इन गवाहों की उपस्थिति में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और अपराध के हथियार जब्त किए गए थे। इन दोनों गवाहों ने उन दस्तावेजों अर्थात मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची पर किए गए अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है। हरिपद रवानी ने मृत्यु समीक्षा एवं अभिग्रहण सूची का साक्षी होने के अतिरिक्त कहा है कि उसने राजेन्द्र एवं नुनु बाला को अपने हाथ में हथियार लिए देखा था और आगे कहता है कि संजय रवानी एवं विश्वनाथ रवानी एक-दूसरे से लड़ रहे थे और विश्वनाथ अपने हाथ में तलवार लिए था। उसके प्रति परीक्षण के दौरान इस गवाह के मुँह से विरोधाभास निकाला गया है। बालेश्वर रवानी सूचक का भाई है और वह हल्ला सुनने के बाद घटना स्थल पर आया था। उसने कारला देवी का अपनी गर्दन पर उपहति लिए मृत शरीर देखा था और मृत शरीर अपीलार्थी धनेश्वर के घर के आंगन में पड़ा था। अपीलार्थी विश्वनाथ रवानी तलवार लिए था जबकि राजेन्द्र रवानी टांगी लिए था। नुनी बाला देवी कुल्हाड़ी से लैस थी और खगेश्वर अपने हाथ में भाला लिए था। फूलचंद रवानी, संजय रवानी एवं मदन रवानी अपने शरीर पर खून बहती उपहतियों के साथ घटना स्थल पर उपस्थित थे। वह अपने टेम्पो पर फूलचंद एवं संजय को अस्पताल ले गया। बाद में पुलिस द्वारा मदन को अस्पताल ले जाया गया था। घालयों को बेहतर इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल निर्दिष्ट किया गया था। बचाव अधिवक्ता ने इन गवाहों से पैराओं 9, 10 एवं 11 में विरोधाभास निकाला है। सरस्वती देवी बालेश्वर रवानी की पत्नी है और उसने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है जैसा सूचक एवं अन्य घायल गवाहों द्वारा प्रकट किया गया है।

9. प्रवीण कुमार पुलिस अधिकारी है, जो तब भूली ओ॰ पी॰ के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था। उसने कथन किया है कि अफवाह सुनने के बाद कि दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई है वह दिनांक 24.5.2004 का स्टेशन डायरी प्रविष्टि सं॰ 588 करने के बाद पुलिस थाना से निकला। जब वह टोला नीम टांड़ पहुँचा, उसे सूचित किया गया था कि दो पक्षों के बीच मारपीट के क्रम में एक महिला की हत्या कर दी गयी है। वह घटना स्थल पर गया और अपनी गर्दन पर कटने की उपहति के साथ स्त्री का मृत शरीर देखा। मृत शरीर अपीलार्थी धनेश्वर रवानी के घर के आंगन में पड़ा हुआ था। व्यक्तियों अर्थात फूलचंद रवानी, मदन कुमार, संजय, नूनी बाला देवी एवं राजेन्द्र जिन्होंने घटना में उपहति पाया था को उनके इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। उसने मृतका कारला देवी का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और इस प्रदर्श 4 के रूप में सिद्ध किया। उसने फूलचंद रवानी का फर्दबयान प्रदर्श 5 के रूप में और औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 6 के रूप में सिद्ध किया है। इस गवाह ने आगे घटना स्थल वर्णित किया है। उसने प्रकट किया है कि प्रति मामला बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 54 वर्ष 2004 भी दर्ज किया गया था। गवाहों से निकाला गया विरोधाभास इस गवाह को निर्दिष्ट किया गया है।

10. डॉ॰ कुंदन प्रसाद सिंह ने घायलों संजय कुमार रवानी एवं फूलचंद रवानी का परीक्षण किया है और उन्होंने प्रदर्शों 9 एवं 10 के रूप में चिन्हित उपहति रिपोर्टों को सिद्ध किया है। डॉ॰ शैलेन्द्र कुमार ने कारला देवी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और उपहतियों जिन्हें उन्होंने मृतका के शरीर पर पाया था को वर्णित किया गया है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 11 के रूप में सिद्ध की गयी है। डॉक्टर के मतानुसार, मृत्यु का कारण शव परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित उपहतियों के कारण आघात एवं हेमरेज है और मृतका के शरीर पर पायी गयी उपहतियाँ भारी तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी।

11. रामदेव प्रसाद ने जब्त तलवार एवं टांगी प्रस्तुत किया है और हथियारों को क्रमशः तात्विक प्रदर्श (I) एवं (II) के रूप में चिन्हित किया गया है। बालिका देवी मृतका की भतीजी है और उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसने कथन किया है कि जब कारला देवी अपना हाथ मुँह धो रही थी, धनेश्वर ने इस पर आपत्ति किया था। तत्पश्चात झगड़ा हुआ था और गाली गलौज किया गया था। राजेन्द्र रवानी एवं विश्वनाथ रवानी घटना स्थल पर आए और जबरन कारला देवी को अपने आंगन में घसीट कर ले गए जहाँ धनेश्वर ने उकसाया और कहा ''इसका बहुत मन बढ़ गया है, इसको काट दो''। तत्पश्चात राजेन्द्र रवानी टांगी से लैस होकर और विश्वनाथ रवानी तलवार से लैस होकर घटना स्थल पर आए। हल्ला सुनकर फूलचंद रवानी एवं मदन रवानी घटनास्थल की ओर दौड़े। धनेश्वर रवानी, नूनी बाला देवी एवं रिन्की कुमारी भी आए और उन सबों ने कारला देवी को गिरा दिया और राजेन्द्र रवानी ने कारला का मस्तक पकड़ लिया जबकि विश्वनाथ रवानी ने तलवार से गला काट दिया। धनेश्वर रवानी ने भी टांगी से कारला के मस्तक पर प्रहार किया। सूचक फूलचंद रवानी, संजय रवानी एवं मदन रवानी पर भी अपीलार्थियों द्वारा प्रहार किया गया था। कारला देवी की मृत्यु घटना स्थल पर हो गयी। उसके प्रतिपरीक्षण के पैराओं 2 एवं 3 में विरोधाभास पाया गया है।

12. अपीलार्थियों ने भी प्रत्येक सत्र विचारण में अर्थात सत्र विचारण सं॰ 73 वर्ष 2005 तथा सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 में छह गवाहों का परीक्षण किया है। उन छह गवाहों में से मनोज रवानी, प्रदीप कुमार रवानी, मनोज कुमार रवानी, बिभूति मोदी एवं रामचंद्र झा दोनों मामलों में एक ही हैं जब कि डॉ॰ श्रीकृष्ण कुमार रंजन का परीक्षण सत्र विचारण सं॰ 73 वर्ष 2005 में किया गया है और पुलिस एस॰ आई॰ प्रवीण कुमार का परीक्षण सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 में किया गया है। बचाव गवाहों

मनोज रवानी, प्रदीप कुमार रवानी एवं मनोज कुमार रवानी का परीक्षण बचाव विवरण के समर्थन में किया गया है कि घटना की तिथि पर राजेन्द्र रवानी अपने घर की छत पर पानी की टंकी लगवाने में व्यस्त था। इस काम के लिए प्लम्बर एवं मजदूरों को लगाया गया था। इस बीच, कारला देवी (मृतका) राजेन्द्र को गाली देने लगी और पानी की टंकी लगाने के विरूद्ध आपत्ति किया क्योंकि टंकी तक पानी का पाइप गलियारा से ले जाना था और गलियारा विवादाधीन था। उसने अपने परिवारवालों को बुलाया जो तलवार, टांगी, लाठी आदि से लैस होकर घटनास्थल पर आए और राजेन्द्र एवं नुनी बाला देवी पर प्रहार कारित किया। इन तीन गवाहों ने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि समय के प्रासंगिक बिन्दु पर धनेश्वर घर में उपस्थित नहीं था।

13. बिभूति मोदी एवं रामचंद्र झा घनेश्वर के साथ कार्यरत सहकर्मचारी हैं और उन्होंने इस तर्क का समर्थन किया है कि 24.5.2004 को धनेश्वर रवानी A शिफ्ट में अपने कर्तव्य पर उपस्थित था और वह प्रात: 8.15 बजे से अपने कार्यस्थल पर था। दिनांक 23.5.2004 से दिनांक 29.5.2004 तक की अवधि का उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत किया गया था और ब॰ सा॰ रामचंद्र झा द्वारा प्रदर्श A के रूप में सिद्ध किया गया था।

14. डॉ॰ श्रीकृष्ण रंजन ने दिनांक 24.5.2004 को पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ में राजेन्द्र रवानी का परीक्षण किया था और दाएँ अग्रबाहु के पिछले भाग पर विदीर्ण जख्म पाया था और प्रदर्श B के रूप में उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया था। उसी दिन उन्होंने नूनी बाला देवी का भी परीक्षण किया था और प्रदर्श B/1 के रूप में नूनी बाला देवी का उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया था। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उपहति पुलिस द्वारा तलब के साथ निर्दिष्ट की गयी थी।

15. सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 जिसके लिए दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 209 वर्ष 2011 दाखिल किया गया है में प्रवीण कुमार, पुलिस एस॰ आई॰, जो अन्वेषण अधिकारी है का परीक्षण ब॰ सा॰ 1 के रूप में किया गया है। इस गवाह का ध्यान अभियोजन गवाहों के प्रतिपरीक्षण के दौरान उनसे निकाले गए विरोधाभासों की ओर आकृष्ट किया गया है और केस डायरी का परिशीलन करने के बाद उसने कथन किया है कि उन गवाहों ने उसके समक्ष उक्त तथ्य का कथन नहीं किया है और उनके बयान का वह भाग दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज उनके बयान में नहीं आ रहा है।

16. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का इस आधार पर विरोध किया है कि अधिकांश अभियोजन गवाह अत्यन्त हितबद्ध हैं और उनका अपीलार्थियों के साथ बैर था। पक्षों के घरों के बीच आने वाले गलियारा के उपयोग एवं अधिभोग से संबंधित पुराना विवाद चला आ रहा था। सूचक शुद्ध हृदय से नहीं आया है और उसने घटना का सच्चा चित्र नहीं दिया है। उसने न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अपने बयान में काफी अतिशयोक्ति किया है। सूचक ने अपने फर्दबयान में यह कथन नहीं किया है कि धनेश्वर टांगी से लैस था और उसने टांगी से मृतका के मस्तक पर प्रहार कारित किया। यह विरोधाभास अ॰ सा॰ 1 से लिया गया है और इसे अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 7 प्रवीण कुमार को निर्दिष्ट किया गया था जिसने स्पष्टत: कथन किया है कि सूचक द्वारा फर्दबयान में अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज अपने बयान में ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। इसी तरीके से, अभियोजन गवाहों अर्थात हरिपद रवानी, बालेश्वर रवानी, बालिका देवी एवं सरस्वती देवी ने भी न्यायालय में अपने बयान में अतिशयोक्ति किया है। संजय रवानी अ॰ सा॰ 9 एवं मदन कुमार रवानी अ॰ सा॰ 10 अन्वेषण के दौरान अपना बयान देने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे किंतु वे विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और अपीलार्थियों के विरूद्ध अभिसाक्ष्य दिया। चूँकि इन दो गवाहों का परीक्षण पहली बार न्यायालय में किया गया था, उन्हें विश्वसनीय गवाह नहीं माना जा

सकता था। प्रतिशोध के अधीन हितबद्ध अभियोजन गवाहों ने जानबूझकर प्रत्येक अपीलार्थी के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन किया है और उन्होंने स्त्री सदस्यों को भी नहीं बख्शा है जो दो की संख्या में है और उनमें से एक रिन्की कुमारी किशोरी थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सूचक मृतका कालरा देवी को कारित प्रहार की चश्मदीद गवाह नहीं है और यह पैरा 57 में दिए गए उसके अभिसाक्ष्य से प्रकट होगा जिसमें उसने कथन किया है कि जब वह हल्ला सुनने के बाद घर के बाहर आया, उसने कालरा देवी को खून बहने की उपहतियों के साथ पड़ा पाया था। सूचक अ॰ सा॰ 1 का पूर्वोक्त बयान उसके अभिसाक्ष्य के शेष भाग को झुठलाने के लिए पर्याप्त है जिसमें उसने घटना का सजीव चित्रण किया है। अ॰ सा॰ 4 बालेश्वर रवानी, अ॰ सा॰ 5 बालिका देवी, अ॰ सा॰ 6 सरस्वती देवी, अ॰ सा॰ 9 संजय रवानी और अ॰ सा॰ 10 मदन कुमार रवानी सूचक के निकट संबंधी हैं और इसलिए, उनसे सदैव प्रत्याशा की जाती है कि वे सूचक द्वारा लाए गए अभियोजन मामले का समर्थन करेंगे।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे इंगित किया है कि अभियोजन गवाहों ने अपीलार्थी राजेन्द्र रवानी द्वारा दर्ज प्रति मामला बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 54 वर्ष 2004 का संस्थापन स्वीकार किया है। अपीलार्थी राजेन्द्र रवानी एवं नूनी बाला देवी द्वारा पायी गयी उपहतियाँ डॉ॰ श्रीकृष्ण नंदन कुमार सिंह द्वारा अच्छी तरह सिद्ध की गयी है। राजेन्द्र रवानी ने अपने अग्रवाहु पर विदीर्ण जख्म पाया था जबकि नूनी बाला देवी के शरीर पर तेज धारदार से कटने की उपहति थी। वस्तुत:, सूचक एवं उसके सहयोगियों ने हत्या करने का प्रयास किया और घातक हथियार लिए वे अपीलार्थियों के घर आए थे और राजेन्द्र रवानी एवं नूनी बाला देवी को उपहति कारित किया था। अपीलार्थियों द्वारा अपने बचाव में लाए गए दस्तावेज एवं साक्ष्य स्पष्टत: सुझाते हैं कि पक्षों के बीच खुली लड़ाई हुई थी और यदि ऐसा था, प्रत्येक अभियुक्त अपने द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्य का दायी अभिनिर्धारित किया जाएगा। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद से अपीलार्थियों को दोषी अभिनिर्धारित करने में घोर गलती किया है। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर मौजूद स्वीकृत साक्ष्य यह है कि घटना अपीलार्थियों के घर के आंगन में हुई थी और सूचक तथा उसके सहयोगी अतिचारी थे। अपने घर में अपीलार्थियों की उपस्थिति विधिविरूद्ध जमाव नहीं कही जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन उनकी दोषसिद्धि संपोषित नहीं की जा सकती है।

18. दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 209 वर्ष 2011 में अपीलार्थी धनेश्वर रवानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क यह है कि वह घटना के समय पर घर में उपस्थित नहीं था। डॉ॰ श्रीकृष्ण रंजन के साक्ष्य के अनुसार, घायल संजय द्वारा प्रकट किया गया घटना का समय प्रात: 9.30 बजे था। बचाव गवाहों बिभूति मोदी, रामचंद्र झा एवं मनोज कुमार रवानी के साक्ष्य के मुताबिक यह अपीलार्थी प्रात: 8.30 बजे के बाद पूरे समय अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित था और अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए घर से एक घंटा पहले निकला होगा। धनेश्वर रवानी की उपस्थिति आगे सूचक एवं अन्य हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य से संदेहपूर्ण बन जाती है। सूचक ने कभी नहीं कहा है कि धनेश्वर रवानी टांगी से लैस था और उसने मृतका के मस्तक पर प्रहार कारित किया था। बालिका देवी अ॰ सा॰ 5 और सरस्वती देवी अ॰ सा॰ 6 ने यह कहकर कि धनेश्वर ने मृतका के मस्तक पर टांगी का वार किया था अपने बयान में अतिशयोक्ति किया है यद्यपि यह तथ्य उनके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज अपने बयान में प्रकट नहीं किया गया है। अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 7 ने पर्यवेक्षण प्राधिकारी से अनुदेश प्राप्त करने के बाद जाँच किया था और यह पता लगाने के लिए कि क्या धनेश्वर रवानी घटना के समय पर घर

में उपस्थित था या नहीं, कुछ गवाहों का परीक्षण किया था। इससे संतुष्ट होने पर कि धनेश्वर रवानी घटना के समय पर उपस्थित नहीं था, उसके विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया था। ये समस्त तथ्य सुझाते हैं कि किस प्रकार सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों ने झूठा साक्ष्य देकर धनेश्वर रवानी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को आलिप्त करने का प्रयास किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वे शुद्ध हृदय से नहीं आए हैं और उनके द्वारा दिया गया अभिसाक्ष्य संदेह से घिरा है, अतः, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **(2004) 9 SCC 18 (हेम राज एवं अन्य बनाम राजाराम एवं अन्य; (2011) 5 SCC 324 (कुलदीप यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य)** और **(2015)2 SCC 734 (इंदर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य)** में निर्णयों पर विश्वास किया है।

19. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर पी॰ पी॰ एवं सूचक का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थियों द्वारा दिए गए तर्कों का जोरदार विरोध किया है। यह प्रतिवाद किया गया था कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा निभायी गयी भूमिका निष्पक्ष नहीं थी। जब गवाहों से लिया गया विरोधाभास उसको निर्दिष्ट किया गया था, उसने दो तथ्य प्रस्तुत किया था। साक्ष्य जिसे गवाहों ने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष दिया है, उनके द्वारा अन्वेषण के दौरान भी दिया गया था। अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने गवाहों के मुख से निकाले गए विरोधाभासों को और अन्वेषण अधिकारी को किए गए उन विरोधाभासों को निर्देश निर्दिष्ट करते हुए न्यायालय पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि गवाहों ने न्यायालय में अपने बयान में अतिशयोक्ति किया है और अपीलार्थियों द्वारा प्रकाशमान किए गए तथा कथित विरोधाभास दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज गवाहों के बयान में सामने नहीं आ रहे थे। यह निवेदन किया गया है कि बिंदुओं जिन्हें अपीलार्थियों ने उठाया है केवल दो भिन्न व्यक्तियों द्वारा बयान दर्ज करने के तरीका के कारण आए हैं। अन्वेषण अधिकारी ने अपनी शैली में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन गवाहों का बयान दर्ज किया है। जब विचारण के दौरान गवाहों का परीक्षण किया गया था, उन्होंने वही तथ्य उद्धत किया था जो उन्होंने अन्वेषण के दौरान दिया था किंतु वे वाक्यों के अर्थान्वयन के कारण और भिन्न शब्दों के उपयोग के कारण कुछ अंतर प्रतीत होता है। विद्वान अपर पी॰ पी॰ द्वारा निवेदन एवं अनुरोध किया गया था कि यदि केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयान का परिशीलन किया जाएगा, यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने विचारण के दौरान नए तथ्यों को पुनः स्थापित नहीं किया है बल्कि तथ्य लगभग वही हैं और उन्होंने किसी तरीके से अपने बयान के अतिशयोक्ति नहीं किया है।

20. यह निवेदन किया गया था कि सूचक ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में घटना का पूर्णतः समर्थन एवं इसे सिद्ध किया है। फर्दबयान में उसके द्वारा किया गया प्रतिवाद विचारण के दौरान दर्ज उसके बयान से समर्थन पाता है। स्वतंत्र गवाहों अर्थात सहदेव रवानी एवं हरिपद रवानी ने यह तथ्य संपुष्ट किया है कि कालरा देवी का मृत शरीर अपीलार्थियों के घर के आंगन में पड़ा था। उनकी उपस्थिति में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी। रक्त रंजित अपराध का हथियार धनेश्वर रवानी के घर से जब्त किया गया था। हरीपद रवानी ने अपने द्वारा दिए गए संपूर्ण बयान को उद्धृत नहीं किया है यद्यपि उसने घटना का भाग देखा था। उसने सही प्रकार से अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने राजेन्द्र एवं विश्वनाथ को अपने हाथ में हथियार लिए देखा था। फूलचंद, संजय एवं मदन के शरीर पर उपहतियाँ थीं। बालिका देवी एवं सरस्वती देवी ने अभियोजन मामले का पूर्णतः समर्थन किया है और उन्होंने प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा निभायी गयी भूमिका वर्णित किया है। गवाहों अर्थात संजय रवानी एवं फूलचंद रवानी को कारित उपहतियाँ डॉ॰ कुंदन प्रसाद सिंह के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट की गयी। अभियोजन गवाहों द्वारा अभिलेख पर लाया गया चाक्षुक साक्ष्य

डॉ॰ शैलेन्द्र कुमार जिन्होंने कालरा देवी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था के साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि करण पाता है। अन्वेषण अधिकारी ने न केवल अन्वेषण के दौरान अपीलार्थियों का समर्थन किया था बल्कि उसने विचारण के दौरान भी उनकी मदद करने का प्रयास किया है। उसका परीक्षण बचाव गवाह के रूप में किया गया था। उसने स्वीकार किया है कि उसने मदन रवानी एवं संजय रवानी का बयान दर्ज नहीं किया था यद्यपि वे घायल चश्मदीद गवाह थे। अन्वेषण अधिकारी का आचरण निष्पक्ष नहीं था। अपराध का हथियार अ॰ सा॰ 12 रामदेव प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन ने **(2011)7 SCC 295 (वामन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य); (2012) 4 SCC 776 (सुरेन्द्र एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य); (2011) 9 SCC 257 (रामचंद्रन एवं अन्य बनाम केरल राज्य); (2011) 4 SCC 677 (अमेरिका राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य)** और **(2012) 3 SCC 221 (रॉय फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य एवं अन्य)** में निर्णयों पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थी राजेन्द्र रवानी एवं नुनी बाला देवी के शरीर पर हुई उपहतियों को स्पष्ट करने में विफलता घातक नहीं है। **वामन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन अभियुक्त की प्रत्येक उपहति को स्पष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है यद्यपि हुई उपहतियाँ घटना के क्रम में कारित हुई हैं तथा उपहतियाँ लघु प्रकृति की हैं। यह सत्य है कि अभियोजन गवाहों ने अपीलार्थी राजेन्द्र रवानी द्वारा दर्ज मामले बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 54 वर्ष 2004 का संस्थापन स्वीकार किया है किंतु वह अभियोजन गवाहों के परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

21. अपीलार्थी धनेश्वर रवानी द्वारा किया गया अन्यत्रता का अभिवचन भी मान्य नहीं है क्योंकि घटना का समय प्रातः 7.30 बजे है और उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार अपीलार्थी ने इस पर लगभग प्रातः 8.50 बजे हस्ताक्षर किया था। धनेश्वर रवानी का कार्य स्थल मुश्किल से 3-4 कि॰ मी॰ की दूरी पर है जिसे अच्छी तरह आधा घंटा के भीतर तय किया जा सकता है। बचाव गवाहों ने स्वीकार किया है कि धनेश्वर रवानी घर में उपस्थित था। अभियोजन ने समस्त अपीलार्थियों के विरूद्ध अपना मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है और इन अपीलों में गुणागुण नहीं है। दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

22. हमने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है। हमने उद्धृत निर्णयों का भी परिशीलन किया है। सूचक ने अभिकथित घटना में उपहति पाया था जब उसने अपनी मृतका पत्नी को बचाने का प्रयास किया। गवाहों के बयान पर विचार करने के पहले हम निम्नलिखित तथ्यों को निर्दिष्ट करना चाहेंगे जो विवादित नहीं हैं:

अपीलार्थियों एवं सूचक के घरों के बीच एक गलियारा है जो लगभग 72 फीट लंबा और साढ़े तीन फीट चौड़ा है। सूचक एवं अपीलार्थियों के घर एक दूसरे के लगभग बगल में है। उक्त गलियारा के उपयोग एवं अधिभोग के लिए पक्षगण के बीच वर्तमान घटना की तिथि के पहले से मुकदमाबाजी हो रही है। उनके बीच और उनके द्वारा सिविल वाद एवं दांडिक मामले संस्थित किए गए थे। अपीलार्थी धनेश्वर रवानी एवं सूचक फूलचंद रवानी गोतिया हैं किंतु उनका संबंध अच्छा नहीं था। कारला देवी का मृत शरीर धनेश्वर रवानी के घर के आंगन में पड़ा था और घटना स्थल पर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी।

23. अब संबंधित पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर आते हुए। सूचक ने कथन किया है कि दिनांक 24.5.2004 को जब उसकी पत्नी कारला देवी अपने घर के दरवाजा के निकट खड़ा होकर अपना हाथ-मुँह धो रही थी, अपीलार्थियों द्वारा आपत्ति की गयी थी और उसे अपीलार्थियों राजेन्द्र एवं विश्वनाथ द्वारा घसीट कर अपने घर में लाया गया था। तुरन्त तलवार, टांगी, लाठी आदि से लैस अन्य अपीलार्थीगण आए। अपीलार्थियों ने कारला देवी पर काबू कर लिया था और आंगन में उसकी हत्या की

गयी थी। प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा निभायी गयी विनिर्दिष्ट भूमिका सूचक के साक्ष्य में उल्लेख पाती है। सूचक और उसका पुत्र संजय कारला देवी द्वारा हल्ला किए जाने के बाद घटना स्थल पर आए। उनके पीछे मदन रवानी भी घटना स्थल पर आया। यह प्रकट किया गया है कि अपीलार्थियों खगेश्वर रवानी, विश्वनाथ रवानी एवं सुखदेव रवानी द्वारा तलवार, टांगी, लाठी आदि से उन पर प्रहार किया गया था। उन्हें अपने शरीर पर उपहति आयी और डॉक्टर द्वारा उनका परीक्षण किया गया था। सूचक एवं संजय रवानी की उपहति रिपोर्ट डॉ॰ कुंदन प्रसाद सिंह द्वारा सिद्ध की गयी हैं।

बालिका देवी एवं सरस्वती देवी ने घटना देखा है संजय रवानी एवं मदन कुमार रवानी घायल गवाह हैं किंतु स्वीकृत रूप से अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान उनका परीक्षण नहीं किया था। इन दो घायल गवाहों ने अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है और न्यायालय के समक्ष संपूर्ण घटना का विवरण दिया है। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि इन दो गवाहों के साक्ष्य को किसी विचार से अपवर्जित किया जाना है क्योंकि उन्होंने पहली बार न्यायालय में घटना के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। अन्वेषण अधिकारी निष्पक्ष नहीं है जैसा उसके आचरण से प्रकट है।

राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सही प्रकार से इंगित किया है कि अन्वेषण अधिकारी का आचरण निष्पक्ष नहीं था। अन्वेषण अधिकारी प्रवीण कुमार ने सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 में स्वयं का बचाव गवाह के रूप में परीक्षण करवाया है। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में उसने स्वीकार किया है कि फूलचंद रवानी (सूचक) के सिवाए, संजय रवानी एवं मदन रवानी ने भी घटना में उपहति पाया था और उसने उनके इलाज के लिए उनके विरूद्ध तलब भी जारी किया था किंतु उसने उनका बयान दर्ज करने का परवाह नहीं किया था। अन्वेषण अधिकारी ब॰ सा॰1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में स्वीकार किया है कि संजय रवानी एवं मदन रवानी को आरोप पत्र में गवाहों के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है परन्तु वह इसके लिए कारण स्पष्ट करने में अक्षम है। चूँकि उसके पास अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, उसने पैरा 6 में इसे स्वीकार किया है और कहा है कि गलती के कारण उसने चश्मदीद गवाहों संजय रवानी एवं मदन रवानी का बयान दर्ज नहीं किया था। इन परिस्थितियों में, हमने इन दो गवाहों के साक्ष्य पर विचार किया है। चूँकि वे घायल गवाह हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है और उनसे कोई तात्विक विरोधाभास नहीं निकाला गया है, हम उनका परिसाक्ष्य त्यक्त करने के कारण नहीं पाते हैं। अत:, अभियोजन मामला सूचक फूलचंद रवानी तथा घायल चश्मदीद गवाहों संजय रवानी एवं मदन रवानी के साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि पाता है। पूर्वोक्त तीन चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य आगे हरिपद रवानी, बालेश्वर रवानी, बालिका देवी एवं सरस्वती देवी के साक्ष्य से समर्थन पाता है। पूर्वोक्त गवाहों के बयान के अनुसार, कारला देवी ने अपने गर्दन पर तेज धारदार हथियार से कटने की उपहति पाया था और उसके मस्तक पर उपहति टांगी से कारित की गयी थी। चाक्षुक साक्ष्य डॉ॰ शैलेन्द्र कुमार के साक्ष्य एवं शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 11) से समर्थन पाता है। अन्वेषण अधिकारी जिसका परीक्षण सत्र विचारण सं॰ 73 वर्ष 2005 में अभियोजन गवाह के रूप में किया गया था, ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, रक्त रंजित मिट्टी की अभिग्रहण सूची, अपीलार्थी के घर से बरामद अपराध के हथियार की अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है और उसने घटना स्थल भी वर्णित किया है जो अपीलार्थी के घर के भीतर का आंगन है। घटना स्थल का निरीक्षण करने के समय पर उसने हैंडपंप एवं नाला की ओर बहने वाला जमीन पर गिरा खून ध्यान में लिया था। अपीलार्थी के घर से इस प्रकार जब्त अपराध के हथियार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और इन्हें तात्विक प्रदर्श (I) एवं (II) चिन्हित किया

गया था। अन्वेषण अधिकारी द्वारा निभायी गयी भूमिका निष्पक्ष प्रतीत नहीं होती है और इसलिए राज्य एवं सूचक के लिए उपस्थित अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए और गवाहों के मुख से लिए गए विरोधाभासों जैसा अन्वेषण अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है, का परीक्षण करने की दृष्टि से हम यह पता लगाने के लिए केस डायरी का परीक्षण करना वांछनीय समझते हैं कि क्या गवाहों ने वस्तुतः दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन अन्वेषण पदाधिकारी के समक्ष वैसा बयान दिया है या उन्होंने न्यायालय में अपने बयान में अतिशयोक्ति की है। हम इस बात से सहमत हैं कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज बयान में प्रयुक्त शब्दों एवं वाक्यों के अर्थान्वयन के कारण और न्यायालय में गवाहों के अभिसाक्ष्य में कुछ अंतर सामने आए हैं किंतु तथ्य बना रहता है कि कुछ लघु विरोधाभासों को छोड़कर चश्मदीद गवाहों ने न्यायालय में अपने बयान में अतिशयोक्ति नहीं किया है और उन्होंने न्यायालय के समक्ष लगभग वही तथ्य प्रस्तुत किया है जिसे उन्होंने घटना के समय पर देखा था। अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सूचक के अभिसाक्ष्य के पैरा 57 पर काफी जोर दिया है किंतु हम नहीं पाते हैं कि पैरा 57 में सूचक द्वारा दिया गया पूर्वोक्त बयान पूर्ववर्ती पैराग्राफ अथवा उत्तरवर्ती पैराग्राफ से संबंधित है। यह स्पष्ट नहीं है कि किस संदर्भ में सूचक से वह प्रश्न पूछा गया था और किस संदर्भ में उत्तर दिया गया था। हम जो कहना चाहेंगे वह यह है कि सूचक का संपूर्ण अभिसाक्ष्य केवल उस एक वाक्य जो उसके अभिसाक्ष्य के पैरा 57 में आ रहा है के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है।

24. अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने इस बिन्दु पर काफी जोर दिया है कि पक्षों के बीच खुली लड़ाई हुई थी और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 149 चित्र में नहीं आएगी और अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की मदद से हत्या के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क भी किया गया था कि अपीलार्थियों राजेन्द्र रवानी एवं नूनी बाला देवी के शरीर पर हुई उपहतियाँ स्पष्ट नहीं की गयी हैं। अभियोजन गवाहों ने प्रति मामला बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 54 वर्ष 2004 की घटना स्वीकार किया है। इस संदर्भ में, हमने **वामन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** और **अमेरिका राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (ऊपर)** में दिए गए निर्णयों का परिशीलन किया है। हम अभिलेख से यह पाते हैं कि ज्योंही कारला देवी को अपीलार्थियों बिश्वनाथ रवानी एवं राजेन्द्र रवानी द्वारा अपने घर के आंगन में घसीटा गया था, शेष अपीलार्थीगण तलवार टांगी, भाला, लाठी आदि जैसे घातक हथियारों के साथ आए। राजेन्द्र रवानी एवं नूनी बाला देवी (अपीलार्थीगण) एवं रिन्की कुमारी (मामला अलग किया गया क्योंकि उसे किशोरी घोषित किया गया था) द्वारा आगे किए गए प्रत्यक्ष कृत्य ये हैं कि उन्होंने कारला देवी को पकड़ लिया और अपीलार्थी विश्वनाथ रवानी ने कारला देवी का गला काट दिया। आगे टांगी द्वारा उसके मस्तक पर उपहतियाँ कारित की गयी थी। जब सूचक एवं उसका पुत्र संजय मृतका को बचाने आए, उन पर भी प्रहार किया गया था। अपीलार्थी मदन रवानी भी घटना स्थल पर आया किंतु उसे भी नहीं बख्शा गया था और उसने उपहति पाया। खगेश्वर रवानी एवं सुखदेव रवानी द्वारा निभायी गयी विनिर्दिष्ट भूमिका भी गवाहों द्वारा स्पष्ट की गयी है। उक्त कथित परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण, जो घातक हथियारों के साथ जमा हुए थे और न केवल मृतका पर बल्कि गवाहों पर भी प्रहार कारित करने में भाग लिया था, ने निश्चित रूप से अपराध कारित करने के सामान्य आशय से विधिविरूद्ध जमाव निर्मित किया था और उक्त विधिविरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारला देवी की हत्या की गयी थी। चूँकि समस्त अपीलार्थियों ने अपराध की कारिता में सक्रिय भाग लिया था, यह निष्कर्ष अच्छी तरह से निकाला जा सकता है कि उस विधिविरूद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य

जानता था कि उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किए जाने की संभावना है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब सूचक, संजय रवानी एवं मदन रवानी मृतका को बचाने आए, उनके और अपीलार्थियों के बीच हाथापाई हुई और उस क्रम में अपीलार्थियों राजेन्द्र रवानी और नूनी बाला देवी ने अपने शरीर पर कुछ उपहतियाँ प्राप्त किया होगा। डॉ॰ श्रीकृष्णा रंजन ब॰ सा॰ 6 के साक्ष्य से, अपीलार्थियों राजेन्द्र रवानी एवं नूनी बाला देवी को कारित उपहतियाँ सामान्य प्रकृति की थीं। वर्तमान मामले में सामने आने वाले तथ्य **वामन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** में दिए गए निर्णय द्वारा पूर्णत: आच्छादित हैं जिसका पैरा 36 प्रासंगिक है जो निम्नलिखित है:–

> "36. lkekU;r% vfHk;ktu vfHk;Dr ij çR;d migfr Li"V dju d fy, cкè; ugh g Hky gh migfr;k ?kVuk d Øe e ik;h x;h gk rFkk migfr;k y?k çÑfr dh g fdr] ;fn vfHk;ktu vfHk;Drk e l fdlh ij ?kkj migfr] ftl mlh ?kVuk d Øe e dkfjr fd;k x;k LFkkfir fd;k x;k g] Li"V dju e foQy jgrk g rc U;k;ky; fu'p; gh vfHk;ktu ekey dk FkkM lng l bl vkèkkj ij n[k ldrk g fd vfHk;ktu u ?kVuk dk okLrfod fooj.k fNik;k gA fdr] ;fn lk{; rdi.k] Li"V ,o fo'oluh; g] rc erd }kjk ik;h x;h dfri; migfr vFkok vfHk;Dr ij migfr dk xjLi"Vhdj.k Loeo li.k vfHk;ktu ekey dk R;Dr dju dk vkèkkj ugh gk ldrk gA**

वामन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों की दृष्टि में हम अपीलार्थियों द्वारा दिया गया तर्क अस्वीकार करते हैं।

25. अब दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 209 वर्ष 2011 पर आते हुए जिसे अपीलार्थी धनेश्वर रवानी द्वारा दाखिल किया गया है जिसका दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 319 के अधीन समन किए जाने के बाद विचारण किया गया था और बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 1584 वर्ष 2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश I, धनबाद द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 19.2.2011 एवं दिनांक 21.2.2011 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के तहत दोषी अभिनिर्धारित किया गया था।

यह तर्क किया गया था कि गवाहों ने अपीलार्थी धनेश्वर रवानी की उपस्थिति एवं निभायी गयी भूमिका के संबंध में संगत बयान नहीं दिया है। सूचक ने अपने फर्दबयान में कथन नहीं किया है कि धनेश्वर रवानी ने टांगी से मृतका के मस्तक पर उपहति कारित किया अथवा वह घटना के समय पर टांगी लिए था। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज अपने बयान में उसके द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था जो अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से प्रकट है जब सूचक के मुख से निकाला गया विरोधाभास उसको निर्दिष्ट किया गया था। अन्वेषण अधिकारी ने स्पष्टत: कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान उसके समक्ष सूचक द्वारा ऐसा बयान नहीं दिया गया था। अन्वेषण अधिकारी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि पर्यवेक्षण प्राधिकारी से अनुदेश इप्सित करने के बाद उसने मामले का अन्वेषण किया था और सहकर्मचारियों रामचंद्र झा एवं बिभूति मोदी का परीक्षण किया था। हमने आगे बालिका देवी एवं सरस्वती देवी के साक्ष्य का परीक्षण किया है जो घटना की चश्मदीद गवाह हैं। इन दो गवाहों ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज अपने बयान में कथन नहीं किया है कि धनेश्वर रवानी ने कारला देवी के मस्तक पर टांगी से वार किया था। चूँकि अन्वेषण अधिकारी का आचरण संदेहपूर्ण प्रतीत हो रहा है, हमने केस डायरी में दर्ज इन दो गवाहों के बयान का परीक्षण किया है। स्वीकृत रूप से, इन गवाहों के मुख से निकाला गया विरोधाभास अन्वेषण

अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया था और अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया है कि उन्होंने अन्वेषण के दौरान उसके समक्ष बयान का वह भाग नहीं दिया था। अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य और सरस्वती देवी के मुख से निकाला गया विरोधाभास तथा अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य का भाग जिसमें सरस्वती देवी से निकाला गया विरोधाभास निर्दिष्ट किया गया था, की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए हमने केस डायरी के पैरा 28 में दर्ज सरस्वती देवी के बयान का परीक्षण किया है। हम नहीं पाते हैं कि सरस्वती देवी ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज अपने बयान में कभी कथन किया था कि धनेश्वर रवानी टांगी से लैस था और उसने कारला देवी के मस्तक पर प्रहार कारित किया था, बल्कि दर्ज किया गया बयान यह है कि राजेन्द्र रवानी ने टांगी से कारला देवी के मस्तक पर उपहति कारित किया। पुनः हम इसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमें विरोधाभासों को सत्यापित करने के लिए केस डायरी का परीक्षण करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी निष्पक्ष प्रतीत नहीं हुआ था और वह सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 में ब॰ सा॰ 1 के रूप में उपस्थित हुआ था और वह भी गवाहों से निकाले गए विरोधाभासों को सत्यापित करने के सीमित प्रयोजन से।

26. धनेश्वर रवानी ने भी अन्यत्रता के अभिवचन के समर्थन में गवाहों का परीक्षण किया है और उसने उपस्थिति रजिस्टर सिद्ध किया है। बचाव गवाहों अर्थात बिभूति मोदी एवं रामचंद्र झा ने धनेश्वर रवानी के प्रतिवाद का समर्थन किया है। अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी घनेश्वर रवानी के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया है क्योंकि उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। मामले के इन समस्त पहलूओं पर समेकित रूप से विचार करते हुए, हमारा मत है कि घटना में धनेश्वर रवानी की अंतर्ग्रस्तता अभियोजन द्वारा संगत रूप से सिद्ध नहीं की गयी है और अभियोजन की ओर से कुछ ढिलाई प्रतीत होती है। अतः, हम उसको संदेह का लाभ देने के इच्छुक हैं। तद्नुसार, बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 54 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 1584 वर्ष 2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 73A वर्ष 2005 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश I, धनबाद द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 19.2.2011 एवं दिनांक 21.2.2011 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी धनेश्वर रवानी को उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है और निर्मुक्त किया जाता है।

दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 209 वर्ष 2011 अनुज्ञात की जाती है।

27. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गयी चर्चा की दृष्टि में, हम अपीलार्थियों अर्थात विश्वनाथ रवानी, सुखदेव रवानी, नूनी बाला देवी, राजेन्द्र रवानी एवं खगेश्वर रवानी द्वारा क्रमशः दाखिल दांडिक अपील (डी॰ बी॰ सं॰ 469, 402, 442, 466 एवं 517 वर्ष 2008 में गुणागुण नहीं पाते हैं। तद्नुसार, बलियापुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 1584 वर्ष 2004 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 73 वर्ष 2005 में अपर सत्र न्यायाधीश-13, धनबाद द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 16.2.2008 तथा दिनांक 19.2.2008 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद्द्वारा मान्य ठहराया जाता है।

परिणामस्वरूप, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 469, 402, 442, 446 एवं 517 वर्ष 2008 खारिज की जाती है।

अपीलार्थियों सुखदेव रवानी, नूनी बाला देवी एवं खगेश्वर रवानी का जमानत बंधपत्र एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। उन्हें आज के दिन से छह सप्ताह के भीतर अवर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है जिसके अनुपालन में विफलता पर अवर न्यायालय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेशिका जारी करेगा।